I, खंड 17, अंक 4

मंगलवार, 21 फरवरी, 2006
2 फाल्गुन, 1927 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

सातवां सत्र
(चौदहवीं लोक सभा)

Gazettes & Debates
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No....60.....
Dated....1 June 2007

(खण्ड 17 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी. डी. टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

ए. के. सिंह
संयुक्त सचिव

हरनाम दास टक्कर
प्रधान मुख्य सम्पादक

प्रतिमा श्रीवास्तव
मुख्य सम्पादक

सरिता नागपाल
वरिष्ठ सम्पादक

अरुणा वशिष्ठ
सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अंनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय सूची

चतुर्दश माला, खंड 17, सातवां सत्र, 2006/1927 (शक)

अंक 4, मंगलवार, 21 फरवरी, 2006/2 फाल्गुन, 1927 (शक)

विषय	कॉलम
निधन संबंधी उल्लेख	1-2
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 43 से 46	2-42
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 42, 47 से 61	42-63
अतारांकित प्रश्न संख्या 234 से 373	63-278
सभा पटल पर रखे गए पत्र	278
कृषि संबंधी स्थायी समिति	
तेरहवें से सत्रहवां प्रतिवेदन	278-279
सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति	
बारहवें से चौदहवां प्रतिवेदन	279-280
अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी	
पिछले सप्ताह के दौरान सभा में हुए कार्य के बारे में	280-281
मंत्री द्वारा वक्तव्य	
19.2.2006 को अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म संख्या 2 पर हुआ बम धमाका	281-283
समितियों के लिए निर्वाचन	
(एक) राजभाषा समिति	284
(दो) प्राक्कलन समिति	284-285
(तीन) लोक लेखा समिति	285-286
(चार) सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति	286-287
(पांच) अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति	287-289
अनुसूचित जनजाति (वन अधिकारों की मान्यता) विधेयक, 2005 संबंधी संयुक्त समिति के बारे में प्रस्ताव	
श्री वी. किशोर चन्द्र एस. देव	289

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय — कॉलम

अनुसूचित जनजाति (वन अधिकारों की मान्यता)

विधेयक, 2005 संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन–समय सीमा बढ़ाए जाने के बारे में प्रस्ताव

श्री वी. किशोर चन्द्र एस. देव — 289-294

कार्यमंत्रणा समिति के इक्कीसवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

श्री संतोष गंगवार — 294

सदस्यों द्वारा निवेदन — 295-332, 439-440

(एक) अन्तर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के बारे में 295-320

(दो) दिल्ली में बड़े पैमाने पर चल रही तोड़फोड़ की कार्यवाही से उत्पन्न स्थिति के बारे में — 321-326

(तीन) जर्मनी में हिन्दू देवी–देवताओं के अपमानजनक चित्रण और डेनमार्क में "पैगम्बर हजरत मोहम्मद" के कार्टूनों के प्रकाशन के बारे में — 326-332

(चार) जनवरी, 2006 में मक्का (सऊदी अरब) में मची भगदड़ में मारे गए भारतीय हज तीर्थ यात्रियों के परिवारों को मुआवजा न दिए जाने से उत्पन्न स्थिति के बारे में 439-440

नियम 377 के अधीन मामले 335-346

(एक) जम्मू और कश्मीर के उधमपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में हाल ही में आए भूकंप से प्रभावित लोगों को राहत उपलब्ध कराने के लिए और धनराशि जारी किए जाने की आवश्यकता

चौधरी लाल सिंह — 335-336

(दो) उत्तर प्रदेश के मथुरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में ग्रामीण विद्युतीकरण को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता

कुंवर मानवेन्द्र सिंह — 336

(तीन) कर्नाटक की लंबित पर्यटन संबंधी परियोजनाओं को निपटाए जाने की आवश्यकता

श्री इकबाल अहमद सरडगी 336-337

(चार) हरियाणा में पाला पड़ने के कारण किसानों को हुई हानि का आकलन किए जाने और प्रभावित लोगों को पर्याप्त राहत निधियां जारी किए जाने की आवश्यकता

श्री कुलदीप बिश्नोई 337

(पांच) कुरुक्षेत्र, जालंधर और सिल्चर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए पेंशन स्कीम घोषित किए जाने की आवश्यकता

श्री नवीन जिन्दल 337-338

(छह) गुजरात के मेहसाना जिले में घटते भू–जल स्तर और क्षेत्र में पेयजल को फ्लोराइड रहित बनाने की दृष्टि से पेयजल कार्यक्रमों की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

श्री जीवाभाई ए. पटेल 338

(सात) उत्तरांचल के अल्मोड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में उपग्रह फोन सेवाएं शुरू किए जाने की आवश्यकता

श्री बची सिंह रावत "बचदा" 338-339

(आठ) "गोरबोली" भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता

श्री हरिभाऊ राठौड़ 339-340

(नौ) बुन्देलखंड क्षेत्र के विकास के लिए झांसी–कानपुर रेल खंड का दोहरीकरण और विद्युतीकरण किए जाने की आवश्यकता

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा 340

(दस) गुजरात में पोरबंदर और राजकोट के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8बी ईस्ट–वेस्ट कॉरीडोर को छह लेनों वाला बनाए जाने के कार्य को तेज किए जाने की आवश्यकता

डा. वल्लभभाई कथीरिया 340-341

(ग्यारह) राजस्थान में लंबित पड़ी परियोजनाओं को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता

श्री गिरधारी लाल भार्गव 341

(बारह) पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बाल–वध की कुप्रथा को नियंत्रित किए जाने की आवश्यकता

श्री सांताश्री चटर्जी 341

(तेरह) केरल में गहरे समुद्र के फिशिंग ट्रालर्स खरीदने के लिए "नाबार्ड" रिफाइनेंसिंग स्कीम के अन्तर्गत राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए गए बकाया सावधिक लेखा ऋणों को निपटाए जाने की आवश्यकता

डा. के. एस. मनोज 342

(चौदह) गरीब लोगों के लिए और अधिक घरों का निर्माण करने की दृष्टि से देवरिया जिले में इंदिरा आवास योजना के कार्यकरण की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

श्री हरिकेवल प्रसाद 342-343

(पंद्रह) उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में भरवारी रेलवे स्टेशन पर महत्वपूर्ण गाड़ियों का ठहराव दिए जाने की आवश्यकता

श्री शैलेन्द्र कुमार 343

(सोलह) किसानों को कम ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री राम कृपाल यादव 343-344

(सत्रह) देश में गरीबी उन्मूलन की दृष्टि से "काम के बदले अनाज" कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए सभी केन्द्रीय मंत्रालयों को राज्य सरकारों के साथ सहयोजित किए जाने की आवश्यकता

श्री डी. वेणुगोपाल 344-345

विषय कॉलम

(अठारह) पंजाब में एक केन्द्रीय दल भेजकर राज्य में आलू उत्पादकों को अत्यधिक ठंड के कारण हुई हानि का आकलन करने और प्रभावित किसानों को पर्याप्त मुआवजा उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री सुखदेव सिंह ढींडसा 345

(उन्नीस) झारखंड के बोकारो जिले के पेटरवार ब्लाक में सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड द्वारा खनन कार्य शुरू किए जाने को सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री टेकलाल महतो 345

(बीस) समुचित विद्युत वितरण को सुनिश्चित किए जाने की दृष्टि से बिजनौर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में विद्युत वितरण नेटवर्क की सीबीआई जांच शुरू किए जाने की आवश्यकता

श्री मुन्शी राम 346

न्यायालय अवमान (संशोधन) विधेयक, 2004 347-364

विचार करने के लिए प्रस्ताव 347

श्री बृज किशोर त्रिपाठी 347-348

श्री गिरधारी लाल भार्गव 348-350

श्री अजय चक्रवर्ती 350-353

श्री राम कृपाल यादव 353-354

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु 354-356

श्री रामदास आठवले 356-357

श्री हंस राज भारद्वाज 357-362

खंड 2 और 1 363-364

पारित करने के लिए प्रस्ताव 364

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव 364-438

श्री अधीर चौधरी 364-370

श्री सुखदेव सिंह ढींडसा 370-378

श्री किशन सिंह सांगवान 378-386

श्री अनंत गंगाराम गीते 386-397

श्री सी. के. चन्द्रप्पन 397-407

श्री किरिप चालिहा 408-414

विषय कॉलम

श्री बची सिंह रावत "बचदा" 414-421

श्री एन. एन. कृष्णदास 421-424

श्री शैलेन्द्र कुमार 424-432

प्रो. महादेवराव शिवनकर 432-438

अनुबंध-I 459-466

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 459-460

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 460-466

अनुबंध-II 467-468

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 467-468

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 467-468

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री गिरिधर गमांग

श्रीमती सुमित्रा महाजन

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

श्री बालासाहिब विखे पाटील

श्री वरकला राधाकृष्णन

श्री अर्जुन सेठी

ले. क़र्नल (सेवानिवृत्त) मानवेन्द्र शाह

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री पी. डी. टी. आचारी

लोक सभा

मंगलवार, 21 फरवरी, 2006/2 फाल्गुन, 1927 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*)

निधन संबंधी उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यो, मुझे सभा को हमारे भूतपूर्व सहयोगी श्री द्रोणम राजू सत्यनारायण के दुःखद निधन की सूचना देनी है।

श्री सत्यनारायण 1977 से 1979 तक छठी लोक सभा के सदस्य रहे। उन्होंने आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

एक सक्षम सांसद, श्री सत्यनारायण 1988 से 2000 तक दो कार्यकाल के लिए राज्य सभा के सदस्य रहे और उन्होंने आंध्र प्रदेश राज्य का प्रतिनिधित्व किया। 1980 में और 2004 में वह आंध्र प्रदेश विधान सभा के सदस्य चुने गए और जीवन पर्यंत विधान सभा के सदस्य रहे।

पेशे से कृषक श्री सत्यनारायण सक्रिय मजदूर नेता थे। वह विभिन्न कल्याणकारी संगठनों से जुड़े रहे। वह विशाखापत्तनम पोर्ट एण्ड डॉक वर्कर्स यूनियन, डॉक लेबर बोर्ड, नेशनल इम्प्लाईज यूनियन, हिन्दुस्तान पॉलीमर्स इम्प्लाईज यूनियन, विशाखापत्तनम और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम इम्प्लाईज यूनियन, विशाखापत्तनम के अध्यक्ष रहे।

सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में श्री सत्यनारायण विभिन्न संस्थानों में भिन्न-भिन्न पदों पर कार्यरत रहे। भारत-चीन और भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान उन्होंने जिला रक्षा समिति के सदस्य; 1967 से 1974 तक लार्ज साइज्ड को-आपरेटिव सोसाइटी, पेंडूस्ती के अध्यक्ष और 1970 से 1977 तक ग्राम पंचायत, चिन्माशीडीवाडा के सरपंच के रूप में कार्य किया। 1978 से 1980 तक उन्होंने विशाखापत्तनम शहरी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष और 1981 से 1984 तक विशाखापत्तनम जिला परिषद के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। श्री सत्यनारायण ने 'ग्रामोद्योग' नामक मासिक पत्रिका का संपादन किया।

श्री द्रोणम राजू सत्यनारायण का निधन 28 दिसम्बर, 2005 को 73 वर्ष की आयु में हुआ।

हम अपने इस मित्र के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं। मैं अपनी तथा सभा की ओर से शोकसंतप्त परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं।

अब सभा दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़ी होगी।

पूर्वाह्न 11.01 बजे

तत्पश्चात् सदस्य थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 42। श्री सज्जन कुमार--उपस्थित नहीं।

श्री सुग्रीव सिंह--उपस्थित नहीं।

श्री आनंदराव विठोबा अडसूल, प्रश्न संख्या 43।

[अनुवाद]

विश्व व्यापार संगठन सम्मेलन

+

***43. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :**
श्री अनंत गुढे :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व व्यापार संगठन की हांगकांग में दिसम्बर, 2005 में मंत्रिस्तरीय बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो इस बैठक में किन-किन मुद्दों पर चर्चा हुई और उसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या सरकार ने भारत के व्यापार, कृषि और सेवा क्षेत्र पर गत दस वर्षों के दौरान पड़े विश्व व्यापार संगठन के प्रभाव का आकलन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा देश के किसानों और निर्यातकों के हितों की सुरक्षा हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमलनाथ) : (क) जी, हां। डब्ल्यूटीओ का छठा मंत्रिस्तरीय सम्मेलन 13 से 18 दिसम्बर, 2005 तक हांगकांग में आयोजित हुआ था।

(ख) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(ख) विचार विमर्श किए गए मुख्य मुद्दों में विकसित देशों द्वारा घरेलू सहायता को कम करना और निर्यात सब्सिडियों को समाप्त करना, अल्प विकसित देशों (एलडीसी) के लिए विकास पैकेज, कुछ अफ्रीकी रूई उत्पादक देशों द्वारा रूई पहल, कृषि और गैर–कृषि बाजार पहुंच, सेवाएं और दोहा कार्यक्रम के अन्तर्गत विकास मुद्दे शामिल हैं।

हांगकांग मंत्रिस्तरीय सम्मेलन की समाप्ति पर एक मंत्रिस्तरीय घोषणा पारित की गई थी जिसकी एक प्रति माननीय सदस्यों द्वारा संदर्भ लेने के लिए संसद के दोनों सदनों–राज्य सभा और लोक सभा के पुस्तकालयों को उपलब्ध कराई गई है। महत्वपूर्ण मुद्दों के संबंध में मुख्य परिणाम और समय सीमाएं निम्न प्रकार हैं :

- दोहा कार्यक्रम को पूरा करने और वर्ष 2006 में वार्ताएं समाप्त करने का संकल्प पारित किया गया।
- विकासशील देशों के सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी चिन्ताओं का निराकरण करने के लिए डब्ल्यूटीओ के ट्रिप्स करार में संशोधन की पुनः पुष्टि की गई।
- वर्ष 2008 तक अथवा कार्यान्वयन अवधि के शुरू होने तक सभी एलडीसी के उद्गम के सभी उत्पादों के लिए सभी विकसित देशों द्वारा समाप्त किए जाने के आधार पर शुल्क मुक्त, कोटा मुक्त बाजार पहुंच, उपर्युक्त यथा–निर्धारित बाजार पहुंच प्रदान करने के लिए इस समय कठिनाइयों का सामना कर रहे सदस्य उपर्युक्त अवधि तक एलडीसी से उद्गम होने वाले न्यूनतम 97 प्रतिशत उत्पादों (टैरिफ लाइन स्तर पर परिभाषित) के लिए शुल्क-मुक्त, कोटा मुक्त बाजार पहुंच उपलब्ध कराएंगे। ऐसा करने की स्थिति में स्वयं को घोषित करने वाले विकासशील देशों को भी एलडीसी के लिए ऐसी बाजार पहुंच प्रदान की जानी चाहिए; तथापि, उन्हें शामिल होने वाले उत्पादों में उचित लोचशीलता उपलब्ध कराई गई है और अपनी वचनबद्धताओं को चरणबद्ध करने की अनुमति दी गई है।
- रूई में विकसित देशों द्वारा वर्ष 2006 तक निर्यात सब्सिडियां समाप्त की जानी हैं; व्यापार विकृतिकारी घरेलू सब्सिडियां अधिक आकांक्षा के साथ और कम समयावधि में कम की जानी हैं।
- 30 अप्रैल, 2006 तक कृषि और गैर–कृषि बाजार पहुंच (एनएएमए) में रूपरेखाएं निर्धारित करना; 31 जुलाई, 2006 तक अनुसूचियों का मसौदा प्रस्तुत किया जाना है।
- कृषि में वर्ष 2013 तक निर्यात सब्सिडियां समाप्त करना जिसका पर्याप्त हिस्सा कार्यान्वयन अवधि के पूर्वार्ध में समाप्त किया जाना है; वर्ष 2006 तक विकसित देशों द्वारा रूई निर्यात सब्सिडियां समाप्त करना।
- व्यापार विकृतिकारी घरेलू सहायता पर तीन सबसे बड़े सब्सिडीदाताओं द्वारा अत्यधिक कटौतियां किया जाना; भारत जैसे विकासशील देश जिनके पास कोई एएमएस नहीं है, को किसी न्यूनतम अथवा समग्र स्तरों पर किसी कटौती से छूट प्राप्त होगी।
- विकासशील देशों को विशेष रक्षोपाय तंत्र के लिए सहमत कीमत और मात्रा की वृद्धि; विकासशील देशों के लिए स्वयं नामित विशेष उत्पादों के लिए लोचशीलता।
- एनएएमए में विशेष और अलग व्यवहार घटक जैसे विकसित देशों के लिए वचनबद्धताओं को कम करने में लोचशीलताएं और पूर्ण से कम पारस्परिकता।
- छोटी और संवेदनशील अर्थव्यवस्थाओं की चिन्ताओं का निराकरण करते समय विकासशील देशों का कोई उपश्रेणीकरण नहीं करना।
- विकास उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए कृषि और एनएएमए के बीच बाजार पहुंच में आकांक्षा का संतुलन किया जाना अपेक्षित है।
- सेवाओं में सदस्यों को 31 जुलाई, 2006 तक संशोधित प्रस्तावों का दूसरा दौर प्रस्तुत करना है; 31 अक्तूबर,

2006 तक अनुसूचियों का अंतिम मसौदा प्रस्तुत किया जाना है।

- कार्यान्वयन मुद्दों से संबंधित परामर्श को गहन करना; ट्रिप्स करार और सीबीडी के बीच संबंध के मुद्दे सहित प्रगति की समीक्षा की जानी है और 31 जुलाई, 2006 तक उचित कार्यवाही की जानी है।

- विशेष और अलग व्यवहार के मुद्दों पर दिसम्बर, 2006 तक निर्णय के लिए महापरिषद को स्पष्ट सिफारिशें प्रस्तुत की जानी हैं।

- वर्ष 2006 में वार्ताओं को सम्पन्न करने के लिए सेवाओं, नियमों, व्यापार और पर्यावरण, ट्रिप्स, व्यापार सुविधा के संबंध में स्पष्ट राजनीतिक दिशानिर्देश दिया जाना; डीएसयू वार्ताओं को शीघ्रता से सम्पन्न करना।

(ग) और (घ) भारत द्वारा अपनी व्यापार नीति व्यवस्था का अनुकूलन करने में सरकार द्वारा अपने व्यापार को निरन्तर विभाजित करके उसके द्वारा किए गए विभिन्न करारों/वचनबद्धताओं का प्रभाव। 1 जनवरी, 1995 से डब्ल्यूटीओ की स्थापना के समय से भारत का व्यापार पण्य वस्तु श्रेणी के साथ–साथ वाणिज्यिक सेवाओं में निरन्तर बढ़ रहा है। भारत के सकल पण्य वस्तु निर्यात 1994–95 में 26.33 बिलियन अम. डालर से बढ़कर 2004–05 में 80.54 बिलियन अम. डालर के हो गए हैं जबकि भारत के सकल पण्य आयात (पेट्रोलियम उत्पादों को छोड़कर) 1994–95 में 22.72 बिलियन अम. डालर से बढ़कर 2004–05 में 77.04 बिलियन अम. डालर (अनंतिम) के हो गए हैं। इसी प्रकार भारत का सकल वाणिज्यिक सेवा व्यापार 1994 में 14.06 बिलियन अम. डालर से बढ़कर 2004 में 80.58 बिलियन अम. डालर का हो गया था।

(ङ) भारत यह सुनिश्चित करने के लिए इन वार्ताओं में व्यस्त है कि उसकी मुख्य चिन्ताओं और हितों का पर्याप्त रूप से निरन्तर निराकरण होता रहे। चल रही वार्ताओं की आकस्मिकताओं की अपेक्षानुसार भारत अपने राष्ट्रीय हितों के संबंध में कार्य करने तथा किसानों और निर्यातकों के हितों का संरक्षण करने की दृष्टि से डब्ल्यूटीओ के विभिन्न वार्ताकारी निकायों में प्रस्ताव प्रस्तुत करता रहा है। हमारे वार्ताकारी उद्देश्य विश्लेषणकारी कार्य और संबंधित पणधारकों के साथ बातचीत की गहन प्रक्रिया के आधार पर तैयार किए गए हैं। हांगकांग में भारत अपने और अन्य विकासशील देशों से संबंधित मुद्दों के संबंध में अपनी स्थिति निरूपित करने में पूर्णतया सक्रिय रहा था और परस्पर हित के मुद्दों पर एक–दूसरे की स्थिति को पुनः मजबूत करने के लिए एक बड़े गठबंधन में जी–20, जी–33 और जी–90 समूहों को एक साथ व्यापार विकासशील देश गठबंधनों को और मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। भारत अन्य समान विचार वाले देशों के साथ घनिष्ठता से कार्य करता रहा है। अपने राष्ट्रीय हितों के लिए कार्य करने और दोहा अधिदेश तथा 1 अगस्त, 2004 के महापरिषद के निर्णय में उल्लिखित बाद के निर्णयों और हांगकांग मंत्रिस्तरीय घोषणा के अनुरूप विकास पूर्व परिणाम प्राप्त करने की दृष्टि से कृषि में जी–20, विशेष उत्पाद और विशेष रक्षोपाय तंत्र के संबंध में जी–33, एनएएमए में विकासशील देशों (एनएएमए–11 नामक) के समूह के साथ कार्य कर रहा है।

हांगकांग मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में दोहा में शुरू की गई वार्ताओं को वर्ष 2006 में समाप्त करने का आह्वान किया गया है और विशिष्ट क्षेत्रों में समय सीमाएं और लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। कृषि और एनएएमए में रूपरेखाओं को अंतिम रूप देने के लिए कार्य में आगामी सप्ताहों में नाजुक मुद्दों पर वार्ताएं की जानी हैं, दोहा कार्यक्रम के अन्तर्गत वार्ताओं के अन्य क्षेत्रों में प्रगति तथा सेवाओं में संशोधित प्रस्तावों को प्रस्तुत करना। अपनी वर्तमान नीति के अनुसार सरकार अपने राष्ट्रीय हित, किसानों और निर्यातकों के हितों का संरक्षण करने और उस पर कार्यवाही करने के लिए पणधारकों के साथ परामर्श कर रही है।

सरकार अलग से घरेलू पक्ष के लिए संवेदनशील मदों के आयातों में वृद्धि पर निरंतर निगरानी रख रही है। सरकार सभी घरेलू पणधारकों विशेष रूप से किसानों और निर्यातकों के हितों का संरक्षण करने के लिए डब्ल्यूटीओ के अनुरूप तरीके से हस्तक्षेप करने के लिए वचनबद्ध है।

श्री आनंदराव विठोबा अडसूल : महोदय, मेरी जानकारी के अनुसार सरकार दिसम्बर, 2005 में हांगकांग में आयोजित विश्व व्यापार संगठन में मंत्रियों की बैठक में हमारे किसानों के हितों की रक्षा करने में विफल रही है। इस संबंध में मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। हाल ही में सरकार ने हमारे किसानों को गेहूं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के रूप में दिए जा रहे 600 रुपये प्रति मीट्रिक टन की तुलना में 900 रुपये प्रति मीट्रिक टन की दर से पांच लाख मीट्रिक टन गेहूं आयात करने का निर्णय लिया है।

मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि वह किस तरह से हमारे किसानों के हितों की रक्षा करेगी?

श्री कमल नाथ : महोदय, गेहूं के वर्तमान आयात के संबंध में

मैं यह कहना चाहता हूं कि कृषि मंत्रालय को इस प्रश्न का उत्तर देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कल भी इस प्रश्न का उत्तर दिया था।

श्री कमल नाथ : जहां तक किसानों के हितों की रक्षा का संबंध है, विश्व व्यापार संगठन की मंत्रियों की बैठक में उनके निष्कर्ष पर संसद में हुई चर्चा पर मैंने एक वक्तव्य दिया था जहां मैंने स्पष्ट रूप से कहा था कि जहां तक कृषि क्षेत्र का संबंध है, मौजूदा व्यवस्था से समझौता करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

आज हमारे देश में शुल्क और टैरिफ बहुत ज्यादा है और हम टैरिफ कम करने की प्रक्रिया में विशेष उत्पादों, जो खाद्य आधारित स्वः निर्धारित होंगे, जीविका सुरक्षा, ग्रामीण विकास आवश्यकताओं के लिए विशेष उपबंध बनवाने तथा एक विशेष सुरक्षा तंत्र बनाने में सफल हो गए हैं। इस बारे में बातचीत चल रही है। बड़ी संख्या में जो उत्पाद भारत और उसके कृषि क्षेत्र के लिए संवेदनशील हैं, उनके लिए हमारा प्रयास होगा कि उन्हें विशेष उत्पादों की श्रेणी में रखा जाए तथा किसानों को आयात प्रवाह और आयात मूल्यों में गिरावट से बचाया जा सके।

श्री आनंदराव विठोबा अडसूल : महोदय, मैंने पहले ही बताया है कि हमारे किसानों को मात्र 300 रुपये प्रति मीट्रिक टन मिल रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप गेहूं के आयात के बारे में बात कर रहे हैं?

श्री आनंदराव विठोबा अडसूल : जी, हां। महोदय, 900 रुपये प्रति मीट्रिक टन की दर से गेहूं का आयात किया जाता है और यहां न्यूनतम समर्थन मूल्य 600 रुपये प्रति मीट्रिक टन है।

अध्यक्ष महोदय : क्या इसका विश्व व्यापार संगठन से कोई सरोकार है?

श्री आनंदराव विठोबा अडसूल : महोदय, निश्चित रूप से यह बात विश्व व्यापार संगठन से संबंधित है। गेहूं के आयात पर हम 900 रुपये प्रति मीट्रिक टन का भुगतान कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया अपना प्रश्न पूछिए।

श्री आनंदराव विठोबा अडसूल : मैंने यह प्रश्न पूछा है। मैं दिए गए उत्तर से संतुष्ट नहीं हूं।

श्री कमल नाथ : यदि वह संबंधित मंत्री से प्रश्न पूछेंगे तो वह संतुष्ट हो जाएंगे। उन्हें यह प्रश्न कृषि मंत्री से पूछना चाहिए। यह प्रश्न गेहूं के मौजूदा आयात से संबंधित है और जहां तक गेहूं पर शुल्क तथा अन्य कृषि उत्पादों का संबंध है, वे पहले से वहां हैं। विश्व व्यापार संगठन ने हमें इस समय शुल्क कम करने के लिए कोई दबाव नहीं दिया है।

[हिन्दी]

डा. राजेश मिश्रा : अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं और बाहर के देश की स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का सामान हमारे यहां आ रहा है, प्रतिस्पर्धा में हमारे देश के हाथ से बनाए हुए मिट्टी या लकड़ी के जो खिलौने हैं या जो कॉटन इंडस्ट्रीज हैं, उस प्रतिस्पर्धा के अन्तर्गत हमारे माल की खपत कम हो रही है और बाहर का माल सस्ती कीमत पर मिल रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं क्या सरकार ने इसके लिए कोई योजना बनाई है कि उस प्रतिस्पर्धा में हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज खड़ी हो सकें और हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में लगे लोग स्टैंड कर सकें?

श्री कमल नाथ : महोदय, जहां तक डब्ल्यूटीओ के संदर्भ में यह जो प्रश्न है, जो हमारे इंडस्ट्रियल गुड्स हैं, इसके लिए हमने एक फ्लैक्सिबिलिटी की मांग की हुई है। वह तो भविष्य की बात हुई लेकिन जहां तक आज के दिन की जो बात है, आज जो भी हमारी ड्यूटीज हैं, वे लागू होती हैं। अगर कहीं भी विश्व से ऐसा कोई सामान आ रहा है, जो कम कीमत पर मिल रहा है या जिसे डंपिंग कहते हैं, उसमें एंटी–डंपिंग प्रोसीजर होता है। हम एंटी–डंपिंग कार्यवाही करते हैं और उस पर एक्स्ट्रा ड्यूटी लगाते हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : लेकिन हस्तशिल्प को विशेष सुरक्षा प्रदान किए जाने की आवश्यकता है।

श्री सुरेश कुरुप : महोदय, वर्ष 2013 तक निर्यात राज–सहायता को पूरी तरह समाप्त करने की बात को हमारे देश तथा विकासशील देशों के लिए भी एक बड़ी विजय के रूप में प्रस्तावित किया गया है। वस्तुतः यह राजसहायता बहुत पहले समाप्त हो जानी चाहिए थी। लेकिन सच यह है कि निर्यात राजसहायता तो विकसित देशों द्वारा अपने किसानों को प्रदान की जा रही विभिन्न राजसहायता में सबसे कम है।

मैं जानना चाहता हूं कि कृषि उत्पादों पर सभी प्रकार की राजसहायता समाप्त करने के संबंध में हमें क्या आश्वासन मिला है?

श्री कमल नाथ : माननीय सदस्य सही हैं कि राजसहायता व्यापार को विकृत कर रही है। विकासशील देशों द्वारा दी जा रही अधिकांश व्यापार विकृत करने वाली राजसहायताओं में से निर्यात राजसहायता एक है और यह लगभग दस बिलियन डॉलर बैठती है जो कि निर्यात ऋण, खाद्य सहायता और राज्य व्यापार उद्यमों के निर्यात के रूप में प्रदान की जाती है। हांगकांग में हम सर्वाधिक विकृत करने वाली राजसहाताएं प्राप्त करने में सफल हुए जो निर्यात राजसहायता से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई है और यह वर्ष 2013 तक पूरी तरह समाप्त हो जाएगी अर्थात आज से सात वर्ष के बाद और आज से वर्ष 2010 तक इन निर्यात राजसहायताओं का एक बड़ा भाग पूरी तरह समाप्त कर दिया जाएगा। जहां तक घरेलू राजसहायता का संबंध है, दोहा सम्मेलन जो अभी चल रहा है, इसमें काफी कटौती करने का समर्थन किया गया है। यह पूर्ण रूप से इसे समाप्त करने का समर्थन नहीं करता है। चार या पांच वर्ष पूर्व इस सम्मेलन में यह निष्कर्ष निकला था। इसलिए इस समय जिस पर बातचीत चल रही है वही महत्वपूर्ण और प्रभावी कटौती है जैसे महत्वपूर्ण कटौती क्या है और यह कब लागू होगी आदि। लेकिन यह स्वीकार किया गया है कि घरेलू राजसहायता में से सर्वाधिक विकृत राजसहायता को पहले चरण में ही समाप्त कर दिया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री गणेश सिंह : अध्यक्ष महोदय, अभी हाल ही में हांगकांग में डब्ल्यूटीओ की बैठक हुई थी। हमारे देश के अलावा दूसरे देशों के किसानों को वहां की सरकारों के द्वारा बड़े पैमाने पर सब्सिडी मिलती है, जबकि हमारे देश के किसानों को उनके अनुपात में बहुत कम सब्सिडी मिलती है। क्या सरकार इस पर कुछ विचार करने जा रही है कि हमारे देश के किसानों को भी अधिक सब्सिडी मिले?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने अभी-अभी यह बात कही है।

[हिन्दी]

श्री कमल नाथ : महोदय, सरकार की इच्छा है कि किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत की जाए। यह हमारी सरकार का लक्ष्य है और उद्देश्य भी है। यह कुछ सीमा तक ही हो सकता है और जो हमारी वित्तीय क्षमता है, उसके अनुसार ही हो सकता है। इस संबंध में जो भी योजना कृषि मंत्रालय बनाएगा और वित्त मंत्रालय उसे स्वीकार करेगा, वही सम्भव है। लेकिन डब्ल्यूटीओ की ओर से भारत के ऊपर सब्सिडी देने के लिए कोई रुकावट या अड़चन नहीं है, क्योंकि हमारी जो सीमा है, उसमें अभी बहुत गुंजाइश है।

श्रीमती जयाप्रदा : अध्यक्ष जी, हमारे देश में एक बीघा जमीन वाले व्यक्ति को भी किसान कहा जाता है और 100 बीघा जमीन वाले व्यक्ति को भी किसान कहा जाता है। हम गरीब से गरीब किसान की मदद करने की बात ज्यादातर करते हैं। मंत्री जी ने भी अपने जवाब में सबस्टेंशियल एलिमिनेशन की बात कही है, लेकिन वह पूरी नहीं है। किसानों को ज्यादातर दिक्कत सीड्स की होती है। सबस्टेंशियल एलिमिनेशन के लिए जो बात कही जा रही है, उसमें किसानों को बीज के लिए क्या फायदा होने वाला है?

[अनुवाद]

निर्धनतम किसानों की सहायता हेतु कौन सी परियोजनाएं चलाने की योजना है?

श्री कमल नाथ : जैसा कि मैंने कहा, जहां तक किसानों को बीज और सहायता देने का संबंध है विश्व व्यापार संगठन के वर्तमान नियम और भावी नियम भी हमारे देश पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाते हैं। यह तो कृषि मंत्रालय है जो इस संबंध में नए-नए विचारों पर कार्य करता रहता है। मैं माननीय सदस्या से सहमत हूं कि बीज हमारे मुद्दों में से एक है और मुझे विश्वास है कि कृषि मंत्रालय विशेषज्ञों, तकनीशियनों, वैज्ञानिकों और किसानों के परामर्श से इस मुद्दे पर ध्यान दे रहा है।

अध्यक्ष महोदय : संसद सदस्यों के साथ भी।

श्रीमती जयाप्रदा : महोदय, क्या वे किसानों को औद्योगिक दर्जा देंगे?

श्री कमल नाथ : माननीय सदस्या ने बताया है कि एक एकड़ अथवा 100 एकड़ भूमि वाले किसानों को एक जैसा समझा जाता है। दुर्भाग्य से, भारत में जोत पद्धति में औसतन डेढ़ से दो एकड़ भूमि होती है और यह वास्तव में जीवन-निर्वाह योग्य कृषि होती है क्योंकि भारत में कृषि व्यापार नहीं है। हम इस बड़ी समस्या का सामना कर रहे हैं।

जहां तक उद्योग का दर्जा दिए जाने का संबंध है, यह भी कृषि मंत्रालय के अधीन ही आता है। मेरी समझ से यह वाणिज्य विभाग के अन्तर्गत नहीं आता और शायद इस मुद्दे पर कृषि मंत्रालय ही विचार कर सकता है।

अध्यक्ष महोदय : अनुपूरक प्रश्न पर अनुपूरक प्रश्न पूछे जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह कोई मिसाल नहीं है।

श्रीमती जयाप्रदा : यह एक महत्वपूर्ण विषय है।

अध्यक्ष महोदय : आप बहुत वाकपटु हैं।

श्री पी. सी. थामस : महोदय, मैं समझता हूं कि यह एक उपलब्धि है कि विकासशील देश अब कुछ मदों को स्वयं 'विशिष्ट उत्पाद' के रूप में निर्धारित कर सकते हैं। इसके क्या मानदंड हैं? क्या हम ऐसे उत्पादों की संख्या का प्रस्ताव उन्हें दे सकते हैं, या उनकी संख्या या मात्रा की कोई सीमा है? आयात और आयात शुल्क के संबंध में किसी तरह का विनियमन किया जाना चाहिए। अधिक आयात और आयात शुल्क में कमी के कारण हमारे कुछ उत्पादकों पर खतरा मंडरा रहा है। इसका कार्यान्वयन किस प्रकार किया जाएगा। क्या इसके कुछ मानदंड निर्धारित हैं। यदि नहीं तो हम इसका लाभ कैसे उठा पाएंगे?

श्री कमल नाथ : महोदय, 'विशिष्ट उत्पादों' का निर्धारण केवल कृषि के संबंध में है। हमारे पास एक अन्य सुरक्षा प्रणाली है जिसे एसएसएम अर्थात विशिष्ट सुरक्षा प्रणाली कहा गया है और इसका प्रभाव आयात मूल्य और मात्रा दोनों पर पड़ेगा। जहां तक विशिष्ट उत्पादों का संबंध है विचार–विमर्श के दौरान हमने यह निश्चित किया कि इसकी कोई सीमा न हो। यह वास्तव में एक विवादित मुद्दा बन गया था और इस पर काफी समय तक विचार किया गया। हम जानते हैं कि भारत में कृषि क्षेत्र ग्रामीण विकास, खाद्य और आजीविका सुरक्षा पर आधारित है और इसकी सीमा निर्धारित करना सम्भव नहीं है। इसका कारण यह है कि कुछ देशों के सुरक्षा मुद्दे तुलनात्मक रूप से कम या ज्यादा हो सकते हैं। इसमें भेदभाव नहीं किया जा सकता। अतः हमने 'उचित' शब्द का प्रयोग किया है। हमने कहा है "उचित संख्या में उत्पादों का स्वयं निर्धारण"। यह भाषा प्रयोग की गई है। माननीय सदस्य को यह भिजवानें में मुझे खुशी होगी। हमने बड़े ध्यान से भाषा का प्रयोग किया है ताकि इसमें कुछ लचीलापन बना रहे। वर्तमान समय में इसकी कोई सीमा या इसमें कोई बाधा नहीं है। हम आजीविका सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण विकास संबंधी आवश्यकताओं पर आधारित इस 'उचित' शब्द पर विचार–विमर्श कर रहे हैं। चूंकि यह केवल कृषि तक ही सीमित है, हमें विश्वास है कि इसमें भारतीय कृषि की संवेदनशीलता का ध्यान रखा जाएगा।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी ने कहा है कि समर्थन मूल्य के संबंध में डब्ल्यूटीओ के द्वारा कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। डब्ल्यूटीओ में जो डिस्कशन हुआ था, उसमें एक एप्रोच पेपर है, उसमें कहा गया है कि भारत अपने किसानों को जो एमएसपी यानी समर्थन मूल्य देता है, जिसको ट्रेड डिस्टोर्टिंग डोमेस्टिक सपोर्ट प्राइज कहा गया है और उसे धीरे–धीरे घटाने के लिए कहा गया है। यह एक एप्रोच पेपर है, जो दोहा में भी हुआ था और फिर हांगकांग में भी हुआ। हम माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहते हैं जो अभी वार्ता कर रहे हैं, क्या जब हम अपने सपोर्ट प्राइज को धीरे–धीरे कम करेंगे, जब ऐसे भी किसानों को लाभकारी मूल्य न मिल पाने के कारण, उसे आत्महत्या करनी पड़ रही है, आप देख रहे हैं कि कितने किसानों को आत्महत्या करने की नौबत आ गई, तो क्या इस एमएसपी पर अपना स्टैंड मजबूती से रखकर और जो सब्सिडी किसानों को दूसरे यूरोपीय देशों में दी जाती है, उसी प्रकार से उसी अनुपात में अपने देश में भी किसानों को सब्सिडी खाद्य के समर्थन मूल्य पर देने का इरादा सरकार रखती है?

श्री कमल नाथ : मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देना चाहता हूं कि हमने अपने नैगोसिएशन में यह तय किया है कि भारत में जो भी मिनिमम सपोर्ट है, अपने पूरे कृषि क्षेत्र के उत्पादन में 10 प्रतिशत की कटौती की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भारत को इसमें कटौती की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सरकार भारत के किसानों की जो मदद कर सकती है, चाहे मिनिमम सपोर्ट प्राइस की हो या दूसरे प्रकार की सहायता हो, उनमें कोई रोक–रुकावट नहीं है।

भारत-पाक सीमा से घुसपैठ

+

***44. प्रो. महादेवराव शिवनकर :**
श्री शिशुपाल पटले :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्ष 2005–06 के दौरान कितने आतंकवादियों ने घुसपैठ की है;

(ख) क्या आतंकवादियों की घुसपैठ में, विशेषकर जम्मू और कश्मीर में भूकंप के बाद भारी वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन क्षेत्रों में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती के लिए प्रबंध किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा आतंकवादियों की घुसपैठ को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार को हाल ही में आतंकवादियों की भारत में घुसपैठ करने की योजनाओं के बारे में गुप्तचर एजेंसियों से कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

[अनुवाद]

गृह मंत्री (श्री शिवराज वि. पाटील) : (क) से (च) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) जम्मू और कश्मीर की राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, भारत–पाक सीमा/जम्मू और कश्मीर में नियंत्रण रेखा से घुसपैठ करने वाले आतंकवादियों की अनुमानित संख्या वर्ष 2005 में 231 और वर्ष 2006 में 15 फरवरी तक 11 है। जम्मू और कश्मीर में भूकम्प के पश्चात घुसपैठ में कोई वृद्धि नोटिस नहीं की गई है।

(ग) से (च) सरकार ने राज्य सरकार के साथ ताल–मेल करके घुसपैठ, विशेष रूप से जम्मू और कश्मीर में, को रोकने हेतु एक बहु–आयामी दृष्टिकोण अपनाया है जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ सीमा प्रबंधन को सुदृढ़ करना और अन्तर्राष्ट्रीय सीमा/नियंत्रण रेखा के साथ–साथ तथा निरंतर बदलते रहने वाले घुसपैठ मार्गों के नजदीक बहु–स्तरीय एवं बहु–रूपात्मक तैनाती करना, सीमा पर बाड़ का निर्माण करना, सुरक्षा बलों हेतु उन्नत प्रौद्योगिकी, हथियार और उपकरण, घुसपैठ रोकने के लिए उन्नत आसूचना और ऑपरेशनल समन्वय तथा आसूचना प्रवाह को सहक्रियाशील बनाना तथा राज्य के भीतर आतंकवादियों के विरुद्ध प्रतिकारी कार्रवाई करना शामिल हैं। घुसपैठ विरोधी प्रयासों की समीक्षा राज्य सरकार में (जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में दो एकीकृत मुख्यालयों सहित) और केन्द्र सरकार में विभिन्न स्तरों पर समय–समय पर की जाती है।

[हिन्दी]

प्रो. महादेवराव शिवनकर : अध्यक्ष महोदय, मैंने वास्तविक रूप से प्रश्न पूछा था "देश में वर्ष 2005–06 के दौरान कितने आतंकवादियों ने घुसपैठ की है" माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, वह केवल जम्मू–कश्मीर की नियंत्रण रेखा के संबंध में है। मैं प्रश्न पूछने से पहले यह निवेदन करना चाहता हूं कि आतंकवादियों के घुसपैठ की संख्या बताएं ताकि मैं आगे प्रश्न पूछ सकूं।

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि. पाटील : अध्यक्ष महोदय, इनका प्रश्न यह है कि क्या आतंकवादियों की घुसपैठ काफी बढ़ गई है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न के भाग (क) के बारे में पूछ रहे हैं।–वर्ष 2005–06 के दौरान देश में घुसपैठिए आतंकवादियों की संख्या कितनी है।

श्री शिवराज वि. पाटील : देश में घुसपैठिए आतंकवादियों की संख्या में कमी आई है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : वे संख्या जानना चाहते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं बीच में बोल रहा हूं। वे संख्या जानना चाहते हैं उसमें हुई वृद्धि के बारे में नहीं। मंत्री महोदय, वे जानना चाहते हैं कि उस वर्ष के दौरान देश में कितने आतंकवादियों ने घुसपैठ की?

श्री शिवराज वि. पाटील : यह प्रश्न–प्रश्न का एक भाग पूरे देश से संबंधित है।

अध्यक्ष महोदय : यही प्रश्न है।

श्री शिवराज वि. पाटील : इस प्रश्न का दूसरा भाग जम्मू–कश्मीर से संबंधित है। मेरे पास इसके आंकड़े हैं। मैं यह आंकड़े उन्हें दे सकता हूं। परन्तु पूरे प्रश्न में ही जम्मू–कश्मीर पर बल दिया गया है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी बात ध्यान से सुनें। हम इसका एक तरीका निकालते हैं। उन्होंने बताया है कि उनके पास आंकड़े हैं वे उन आंकड़ों को आपके पास भेज देंगे और फिर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न में जम्मू–कश्मीर पर बल दिया गया है।

[हिन्दी]

प्रो. महादेवराव शिवनकर : महोदय, देश में बड़े पैमाने पर जो आतंकवादी घुसपैठ करके आ रहे हैं, उनके बारे में मैंने वास्तविक रूप से तीन दिन पहले "ट्रिब्यून" न्यूज पेपर में डीजीपी,

पंजाब का एक स्टेटमेंट पढ़ा था कि आतंकवादी मरे हुए घोषित हुए जबकि वे जिन्दा हैं और इस प्रकार के करीब 300 आतंकवादी जिन्दा हैं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि इसके संबंध में वस्तुस्थिति क्या है और अगर वे जिन्दा हैं तो उनके पकड़ने के संबंध में सरकार क्या कार्रवाई कर रही है?

श्री शिवराज वि. पाटील : श्रीमन्, जो घुसपैठिए उधर से यहां आ जाते हैं, उनको बार्डर पर रोका जाता है। एनकाउंटर होने के बाद अगर वे खत्म हो गए हैं तो खत्म हो जाते हैं वरना उनको अरैस्ट करके जेल में रखा जाता है। अगर वहां की सरकार उनको वापस लेने के लिए तैयार नहीं होती है तो हम उन्हें भेज नहीं सकते हैं इसलिए उन्हें जेल में रखा जाता है। हमारे पास जो आंकड़े आते हैं, वे स्टेट गवर्नमैंट्स की तरफ से आते हैं। जम्मू-कश्मीर में ही घुसपैठ हो रही है। यूपी या दूसरी स्टेट्स में नहीं, जम्मू-कश्मीर में ही हो रही है। नार्थ-ईस्ट में भी घुसपैठ नहीं हो रही है लेकिन वहां मिलिटैंसी और टैररिज्म है। हमारे पास जो आंकड़े हैं, उनके मुताबिक अगर देखा जाए तो यह घुसपैठ 54 परसैंट से कम हुई है और सिक्योरटी फोर्सिज व सिविलयन्स की किलिंग्स 12 परसैंट से कम हुई है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप पहले सुनिए।

श्री शिवराज वि. पाटील : माननीय सदस्य पूछ रहे हैं कि कोई आतंकवादी मर गया, वह वापिस गया या नहीं और किसी एक न्यूज पेपर में आया है कि आतंकवादी मरे हुए घोषित हुए, लेकिन वे जिन्दा हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि हम न्यूज पेपर के आधार पर यहां जवाब नहीं देते। राज्य सरकार की तरफ से जो जानकारी आती है, उसके आधार पर हम जवाब देते हैं। हमारा जवाब यह है कि हमारे पास इस प्रकार के मालूमात राज्य सरकार की तरफ से नहीं आई हैं।

प्रो. महादेवराव शिवनकर : मुझे लगता है कि माननीय मंत्री जी गोलमोल जवाब दे रहे हैं। आप हमारा संरक्षण कीजिए।... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : जब आपको संरक्षण की जरूरत थी तब हमने संरक्षण दिया है।

...(व्यवधान)

प्रो. महादेवराव शिवनकर : अगर आपके पास जानकारी नहीं है तो प्रश्न को पोस्टपोन करके कल जवाब दीजिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : क्या आपका कोई और प्रश्न है?

...(व्यवधान)

प्रो. महादेवराव शिवनकर : जी, हां...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो. महादेवराव शिवनकर : महोदय मैं अपना प्रश्न दोहरा रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : कौन सा प्रश्न?

प्रो. महादेवराव शिवनकर : मैं अपना प्रश्न दोहरा रहा हूं। मेरा सवाल इस प्रकार से था कि ट्रिब्यून में तीन दिन पहले... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने इसके बारे में बताया है। उन्होंने जवाब दिया है।

प्रो. महादेवराव शिवनकर : उन्होंने 'हां' या 'नहीं' नहीं कहा है।

अध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें फिर से यही जवाब देने के लिए कहूंगा। उन्होंने जवाब दिया है। उन्होंने कहा था : 'मैं समाचार पत्रों की रिपोर्ट के आधार पर काम नहीं कर सकता।' उन्होंने कहा था।

[हिन्दी]

प्रो. महादेवराव शिवनकर : मैं जानता हूं वे जवाब नहीं देंगे। *...(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील : मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि हमारे रूल्स में यह कहा गया है कि वर्तमान पत्र में जो आता है उसके आधार पर नहीं बल्कि सदस्य को जो मालूम है उसके आधार पर प्रश्न पूछना चाहिए। अगर किसी एक पेपर में कोई बात आई है, वह सही है या झूठ है, यह बताने के लिए मुझे बोल रहे हैं। सरकार की तरफ से जो मालूमात आए हैं, हमने उसके आधार पर जवाब दिया है। यदि माननीय सदस्य को फिर भी पूछना है तो वे रूल्स की किताब पढ़कर देखें।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

आप बैठ जाइए। आप बहुत बुजुर्ग आदमी हैं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप एक सम्माननीय सदस्य हैं। मेरे कहने का मतलब सम्माननीय से है बूढ़ा नहीं।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, इन्हें बताना चाहिए कि क्या गलत है या नहीं है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उन्हें बताना चाहिए कि क्या ये सही है या नहीं...*(व्यवधान)* वे ऐसा कैसे कह सकते हैं?

अध्यक्ष महोदय : आपका वक्तव्य रिकार्ड नहीं किया जा रहा है। इसका फर्क पड़ता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी संतुष्टि के अनुरूप जवाब मिले। माननीय मंत्री महोदय, सरकार के विचार और उनके पास उपलब्ध सूचना दे रहे हैं। उन्होंने पहले ही स्पष्टतः कह दिया है : "मैं समाचार पत्रों की रिपोर्टों का जवाब नहीं दे सकता जब तक कि मुझे कोई अधिकृत रिपोर्ट न मिले।"

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : प्रश्न न्यूज पेपर के आधार पर पूछे गए हैं और इनका कहना है कि न्यूज पेपर के बारे में मालूम नहीं है। इन्हें यह बताना चाहिए कि यह सही है या गलत है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : उन्हें प्रश्न पूछने दीजिए। वे एक प्रोफेसर हैं। उन्हें किसी दूसरे प्रोफेसर, जिसे नौकरी छोड़े काफी लम्बा समय हो गया है, की सहायता की आवश्यकता नहीं है।

[हिन्दी]

वे अच्छे प्रोफेसर हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

प्रो. महादेवराव शिवनकर : मैं दूसरा सवाल पूछने से पहले केवल इतना बताना चाहता हूं कि 'ट्रिब्यून' का सवाल नहीं है। डीजीपी ने बताया है, आप उसकी पड़ताल कीजिए और बाद में जवाब दीजिए।

मेरा मुख्य सवाल है कि क्या जम्मू–कश्मीर में हम यह मान सकते हैं कि अभी बीच के काल में जो नया वातावरण तैयार हुआ है, उसके कारण आतंकवादियों की संख्या कुछ कम हुई है? इससे पहले जो सरकार थी, उसने सीमा पर बाड़ लगाने और सुरक्षा बल बढ़ाने आदि जो उपचार किए थे या अन्य बातें की थीं, उनके कारण संख्या कम हुई है। यह संख्या कम होने का प्रमाण कितना है?

श्री शिवराज वि. पाटील : मैंने पहले सवाल का जवाब दिया है और आंकड़े भी दिए हैं। मैंने यह बताया है कि वहां एक साल में 54 परसेंट इन्फिलट्रेशन कम हुआ है। इसके साथ मैंने यह भी बताया कि 22 परसेंट तक किलिंग्स कम हुई हैं। अगर आपको किसी बात का श्रेय लेना है और इसके लिए सवाल पूछ रहे हैं तो वह अलग बात है। मगर मैं यह बताना चाहता हूं कि हमारी पुलिस और सेना के जवान, जो वहां खड़े हैं और डटकर मुकाबला कर रहे हैं, वे अपनी जान की परवाह न करते हुए मुकाबला कर रहे हैं। वे वहां जो कर रहे हैं और उसका रिजल्ट यहां नजर आता है। हम यह नहीं कहना चाहते हैं कि बाड़ की वजह से नहीं है। बाड़ तो वहां लगी हुई है और हमने भी बाड़ को पूरा किया है और इसका श्रेय सबको दिया है। आप सिर्फ श्रेय के लिए पूछ रहे हैं और आप श्रेय लेना चाहते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री शिशुपाल पाटले–यहां नहीं हैं। श्री पाठक, आपको अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी है। मुझे पता लगाना है कि वे वहां हैं या नहीं। श्री राम कृपाल यादव।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव : माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में घुसपैठ रुके, इसके लिए कई उपायों की चर्चा की है। माननीय मंत्री जी ने सीमा बाड़ का निर्माण करने, सुरक्षा बलों हेतु उन्नत तकनीक, हथियार और उपकरण आदि अन्य चीजों की चर्चा की है। मैं जानना चाहता हूं कि आपने घुसपैठ रोकने के लिए जो पूरी व्यवस्था की है,

उसमें आपने इस कार्य को जमीन पर उतारने का कार्य कहां तक किया है। चाहे सीमा को तार की बाड़ से घेरने का काम आपने किया है या सुरक्षा बलों को हथियार उपलब्ध कराने का काम आपने किया है, चाहे जिस वजह से भी हो, आपने कहा है कि घुसपैठ रुकी है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप तो वही प्रश्न रख रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव : आपके कार्यकाल के अन्तर्गत विगत दो वर्षों के दौरान आपने बलों को क्या–क्या इक्युपमैंट्स की उपलब्धता की है तथा इसके अतिरिक्त उसमें आपने और कितना प्रयास किया है, जिसकी वजह से आपने कहा है कि 54 प्रतिशत घुसपैठ रुकी है, मैं यही जानना चाहता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया दोहराएं नहीं।

[हिन्दी]

श्री शिवराज वि. पाटील : माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि हमारी तरफ से ये सब रोकने के लिए क्या किया गया है। हम बता रहे हैं कि बाड़ लगाने का काम हमने पूरा किया है।

दूसरी बात, मैं बताना चाहता हूं कि वहां एक लाइन जो पुलिस और सेना की थी, उससे हम उन्हें रोकते थे। हम दूसरी लाइन भी वहां खड़ी कर रहे हैं।

तीसरी बात, मैं बताना चाहता हूं कि वहां जो लोग सुरक्षा के लिए खड़े हैं, उन्हें अलग प्रकार के हथियार दिए गए हैं, उसमें इलैक्ट्रोनिक और नाइट विजन इक्युपमैंट्स दिए गए। इसके अलावा वहां जो बाड़ लगी हुई है, उस पर लाइट लगाई गई है और उसके ऊपर इलैक्ट्रोनिक सर्वेलेन्स सिस्टम लगाया गया है। इसके अतिरिक्त यहां जो हमारी यूनाइटेड कमान्ड है, जो हैडक्वार्टर है, जिसमें कश्मीर की पुलिस, पैरा मिलिट्री फोर्सेज और आर्मी के लोग बैठकर बातें करते हैं और नीतियां बनाते हैं कि किस तरह से यह सब किया जाए। इसके बाद वहां जो पीस वार्ता शुरू हुई है, उसका भी लोगों के ऊपर असर हुआ है और लोगों को यह मालूम हो रहा है कि हथियार लेकर लड़ने से कश्मीर और हिन्दुस्तान के लोगों का कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन अमन के रास्ते से हम इसे कर सकते हैं। सरकार की ओर से 24 हजार करोड़ रुपये कश्मीर के डवलपमैन्ट के लिए दिए गए हैं, उसका भी असर हुआ है। इस तरह की मानसिकता से, सैनिकी मदद से, दूसरे देशों के साथ बातचीत करके, अपनी फोर्स के लोगों को तैयार करके और उन्हें नए–नए हथियार और इक्युपमैंट्स देकर यह काम किया जा रहा है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : संक्षिप्तपूरक प्रश्न और उनके संक्षिप्त जवाब ही हमें चाहिए।

[हिन्दी]

मोहम्मद सलीम : अध्यक्ष महोदय, जो इनफिल्ट्रेटर्स होते हैं, उनके सरकारी आंकड़े मिलना दिक्कत का काम है क्योंकि ये क्लैन्डेस्टाइन ऑपरेशंस होते हैं। इन्हें लेकर चूंकि बहुत राजनीति भी होती है और ये पूरे सब–कान्टिनैन्ट में जो पीस प्रोसैस है, उसके लिए भी इसका बड़ा इम्पैक्ट है। जो इनफिल्ट्रेटर्स और टैरेरिस्ट्स घुसपैठ करते हैं और उसे आप फोइल करते हैं, क्या आप उसके आंकड़े लेते है। या जिन्हें एनकाउन्टर में मारकर गिराते हैं, वे आंकड़े लेते हैं। इनफिल्ट्रेटर्स थाने या पुलिस में खुद आकर रिपोर्ट नहीं करते या आपको इन्टैलिजैन्स सोर्स से खबर मिलती है कि इतने लोगों ने घुसपैठ की है। आपके पास ये आंकड़े कहां से आते हैं। मैं समझता हूं कि जब विरोध पक्ष के लोग कोई आंकड़े बोलते हैं तो कोई एम्बैडिड जर्नलिस्ट इनफिल्ट्रेटर्स के साथ होगा, जो आकर बताता होगा कि यह रिपोर्ट है और तब वह अखबारों में निकल जाती है। लेकिन आपके पास कोई एम्बैडिड मशीनरी नहीं है। आप ये आंकड़े कहां से निकालते हैं?

श्री शिवराज वि. पाटील : महोदय, पहला मैंने बताया कि वहां बाड़ है जिसमें से आना बहुत मुश्किल है। दूसरे वहां पुलिस की लाइन है जो हमेशा सड़क से गुजरती रहती है और तीसरी चीज यह है कि हमने वहां एक लाइन और दी है। इसके अलावा जो पुलिस थाने होते हैं, वहां भी काम होता है और बाहर से जो लोग आते हैं, जो ऐसे कामों में लगे रहते हैं, वे उन्हें पकड़ते हैं। इस तरह से चार–पांच जगहों पर इसका निरीक्षण किया जाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि जो हमारे पिछले साल के आंकड़े थे, उनके साथ इस साल के आंकड़ों की तुलना हो रही है। इसका मतलब यह नहीं है कि एक भी टैरेरिस्ट नहीं आया और कहीं छिपा नहीं है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन पिछले साल के आंकड़ों के साथ इस साल के आंकड़ों की तुलना करने के बाद हमें जो अंदाजा मिलता है, उसी से हम आपको बता रहे हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : स्पष्टतः यह किसी मामले पर ही होगा। आप एक कानून नहीं बना सकते कि उन्हें आपको सूचना देनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में घुसपैठ रोकने के लिए विभिन्न तरह के उपायों का जिक्र किया है। लेकिन जम्मू–कश्मीर की तरफ से फरवरी, 2006 तक जो घुसपैठ हुई है, उन्होंने उसके आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। इन आंकड़ों से एक बात स्पष्ट है कि आपने घुसपैठ रोकने के लिए चाहे जितने भी मजबूत उपाय किए हों, उसके बाद भी कहीं न कहीं कोई छिद्र दिखाई देता है, जिसकी वजह से घुसपैठिए भारत में प्रवेश कर रहे हैं। इन्होंने जम्मू–कश्मीर के माध्यम से हमारे यहां प्रवेश किया है और देश के विभिन्न भागों में वे आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। जैसा आपने अभी दिल्ली में चिह्नित किया और पुलिस ने उन्हें मारा। मेरा कहने का मतलब यह है कि कहीं न कहीं उसमें छिद्र है। देश की दूसरी तरफ सीमा के साथ नेपाल है जहां पर आतंकवादी विभिन्न रूप से अपना कार्यक्रम चलाते रहते हैं। माननीय मंत्री जी ने चिह्नित आतंकवादियों द्वारा की गई घुसपैठ के आंकड़े दिए हैं। कई बार अखबारों में समाचार आते हैं कि बहुत सारे आतंकवादी प्रवेश कर रहे हैं जो अचिह्नित हैं। यही कारण है कि डीजीपी का बयान आया कि मरने के बाद भी वे जिन्दा हैं। इसलिए वे अचिह्नित रहे। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि देश के दूसरे भागों से जहां घुसपैठ की संभावना है, वहां आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं, जैसे नेपाल। दूसरा जब डीजीपी का बयान आया है कि वे मरने के बाद भी जिन्दा हैं तो उन लोगों की खोजबीन करने के लिए सरकार किस तरह की खुफिया एजेंसी का उपयोग कर रही है? तीसरा...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : और भी अनेक मुद्दे हैं। कृपया कोई तीसरा नहीं।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह सवाल देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है यहां खतरा हो जाएगा। लोक सभा पर भी हमला हुआ था। इसलिए हम सरकार को सावधान कर रहे हैं कि जहां वह छिद्र को महसूस करती है, उस छिद्र को रोकने के लिए सरकार कौन–सा रास्ता ढूंढ रही है, यह विस्तार से बताया जाए?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अभी तक हम दूसरे प्रश्न पर हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री शिवराज वि. पाटील : अध्यक्ष जी, यह बात सही है कि पूरी तरह से यह बार्डर सील हो गया है और कोई भी आदमी उसमें से नहीं आ सकता है, ऐसा हमारा दावा नहीं है। हम कह रहे हैं कि पहले लोग आते थे लेकिन आज उनकी संख्या कम हुई है। माननीय सदस्य ने यह दुरुस्त सवाल किया है कि दूसरी तरफ से आतंकवादी आ रहे हैं, उन्हें आप कैसे रोकेंगे? नेपाल से आ रहे हैं, उन्हें आप कैसे रोकेंगे? गुजरात में समुद्र के रास्ते से कैसे रोकेंगे या दूसरी तरफ से जाकर बंगलादेश से होकर आ रहे हैं तो उन्हें कैसे रोकेंगे? इस बारे में हमने सोचकर और हमारी तरफ से जो भी तैयारी हो सकती है, वह की है। जहां तक नेपाल से आने का रास्ता है, वहां पर हमारी एसएसबी फोर्स है। हम कम से कम उसकी संख्या 20 बटालियन बढ़ा रहे हैं और वहां लगा रहे हैं। वहां पर सड़कें बनाकर उस पर मोटरों से सर्वेलेंस होता है, वह भी हम कर रहे हैं। उत्तरांचल में भी ऐसा किया जा रहा है। जहां तक गुजरात का मामला है, लोग समुद्र के रास्ते से आते थे। इसके लिए हमने कोस्टल लाइन पर कोस्टल पुलिस की तैयारी कर ली है। उन्हें बोट दी गई हैं, पुलिस थाना बनाया गया है। जहां तक दूसरे प्रान्तों से लोगों के आने का सवाल है, उसके लिए भी हमने तैयारी की है। हम यह दावा नहीं कर रहे हैं कि ऐसे आदमी नहीं आ रहे हैं लेकिन हमारा कहना तो यह है कि हमारी तैयारी की वजह से उन लोगों की संख्या में कमी हुई है। यह रेस चालू है। अगर हम कुछ करते हैं तो वे भी कुछ करते हैं। हम इलैक्ट्रोनिक्स सर्वेलेंस का उपयोग वहां पर कर रहे हैं। उसे काउंटर करने के लिए दूसरे इलैक्ट्रानिक्स इक्विपमेंट्स लगा रहे हैं। अगर हम वहां फ्लड लाइट्स की व्यवस्था करते हैं, अगर वे उसे बंद करते हैं तो उसे भी हम देख रहे हैं। अगर हमने जमीन का रास्ता बंद कर दिया तो वे समुद्र के रास्ते से आ रहे हैं। अगर हमने जम्मू–कश्मीर की तरफ से रास्ता बंद कर दिया तो वे दूसरे प्रान्तों से आ रहे हैं तो हम उस समस्या को सौल्व करेंगे। हमारे देश की अपनी ताकत है, अपनी फौज और सेना की ताकत है जिसके बारे में मैं माननीय सदस्य को बतलाना चाहता हूं।

श्री हरिन पाठक : अध्यक्ष महोदय, आपने खुद देखा होगा कि मूल प्रश्न इंडो–पाक बार्डर पर इनफिल्ट्रेशन का है। इंडो–पाक बार्डर

हमारे चार राज्यों—गुजरात, पंजाब, राजस्थान और जम्मू–कश्मीर से जुड़ा हुआ है। लगता है कि माननीय मंत्री जी द्वारा मुख्य प्रश्न के उत्तर देने में चूक हो गई है। प्रश्न था कि कुल कितने इनफिल्ट्रेटर्स आए...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह पहले ही हो चुका है। आप क्यों उसे पूछ रहे हैं?

[हिन्दी]

वह मंत्री जी ने बता दिया है।

श्री हरिन पाठक : अध्यक्ष जी, मैं दूसरी बात पूछ रहा था यदि आप समय दें? प्रश्न के 'ग' भाग में अतिरिक्त फोर्स लगाए जाने के बारे में पूछा गया लेकिन उसका उत्तर भी नहीं है। मैं आपके माध्यम से दो स्पैसिफिक बातें जानना चाहता हूं... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : दो नहीं, केवल एक पूछिए।

श्री हरिन पाठक : अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने कहा कि बार्डर पर फैंसिंग का काम चल रहा है क्योंकि पाकिस्तान से चारों तरफ से घुसपैठिए आते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि गुजरात में जो फैंसिंग का काम चल रहा है, उसकी प्रगति क्या है और वह कब तक पूरी हो जाएगी? दूसरा, जहां तक बार्डर पर अतिरिक्त फोर्स रखने का प्रश्न है, जैसा कि हमने सुना है, क्या सरकार उसे विदड्रा करने जा रही है और क्या भारत–पाक सीमा पर जो अतिरिक्त फोर्स रखी गई है या सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, क्या सरकार उन्हें भी विदड्रा करने जा रही है या उसमें भी बढ़ोत्तरी करेगी?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह 'क', 'ख', 'ग' वाली आदत भविष्य में नहीं चलेगी। आपको अपना प्रश्न एक निश्चित आकार में रखना है जिसके आप हकदार हैं, यह सब पर लागू होगा। कोई 'क', 'ख', 'ग', 'घ' नहीं।

[हिन्दी]

श्री शिवराज वि. पाटील : अध्यक्ष महोदय, जहां तक इनफिल्ट्रेशन का सवाल है, वह जम्मू–कश्मीर में है, नार्थ–ईस्ट स्टेट्स में नहीं है और न साउथ में है। अगर इनफिल्ट्रेशन होता भी है तो छोटे पैमाने पर होता है लेकिन यह प्रश्न जम्मू–कश्मीर तक सीमित है। जहां तक फैंसिंग का सवाल है, जम्मू–कश्मीर में हमने काम पूरा किया है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वे गुजरात के बारे में बात कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री शिवराज वि. पाटील : गुजरात में हमने 100 किलोमीटर लंबाई की फैंसिंग तैयार कर ली है। हम जम्मू–कश्मीर से पंजाब होते हुए इधर आ रहे हैं और यह काम 2006 में पूरा होना है। गुजरात की जमीन में नमी होने की वजह से तथा कीचड़ होने की वजह से इस काम में मुश्किल आ रही है। हमने गुजरात सरकार तथा वहां के लोगों को भी इसमें मदद करने के लिए कहा है। हमारे लोग भी मदद कर रहे हैं।

वैज्ञानिक संस्थानों पर हमला

+

*45. **श्री संतोष गंगवार** :

श्री विजय कृष्ण :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर पर हाल ही में हुए आतंकवादी हमले का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने उक्त घटना की कोई जांच की है;

(ग) यदि हां, तो इस जांच के क्या परिणाम निकले;

(घ) उक्त घटना में शामिल आतंकवादी संगठनों के नाम क्या हैं और अभी तक इस घटना में सम्मिलित कितने आतंकवादियों का गिरफ्तार किया गया है;

(ङ) क्या सरकार ने देश में वैज्ञानिक/अनुसंधान और अन्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

[अनुवाद]

गृह मंत्री (श्री शिवराज वि. पाटील) : (क) से (च) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) 28.12.2005 को भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर में आतंकवादियों द्वारा गोलीबारी की गई जिसमें दिल्ली के प्रोफेसर एम. सी. पुरी मारे गए और चार अन्य व्यक्ति घायल हो गए। पुलिस द्वारा परिसर की तलाशी लेने पर 1 एके–56 राइफल, 4 ग्रेनेड और कुछ गोलाबारूद बरामद किया गया।

(ख) से (घ) बंगलौर पुलिस ने इस घटना के संबंध में एक मामला दर्ज कर लिया है। अभी तक की गई जांच–पड़ताल से, इस हमले में एक आतंकवादी संगठन, लश्कर–ए–तैयबा (एलईटी) की संलिप्तता का पता चला है। अभी तक, इस घटना के संबंध में एक एलईटी कार्यकर्ता को गिरफ्तार किया गया है।

(ङ) और (च) जहां कहीं आवश्यकता होती है, वैज्ञानिक/अनुसंधान तथा अन्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की चौकसी को बढ़ाने और सुरक्षा को सुदृढ़ करने हेतु आवश्यक कदम उठाए गए हैं।

[हिन्दी]

श्री संतोष गंगवार : माननीय अध्यक्ष जी, अभी माननीय गृह मंत्री जी ने पूर्व प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि यहां पर आतंकवादी घुसपैठियों की संख्या काफी कम हो गई है, पर लगता है कि घुसपैठिए काफी प्रशिक्षित हो गए हैं और घुसपैठ करके देश के विभिन्न सामरिक महत्व के स्थानों तथा बौद्धिक संपदा के महत्व के स्थानों पर जाना प्रारम्भ कर दिया है। इसे किस श्रेणी में सरकार लेती है, यह मैं नहीं कह सकता हूं। जहां तक मुझे जानकारी है, जिस संस्थान पर हमला हुआ था, वहां पर इस घटना से कुछ समय पहले चीनी प्रधान मंत्री आए थे। वहां पर भी एक व्यक्ति द्वारा पैमफ्लेट फेंके गए थे। यह स्थान हाई अलर्ट की श्रेणी में था और देश के तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के करीब ढाई सौ वैज्ञानिक यहां आए थे। फौज की वेशभूषा में आधुनिकतम हथियारों से लैस होकर वहां लोगों को मारना अगर सामान्य घटना है तो गम्भीर घटना कौन सी होगी, यह हमें सोचना चाहिए। मैं उत्तर के संदर्भ में कहना चाहूंगा कि उत्तर बिल्कुल कैजुअल तरीके से दिया गया है। इसमें कहा गया है कि प्रोफेसर पुरी मारे गए और चार अन्य व्यक्ति घायल हुए। शायद यह जानकारी नहीं थी कि इसमें डॉ. विजय चन्द्र भी थे जो छोटे कंप्यूटर अर्थात् सिमप्यूटर के जनक थे। इसमें अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की बात भी आती है। श्री विजय चन्द्र की बहन पुर्तगाल में हाई कमिश्नर हैं और उन्होंने अबू सलेम को देश के अन्दर लाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। उस समय अबू सलेम को बंगलौर में जांच के लिए लाया गया था। मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहूंगा कि क्या माननीय मंत्री जी या गृह मंत्रालय को इसकी जानकारी थी कि इतने बड़े वैज्ञानिक इकट्ठा हो रहे हैं और यहां पर ऐसी कोई घटना घट सकती है? यदि थी, तो उसके लिए क्या कदम उठाए गए? इस प्रकार से गाड़ी लेकर कोई हाइली सैन्सिटिव एरिया में घुस जाए तो यह किसकी जिम्मेदारी मानी जाएगी?

श्री शिवराज वि. पाटील : श्रीमन्, यह बात सही है कि ये घटनाएं सिर्फ सरहद पर नहीं हो रही हैं। ये घटनाएं अलग–अलग जगहों पर, देश के बड़े–बड़े शहरों में और आम जगहों पर भी हो रही हैं। इसकी मालूमात सरकार को होने की वजह से सरकार ने यह मालूमात जहां पहुंचना जरूरी है, उनको बताया था। चाहे वह इरीगेशन डैम हो या साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस हों या चाहे कोई बड़ी इलैक्ट्रानिक इंडस्ट्री हो या रेलवे हो, इन जगहों पर यह मालूमात उनको पहुंचाई गई। ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं जहां विदेशी साइंटिस्ट आए थे, उन इंस्टीट्यूट्स की जो निगरानी है, सिक्यूरिटी का मामला है, वे खुद करते हैं। वे कहते हैं कि हम इसमें पुलिस को नहीं लेंगे। उनके पास 56 लोग हैं जिनकी मदद से वे अपनी सुरक्षा करते हैं। सरकार ने जब उनको मदद देने की बात बाद में कही थी तो उन्होंने कहा कि हमें आपकी मदद की जरूरत नहीं है। वे प्राइवेट सिक्यूरिटी से मदद लेते हैं। यह मालूमात वहां की स्टेट गवर्नमेंट को भी दी थी। यह मालूमात न्यूज पेपर को भी थी। मगर शायद एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस चाहते हैं कि उनके कैम्पस में पुलिस के लोग नहीं आएं, इसलिए वे नहीं आने देना चाहते हैं। इसके बाद भी हमने उनको बताया है कि आपको जो मदद चाहिए, वह स्टेट गवर्नमेंट करेगी और हम भी करेंगे, मगर इसकी जिम्मेदारी उस इंस्टीट्यूट को लेनी पड़ेगी, नहीं तो फिर पुलिस को अपना काम करने दें।

श्री संतोष गंगवार : मैं दूसरा सवाल नहीं पूछ रहा हूं। पहले माननीय मंत्री जी बताएं कि देश में ऐसे कितने संस्थान हैं जहां के लोग खुद अपने संस्थान की रखवाली करते हैं और भारत सरकार द्वारा सुरक्षा की जहां कोई आवश्यकता नहीं है? यह बहुत अजीब बात है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : ऐसा होता है। सभी शैक्षणिक संस्थान इस पर बहुत स्पष्ट हैं। कृपया अपना प्रश्न पूछिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री संतोष गंगवार : अध्यक्ष महोदय, ऐसा कहीं नहीं है। इसका क्या मतलब है?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : देश में ऐसी काफी यूनीवर्सिटीज हैं,

[अनुवाद]

वे पुलिस को अन्दर आने की अनुमति नहीं देंगे।

...(व्यवधान)

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूरी : खतरे की पहचान व्यक्तियों द्वारा तय नहीं की जाती बल्कि यह सरकार द्वारा तय की जाती है। ये गलत हैं।*...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री संतोष गंगवार : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि 1999 से 2003 के मध्य आईएसआई के 10 एजेंट कानपुर में पकड़े गए। सैटेलाइट टेलीफोन उनके पास था। उससे वे सीमा पर बात करते थे। अगर ऐसी बात है, तो देश में जितने भी ऐसे संस्थान हैं, जिनकी सुरक्षा की हमें आवश्यकता है और वह भी तब, जबकि कैट परमाणु संयंत्र और अलमाटी बांध है, जैसा अभी हमारे मंत्री जी कह रहे थे, इनकी रखवाली कैसे होगी? मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि अगर आतंकवादी हमारी आईआईटी और आईआईएससी या ऐसे अन्य संस्थानों पर हमला करते हैं, तो क्या हम हाथ पर हाथ रखे बैठे रहेंगे, यदि नहीं, तो सरकार इस संबंध में क्या कदम उठा रही है? जैसा मैंने पहले कहा, फिर यह सवाल यहां आने का प्रश्न नहीं कि हमें पहले से जानकारी थी कि वहां पर हमला हो सकता है। यदि यहां पर चीनी प्रधान मंत्री के लिए*...(व्यवधान)* वह गलत बात नहीं थी।*...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया दोहराएं नहीं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री संतोष गंगवार : अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि इसे सामान्य रूप से न लिया जाए। माननीय मंत्री महोदय गम्भीरता से उत्तर देने की कोशिश करें।

श्री शिवराज वि. पाटील : श्रीमन्, अगर सवाल ठीक है, तो मैं उसका उत्तर ठीक दे रहा हूं। अगर सवाल करने के बाद भी माननीय सदस्य यह कहते हैं कि मैं उत्तर ठीक नहीं दे रहा हूं, तो वह भी मैं मान्य कर के बैठ जाऊंगा। मगर मैं बताना चाहता हूं कि हमारे यहां जो सुरक्षा की व्यवस्था की जाती है, वह कैसे की जाती है। जितने भी इम्पॉर्टेंट इंस्टालेशंस हैं, जितने भी इम्पॉर्टेंट ऐस्टब्लिशमेंट्स हैं, उनके कहा गया है कि अगर उन्हें स्टेट पुलिस का संरक्षण चाहिए, तो स्टेट पुलिस सुरक्षा देगी। हमारी सीआईएसएफ की फोर्स है जिसकी मदद से हम उन्हें सुरक्षा में मदद करते हैं। हमारे जितने भी एयरपोर्ट्स हैं, उनकी सुरक्षा का काम हम सीआईएसएफ के माध्यम से करते हैं। जितने हमारे ऐटॉमिक इंस्टालेशंस हैं, जिनकी ओर से मांग की गई है, उन्हें फोर्स दी गई है। जो नेशनल लेबोरेट्रीज हैं, जहां से मांग की गई है, वहां हमने सुरक्षा के लिए फोर्स दी है या जो इर्रीगेशन डैम हैं, जहां से मांग की गई है, वहां हमने सुरक्षा के लिए फोर्स दी है। ये सब काम हमने सीआईएसएफ की मदद से किए हैं। यह फोर्स प्राइवेट इंडस्ट्री को भी मदद करती है।

महोदय, अलग-अलग डिपार्टमेंट के लोगों को यह बता दिया गया है कि उनके जो इम्पॉर्टेंट इंस्टालेशंस हैं, उन्हें इन दिनों में प्रोटैक्शन देना जरूरी हो जाता है। इसलिए ये बताएं कि उन्हें किस प्रकार का प्रोटैक्शन चाहिए, कितनी फोर्स चाहिए, उनकी तैयारी क्या है, इसके बारे में सारी चर्चा होती है। मैं उस चर्चा को ओपन में बताकर, इसका जो लोग लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें इसका लाभ उठाने नहीं देना चाहता हूं। आप जो कह रहे हैं, उसमें तथ्य है और मैं बताना चाहता हूं कि हम सजग हैं। हमने इस बारे में विचार किया है, उन लोगों से बात की है। अगर आप जानना चाहते हैं, तो मैं आपको खुले रूप में बता सकता हूं, लेकिन उसका फायदा दूसरे लोग उठाएंगे।*...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : नहीं।

[हिन्दी]

श्री शिवराज वि. पाटील : इसलिए मैं यहां ओपनली जवाब नहीं देना चाहता हूं। हम सजग हैं, मैं इतना बताना चाहता हूं।*...(व्यवधान)*

श्री विजय कृष्ण : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि दिसम्बर, 2005 में अखिल भारतीय विज्ञान अनुसंधान संस्थान, बंगलूर में जो घटना आतंकवादियों द्वारा की गई, उसमें डॉ. पुरी मारे गए और अभी तक जो कार्रवाई हुई है उसके परिणामस्वरूप मात्र एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि देश में जिन वैज्ञानिक अनुसंधान

संस्थानों या अन्य संस्थानों को सुरक्षा देनी है, क्या उन्हें सरकार ने चिह्नित किया है और क्या यह जानने की कोशिश की है कि उन्हें किस तरह से सुरक्षा दी जाए, उनकी क्या आवश्यकता है, क्या जरूरत है? क्या इस बारे में उन संस्थानों के प्रमुखों और प्रभारियों से समय-समय पर विचार-विमर्श किया गया है या उन संस्थानों में जो वैज्ञानिक हैं, उन्हें और उनके परिवारों की सुरक्षा की क्या कोई विशेष कार्य योजना है?

अध्यक्ष महोदय : अभी जवाब दिया है।

श्री शिवराज वि. पाटील : अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी इसी बारे में बहुत विस्तार से उत्तर दिया है। मैं फिर बताना चाहता हूं कि हम सारे वैज्ञानिकों को तो सुरक्षा नहीं देते, मगर कुछ खास वैज्ञानिक हैं जिन्हें सुरक्षा देना जरूरी है, उन्हें सुरक्षा देते हैं। जिन संस्थानों से बात करनी जरूरी थी, उनसे हमने बात की है।

सर्व शिक्षा अभियान पर व्यय

\+

*46. **श्री वी. के. दुग्मर :**

श्री रायापति सांबासिवा राव :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान तथा उसके बाद आज की तिथि तक सर्व शिक्षा अभियान पर कुल कितनी धनराशि व्यय की गई है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में निर्धारित लक्ष्य तथा प्राप्त उपलब्धियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सर्व शिक्षा अभियान पर बहुत अधिक धनराशि व्यय करने के बावजूद बुनियादी ढांचे के सृजन तथा अनेक विद्यालयों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने में कोई वास्तविक प्रगति नहीं हुई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) उक्त योजना के क्रियान्वयन के लिए वित्तीय सहायता की स्वीकृति हेतु राज्य सरकारों से राज्यवार कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(च) उक्त अवधि के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों को दी गई वित्तीय सहायता का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या गत तीन वर्षों के दौरान सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत आवंटित धनराशि के अन्यत्र उपयोग तथा/या आवंटित धनराशि के अल्प उपयोग के मामले सामने आए हैं; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

[अनुवाद]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (ज) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

सर्व शिक्षा अभियान पर व्यय

(क) से (ज) सर्व शिक्षा अभियान के तहत केन्द्र सरकार के अंश के रूप में राज्य/संघ राज्य सरकारों को वर्ष 2002-03 के दौरान 1558.28 करोड़ रुपये, वर्ष 2003-04 के दौरान 2696.38 करोड़ रुपये, वर्ष 2004-05 के दौरान 5113.14 करोड़ रुपये और वर्ष 2005-06 के दौरान 31.1.2006 तक 7434.15 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई।

सर्व शिक्षा अभियान के तहत अतिरिक्त शिक्षकों की भर्ती के लिए वर्ष 2005-06 तक 772345 का लक्ष्य है जिसकी तुलना में 492261 (64 प्रतिशत) नियुक्त किए गए हैं। 120629 स्कूल भवनों के लक्ष्य की तुलना में 105951 (87 प्रतिशत) का निर्माण कर लिया गया है अथवा पूर्ण किए जाने वाले हैं। संस्वीकृत 329690 अतिरिक्त अध्ययन कक्षों की तुलना में 298455 (90 प्रतिशत) का निर्माण किया गया है अथवा पूर्ण किए जाने वाले हैं। यह प्रगति दिसम्बर, 2005 तक की है। अतः मुख्य लक्ष्यों की तुलना में हुई प्रगति को संतोषजनक माना जा सकता है। राज्यवार ब्यौरा अनुबन्ध-I में दिया गया है।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा प्रस्तुत की गई वार्षिक कार्य योजना तथा बजटों और सर्व शिक्षा अभियान के तहत उनकी प्रगति के आकलन के आधार पर वर्ष 2002-03, 2003-04 तथा 2004-05 के दौरान और वर्ष 2005-06 के लिए 31 जनवरी, 2006 तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई निधियों का केन्द्रीय अंशदान अनुबन्ध-II में दर्शाया गया है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के पास उपलब्ध खर्च न की गई राशि को अगले वर्ष की वार्षिक कार्य योजना तथा बजट के भाग के रूप में अगले वित्तीय वर्ष में आगे ले जाया जाता है।

अनुबन्ध-I

31.12.2005 तक की स्थिति के अनुसार मूल लक्ष्यों (2005–06) की तुलना में प्रगति

क्र.सं.	राज्य	स्कूल भवन		अतिरिक्त कमरे		शिक्षकों की भर्ती	
		लक्ष्य	पूरा किया गया + कार्य प्रगति पर है	लक्ष्य	पूरा किया गया + कार्य प्रगति पर है	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	6468	6729	12908	12838	34676	34676
2.	अरुणाचल प्रदेश	427	401	461	461	1951	1206
3.	असम	6928	6119	5542	4715	5410	7969
4.	बिहार	2466	1550	27556	21565	103559	65650
5.	छत्तीसगढ़	6607	6206	6089	5716	44499	28913
6.	गोवा	0	0	41	0	179	0
7.	गुजरात	735	697	7125	6989	1848	1662
8.	हरियाणा	1218	1118	5369	5335	4629	4639
9.	हिमाचल प्रदेश	0	0	6163	5251	2730	1911
10.	जम्मू और कश्मीर	2408	1754	2236	2081	16532	15697
11.	झारखंड	2151	1413	18705	17036	56140	31303
12.	कर्नाटक	1576	1556	14763	14819	11604	10998
13.	केरल	365	457	4389	2309	0	0
14.	मध्य प्रदेश	24846	25582	21493	20918	89072	49723
15.	महाराष्ट्र	10311	8195	20992	17965	1236	1236
16.	मणिपुर	685	130	332	40	123	0
17.	मेघालय	270	54	39	0	4043	4566
18.	मिजोरम	460	210	274	145	781	170
19.	नागालैंड	105	77	733	562	0	0
20.	उड़ीसा	5430	4018	8641	8385	50082	35283
21.	पंजाब	417	230	9140	7001	2660	1868

1	2	3	4	5	6	7	8
22.	राजस्थान	7523	7176	11943	12007	40910	32894
23.	सिक्किम	48	126	273	104	406	191
24.	तमिलनाडु	4744	5030	9458	7995	8686	8519
25.	त्रिपुरा	694	680	950	950	2504	1629
26.	उत्तर प्रदेश	27381	24079	93781	86798	209926	131394
27.	उत्तरांचल	2429	1574	2093	1854	3374	3528
28.	पश्चिम बंगाल	3836	788	36945	34274	73536	16148
29.	अंडमान और निकोबार	2	0	93	34	53	53
30.	चंडीगढ़	24	2	94	14	580	240
31.	दादरा और नगर हवेली	34	0	243	128	517	192
32.	दमन और दीव	12	0	9	0	66	0
33.	दिल्ली	0	0	553	0	0	0
34.	लक्षद्वीप	1	0	0	0	3	3
35.	पांडिचेरी	28	0	264	166	30	0
	कुल सर्व शिक्षा अभियान	120629	105951	329690	298455	772345	492261

अनुबन्ध-II

वर्ष 2002–03, 2003–04 और 2004–05 के दौरान सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जारी अनुदान

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	वर्ष 2002–03 के दौरान जारी अनुदान	वर्ष 2003–04 के दौरान जारी	वर्ष 2004–05 के दौरान जारी	वर्ष 2005–06 के दौरान जारी (31.1.06 तक)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	8226.1	9884.41	28000	38599.66
2.	असम	10175.92	12190.43	20654	13857.33
3.	अरुणाचल प्रदेश	1412	675.35	3009	4100.51
4.	बिहार	7914.97	19515.75	31970.56	31970.56
5.	छत्तीसगढ़	3639.73	6589.02	20786.76	29184.39

1	2	3	4	5	6
6.	गोवा	0	0	0	452.42
7.	गुजरात	14004.3	11660.13	14072	15084.84
8.	हरियाणा	2735.87	6895.55	12881.55	10196.55
9.	हिमाचल प्रदेश	1717.62	5462.17	6144	7614.66
10.	जम्मू और कश्मीर	1948.85	5326.62	7747.18	18530.65
11.	झारखंड	3244.32	11474.31	16568.5	27997.5
12.	कर्नाटक	8270.46	10426.67	26280.7	28303.78
13.	केरल	2250.78	4966	8939	5939
14.	मध्य प्रदेश	11017.1	35237.91	44606.919	77267.49
15.	महाराष्ट्र	11000	20526.67	35489.79	50235.31
16.	मणिपुर	0	500	1225	1327.44
17.	मेघालय	711.37	825.77	2930.81	1925.81
18.	मिजोरम	903.29	1182.37	3300.24	1653.74
19.	नागालैंड	973.28	0	2088.49	2323.01
20.	उड़ीसा	2214.15	13453.27	21807.27	32809.11
21.	पंजाब	4868	6492.49	3040	14683.89
22.	राजस्थान	9995.58	15627	23549.397	60313.43
23.	सिक्किम	425.14	269.73	1000.25	600.25
24.	तमिलनाडु	13526.9	10505.84	26517	35329.53
25.	त्रिपुरा	1162.18	2752.39	4703.96	7070.19
26.	उत्तरांचल	2067.69	3522.02	9144.705	10066.46
27.	उत्तर प्रदेश	20245.4	34043.3	87761	182799
28.	पश्चिम बंगाल	10867.61	16748.23	46024.36	31024
29.	अंडमान और निकोबार	0	283.96	272.58	63
30.	चंडीगढ़	0	224.54	447.95	450
31.	दादरा और नगर हवेली	0	447.42	111.91	0

1	2	3	4	5	6
32.	दमन और दीव	12	0	0	111.91
33.	दिल्ली	161.27	1959.62	0	1000
34.	लक्षद्वीप	19.98	28.31	12.03	0
35.	पांडिचेरी	116.46	141.06	225.53	529.4
	कुल	155828.32	269838.31	511314.441	743414.82

[हिन्दी]

श्री वी. के. दुग्गर : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदया ने मेरे प्रश्न का जो उत्तर सदन के पटल पर रखा है, उससे विदित होता है कि यूपीए सरकार के शासन में आने के बाद वह सर्व शिक्षा अभियान में बहुत अच्छा काम कर रही है। इसके लिए मैं सरकार का अभिनन्दन करता हूं। इसके माध्यम से छोटे–छोटे गांवों में, छोटे–छोटे लड़कों को पढ़ाने का जो काम चल रहा है, वह बहुत अच्छा काम है। यह काम अब और बढ़ रहा है। वर्ष 2005–06 में 7434 करोड़ रुपया सरकार ने खर्च किया है। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि केन्द्र शासित राज्यों में और वेस्ट बंगाल में बहुत कम काम चल रहा है, वहां एचीवमेंट्स बहुत कम हैं, इसकी क्या वजह है? केन्द्र शासित राज्यों के लिए सरकार क्या काम करना चाहती है?

[अनुवाद]

श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी : महोदय, जैसा कि मेरे साथी ने यहां उचित रूप में टिप्पणी की, धन का उपयोग एक अच्छी उर्ध्वगामी प्रवृत्ति प्रदर्शित कर रहा है। यह स्पष्टतः स्वामित्व की भावना दर्शाता है जिससे राज्य सरकारें सर्व शिक्षा अभियान को लागू करने के लिए आगे आ रही हैं। जब हम धन उपयोग की प्रवृत्ति को देखते हैं, तो वर्ष 2003–04 में लगभग 62 प्रतिशत धन उपयोग किया गया। जब अब 2004–05 में देखें तो यह उपयोग लगभग 85.34 प्रतिशत है। दिसम्बर 2005, तक यह उपयोग लगभग 65 प्रतिशत है। अतः यह उपयोग की स्वस्थ उर्ध्वगामी प्रवृत्ति की ओर स्पष्ट संकेत करता है।

केवल यही नहीं, यह बच्चों का कुल नामांकन अनुपात भी दर्शाता है। वर्ष 2001–02 में प्राथमिक शिक्षा में कुल नामांकन अनुपात लगभग 82.35 प्रतिशत है। वर्ष 2003–04 में यह लगभग 84.91 प्रतिशत है जो पुनः प्रोत्साहित करने वाला है। हमें हमारा आधारभूत ढांचा नामांकन अनुपात पर आधारित भी बनाने की जरूरत है। इसी आधार पर राज्य उनकी सिफारिशें भेज रहे हैं। राज्यों की सिफारिशों के आधार पर ही हम उन्हें आगे भेज रहे हैं या धन जारी कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपका अभिनन्दन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री वी. के. दुग्गर : माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, उससे मुझे पूरा संतोष है। यूपीए सरकार पूरा काम करेगी, इसकी भी हमें उम्मीद है। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि मणिपुर, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल जैसे राज्यों और दादरा नगर हवेली जैसे केन्द्र शासित क्षेत्रों में यह काम थोड़ा कम चला है, उसके लिए आप क्या स्पेशल प्रोग्राम बनाना चाहते हैं?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या आपने कोई विशेष कार्यक्रम बनाया है?

श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी : आंकड़े बताते हैं कि धन का कम उपयोग हो रहा है। ऐसा नहीं है कि धन व्यपगत हो रहा है। धन जिसका उपयोग नहीं किया जाता, अगले वर्ष और अनेक आधारभूत कार्यक्रमों को जो चल रहे हैं, हस्तान्तरित हो जाता है। अतः अगले वर्ष को हस्तान्तरित होने वाला धन वास्तव में आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति में काम आता है। अतः धन के कम उपयोग या दुरुपयोग जैसी कोई बात नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा।

श्री रायापति सांबासिवा राव क्या आपने नोटिस दिया है?

श्री के. एस. राव. : मंत्री जी तेलुगू समझ सकती हैं और जवाब दे सकती हैं।

श्री रायापति सांबासिवा राव : आज अन्तर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, यह स्वदेशी का मामला है। यह केवल आपके राज्य का मामला नहीं है।

श्री रायापति सांबासिवा राव : महोदय, मैं तेलुगू* में बोलूंगा।

श्री के. एस. राव : मंत्री जी तेलुगू समझ सकती हैं।

श्री रायापति सांबासिवा राव : मैं माननीय मंत्री जी से तेलुगू में जवाब देने का भी निवेदन करूंगा। कृपया मुझे बताएं कि आंध्र प्रदेश के लोग क्यों कष्ट उठा रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय : यदि आप दे सकें तो कृपया मुझे अंग्रेजी में सारांश दें।

श्री रायापति सांबासिवा राव : वे तेलुगू समझ सकती हैं।

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है, यह नहीं किया जा सकता। मुझे जानने का अधिकार है कि आपने क्या प्रश्न रखा है।

श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी : क्या मैं उन्हें तेलुगू में उत्तर दूं?

अध्यक्ष महोदय : आप उन्हें अलग से उत्तर दें।

वे आपको तेलुगू में जवाब भेजेंगी। लेकिन, आपका अमूल्य योगदान कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया है। क्या किया जा सकता है?

श्री रायापति सांबासिवा राव : वे तेलुगू में जवाब देना चाहती हैं।

अध्यक्ष महोदय : अब हम बंगाली में कार्य करेंगे।

श्री सानसुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : महोदय, संसद ने बोडो भाषा के लिए कोई अनुवादक नियुक्त नहीं किया है जबकि बोडो भाषा संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल है।

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे नोटिस दें। मैं एक दुभाषिए का प्रबंध कर दूंगा। तब आप ऐसा कर सकते हैं। आप कुछ कानूनों और मानदंडों का पालन करें।

[हिन्दी]

श्री अविनाश राय खन्ना : महोदय, प्रश्न यह पूछा गया था कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो पैसा दिया जा रहा है, कहीं उसका डाइवर्जन तो नहीं हो रहा है? क्या इस बारे में कोई शिकायत आपके पास आई है? इसको मानीटर करने के लिए कौन सी एजेंसी है, जो यह देखती है कि जो पैसा दिया जा रहा है, वह उसी काम के लिए खर्च हो रहा है, जिसके लिए एलॉट किया गया है?

[अनुवाद]

श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी : जैसा कि मैंने पहले बताया, निधियों का कम उपयोग नहीं हो रहा है। फिर भी, मैंने अभी कहा कि निधियों का अनियंत्रित उपयोग हो रहा है। लेकिन, हां, कुछ मामलों की सूचना मिली है जिनमें धन का उपयोग दूसरी चीजों में किया जा रहा है, लेकिन तब भी उन्होंने प्रतिपूर्ति की है क्योंकि उन्हें खाते में दोबारा दिखाना होता है, उनका गहन निरीक्षण किया जाता है और उनकी लेखा–परीक्षा न केवल राज्यों द्वारा बल्कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा भी की जाती है। इसलिए, मैं नहीं कहूंगी कि धन का दुरुपयोग या विपथन हो रहा है।

प्रो. बसुदेव बर्मन : महोदय, मुझे बोलने की अनुमति देने के लिए आपका धन्यवाद।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : उन चीजों को भूल जाएं और समय का सदुपयोग करें। कृपया अपना प्रश्न रखें।

प्रो. बसुदेव बर्मन : महोदय, आपका धन्यवाद। मैं अनुदानों में पर्याप्त वृद्धि के सरकार के प्रयासों की सराहना करता हूं, जो कि विशेषकर वर्ष 2004–05 और 2005–06 में 31 जनवरी, 2006 तक एसएसए के अधीन जारी किए गए हैं। तथापि, मैं कहना चाहता हूं कि अनुलग्नक–II में राज्यवार बजट प्रावधान दर्शाने चाहिए। ऐसा इसलिए आवश्यक है क्योंकि बजट प्रावधानों में अनुदानों को जारी करने से एक प्रासंगिक तस्वीर उभरी है।

महोदय, आपके माध्यम से, मैं माननीय मंत्री जी से अनुदान जारी करने के समय के बारे में एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। जैसा कि हम जानते हैं और माननीय मंत्री के कथनानुसार राज्य सरकार या केन्द्र शासित प्रदेशों के पास बिना खर्च की हुई राशि अगले वर्ष की वार्षिक कार्ययोजना और बजट के भाग के रूप में अगले वित्तीय वर्ष को हस्तान्तरित कर दी जाती है, जिससे एक वर्ष विशेष के लिए केन्द्र सरकार की प्रतिबद्धता में कमी आती है।

मेरा प्रश्न विशेष है कि वित्तीय वर्ष 2003–04 और 2004–05 के किन महीनों में अनुदान की पहली किस्त जारी की

*माननीय सदस्य ने तेलुगू में भाषण दिया लेकिन अपने भाषण का अंग्रेजी या हिन्दी अनुवाद उपलब्ध नहीं करवाया।

गई और किस महीने में आखिरी किस्त जारी की गई थी। वर्ष 2005–06 के लिए किस महीने में पहली किस्त जारी की गई थी और क्या आखिरी किस्त पहले ही जारी की जा चुकी है या अभी जारी की जानी है?

अध्यक्ष महोदय : वे विस्तृत उत्तर नहीं दे सकतीं। केवल एक बात है कि क्या अनुदान राशि वर्षांत में जारी की जाती है। यही मुद्दा है।

प्रो. बसुदेव बर्मन : हां, महोदय। पहली किस्त भी महत्वपूर्ण है...*(व्यवधान)*

श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी : सामान्यतः पहली किस्त अप्रैल से सितम्बर माह के बीच जारी की जाती है और दूसरी किस्त दिसम्बर तक जारी की जाती है।

अध्यक्ष महोदय : प्रो. बर्मन, यदि कोई विशेष मामले हों तो कृपया उन्हें उनके पास भेजें।

श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी : महोदय, आपका धन्यवाद।

प्रो. बसुदेव बर्मन : पहली किस्त अप्रैल माह में जारी की जानी चाहिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : बात ये है कि आपका अवसर समाप्त हो चुका है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रवि प्रकाश वर्मा : महोदय, मंत्री जी ने अपनी स्टेटमेंट में बताया है कि सभी राज्यों की परफार्मेंस यूनिवर्सल नहीं है, कुछ की खराब है तो कुछ की अच्छी है, यह चिन्ता का विषय है। अभी भी कई राज्यों का पैसा समय पर खर्च नहीं हो रहा है। कई राज्यों में प्राइमरी एजुकेशन, पैराटीचर्स के द्वारा करवाई जा रही है, मुझे लगता है कि यह सही नहीं है। यूपीए सरकार का कमिटमेंट था कि जीडीपी का 6 प्रतिशत शिक्षा पर खर्च किया जाएगा और इसका आधा प्राइमरी एजुकेशन पर खर्च किया जाना चाहिए था।... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : वर्मा जी, आप जल्दी प्रश्न पूछिए, समय कम है।

श्री रवि प्रकाश वर्मा : मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो पैसा इस मद में खर्च किया जा रहा है, क्या इसके लिए सोशल ऑडिट का भी प्रावधान सरकार करने जा रही है?

[अनुवाद]

श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी : राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अनुसार, हमारी सरकार शिक्षा के लिए सकल घरेलू उत्पाद का 6 प्रतिशत दिए जाने के प्रति वचनबद्ध है। अतः यह सम्पूर्ण शिक्षा के लिए है।

महोदय, इसके लेखा–परीक्षा पहलू पर आते हुए, हमने सर्व शिक्षा अभियान के खातों की लेखा–परीक्षा के लिए बहुत कठोर मापदण्ड तय किए हैं। जैसा कि मैंने कहा, यह राज्य स्तर पर किया गया है और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भी इसे देख रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री जी को बधाई देते हुए, मैं प्रश्न काल की समाप्ति की घोषणा करता हूं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

***42. श्री सज्जन कुमार :**

श्री सुग्रीव सिंह :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में लघु और मझौले उद्योगों के साथ–साथ खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा इन क्षेत्रों में कितने प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी गयी है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई दिशानिर्देश तैयार किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार को खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने के विरुद्ध व्यापारियों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा घरेलू खुदरा बाजार की रक्षा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(छ) क्या सरकार का विचार लघु और मझौले उद्योगों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रतिशत बढ़ाने का है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार किन अन्य क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने पर विचार कर रही है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) सरकार ने केवल 'एकल ब्राण्ड' उत्पादों के खुदरा व्यापार के क्षेत्र में सरकार के पूर्वअनुमोदन से 51 प्रतिशत तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) को अनुमति प्रदान की है। अन्य बातों के साथ-साथ इसका लक्ष्य उत्पादन, विपणन और आपूर्ति शृंखला के क्षेत्र में निवेशों को आकर्षित करना, भारत से माल प्राप्त करने को प्रोत्साहन देना; और आधुनिक डिजाइनों, प्रौद्योगिकियों और प्रबन्धन पद्धतियों तक पहुंच बनाते हुए भारतीय उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है। लघु उद्योग क्षेत्र में एफडीआई के संबंध में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) 'एकल ब्राण्ड' उत्पादों के खुदरा व्यापार में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के संबंध में दिशा-निर्देश प्रेस नोट संख्या 3 (2006 शृंखला) द्वारा अधिसूचित कर दिए गए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रावधान है कि :

(i) बेचे जाने वाले उत्पाद केवल 'एकल ब्राण्ड' वाले होने चाहिए;

(ii) उत्पादों को अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर समान ब्राण्ड के तहत बेचा जाना चाहिए; और

(iii) 'एकल ब्राण्ड' उत्पादों के खुदरा व्यापार के अन्तर्गत केवल वे उत्पाद ही शामिल होंगे जिन्हें विनिर्माण के दौरान ब्राण्ड प्रदान किया जाता है।

(ङ) और (च) हालांकि सम्पूर्ण खुदरा व्यापार क्षेत्र में एफडीआई की अनुमति प्रदान करने के संबंध में कुछ प्रतिवेदन प्राप्त हुए थे, किन्तु केवल 'एकल ब्राण्ड' उत्पादों के खुदरा व्यापार में एफडीआई की अनुमति देने संबंधी सरकार के हाल में लिए गए निर्णय के संबंध में कोई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। सामान्यतः ऐसे उत्पादों की मांग सीमित होती है, उनके लिए अधिक मात्रा में निवेश अपेक्षित होता है तथा उनका लक्ष्य एक विशिष्ट ग्राहक-वर्ग होता है। खुदरा व्यापार के इस विशिष्ट खण्ड में एफडीआई की अनुमति प्रदान करने से स्थानीय किराने की दुकानों पर, प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है, जिनका व्यापार अपेक्षाकृत अधिक सामान्य होता है तथा जो एक भिन्न प्रकार के ग्राहक-वर्ग की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं।

(छ) वर्तमान में लघु उद्योगों के क्षेत्र में एफडीआई की सीमा बढ़ाने के संबंध में किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है। वर्तमान में मझौले उद्योग के रूप में वर्गीकृत उद्योगों की कोई पृथक श्रेणी नहीं है।

(ज) भारत में निवेश-वातावरण में सुधार करने के उद्देश्य से एफडीआई नीति की सतत आधार पर समीक्षा की जाती है।

[हिन्दी]

दक्षिण भारत में आतंकवादी गतिविधियां

*47. **प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा :**
श्री श्रीपाद येसो नाईक :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 6 जनवरी, 2006 के 'द हिन्दू' में "नालगौण्डा ए हब ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज" शीर्षक से छपे समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या दक्षिण भारत में बड़ी संख्या में युवक आतंकवादी गतिविधियों में शामिल पाए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या ऐसे व्यक्तियों के विदेश में, विशेषकर पाकिस्तान तथा बांग्लादेश में प्रशिक्षित होने के बारे में पता चला है; और

(च) यदि हां, तो ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) जी, हां।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार 2005 में, नालगोंडा, आन्ध्र प्रदेश के आतंकवादी संगठनों के तीन संदिग्ध कार्यकर्ताओं के विरुद्ध मामले दर्ज किए गए हैं।

(ग) से (ङ) उपलब्ध सूचना के अनुसार, 2005 में आन्ध्र प्रदेश पुलिस ने उन 17 व्यक्तियों और कर्नाटक पुलिस ने 7 व्यक्तियों के

विरुद्ध कार्रवाई शुरू की है जिनके बारे में आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त होने का संदेह था। बताया जाता है कि इनमें से दो ने पाकिस्तान में और एक ने बांग्लादेश में प्रशिक्षण प्राप्त किया है।

(घ) सरकार ने आईएसआई और आतंकवादी संगठनों की गतिविधियों से निपटने के लिए सीमा पार से अवैध गतिविधियों को रोकने हेतु सीमा प्रबंधन को सुदृढ़ करके, आसूचना तंत्र को चुस्त बनाकर, केन्द्र और राज्य सरकारों की विभिन्न एजेंसियों के बीच घनिष्ठ संबंध बनाकर समन्वित कार्रवाई द्वारा उग्रवादियों और राष्ट्र विरोधी तत्वों की योजनाओं को निष्क्रिय करके, उन्नत अधुनातन हथियारों और संचार प्रणाली से पुलिस और सुरक्षा बलों का आधुनिकीकरण और उन्नयन आदि करके बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है। केन्द्र सरकार, खतरे की आशंका और आईएसआई तथा आतंकवादी संगठनों की गतिविधियों के बारे में समय-समय पर राज्य सरकारों को सुग्राही बनाती रही है। इसके अलावा, ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए द्विपक्षीय और बहुपक्षीय कदम उठाए जाते हैं।

प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत रोजगार के अतिरिक्त अवसरों का सृजन

***48. श्री संजय धोत्रे :**

श्री जोवाकिम बखला :

क्या **कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत और गैर-कृषि क्षेत्र में रोजगार के अतिरिक्त अवसरों का सृजन करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान आज की तिथि तक विभिन्न राज्यों में, विशेषकर महाराष्ट्र में, इस संबंध में वर्ष-वार निर्धारित लक्ष्यों एवं प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत राज्य-वार तथा श्रेणीवार कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) केन्द्र सरकार गैर-कृषि क्षेत्र में बेरोजगार युवाओं के लिए अतिरिक्त रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए अक्टूबर, 1993 से प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई), जो कि एक क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी योजना है, का कार्यान्वयन कर रही है। पीएमआरवाई के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को आवंटित रोजगार के अतिरिक्त अवसर सृजित करने के लक्ष्यों के आधार पर केन्द्र सरकार सब्सिडी, उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी), आकस्मिकता आदि के लिए निधि प्रदान करती है। सब्सिडी के लिए केन्द्रीय निधि को रिजर्व बैंक के माध्यम से कार्यान्वयनकारी बैंकों को वैयक्तिक लाभार्थियों के ऋण खाते में जमा करने के लिए दी जाती है। केन्द्र सरकार द्वारा उद्यमिता विकास कार्यक्रम, आकस्मिकताओं आदि के लिए निधि सीधे राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी किया जाता है।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान आज की तिथि तक [अर्थात 2003-04, 2004-05 और 2005-06 (नवम्बर, 2005 तक)] प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य और उपलब्धियों का महाराष्ट्र सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान (अर्थात 2002-03, 2003-04 और 2004-05) प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और श्रेणी-वार विस्तृत विवरण संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार लक्ष्य और उपलब्धियां

(स्व रोजगार इकाइयों को स्वीकृत ऋण)

(भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथासूचित)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2003-04		2004-05		2005-06 (नवम्बर, 2005 तक)	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	हरियाणा	4050	8387	5100	9176	5303	4594

1	2	3	4	5	6	7	6
2.	हिमाचल प्रदेश	3200	3028	3000	2977	3557	1612
3.	जम्मू और कश्मीर	1150	792	2000	747	1588	228
4.	पंजाब	4100	8405	4600	9199	4083	2942
5.	राजस्थान	8100	15654	9100	16424	9328	7822
6.	चंडीगढ़	300	99	300	288	351	84
7.	दिल्ली	4400	1108	4500	937	5179	374
8.	असम	6600	7501	7500	10300	7387	3607
9.	मणिपुर	1200	595	1500	440	1418	12
10.	मेघालय	350	453	400	597	361	69
11.	नागालैंड	300	68	400	97	363	114
12.	त्रिपुरा	800	2494	1000	2126	1193	1430
13.	अरुणाचल प्रदेश	200	685	200	443	173	23
14.	मिजोरम	200	788	200	144	188	0
15.	सिक्किम	100	31	100	37	66	6
16.	बिहार	14400	11370	16000	11437	16003	3780
17.	झारखंड	5350	5498	6500	5491	6978	1954
18.	उड़ीसा	6600	11652	7100	15554	6923	1721
19.	पश्चिम बंगाल	20000	3562	24000	4595	24574	2488
20.	अंडमान और निकोबार	100	189	150	150	123	24
21.	मध्य प्रदेश	11750	26031	14000	27604	13507	6993
22.	छत्तीसगढ़	4600	3919	6000	4333	5429	1231
23.	उत्तर प्रदेश	22950	44842	26000	45985	26248	17944
24.	उत्तरांचल	1800	5636	2500	7208	2119	3017
25.	गुजरात	8650	7249	10000	6975	9579	3537
26.	महाराष्ट्र	22800	21116	26000	26720	24614	7545
27.	दमन और दीव	50	3	50	4	19	3

1	2	3	4	5	6	7	8
28.	गोवा	400	125	500	78	486	20
29.	दादरा और नगर हवेली	50	0	50	23	27	7
30.	आन्ध्र प्रदेश	18400	23291	21500	24758	20767	5199
31.	कर्नाटक	10800	15317	12000	16836	11046	5528
32.	केरल	16250	17991	17000	22517	18685	6630
33.	तमिलनाडु	19350	14538	20000	20586	21585	7843
34.	लक्षद्वीप	50	17	50	12	48	3
35.	पांडिचेरी	600	362	700	363	722	191
36.	अनिर्दिष्ट		1216		1246		629
	कुल	220000	264012	250000	297187	250000	99204

विवरण-II

वर्ष 2002–03, 2003–04 और 2004–05 के दौरान प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थियों (स्व–रोजगार इकाइयों को स्वीकृत ऋण) का भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथासूचित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार और श्रेणी–वार विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल	अनुसूचित जाति/ जनजाति	अन्य पिछड़े वर्ग	महिला
1	2	3	4	5	6
1.	हरियाणा	25937	3530	3250	2472
2.	हिमाचल प्रदेश	8594	1766	774	946
3.	जम्मू और कश्मीर	2302	326	236	257
4.	पंजाब	26393	5005	2862	3039
5.	राजस्थान	47186	8588	8656	3696
6.	चंडीगढ	430	148	78	146
7.	दिल्ली	2638	398	255	317
8.	असम	23612	4471	3202	1606
9.	मणिपुर	1705	877	169	334
10.	मेघालय	1384	900	56	243
11.	नागालैण्ड	1074	361	145	58

1	2	3	4	5	6
12.	त्रिपुरा	6086	2140	802	836
13.	अरुणाचल प्रदेश	1473	1094	87	242
14.	मिजोरम	1260	1069	48	190
15.	सिक्किम	89	27	0	22
16.	बिहार	32105	5661	8075	2542
17.	झारखण्ड	16145	3438	3815	1569
18.	उड़ीसा	35954	7576	9525	4833
19.	पश्चिम बंगाल	11131	1915	1005	1088
20.	अंडमान और निकोबार	497	90	63	60
21.	मध्य प्रदेश	75974	12864	14077	7436
22.	छत्तीसगढ़	12653	2496	2549	1008
23.	उत्तर प्रदेश	135652	22402	26406	11545
24.	उत्तरांचल	16948	3042	1530	1805
25.	गुजरात	21952	4544	3268	3382
26.	महाराष्ट्र	68466	11630	13568	9862
27.	दमन और दीव	27	0	1	3
28.	गोवा	503	32	29	82
29.	दादरा और नगर हवेली	15	2	0	0
30.	आन्ध्र प्रदेश	57197	11686	14742	12072
31.	कर्नाटक	45315	7779	11350	8196
32.	केरल	53192	7553	16532	14091
33.	तमिलनाडु	47190	10644	24616	14955
34.	लक्षद्वीप	39	39	0	3
35.	पांडिचेरी	1046	197	599	310
	कुल	782164	144290	172373	109246

[अनुवाद]

नक्सलियों के लिए आत्मसमर्पण पुनर्वास नीति

*49. **डा. रतन सिंह अजनाला :**

सरदार सुखदेव सिंह लिब्रा :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ नक्सलियों ने आत्मसमर्पण की इच्छा व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने नक्सल प्रभावित राज्यों से नक्सलियों के लिए जम्मू-कश्मीर तथा पूर्वोत्तर राज्यों के आत्मसमर्पण करने वाले आतंकवादियों की तर्ज पर बनाई गई योजना के समान आत्मसमर्पण तथा पुनर्वास नीति बनाने के लिए कहा है जैसा कि 14 जनवरी, 2006 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने सभी संबंधित राज्यों को नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए धनराशि आवंटित की है;

(ङ) यदि हां, तो वर्ष 2004-05 और वर्ष 2005-06 के दौरान आवंटित की गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सभी राज्यों ने उक्त आवंटित राशि को विकास योजनाओं पर खर्च किया है; और

(छ) यदि नहीं, तो इन राज्यों में विभिन्न विकासात्मक योजनाओं के समय पर कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) नक्सल प्रभावित कुछ राज्यों में नक्सलियों का आत्मसमर्पण जारी है।

(ख) और (ग) केन्द्रीय गृह मंत्री की मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों के साथ 13.1.2006 को हुई समन्वय केन्द्र की बैठक के दौरान नक्सल प्रभावित राज्यों को, अन्य बातों के साथ-साथ, नक्सलियों के लिए आत्मसमर्पण और पुनर्वास की कारगर नीति तैयार करने के लिए कहा गया था। तथापि, नक्सल प्रभावित अधिकांश राज्यों की उन नक्सलियों के लिए आत्मसमर्पण और पुनर्वास की योजनाएं पहले से ही हैं जो हिंसा का मार्ग त्याग और मुख्य धारा में आना चाहते हैं। जबकि अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग प्रोत्साहन पैकेज हैं, केन्द्र सरकार सुरक्षा से संबंधित व्यय (एसआरई) योजना के तहत नक्सल प्रभावित राज्यों को आत्मसमर्पण करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए 20,000/- रुपए तक के व्यय की प्रतिपूर्ति करती है जो इस बात पर निर्भर करता है कि नक्सली ने हथियारों के साथ या हथियारों के बिना आत्मसमर्पण किया है।

(घ) और (ङ) सरकार ने नक्सल समस्या का मुकाबला करने के लिए एक बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाया है जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में समन्वित सामाजिक-आर्थिक विकास पर ध्यान केन्द्रित करना शामिल है। सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए राज्यों को निधियां प्रदान करने के निमित्त केन्द्र द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के अतिरिक्त, केन्द्र सरकार ने नक्सल प्रभावित जिलों में सामाजिक और भौतिक आधारभूत ढांचे के नाजुक अंतर को दूर करने के लिए राष्ट्रीय सम विकास योजना (आरएसवीवाई) के संघटक पिछड़ा जिला पहल (बीडीआई) के तहत 2475 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। वर्ष 2004-05 और 2005-06 के दौरान इस योजना के तहत नक्सल प्रभावित राज्यों को जारी की गई निधियों का ब्यौरा दिया गया है :

(करोड़ रुपए में)

राज्य	2004-05	2005-06
आंध्र प्रदेश	62.50	7.50
बिहार	60.00	30.00
झारखंड	97.50	105.00
मध्य प्रदेश	22.50	22.50
छत्तीसगढ़	50.00	67.50
महाराष्ट्र	30.00	22.50
उड़ीसा	27.50	30.00
उत्तर प्रदेश	25.00	22.50
पश्चिम बंगाल	20.00	15.00

(च) और (छ) राज्यों द्वारा निधियों के उपयोग का स्तर संतोषजनक नहीं रहा है। केन्द्र सरकार, राज्यों द्वारा निधियों के उपयोग की प्रगति पर नियमित रूप से नजर रखती है और उनसे

कहा है कि वे विकास की गति में तेजी लाने के लिए अपने वितरण तंत्र में सुधार करें तथा केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान की जा रही सहायता का पूरा उपयोग सुनिश्चित करें।

उच्च शिक्षा

*50. **श्री डी. विट्ठल राव** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्च शिक्षा में विद्यमान समस्याओं के संभावित समाधानों के संबंध में राज्य सरकारों के साथ कोई बातचीत हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश की उच्च शिक्षा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बनाने की आवश्यकता पर बल दिया है; और

(घ) यदि हां, तो इस उद्देश्य के लिए क्या उपाय करने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (घ) उच्च शिक्षा के विभिन्न पहलुओं, जिसमें गुणवत्ता के मुद्दे भी शामिल हैं, के संबंध में राज्य सरकारों के साथ परामर्श करना एक सतत प्रक्रिया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं अन्य नियामक निकाय उच्चतर शिक्षा के मानकों का निरीक्षण करने के लिए अधिकृत हैं।

नए क्षेत्रों हेतु शिक्षा की गुणवत्ता

*51. **श्री सी. के. चन्द्रप्पन :**

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बी.पी.ओ. और सूचना प्रौद्योगिकी में रोजगार के बढ़ते अवसरों की मांग को पूरा करने के लिए स्नातक स्तर के लोगों की गुणवत्ता और कार्यकुशलता में सुधार की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (ग) देश में पूर्वस्नातक स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं और यह एक सतत प्रक्रिया है। देश में बी.पी.ओ. और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग की सफलता देश में उपलब्ध स्नातक कार्यबल की गुणवत्ता की ओर संकेत करती है।

इसके अतिरिक्त, बी.पी.ओ. और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र सहित उद्योग जगत की मांग की पूर्ति हेतु स्नातकों की गुणवत्ता और कौशलों में सुधार के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने औद्योगिक संघों के साथ सहयोग परियोजनाओं के माध्यम से कारगर उद्योग–संस्थान वार्तालाप शुरू किया है। इनमें उद्योग जगत की अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पाठ्यचर्या में संशोधन करना और गुणवत्ता तथा उद्योग की उपयोगिता सुनिश्चित करने हेतु 'संकाय विकास कार्यकलाप' भी शामिल हैं। राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड ने एक 'गुणवत्ता मूल्यांकन प्रणाली' लागू की है जिससे किसी संस्थान से निकलने वाले स्नातकों की गुणवत्त पर ध्यान केन्द्रित किया जा सके। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त संस्थाओं को 'इंडेस्ट–ए.आई.सी.टी.ई. संघ' के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय ऑनलाइन पत्रिकाओं तक पहुंच की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। 'राष्ट्रीय तकनीकी जनशक्ति सूचना प्रणाली' के माध्यम से 'वार्षिक तकनीकी जनशक्ति समीक्षा रिपोर्ट' तैयार की जाती है ताकि तकनीकी शिक्षा के योजनागत और समन्वित विकास में उनका उपयोग किया जा सके। स्नातकों के संप्रेषण–कौशल में सुधार के लिए सभी तकनीकी संस्थाओं को 'अंग्रेजी भाषा प्रयोगशाला' स्थापित करने का सुझाव दिया गया है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा की गई पहलों में 'अनुसंधान और प्रशिक्षण सामग्री का डिजिटल भंडारण', 'विश्वविद्यालयों हेतु इंटरनेट संपर्क', 'सूचना संप्रेषण और कंप्यूटर शिक्षा', 'विभिन्न विषयों में शिक्षण नवाचार' और 'रोजगारोन्मुख शिक्षा कार्यक्रम' शामिल हैं।

उद्योग जगत को सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी योग्य जनशक्ति उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार, राज्य सरकारों द्वारा और निजी क्षेत्र में भी सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए गए हैं।

भारत सरकार द्वारा 'सूचना प्रौद्योगिकी में मानव संसाधन विकास' पर गठित कार्यबल की सिफारिशों के आधार पर अनेक कदम उठाए गए हैं। इसमें 'सूचना प्रौद्योगिकी विभाग' द्वारा 'बायो–इफार्मेटिक्स, वी.एल.एस.आई. डिजाइन और सूचना सुरक्षा, आई.टी.ई.एस./बी.पी.ओ. उद्योग की सहायता के लिए नैसकॉम द्वारा

सक्षमता कार्यक्रम का मूल्यांकन, बी.पी.ओ./आई.टी.ई.एस. क्षेत्र में रोजगार हेतु युवाओं की कौशल वृद्धि के लिए 'डोएक सोसाइटी' द्वारा पूर्वोत्तर और श्रीनगर/जम्मू में बी.पी.ओ.–आई.टी.ई.एस. पाठ्यक्रम जैसे प्रमुख क्षेत्रों में जनशक्ति तैयार करने के लिए किए गए अनेक उपाय शामिल हैं।

जम्मू और कश्मीर पर शांति वार्ता

*52. **श्री किसनभाई वी. पटेल :**

श्री अनन्त नायक :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधानमंत्री ने हाल ही में जम्मू–कश्मीर पर शांति वार्ता के लिए अलगाववादी नेताओं को आमंत्रित किया था;

(ख) यदि हां, तो उन नेताओं का ब्यौरा क्या है, जिन्होंने शांति वार्ता में भाग लिया और उनमें से प्रत्येक के साथ किन–किन मुद्दों पर चर्चा हुई; और

(ग) इस संबंध में लिए गए निर्णयों का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) से (ग) जी हां, श्रीमान। प्रधानमंत्री ने 5 सितम्बर, 2005 को मिरवाइज उमर फारुख के नेतृत्व में ऑल पार्टी हुर्रियत कांफ्रेंस (एपीएचसी) के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की थी। बातचीत के दौरान, प्रधानमंत्री ने जम्मू और कश्मीर से संबंधित सभी मुद्दों के शांतिपूर्ण हल में पुनः विश्वास जताया तथा सरकार के इस दृष्टिकोण को पुनः दोहराया कि लोकतंत्र में हिंसा की कोई भूमिका नहीं है। एपीएचसी प्रतिनिधिमंडल ने इस बात पर बल दिया कि बातचीत के जरिए सम्मानजनक और स्थायी हल ढूंढा जाना चाहिए। इस पर सहमति हुई कि आगे एकमात्र तरीका यह सुनिश्चित करना है कि सभी स्तरों पर सभी प्रकार की हिंसा को समाप्त किया जाए। बातचीत की प्रक्रिया को आगे बढ़ाए जाने पर भी सहमति हुई ताकि इसमें जम्मू और कश्मीर में सभी क्षेत्रों और राजनैतिक विचारधारा के सभी मतों को शामिल किया जा सके।

माननीय प्रधानमंत्री द्वारा एपीएचसी के साथ आयोजित वार्ताओं के अनुसरण में 3.10.2005 को श्रीनगर में संयुक्त छानबीन समिति की बैठक आयोजित की गई थी तथा जम्मू और कश्मीर लोक सुरक्षा अधिनियम, 1978 के अंतर्गत निरुद्ध व्यक्तियों के मामलों की समीक्षा की गई थी। समिति ने चवालिस (44) निरुद्ध व्यक्तियों को रिहा करने की सिफारिश की। राज्य सरकार ने सिफारिश को स्वीकार कर लिया तथा इन व्यक्तियों को रिहा करने के आदेश जारी कर दिए हैं।

प्रधानमंत्री ने 14 जनवरी, 2006 को पीपुल्स कांफ्रेंस के अध्यक्ष श्री सज्जाद लोन के नेतृत्व में एक छः सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ एक बैठक की थी। प्रधानमंत्री ने 17 फरवरी, 2006 को जम्मू एंड कश्मीर लिब्रेशन फ्रंट के नेता श्री यासिन मलिक के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल के साथ भी बैठक की।

सरकार इसे एक अच्छी शुरुआत मानती है और आशा करती है कि राज्य में सभी ग्रुपों के साथ वार्ता से जम्मू और कश्मीर के सभी मुद्दों का सम्मानजनक हल ढूंढा जा सकेगा।

सुनामी पीड़ितों को राहत

*53. **श्री ए. वी. बेल्लारमिन :**

श्री एम. अप्पादुरई :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा सुनामी प्रभावित राज्य सरकारों को राज्यों में राहत कार्य के लिए अभी तक जारी की गई धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या संबंधित राज्य सरकारों ने, विशेष रूप से तमिलनाडु में सभी सुनामी पीड़ितों और सुनामी में मरने वाले लोगों के कानूनी उत्तराधिकारियों को राहत की धनराशि वितरित की है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में राज्य–वार/संघ राज्य क्षेत्र–वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने प्रभावित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, विशेष रूप से तमिलनाडु में ऐसे राहत कार्यों की निगरानी हेतु अधिकारी नियुक्त किए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) से (ङ) भारत सरकार ने तत्काल राहत और कार्रवाई के लिए सहायता प्रदान करने, मत्स्य पालन और कृषि क्षेत्र का पुनरुद्धार करने, अस्थाई आश्रयों का निर्माण करने और आधारभूत ढांचे की मरम्मत/बहाली करने तथा अनाथों, अविवाहित लड़कियों, विधवाओं और अपंग व्यक्तियों को विशेष राहत प्रदान करने के लिए "सुनामी

प्रभावित क्षेत्रों के लिए राजीव गांधी पुनर्वास पैकेज" नामक एक विशेष पैकेज का अनुमोदन किया है। राजीव गांधी पुनर्वास पैकेज के तहत 3644.05 करोड़ रुपए की निधियों का क्षेत्र–वार और राज्य/संघ शासित क्षेत्र–वार आवंटन संलग्न विवरण में दिया गया है।

राज्य/संघ शासित सरकारें, राजीव गांधी पैकेज का कार्यान्वयन कर रही हैं। सुनामी प्रभावित राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को आवंटित की गई, जारी की गई और उनके द्वारा उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(करोड़ रुपए)

(31.12.2005 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	राजीव गांधी पैकेज के तहत आवंटित राशि	राजीव गांधी पैकेज के तहत आवंटित राशि	राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा खर्च की गई राशि
1.	तमिलनाडु	2347.19	811.52	713.52
2.	आन्ध्र प्रदेश	70.00	70.00	37.65
3.	केरल	249.36	100.00	103.19
4.	पांडिचेरी	155.62	70.83	69.14
5.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	821.88	697.91	377.79
	कुल	3644.05	1750.26	1301.29

राज्यों/संघ शासित सरकारों द्वारा सुनामी पीड़ितों को दी गई राहत राशि/भुगतान की गई अनुग्रह राशि का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(करोड़ रुपए)

(31.12.2005 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	मारे गए व्यक्तियों की संख्या	लापता व्यक्तियों की संख्या	राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों द्वारा अनुग्रह राशि के रूप में जारी की गई राशि
1.	तमिलनाडु	7995	945	67.65
2.	आन्ध्र प्रदेश	107	4	1.07
3.	केरल	176	–	2.02
4.	पांडिचेरी	601	36	5.17
5.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	436	3077	29.13

भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/संगठनों से संभारिकी सहायता से संबंधित राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा फील्ड में राहत और पुनर्वास कार्य शुरू किए गए हैं। राज्यों/संघ शासित सरकारों ने राज्य राहत आयुक्तों और समाहर्तालयों में पदनामित अधिकारियों के माध्यम से राहत और पुनर्वास के कई उपाय कार्यान्वित किए हैं। पैकेज का तेजी से कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावित राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों ने उचित कार्यान्वयन, निगरानी और समीक्षा तंत्र स्थापित किया है।

विवरण

सुनामी प्रभावित राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के लिए राजीव गांधी पुनर्वास पैकेज

(क) मुख्य भूमि

(रु. करोड़ में)

राज्य	सीआरएफ/ एनसीसीएफ से	अन्य मंत्रालय	मात्स्यकी क्षेत्र		फिशिंग हार्बर ग्रांट	आवास	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
आन्ध्र प्रदेश	19.53	13.00	27.66	7.51	–	2.30	70.00
केरल	84.10	23.21	44.85	34.13	13.07	50.00	249.36

1	2	3	4	5	6	7	8
तमिलनाडु	617.20	62.50	441.08	566.47	9.94	650.00	2347.19
उप जोड़	720.83	98.71	513.59	608.11	23.01	702.30	2666.55
पांडिचेरी	39.78	2.5	32.01	31.13	0.20	50.00	155.62
कुल जोड़	760.61	101.21	545.60	639.24	23.21	752.30	2822.17

टिप्पणी : मछलीपालन क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किए गए अतिरिक्त 91.13 करोड़ रुपए शामिल हैं। (तमिलनाडु 84.54 करोड़ रुपए, केरल 3.42 करोड़ रुपए, आन्ध्र प्रदेश 1.9 करोड़ रुपए और पांडिचेरी 2.16 करोड़ रुपए)

सीआरएफ – आपदा राहत निधि एनसीसीएफ – राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि

(ख) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह (रु. करोड़ में)

कवर की गई सहायता	धनराशि	टिप्पणी
(क) सीआरएफ/एनसीसीएफ मानदंडों के अनुसार सहायता	313.19	पेयजल आपूर्ति विभाग के बजट में से एआरडब्ल्यूएसपी से 15.37 करोड़ रुपए इसमें शामिल हैं।
(ख) मान की छूट के साथ मानदंडों के अंतर्गत कवर की गई सहायता	215.65	एसजीआरवाई के अंतर्गत 7.50 करोड़ रुपये के 7,500 मीट्रिक टन खाद्यान्न (चावल) इसमें शामिल हैं।
I. विशेष पैकेज के साथ मानदंडों के अंतर्गत कवर की गई सहायता		
(i) आर्थिक गतिविधि का पुनरुद्धार		
(क) मछुवारे	15.01	
(ख) कृषि	239.54	
(ii) अनाथ, विधवा, अपंग, अविवाहित लड़कियों का पुनर्वास	8.60	
(iii) प्रशासनिक और आधारभूत संरचना गतिविधि का तत्काल पुनःस्थापन	29.89	
कुल योग	821.88	

एआरडब्ल्यूएसपी : त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम। एसजीआरवाई : सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना।

(ग) कुल पैकेज (क+ख)=3644.05 करोड़ रुपए।

निजी क्षेत्र अवसंरचना विकास

*54. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार व्यय को वहन करने और सेवाओं की गुणवत्ता तथा सुपुर्दगी प्रणाली को सुधारने के लिए देश में अवसंरचना के विकास हेतु निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा दे रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा प्राप्त किए गए निजी निवेश का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार ने क्या प्रगति की है; और

(ग) इस प्रक्रिया में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां।

(ख) अवसंरचना क्षेत्र संबंधी उद्योगों में पिछले तीन वर्षों में केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा यथा अनुमानित सार्वजनिक और निजी क्षेत्र द्वारा सकल पूंजी निर्माण संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) अवसंरचना क्षेत्र में निजी भागीदारी को एक नीति और विनियामक रूपरेखा के द्वारा प्रोत्साहित किया जा रहा है जो अन्य बातों के साथ-साथ प्रतियोगिता तथा पारदर्शिता को प्रोत्साहित करती है। इसमें उपभोक्ता के हित का संरक्षण करने और ज्यादा निवेश आकृष्ट करने की आवश्यकता के बीच एक उपयुक्त संतुलन बनाए रखने की अपेक्षा की गई है।

विवरण

पिछले 3 वर्षों में अवसंरचना क्षेत्र संबंधी उद्योगों में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र द्वारा अनुमानित सकल पूंजी निर्माण

(करोड़ रुपये)

स्थिर मूल्यों (1999–2000)

क्र.सं.	उद्योग	2002–2003	2003–2004*	2004–2005**
1	2	3	4	5
1.	विद्युत, गैस और जल आपूर्ति			
	सार्वजनिक क्षेत्र	30276	39565	39497
	निजी क्षेत्र	10422	12532	14921
2.	निर्माण			
	सार्वजनिक क्षेत्र	5828	7135	5059
	निजी क्षेत्र	10387	9247	8116
3.	रेलवे			
	सार्वजनिक क्षेत्र	7960	9443	10609
	निजी क्षेत्र	–	–	–
4.	अन्य साधनों द्वारा परिवहन			
	सार्वजनिक क्षेत्र	3137	2814	2334
	निजी क्षेत्र	41872	43525	57427
5.	भंडारण			
	सार्वजनिक क्षेत्र	1210	877	723
	निजी क्षेत्र	151	323	268
6.	संचार			
	सार्वजनिक क्षेत्र	11276	5407	8420
	निजी क्षेत्र	4259	3004	5108

*अनंतिम अनुमान **त्वरित अनुमान

कामकाजी महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा

***55. श्री बच्ची सिंह रावत 'बच्चदा' :**
श्रीमती ज्योतिर्मयी सिकदर :

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय महिला आयोग को कामकाजी महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा के संबंध में एक विधेयक का मसौदा तैयार करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय महिला आयोग की हाल ही में 'बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग' में कार्यरत कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर ऐसे संगठनों के प्रमुखों के साथ बैठक हुई है;

(घ) यदि हां, तो इस चर्चा के क्या परिणाम निकले; और

(ङ) बीपीओ सहित महिलाओं के कार्य-स्थलों पर उनकी सुरक्षा के लिए अधिनियमित किए जाने वाले प्रस्तावित कानून का ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी) : (क) और (ख) सरकार ने वर्ष 2004 में राष्ट्रीय

महिला आयोग से अनुरोध किया था कि आयोग उच्चतम न्यायालय द्वारा विशाखा मामले में अगस्त 1997 में निर्धारित किए गए दिशानिर्देशों एवं मानकों का स्थान लेने के लिए कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से महिलाओं के संरक्षण का अधिकार सुनिश्चित करने वाले कानून का प्रारूप तैयार करें। राष्ट्रीय महिला आयोग ने उक्त विषय पर विधेयक का प्रारूप अगस्त 2004 में सरकार को प्रस्तुत किया। तत्पश्चात् कुछ महिला अधिकार संगठनों ने इसी विषय पर विधेयक का एक अन्य प्रारूप सरकार को मार्च 2005 में प्रस्तुत किया, जिसे अंतिम रूप देने के अनुरोध के साथ सरकार ने राष्ट्रीय महिला आयोग को भेज दिया। आयोग ने उक्त विधेयक को अंतिम रूप प्रदान करके हाल ही में सरकार को प्रस्तुत किया है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय महिला आयोग ने सरकार को सूचित किया है कि आयोग ने बी.पी.ओ. कंपनियों/कॉल सेंटरों में कार्य करने वाली महिलाओं की समस्याओं से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए बी.पी.ओ. कंपनियों, कॉल सेंटरों के प्रतिनिधियों तथा दिल्ली/गुड़गांव/नोएडा के संबंधित पुलिस प्राधिकारियों के साथ दिनांक 17.1.2006 को विचार-विनिमय बैठक का आयोजन किया था। उक्त बैठक में किए गए विचार-विमर्श के आधार पर आयोग ने बी.पी.ओ. कंपनियों/कॉल सेंटरों की महिला कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु दिशानिर्देश तैयार किए हैं तथा इन दिशानिर्देशों को बी.पी.ओ. कंपनियों के संघों, दिल्ली, हैदराबाद, बंगलौर, पुणे, मुम्बई और चेन्नई तथा इन शहरों के आस-पास स्थित सभी बी.पी.ओ. कंपनियों को अनुपालन हेतु भेजा जा रहा है।

(ङ) राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं को यौन उत्पीड़न से संरक्षण का अधिकार प्रदान करने तथा यौन उत्पीड़न की समस्या के निवारण एवं समाधान के उद्देश्य से 'कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध एवं समाधान) विधेयक 2006' का प्रारूप हाल ही में सरकार को भेजा है।

[हिन्दी]

एल्युमिनियम का उत्पादन

*56. **श्री ब्रजेश पाठक** : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष एल्युमिनियम उत्पादक इकाइयों द्वारा कुल कितने एल्युमिनियम का उत्पादन किया गया है;

(ख) क्या देश में उत्पादित एल्युमिनियम देश की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसका उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

खान मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान, प्राथमिक एल्युमिनियम उत्पादक इकाइयों द्वारा उत्पादित एल्युमिनियम की कुल मात्रा निम्नानुसार रही है :

वर्ष	उत्पादन (मैट्रिक टन में)
2002-03	6,9,168
2003-04	8,16,110
2004-05	8,83,472

(ख) जी, हां।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

अनुसूचित जनजाति की सूची में जनजातियों को सूचीबद्ध करना

*57. **डॉ. अरुण कुमार शर्मा** : क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास विभिन्न राज्य सरकारों से, विशेषकर असम सरकार से, कुछ जनजातियों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने संबंधी कोई अनुरोध लंबित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी जनजातियों के क्या नाम हैं;

(ग) क्या अनुसूचित जनजाति की सूची में सूचीबद्ध किए जाने हेतु निर्धारित मानदंडों को पूरा करने वाली जनजातियों के संबंध में कोई निर्णय लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी. आर. किंडिया) : (क) और (ख) इस मंत्रालय को असम सहित विभिन्न राज्यों एवं अन्य स्रोतों से कतिपय समुदायों को जिनकी संख्या संलग्न विवरण में दी गई हैं, अनुसूचित जनजातियों की सूची

में शामिल करने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं। जब तक समुदायों को अनुसूची में शामिल नहीं किया जाता, उन्हें अनुसूचित जनजाति नहीं माना जाता।

(ग) और (घ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के लिए केवल वास्तविक मामले ही लिए जाएं, सम्मिलित करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया में तीन स्वतंत्र अभिकरणों यथा : संबंधित राज्य सरकार/संघ शासित प्रशासन, भारत के महापंजीकार तथा अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित समुदाय द्वारा निर्धारित मानदंड पूरा करने संबंधी रिपोर्ट आवश्यक होती है। केवल उन्हीं मामलों को संविधान में संशोधन के माध्यम से आमेलन के लिए शामिल किया जाता है, जिन पर उपर्युक्त तीनों अभिकरण सहमत हो गए हों। नए संशोधन अर्थात् अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन अधिनियम, 2002 में इस प्रक्रिया का पालन करते हुए 20 राज्यों की अनुसूचित जनजाति की सूची में 142 संशोधन किए जा चुके हैं तथा शेष प्रस्तावों पर ऐसे दावों पर निर्णय के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की गई है।

विवरण

प्रस्तावों की राज्यवार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्रस्तावों की संख्या*
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	95
2.	अरुणाचल प्रदेश	24
3.	असम	113
4.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	2
5.	बिहार	35
6.	झारखंड	43
7.	चंडीगढ़	17
8.	दिल्ली	1
9.	दादरा व नगर हवेली	3
10.	दमन व दीव	2
11.	गोवा	13
12.	गुजरात	14
13.	हरियाणा	4
14.	हिमाचल प्रदेश	14
15.	जम्मू व कश्मीर	11
16.	कर्नाटक	54
17.	केरल	59
18.	लक्षद्वीप	1
19.	मध्य प्रदेश	35
20.	छत्तीसगढ़	11
21.	मणिपुर	28
22.	मेघालय	17
23.	महाराष्ट्र	90
24.	मिजोरम	7
25.	नागालैंड	24
26.	उड़ीसा	88
27.	पांडिचेरी	11
28.	पंजाब	13
29.	राजस्थान	18
30.	सिक्किम	8
31.	तमिलनाडु	70
32.	त्रिपुरा	12
33.	उत्तर प्रदेश	37
34.	उत्तरांचल	22
35.	पश्चिम बंगाल	20
	कुल	1016

*प्रतिनिधित्व के जाति/समुदायवार आंकड़े नहीं रखे जाते।

महिलाओं के प्रति अत्याचार

*58. **श्री प्रबोध पाण्डा :**

श्री रूपचन्द मुर्मू :

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय महिला आयोग को विभिन्न राज्यों से महिलाओं के प्रति किए जा रहे विभिन्न प्रकार के अपराधों/उत्पीड़न से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन पर राज्यवार क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) सरकार/राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा आरोपितों के विरुद्ध क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) सरकार द्वारा भविष्य में ऐसे मामलों को रोकने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी) : (क) जी, हां।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान, आज तक, राष्ट्रीय महिला आयोग को प्राप्त मामलों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। आयोग, जिस किसी मामले में महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार के साक्ष्य मिलते हैं, राज्य सरकारों को दोषी व्यक्तियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की अनुशंसा करता है।

(ग) और (घ) संविधान के अनुसार, कानून व व्यवस्था तथा अन्य आपराधिक मामले राज्य के विषय हैं और इस प्रकार संबंधित अधिनियमों का क्रियान्वयन राज्य सरकारों तथा उनके अधीन तंत्रों का उत्तरदायित्व है। महिलाओं के खिलाफ अपराधों का पंजीकरण, अन्वेषण, अभिज्ञान तथा निवारण मुख्य रूप से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों का उत्तरदायित्व है। तथापि, भारत सरकार द्वारा ऐसे अपराधों को रोकने के लिए कई उपाय किए गए हैं, जैसे :

- महिलाओं को घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम, 2005 को अधिनियमित किया, जो परिवार में होने वाली किसी भी प्रकार की हिंसा से पीड़ित महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों को और अधिक कारगर तरीकें से संरक्षण प्रदान करता है।
- व्यथित महिलाओं के लिए स्वाधार स्कीम के अंतर्गत हेल्पलाइनों की स्थापना।
- आश्रय, अनुरक्षण, परामर्श, क्षमता विकास, व्यावसायिक प्रशिक्षण, चिकित्सा सहायता तथा अन्य सेवाएं प्रदान करने वाली अल्पावास गृह और स्वाधार जैसी स्कीमों के माध्यम से हिंसा पीड़ितों को सहायता सेवाएं।
- अवैध देह व्यापार के पीड़ितों को छुड़ाने एवं उनके पुनर्वास के साथ–साथ देह व्यापार के स्रोत क्षेत्रों में विशेष स्कीमों के माध्यम से निवारण हेतु सहायता प्रदान करने के लिए सहायतानुदान स्कीम।
- राष्ट्रीय एवं राज्य महिला आयोगों के माध्यम से शिकायतों का समाधान।
- कानूनी साक्षरता तथा कानूनी जागरूकता शिविरों का आयोजन।
- (i) जागरूकता विकास तथा समर्थन और (ii) राष्ट्रीय महिला कोष, स्व–शक्ति परियोजना, स्वयंसिद्धा परियोजना, स्वावलम्बन कार्यक्रम तथा प्रशिक्षण एवं रोजगार कार्यक्रम हेतु सहायता (स्टेप) कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण हेतु स्कीमों का कार्यान्वयन।
- महिलाओं के प्रति भेदभावपरक प्रावधानों को हटाने तथा महिलाओं के साथ अपराधों के लिए दंड में वृद्धि करने के उद्देश्य से कानूनों की समीक्षा।
- न्यायपालिका, पुलिस एवं नागरिक प्रशासन को महिला मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाना।
- महिलाओं पर अत्याचारों के संबंध में राष्ट्रीय महिला आयोग सहित विभिन्न स्रोतों से प्राप्त मामलों की रिपोर्टों का केन्द्र एवं राज्य सरकारों के संबद्ध प्राधिकारियों के साथ अनुवर्तन।

संबंधित अधिनियमों में विधायी संशोधनों के अलावा, महिलाओं के खिलाफ अपराधों से संबंधित कानूनों का कारगर प्रवर्तन करने तथा प्रवर्तन का प्रबोधन करने और दाण्डिक न्याय प्रणाली के प्रशासन में सुधार की ओर और अधिक न्याय केन्द्रित करने और महिलाओं एवं समाज के अन्यक मजोर वर्गों के विरुद्ध अपराधों के निवारण हेतु आवश्यक उपाय करने के लिए राज्य सरकारों/संघ

राज्य क्षेत्र प्रशासनों को निर्देश/दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। सुझाए गए उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :

- महिलाओं के संरक्षण का दायित्व संभालने वाले पुलिस अधिकारियों को संवेदनशील बनाना।
- दहेज संबंधी हिंसा विरोधी कानून का कठोर प्रवर्तन।
- पुलिस थानों में महिला पुलिस प्रकोष्ठों तथा विशेष रूप से महिला थानों की स्थापना।
- हिंसा पीड़ितों को संस्थागत सहायता प्रदान करना।
- बलात्कार पीड़ितों को परामर्श प्रदान करना।
- महिलाओं के अवैध देह व्यापार के उन्मूलन हेतु उपाय करना। राज्यों से अवैध देह व्यापार के मामलों में सलाह देने के लिए राज्य सलाहकार समितियों का गठन करने के लिए भी कहा गया है।
- अधिकाधिक महिला पुलिस अधिकारियों की भर्ती सुनिश्चित करना।
- पुलिस कर्मियों को महिलाओं पर अत्याचारों से संबंधित विशेष कानूनों का प्रशिक्षण प्रदान करना।
- त्वरित विचारण न्यायालयों की स्थापना।
- परिवार न्यायालयों की स्थापना।
- राज्य सरकारों द्वारा दहेज प्रतिषेध अधिकारियों की नियुक्ति तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 के अंतर्गत नियमों की अधिसूचना जारी करना।

विवरण

गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय महिला आयोग को प्राप्त शिकायतों का विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	प्राप्त शिकायतों की संख्या			
		2003	2004	2005	2006*
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	30	32	94	14
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	1	–	–
3.	असम	12	5	24	6
4.	बिहार	443	369	618	64
5.	छत्तीसगढ़	37	34	86	13
6.	गोवा	4	3	7	–
7.	गुजरात	20	20	53	6
8.	हरियाणा	274	198	560	63
9.	हिमाचल प्रदेश	16	17	70	5
10.	जम्मू व कश्मीर	12	7	12	–
11.	झारखंड	81	64	160	20
12.	कर्नाटक	20	6	47	2

1	2	3	4	5	6
13.	केरल	23	0	20	–
14.	मध्य प्रदेश	340	346	683	60
15.	महाराष्ट्र	13	102	255	36
16.	मणिपुर	–	–	3	–
17.	मेघालय	1	–	2	–
18.	मिजोरम	–	–	1	–
19.	नागालैंड	1	1	–	–
20.	उड़ीसा	46	13	81	9
21.	पंजाब	52	32	141	14
22.	राजस्थान	28	327	1044	116
23.	सिक्किम	–	–	–	–
24.	तमिलनाडु	42	35	83	9
25.	त्रिपुरा	–	–	2	–
26.	उत्तर प्रदेश	2801	3236	5587	693
27.	उत्तरांचल	243	196	274	59
28.	पश्चिम बंगाल	52	24	100	12
29.	अंडमान व निकोबार	1	2	3	–
30.	चंडीगढ़	8	6	8	–
31.	दादरा एवं नगर हवेली	–	2	2	2
32.	दमन एवं दीव	–	1	2	2
33.	दिल्ली	713	673	1578	172
34.	लक्षद्वीप	–	–	–	–
35.	पांडिचेरी	1	1	5	–
	कुल	5700	5753	11610	1375

*फरवरी 2006 तक

भारतीय प्रबंधन संस्थानों और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में छात्रों का प्रवेश

*59. **डा. एम. जगन्नाथ** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में देश में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और भारतीय प्रबंधन संस्थानों में चलाए जा रहे विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या में वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन संस्थानों में प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या में हुई वृद्धि के लिए उपलब्ध अवसंरचना और सुविधाएं पर्याप्त हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई करने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) और (ख) भारतीय प्रबंधन संस्थानों और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में दाखिला क्षमता में वृद्धि करने का निर्णय इन संस्थानों के शासी निकायों द्वारा लिया जाता है। सात भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में संचालित अवर स्नातक तथा स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में पिछले तीन वर्ष के दौरान हुए दाखिलों को एक साथ देखने पर यह वृद्धि की ओर संकेत करते हैं। इसी तरह 6 भारतीय प्रबंधन संस्थानों में इसी अवधि के दौरान प्रबन्धन में स्नातकोत्तर कार्यक्रम में हुए दाखिले भी वृद्धि की ओर संकेत करते हैं।

(ग) और (घ) इन संस्थानों में आधारभूत सुविधाओं का स्तरोन्नयन करना एक सतत प्रक्रिया है। वे इस बात को सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं कि किसी भी विद्यार्थी को बुनियादी सुविधाओं के अभाव में नुकसान न हो।

[हिन्दी]

उत्तर-पूर्व क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री का विशेष आर्थिक पैकेज

*60. **श्री मोहन सिंह** : क्या उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधानमंत्री ने उत्तर-पूर्व क्षेत्र के विकास के लिए, राज्यवार विशेषकर असम के लिए किसी विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या धनराशि जारी करने और निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार उत्तर-पूर्व के राज्यों को विद्युत उत्पादन का केंद्र बनाने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय मंत्री (श्री पी. आर. किंडिया) : (क) और (ख) जी, हां। विवरण-I संलग्न है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) विद्युत मंत्रालय से प्राप्त सूचना पर आधारित विवरण-II संलग्न है।

विवरण-I

प्रधानमंत्री जी ने उत्तर पूर्वी राज्यों का दौरा किया और नवंबर 2004 में असम और मणिपुर और अक्टूबर 2005 में त्रिपुरा नामक तीन राज्यों में सामाजिक-आर्थिक पैकेजों की घोषणा की। इन घोषणाओं के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :

क्र.सं.	घोषणाएं
1	2
	असम
1.	चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, बाढ़ से हुई हानि के मरम्मत कार्य और अवसंरचना विकास के लिए 240 करोड़ रुपये की विशेष योजनागत सहायता
2.	2009-10 तक लमडिंग-सिल्चर-जिरीबाम रेल पथ का ब्रॉड गेज में परिवर्तन
3.	नागोन-जोरहाट-डिब्रूगढ़ स्ट्रेच पर प्राथमिकता के आधार पर एन एच-37 को चार लेन वाला बनाना

1	2
4.	9 राष्ट्रीय राजमार्गों (एन एच–36, 51, 52, 53, 54, 61, 152, 153, और 154) को प्राथमिकता के आधार पर दोहरी लेन वाला बनाना
5.	इस वर्ष के अंत तक गुवाहाटी और बैंकाक के बीच सप्ताह में दो उड़ानें शुरू करना
6.	भारतीय गैस प्राधिकरण (जीएआईएल) असम गैस क्रैकर परियोजना के लिए एक परियोजना रिपोर्ट तैयार करेगी और प्रस्तुत करेगी ताकि शीघ्र ही अंतिम निर्णय लिया जा सके। भारत सरकार प्रक्रिया को तीव्र करेगी।
7.	राष्ट्रीय खेल 2005 के लिए वित्तीय सहायता और अन्य सहायता उपलब्ध कराई जाएगी
8.	ग्रामीण स्वास्थ्य रक्षा में सुधार के लिए शुरू किए जाने वाली नई केन्द्रीय पहल के तहत असम को भी शामिल किया जाएगा
9.	गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज, असम मेडिकल कॉलेज और सिल्चर मेडिकल कॉलेज का आधुनिकीकरण
10.	अव्यपगत केन्द्रीय संसाधन पूल (एनएलसीपीआर) और पूर्वोत्तर परिषद (एनईसी) परियोजनाओं के लिए परियोजना अनुमोदन प्रक्रिया और निधियां जारी करने की प्रक्रियाओं का विलंब घटाने के लिए उनको नया रूप दिया जाएगा
11.	पूर्वोत्तर परिषद को एक प्रभावी क्षेत्रीय योजना निकाय के रूप में सेवा और इसे क्षेत्रीय आवश्यकताओं के लिए और अधिक प्रतिनिधि बनाने के लिए इसे नया रूप दिया जाएगा
12.	2009 तक 100% ग्रामीण विद्युतीकरण प्राप्त करने के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु सहायता बढ़ाना
13.	माइक्रो हाइडल परियोजनाएं स्थापित करने के लिए राज्य सरकारों की सहायता की जाएगी
14.	योजना आयोग द्वारा, राज्य सरकार और अन्य निकायों से परामर्श करके रोजगार के लिए एक खाका (ब्लू प्रिंट) तैयार किया जाएगा
15.	प्रभावी बाढ़ नियंत्रण, विद्युत उत्पादन, सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने और अवसंरचना विकास के लिए सरकार एक सुसंबद्ध, स्वायत्त और स्वनियंत्रित संस्था नामतः ब्रह्मपुत्र घाटी प्राधिकरण या पूर्वोत्तर जल संसाधन प्राधिकरण स्थापित करने पर विचार करेगी। प्रबंधकीय और वित्तीय स्वायत्त, उच्च कोटि की जनशक्ति से सज्जित और संसदीय स्वीकृति से समर्थित ऐसा निकाय, जिसको प्रबंधकीय एवं वित्तीय स्वायत्तता प्राप्त होगी वह क्षेत्र के कायाकल्प में बहुत सहायक हो सकता है और यह असम को 'न्यू डील' उपलब्ध कराने में काफी सहायक हो सकता है
16.	बाढ़ राहत और पेय जल आपूर्ति के लिए 45 करोड़ रुपये स्वीकृत किए जा रहे हैं
17.	माजूली द्वीप को बाढ़ और भूक्षरण से बचाने के लिए पहले चरण में 41 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। बाद के कार्यों के लिए अतिरिक्त निधियां भी जारी की जाएंगी
18.	आईटीपीओ द्वारा गुवाहाटी ट्रेड सेंटर स्थापित किया जाएगा और बाद में उसे असम सरकार को सौंप दिया जाएगा
19.	चाय उद्योग की सहायता के लिए शीघ्र ही पैकेज की घोषणा की जाएगी
20.	एक वर्ष के भीतर 20,500 स्वसहायता समूहों को नाबार्ड द्वारा बैंक ऋण उपलब्ध कराया जाएगा
21.	सड़कों और पुलों के सुधार के लिए बाह्य सहायता पर सकारात्मक रूप से विचार किया जाएगा
22.	12वें वित्त आयोग की रिपोर्ट मिलने के पश्चात् राज्य की वित्त व्यवस्था की पुनर्संरचना पर विचार किया जाएगा

मणिपुर

1.	सड़क अवसंरचना के उन्नयन के लिए मारम–पारन सड़क को दोहरी लेन का बनाना
2.	सात जिला मुख्यालयों (इम्फाल को छोड़कर अन्य सभी जिले) और कोंगपोकपी, मोरे और जिरीबाम में एडीसी के तीन मुख्यालयों में लघु सचिवालयों, आवासीय क्वार्टरों, आंतरिक सड़कों और अन्य सुविधाओं का विकास
3.	न्यू स्टेट कैपिटल कॉम्प्लैक्स का निर्माण
4.	16 सड़कों को चौड़ा करना और सुधार करना

1	2
5.	जिरीबाम–तुपुल (इम्फाल के नजदीक रेलपथ)
6.	मणिपुर विश्वविद्यालय का केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनना
7.	कॉलेज ऑफ टैक्नोलोजी, इम्फाल को एक नए केन्द्रीय विश्वविद्यालय का घटक कॉलेज बनाना
8.	गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टैक्नोलोजी के लिए अवसंरचना विकास
9.	मौजूद सुविधाओं के एकबारगी रखरखाव और मरम्मत सहित खुमान लम्पक में एक खेल अकादमी की स्थापना
10.	सभी उप–प्रभागीय मुख्यालयों में एलपीजी आउटलेट्स खोलना
11.	अगले चार वर्षों के दौरान राज्य के सभी जनजातीय गांवों का विद्युतीकरण किया जाएगा। ये कार्यक्रम प्राथमिकता के आधार पर कार्यान्वित किया जाएगा
12.	ग्रामीण स्वास्थ्य रक्षा सुधार के लिए 'नई केन्द्रीय पहल' के तहत शामिल राज्यों में मणिपुर को भी शामिल किया जाएगा
13.	सिंचाई के विस्तार के लिए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत बाह्य सहायता के साथ डोलायथाबी बांध का निर्माण
14.	सिंचाई के विस्तार के लिए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत बाह्य सहायता के साथ खुग्गा एवं थोउबल सिंचाई परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करना
15.	कृषि, पशुपालन, मत्स्यपालन आदि के लिए 15,000 लोगों को रियायती ऋण के लिए विशेष रोजगार सृजन कार्यक्रम
16.	लोकटक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर परियोजना (90 मे.वा.)

त्रिपुरा

1	2
1.	एनएच–44, चार लेन वाला होगा और इसकी रेल पथ के साथ–साथ सीधी अलाइनमेंट होगी
2.	सभी जिलों को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ा जाएगा
3.	अगरतला को पूर्व पश्चिम गलियारे के साथ गुवाहाटी के नजदीक एनएच–37 पर जोराबाद के साथ जोड़ा जाएगा
4.	कुमारघाट–अगरतला लाइन मार्च 2007 तक पूरी कर ली जाएगी
5.	मीटर गेज को ब्रॉड गेज में बदलने के मामले को देखने के लिए योजना आयोग को कहा जाएगा
6.	एसएसए में राज्यों की हिस्सेदारी 25 प्रतिशत की बजाय अब 10% होगी
7.	त्रिपुरा इंजीनियरिंग कॉलेज का एक एनआईटी के रूप में उन्नयन
8.	बांग्लादेश के माध्यम से रेल और सड़क पारगमन की पुनर्बहाली
9.	भारत निर्माण के तहत 3 वर्षों में सभी गांवों को शामिल कर लिया जाएगा
10.	स्टेट कैपिटल कॉम्प्लैक्स के निर्माण के लिए डोनर द्वारा निधियन तीव्र किया जाएगा

विवरण-II

उत्तर पूर्वी क्षेत्र में 33,140 मे.वा. (80 प्रतिशत एलएफ पर) क्षमता की विशाल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर संभाव्यताएं हैं। वर्तमान में एनई क्षेत्र में 1178.7 मे.वा. क्षमता (3 मे.वा. से अधिक स्टेशन क्षमता सहित) की कुल स्थापित क्षमता सहित 20 जल विद्युत स्कीमें चल रही हैं। इसके अतिरिक्त कुल 152 मे.वा. की स्थापित क्षमता सहित 89 छोटी हाइड्रो स्कीमें प्रचालन में हैं।

3444 मे.वा. की कुल स्थापित क्षमता के साथ स्वीकृत 7 जल विद्युत परियोजनाएं चल रही हैं। 1155.84 मे.वा. की क्षमता बढ़ाने के कार्यक्रम में से 10वीं योजना के दौरान 125 मे.वा. उपलब्ध होने वाली है। 6741 मे.वा. की कुल क्षमता सहित 21 हाइड्रो और 1351.92 मे.वा. की कुल क्षमता वाली 7 थर्मल परियोजनाओं की 11वीं योजना में शुरुआत करने के लिए पहचान की गई है। इसके अतिरिक्त 30,959 मे.वा. की कुल स्थापित क्षमता की 46 संभाव्य हाइड्रो परियोजनाएं हैं, जिन पर 12वीं योजना के दौरान उत्तर पूर्वी क्षेत्र और सिक्किम के लिए पूरा/आंशिक लाभ प्राप्त करने के लिए विचार किया जा रहा है।

जैसा कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र में विद्युत की मांग अधिक नहीं है, आशा की जाती है कि एनईआर में भावी परियोजनाओं से ज्यादातर

बिजली एनई एवं डब्ल्यूआर जैसे देश के कम बिजली वाले अन्य क्षेत्रों को 18 कि.मी. लंबे और 22 कि.मी. चौड़े, संकरे क्षेत्र के माध्यम से स्थानांतरित कर दी जाएगी, जहां पर कठिन मार्ग बाधाएं हैं। उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विशाल विद्युत उत्पादन की संभाव्यता और संचार गलियारे की सीमित उपलब्धता के कारण क्षेत्र में जैसे ही अधिक से अधिक विद्युत उत्पादन संसाधनों का दोहन किया जाएगा संचार व्यवस्था के उन्नयन की आवश्यकता होगी। उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में संचार व्यवस्था को विकसित करने के लिए आने वाली परियोजनाओं का सीईए द्वारा मास्टर प्लान विकसित किया जा रहा है।

व्यावसायिक शिक्षा

*61. **श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील :**

श्री प्रभुनाथ सिंह :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार माध्यमिक और विश्वविद्यालय स्तर पर शुरू किए गए व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का पुनरीक्षण करने का है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे पाठ्यक्रमों का ब्यौरा क्या है और इन्हें कब से शुरू किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या विद्यालयों में व्यावसायिक प्रशिक्षण शुरू करने तथा बच्चों को ड्रेस डिजाइनिंग, टेलरिंग इत्यादि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण देने में अनुभवी शिक्षकों को नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) वर्ष 2005–06 के दौरान राज्यवार कितनी व्यावसायिक संस्थाएं खोलने का प्रस्ताव है;

(च) गत तीन वर्षों के दौरान और तत्पश्चात आज तक व्यावसायिक पाठ्यक्रमों हेतु जिन राज्यों को धनराशि जारी की गई है उनका राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(छ) वर्ष 2006–07 हेतु इस उद्देश्य के लिए कितनी राशि आवंटित किए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) और (ख) माध्यमिक और विश्वविद्यालय स्तरों पर व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का निर्धारण तथा संशोधन क्रमशः माध्यमिक शिक्षा बोर्डों और विश्वविद्यालयों द्वारा किया जाता है।

(ग) और (घ) माध्यमिक शिक्षा को व्यावसायोन्मुख बनाने की केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक योजना पहले ही 1987–88 से संचालित की जा रही है।

(ङ) उपर्युक्त योजना के तहत वर्ष 2005–06 के दौरान केवल दो नए स्कूलों (चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में स्थित) में व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया है।

(च) वर्ष 2002–03 से 2005–06 तक उपर्युक्त योजना के तहत राज्यवार जारी किए गए अनुदान को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(छ) वर्ष 2006–07 हेतु केन्द्रीय बजट प्रस्तुत करने के बाद ही वर्ष 2006–07 के लिए उपर्युक्त योजना हेतु वित्तीय आवंटन का पता चलेगा।

विवरण

+2 स्तर पर माध्यमिक शिक्षा को व्यावसायोन्मुख बनाने की केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना

वर्ष 2002–2003 से 2005–2006 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दिया गया अनुदान

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2002–2003	2003–2004	2004–2005	2005–2006 (10 फरवरी, 2006 की स्थिति के अनुसार)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	–	–	500.55	–
2.	गुजरात	467.58	–	–	–
3.	हरियाणा	329.00	27.90	67.23	–
4.	जम्मू और कश्मीर	–	–	599.69	–

1	2	3	4	5	6
5.	केरल	–	247.20	1425.00	–
6.	मणिपुर	–	47.65	–	–
7.	मिजोरम	–	8.79	150.00	538.00
8.	सिक्किम	291.48	–	–	118.05
9.	त्रिपुरा	–	–	66.68	–
10.	उत्तर प्रदेश	375.00	375.00	–	–
11.	चंडीगढ़	–	–	–	7.00
	योग		706.54	2809.15	663.05

आदिवासियों का पुनर्वास

234. श्री कैलाश मेघवाल : क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को राजस्थान सरकार से वहां के जंगलों में बसे आदिवासियों के पुनर्वास हेतु धनराशि मंजूर करने और राज्य के गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम में तेजी लाने हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और उनके द्वारा अलग-अलग कितनी धनराशि मांगी गई है; और

(ग) सरकार द्वारा इन प्रस्तावों को कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी. आर. खिंडिया) : (क) वनों में रहने वाली जनजातियों के पुनर्वास हेतु किसी धनराशि की मंजूरी के लिए जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग, राजस्थान सरकार से भारत सरकार को कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

जम्मू और कश्मीर में भूकंप

235. श्री अब्दुल रशीद शाहीन : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी केन्द्रीय दल ने जम्मू और कश्मीर में भूकंप के कारण जानमाल की हानि का कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रभावित व्यक्तियों को स्वीकृत/जारी की गई सहायता का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने जम्मू और कश्मीर के भूकंप प्रभावित लोगों के लिए विदेशी सहायता स्वीकार की है;

(ङ) यदि हां, तो किन-किन विदेशी गैर-सरकारी संगठनों ने जम्मू और कश्मीर में भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में जिले-वार सहायता की और काम किया;

(च) क्या भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में दी गई सहायता के दुरुपयोग के काफी मामले सामने आए थे;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) सहायता का ऐसा दुरुपयोग रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) और (ख) भूकम्प प्रभावित क्षेत्रों में स्थिति और राहत अभियानों के लिए निधियों की आवश्यकता का आकलन करने के लिए एक अंतर-मंत्रालयी केन्द्रीय टीम जम्मू और कश्मीर भेजी गई थी। केन्द्रीय टीम की रिपोर्ट के अनुसार 1216 व्यक्ति मारे गए, 28,281 मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुए और 71,810 घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए।

(ग) भारत सरकार ने आपदा राहत निधि (सीआरएफ) से केन्द्रीय अंशदान की दूसरी किस्त के रूप में 32.42 करोड़ रुपए की अग्रिम राशि प्रदान करने के अलावा राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि (एनसीसीएफ) से अभी तक 300.28 करोड़ रुपए 'आन एकाउन्ट' जारी किए हैं। एनसीसीएफ से यदि और सहायता की आवश्यकता होगी तो उस पर उच्च स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित मदों और सीआरएफ/एनसीसीएफ के मानदंडों के आधार पर विचार किया जाएगा। क्षतिग्रस्त आधारभूत ढांचे के दीर्घकालीन पुनर्वास और पुनर्निर्माण हेतु राज्य सरकार की आवश्यकता पर उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) की अध्यक्षता में गठित अन्तर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी) द्वारा विचार किया जा रहा है।

(घ) और (ङ) जम्मू और कश्मीर सरकार और संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों से सूचना एकत्र की जा रही है।

(घ) से (ज) भूकम्प प्रभावित क्षेत्रों में दी गई सहायता के दुरुपयोग के बारे में गृह मंत्रालय को कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग को निर्यात संवर्धन परिषद का दर्जा देना

238. श्री जी. करुणाकर रेड्डी : क्या **कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग को निर्यात संवर्धन परिषद का दर्जा देने की महती आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई कदम उठाए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या परिणाम हैं?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) से (घ) इस संबंध में एक प्रस्ताव सरकार को प्राप्त हुआ है और विचाराधीन है।

विज्ञान प्रयोगशालाओं को उन्नत बनाना

237. श्री चंद्रकांत खैरे : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान आज तक विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों विशेषकर महाराष्ट्र में सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त माध्यमिक–उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान प्रयोगशालाओं को उन्नत बनाने हेतु कुल कितनी धनराशि की सहायता प्रदान की गई?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : वर्ष 2002–03 से 2005–06 तक स्कूलों में नई विज्ञान प्रयोगशालाएं स्थापित करने तथा विज्ञान प्रयोगशालाओं को स्तरोन्नत करने के लिए विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई निधियों का ब्यौरा इस प्रकार है :

वर्ष	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	जारी की गई निधियां (रु. लाख में)
1	2	3
2002–03	छत्तीसगढ़	108.60
	कर्नाटक	432.00
	असम	584.59
	दादरा और नगर हवेली	4.90
2003–04	केरल	171.00
	मेघालय	172.50
2004–05	मिजोरम	54.00
2005–06	–	शून्य

सीमा को पुनः खोलना

238. श्री एस. के. खारवेनथन : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पड़ोसी देशों के साथ हमारी कितनी सीमाएं बंद पड़ी हैं और इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार का ऐसी सीमाओं को पुनः खोलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी सीमावार ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) पड़ोसी देशों के साथ हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से प्रवेश करने/बाहर जाने की अनुमति, नामोद्दिष्ट आप्रवासन जांच चौकियों/भूमि सीमा शुल्क स्टेशनों के माध्यम से दी जाती है।

(ख) और (ग) मुनाबाओ (राजस्थान) में भारत–पाकिस्तान सीमा को 18 फरवरी, 2006 से पुनः खोलने का निर्णय लिया गया है। चीन के साथ सीमा व्यापार विस्तार ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के बाद सिक्किम में नाथूला दर्रे को सीमा व्यापार केन्द्र के रूप में जोड़ा गया है।

आरंभिक शिक्षा की गुणवत्ता

239. श्री असादूद्दीन ओवेसी :
श्री बृज किशोर त्रिपाठी :
श्री निखिल कुमार :
श्री अधीर चौधरी :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग द्वारा जारी की गई शिक्षा संबंधी वार्षिक स्थिति रिपोर्ट (ए.एस.ई.आर.) के अनुसार आरंभिक शिक्षा की गुणवत्ता ग्रामीण भारत में संतोषजनक स्तर की नहीं है जैसा कि 19 जनवरी, 2006 के 'दि टाइम्स ऑफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) सरकार द्वारा ग्रामीण भारत में आरंभिक शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार ने हाल ही में सर्व शिक्षा विद्यालयों का सर्वेक्षण कराया है और यह पाया है कि इन विद्यालयों के विद्यार्थी अनेक समस्याओं का सामना कर रहे हैं जैसा कि 26 जनवरी, 2006 के 'दि टाइम्स ऑफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार ने सर्व शिक्षा विद्यालयों की समस्याओं की निगरानी करने का निर्णय लिया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (छ) शिक्षा रिपोर्ट के वार्षिक सर्वेक्षण के निष्कर्ष, भारत सरकार के अपने डाटाबेस तथा शिक्षा की गुणवत्ता संबंधित सूचना से बहुत भिन्न नहीं है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद् विशेष कक्षाओं के लिए छात्र उपलब्धि स्तरों पर देशव्यापी नमूना सर्वेक्षण नियमित रूप से करती है। अभी हाल ही में कक्षा–V के लिए पूरे किए गए उपलब्धि सर्वेक्षण से गणित में न्यूनतम 46.7% तथा भाषा में 58.3% उपलब्धि स्तरों का पता चलता है।

सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के तहत सरकारी स्कूलों में छात्रों के शिक्षण उपलब्धि स्तरों में वृद्धि करने के विचार से प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने हेतु कई कार्यकलाप शुरू किए गए हैं। इन कार्यकलापों में छात्र–शिक्षक अनुपात को बढ़ाने के लिए 4.92 लाख अतिरिक्त शिक्षकों की भर्ती, प्रति वर्ष 20 दिन की अवधि के लिए लगभग 30 लाख शिक्षकों का सेवाकालीन प्रशिक्षण, प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लगभग 5.02 करोड़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के बच्चों तथा बालिकाओं को पाठ्यपुस्तकों का निःशुल्क वितरण, 7422 ब्लॉक संसाधन केंद्रों तथा 70735 कलस्टर संसाधन केंद्रों के माध्यम से प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्कूलों को नियमित शैक्षिक सहायता, छात्रों का नियमित मूल्यांकन तथा स्कूल–निष्पादन का मानीटरन शामिल है।

इसके अलावा, भारत सरकार ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद् की सहायता से अभी हाल ही में एक त्रैमासिक गुणवत्तामूलक मानीटरिंग सिस्टम को कार्यरूप दिया है जो अन्य बातों के साथ–साथ छात्रों की उपस्थिति, स्कूलों में शिक्षकों की उपलब्धता, शिक्षण कक्ष की प्रथाओं तथा कलस्टर तथा ब्लाक संसाधन केंद्रों द्वारा स्कूलों तथा शिक्षकों के शैक्षिक पर्यवेक्षण का मानीटरन करेगा।

उर्दू डीटीपी केन्द्र

240. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने राष्ट्रीय आयोग को उर्दू भाषा को बढ़ावा देने के लिए अल्पसंख्यक संस्थाओं के उर्दू डीटीपी केन्द्र चलाने हेतु कोई प्रस्ताव भेजा था;

(ख) यदि हां, तो ऐसे प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा प्रस्ताव के संबंध में लिए गए निर्णयों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) राष्ट्रीय उर्दू भाषा प्रोन्नयन परिषद् को ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

समुद्री उत्पादों का निर्यात

241. श्री जशुभाई धानाभाई बारड़ : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2005–06 के दौरान विभिन्न पत्तनों विशेषकर गुजरात के पत्तनों से कितने समुद्री उत्पादों का निर्यात किया गया;

(ख) सरकार का समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए) द्वारा गुजरात से समुद्री उत्पादों का निर्यात बढ़ाने हेतु क्या अतिरिक्त कदम उठाए जाने का विचार है; और

(ग) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए) द्वारा भंडारण क्षमता को बढ़ाने हेतु उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम्पीडा) द्वारा नौवहन बिलों और बीजकों के आधार पर संकलित निर्यात संबंधी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2005–06 (दिसम्बर, 2005 तक) के दौरान विभिन्न पत्तनों से समुद्री उत्पादों का निर्यात 1190.44 मिलियन अमरीकी डालर का हुआ है। इस अवधि के दौरान गुजरात के पत्तनों के जरिए समुद्री उत्पादों का निर्यात 79.35 मिलियन अमरीकी डालर का हुआ है।

(ख) समुद्री उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने के लिए किए गए उपायों में प्रसंस्करण सुविधाओं के उन्नयन, जलकृषि विस्तार, जलकृषकों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता, मूल्यवर्द्धित उत्पादों के उत्पादन हेतु सहायता और विपणन सहायता से संबंधित स्कीमें शामिल हैं।

(ग) एम्पीडा शीतागारों की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

लघु उद्योगों का विस्तार और संवर्धन

242. श्री सुव्रत बोस : क्या **लघु उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दसवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान देश में लघु उद्योगों के विस्तार और संवर्द्धन के लिए कोई नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा दसवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान विभिन्न राज्यों के लिए मंजूर किए गए और मंजूर किए जाने वाले/जारी की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) यद्यपि लघु उद्योगों का विकास और संवर्धन संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यू.टी.) सरकारों/प्रशासनों का प्रमुख दायित्व है, केन्द्र सरकार ऋण, संरचनात्मक विकास, प्रौद्योगिकी उन्नयन, मार्केटिंग, उद्यमिता विकास आदि से संबंधित विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के प्रयासों का समर्थन और अनुपूरण करती है।

(ख) और (ग) ये योजनाएं/कार्यक्रम सम्पूर्ण देश में कार्यान्वित किए जाते हैं जिसके लिए निधियों का आवंटन राज्यवार न करके योजना/कार्यक्रमवार किया जाता है। सरकार ने देश में लघु उद्योगों के विकास से संबंधित योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए लघु उद्योग मंत्रालय को 10वीं पंचवर्षीय योजना के पहले चार वर्षों के लिए 1478.26 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की है।

[हिन्दी]

मदरसों में दी जाने वाली शिक्षा का आधुनिकीकरण

243. श्री अशोक अर्गल : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मदरसों में दी जाने वाली शिक्षा के आधुनिकीकरण और सुधार के लिए धनराशि प्रदान किए जाने हेतु राज्य सरकारों विशेषकर मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार के पास कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त प्रस्तावों का अनुमोदन कब तक किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) से (ग) मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने क्षेत्र गहन तथा मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत 2.87 करोड़ रु. की वित्तीय सहायता देने के लिए एक प्रस्ताव भेजा है। यह सहायता 443 नए मदरसों में वर्ष 2005–06 के दौरान 712 प्राथमिक शिक्षकों के वेतन तथा 14 पुराने मदरसों में अतिरिक्त शिक्षकों के लिए है। यह प्रस्ताव इससे पहले 624 प्राथमिक शिक्षकों को दी गई सहायता के अतिरिक्त है। राज्य सरकार द्वारा कुछ अतिरिक्त सूचना दिए जाने पर ही इस प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा।

[अनुवाद]

ग्रामीण क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी की शिक्षा

244. श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के ग्रामीण हिस्सों में कृषि में उपयोग की

जाने वाली यांत्रिकी प्रौद्योगिकी की शिक्षा प्रदान करने वाले महाविद्यालयों को खोले जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा भारत के ग्रामीण हिस्सों में तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) और (ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, कृषि इंजीनियरी कॉलेज की स्थापना एक राज्य विषय है। तथापि, देश में पहले से 22 कृषि इंजीनियरी कॉलेज हैं जो कृषि में यांत्रिकी प्रौद्योगिकी के उपयोग संबंधी शिक्षा प्रदान करते हैं।

(ग) समुदाय पॉलिटेक्निक स्कीम के तहत डिप्लोमा स्तरीय अनुमोदित संस्थाओं के ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्थित विस्तार केन्द्रों के माध्यम से अनौपचारिक कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

[हिन्दी]

पड़ोसी देशों के साथ व्यापार

245. श्री कैलाश नाथ सिंह यादव : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पड़ोसी देशों के साथ बांस, लकड़ी और खाद्यान्न के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए नई योजना तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन देशों के साथ विशेषकर म्यांमार के साथ व्यापार में आने वाली बाधाओं को दूर किए जाने संबंधी प्रस्ताव पर भी विचार किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और तत्पश्चात मूल्य के संदर्भ में कुल कितनी मात्रा में वस्तुओं का आयात और निर्यात किया गया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) और (ख) पड़ोसी देशों के साथ बांस, लकड़ी और खाद्यान्न के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए नई योजना तैयार करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तथापि, भारत द्वारा चीन के बाजार में भारतीय बासमती और गैर-बासमती चावल के लिए बाजार पहुंच हासिल करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

(ग) व्यापार का संवर्धन करना सरकार का सतत एवं निरंतर प्रयास रहता है। गैर-टैरिफ बाधा के मुद्दों सहित व्यापार से संबंधित सभी मुद्दों पर म्यांमार सहित पड़ोसी देशों के साथ नियमित रूप से विचार-विमर्श किया जा रहा है।

(घ) पिछले तीन वर्षों के व्यापार से संबंधित मात्रा-वार, मूल्य-वार आंकड़े वाणिज्य विभाग की वेबसाइट http://commerce.nic.in/india_trade.htm, पर उपलब्ध हैं।

[अनुवाद]

विद्यालय पाठ्यचर्या में कला शिक्षा

246. श्री ई. जी. सुगावनम : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने विद्यालयों की पाठ्यचर्या में सृजनात्मक कला की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक नए विभाग की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कला शिक्षा को अन्य अकादमिक पाठ्यचर्या के साथ जोड़ने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) और (ख) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् ने निम्नलिखित कार्यकलापों को चलाने के लिए अपने यहां कला तथा सौन्दर्यबोध विभाग नामक एक नया विभाग बनाया है :

(i) समय-समय पर शिल्पकला सहित दृश्य एवं मंचन कला संबंधी पाठ्यचर्या तथा पाठ्यक्रमों को तैयार करके उनकी समीक्षा करना;

(ii) सभी स्तरों की स्कूली शिक्षा हेतु दृश्य तथा मंचनकला संबंधी विभिन्न कलाओं पर ,शिक्षण एवं अध्ययन सामग्रियां तैयार करना;

(iii) कला शिक्षा के क्षेत्र में शोधकार्य करना;

(iv) सेवापूर्व एवं सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तैयार करना;

(v) कला शिक्षा हेतु कार्यरत विभिन्न क्षेत्रीय, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों का नेटवर्क स्थापित करना;

(vi) उपर्युक्त सभी कार्यकलापों से संबंधित अपने विकास कार्यों हेतु क्षमता निर्माण में राज्यों को सहायता प्रदान करना;

(ग) और (घ) कला शिक्षा तथा स्कूल पाठ्यचर्या की अभिकल्पना हमेशा से ही एक ऐसे विषय के रूप में की गई है जिसे सभी विषयों के साथ जोड़ा जाए और एक अलग विषय के रूप में भी पढ़ाया जाए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना–2005 में कक्षा VI से X हेतु कला शिक्षा पर एक अनिवार्य विषय के रूप में तथा पाठ्यचर्या का एक समेकित विषय के रूप में पुनः बल दिया गया है।

आतंकवादी संगठनों की गतिविधियां

247. श्री मणी कुमार सुब्बा : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अनेक कदम उठाए जाने के बावजूद उत्तर–पूर्व क्षेत्र सहित देश के विभिन्न भागों में आतंकवादी हमले जारी हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी घटनाओं का ब्यौरा क्या है और वर्ष 2005 और 2006 के दौरान आज की तारीख तक तेल संस्थापनों को हुई हानि सहित जानमाल की कितनी हानि हुई है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार द्वारा प्रतिबंधित संगठनों विशेषकर उल्फा के साथ किन मुद्दों पर चर्चा किए जाने की संभावना है और इस पर ऐसे आतंकवादी संगठनों की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या इस समस्या से निपटने के लिए एक संयुक्त कृतिक बल का गठन किया गया है; और

(च) यदि हां, तो इस कृतिक बल की संरचना और उद्देश्य क्या होंगे?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, पूर्वोत्तर राज्यों सहित देश के विभिन्न भागों में आतंकवादी हिंसा जारी है। 2005 के दौरान और 31.1.2006 तक हिंसक घटनाओं, मारे गए सुरक्षा बल कर्मियों/सिविलियनों और आतंकवादियों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। असम में, 2005–06 (31.1.2006) के दौरान तेल/गैस प्रतिष्ठानों पर 14 हमले हुए हैं।

(ग) सरकार की रणनीति आतंकवाद के खतरे से समग्र रूप से निपटने की है। सरकार की नीति वार्ता करने, सामाजिक–आर्थिक विकास करने, आतंकवादियों की गतिविधियों से निपटने के लिए पुलिस/सुरक्षा बलों का आधुनिकीकरण/सुदृढ़ीकरण और निर्दोष लोगों के जान–माल की रक्षा करने की है।

(घ) 7.2.2006 को पीपल्स कंसलटेटिव ग्रुप (पीसीजी) के साथ वार्ता के दूसरे दौर के दौरान राज्य सरकार के परामर्श से कुछ कैदियों की रिहाई के मुद्दे मानव अधिकार उल्लंघन के संबंध में विश्वास निर्माण उपायों की शृंखला की जांच करने और इसकी शुरुआत करने और राज्य में शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने पर सहमति हुई है।

(ङ) और (च) नक्सलवादी स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक सम्पूर्ण कदमों पर विचार–विमर्श करने के लिए नक्सल प्रभावित राज्यों के नोडल अधिकारियों के साथ एक कार्य बल गठित किया गया है। गृह मंत्रालय में विशेष सचिव (आंतरिक सुरक्षा) इस कार्य बल के अध्यक्ष हैं।

विवरण

शीर्ष	जम्मू और कश्मीर		पूर्वोत्तर क्षेत्र		नक्सल प्रभावित क्षेत्र	
	2005	2006 (31.1.06 तक)	2005	2006 (31.1.06 तक)	2005	2006 (31.1.06 तक)
घटनाएं	1990	91	1332	125	1594	115
मारे गए सिविलियन	557	14	393	16	516	24
मारे गए सुरक्षा बल कार्मिक	189	7	70	7	153	4
मारे गए आतंकवादी/अतिवादी	917	47	406	39	223	7

पाकिस्तानी-पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के घुसपैठिए

248. श्री प्रह्लाद जोशी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आज की तारीख तक देश में पाकिस्तानी और पाक अधिकृत कश्मीर के कितने घुसपैठियों ने घुसपैठ की है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान ऐसे घुसपैठियों से जब्त किए गए हथियार और गोला बारूद का ब्यौरा क्या है; और

(ग) विभिन्न न्यायालयों में इन घुसपैठियों के विरुद्ध चल रही विधिक कार्यवाहियों की क्या स्थिति है और संबंधित देशों के साथ उठाए गए कूटनीतिक कदमों का ब्यौरा क्या है जिनसे ये घुसपैठिए संबंधित हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) जम्मू और कश्मीर की राज्य सरकार की रिपोर्ट के अनुसार, गत तीन वर्षों के लिए नियंत्रण रेखा (एलओसी)/अंतर्राष्ट्रीय सीमा (आईबी) पार करके हुई समग्र घुसपैठ, जिसमें अधिकांशतः पाकिस्तानी/पाक अधिकृत कश्मीर के राष्ट्रिक शामिल हैं, के अनुमानित आंकड़े नीचे दिए गए हैं :

वर्ष	घुसपैठियों की अनुमानित संख्या
2003	1313
2004	507
2005	231

(ख) गत तीन वर्षों में, प्रत्येक वर्ष के दौरान जम्मू और कश्मीर राज्य में विभिन्न प्रशासनिक कार्रवाइयों में जब्त विविध अद्यतनात शस्त्रों/गोलाबारूद की कुल संख्या नीचे दर्शाई गई है :

विवरण	वर्ष 2003	वर्ष 2004	वर्ष 2005
ए के–47	1440	962	950
ग्रेनेड/हैंड ग्रेनेड	3733	2222	2879
इंप्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाईसिज (आईईडी)	229	260	203

(ग) घुसपैठियों के विरुद्ध चल रही विधिक कार्रवाइयों की स्थिति के बारे में डाटा केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखा जाता है। तथापि, जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार, सीमा पार करने वालों के विरुद्ध 69 मामले दर्ज किए गए हैं।

कूटनीतिक स्तर पर, भारत ने पाकिस्तान को उच्च स्तर पर यह सूचित किया है कि दोनों देशों के बीच चालू वार्ता प्रक्रिया में तब तक बाधा पहुंचेगी जब तक कि पाकिस्तान, प्रशिक्षण शिविरों, लांच पैडों और भारत की तरफ के आतंकवादी ग्रुपों के बीच संचार संपर्कों तथा पाकिस्तान में उन्हें संचालित करने वालों सहित आतंकवाद के आधारभूत ढांचे को विखंडित करने के लिए कारगर कार्रवाई नहीं करता है। पाकिस्तान द्वारा 6 जनवरी, 2004 के इस संयुक्त वक्तव्य, कि वह अपने नियंत्रण के अंतर्गत आने वाले किसी भी क्षेत्र को किसी भी रूप में आतंकवाद की सहायता के इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं देगा, में की गई वचनबद्धता को पूरा करने के लिए उसे ये कदम उठाने की जरूरत है।

पोलीटैक्निकों का आधुनिकीकरण

249. श्री अधीर चौधरी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व बैंक की सहायता से देश में विशेषकर पश्चिम बंगाल में कार्यरत कितने सरकारी पोलीटैक्निकों का राज्यवार और स्थानवार आधुनिकीकरण/उन्नयन किया गया है;

(ख) विश्व बैंक द्वारा कितनी सहायता धनराशि प्रदान की गई है और इसमें से कितनी धनराशि व्यय की गई है; और

(ग) विश्व बैंक की सहायता से प्रत्येक राज्य में कितने शैक्षिक अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) से (ग) भारत सरकार का तकनीशियन शिक्षा परियोजना I, II, III तथा तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम विश्व बैंक की सहायता से कार्यान्वित किया गया है जिसमें पश्चिम बंगाल सहित विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 573 पोलीटैक्निक शामिल हैं। पश्चिम बंगाल राज्य सहित पोलीटैक्निकों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विश्व बैंक ने 1868 करोड़ रु. की राशि प्रदान की है तथा आज तक किया गया व्यय 2284 करोड़ रु. है तथा कोई शैक्षिक अनुसंधान केन्द्र स्थापित नहीं किया गया है।

विवरण

विश्व बैंक की सहायता से आधुनिकीकृत/स्तरोन्नत किए गए पॉलिटेक्निकों की संख्या के संबंध में राज्य/संघ शासित प्रदेश वार सूचना

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पॉलिटेक्निकों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	60
2.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2
3.	अरुणाचल प्रदेश	1
4.	असम	9
5.	बिहार	25
6.	गोवा	4
7.	गुजरात	24
8.	हरियाणा	17
9.	हिमाचल प्रदेश	8
10.	जम्मू व कश्मीर	6
11.	झारखंड	2
12.	कर्नाटक	39
13.	केरल	30
14.	मध्य प्रदेश	42
15.	महाराष्ट्र	53
16.	मेघालय	3
17.	मिजोरम	2
18.	नागालैंड	3
19.	राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र	9
20.	उड़ीसा	13
21.	पांडिचेरी	3
22.	पंजाब	17
23.	राजस्थान	21
24.	सिक्किम	2
25.	तमिलनाडु	55
26.	त्रिपुरा	2
27.	उत्तरांचल	1
28.	उत्तर प्रदेश	88
29.	पश्चिम बंगाल	32
	कुल	573

पश्चिम बंगाल में औद्योगिकीकरण के लिए प्रस्ताव

250. श्री सनत कुमार मंडल : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार के पास पश्चिम बंगाल के समग्र आर्थिक विकास के लिए औद्योगिकीकरण, व्यापार संवर्द्धन और उद्योगों की स्थापना के कुछ प्रस्ताव लम्बित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) से (ग) उदारीकृत औद्योगिक नीति के अंतर्गत निवेश संबंधी निर्णय मूल अवसंरचनात्मक सुविधाएं तथा अन्य प्रोत्साहन प्रदान करके अनुकूल वातावरण सृजन करने में राज्य सरकार/संघ शासित प्रदेशों द्वारा की गई पहलों को ध्यान में रखते हुए उद्यमियों के वाणिज्यिक निर्णय पर आधारित होते हैं। केन्द्र सरकार अपनी विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत सहायता/प्रोत्साहन प्रदान करके, जहां तक संभव हो, उनके प्रयासों में सहायता करती है।

अगस्त, 1991 से दिसंबर, 2005 तक की अवधि के दौरान 77,069 करोड़ रुपये के प्रस्तावित निवेश से पश्चिम बंगाल के लिए 3592 औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन दायर किए गए थे तथा 100 आशय पत्र और प्रत्यक्ष औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए थे।

आपराधिक विधि विधेयक, 2003 में संशोधन

251. श्री चन्दभूषण सिंह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देशभर में अधिवक्ताओं के विरोध के मद्देनजर आपराधिक विधि (संशोधन) विधेयक, 2003 में संशोधन करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके कब तक संशोधित हो जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) से (ग) गृह मंत्रालय की संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट के आधार पर तथा अन्यों के विचारों को ध्यान में रखते हुए, सरकार द्वारा अधिकृत संशोधन रखने के पश्चात, संसद के दोनों सदनों ने संसद के शीतकालीन सत्र, 2005 के दौरान दाण्डिक विधि (संशोधन) विधेयक, 2003 को पहले ही पारित कर दिया है।

आयात प्रमाण पत्र से छूट

252. श्री असादुद्दीन ओवेसी :

श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़ :

श्रीमती निवेदिता माने :

श्री कीर्ति वर्धन सिंह :

श्री धनुषकोडी आर. अदित्यन :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका ने उच्च प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में व्यापार बढ़ाने के लिए भारत को आयात प्रमाण पत्र की अनिवार्य शर्त से छूट दे दी है;

(ख) यदि हां, तो इस छूट के बाद भारत को कितना लाभ होने की संभावना है; और

(ग) आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए दोनों देशों द्वारा क्या अन्य कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) जी, हां। दिनांक 1 दिसम्बर, 2005 की फेडरल रजिस्टर अधिसूचना के जरिए उद्योग एवं सुरक्षा ब्यूरो, अमरीकी वाणिज्य विभाग ने भारत सहित विभिन्न देशों में आयात प्रमाण–पत्रों की अपेक्षा को हटाने की घोषणा की थी। ये आयात प्रमाण पत्र पूर्व में भारत एवं कुछ अन्य देशों के मामले में अमरीका से निर्यात या पुनः निर्यात लाइसेंस के बारे में किसी अनुरोध के समर्थन में जारी किए जाने अपेक्षित थे।

(ख) इस छूट से रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन (डीआरडीओ) एवं अन्य ऐसी सरकारी सत्ताओं के लिए अमरीका से दोहरे उपयोग वाली एवं नियंत्रित उच्च प्रौद्योगिकी वाली मदों के आयात हेतु अनुरोधों पर कार्रवाई करने में सुविधा होगी तथा इसमें तेजी आएगी।

(ग) भारत और अमरीका में उच्च प्रौद्योगिकी सहयोग दल है जिसकी चौथी बैठक जैव प्रौद्योगिकी, नेनो टेक्नोलॉजी, रक्षा प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों तथा कार्यनीतिक व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए नवम्बर–दिसम्बर, 2005 में आयोजित की गई थी। जुलाई, 2005 में प्रधानमंत्री की वाशिंगटन डीसी की यात्रा के दौरान दोनों देश द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए विशिष्ट मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित करने हेतु भारत–अमरीका आर्थिक सहयोग को सुदृढ़ करने पर सहमत हुए थे। दोनों पक्षों ने एक सीईओ फोरम भी शुरू किया है जिसमें हमारे संबंध को आगे बढ़ाने से संबंधित निविष्टियों से लाभ प्राप्त करने के लिए दोनों देशों के व्यापार जगत के अग्रणी व्यक्ति शामिल हैं। व्यापार नीति वार्ता को उन्नत कर व्यापार नीति फोरम का रूप प्रदान किया गया था और इसकी पहली बैठक नवम्बर, 2005 में नई दिल्ली में हुई थी। भारत–अमरीका वित्त एवं आर्थिक फोरम की बैठक भी नवम्बर, 2005 में हुई थी। प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान एक नए सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी कार्यदल का गठन किया गया था और इसकी एक बैठक दिसम्बर, 2005 में वाशिंगटन डीसी में हुई थी। भारत और अमरीका ने कृषि के बारे में ज्ञान संबंधी पहल भी शुरू की है जिसके तहत आगामी वर्षों में कार्यान्वयन हेतु इस समय एक विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जा रही है।

विश्वविद्यालयों में फीस में वृद्धि

253. श्री बालाशौरी वल्लभनेनी : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में सभी विश्वविद्यालयों को फीस में वृद्धि करने का निर्देश दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा विश्वविद्यालयों को दिए गए निर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में विश्वविद्यालयों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस पर सरकार द्वारा क्या अन्तिम निर्णय लिया गया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

चावल का निर्यात

254. श्री आलोक कुमार मेहता :
डा. के धनराजू :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में भारतीय चावल की भारी मांग है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कितनी मात्रा में चावल का निर्यात किया गया है तथा इससे देश-वार कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई; और

(ग) विश्व बाजार में चावल के नए बाजार तलाशने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यातित चावल की मात्रा और उससे अर्जित विदेशी मुद्रा के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

(मात्रा : टनों में/मूल्य : मिलि. अम. डालर में)

वर्ष	बासमती चावल		गैर-बासमती चावल	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
2002-03	708793	424.78	4259077	778.53
2003-04	771491	433.74	2640572	473.33
2004-05	1126125	610.27	3645873	867.96

स्रोत : डीजीसीआईएंडएस

निर्यातों के देश-वार ब्यौरे वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस), कोलकाता द्वारा संकलित भारत के विदेश व्यापार की सांख्यिकी में उपलब्ध हैं।

(ग) चावल के निर्यात हेतु नए बाजारों का पता लगाने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों में शामिल हैं-प्रचार अभियान चलाने, विदेशों में प्रतिनिधिमंडल भेजने, अंतर्राष्ट्रीय मेलों, क्रेता-विक्रेता बैठकों में भाग लेने के लिए भारतीय निर्यातकों को सहायता प्रदान करने और उत्पादों की गुणवत्ता, पैकेजिंग में सुधार करने, उनका ब्रांड संवर्धन करने, बाजार सर्वेक्षण करने के लिए निर्यातकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना तथा विपणन एवं परिवहन के लिए कतिपय डब्ल्यूटीओ अनुमत्य लागत की प्रतिपूर्ति करना।

आतंकवादी गतिविधियां

255. श्री अजीत जोगी :
श्री सुब्रत बोस :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2005 तथा 2006 के दौरान देश में आतंकवादी गतिविधियों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) जनवरी, 2005 से अब तक कितने नागरिक, सुरक्षाकर्मी तथा आतंकवादी मारे गए हैं/घायल हुए हैं;

(घ) कितने दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है;

(ङ) क्या सरकार ने कश्मीर घाटी में चल रहे आतंकवादी शिविरों को नष्ट करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की है,

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) बढ़ती हुई आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) यद्यपि वर्ष 2004 की तुलना में वर्ष 2005 में जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी हिंसा की घटनाओं में कमी हुई है, लेकिन इस अवधि के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों और नक्सलवाद से प्रभावित राज्यों में आतंकवादी गतिविधियों में थोड़ी सी वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2005 में दिल्ली, उत्तर प्रदेश (अयोध्या एवं जौनपुर) और कर्नाटक (बंगलौर) में आतंकवादी हिंसा की कुछेक घटनाएं हुई हैं।

(ख) और (ग) वर्ष 2005 और 2006 में, 31.1.2006 तक घटनाएं, मारे गए सिविलियनों, सुरक्षा बल कर्मियों और आतंकवादियों की राज्य–वार संख्या को दर्शाते हुए एक विवरण संलग्न है।

(घ) उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, वर्ष 2005 और 2006 में, 31.1.2006 तक, 2135 नक्सलवादी, पूर्वोत्तर राज्यों में 1588 विद्रोही और जम्मू और कश्मीर में 726 आतंकवादी गिरफ्तार किए गए। इसके अलावा, आतंकवादी गतिविधियों के संबंध में संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अभी तक दिल्ली, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में 16 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं।

(ङ) कश्मीर घाटी में आतंकवादी कैंपों की मौजूदगी सुझाने वाली कोई सूचना नहीं है।

(च) प्रश्न नहीं उठता है।

(छ) सरकार आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए बहु–आयामी दृष्टिकोण अपनाती है और ऐसी आतंकवादी गतिविधियों को निष्क्रिय करने में राज्यों की सहायता करती है। आतंकवादी गतिविधियो को नियंत्रित करने के उद्देश्य से, सरकार ने कई उपाय किए हैं जिनमें घुसपैठ रोकने हेतु सीमा प्रबंधन को सुदृढ़ करना, आसूचना तंत्र को सक्रिय करना, केन्द्र और राज्यों, दोनों में, सुरक्षा बल कर्मियों को उन्नत प्रौद्योगिकी, हथियार और उपकरण सुनिश्चित करना, सुसमन्वित आसूचना पर आधारित ऑपरेशनों द्वारा आतंकवादियों/राष्ट्र–विरोधी तत्वों की योजनाओं को निष्क्रिय करना शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, आतंकवाद के विश्वव्यापी विस्तारण को देखते हुए आतंकवाद के खतरे से निपटने के लिए द्विपक्षीय/बहुपक्षीय सहयोग प्राप्त करने हेतु कदम भी उठाए गए हैं।

विवरण

वर्ष 2005 और 2006 (31.1.2006 तक) में आतंकवादी घटनाओं, मारे गए सिविलियनों, सुरक्षा बल कर्मियों और आतंकवादियों की राज्य–वार संख्या

राज्य	2005				2006 (31.1.2006 तक)			
	घटनाएं	मारे गए सिविलियन	मारे गए सुरक्षा बल कर्मी	मारे गए आतंकवादी/ अतिवादी	घटनाएं	मारे गए सिविलियन	मारे गए सुरक्षा बल कर्मी	मारे गए आतंकवादी/ अतिवादी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आन्ध्र प्रदेश	533	185	22	161	10	5	–	1
अरुणाचल प्रदेश	41	3	1	16	6	–	–	2
असम	398	173	7	74	51	13	–	3
बिहार	183	70	24	10	15	3	–	–
छत्तीसगढ़	380	118	47	32	44	12	3	3
दिल्ली	5	67	–	5	–	–	–	–
हरियाणा	2	–	–	–	–	–	–	–
जम्मू और कश्मीर	1990	557	189	917	91	14	7	47
झारखंड	308	91	27	7	24	1	1	–
कर्नाटक	9	3	6	4	–	–	–	–
केरल	–	–	–	–	1	–	–	–

कारगर पुलिस व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु कतिपय निर्णय लिए गए/सिफारिशें की गईं।

(ग) केन्द्र सरकार ने आतंकवाद के विभिन्न पहलुओं से निपटने हेतु विभिन्न उपाय किए हैं जैसे कि विधिविरुद्ध कार्यकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 का संशोधन, विदेशी अभिदाय विनियमन अधिनियम, 1976 की प्रस्तावित समीक्षा हेतु मनी लॉन्डरिंग निवारण अधिनियम, 2002 को अधिनियमित करना, राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण हेतु पुलिस आधुनिकीकरण योजना के तहत निधियों का प्रावधान, केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों का सुदृढ़ीकरण तथा आधुनिकीकरण, राज्यों द्वारा इंडिया रिजर्व बटालियनें खड़ी करना, राज्यों में स्थापित आसूचना ढांचे को सुदृढ़ करना, सीमा प्रबंधन को सुदृढ़ करना, तटीय सुरक्षा को सुदृढ़ करना, विभिन्न द्विपक्षीय/बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद-विरोधी क्षेत्र में सूचना और आसूचना का आदान-प्रदान करना।

[हिन्दी]

बच्चों का विद्यालय नहीं जाना

258. श्री हेमलाल मुर्मू :
श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' :
श्री रामजीलाल सुमन :
डा. चिन्ता मोहन :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार 6-13 वर्ष उम्र समूह के सात प्रतिशत बच्चे विद्यालय नहीं जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा एवं तथ्य क्या है;

(ग) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 29 जनवरी, 2006 के 'दैनिक जागरण' में 'सवा करोड़ बच्चे अब तक स्कूल से दूर' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां उक्त बच्चे विद्यालय नहीं जा रहे हैं;

(च) राज्यों में विद्यालय नहीं जाने वाले बच्चों की प्रतिशतता कितनी है; और

(छ) वर्ष 2004-05 तथा 2005-06 के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत इन राज्यों को कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरंदेश्वरी) : (क) से (छ) मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जुलाई-अक्तूबर, 2005 में कराए गए एक स्वतंत्र सर्वेक्षण के अनुसार 6-18 आयु वर्ग के 6.94% बच्चों के स्कूल-बाह्य होने का अनुमान था। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण के कालम 3 व 4 में दर्शाया गया है।

भारत सरकार ने राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को इस रिपोर्ट के ब्यौरे से अवगत करा दिया है ताकि वर्ष 2006-07 के लिए सर्व शिक्षा अभियान हेतु उनकी वार्षिक कार्य योजना तथा बजट तैयार करते समय रिपोर्ट के निष्कर्षों को ध्यान में रखा जाए। वर्ष 2004-05 में तथा 10.2.2006 तक वर्ष 2005-06 में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को उपलब्ध कराई गई निधियों को संलग्न विवरण के कालम 5 व 6 में दर्शाया गया है।

विवरण

राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2005 के अनुसार स्कूल-बाह्य बच्चों तथा सर्व शिक्षा अभियान के तहत केन्द्र सरकार द्वारा जारी की गई निधियों को दर्शाने वाला विवरण

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्यों का नाम	सर्वेक्षण के अनुसार स्कूल-बाह्य बच्चों (6-13 वर्ष) की संख्या	सर्वेक्षण के अनुसार राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों में स्कूल-बाह्य बच्चों (6-13 वर्ष) का प्रतिशत	सर्व शिक्षा अभियान के तहत जारी किया गया अनुदान	
				2004-05	2005-06 (10.2.06 तक)
1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	165	0.32	272.58	63.00

1	2	3	4	5	6
2.	आंध्र प्रदेश	542.665	4.29	28000.00	38599.66
3.	अरुणाचल प्रदेश	23.036	7.68	3009.00	4100.51
4.	असम	536.220	8.91	20654.00	13857.33
5.	बिहार	3,176,624	17.00	31970.56	31970.56
6.	चंडीगढ़	3,086	2.20	20786.76	29184.39
7.	छत्तीसगढ़	254,736	6.05	447.95	450.00
8.	दादरा और नगर हवेली	0	0.00	0.00*	452.42
9.	दमन और दीव	6,134	28.75	14072.00	15084.84
10.	दिल्ली	84,424	2.98	111.91	111.91
11.	गोवा	1,155	0.72	0.00*	0.00*
12.	गुजरात	380,444	3.96	0.00*	1000.00
13.	हरियाणा	174,040	4.51	12881.55	10196.55
14.	हिमाचल प्रदेश	4,942	0.54	6144.00	7614.66
15.	जम्मू और कश्मीर	4,777	0.29	7747.18	18530.65
16.	झारखंड	620.945	10.88	16568.50	27997.50
17.	कर्नाटक	119,517	1.42	26280.70	28303.78
18.	केरल	23,242	0.55	8939.00	5939.00
19.	लक्षद्वीप	1,104	8.33	12.03	0.00*
20.	मध्य प्रदेश	1,085,096	8.63	44608.92	77267.49
21.	महाराष्ट्र	529,295	3.17	35489.79	50235.31
22.	मणिपुर	67,515	14.74	1225.00	1327.44
23.	मेघालय	22,132	3.74	2930.81	1925.81
24.	मिजोरम	1,558	0.73	3300.24	1653.74
25.	नागालैंड	32,406	8.38	2088.49	2323.01
26.	उड़ीसा	332,615	5.37	21807.27	32809.11
27.	पांडिचेरी	583	0.36	3040.00	14683.89

1	2	3	4	5	6
28.	पंजाब	108,754	2.87	225.53	529.40
29.	राजस्थान	795,089	6.90	23549.40	60313.43
30.	सिक्किम	3,803	2.94	1000.25	600.25
31.	तमिलनाडु	193,418	2.14	26517.00	35329.53
32.	त्रिपुरा	5,121	1.24	4703.96	7070.19
33.	उत्तर प्रदेश	2,995,208	8.15	87761.00	182799.00
34.	उत्तरांचल	116,680	7.47	9144.71	10066.46
35.	पश्चिम बंगाल	1,213,205	8.67	46024.36	31024.00
	संपूर्ण भारत	13,459,734	6.94	511041.86	743351.82

*पिछले वर्षों की खर्च न की गई उपलब्ध निधियां

[अनुवाद]

भगोड़े विदेशी नागरिक

259. श्री दलपत सिंह परस्ते : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अपने वीजा परमिट की अवधि समाप्त होने के बाद भी भगोड़े रहे तथा अब तक अपने देश न लौटने वाले विदेशी नागरिकों की देश-वार संख्या कितनी है;

(ख) इन्हें जारी किए गए वीजा परमिटों का देश-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) अवैध अप्रवासियों का पता लगाने तथा उन्हें अपने मूल देश भेजने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) 31 दिसम्बर, 2004 की स्थिति के अनुसार, ऐसे विदेशियों, जो अपनी वीजा की अवधि के समाप्त होने के पश्चात् भी ठहरे हुए पाए गए, के राष्ट्रिकता-वार ब्यौरे दर्शाते हुए एक विवरण संलग्न है।

(ख) देश में प्रवेश करने हेतु वीजा विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों/पोस्ट द्वारा दिए जाते हैं और ऐसे वीजा देश-वार प्रदान करने के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है।

(ग) भारत में अवैध रूप से ठहरे हुए विदेशी राष्ट्रिकों का पता लगाने और उन्हें वापिस उनके देश भेजने के लिए विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 की धारा 3(2) (ग) के अंतर्गत शक्तियां राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को प्रत्यायोजित कर दी गई हैं। इसके अलावा, देश में अवैध रूप से ठहरे हुए विदेशी राष्ट्रिकों का पता लगाने और उन्हें वापिस उनके देश भेजने हेतु विशेष अभियान चलाने के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को समय-समय पर अनुदेश जारी किए जाते हैं।

विवरण

देश	वर्ष 2004
1	2
अफगानिस्तान	12592
अल्जीरिया	02
एंटिगुआ एवं बारबूडा	00
अर्जेन्टिना	07
अर्मेनिया	01
आस्ट्रेलिया	142
आस्ट्रिया	09
अजरबेजान	02

1	2
बहरीन	07
बांग्लादेश	35718
बेलारूस	04
बेल्जियम	06
बोलिविया	02
बोस्निया एवं हर्जेगोविना	00
ब्राजील	15
ब्रिटेन में विदेशी नागरिक	01
ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट	01
ब्रिटिश सोलोमन द्वीपसमूह	00
ब्रूनेई	01
बल्गारिया	04
कम्बोडिया	09
कैमरुन	05
कनाडा	204
सेन्ट्रल आफ्रीकन रिपब्लिक	00
चाड	00
चिली	02
चीन	106
चीन (ताईवान)	12
कोलंबिया	06
कोस्टारिका	01
क्रोशिया	09
क्यूबा	03
चेकोस्लोवाकिया	04
डेनमार्क	12

1	2
डिजिबोटी	17
डोमिनिकन रिपब्लिक	01
इक्वेडोर	01
मिस्र	11
एरीट्रिया	09
इस्टोनिया	02
इथियोपिया	36
फिजी	10
फिनलैंड	25
फ्रांस	79
जार्जिया	01
जर्मनी	269
घाना	07
ग्रीस	01
ग्रेनाडा	01
ग्वाटेमाला	01
गाइना	01
गुवाना	01
हेती	00
हांगकांग	00
हंगरी	11
इंडोनेशिया	62
ईरान	203
इराक	16
आयरलैंड	15
इस्राइल	22

1	2
इटली	29
आइवरी कोस्ट	03
जमैका	00
जापान	381
जोर्डन	65
कजाकस्तान	21
केन्या	152
दक्षिण कोरिया	513
कुवैत	07
किर्गिस्तान	01
लाओस	05
लातविया	02
लेबनान	14
लिसोथो	02
लिबेरिया	07
लिबया	00
लिथुआनिया	00
लक्जमबर्ग	03
मेडागास्कर	02
मलावी	02
मलेशिया	281
मालदीव	47
माली	00
माल्टा	06
मारीशस	86
मेक्सिको	05

1	2
मोल्दोवा	00
मंगोलिया	19
मोरोक्को	10
मोजाम्बिक	02
म्यांमार	113
नामिबिया	13
नीदरलैंड्स	18
न्यूजीलैंड	59
नाईजीरिया	74
नार्वे	80
ओमान	62
पाकिस्तान	8287
पेलिस्तीन	08
पनामा	00
पपुआ न्यू गाईनिया	00
पेरागुआ	00
पेरु	00
फिलीपीन्स	119
पोलैंड	15
पुर्तगाल	07
कतर	05
रोमानिया	05
रूस	118
रवांडा	27
सऊदी अरब	19
सेनेगल	02

1	2
सेशल्स	08
सिअरा लिओन	00
सिंगापुर	122
स्लोवक रिपलब्लिक	03
स्लोवेनिया	02
सोमालिया	97
दक्षिण अफ्रीका	68
स्पेन	35
श्रीलंका	321
सेंट लूसिया	02
राष्ट्रिकताहीन	21
राष्ट्रिकताहीन–मलेशिया	06
राष्ट्रिकताहीन–सिंगापुर	03
राष्ट्रिकताहीन–तिब्बत	78
सूडान	105
स्वाजीलैंड	00
स्वीडन	113
स्विटजरलैंड	50
सीरिया	24
ताजिकिस्तान	12
तंजानिया	43
थाइलैंड	95
टोंगा	01
त्रिनिडाड एवं टोबेगो	06
ट्यूनीशिया	01
टर्की	06
तुर्कमेनिस्तान	01
यू.ए.ई.	09
यू.के.	390
यू.एस.ए.	716
यूगांडा	52
यूक्रेन	28
यूरुग्वे	00
उजबेकिस्तान	16
वेनेजुएला	05
वियतनाम	41
यमन	109
यूगोस्लाविया	07
जेरे	07
जांबिया	05
जिम्बाब्वे	04
अन्य	02
कुल	62998

खनन गतिविधियों का निजीकरण

260. **श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :**
श्रीमती निवेदिता माने :
श्री कीर्ति वर्धन सिंह :
श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ :
श्री गणेश सिंह :

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खनन क्षेत्र में कौन–कौन सी बड़ी परियोजनाएं चल रही हैं तथा परियोजना–वार इनमें प्रस्तावित निवेश का क्रम क्या है;

(ख) क्या सरकार ने खनन गतिविधियों का निजीकरण

करने तथा विदेशी निवेशकों सहित खनन क्षेत्र को निजीकरण के लिए खोलने हेतु सरकार ने कोई योजना बनाई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(घ) खनन गतिविधियों का निजीकरण करने के कारण एवं उद्देश्य क्या हैं;

(ङ) इन क्षेत्रों को निवेशकों को प्रदान करने के लिए इन अमुक्त क्षेत्रों का प्रतिशत क्या है और विदेशी निवेश की कार्य पद्धति क्या है;

(च) गत दिनों में प्राप्त एवं अनुमोदित निजी एवं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है तथा कितना नया निवेश होने का अनुमान है; और

(छ) प्राप्त एवं विचाराधीन नए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रस्तावों का राज्य–वार ब्यौरा क्या है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी) : (क) टोही परमिट, पूर्वेक्षण लाइसेंस और खनन पट्टे सहित खनिज रियायतें, राज्य सरकारों द्वारा प्रदान की जाती हैं। खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट खनिजों के मामले में खनिज रियायतें प्रदान करने हेतु राज्य सरकारों के लिए, केन्द्र सरकार का पूर्व–अनुमोदन लेना अनिवार्य है। सरकार ने खान मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम नेशनल एल्युमिनियम कंपनी को 4091.51 करोड़ रु. के परिव्यय से खानों, एल्युमिना शोधनशाला, एल्युमिनियम प्रगालक और गृहीत विद्युत संयंत्र के दूसरे चरण के विस्तार के लिए अनुमोदन प्रदान कर दिया है।

(ख) राष्ट्रीय खनिज नीति 1993 के अनुसार, सभी गैर–ईंधन और गैर–परमाणु खनिजों के गवेषण और विदोहन को निजी क्षेत्र के निवेश के लिए खोल दिया गया है।

(ग) चूंकि, राज्य सरकारों द्वारा खनिज रियायतें प्रदान की जाती हैं, इसलिए, निवेश का ब्यौरा केन्द्र के स्तर पर नहीं रखा जाता है।

(घ) खनन क्षेत्र में और अधिक निवेश और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को आकृष्ट करने के लिए, खनन क्षेत्र में निजी क्षेत्र के निवेश को अनुमति दी गई है।

(ङ) गैर–ईंधन खनिजों के मामले में भारत का खनन क्षेत्र अब निजी क्षेत्र के निवेश के लिए पूर्णतया खुला है। सभी गैर–ईंधन खनिजों के लिए ऑटोमेटिक रूट से 100% तक विदेशी निवेश की अनुमति है।

(च) और (छ) उपलब्ध सूचना के अनुसार, जनवरी, 2005 से दिसम्बर 2005 तक की अवधि के दौरान खनन क्षेत्र में कुल 173.79 करोड़ रु. के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को अनुमोदित किया गया है।

[हिन्दी]

अशांत क्षेत्र

261. श्री विजय कुमार खंडेलवाल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा देश में पहचान किए गए अशांत क्षेत्रों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन अशांत क्षेत्रों में शांति बहाल करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) केन्द्र सरकार द्वारा, 1972 में यथा संशोधित, सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958, की धारा 3 के तहत असम और नागालैंड राज्यों, अरुणाचल प्रदेश के तिरप और आंगलांग जिलों तथा असम के सीमावर्ती राज्यों अरुणाचल प्रदेश और मेघालय की 20 कि.मी. पट्टी को 'विक्षुब्ध क्षेत्र' के रूप में घोषित किया गया है। इस अधिनियम के तहत मणिपुर के राज्यपाल द्वारा इंफाल नगरपालिका क्षेत्र को छोड़कर मणिपुर राज्य को 'विक्षुब्ध क्षेत्र' घोषित किया गया है। उपरिलिखित अधिनियम के तहत त्रिपुरा के राज्यपाल द्वारा त्रिपुरा में 34 पुलिस स्टेशनों के अधीन क्षेत्रों (28 पुलिस स्टेशनों के पूरे क्षेत्र और 6 पुलिस स्टेशनों के आंशिक क्षेत्र) को 'विक्षुब्ध क्षेत्र' घोषित किया गया है। जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल ने सशस्त्र बल (जम्मू और कश्मीर) विशेष शक्तियां अधिनियम, 1990 की धारा 3 के तहत राज्य के जम्मू, कठुआ, ऊधमपुर, पुंछ, राजौरी, डोडा, श्रीनगर, बडगांव, अनंतनाग, पुलवामा, बारामूला और कुपवाड़ा जिलों को 'विक्षुब्ध क्षेत्र' के रूप में घोषित किया है।

(ख) पूर्वोत्तर क्षेत्र और जम्मू और कश्मीर में विद्रोहियों/उग्रवादी ग्रुपों के खतरे का मुकाबला करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं जिनमें, अन्य बातों के साथ–साथ, राज्य पुलिस बलों की क्षमताओं में वृद्धि करना, सुरक्षा से संबंधित व्यय की प्रतिपूर्ति करना, सेना और केन्द्रीय अर्द्ध–सैनिक बलों की तैनाती करना, विद्रोह विरोधी अभियानों के लिए सुरक्षा बलों द्वारा समन्वित कार्रवाई करना और सामाजिक–आर्थिक आधारभूत ढांचे का विकास करना

शामिल है। सरकार ने सभी उग्रवादी गुटों को हिंसा का मार्ग छोड़ने और वार्ता के लिए आगे आने का भी निमंत्रण दिया है।

सुनामी/भूकंप पीड़ित

262. श्री अशोक कुमार रावत :

श्री शिशुपाल पटले :

श्री कैलाश नाथ सिंह यादव :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2004–2005 के दौरान आई सुनामी और भूकंप तबाही के पीड़ितों का मनोबल बढ़ाने के लिए पहल की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इनके परिवारों के बचे हुए एकमात्र जीवित सदस्यों को कोई रोजगार और पुनर्वास उपलब्ध कराया गया है;

(घ) यदि हां, तो ऐसे परिवारों को किस प्रकार की सहायता उपलब्ध कराई गई है;

(ङ) इन प्राकृतिक तबाहियों में कितने व्यक्ति विकलांग हुए; और

(च) ऐसे व्यक्तियों के कल्याण हेतु किए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) से (च) दिसम्बर, 2004 की सुनामी, जो रिक्टर स्केल पर 8.6 तीव्रता के भूकम्प के कारण आई, अभूतपूर्व थी। कुल 9315 व्यक्ति मारे गए और 4062 व्यक्तियों के लापता होने की सूचना है। इसके अलावा, 6000 से अधिक व्यक्ति घायल हुए। स्थिति को अतिशीघ्र सामान्य बनाने के उद्देश्य से केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा व्यापक राहत, बचाव और पुनर्वास उपाय किए गए क्योंकि सुनामी से प्रभावित अधिकांश लोग समाज के कमजोर वर्गों से संबंधित थे।

मुख्यतः जीविका के पुनरुद्धार तथा तत्काल राहत प्रदान करने और कार्रवाई करने, मत्स्य पालन और कृषि क्षेत्र के पुनरुद्धार, अस्थायी/अन्तर्वर्ती आवासों के निर्माण तथा अनाथों, अविवाहित लड़कियों, विधवाओं और अपंग व्यक्तियों को विशेष राहत प्रदान करने के लिए 3644.05 करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ 'राजीव गांधी पुनर्वास पैकेज' नामक एक व्यापक पैकेज की घोषणा की गई थी। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने भरण–पोषण की लागत को वित्त पोषित किया और प्रधानमंत्री की राष्ट्रीय राहत निधि से अनुग्रहपूर्वक राशि भी प्रदान की गई।

बचाव और तत्काल राहत के चरण के पूरा होने के पश्चात् सरकार ने चार वर्षों की अवधि के लिए 9870.25 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर दीर्घकालीन सुनामी पुनर्वास कार्यक्रम (टीआरपी) अनुमोदित किया है। टीआरपी में विभिन्न क्षेत्र शामिल हैं जैसे आवास, मत्स्य पालन, कृषि और जीविका, बंदरगाह और घाट, सड़कें और पुल, विद्युत, जल और जल–मल निकासी, सामाजिक आधारभूत ढांचा और कल्याण, पर्यावरण और तटीय संरक्षण तथा पर्यटन आदि।

राज्य सरकारों ने अपनी तरफ से प्रभावित व्यक्तियों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए नई पहलें भी शुरू की है। इनमें अन्यों के साथ–साथ शामिल हैं :

(i) शैक्षणिक पैकेज;

(ii) मानसिक देखरेख;

(iii) अनाथ किशोर लड़कियों के लिए पैकेज;

(iv) बेसहारा महिलाओं के स्वयं सहायता ग्रुप;

(v) बाल हैल्पलाइन;

(vi) महिलाओं के लिए अल्पकालिक निवास गृह, आदि।

[अनुवाद]

कालेजों में प्रवेश

263. श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि कालेजों में प्रवेश हेतु अंकों की उच्चतर सीमा निर्धारित करने की वजह से प्रत्येक वर्ष 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले 50 प्रतिशत विद्यार्थियों को कालेजों में प्रवेश नहीं मिल पा रहा है;

(ख) क्या सरकार का विचार ऐसी कोई योजना बनाने का है, जिससे 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले सभी विद्यार्थियों को बिना किसी मुश्किल के कालेजों में प्रवेश मिल सके;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस समस्या के समाधान हेतु क्या उपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) से (घ) दसवीं योजना की शुरूआत में 18–23 आयु वर्ग की 6 प्रतिशत जनसंख्या का कालेजों में प्रवेश था जो बढ़ाकर वर्ष 2007 के अन्त तक 10 प्रतिशत करना दसवीं योजना का एक मुख्य उद्देश्य था। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए नये कालेजों की स्थापना करने, विद्यमान संस्थाओं को सुदृढ़ करने तथा मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के विस्तार करने हेतु सहायता उपलब्ध कराना इस नीति का एक भाग है।

राष्ट्रीय खनन नीति

264. श्री हन्नान मोल्लाह : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय खनन नीति को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) देश के विभिन्न हिस्सों में उद्योगों को स्थापित करने में सामने आ रही मुश्किलों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी) : (क) से (ग) सरकार ने वर्ष 1993 में गैर–ईंधन और गैर–परमाणु खनिजों के लिए अपनी राष्ट्रीय खनिज नीति घोषित की थी और यह अब भी लागू है। तथापि, खनन क्षेत्र में गैर–सरकारी निवेश को बढ़ावा देने के प्रयोजनार्थ राष्ट्रीय खनिज नीति, 1993 की समीक्षा करने तथा खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 में संभावित संशोधनों की सिफारिश करने के लिए श्री अनवर–उल–होडा, सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है। समिति को अपनी रिपोर्ट अभी प्रस्तुत करनी है। समिति के विचारार्थ विषयों में से एक विषय खनिज रियायत प्रदान करने के लिए खनिज समृद्ध राज्यों की यह नीति कि खनिजों का मूल्यवर्धन उनके राज्य में ही हो, के प्रभावों की समीक्षा करना और इस संबंध में यथोचित सिफारिशें करना है।

भारत और चीन के बीच व्यापार

265. श्री एन. जनार्दन रेड्डी : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और चीन ने द्विपक्षीय क्षेत्रीय व्यापार समझौते पर चर्चा करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नाथूला दर्रे को मार्च, 2006 तक भारत–चीन व्यापार हेतु खोल दिया जाएगा;

(घ) क्या परस्पर व्यापार हेतु कार्यविधियां तैयार कर ली गई हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और चीन को निर्यात करने तथा चीन से आयात करने हेतु कौन–कौन सी मदों का चयन किया गया है;

(च) क्या इस व्यापार से हमारे घरेलू बाजार पर विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(छ) यदि हां, तो घरेलू बाजार को बचाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) और (ख) जी, हां। भारत–चीन संयुक्त अध्ययन दल (जेएसजी) ने अपनी रिपोर्ट में वस्तु एवं सेवा व्यापार, निवेश, व्यापार एवं निवेश संवर्धन तथा सुविधाकरण एवं आर्थिक सहयोग के संवर्द्धन हेतु उपायों को शामिल करते हुए चीन–भारत क्षेत्रीय व्यापार व्यवस्था तैयार करने की सिफारिश की है।

(ग) से (ङ) क्षेत्र की जलवायु संबंधी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए मार्च, 2006 तक नाथुला दर्रे के जरिए सीमा व्यापार शुरू करना संभव नहीं हो सकता है। नाथुला दर्रे के जरिए सीमा व्यापार हेतु कार्यविधियां चीनी पक्ष के परामर्श से तैयार की जा रही हैं।

(च) जी, नहीं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

भारत-बांग्लादेश सीमा के जरिए घुसपैठ

266. श्री राजपति सांबासिवा राव : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गृह मंत्री ने जनवरी, 2006 में भारत–बांग्लादेश सीमा का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो भारत–बांग्लादेश की सीमा पर कांटेदार बाड़ परियोजना की प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ऐतिहासिक असम समझौते को अक्षरशः कार्यान्वित करने की वचनबद्धता दिखाई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या असम सरकार ने केन्द्र सरकार से सीमाओं को सील करने का आग्रह किया है ताकि बांग्लादेश से घुसपैठ पर रोक लग सके; और

(च) यदि हां, तो सरकार ने सीमा सील करने की परियोजनाओं को कार्यान्वित करने में असम की किस सीमा तक सहायता की है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) भारत–बांग्लादेश के साथ–साथ 3286 कि.मी. स्वीकृत बाड़ में से 31 जनवरी, 2006 तक 2129 कि.मी. पर बाड़ लगाने का कार्य पूरा हो चुका है।

(ग) और (घ) सरकार, असम समझौता कार्यान्वित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस समझौते के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा प्रधानमंत्री स्तर पर 5.5.2005 को और केन्द्रीय गृह मंत्री स्तर पर 2.1.2006 को की गई है।

(ङ) और (च) सीमा पार से घुसपैठ रोकने के लिए भारत सरकार ने असम सहित भारत–बांग्लादेश सीमा के साथ–साथ बाड़ लगाने का निर्णय लिया है। अभी तक असम सेक्टर में बाड़ लगाने के लिए स्वीकृत 223 कि.मी. बाड़ में से 31 जनवरी, 2006 तक 165 कि.मी. पर बाड़ लगाने का कार्य पूरा हो चुका है।

[हिन्दी]

संगमरमर का आयात

267. श्री श्रीचन्द कृपलानी : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** 9 अगस्त, 2005 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2451 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इसे कब तक एकत्रित किए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) से (घ) दिनांक 9.8.2005 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2451 के संबंध में दिया गया आश्वासन दिनांक 8.12.2005 को पूरा किया जा चुका है जिसकी एक प्रति विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

14वीं लोक सभा का छठा सत्र

पूर्ति की तिथि 8.12.2005

प्रश्न सं. दिनांक	विषय	दिया गया आश्वासन	कब और कैसे पूरा किया गया	देरी का कारण
1	2	3	4	5
श्री श्रीचन्द कृपलानी द्वारा पूछा गया अतारांकित प्रश्न सं. 2451 दिनांक 9.8.2006	क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या आयात–निर्यात नीति का दुरुपयोग करके और उपभोक्ताओं को गुमराह करके बड़े पैमाने पर गैर–पालिश संगमरमर के पत्थरों का आयात किया जा रहा है;	(क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।	(क) से (घ) बिना पॉलिश के मार्बल स्लैब्स के आयात के दो प्रकरणों में निर्यात–आयात नीति का उल्लंघन जानकारी में आया है जिसके परिणामस्वरूप जब्ती एवं 11.49 लाख रुपए के न्यायनिर्णय कर के भुगतान पर विमोचन। निर्यात और आयात मदों के आईटीसी	राजस्व विभाग द्वारा अपने क्षेत्रीय कार्यालयों से सूचना एकत्र की जा रही थी।

1	2	3	4	5
	(ख) यदि हां, तो क्या इससे भारतीय संगमरमर के उत्पादन में 50 प्रतिशत की कमी हो गई है;		(एचएस) वर्गीकरण, 2004–2009 के अध्याय 68 के तहत आने वाले तैयार मार्बल ब्लाकों/टाइलों को फ्लोर प्राइस प्रणाली के मद्दे मुक्त रूप से आयात की अनुमति है और इसके लिए विदेश व्यापार महानिदेशालय से किसी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा, भारत ने अपरिष्कृत और अशोधित मार्बल के आयात पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। फ्लोर प्राइस प्रणाली और आयात लाइसेंसिंग तंत्र दोनों ने घरेलू उद्योग के हितों की रक्षा की है।	
	(ग) यदि हां, तो इसकी रोकथाम के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;			
	(घ) क्या सरकार का विचार इसके लिए एक कृतिक बल गठित करने का है;			
	(ङ) यदि हां, तो इसका गठन कब तक कर दिया जाएगा; और			
	(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?			

[अनुवाद]

बच्चों को शारीरिक प्रताड़ना

268. श्री के. एस. राव : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि सरकार द्वारा शारीरिक सजा के खिलाफ निदेश दिए जाने के बावजूद विद्यालयों में बच्चों को शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में कितने मामलों की सूचना मिली है;

(घ) इसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) शारीरिक सजा की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) से (ङ) अधिकांश विद्यालय राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं और केन्द्रीय स्तर पर इस प्रकार की सूचना नहीं रखी जाती। जहां तक केन्द्र सरकार के नियंत्रण वाले विद्यालयों का संबंध है पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय विद्यालयों में 23 मामले और नवोदय विद्यालयों में 9 मामले जानकारी में आए थे। इस प्रकार के प्रत्येक मामले में उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई शुरू कर दी गई है। केन्द्रीय सरकार के अधिकार क्षेत्र वाले विद्यालयों को किसी भी परिस्थिति में विद्यार्थियों को शारीरिक रूप से प्रताड़ित न किए जाने संबंधी दिशानिर्देश जारी कर दिए गए हैं।

अनुच्छेद 371 के संबंध में कर्नाटक से प्रस्ताव

269. श्री एम. शिवन्ना :

श्री मंजुनाथ कुन्नुर :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संविधान के अनुच्छेद 371 के संशोधन हेतु एक प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास लंबित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव को कब तक मंजूर किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) कर्नाटक सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था जिसमें आन्ध्र प्रदेश के संबंध में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 371घ के उपबंधों की तर्ज पर कर्नाटक में रोजगार और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में, क्षेत्रवार आरक्षण की व्यवस्था करने के लिए

भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 को संशोधित करने का अनुरोध किया गया था। कर्नाटक सरकार को यह सूचित कर दिया गया था कि यह प्रस्ताव व्यवहार्य नहीं पाया गया है। कर्नाटक सरकार ने केन्द्र सरकार से इस मामले में अपने दृष्टिकोण की समीक्षा करने का आग्रह किया है। अभी तक, इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ग) चूंकि इस मामले में, संवैधानिक स्वरूप के जटिल मुद्दे अन्तर्ग्रस्त हैं इसलिए इस संबंध में कोई निश्चित समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है।

जन शिक्षण संस्थान

270. श्री अजय चक्रवर्ती :

श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख :

श्री गणेश सिंह :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और आज की स्थिति के अनुसार देश में जन शिक्षण संस्थन और श्रमिक विद्यापीठ स्थापित करने हेतु गैर-सरकारी संगठनों और राज्य सरकारों से राज्यवार कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) अभी तक कितने प्रस्ताव स्वीकृत/मंजूर किए गए हैं और आज की स्थिति के अनुसार कितने प्रस्ताव लंबित हैं;

(ग) लंबित प्रस्तावों को कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार ने उक्त प्रस्तावों/अनुदानों को मंजूर करने के लिए कोई दिशानिर्देश तैयार किए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान कितना अनुदान मंजूर किया गया तथा ऐसे गैर-सरकारी संगठनों के नाम क्या हैं और इनमें से प्रत्येक को राज्यवार कितनी धनराशि मंजूर की गई; और

(च) अभी तक स्व-रोजगार हेतु कुल कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान, गैर सरकारी संगठनों से प्राप्त प्रस्तावों और संस्वीकृत जन शिक्षण संस्थानों की राज्य-वार संख्या दर्शाने वाला एक विवरण-I संलग्न है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में 1260 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

(ग) प्रस्तावों की जांच और उन्हें अन्तिम रूप वर्ष-दर-वर्ष आधार पर दिया जाता है जो उस वर्ष के स्लाटों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

(घ) और (ङ) जन शिक्षण संस्थान की संस्वीकृति हेतु पात्र होने के उद्देश्य से गैर-सरकारी संगठन को तीन वर्ष से अधिक वर्षों तक पंजीकृत होना चाहिए, वित्तीय रूप से सबल होना चाहिए और शिक्षा, प्रौढ़/व्यावसायिक शिक्षा अथवा संबंधित क्षेत्रों में अनुभव होना चाहिए। गैर-सरकारी संगठन की उपयुक्तता का आकलन करने के लिए एक व्यवहार्यता अध्ययन भी किया जाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार स्थापित जन शिक्षण संस्थानों को संस्वीकृत अनुदान संलग्न विवरण-II में दर्शाए गए हैं।

(च) पिछले तीन वर्षों के दौरान जन-शिक्षण संस्थानों की योजना के तहत अब तक प्रशिक्षित किए गए व्यक्तियों की संख्या निम्न प्रकार है :

वर्ष	व्यक्तियों की संख्या
2002-03	2,85,979
2003-04	3,16,653
2004-05	3,55,493

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों (अवधि 2002-03, 2003-04 तथा 2004-05) के दौरान जन-शिक्षण संस्थान की स्थापनार्थ प्राप्त तथा संस्वीकृत प्रस्तावों की संख्या

क्र.सं.	राज्य का नाम	प्राप्त प्रस्तावों की संख्या			संस्वीकृत जन शिक्षण संस्थानों की संख्या		
		2002-03	2003-04	2004-05	2002-03	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	17	15	17	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	असम	05	01	07	01	01	–
3.	अरुणाचल प्रदेश	01	–	02	01	–	–
4.	बिहार	17	13	19	01	–	01
5.	छत्तीसगढ़	02	03	06	–	–	–
6.	दिल्ली	02	–	01	–	–	–
7.	गोवा	–	–	–	–	–	–
8.	गुजरात	04	–	02	01	–	–
9.	हरियाणा	03	04	04	–	01	01
10.	हिमाचल प्रदेश	01	01	01	–	–	–
11.	जम्मू और कश्मीर	03	03	04	–	–	–
12.	झारखण्ड	05	02	04	01	01	–
13.	कर्नाटक	13	13	09	–	01	01
14.	केरल	11	05	07	01	01	01
15.	मध्य प्रदेश	13	19	37	–	–	04
16.	महाराष्ट्र	25	34	26	01	02	02
17.	मणिपुर	06	06	39	01	–	01
18.	मेघालय	–	–	01	–	–	–
19.	मिजोरम	–	–	01	–	–	–
20.	नागालैण्ड	03	03	03	–	01	–
21.	उड़ीसा	35	13	32	01	01	01
22.	पंजाब	01	01	02	–	01	–
23.	राजस्थान	03	07	13	–	–	–
24.	सिक्किम	–	–	–	–	–	
25.	तमिलनाडु	11	07	18	01	01	–
26.	त्रिपुरा	–	02	02	–	01	–

1	2	3	4	5	6	7	8
27.	उत्तर प्रदेश	65	57	103	03	04	04
28.	उत्तरांचल	03	08	12	–	01	01
29.	पश्चिम बंगाल	08	04	07	01	–	–
	कुल	257	221	379	14	18	18

विवरण-II

वर्ष 2002–03 के दौरान जन–शिक्षण संस्थानों को संस्वीकृत अनुदान

क्र.सं.	जन–शिक्षण संस्थान का नाम	गैर–सरकारी संगठन का नाम	अनुदान 2002–03	अनुदान 2003–04	अनुदान 2004–05	अनुदान 2005–06
1	2	3	4	5	6	7
1.	नाहरलागून (अरुणाचल प्रदेश)	ओजू कल्याण संघ	1525000	1000000	2488720	1024303
2.	कामरूप (असम)	ज्ञान विज्ञान समिति	1300000	1000000	2076036	1000000
3.	नालंदा (बिहार)	शान्तिदूत	1525000	1000000	1951475	1669973
4.	कच्छ (गुजरात)	ग्रामीण स्वाभिमान	1300000	1000000	1902354	1500000
5.	रांची (झारखण्ड)	विकास भारती	1525000	1000000	1000000	1419118
6.	इडुक्की (केरल)	माता अमृतानंदमयी मठ	1525000	1000000	1429675	2094755
7.	वशीम (महाराष्ट्र)	महिला उत्कर्ष प्रतिष्ठान	1525000	1000000	1000000	3500000
8.	थौबाल (मणिपुर)	डब्ल्यू.डब्ल्यू.ए.जी.एस. (ग्रामीण विकास सेवा)	1525000	1000000	2540700	2000000
9.	धेनकनाल (उड़ीसा)	उत्कल ग्रामीण जनजातियों हेतु राष्ट्रीय सामाजिक अनुसंधान संस्थान	1525000	1000000	2000000	1851532
10.	शिवकाशी (तमिलनाडु)	माता अमृतानंदमयी मठ	1300000	1000000	1233449	1619411
11.	बहराइच (उत्तर प्रदेश)	ग्रामोदय संस्थान	1300000	1000000	2000000	2286750
12.	चित्रकूट (उत्तर प्रदेश)	दीनदयाल अनुसंधान संस्थान	–	2000000	1000000	2057995
13.	अमेठी (उत्तर प्रदेश)	अटल ग्रामोद्योग सेवा समिति	–	2186553	1000000	3229055
14.	हावड़ा (प. बंगाल)	आनंद निकेतन	152500	1000000	1871263	1500000

2003–04 के दौरान स्थापित जन–शिक्षण संस्थानों को अनुदान

क्र.सं.	जन–शिक्षण संस्थान का नाम	गैर–सरकारी संगठन का नाम	अनुदान 2003–04	अनुदान 2004–05	अनुदान 2005–06
1.	जौरहाट (असम)	मजुली आईलैण्ड प्रोटेक्शन एण्ड डेवलपमेंट काउंसिल	1500000	1200000	1000000
2.	आरवल (बिहार)	वंचित कल्याण परिषद्	1500000	1200000	1783773
3.	रोहतक (हरियाणा)	हरियाणा नवयुवक कला संगम	1500000	1200000	1000000
4.	बोकारो (झारखण्ड)	रणधीर वर्मा मैमोरियल सोसाइटी	1500000	1200000	1000000
5.	बागलकोट (कर्नाटक)	श्री बस्वेश्वर विद्या वर्धक संघ	1500000	1200000	1000000
6.	अलपुझा (केरल)	साइंस एण्ड टेक्नॉलाजी एजूकेशनल काउंसिल	1500000	1200000	1000000
7.	रायगढ़ (महाराष्ट्र)	युवक प्रतिष्ठान	1500000	1200000	1164898
8.	बीड (महाराष्ट्र)	दीनदयाल रिसर्च इन्स्टीट्यूट	1500000	1200000	1000000
9.	दीमापुर (नागालैण्ड)	ट्राइबल वूमन वेलफेयर सोसाइटी	1500000	1200000	1997036
10.	कोरापुट (उड़ीसा)	दूमन ऑर्गनाइजेशन फॉर रूरल डेवलपमेंट	1500000	1200000	1373699
11.	लुधियाना (पंजाब)	गुरु अंगद देव सेवा सोसाइटी	1500000	1200000	1723127
12.	तिरुवरुर (तमिलनाडु)	सोसाइटी फॉर कम्यूनिटी आर्गनाइजेशन एण्ड रूरल डेवलपमेंट	1500000	1200000	1888409
13.	अगरतला (त्रिपुरा)	त्रिपुरा आदिवासी महिला समिति	1500000	120000	1113605
14.	देवरिया (यू.पी.)	जागृति सेवा संस्थिति	1500000	1200000	1000000
15.	मऊनाथ भंजन (यू.पी.)	शिक्षा प्रसारिणी समिति, मदन मोहन मालवीय विद्या मंदिर	1500000	1200000	1863333
16.	गौतमबुद्ध नगर (यू.पी.)	पं. दीनदयाल वसुधैव कुटुम्बकम संस्थान	1500000	1200000	1000000
17.	मिर्जापुर (यू.पी.)	शिक्षा प्रसारिणी समिति	1400000	1200000	1952201
18.	देहरादून (उत्तरांचल)	इंडिया लिटरेसी बोर्ड	1500000	1200000	1367269

वर्ष 2004–05 के दौरान जन–शिक्षण संस्थानों को संस्वीकृत अनुदान

क्र.सं.	जन शिक्षण संस्थान का नाम	मूल संगठन	अनुदान 2004–05	अनुदान 2005–06
1	2	3	4	5
1.	सारन (बिहार)	सांइंटीफिक एजूकेशनल प्रोमोशन एण्ड मेडिकल एंड फाउंडेशन	1500000	–
2.	पानीपत (हरियाणा)	रामजस शिक्षा समिति	1500000	1800000

1	2	3	4	5
3.	देवानगीर (कर्नाटक)	श्रीशक्ति एसोसिएशन	1500000	1800000
4.	अर्नाकुलम (केरल)	राजीव गांधी एजूकेशन फाउंडेशन	1500000	1800000
5.	गोंडिया (महाराष्ट्र)	लोक कल्याण शिक्षा संस्थान	1500000	1800000
6.	अहमदनगर (महाराष्ट्र)	महाराष्ट्र होम्योपैथिक फाउंडेशन	1500000	1800000
7.	सिहोर (मध्य प्रदेश)	केबिज शिक्षा समिति	1500000	1800000
8.	सीधी (मध्य प्रदेश)	सव्यसाची सेंटर फॉर अर्बन एण्ड रूरल डवलपमेंट	1500000	1800000
9.	धार (मध्य प्रदेश)	गौमुख वाटरप्लस	1500000	1800000
10.	होशंगाबाद (मध्य प्रदेश)	जवाहरलाल यूथ वैलफेयर एण्ड सोशल रिसर्च सेंटर	1500000	1800000
11.	सेनापति (मणिपुर)	चिल चिल एशियन मिशन सोसायटी	1500000	1800000
12.	भद्रक (उड़ीसा)	एनीमल वैलफेयर सोसाइटी ऑफ उड़ीसा	1500000	1800000
13.	भदोही (उत्तर प्रदेश)	स्व. बद्रीनारायण धनराजी देवी ग्रामोत्थान एवं शिक्षण संस्थान	1500000	1800000
14.	हरदोई (उत्तर प्रदेश)	मानव विकास एवं सेवा संस्थान	1500000	1800000
15.	रायबरेली (उत्तर प्रदेश)	राजीव मानव विकास संस्थान	1500000	1800000
16.	फतेहपुर (उत्तर प्रदेश)	श्री विघ्नेश्वर नवग्रह पर्यावरण संस्थान	–	2500000
17.	बागेश्वर (उत्तरांचल)	रूरल लिटिगेशन एण्ड एंटाइटलमेंट केन्द्र	1500000	1800000
18.	पश्चिमी मिदनापुर (प. बंगाल)	वैस्ट बंगाल शिड्यूल्डकास्ट्स, ट्राइब्स एण्ड माइनोरिटी वैलफेयर एसोसिएशन	–	1500000

आई.ई.डी. विद्यालयों की स्थापना

271. श्री किन्जरपु येरननायडु : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आंध्र प्रदेश सरकार से निःशक्त बालकों हेतु एकीकृत शिक्षा के तहत राज्य में 115 आई.ई.डी. विद्यालयों की स्थापना हेतु कोई प्रस्ताव प्रापत हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और स्थिति क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति मिलने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) से (ग) जी, हां। आन्ध्र प्रदेश सरकार का प्रस्ताव केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम 'विकलांग बच्चों हेतु समेकित शिक्षा' के अंतर्गत राज्य के 23 जिलों में 115 आई.ई.डी. केन्द्र स्थापित करने का है। चूंकि प्रस्ताव में शामिल किए जाने वाले स्कूलों की सूची तथा शिक्षकों और विद्यार्थियों के संबंध में विवरण शामिल नहीं है, आन्ध्र प्रदेश सरकार से अपेक्षित सूचना मांगी गई है। प्रस्ताव पर विचार करना अपेक्षित सूचना प्राप्त होने पर निर्भर करेगा।

[हिन्दी]

प्रधानमंत्री रोजगार योजना

272. श्री पुन्नूलाल मोहले : क्या कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री

रोजगार योजना के तहत छत्तीसगढ़ से कितने आवेदन–पत्र प्राप्त हुए हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ में नियत और अर्जित लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसके तहत अर्जित लक्ष्य संतोषजनक नहीं हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) और (ख) प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई) के लिए आवेदन पत्र राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के जिला उद्योग केन्द्रों (डीआईसी) द्वारा तथा बैंकों द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। छत्तीसगढ़ में विगत तीन वर्षों अर्थात् 2002–03, 2003–04 तथा 2004–05 में पीएमआरवाई के अंतर्गत वर्ष–वार लक्ष्यों, प्रायोजित आवेदन–पत्र तथा हितग्राहियों की संख्या (स्वरोजगार यूनिटों की संख्या) जिन्हें बैंकों द्वारा ऋण संस्वीकृत तथा संवितरित किए गए हैं, उनके संबंध में ब्योरा निम्नोक्त है :

वर्ष	लक्ष्य	स्वरोजगार यूनिटों की संख्या		
		प्रायोजित आवेदन–पत्र	स्वीकृत ऋण	संवितरित ऋण
2002–03	2250	8591	4401	3006
2003–04	4600	7926	3993	3275
2004–05	6000	8209	4333	2863

(ग) जी, हां।

(घ) लक्ष्यों की गैर–प्राप्ति के कारणों में शामिल हैं आवेदकों द्वारा संवितरण पूर्व की औपचारिकताओं का पूरा न किया जाना, टास्क फोर्स द्वारा सिफारिश किए जाने के उपरांत आवेदक द्वारा प्रस्तावित क्रियाकलाप में परिवर्तन किया जाना, राज्य सरकार से आवश्यक स्वीकृति की प्राप्ति में आवेदक द्वारा विलम्ब किया जाना, वर्कशेड, विद्युत, जैसी बुनियादी संरचना सुविधाओं की कमी, इत्यादि।

(ङ) उपचारिक कदमों में शामिल है–पीएमआरवाई के अंतर्गत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की पुनः संरचना, जिसमें जीवनक्षम इकाइयों की स्थापना पर बल दिया गया है, परियोजनाओं को कम वित्त न दिए जाने तथा निर्धारित समय–सीमा के भीतर आवेदनों का निपटान किए जाने के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के अनुदेशों का दुहराव।

कृषि उत्पादों का आयात/निर्यात

273. **श्री काशीराम राणा :**
श्री जीवाभाई ए. पटेल :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि उत्पादों के निर्यात में हुई बढ़ोत्तरी सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) पिछले तीन वर्षों और उसके पश्चात् कृषि उत्पादों का कितना आयात किया गया;

(घ) भारत के कृषि–आयात को कम करने हेतु किन क्षेत्रों को लक्षित किए जाने की आवश्यकता है; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान कृषि–आयात के कारण फॉरेक्स इंडिया को कितनी धनराशि की हानि उठानी पड़ी है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) और (ख) चूंकि निर्यात बाह्य कारकों सहित अनेक कारकों पर निर्भर होते हैं, इसलिए कृषि वस्तुओं के निर्यातों के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं। तथापि, पिछले कुछ वर्षों के दौरान कृषि वस्तुओं के हमारे निर्यातों में लगातार वृद्धि हुई है।

(ग) से (ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान कृषि उत्पादों के आयातों का मूल्य निम्नानुसार रहा है :

वर्ष	मूल्य (मिलि. अम. डालर)
2002–03	2990
2003–04	3694
2004–05*	3777
2005–06* (अप्रैल–अक्तूबर)	2191

*अनंतिम (स्रोत : डीजीसीआईएंडएस)

देश में आयातित प्रमुख कृषि मदें हैं : वनस्पति तेल (खाद्य), दालें, कच्ची काजू गिरी सहित गिरी एवं बीज आदि। यद्यपि खाद्य तेलों एवं दालों का आयात इन वस्तुओं की घरेलू उपलब्धता को बढ़ाने के लिए किया जाता है तथापि कच्ची काजू गिरी का आयात प्रसंस्करण एवं पुनः निर्यात हेतु किया जाता है। इन वस्तुओं का घरेलू उत्पादन बढ़ने से इन वस्तुओं के आयात की जरूरत में कमी आ सकती है।

[अनुवाद]

ए.एफ.एस.पी. (अधिनियम)

274. श्री गुरुदास दासगुप्त : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जस्टिस (सेवानिवृत्त) बी.पी. जीवन रेड्डी की अध्यक्षता वाली समिति, जिसका गठन सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम के निरसन की मांग पर विचार करने के लिए हुआ था, ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा और उक्त समिति की प्रमुख सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) इन सिफारिशों पर अभी तक की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) से (ग) 1972 में यथा संशोधित सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 की समीक्षा करने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट 6.6.05 को गृह मंत्रालय को प्रस्तुत कर दी है। इस रिपोर्ट में निहित समिति की सिफारिशों की जांच की जा रही है और इस मामले में अभी निर्णय लिया जाना है।

[हिन्दी]

कृषि उत्पाद आधारित उद्योगों का योगदान

275. डा. सत्यनारायण जटिया :

श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :

क्या **कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान आज तक लघु/अति लघु और कुटीर उद्योगों सहित कृषि उत्पादों और कृषि उत्पाद आधारित उद्योगों द्वारा राष्ट्रीय आय में किए गए योगदान का ब्यौरा क्या है और कुल औद्योगिक उत्पादन कितना है; और

(ख) इन उद्योगों को प्रोत्साहित करने और किसानों को लाभदायक कीमत प्रदान करने के लिए गत तीन वर्षों के दौरान दिए गए प्रोत्साहनों और किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, जिनके आंकडे उपलब्ध हैं अर्थात् वर्ष 2001–02, 2002–03 और 2003–04 जिसमें कुल औद्योगिक उत्पादन और सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) से संबंधित ग्रामीण और लघु उद्योगों (वीएसआई) जिनमें लघु/अति लघु और कुटीर उद्योग भी शामिल हैं, का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

वर्ष	ग्रामीण एवं लघु उद्योगों का कुल औद्योगिक उत्पादन में अंशदान	ग्रामीण एवं लघु उद्योगों का सकल घरेलू उत्पाद में अंशदान
2001–02	46.84%	7.89%
2002–03	46.68%	8.04%
2003–04	46.54%	7.92%

(ख) कृषि और ग्रामीण उद्योगों सहित लघु उद्योगों (एसएसआई) के संवर्धन का प्रमुख दायित्व राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों का है। तथापि, केन्द्र सरकार सम्पूर्ण देश में विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करके राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के प्रयासों का समर्थन और अनुपूरण करती है। कुछ प्रमुख योजनाएं निम्न प्रकार हैं :

(i) ग्रामीण उद्योग इकाइयों की स्थापना में पात्र आवेदकों को सहायता देने के लिए ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी)। इस कार्यक्रम के अंतर्गत पात्र आवेदकों को बैंकों द्वारा ऋण तथा सरकार द्वारा सब्सिडी प्रदान की जाती है।

(ii) अति लघु इकाइयों की स्थापना में पात्र आवेदकों को सहायता देने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई)। इस कार्यक्रम के अंतर्गत पात्र आवेदकों को बैंकों द्वारा ऋण तथा सरकार द्वारा सब्सिडी प्रदान की जाती है;

(iii) उत्पादन तकनीकों के प्रौद्योगिकी उन्नयनीकरण एवं

आधुनिकीकरण के लिए क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम (सीएलसीएसएस);

(iv) लघु उद्योग क्लस्टरों के होलिस्टिक विकास के लिए लघु उद्योग क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एसआईसीडीपी);

(v) लघु उद्योगों को स्वीकृत 25 लाख रुपये तक के समपार्श्विक मुक्त ऋणों के लिए बैंकों को गारंटी कवर प्रदान करने के लिए लघु उद्योग क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम;

(vi) ऐसे उद्योगों को आधारिक संरचना समर्थन एवं सेवाएं प्रदान करने के लिए आम सुविधा केन्द्रों (सीएफसीज) की स्थापना के लिए ग्रामीण उद्योग सेवा केन्द्र (आरआईएससी) योजना;

(vii) ग्रामीण उद्योग उत्पादनों के सुधरे हुए डिजाइन एवं पैकेजिंग के लिए उत्पादन विकास, डिजाइन इंटरवैंशन एवं पैकेजिंग (पीआरओडीआईपी) योजना;

(viii) बाजार विकास के लिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए ग्रामीण उद्योग इकाइयों को वित्तीय सहायता; और

(ix) खादी एवं पोली वस्त्र इकाइयों को ब्याज की सब्सिडाईज्ड दरों पर बैंक ऋण प्रदान करने के लिए ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाण पत्र (आईएसईसी) योजना।

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय में सरकार का शासनादेश गैर–कृषि क्षेत्र में श्रम–गहन कृषि एवं ग्रामीण उद्योगों की स्थापना में उद्यमियों को समर्थन प्रदान करके अतिरिक्त रोजगार अवसरों के सृजन को सुविधाजनक बनाने का है। इसमें कृषि संबंधी उत्पाद के लिए कृषकों को लाभकारी मूल्यों के लिए उपाय किया जाना शामिल नहीं है।

आश्रय स्थलों/विधवा आश्रमों की स्थापना

276. श्री टेक लाल महतो : क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश के विभिन्न भागों, विशेषकर झारखंड में आश्रय स्थलों/विधवा आश्रमों की स्थापना करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस उद्देश्य के लिए राज्य–वार कितनी धनराशि आवंटित किए जाने की संभावना है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी) : (क) जी, हां।

(ख) विवरण संलग्न है।

(ग) स्वाधार केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम है, जिसका वर्ष 2005–06 में बजट प्राक्कलन 6.00 करोड़ रुपये है। राज्य सरकारों की संस्तुतियों के आधार पर राशि सीधे कार्यान्वयन अभिकरणों को निर्मुक्त की जाती है। निधियों का राज्य–वार आवंटन नहीं किया जाता।

विवरण

राज्य–वार सूची

क्र.सं.	राज्य का नाम	स्वीकृत स्वाधार आश्रय गृहों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	26
2.	अरुणाचल प्रदेश	–
3.	असम	5
4.	बिहार	–
5.	छत्तीसगढ़	1
6.	दिल्ली	1
7.	गोआ	–
8.	गुजरात	3
9.	हरियाणा	1
10.	हिमाचल प्रदेश	1
11.	झारखंड	–
12.	जम्मू व कश्मीर	4
13.	कर्नाटक	17
14.	केरल	–
15.	मध्य प्रदेश	2

1	2	3
16.	महाराष्ट्र	7
17.	मिजोरम	2
18.	मेघालय	–
19.	मणिपुर	11
20.	नागालैंड	1
21.	उड़ीसा	22
22.	पंजाब	–
23.	राजस्थान	2
24.	सिक्किम	–
25.	त्रिपुरा	–
26.	तमिलनाडु	14
27.	उत्तर प्रदेश	2
28.	उत्तरांचल	–
29.	पश्चिम बंगाल	9
30.	अंडमान व निकोबार	–
31.	चंडीगढ़	–
32.	दादरा एवं नगर हवेली	–
33.	दमन एवं दीव	–
34.	लक्षद्वीप	–
35.	पांडिचेरी	–
36.	सी.एस.डब्ल्यू.बी.	–
	कुल	131

शरणार्थियों के लिए विधान

277. श्री रशीद मसूद : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सरकार को शरणार्थियों के संबंध में विधान बनाने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा अभी तक क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) इसके कब तक बनाए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या सरकार ने शरणार्थियों की स्थिति से संबंधित 1951 के अभिसमय या इसके प्रोटोकॉल, 1976 पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं; और

(च) यदि हां, तो इसका ब्यौरा और इसके कारण क्या हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) से (घ) जी नहीं श्रीमान। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सरकार को शरणार्थियों के संबंध में विधान बनाने की कोई सिफारिश नहीं की है।

(ङ) भारत शरणार्थियों की स्थिति से संबंधित 1951 के अभिसमय या इसके 1967 के प्रोटोकॉल का सदस्य नहीं है।

(च) शरणार्थियों की स्थिति से संबंधित उक्त अभिसमय और इसके प्रोटोकॉल पर भारत के हस्ताक्षर न करने के संबंध में, अन्य बातों के साथ-साथ, मुख्य कारण नीचे दिए गए हैं

(i) शरणार्थी-संरक्षण के लिए प्रोटोकॉल केवल एक आंशिक व्यवस्था है।

(ii) अभिसमय और प्रोटोकॉल की रचना मुख्यत: व्यक्तिगत मामलों से निपटने के लिए की गई है न कि व्यापक अन्तर्वाह की स्थिति से निपटने के लिए।

(iii) वे विकासशील देशों के सामने पेश आ रही स्थितियों को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं करते हैं।

(iv) मिश्रित प्रवाह की स्थिति को भी पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं किया गया है, क्योंकि कई मामलों में शरणार्थी वास्तव में आर्थिक प्रवासी होते हैं।

(v) ग्रहण करने वाले और स्रोत राज्यों के अधिकारों और दायित्वों के बीच कोई संतुलन नहीं है।

(vi) अंतर्राष्ट्रीय भार-वाहन की संकल्पना को अभिसमय में पर्याप्त रूप से विकसित नहीं किया गया है।

(vii) शरणार्थी प्रवाह पैदा न होने देने के लिए देशों की

न्यूनतम जिम्मेदारी के प्रश्न को अभिसमय और प्रोटोकॉल में संबोधित नहीं किया गया है।

(viii) शरणार्थी समस्याओं के समाधान में अन्य देशों के साथ सहयोग को अभिसमय और इसके प्रोटोकॉल में संबोधित नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

नक्सली प्रभावित राज्यों के लिए हेलिकॉप्टर

278. श्री ए. साई प्रताप : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से आंध्र प्रदेश के पुलिस विभाग को हेलिकॉप्टर प्रदान करने का अनुरोध किया है ताकि नक्सली खतरों से निबटने के लिए बलों की तुरंत तैनाती सुनिश्चित की जा सके;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस पर अभी तक क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) से (ग) जी हां, श्रीमान। सरकार ने संभारिकी और हताहतों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार को हेलीकॉप्टर सहायता उपलब्ध करवाने पर सहमति प्रकट की है और इस मामले को रक्षा मंत्रालय के साथ उठाया गया है।

कॉयर उद्योग में निवेश

279. श्री जी. एम. सिद्देश्वर :

डा. के. एस. मनोज :

क्या **कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कॉयर उद्योग का विकास करने का है;

(ख) यदि हां, तो कार्य योजना का ब्यौरा क्या है तथा इस क्षेत्र में कितनी धनराशि का निवेश किया जाएगा;

(ग) सरकार द्वारा कॉयर क्षेत्र की रुग्ण इकाइयों के पुनरुद्धार हेतु क्या उपाय किए गए हैं; और

(घ) इसके परिणामस्वरूप वर्षवार कितनी नौकरियां सृजित होंगी?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) और (ख) कॉयर बोर्ड एक सांविधिक संगठन है, जिसकी स्थापना कॉयर उद्योग अधिनियम, 1953 के अंतर्गत की गई है, जो विभिन्न विकास संबंधी परियोजनाओं का कार्यान्वयन करता है, जिनका उद्देश्य कॉयर उद्योग के विकास के लिए आधुनिकीकरण, अनुसंधान एवं विकास, प्रौद्योगिकी उन्नयनीकरण, बाजार संवर्धन, कुशलता विकास, आधारिक संरचना उन्नयनीकरण आदि है। वर्ष 2005–06 के लिए कॉयर क्षेत्र के विकास के लिए निधियों का बजट अनुमान 23.00 करोड़ रु. है। वर्ष 2006–07 के लिए बजट अनुमान प्रस्तुत किए जाने तक यह बताना संभव नहीं है कि कितनी राशि का निवेश किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने 56.8 करोड़ रु. के कुल परिव्यय के 75 प्रतिशत के केन्द्रीय अनुदान के साथ वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (आईपी एंड पी विभाग) की औद्योगिक आधारिक संरचना उन्नयनीकरण योजना (आईआईयूएस) के अंतर्गत 56.8 करोड़ रु. के परिव्यय की एक परियोजना का अनुमोदन किया है, जिसका शीर्षक अलापुझा कॉयर क्लस्टर विकास परियोजना (एसीसीडीपी) है। परियोजना का उद्देश्य मोटरीकृत पारम्परिक करघे लागू करके कताई क्षेत्र को आधुनिक बनाने के लिए आधारिक संरचना सुविधाओं का सृजन करना, लघु विनिर्माताओं के लाभ के लिए आम सुविधा केन्द्रों की स्थापना करना, आदि है।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के मार्गनिर्देशों के अनुसार कॉयर उद्योगों सहित ऐसे लघु उद्योग जिनकी स्थापना बैंक ऋण के साथ की गई थी और जो बाद में रुग्ण हो गए हैं, रुग्ण इकाइयों को उपलब्ध पुनर्वास सहायता के पात्र हैं। इसके अतिरिक्त, परम्परागत उद्योगों को अधिक उत्पादक तथा प्रतियोगी बनाने तथा उनका संपोषित विकास सुगम बनाने की दृष्टि से सरकार ने केन्द्रीय क्षेत्र की एक योजना का अनुमोदन किया है, जिसका शीर्षक खादी, कॉयर एवं ग्रामीण उद्योगों के लिए परम्परागत उद्योगों के पुनरुद्धार के लिए निधि योजना (एसएफयूआरटीआई) है। कार्यक्रम में अन्य बातों के साथ–साथ कॉयर उद्योगों के 25 क्लस्टरों में होलिस्टिक विकास पर विचार किया गया है।

(घ) एसएफयूआरटीआई, एसीसीडीपी तथा उत्पादन वृद्धि से जुड़ी हुई कॉयर कामगार कल्याण योजना जैसी नई योजनाओं तथा कॉयर बोर्ड की चालू योजनाओं में अतिरिक्त रोजगार सृजन की अनुमानित संभावना 11,200 प्रति वर्ष है।

आई.आई.टी. और आई.आई.एम. के छात्रों पर व्यय

280. श्रीमती मेनका गांधी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आई.आई.टी. और आई.आई.एम. के प्रत्येक छात्र पर सरकार द्वारा कितनी संचयी राशि व्यय की जाती है; और

(ख) इन संस्थानों के उन छात्रों का प्रतिशत कितना है जिन्होंने विदेशों में नौकरियां कर ली हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) वर्ष 2004–05 के दौरान सरकार द्वारा प्रत्येक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और भारतीय प्रबंध संस्थान पर व्यय की गई संचयी राशि इस प्रकार है :

(करोड़ रु. में)

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान	2004–2005		भारतीय प्रबंध संस्थान	2004–2005	
	योजनागत	योजनेतर		योजनागत	योजनेतर
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मुम्बई	30.00	72.00	भारतीय प्रबंध संस्थान, अहमदाबाद	–	–
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली	30.00	70.00	भारतीय प्रबंध संस्थान, बंगलौर	–	–
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर	30.00	68.00	भारतीय प्रबंध संस्थान, कलकत्ता	–	4.00
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर	35.00	70.00	भारतीय प्रबंध संस्थान, लखनऊ	4.00	7.15
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास	35.00	68.25	भारतीय प्रबंध संस्थान, इंदौर	10.21	0.25
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी	20.00	16.54	भारतीय प्रबंध संस्थान, कोजीकोड	10.00	1.50
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की	20.00	52.00			

(ख) देश छोड़ने वाले भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और भारतीय प्रबंध संस्थानों के छात्रों की संख्या और प्रतिशतता से संबंधित कोई केन्द्रीकृत आंकड़े नहीं रखे जाते।

[हिन्दी]

स्वापक परीक्षण सुविधा

281. श्री डी. बी. पाटिल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विशेष रूप से महाराष्ट्र में जिला–वार किन–किन स्थानों पर व्यापक परीक्षण किए जाते हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार महाराष्ट्र के नांदेड़ में यह सुविधा स्थापित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) केवल गुजरात और कर्नाटक की राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं में स्वापक परीक्षण किए जाते हैं। फिलहाल, महाराष्ट्र में ऐसी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है।

(ख) और (ग) यह महाराष्ट्र सरकार का काम है कि वह अपनी विधि विज्ञान सुविधा के विस्तारण पर निर्णय ले।

[अनुवाद]

दिल्ली में सड़क दुर्घटना

282. श्री अर्जुन सेठी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली यातायात पुलिस यातायात नियमों के प्रभावी कार्यान्वयन करने में असफल रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या यातायात के नियमों के उल्लंघन के कारण दिल्ली में सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में से प्रत्येक के दौरान आज की तारीख तक दिल्ली में हल्के तथा भारी वाहनों से

दुर्घटनाओं में मारे गए अलग-अलग लोगों की कुल संख्या कितनी है;

(घ) इस संबंध में कुल कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए हैं;

(ङ) सरकार द्वारा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(च) सड़क दुर्घटनाओं को रोकने तथा यातायात पुलिस की जिम्मेदारी निर्धारित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) और (ख) दिल्ली यातायात पुलिस, यातायात नियमों और विनियमों को प्रभावी ढंग से लागू करने का प्रयास करती रही है। 2005 में सड़क दुर्घटनाओं की कुल सूचित संख्या 9351 थी जबकि 2004 में 9087 मामले सूचित किए गए थे जिससे दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि का पता चलता है। तथापि, 2004 में घातक सड़क दुर्घटनाओं की संख्या 1846 थी जो 2005 में घटकर 1771 हो गई।

(ग) और (घ) अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है :

वर्ष	मारे गए व्यक्ति		गिरफ्तार किए गए व्यक्ति
	हल्के वाहन	भारी वाहन	
2003	524	696	1116
2004	548	695	1130
2005	554	636	1121
2006 (31 जनवरी तक)	42	42	73

(ङ) ऐसी दुर्घटनाओं के मामले में की गई कार्रवाई में दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों/ड्राइवरों पर मुकदमा चलाना, ड्राइवरों के ड्राइविंग लाइसेंसों की जब्ती रद्द करना और दुर्घटनाओं में संलिप्त वाहनों के परमिटों का निलम्बन/रद्दीकरण शामिल है।

(च) इस संबंध में दिल्ली पुलिस द्वारा उठाए गए कदमों में सड़क प्रयोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों में सड़क अनुशासन की बेहतर भावना जागृत करने के लिए सड़क सुरक्षा साहित्य का वितरण करना; बसों और वाणिज्यिक वाहनों के ड्राइवरों को प्रशिक्षण देना; सड़क सुरक्षा प्रशिक्षण की गतिविधियों के लिए मोबाइल एग्जिबिजन वैन का प्रयोग करना; यातायात नियमों को कड़ाई से लागू करना; डीटीसी, प्राइवेट बसों और भारी वाणिज्यिक वाहनों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाना; मद्यपान कर ड्राइविंग करने, अंधाधुंध ड्राइविंग करने, अवयस्क की ड्राइविंग, लाल बत्ती पार करने, गति सीमा का उल्लंघन आदि करने वाले लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करना; दुर्घटनाओं में संलिप्त वाणिज्यिक वाहनों के परमिट रद्द करना; कंप्यूटर पर आधारित सड़क दुर्घटनाओं का विश्लेषण और ब्लैक स्पॉट की पहचान करना; धीमी गति से चलने वाले वाहनों को तेज गति से चलने वाले वाहनों से अलग रखना; दुर्घटना संभावित सड़कों पर सेंट्रल वर्जेज के अंतर को पाटना; शहरी सड़कों पर बस बे, पीले बाक्स आदि का प्रावधान करना; दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में यातायात सिग्नलों/ब्लिंकरों की शुरुआत करना; दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस कार्मिकों को तैनात करना; सुभेद्य स्थानों पर मोबाइल गश्त और ग्रुप जांच करना; महत्वपूर्ण कोरोडारों में यातायात सिग्नलों को समकालिक बनाना; क्षेत्रीय यातायात नियंत्रण प्रणाली का विस्तार करना; यातायात का उल्लंघन करने वालों पर इंसेप्टरों और स्पीड वैक कैमरों के माध्यम से मुकदमा चलाना शामिल है।

[हिन्दी]

प्राकृतिक आपदाएं

283. श्री रामदास आठवले : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा देश के विभिन्न भागों में हर साल बार-बार आने वाली बाढ़ों, चक्रवातों तथा अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण जान-माल, फसलों तथा सम्पत्ति के नुकसान को रोकने के लिए ठोस उपाय सुझाने हेतु एक विशेषज्ञ समिति का गठन करने के लिए कोई कदम उठाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) और (ख) जी नहीं, श्रीमान। तथापि, गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने, मौजूदा मदों और आपदा राहत निधि (सीआरएफ) और राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि (एनसीसीएफ) से सहायता के मानदंडों, जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ प्राकृतिक आपदाओं के कारण जनहानि, फसलों और संपत्ति को हुए नुकसान हेतु सहायता के लिए मानदंड शामिल हैं, की समीक्षा करने हेतु एक विशेषज्ञ ग्रुप का गठन किया है। इस विशेषज्ञ ग्रुप में कुछ राज्यों तथा संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधि शामिल किए गए हैं।

[अनुवाद]

वस्त्रों का निर्यात

284. श्री भर्तृहरि महताब : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ कॉमर्शियल इंटेलिजेंस एण्ड स्टेटिस्टिक्स डाटा के अनुसार भारत को वस्त्र निर्यात करने वाला नेपाल सबसे बड़ा निर्यातक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत–नेपाल व्यापार संधि के अंतर्गत सीमाशुल्क मुक्त आवाजाही का लाभ उठाते हुए नेपाल के माध्यम से चीनी वस्त्रों की भारत में तस्करी की जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो देश में नेपाल के माध्यम से तीसरे देश के उत्पादों के अंतर्वाह को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) और (ख) जी हां, वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2004–05 के दौरान नेपाल से 29.13 करोड़ रुपए के तैयार परिधानों का आयात किया गया था।

(ग) राजस्व आसूचना निदेशालय की सूचना के अनुसार भारत–नेपाल व्यापार संधि के अंतर्गत शुल्क मुक्त पहल का लाभ प्राप्त करते हुए नेपाल के जरिए चीनी मूल के परिधानों की तस्करी की जब्ती का कोई मामला नहीं हुआ है। तथापि, इस सूचना के अनुसार जहां भारत–नेपाल सीमा के जरिए तस्करी किए जा रहे तैयार कपड़ों को जब्त किया गया है, सीधे तस्करी के मामले दर्ज किए गए हैं।

(घ) भारत सरकार भारत–नेपाल सीमा पर तस्करी को रोकने और नियंत्रित करने के लिए सभी प्रयास करती है। इसके अतिरिक्त, अप्राधिकृत व्यापार को नियंत्रित करने के लिए भारत–नेपाल करार के अंतर्गत दोनों देशों की सरकारें अपनी सीमाओं पर अप्राधिकृत व्यापार को रोकने के लिए एक–दूसरे से सहयोग करती हैं। भारत–नेपाल व्यापार संधि में भी मूल्यवर्धन को पूरा किए बगैर और संधि के अंतर्गत निर्धारित प्रसंस्करण शर्तों को पूरा किए बगैर भारत में नेपाल से तीसरे देश की वस्तुओं का निर्यात निषिद्ध है। राजस्व आसूचना निदेशालय के कार्यस्थल कार्यालयों को भी नेपाल के जरिए तीसरे देश के उत्पादों की तस्करी रोकने के लिए भी संवेदनशील कर दिया गया है।

महाल भाषा का संरक्षण

285. डा. पी. पी. कोया : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लक्षद्वीप संघ शासित क्षेत्र के मिनीकोय द्वीप के लोगों द्वारा सामान्यतः कौन सी भाषा (मातृभाषा) बोली जाती है;

(ख) इस देश में अल्पसंख्यक भाषा महाल के संरक्षण तथा विकास को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार का इस भाषा के शोध और विकास हेतु एक केन्द्र की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) लक्षद्वीप संघ शासित क्षेत्र के मिनीकोय द्वीप के लोगों द्वारा सामान्यतः बोली जाने वाली भाषा महाल है।

(ख) महाल भाषा के संरक्षण और विकास हेतु सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जा रहे कदम नीचे दिए गए हैं :

(i) मिनीकोय के सरकारी विद्यालयों में कक्षा IV तक इसे पहली भाषा के रूप में पढ़ाया जाता है;

(ii) लक्षद्वीप प्रशासन के अंतर्गत महाल अनुवादकों की नियुक्ति की जाती है;

(iii) कवारत्ती और कालीकट स्थित आकाशवाणी के जरिए महाल कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं;

(iv) लक्षद्वीप के सरकारी समाचार पत्र, लक्षद्वीप टाइम्स, मिनीकोय के लिए महाल में मुद्रित किया जाता है;

(v) इतिहास, भाषा और साहित्य पर प्रकाश डालते हुए महाल भाषा पर एक पुस्तक की योजना बनाई गई है;

(vi) मालद्वीप से महाल टेलीवीजन चैनल मिनीकोय में उपलब्ध करवाया गया है; और

(vii) बांधिया और लावा जैसे महाल सांस्कृतिक नृत्य रूप विद्यालय के बच्चों को सिखाए जाते हैं और अन्य द्वीप समूहों में भी इन्हें प्रोत्साहित किया जाता है।

(ग) से (ङ) इस भाषा के शोध और विकास हेतु केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इस भाषा को संरक्षित और प्रोत्साहित करने के लिए उक्त उल्लिखित कदम फिलहाल पर्याप्त समझे गए हैं।

कृषि एवं ग्रामीण उद्योगों हेतु
प्रोत्साहन योजनाएं

266. श्री रवि प्रकाश वर्मा : क्या कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कृषि और ग्रामीण उद्योगों की सहायता हेतु कोई प्रोत्साहन योजना कार्यान्वित कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में से प्रत्येक के दौरान आज की तारीख तक राज्यवार इस संबंध में कितनी धनराशि खर्च की गई है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) और (ख) सरकार (कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय में) रोजगार सृजन के लिए दो क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजनाएं कार्यान्वित करती है, अर्थात्, (i) ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में ग्रामोद्योगों की स्थापना में उद्यमियों की मदद करने वाला ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी), और (ii) ग्रामीण के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों में (लगभग पचास प्रतिशत पीएमआरवाई इकाइयां अनुमानतः ग्रामीण क्षेत्रों में हैं) शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार अवसर सृजित करने हेतु प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई)। इन दोनों योजनाओं के लाभार्थियों के लिए स्वीकार्य सब्सिडी बैंकों द्वारा प्रदान किए जाने वाले ऋणों के साथ बैंकों के माध्यम से जारी की जाती है।

2002-03, 2003-04 2004-05 और 2005-06 (दिसंबर 2005 तक) के दौरान आरईजीपी के तहत प्रदान की जाने वाली मार्जिन मनी सहायता का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में है। पीएमआरवाई के तहत, सब्सिडी के लिए निधियों का आवंटन और जारी करना राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों के लिए लक्ष्यों से संबंधित है। सब्सिडी राशि सीधे भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को जारी की जाती है, जो बदले में आवश्यक राशि को कार्यान्वयक बैंकों को जारी करता है। 2002-03, 2003-04, 2004-05 और 2005-06 (दिसंबर 2005 तक) के दौरान, आरबीआई को जारी सब्सिडी की राशि निम्नलिखित है :

वर्ष	पीएमआरवाई के तहत जारी सब्सिडी (करोड़ रुपये में)
2002-03	152.55
2003-04	147.63
2004-05	190.48
2005-06 (दिसंबर 2005 तक)	194.20

2002-03, 2003-04, 2004-05 और 2005-06 (दिसंबर, 2005 तक) के दौरान पीएमआरवाई के तहत उद्यमिता विकास तथा आकस्मिक व्यय के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी अनुदान की राशि संलग्न विवरण-II में दी गई है।

विवरण-I

2002-03, 2003-04, 2004-05 और 2005-06 (दिसंबर 2005 तक) के दौरान आरईजीपी के तहत प्रदत्त मार्जिन मनी सहायता का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06*
1	2	3	4	5	6
I	**उत्तरी क्षेत्र**				
1.	चंडीगढ़	0.40	10.24	21.45	0.00
2.	दिल्ली	16.16	12.31	8.09	13.24

1	2	3	4	5	6
3.	हरियाणा	884.91	1938.96	2142.25	1325.53
4.	हिमाचल प्रदेश	643.78	757.11	657.72	467.02
5.	जम्मू और कश्मीर	179.00	363.45	584.55	755.90
6.	पंजाब	1744.62	819.03	1834.63	599.18
7.	राजस्थान	2189.08	2890.28	2064.33	1198.55
II	**पूर्वी क्षेत्र**				
1.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	78.24	28.44	4.16	214.36
2.	बिहार	108.13	186.03	261.69	281.63
3.	झारखण्ड	421.01	198.08	320.60	185.11
4.	उड़ीसा	156.78	784.11	863.05	100.95
5.	प. बंगाल	1202.17	1593.51	1999.62	1476.92
III	**उत्तर पूर्वी क्षेत्र**				
1.	अरुणाचल प्रदेश	45.36	52.77	66.03	49.13
2.	असम	375.68	806.83	1277.42	997.15
3.	मणिपुर	110.53	41.19	73.66	7.94
4.	मेघालय	135.94	121.79	196.03	112.30
5.	मिजोरम	224.40	61.10	257.48	115.31
6.	नागालैंड	50.15	117.20	204.46	78.57
7.	त्रिपुरा	106.23	224.02	214.14	84.74
8.	सिक्किम	6.70	127.67	165.78	58.48
IV	**दक्षिणी क्षेत्र**				
1.	आन्ध्र प्रदेश	1775.01	1675.40	3394.19	2112.80
2.	कर्नाटक	1560.05	1692.17	1063.83	486.83
3.	केरल	1196.03	2753.15	1027.95	665.75
4.	लक्षद्वीप	-	7.42	0.00	0.00
5.	पांडिचेरी	0.29	11.38	9.05	4.38
6.	तमिलनाडु	604.08	1362.17	1147.28	252.72

1	2	3	4	5	6
V	पश्चिमी क्षेत्र				
1.	दादरा–नगर हवेली	9.49	4.13	0.00	0.00
2.	दमन एवं दीव	–	–	0.00	0.00
3.	गोवा	198.06	82.98	88.90	17.24
4.	गुजरात	102.23	130.34	530.55	453.06
5.	महाराष्ट्र	1541.92	873.25	1439.17	1457.06
VI	केन्द्रीय क्षेत्र				
1.	छत्तीसगढ़	427.33	1096.00	1000.91	657.50
2.	मध्य प्रदेश	605.97	1355.07	2125.71	511.72
3.	उत्तरांचल	378.01	979.70	578.63	237.80
4.	उत्तर प्रदेश	2293.52	3415.18	3596.64	1470.82
	कुल योग	19371.26	26574.46	29239.95	16449.69

विवरण-II

2002–03, 2003–04, 2004–05 और 2005–06 (दिसंबर 2005 तक) पीएमआरवाई के अंतर्गत उद्यमिता विकास और आकस्मिकताओं के लिए जारी अनुदानों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार ब्यौरा

(राशि लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06**
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	63.92	191.44	293.34	176.72
2.	असम	110.73	58.97	100.71	77.80
3.	अरुणाचल प्रदेश	3.81	3.47	5.39	4.54
4.	बिहार	0.00	101.54	19.87	0.00
5.	छत्तीसगढ़	0.00	36.08	50.84	41.02
6.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	गुजरात	666.94	20.27	53.07	13.38
9.	हरियाणा	38.86	68.99	74.20	45.64

1	2	3	4	5	6
10.	हिमाचल प्रदेश	16.96	19.48	5.12	15.03
11.	जम्मू व कश्मीर	2.49	13.16	0.00	11.71
12.	झारखंड	0.00	0.00	34.56	0.06
13.	कर्नाटक	49.76	148.93	173.19	124.08
14.	केरल	55.26	112.21	175.75	176.63
15.	मध्य प्रदेश	120.21	149.32	265.38	226.32
16.	महाराष्ट्र	29.15	191.31	173.92	128.04
17.	मणिपुर	0.00	5.57	4.55	0.13
18.	मेघालय	1.86	7.10	8.29	8.22
19.	मिजोरम	4.71	3.61	3.24	8.22
20.	नागालैंड	6.84	1.00	17.12	16.80
21.	उड़ीसा	20.50	91.34	147.50	135.46
22.	पंजाब	30.22	78.18	81.45	55.67
23.	राजस्थान	57.83	106.01	104.30	109.97
24.	तमिलनाडु	40.29	147.94	136.75	155.27
25.	त्रिपुरा	17.35	18.20	21.24	22.70
26.	उत्तर प्रदेश	204.37	402.53	644.91	422.85
27.	उत्तरांचल	0.00	25.83	92.76	6.40
28.	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	19.12	29.10
29.	अंडमान व निकोबार	0.59	1.06	2.51	0.55
30.	चंडीगढ़	0.37	0.47	1.02	3.98
31.	दमन व दीव	0.07	0.04	0.03	0.03
32.	दादरा व नगर हवेली	0.11	0.15	0.20	0.19
33.	लक्षद्वीप	0.08	0.12	0.14	0.05
34.	पांडिचेरी	1.02	5.37	4.74	0.57
35.	सिक्किम	0.10	0.48	0.25	0.89
	कुल	1544.38	2010.20	2715.43	2018.02

कम्प्यूटरीकृत पुस्तकों की शुरुआत

287. श्री रेवती रमन सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अगले कुछ महीनों में कुछ कक्षाओं की पुस्तकों के कम्प्यूटरीकृत संस्करण शुरू करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस निर्णय से समाज के कमजोर वर्ग के छात्र, जिनके पास घर पर कम्प्यूटर नहीं हैं, वंचित रह जाएंगे; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे छात्रों की सहायता हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) और (ख) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् ने शैक्षिक सत्र 2005–06 के दौरान कक्षा IX से XII हेतु कई पाठ्यपुस्तकों की विषयवस्तुएं वेब साइट पर डाली हैं। शैक्षिक सत्र 2006–07 के दौरान कक्षा II, IV, V, VII तथा VIII की पाठ्यपुस्तकों के पुनःमुद्रित संस्करणों और साथ ही कक्षा–I, III, VI, IX तथा IX की पाठ्यपुस्तकों को भी वेबसाइट पर डालने की इसकी योजना है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् की मुद्रित पाठ्यपुस्तकें पहले की ही तरह अभी भी बाजार में उपलब्ध होंगी। वेब साइट पर पाठ्यपुस्तकों की उपलब्धता एक अतिरिक्त सुविधा है जिसका उपयोग आवश्यकतानुसार किया जा सकता है।

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, अहमदाबाद

288. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन (एन.आई.डी.), अहमदाबाद में छात्रों की संख्या बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसे कब तक घोषित किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) से (ग) राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (एनआईडी) ने विगत तीन वर्षों में 14 स्नातकोत्तर कार्यक्रमों को आरंभ करके विद्यार्थियों की संख्या में काफी वृद्धि की है और शैक्षणिक वर्ष 2006–07 से एक और स्नातकोत्तर कार्यक्रम आरंभ करने से संबंधित व्यवस्था पूर्ण कर ली है। विद्यार्थियों की वार्षिक संख्या वर्ष 2001–2002 में 139 से बढ़कर वर्ष 2005–06 में 225 हो गई है।

शैक्षणिक ग्रंथालयों हेतु निधियां

289. श्री डी. विट्ठल राव : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने शैक्षणिक ग्रंथालयों हेतु नई योजना के लिए 5 करोड़ रु. आवंटित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में विशेषकर आंध्र प्रदेश में कितने ग्रंथालयों की पहचान की गई है; और

(घ) इस प्रयोजनार्थ राज्यवार कितनी निधियां निर्धारित की गई हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरंदेश्वरी) : (क) से (घ) शैक्षिक पुस्तकालयों की एक प्रस्तावित नई योजना के लिए योजना आयोग ने दसवीं पंचवर्षीय योजना में 5.00 करोड़ रु. का आवंटन किया था। अब यह निर्णय लिया गया है कि इस राशि का उपयोग 'स्कूलों में विज्ञान शिक्षा में सुधार' की योजना के तहत विज्ञान शिक्षा हेतु किया जाए, जो 'स्कूलों में गुणवत्ता में सुधार' नामक एक सामासिक योजना का घटक है। 'स्कूलों में विज्ञान शिक्षा में सुधार' के इस घटक को राज्य क्षेत्र की योजना के रूप में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को अंतरित करने का निर्णय भी लिया गया है।

राजीव गांधी नेशनल क्रेच स्कीम

290. श्री मनोरंजन भक्त : क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काम पर जाने वाली महिलाओं के बच्चों के लिए राजीव गांधी नेशनल क्रेच स्कीम के अंतर्गत अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह सहित देश में क्रेच स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान इस प्रयोजन के लिए राज्य–वार कितनी धनराशि आवंटित किए जाने की संभावना है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) और (ख) जी, हां। हाल ही में, सरकार ने कामकाजी माताओं के बच्चों हेतु राजीव गांधी राष्ट्रीय शिशु गृह स्कीम नामक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम शुरू की है। स्कीम के अन्तर्गत देश में नए शिशु गृहों की स्थापना का प्रस्ताव है। स्कीम का क्रियान्वयन केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड तथा भारतीय आदिम जाति सेवक संघ एवं भारतीय बाल कल्याण परिषद, नई दिल्ली नामक दो राष्ट्र स्तरीय संगठनों के माध्यम से किया जाएगा। स्कीम के अन्तर्गत वित्तीय मानकों को 18480/– रुपये प्रति शिशु गृह प्रति वर्ष से बढ़ाकर 42,384/– रुपये प्रति शिशु गृह प्रति वर्ष कर दिया गया है।

(ग) उपर्युक्त कार्यान्वयनकर्ता अभिकरणों को शिशु गृहों की स्थापना हेतु प्रति शिशु गृह प्रति वर्ष 10,000/– रुपये गैर–आवर्ती तथा 42,384/– रुपये आवर्ती राशि आवंटित की जाएगी।

त्रि-भाषा फार्मूला

291. श्री देविदास पिंगले : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रि–भाषा फार्मूला के अंतर्गत सी.बी.एस.ई तथा आई.सी.एस.ई. के छात्रों को केवल दो भाषाएं तथा राज्य बोर्ड स्कूल के छात्रों को तीन भाषाएं पढ़नी होंगी;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकारों विशेष रूप से महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र सरकार से पाठ्यचर्या में संशोधन करने का अनुरोध किया है ताकि सी.बी.एस.ई. तथा आई.सी.एस.ई. के पैटर्न पर राज्य बोर्ड के छात्रों को भी केवल दो भाषाएं पढ़नी पड़ें;

(ग) यदि हां, तो राज्य सरकारों द्वारा दिए गए प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है तथा यह कब किया गया था; और

(घ) इस मामले में केन्द्र सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है तथा इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड तथा भारतीय स्कूल प्रमाणपत्र परीक्षा परिषद् से संबद्ध स्कूलों में उच्च प्राथमिक स्तर पर गतिविधियों हेतु तीन भाषाएं पढ़ना अनिवार्य है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

विदेशी दौरे

292. श्री चंद्रकांत खैरे : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों तथा उसके बाद भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन के अधिकारियों द्वारा किन–किन देशों का दौरा किया गया तथा प्रत्येक दौरे पर कितना व्यय किया गया; और

(ख) इन अधिकारियों के विदेशी दौरों को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) आईटीपीओ का एक प्रमुख नैगमिक उद्देश्य, भारतीय व्यापार के संवर्धन हेतु भारत एवं विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले आयोजित करना और उनमें हिस्सा लेना है। इसके प्रयोजनार्थ आइटीपीओ के अधिकारियों को विदेशों में भेजा जाता है।

विवरण

वर्ष 2002–2003

क्र.सं.	देश का नाम	व्यय (रुपए में)
1	2	3
1.	नेपाल	1663302
2.	सूडान	1022798
3.	लीबिया	595283
4.	अल्जीरिया	527964
5.	यूएसए	3114259
6.	ईरान	313488
7.	ब्राजील	253405
8.	जाम्बिया	231148

1	2	3
9.	युगांडा	672970
10.	इराक	1111203
11.	मैक्सिको	252539
12.	रूस	3848460
13.	पनामा	906997
14.	जर्मनी	3579350
15.	स्विट्जरलैंड	1561016
16.	रोमानिया	557183
17.	हंगरी	474678
18.	ताइवान	89789
19.	इथोपिया	392700
20.	यूके	440976
21.	इटली	1297555
22.	हांगकांग	764471
23.	जापान	1253497
24.	फ्रांस	1465458
25.	स्पेन	719167
26.	बेल्जियम	191859
27.	यूएई	146349
28.	दक्षिण आफ्रीका	1012285
29.	चीन	1361427
30.	पोलैंड	232521
31.	कनाडा	259865
32.	आस्ट्रेलिया	220138
33.	जॉर्डन	278504
34.	बंगलादेश	169809
35.	श्रीलंका	70962
36.	पेरू	274391
	कुल	31325766

वर्ष 2003–2004

क्र.सं.	देश का नाम	व्यय (रुपए में)
1	2	3
1.	फ्रांस	1370184
2.	जर्मनी	2730374
3.	लीबिया	557411
4.	अल्जीरिया	645014
5.	अमरीका	1956283
6.	मलेशिया	2763549
7.	तन्जानिया	573560
8.	इटली	1521670
9.	मैक्सिको	670922
10.	पुर्तगाल	607303
11.	कनाडा	980624
12.	पोलैंड	356222
13.	मोजाम्बिका	510391
14.	स्विट्जरलैण्ड	416467
15.	दक्षिण आफ्रीका	1149675
16.	जाम्बिया	446844
17.	हंगरी	689195
18.	स्पेन	392442
19.	यूएई	159958
20.	तुर्की	530752

1	2	3
21.	युगांडा	448004
22.	जापान	1868388
23.	ईरान	345789
24.	चीन	152226
25.	पनामा	447503
26.	हांगकांग	849616
27.	उज्बेकिस्तान	165185
28.	मिस्र	394671
29.	बंगलादेश	781915
30.	यूके	169757
31.	सूडान	477762
32.	इथोपिया	188621
33.	नीदरलैंड	234811
34.	पेरू	246612
35.	आस्ट्रेलिया	322089
36.	स्वीडन	201778
	कुल	26323567

वर्ष 2004–05

क्र.सं.	देश का नाम	व्यय (रुपए में)
1	2	3
1.	अल्जीरिया	423418
2.	आस्ट्रेलिया	226802
3.	लीबिया	416697
4.	फ्रांस	1583573
5.	चीन	564593
6.	यूएसए	1571317
7.	पुर्तगाल	455623
8.	सीरिया	195386
9.	इटली	1467558
10.	वियतनाम	296323
11.	मंगोलिया	1415115
12.	दक्षिण कोरिया	118971
13.	न्यूजीलैंड	173311
14.	तन्जानिया	317190
15.	जापान	1128634
16.	पोलैंड	223164
17.	जर्मनी	1149425
18.	दक्षिण अफ्रीका	588334
19.	कोलम्बिया	549232
20.	ग्रीस	412307
21.	क्रोएशिया	347759
22.	चेक गणराज्य	607658
23.	स्पेन	156259
24.	बहरीन	97896
25.	यूके	182632
26.	स्विट्जरलैंड	209917
27.	इथोपिया	138252
28.	सूडान	154417
29.	मिस्र	377968
30.	हांगकांग	183614
31.	पनामा	384499
32.	सिंगापुर	73057

1	2	3
33.	थाईलैंड	54684
34.	यूएई	61434
	कुल	16307019

वर्ष 2005–06 (अप्रैल–दिसम्बर, 2005)

क्र.सं.	देश का नाम	व्यय (रुपए में)
1	2	3
1.	आस्ट्रेलिया	271335
2.	ब्राजील	135855
3.	चीन	307800
4.	क्रोएशिया	207550
5.	साईप्रस	235607
6.	फ्रांस	944534
7.	ग्वाटेमाला	233500
8.	जर्मनी	751050
9.	ग्रीस	154600
10.	हांगकांग	501975
11.	इटली	891050
12.	जापान	15870000
13.	केन्या	673995
14.	लीबिया	264450
15.	मलेशिया	593165
16.	मैक्सिको	350156
17.	न्यूजीलैंड	99680
18.	पोलैंड	159400
19.	रोमानिया	178092
20.	सउदी अरब	463063
21.	दक्षिण अफ्रीका	904909
22.	दक्षिण कोरिया	4291194
23.	स्पेन	190800
24.	सीरिया	343627
25.	तन्जानिया	351468
26.	युगांडा	282946
27.	यूनाइटेड किंगडम	167360
28.	अमरीका	345964
	कुल	30165125

प्रवेश के लिए निर्धारित समयावधि

293. श्री एस. के. खारवेनथन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने छात्रों के आगे के प्रवेश को सुगम करने के लिए सभी राज्य सरकारों के लिए 10+2 के परिणामों की घोषणा एक विशेष तिथि तक करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई प्रयास किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) और (ख) जी, हां। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अकादमिक वर्ष 2005 से यह अनिवार्य कर दिया है कि सभी राज्य बोर्ड 10+2 के परिणाम प्रत्येक वर्ष 10 जून तक घोषित कर दें। पश्चिम बंगाल के लिए यह सीमा अकादमिक वर्ष 2006 से लागू होगी।

(ग) से (ङ) इस संबंध में राज्य बोर्डों द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करना अनिवार्य है।

भारत रत्न प्रदान करना

294. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान आज तक किन-किन व्यक्तियों को भारत रत्न की उपाधि प्रदान की गई है;

(ख) उन लोगों के नाम क्या हैं जिन्होंने उपाधि को अभ्यर्पित कर दिया है अथवा इसे स्वीकार करने से इंकार कर दिया है;

(ग) किसी व्यक्ति को भारत रत्न की उपाधि प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा क्या मानदंड अपनाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार ने भारत रत्न की उपाधि प्रदान करने हेतु लोगों के नामों की संविक्षा करने हेतु कोई समिति गठित की है;

(ङ) समिति के विचारार्थ विषय क्या है; और

(च) इस सम्मान को प्रदान करने हेतु नामों की संविक्षा करने वाली समिति के सदस्यों का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान किसी भी व्यक्ति को भारत रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया है।

(ख) उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस को मरणोपरान्त दिए गए भारत रत्न पुरस्कार को उनके परिवार द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था।

(ग) भारत रत्न पुरस्कार कला, साहित्य और विज्ञान में प्रगति की दिशा में असाधारण सेवा और उच्च कोटि की लोक सेवा को मान्यता प्रदान करने के लिए दिया जाता है।

(घ) से (च) भारत रत्न के पुरस्कार हेतु लोगों के नामों की छानबीन करने हेतु कोई भी समिति गठित नहीं की गई है। भारत रत्न के पुरस्कार हेतु सिफारिशें प्रधानमंत्री द्वारा स्वयं राष्ट्रपति को की जाती हैं। प्रधानमंत्री जिससे चाहें परामर्श कर सकते हैं।

बाल आयोग का गठन

295. श्री ई. जी. सुगावनम : क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्र और राज्य स्तर पर राष्ट्रीय बाल आयोग की तर्ज पर बाल आयोगों का गठन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) आयोग का गठन कब तक किए जाने की संभावना है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने हाल ही में बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 को भारत के राजपत्र में वर्ष 2006 के अधिनियम संख्या 4 के रूप में दिनांक 20 जनवरी, 2006 को अधिसूचित किया है। इस अधिनियम में बाल अधिकारों के संरक्षणार्थ राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आयोग तथा राज्य स्तर पर राज्य आयोगों के गठन की परिकल्पना की गई है, जो सांविधिक निकाय होंगे। राज्य आयोगों के गठन, रिपोर्टिंग, कृत्यों तथा शक्तियों के संबंध में बनाए गए उपबंध राष्ट्रीय आयोग के उपबंधों के समान ही होंगे। राज्यों से राज्य स्तर पर आयोगों का गठन करने का अनुरोध किया जा चुका है। प्रस्तावित बालक आयोगों की प्रमुख विशेषताएं बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 में उपलब्ध हैं, जो मंत्रालय के वेबसाइट http/www.wcd.nic.in पर देखा जा सकता है।

(ग) बालक अधिकार संरक्षण आयोगों के गठन से संबंधित विभिन्न कार्रवाइयां, अर्थात् पदों का सृजन, नियम बनाना आदि, की जा रही हैं।

शिक्षा का अधिकार विधेयक को प्रस्तुत करना

296. श्री रायापति सांबासिवा राव : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 14 वर्ष की आयु तक के प्रत्येक बच्चे का स्कूल जाना सुनिश्चित करने के लिए सरकार के प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री द्वारा गठित समिति ने शिक्षा का अधिकार विधेयक के वित्तीय प्रभावों पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या योजना आयोग ने विधेयक के उपबंधों पर मौलिक प्रश्न उठाए हैं;

(ग) यदि नहीं, तो क्या योजना आयोग ने विधेयक के अनुपातों तथा वित्तीय प्रभावों पर और चर्चा कराने का संकेत दिया है;

(घ) यदि हां, तो समिति ने किन प्रमुख मुद्दों की सिफारिश की है;

(ङ) क्या सरकार द्वारा योजना आयोग की आपत्तियों पर विचार किया गया है; और

(च) यदि हां, तो प्रस्तावित विधेयक में किन-किन परिवर्तनों पर विचार किया गया है तथा इसके कब तक प्रस्तुत कर दिए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) जी, हां।

(ख) से (च) शिक्षा के अधिकार के वैधानिक तथा संवैधानिक पहलुओं के साथ-साथ सहवर्ती वित्तीय आवश्यकताओं की जांच करने के लिए गठित एक लघु दल की सिफारिशें अग्रिम दिशा-निर्देशों के लिए माननीय प्रधानमंत्री को भेज दी गई हैं।

भारत और रूस के बीच व्यापार संबंधी संयुक्त अध्ययन समूह

297. श्री अनन्त नायक : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और रूस व्यापार बढ़ाने की संभावनाओं की जांच करने हेतु एक संयुक्त अध्ययन समूह गठित करने पर सहमत हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रूस भी विश्व व्यापार संगठन में सम्मिलित हो गया है; और

(घ) यदि हां, तो इससे भारतीय व्यापार में कितनी वृद्धि की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) और (ख) जी, हां। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय और रूसी परिसंघ के आर्थिक विकास एवं व्यापार मंत्रालय के बीच सहयोग के संबंध में एक समझौता ज्ञापन पर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, श्री कमल नाथ और रूसी परिसंघ के आर्थिक विकास एवं व्यापार मंत्री श्री जी. ओ. ग्रेफ द्वारा दिनांक 6 फरवरी, 2006 को उनकी भारत यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे। इसमें भारत की ओर से वाणिज्य सचिव अथवा उनके प्रतिनिधि तथा रूसी पक्ष की ओर से प्राधिकृत विशेषज्ञ की सहअध्यक्षता में एक संयुक्त अध्ययन दल (जे.एस.जी.) गठित करने का प्रावधान है। इस जेएसजी को अनेक क्षेत्रों में विशेषकर वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग के संबंध में द्विपक्षीय संबंधों को विविध बनाने और सुदृढ़ करने के समग्र उद्देश्य से भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने के उपायों का सुझाव देने और भारत और रूसी परिसंघ की सरकार के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग करार पर हस्ताक्षर करने की संभावना पर विचार करने की व्यवहार्यता का अध्ययन करने के लिए अधिदेशित किया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

बैंकों द्वारा ऋण का संवितरण

298. श्री सन्त कुमार मंडल : क्या **कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देश में विशेषकर पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत बैंकों द्वारा ऋण के रूप में राज्यवार और बैंक-वार कुल कितनी धनराशि संवितरित की गई है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान योजना के अंतर्गत राज्यवार कितने लोगों को लाभ प्राप्त हुआ है; और

(ग) उक्त योजनाओं के बारे में लोगों में जागरूकता लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई) के अंतर्गत संवितरित किए गए ऋणों का राज्य-वार एवं बैंक-वार ब्यौरा केन्द्रीय तौर पर नहीं रखा जाता है। तथापि, पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2002-03, 2003-04 और 2004-05 के दौरान समग्र तौर पर देश में पीएमआरवाई के अंतर्गत संवितरित किए गए ऋणों का बैंक-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। पश्चिम बंगाल सहित देश में पीएमआरवाई के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा तथा वर्ष 2002-03, 2003-04 और 2004-05 की इसी अवधि के दौरान संवितरित किए गए ऋणों की राशि संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ग) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटीज) के पीएमआरवाई का कार्यान्वयन कर रहे जिला उद्योग केन्द्र (डीआईसी) प्रिंट एवं

दृश्य–श्रव्य मीडिया होर्डिंग्ज आदि के माध्यम से योजना का प्रचार करने के अतिरिक्त प्रेरणात्मक कैम्पों तथा चयन–पूर्व प्रशिक्षण देते हैं। पीएमआरवाई का कार्यान्वयन कर रहे बैंक, योजना को लोकप्रिय बनाने के लिए अपनी ओर से योजना का प्रचार भी करते हैं।

विवरण-I

आरबीआई की सूचना के अनुसार वर्ष 2002–03, 2003–04 और 2004–05 के लिए पीएमआरवाई के तहत संवितरित ऋणों का बैंकवार ब्यौरा

(राशि लाख रुपये में)

क्र.सं.	बैंकों के नाम	संवितरित ऋणों की राशि		
		2002–03	2003–04	2004–05
1	2	3	4	5
1.	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	33952.00	36281.00	32335.00
2.	स्टेट बैंक ऑफ बी एंड जे	2198.77	2415.91	2763.23
3.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	3010.29	2832.10	4420.77
4.	स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर	2641.55	2430.96	1246.77
5.	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	1543.28	1589.94	1309.19
6.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	1938.39	2070.07	1991.29
7.	स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	0.00	356.65	277.07
8.	स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर	1369.27	1999.25	1477.48
9.	इलाहाबाद बैंक	5581.69	6601.03	7022.34
10.	आन्ध्रा बैंक	0.00	2131.97	5472.24
11.	बैंक ऑफ बड़ौदा	9192.82	8658.39	8421.49
12.	बैंक ऑफ इंडिया	7214.54	6854.36	8149.60
13.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	2667.31	2951.12	3431.83
14.	केनरा बैंक	4179.93	4308.41	7630.36
15.	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	0.00	6998.52	11064.12
16.	कारपोरेशन बैंक	955.96	1005.44	1254.29
17.	देना बैंक	1818.18	1408.87	1704.13
18.	इंडियन बैंक	2284.41	2308.76	2723.71
19.	इंडियन ओवरसीज बैंक	0.00	0.00	2187.43
20.	ओरियन्टल बैंक ऑफ कामर्स	3064.81	3080.73	3169.58
21.	पंजाब नेशनल बैंक	11696.99	12747.17	13423.58
22.	पंजाब एंड सिंध बैंक	1342.94	1396.82	1281.96
23.	सिंडीकेट बैंक	4111.21	4541.97	4451.10
24.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	6618.60	6686.90	6926.91
25.	यूनाइटिड बैंक ऑफ इंडिया	1473.79	1749.69	2797.87
26.	यूको बैंक	4425.34	5419.92	2093.45
27.	विजया बैंक	1762.41	1898.34	2085.76
28.	आईसीआईसीआई बैंक लि.	24.76	58.59	31.42
29.	बैंक ऑफ राजस्थान लि.	271.73	358.70	232.61
30.	भारत ओवरसीज बैंक लि.	50.94	47.90	84.57
31.	कैथोलिक बैंक लि.	269.48	398.34	433.70
32.	धनलक्ष्मी बैंक लि.	107.73	264.52	359.42
33.	फिडरल बैंक लि.	837.78	814.24	720.42
34.	जे. एंड के. लि.	826.10	796.29	888.84
35.	कर्नाटक बैंक लि.	446.97	393.43	209.40
36.	करूर व्यास बैंक लि.	0.00	294.59	312.07
37.	लक्ष्मी विलास बैंक लि.	135.86	209.80	140.23
38.	नेदुगडी बैंक लि.	50.30	0.00	0.00
39.	रत्नाकर बैंक लि.	125.82	115.62	139.35
40.	सांगली बैंक लि.	0.00	47.35	29.35

1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
41.	साउथ इंडियन बैंक लि.	0.00	412.28	562.02	45.	नैनीताल बैंक लि.	222.18	265.67	248.24
42.	तमिलनाडु मेर बैंक लि.	304.98	302.25	302.75	46.	सिटी यूनियन बैंक लि.	188.16	182.82	195.07
43.	यूनाइटिड वेस्टर्न बैंक लि.	394.79	394.43	332.04	47.	लार्ड कृष्णा बैंक लि.	68.73	120.70	80.75
44.	आईएनजी व्यास बैंक लि.	476.58	552.69	647.27		सभी बैंकों का जोड़	119647.37	136754.50	147062.07

विवरण-II

रिजर्व बैंक की सूचना के अनुसार, 2002–03, 2003–04 और 2004–05 के लिए पीएमआरवाई के तहत संवितरित ऋणों और लाभार्थियों की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा

(राशि लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2002–03		2003–04		2004–05	
		लाभार्थियों की संख्या	राशि	लाभार्थियों की संख्या	राशि	लाभार्थियों की संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	हरियाणा	7008	4229.89	7277	4258.84	7588	4209.92
2.	हिमाचल प्रदेश	2209	1505.46	2862	2232.75	2850	2271.89
3.	जम्मू व कश्मीर	605	517.15	656	621.27	649	671.47
4.	पंजाब	7771	4781.13	7558	4728.70	8066	4964.90
5.	राजस्थान	12267	6546.55	12769	7078.78	12653	6860.22
6.	चंडीगढ़	47	29.32	68	42.09	202	121.91
7.	दिल्ली	632	453.90	904	624.08	841	585.02
8.	असम	4149	3332.78	5844	3863.75	4785	3036.71
9.	मणिपुर	549	388.42	520	367.97	270	212.23
10.	मेघालय	256	197.54	403	347.49	555	483.63
11.	नागालैंड	107	138.36	53	49.36	109	102.45
12.	त्रिपुरा	1085	677.04	2043	1527.01	1689	1181.77
13.	अरुणाचल प्रदेश	294	273.07	668	608.86	133	91.80
14.	मिजोरम	155	107.87	775	826.50	142	133.50
15.	सिक्किम	26	13.17	30	22.23	32	22.80

1	2	3	4	5	6	7	8
16.	बिहार	7939	6626.81	9860	8163.68	10136	8577.37
17.	झारखंड	4354	3543.38	4774	3953.63	4765	3746.03
18.	उड़ीसा	6725	4540.69	8779	5739.25	10107	5630.12
19.	पश्चिम बंगाल	2528	1627.77	2822	1889.35	3491	2314.67
20.	अंडमान और निकोबार	142	110.23	182	130.29	120	92.05
21.	मध्य प्रदेश	16710	10522.26	19745	12127.05	19900	12069.88
22.	छत्तीसगढ़	3006	1886.82	3275	2067.12	2863	1733.56
23.	उत्तर प्रदेश	38016	25583.18	40481	27171.63	42337	28657.03
24.	उत्तरांचल	4683	2885.50	5361	3648.40	6599	4459.05
25.	गुजरात	7184	3720.83	6755	3252.41	6481	3105.98
26.	महाराष्ट्र	17631	10425.46	17230	9599.54	21452	11873.41
27.	दमन व दीव	2	1.00	3	2.10	4	3.51
28.	गोवा	274	200.60	116	90.54	62	44.92
29.	दादरा व नगर हवेली	10	7.00	0	0.00	22	15.00
30.	आंध्र प्रदेश	13632	7934.49	17729	11125.44	22289	14639.11
31.	कर्नाटक	10026	6328.81	11929	7166.13	13597	8758.12
32.	केरल	9853	5414.62	14024	7508.50	16520	8470.62
33.	तमिलनाडु	9595	4361.54	12738	4914.67	16860	6862.20
34.	लक्षद्वीप	10	7.07	17	11.21	4	2.72
35.	पांडिचेरी	213	101.58	294	130.24	329	138.31
36.	विनिर्दिष्ट नहीं	828	826.10	897	843.64	897	918.19
	अखिल भारतीय	190521	119847.37	219444	136754.50	239399	147062.07

[हिन्दी]

लौह अयस्क खानों को पट्टे पर देना

299. **श्री संतोष गंगवार :**
श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी :
श्री अशोक कुमार रावत :
श्री शिशुपाल पटले :

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विभिन्न कंपनियों को लौह अयस्क खानें पट्टे पर दी गई हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान में देश में पट्टे पर दी गई लौह अयस्क खानों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन कंपनियों द्वारा लक्ष्य के अनुसार उत्पादन किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं;

(छ) क्या पट्टे पर दी गई उक्त खानों में से आधे से भी कम में खनन कार्य चल रहा है;

(ज) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(झ) खनन कार्य नहीं करने वाली उन कंपनियों का ब्यौरा क्या है;

(ञ) क्या सरकार इन कंपनियों के पट्टे को रद्द करने और इन कंपनियों को राज्यों की काली सूची में रखने पर विचार कर रही है; और

(ट) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी) : (क) और (ख) जी, हां। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 31.03.2005 को लौह अयस्क पट्टों/खानों का राज्यवार ब्यौरा निम्नवत है :

राज्य	पट्टों/खानों की संख्या
आंध्र प्रदेश	25
छत्तीसगढ़	15
गोवा	187
हरियाणा	01
झारखंड	25
कर्नाटक	72
मध्य प्रदेश	8
महाराष्ट्र	25
उड़ीसा	102
राजस्थान	14
अखिल भारत	474

(ग) और (घ) जी, हां। वर्ष 2004–05 के लिए 142711 हजार टन लौह अयस्क उत्पादन सूचित किया गया है।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठते।

(छ) जी, नहीं।

(ज) प्रश्न नहीं उठता।

(झ) 22 कंपनियों ने वर्ष 2004–2005 के लिए उत्पादन की सूचना नहीं दी है। ब्यौरा निम्नवत है :

राज्य	कंपनियों की संख्या
आंध्र प्रदेश	1
गोवा	7
कर्नाटक	8
मध्य प्रदेश	1
महाराष्ट्र	2
उड़ीसा	3

(ञ) और (ट) राज्य सरकारों को ऐसे खनन पट्टों को समाप्त करने की शक्तियां हैं, जहां खनन पट्टा धारक पट्टा निष्पादन की तारीख के बाद दो वर्ष की अवधि तक खनन प्रचालन कार्य प्रारंभ करने में विफल रहता है अथवा खनन प्रचालन कार्य शुरू करने के बाद उसे 2 वर्ष की अवधि के लिए रोक देता है।

[अनुवाद]

भारत-नेपाल सीमा पर बाड़ लगाना

300. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :
श्री बृज किशोर त्रिपाठी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माओवादी/नक्सलवादी समस्या के दृष्टिकोण से भारत–नेपाल सीमा पर बाड़ लगाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या अन्य कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) उपर्युक्त (क) के मद्देनजर, प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) सरकार ने इस सीमा पर सीमा चौकसी बल के रूप में सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) तैनात की है। नेपाल के साथ लगी सीमा वाले राज्यों से भी कहा गया है कि वे सीमावर्ती जिलों में पुलिस व्यवस्था के आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ बनाएं।

[हिन्दी]

नक्सली हमले

301. प्रो. महादेवराव शिवनकर :

श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील :

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया :

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन'

श्री रामजीलाल सुमन :

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :

श्री निखिल कुमार :

श्री दानवे रावसाहेब पाटील :

श्री उदय सिंह :

डा. चिन्ता मोहन :

श्री अधीर चौधरी :

श्री अशोक कुमार रावत :

श्री दलपत सिंह परस्ते :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2005 और 2006 के दौरान विभिन्न राज्यों में नक्सलियों और माओवादियों ने अपनी गतिविधियां बढ़ा दी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) संगत अवधि की तुलना में उक्त अवधि के दौरान उक्त घटनाओं में से प्रत्येक घटना में कितने नागरिक, सुरक्षा कार्मिक और नक्सली/माओवादी मारे गए/घायल हुए और कितनी संपत्ति का नुकसान हुआ;

(घ) क्या सरकार का विचार देश में नक्सली/माओवादी गतिविधियों से निपटने के लिए सुरक्षा बलों को सुदृढ़ करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) देश में नक्सली/माओवादी गतिविधियों से निपटने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) से (ग) नक्सली हिंसा की घटनाओं की संख्या में 2004 की तुलना में 2005 में 3.97% की मामूली सी वृद्धि हुई है। 2006 (31.1.2006 तक) में नक्सली हिंसा की 115 घटनाएं हुईं जबकि इसकी तुलना में गत वर्ष की तदनुरूपी अवधि में 196 घटनाएं हुई थीं। नक्सल प्रभावित राज्यों में घटनाओं, ऐसी घटनाओं में मारे गए सिविलियनों, सुरक्षा कार्मिकों और नक्सलियों तथा क्षतिग्रस्त संपत्ति का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ) राज्यों को, आधुनिक शस्त्र, आधुनिक संचार उपकरण, आवाजाही और अन्य आधारभूत ढांचे के संदर्भ में उनके पुलिस बलों के आधुनिकीकरण हेतु पुलिस आधुनिकीकरण योजना के तहत निधियां दी जाती हैं। नक्सल प्रभावित राज्यों से भी कहा गया है कि वे नक्सल क्षेत्रों में सुभेद्य पुलिस स्टेशनों और सीमा चौकियों की पहचान करें और इस योजना के तहत उन्हें सुदृढ़ करें। इन राज्यों को एसआरई योजना के तहत सुरक्षा संबंधित मदों पर उनके द्वारा किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति भी की जाती है।

(च) केन्द्र सरकार, नक्सली खतरे को गंभीर चिंता का विषय मानती है। सरकार, राजनैतिक, सुरक्षा और विकास के मोर्चा पर समन्वित ढंग से समस्या को हल करने के लिए बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाती रही है। केन्द्र सरकार ने नक्सल समस्या से उत्पन्न चुनौती का सामना करने के लिए सुरक्षा और विकास, दोनों मोर्चों पर नक्सल प्रभावित राज्यों के प्रयासों और संसाधनों का समन्वय और पूरा करने के लिए विशेष उपाय किए हैं और भविष्य में भी इन राज्यों को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया है।

विवरण

राज्य	घटनाएं			मारे गए सिविलियन			मारे गए पुलिस कार्मिक			मारे गए नक्सली			क्षतिग्रस्त संपत्ति		
	2004	2005	2006 31.1.06 की स्थिति के अनुसार (31.1.05)*	2004	2005	2006 31.1.06 की स्थिति के अनुसार (31.1.05)*	2004	2005	2006 31.1.06 की स्थिति के अनुसार (31.105)*	2004	2005	2006 31.1.06 की स्थिति के अनुसार (31.1.05)*	2004	2005	2006 31.1.06 की स्थिति के अनुसार (31.1.05)*
आंध्र प्रदेश	310	532	10(66)	66	184	5(19)	6	22	–(–)	47	160	1(19)	2,29,92,800	2,82,79,600	–(16,09,600)
झारखंड	379	308	24(29)	128	91	1(8)	41	27	1(1)	20	7	–(–)	89,20,000	1,15,40,000	–(35,00,000)
छत्तीसगढ़	352	380	44(74)	75	118	12(1)	8	47	3(5)	15	32	3(–)	1,15,84,550	5,64,000	–(45000)
बिहार	323	183	15(15)	166	70	3(7)	5	24	(–6)	1	10	–(–)	74,05,000	44,35,000	–(–)
महाराष्ट्र	84	96	15(5)	9	29	3(1)	6	24	–(–)	2	3	3(–)	33,92,575	8,81,500	50,41,375 (50,000)
उड़ीसा	35	42	4(3)	4	13	–(–)	4	1	–(–)	–	3	–(–)	2,00,000	1,00,00,000	–(–)
उत्तर प्रदेश	15	10	–(1)	9	1	–(–)	17	–	–(–)	–	4	–(1)	–	–	–(–)
मध्य प्रदेश	13	20	1(–)	4	2	–(–)	–	1	–(–)	1	–	–(–)	1,83,500	14,45,000	–(–)
पश्चिम बंगाल	11	14	1(–)	2	6	–(–)	13	1	–(–)	1	–	–(–)	1,00,00,000	–	–(–)
कर्नाटक	6	8	–(1)	1	2	–(–)	–	6	–(–)	–	4	–(–)	40,000	–	–(–)
हरियाणा	–	2	–(–)	–	–	–(–)	–	–	–(–)	–	–	–	–	–	–(–)
केरल	5	–	1(–)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
कुल	1533	1594	115(196)	466	518	24(36)	100	153	4(12)	87	223	7(20)	6,47,18,425	5,71,25,100	50,41,375 (62,04,600)

*कोष्ठक में दर्शाए गए आंकड़े, 2005 की तदनुरूपी अवधि के ब्यौरे दर्शाते हैं।

पूछताछ प्रणाली

302. **श्री वी. के. दुग्गर :**

श्री हरिसिंह चावड़ा :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आपराधिक मामलों में पूछताछ, जांच और मुकदमे की प्रणाली से संबंधित विद्यमान प्रावधान का अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) से (ग) दांडित न्याय प्रणाली में सुधार करने के उपायों पर विचार करने के लिए सरकार द्वारा न्यायमूर्ति वी. एस. मालीमथ की अध्यक्षता में गठित समिति को अन्य बातों के साथ-साथ, न्यायिक प्रक्रियाओं और पद्धतियों को सरल बनाने तथा आम आदमी को शीघ्र, तेज, सरल और कम खर्चीला न्याय दिलाने तथा न्यायपालिका, अभियोजन और पुलिस में ऐसी सहक्रियाशीलता विकसित करने के तरीके सुझाने की सिफारिशें करने का कार्य सौंपा गया था ताकि निर्दोष और पीड़ितों को संरक्षण प्रदान करके आम आदमी का दांडिक न्याय प्रणाली में विश्वास बहाल किया जा सके तथा दोषी और अपराधी को कठोरतापूर्वक दंडित किया जा सके।

समिति ने जांच की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए विभिन्न सिफारिशें की हैं जैसे जांच-पड़ताल विंग को कानून और व्यवस्था विंग से अलग करना, प्रशिक्षण आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करना, गवाहों के बयानों की श्रव्य/दृश्य रिकार्डिंग, जांच की शुरुआत से ही विधि विज्ञान और आधुनिक प्रौद्योगिकी का अनिवार्य इस्तेमाल आदि।

पूछताछ के संबंध में समिति ने सिफारिश की कि प्रत्येक जिले में जिला मुख्यालय में, जहां पूछताछ केन्द्र मौजूद नहीं है, ऐसे स्थापित किए जाने चाहिए और जहां ये मौजूद हैं इन्हें टेप-रिकार्डिंग, विडियोग्राफी अथवा फोटोग्राफी आदि जैसी सुविधाओं से सुदृढ़ किया जाना चाहिए।

राज्य सरकारों को उन सिफारिशों के संबंध में सलाह जारी की गई, जिन्हें प्रशासनिक उपायों के जरिए कार्यान्वित किया जाना है।

उन सिफारिशों के संबंध में, जिनके लिए विभिन्न कानूनों में संशोधन करने की आवश्यकता है, राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के विचार/टिप्पणियां मांगी गई हैं क्योंकि दांडिक कानून और दांडिक प्रक्रिया, भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची में शामिल हैं। बहुत से राज्यों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से विचार/टिप्पणियों की अभी भी प्रतीक्षा है।

[अनुवाद]

प्रारंभिक शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

303. **श्री अनंत गुढ़े :**

श्री एम. अप्पादुरई :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में विशेषकर प्रारंभिक और प्राथमिक शिक्षा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के उन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है जिनका अनुमोदन किया गया है और जो अनुमोदन के अंतिम चरण में हैं;

(घ) क्या इस संबंध में कोई नीति नियामक मार्ग-निर्देश तैयार किए गए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से शिक्षा क्षेत्र में कितना सुधार होने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) और (ख) शिक्षा क्षेत्र के लिए कोई पृथक सेक्टोरल नीति अधिसूचित नहीं है। प्रेस नोट 2 (2000 सीरीज) के आधार पर शिक्षा क्षेत्र में स्वतः प्रणाली के आधार पर 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है। इस नीति की हाल ही की समीक्षा में जिसे प्रेस नोट 4 (2006 सीरीज) के जरिए अधिसूचित किया गया है, शिक्षा क्षेत्र के लिए इस नीति में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, जैसा कि प्रेस नोट स. 2 (2000 सीरीज) में दर्शाया गया है। निवेशकर्ता स्वतः प्रणाली को न अपनाते हुए सीधे विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड को आवेदन करने का विकल्प चुन सकता है।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) शिक्षा में विदेशी निवेश का अनुभव एकदम नया है और उपलब्ध आंकड़ों का कोई गहन विश्लेषण नहीं किया गया है।

उच्च शिक्षा

304. **श्री असादूद्दीन ओवेसी :**

श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :

श्रीमती निवेदिता माने :

श्री कीर्ति वर्धन सिंह :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने देश में उच्च शिक्षा में क्रांति लाने हेतु 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाली दसवीं योजना की शेष अवधि के लिए 3400 करोड़ रुपए की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और योजना आयोग से मांगी गई रकम हेतु सरकार द्वारा तैयार की गई विस्तृत योजना क्या है;

(ग) विभिन्न राज्यों में केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को कुल कितना धन उपलब्ध कराए जाने की संभावना है और उत्कृष्ट विश्वविद्यालय स्थापित करने की स्थिति क्या है और इस संबंध में योजना आयोग की प्रतिक्रिया क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार विद्यमान विश्वविद्यालयों के अलावा प्रत्येक राज्य में एक विश्वविद्यालय स्थापित करने का है जैसा कि दिनांक 7 जनवरी, 2006 के "दि टाइम्स ऑफ इंडिया" में प्रकाशित हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) इसमें कुल कितना व्यय अन्तर्ग्रस्त है और इसे कैसे पूरा किया जाएगा;

(छ) क्या सरकार की योजना उच्च शिक्षा क्षेत्र में लक्ष्यों को प्राप्त करने की है; और

(ज) यदि हां, तो संदर्शी योजना क्या है और इस प्रयोजन हेतु कितना अनुदान दिया गया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) से (ग), (छ) और (ज) योजना अयोग द्वारा उच्चतर शिक्षा के लिए योजनागत संसाधनों का आवंटन वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता और संसद द्वारा बजटीय प्रावधानों के अनुमोदन पर निर्भर करता है। दसवीं योजना में उच्चतर शिक्षा के लिए 4176.50 करोड़ रु. अनुमोदित किए गए। वर्ष 2002–2003, 2003–04 और 2004–05 के दौरान क्रमशः 619.14 करोड़ रु., 560.44 करोड़ रु. और 789.95 करोड़ रु. व्यय किए गए। वर्ष 2005–06 के दौरान संशोधित अनुमान स्तर पर 873.27 करोड़ रु. अनुमोदित किए गए। संसद के अनुमोदन के आधार पर, केन्द्र सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उत्कृष्टता की सम्भावना वाले विश्वविद्यालयों को सहयोग देने के साथ उच्चतर शिक्षा को सुदृढ़ करने की विभिन्न स्कीमों के लिए संसाधन आवंटित करेगी।

(घ) और (ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों का सम्मेलन

305. **श्री संजय धोत्रे :**

श्री बापू हरी चौरे :

श्री वसुदेव आचार्य :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में दिल्ली में केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों का सम्मेलन आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसमें चर्चा किए गए मुद्दों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या सरकार ने केन्द्रीय विश्वविद्यालयों से उनकी बढ़ती मांग को पूरा करने हेतु आंतरिक संसाधन सृजित करने के लिए कहा है जैसा कि दिनांक 14 जनवरी, 2006 के "द हिन्दू" में प्रकाशित हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और तथ्य क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/करने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) और (ख) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली ने 12–13 जनवरी, 2006 को केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों का एक सम्मेलन आयोजित किया था। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के अनुसार सम्मेलन में उच्चतर शिक्षा से संबंधित अन्य मुद्दों के साथ–साथ निधियन, संकाय की भर्ती, विश्वविद्यालय की स्वायत्तता जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। सरकार को उपर्युक्त सम्मेलन की सिफारिशें प्राप्त नहीं हुई हैं।

(ग) ऐसे कोई निदेश जारी नहीं किए गए हैं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

गोधरा कांड के पश्चात् हुई हिंसा

306. श्री सी. के. चन्द्रप्पन :

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान गुजरात के पंचमहल जिले में लुनावाडा में मिले उस सामूहिक कब्र के संबंध में प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है जिसके बारे में यह माना जाता है कि ये वर्ष 2002 में गोधरा कांड के पश्चात् हुई हिंसा में मारे गए लोगों के अस्थि अवशेष हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की मांग के अनुसार इस मामले की जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो अब तक इस संबंध में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) और (ख) सरकार को गुजरात के पंचमहल जिले में लुनावाडा में सामूहिक कब्र खोदने की घटना की जानकारी है।

गुजरात के माननीय उच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया और अदालत के आदेशानुसार विधिविज्ञान और विष–विज्ञान, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के विभागाध्यक्ष के दिशानिर्देश में केन्द्रीय जांच ब्यूरो के अधिकारियों और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की एक टीम की उपस्थिति में गुजरात राज्य पुलिस और राजस्व पदाधिकारियों ने लुनावाडा में कंकालों का उत्खनन किया था। राज्य प्राधिकारियों ने हड्डियां एकत्र कीं, वर्गीकृत कीं, पैक कीं और सील कीं और गुजरात के माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार उन्हें सैंटर फार डी एन ए फिंगर प्रिंटिंग एंड डाइग्नोस्टिक्स, हैदराबाद को भेज दिया। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की एक टीम ने निकट संबंधियों के रक्त के नमूने एकत्र किए।

(ग) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सूचित किया है कि आयोग ने 27.12.2005 को सीएनएन/आईबीएन न्यूज टीवी पर एक समाचार का अपनी ओर से संज्ञान लिया और निदेशक, केन्द्रीय जांच ब्यूरो और पुलिस महानिदेशक, गुजरात को अपनी टिप्पणियां भेजने का निदेश दिया।

(घ) माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने हड्डियां एकत्र करने का पर्यवेक्षण किया और उन्हें डीएनए परीक्षण के लिए भेज दिया तथा उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन किया गया है। उत्खनन की स्टेटस रिपोर्ट, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, दिल्ली को भी भेजी गई है।

प्रधानमंत्री का अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह का दौरा

307. श्री सुग्रीव सिंह :

श्री किसनभाई वी. पटेल :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधानमंत्री ने हाल ही में सुनामी प्रभावित अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने सुनामी पीड़ितों हेतु पुनर्निर्माण कार्य की प्रगति पर अपनी नाराजगी व्यक्त की है;

(ग) यदि हां, तो उनके दौरे के दौरान प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा क्या है;

(घ) ऐसी शिकायतों पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में पुनर्निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) से (घ) प्रधानमंत्री ने इस बात पर अपना संतोष प्रकट किया कि सुनामी द्वारा बेघर हुए लोगों हेतु अन्तर्वर्ती आश्रय समय से निर्मित कर दिए गए; अन्य राहत जैसे नकद अनुग्रहपूर्वक अदायगी, मुफ्त राशन, नुकसान के लिए मुआवजा तथा नौकाओं की मरम्मत हेतु अनुदान की व्यवस्था की गई और सड़कों तथा समुद्र संचार की भी तत्काल बहाली की गई। तथापि, प्रधानमंत्री ने महसूस किया कि इसके अतिरिक्त, कई मोर्चों पर भी कार्रवाई करने की आवश्यकता है ताकि लोगों की जीविका की पूरी तरह से बहाली की जा सके। उन्हें अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के अपने दौरे के दौरान अभ्यावेदन/ज्ञापन भी प्राप्त हुए जिन्हें आगे उचित कार्रवाई हेतु संबंधित विभाग/मंत्रालय को भेज दिया गया है।

(ङ) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में पुनर्निर्माण कार्य में तेजी लाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा सुनामी पुनर्निर्माण पैकेज (टी आर पी) का अनुमोदन किया गया है जिसमें स्थायी आवास, मत्स्यकी और जीविका, कृषि, बन्दरगाह और घाट, बिजली, पेयजल आपूर्ति तथा जल–मल निकासी, सामाजिक आधारभूत ढांचा और कल्याण, पर्यावरण और तटीय सुरक्षा एवं पर्यटन को बढ़ावा देना शामिल हैं।

[हिन्दी]

समझौता एक्सप्रेस के माध्यम से आतंकवादी गतिविधियां

308. **श्री कैलाश नाथ सिंह यादव :**
श्री शिवराज पटले :
श्री अशोक कुमार रावत :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में कुछ आतंकवादी समझौता एक्सप्रेस से भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करने में सफल रहे हैं जैसा कि दिनांक 10 जनवरी, 2006 के 'राष्ट्रीय सहारा' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या आसूचना एजेंसियों के पास ऐसे आतंकवादियों की संख्या के संबंध में कोई सूचना है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने ऐसी घुसपैठ को रोकने के लिए कोई कार्य योजना तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा भविष्य में ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते हैं।

[अनुवाद]

चेक रिपब्लिक के साथ संयुक्त उद्यम

309. **श्री किसनभाई वी. पटेल** : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चेक रिपब्लिक के साथ किसी संयुक्त उद्यम के संबंध में हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा किन–किन क्षेत्रों की पहचान की गई है;

(ग) ऐसे संयुक्त उद्यमों से दोनों देशों को किस सीमा तक लाभ मिलेगा; और

(घ) ऐसे संयुक्त उद्यमों के कब तक कार्य शुरू करने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) से (घ) उदारीकृत आर्थिक परिवेश में निवेश संबंधी निर्णय उद्यमियों द्वारा विचाराधीन परियोजनाओं के तकनीकी–आर्थिक संभाव्यता के अपने मूल्यांकन के आधार पर लिए जाते हैं। मौजूदा नीति के तहत स्वतः मार्ग के अधीन अधिकांश क्षेत्रों/कार्यकलापों में एफ.डी.आई. की अनुमति है जिसके लिए सरकार से पूर्व अनुमोदन लेना आवश्यक नहीं है। अगस्त, 1991 से दिसंबर, 2005 तक की अवधि के दौरान चेक गणराज्य से सहयोग के 15 प्रस्ताव अनुमोदित किए गए हैं जिनमें इक्विटी संयुक्त उद्यमों के रूप में विदेशी प्रत्यक्ष विनेश अन्तर्निहित है और कुल 59.98 करोड़ रुपये के इक्विटी निवेश की परिकल्पना की गई है। क्षेत्रवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

क्षेत्रवार संयुक्त उद्यम तथा अगस्त 1991 से दिसम्बर, 2005 तक चेक रिपब्लिक के लिए अनुमोदित एफ.डी.आई. संबंधी विवरण

क्र.सं.	क्षेत्र	एफ.डी.आई. अनुमोदनों की संख्या	अनुमोदित एफ.डी.आई. की राशि (करोड़ में)
1.	रबड़ उद्योग	1	45.00
2.	परिवहन उद्योग	2	7.00
3.	रसायन (उर्वरक को छोड़कर)	2	5.40
4.	परामर्शी सेवाएं	3	1.67
5.	विविध मेकेनिकल और इंजीनियरिंग	2	0.44
6.	औद्योगिक मशीनरी	3	0.28
7.	विद्युत उपकरण (कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर इलेक्ट्रोनिक सहित)	2	0.19
	कुल जोड़	15	59.98

व्यापार घाटा

310. श्री जी. करुणाकर रेड्डी :

श्री सुव्रत बोस :

श्री मिलिन्द देवरा :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2005 के दौरान भारतीय निर्यात में उच्च वृद्धि दर्ज की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा निर्यात को और बढ़ाने और आयात को नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) और (ख) वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआई एंड एस), कोलकाता से उपलब्ध नवीनतम निर्यात आंकड़ों के अनुसार भारतीय निर्यातों में अप्रैल–जनवरी, 2005–06 के दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में डालर के अनुसार 19% की वृद्धि दर्ज की गई थी।

(ग) आयातों को प्रतिबंधित करने अथवा कृत्रिम रूप से व्यापार को संतुलित करने के लिए कोई उपाय नहीं किए गए हैं जिसके, फलस्वरूप अर्थव्यवस्था की वृद्धि धीमी हो सकती है अथवा महंगाई का दबाव बढ़ सकता है। तथापि, निर्यात संवर्धन के लिए सरकार सतत प्रयास करती है और अगले पांच वर्षों के भीतर भारत के समग्र वैश्विक पण्य व्यापार को दो–गुना करने के उद्देश्य से 31 अगस्त, 2004 को एक विदेश व्यापार नीति घोषित की गई थी। सरकार ने निर्यात संवर्धन करने के लिए हाल में अनेक उपाय किए हैं। इनमें अन्य बातों के साथ अवसंरचना और उत्पादन क्षमता में विदेशी और घरेलू निवेश को और अधिक बढ़ाने के लिए एसईजेड अधिनियम, 2005 को लागू करना, मुक्त व्यापार भंडारण क्षेत्र (एफटीडब्ल्यूजेड) स्थापित करना, निर्यातकों की सौदा लागत को कम करने के लिए प्रक्रियात्मक सरलीकरण पर मुख्य जोर देना तथा भारत के तुलनात्मक लाभ के अनुरूप निर्यातों को बढ़ाने के लिए क्षेत्रीय व्यापार करारों पर हस्ताक्षर करना शामिल हैं।

एमसीडी का छोटे-छोटे अभिकरणों में विभाजन

311. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का एमसीडी को छोटे–छोटे अभिकरणों में विभाजित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसा निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) से (ग) दिल्ली की मुख्यमंत्री ने सरकार के ध्यान में यह बात लाई है कि जैसा कि बालाकृष्णन समिति और विरेन्द्र प्रकाश समिति द्वारा सिफारिश की गई है, दिल्ली नगर निगम को इसकी कार्यक्षमता, जवाबदेही तथा जनता के साथ बेहतर सम्पर्क सुनिश्चित करने हेतु छोटे–छोटे निकायों में विभाजित करके इसका पुनर्गठन करने की आवश्यकता है। चूंकि इस मामले में विभिन्न विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों पर व्यापक विचार–विमर्श करने की आवश्यकता है, इसलिए इस मामले में निर्णय लेने के लिए कोई निश्चित समय–सीमा तय करना कठिन है।

निर्यातित मसालों में कीटनाशी

312. श्री अब्दुल रशीद शाहीन : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत से निर्यातित मसालों की खेप में मानदंडों से अधिक कीटनाशी अवशिष्ट पाए गए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा अन्य देशों को मसाला निर्यात से पूर्व परीक्षण और निरीक्षण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) और (ख) वर्ष 2005 और वर्तमान वर्ष में अब तक निर्यातित भारतीय मसालों में फालतू कीटनाशक अपशिष्टों की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई थी। तथापि, वर्ष 2003 में चार मामलों और वर्ष 2004 में एक मामले की सूचना दी गई थी।

(ग) भारत सरकार दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निर्यातकों के परिसरों में गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं की स्थापना करने/उन्नयन में उनकी सहायता करने के लिए एक कार्यक्रम कार्यान्वित करने हेतु बजटगत सहायता प्रदान कर रही है। इसके अतिरिक्त मसाला बोर्ड कोचीन में एक सुसज्जित, एनएबीएल से मान्यता प्राप्त और आईएसओ द्वारा प्रमाणित गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला का रख-रखाव करता है जो निर्यातकों को विश्लेषण सेवाएं प्रदान करती है।

[हिन्दी]

नई शिक्षा नीति तैयार करना

313. श्री ब्रजेश पाठक : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार नई शिक्षा नीति तैयार करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) और (ख) जी, नहीं। इस समय नई शिक्षा नीति तैयार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

डब्ल्यूसीडी से प्रस्ताव

314. डा. अरुण कुमार शर्मा : क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा वर्ष 2004-05 में जिलावार कितने प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं;

(ख) वर्ष 2005-06 में विभिन्न राज्यों विशेषकर असम से विभिन्न कार्यक्रमों को चलाने के लिए सहायता अनुदान हेतु कुल कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ग) गैर-सरकारी संगठनों हेतु विशेषकर पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए (स्वाधार) और महिलाओं हेतु प्रशिक्षण और रोजगार समर्थन कार्यक्रम (स्टेप) संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी) : (क) और (ख) वर्ष 2004-05 के दौरान महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संस्वीकृत प्रस्तावों की संख्या और वर्ष 2005-06 के दौरान असम सहित प्रत्येक राज्य से प्राप्त प्रस्तावों की संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है। मंत्रालय में जिला-वार सूचना रखने की कोई प्रणाली नहीं है।

उन गैर-सरकारी संगठनों का राज्य-वार और स्कीम-वार ब्यौरा मंत्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन और मंत्रालय के वेबसाइट http://www.wcd.nic.in में उपलब्ध है, जिन्हें वर्ष 2004-05 के दौरान निधियां निर्मुक्त की गई थीं।

(ग) ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	वर्ष 2004-05 में सरकार द्वारा संस्वीकृत प्रस्तावों की कुल संख्या	वर्ष 2005-06 में प्राप्त प्रस्तावों की कुल संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	47	348
2.	अरुणाचल प्रदेश	–	59
3.	असम	36	190
4.	बिहार	21	366
5.	छत्तीसगढ़	5	284
6.	दिल्ली	6	50
7.	गोवा	1	5

1	2	3	4
8.	गुजरात	13	92
9.	हरियाणा	43	21
10.	हिमाचल प्रदेश	2	49
11.	झारखंड	7	120
12.	जम्मू व कश्मीर	16	44
13.	कर्नाटक	56	152
14.	केरल	22	60
15.	मध्य प्रदेश	49	361
16.	महाराष्ट्र	80	687
17.	मिजोरम	3	78
18.	मेघालय	3	25
19.	मणिपुर	89	104
20.	नागालैंड	17	70
21.	उड़ीसा	111	152
22.	पंजाब	6	66
23.	राजस्थान	12	211
24.	सिक्किम	1	16
25.	त्रिपुरा	5	52
26.	तमिलनाडु	68	174
27.	उत्तर प्रदेश	159	327
28.	उत्तरांचल	19	197
29.	पश्चिम बंगाल	89	303
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	3
31.	चंडीगढ़	1	12
32.	दादरा एवं नगर हवेली	1	1
33.	दमन एवं दीव	–	–
34.	लक्षद्वीप	–	–
35.	पांडिचेरी	2	53

विवरण-II

स्वाधार और स्टेप स्कीम के अंतर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए गैर–सरकारी हेतु निर्धारित मानदंड निम्नानुसार हैं :

I. स्वाधार स्कीम

(i) जिला स्तरीय समिति की संस्तुति

(ii) राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति की संस्तुति

(iii) पंजीकरण प्रमाण–पत्र की प्रतिलिपि (तीन वर्ष का अनुभव)

(iv) किराया करार प्रमाण–पत्र

(v) लोक निर्माण विभाग/जिला मजिस्ट्रेट द्वारा विधिवत सत्यापित किराया आकलन प्रमाण–पत्र

(vi) कमरों, प्रसाधनों, स्नानगृहों आदि की संख्या दर्शाते हुए भवन का साइट प्लान

(vii) विधि/उपनियमों के ज्ञापन की एक प्रतिलिपि

(viii) प्रत्येक सदस्य के संक्षिप्त विवरण के साथ वर्तमान प्रबंधन समिति के सदस्यों की सूची

(ix) स्वाधार परियोजना के बारे में संक्षिप्त लेख

(x) पिछले तीन वर्षों के लेखा परीक्षित खाते

(xi) पिछले तीन वर्षों की वार्षिक रिपोर्टें

(xii) आश्रय गृहों में रखी जाने वाली महिलाओं/लड़कियों का ब्यौरा, जिसमें उनके नाम, पते, आयु और कम से कम एक परिच्छेद में उनके विवरण का उल्लेख हो।

II प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम हेतु सहायता (स्टेप)

(i) 3 वर्षों से पंजीकृत होना चाहिए

(ii) संबंधित क्षेत्र में अनुभव होना चाहिए

(iii) लिंक एजेंसियों को अभिज्ञात करने और उनकी स्थापना करने की क्षमता होनी चाहिए, जो परियोजना के कार्यान्वयन को सुगम बना सकें

(iv) अच्छी वित्तीय स्थिति होनी चाहिए

(v) संबंधित क्षेत्र में पर्याप्त बुनियादी सुविधाएं और तकनीकी विशेषज्ञता होनी चाहिए।

लैदर पार्क

315. डा. एम. जगन्नाथ : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को आंध्र प्रदेश सरकार से राज्य में अंतर्राष्ट्रीय लैदर पार्क की स्थापना हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) से (ग) केन्द्र सरकार "चमड़ा क्षेत्र के अवसंरचनात्मक सुदृढ़ीकरण" नामक एक योजनागत स्कीम को क्रियान्वित कर रही है। नेल्लौर, आंध्र प्रदेश स्थित चमड़ा परिसर की स्थापना करना इस योजना के अंतर्गत की गई पहलों में से एक है। परियोजना की कुल लागत लगभग 144 करोड़ रुपये है। चूंकि परियोजना की लागत 100 करोड़ रुपये से अधिक है, अतः प्रस्ताव पर आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति का अनुमोदन अपेक्षित होगा।

[हिन्दी]

सिंगापुर में आईआईटी खोलना

316. श्री मोहन सिंह : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने सिंगापुर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की एक शाखा खोलने की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो उक्त शाखा कब तक खोले जाने की संभावना है;

(ग) क्या सिंगापुर स्थित उक्त आईआईटी में केवल भारतीय मूल के छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा अथवा अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा;

(घ) सरकार को उक्त शाखा को खोलने पर कितनी धनराशि खर्च करनी पड़ेगी;

(ङ) क्या भारत स्थित आईआईटी को सिंगापुर में आईआईटी स्थापित करने पर खर्च की जा रही धनराशि के बराबर वित्तीय सहायता दी जाएगी; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (च) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

राष्ट्रकुल देशों की बैठक

317. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में माल्टा में वेलेटा में विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत राष्ट्रकुल देशों की बैठक हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और बैठक में किस कार्यसूची पर चर्चा की गई है;

(ग) विकसित देशों द्वारा इस संबंध में क्या रणनीति अपनाई गई है; और

(घ) सरकार द्वारा इस रणनीति के आलोक में क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) से (घ) जी, नहीं। राष्ट्रकुल सरकारों के अध्यक्षों की बैठक (सीएचओजीएम) 25–27 नवम्बर, 2005 तक वेलेटा, माल्टा में हुई थी। बहुपक्षीय व्यापार से संबंधित एक विवरण "वेलेटा बहुपक्षीय व्यापार विवरण" जिसे शिखर सम्मेलन सम्पन्न होने पर जारी किया गया था, में अन्य बातों के साथ–साथ विश्व व्यापार संगठन की दोहा विकास कार्य सूची के उद्देश्यों की वचनबद्धता को स्वीकार करने वाले सदस्य देशों की पुनः पुष्टि की गई थी जो विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

राष्ट्रकुल सचिवालय

राष्ट्रकुल
सरकारों के अध्यक्षों की बैठक
माल्टा, 25–27 नवम्बर, 2005

बहुपक्षीय व्यापार के संबंध में वेलेटा विवरण

1. हम राष्ट्रकुल की सरकारों के अध्यक्ष, विश्व की एक–तिहाई सरकारों, विश्व की एक–तिहाई जनसंख्या और विश्व व्यापार के पांचवें हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारी विविध सदस्यता है–हमारे 53 सदस्यों में कुछ अत्यधिक गरीब और समृद्धशाली के साथ–साथ कुछ सबसे छोटे और विश्व में सबसे बड़े देश शामिल हैं तथा हम विश्व में प्रत्येक महाद्वीप और महसागर का प्रतिनिधित्व करते हैं।

2. हम वैश्विक समृद्धि, गरीबी उन्मूलन और सतत विकास में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मौलिक योगदान को मान्यता देते हैं।

3. हम यह भी मानते हैं कि वैश्वीकरण के बढ़ते हुए प्रभाव द्वारा विशिष्टीकृत आज की दुनिया में व्यापार के मुद्दों पर अधिक समय तक अकेले वार्ता नहीं की जा सकती और इस समग्रता में मानव सुरक्षा बहुपक्षीय व्यापार वार्ताओं के परिणामों में अवश्य प्रतिबंधित की जानी चाहिए। हमें पक्का विश्वास है कि बहुपक्षीय व्यापार वार्ता प्रणाली की वैद्यता पर प्रश्न नहीं किया जाना चाहिए और कि कमजोर और संवेदनशील को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के जरिए उपलब्ध विश्व भर में अवसरों में समान भागीदारी का लाभ प्राप्त होना चाहिए।

4. हम विश्व व्यापार संगठन की दोहा विकास कार्य सूची के उद्देश्यों की वचनबद्धता की हमारी स्वीकारोक्ति की पुनः पुष्टि करते हैं, जिससे नियम आधारित और समान अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रणाली कायम करने में बेमिसाल अवसर प्राप्त होते हैं।

5. विश्व व्यापार संगठन में हमारी सामूहिक कार्यसूची इस अनिवार्य आवश्यकता पर आधारित है कि दोहा दौर अधिकतम वर्ष 2006 की समाप्ति तक सफलतापूर्वक सम्पन्न किया जाए। हम दोहा दौर में सफलता की परिभाषा उस सीमा तक करते हैं जहां तक सभी विकासशील देशों के लिए शीघ्र और पर्याप्त लाभांश प्राप्त हो और उस सीमा तक जहां तक वार्ता के परिणामों के सभी पहलुओं में विकास आयाम व्याप्त हों।

6. हम दिसम्बर, 2003 के बहुपक्षीय व्यापार से संबंधित आशो रॉक विवरण का स्मरण करते हैं और पिछले दो वर्षों में दोहा दौर में हुई प्रगति का स्वागत करते हैं। तथापि, हम वार्ताओं की गति के बारे में अत्यधिक चिंतित हैं। हमें यह विश्वास भी है कि दोहा दौर का परिणाम वर्तमान में प्रत्यक्ष आकांक्षाओं की अपेक्षा अधिक उच्चाकांक्षा पर आधारित होना चाहिए और राष्ट्रकुल सामूहिक रूप से इसे ठीक करने के लिए अपने वैश्विक प्रभाव की प्रतिज्ञा करता है।

7. इसलिए हम विश्व व्यापार संगठन में अपने वार्ताकर्ताओं के कार्य में शीघ्रता लाने के लिए स्वयं वचन देते हैं। विशेष तौर पर हम हांगकांग में डब्ल्यूटीओ के आगामी मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में अपने शिष्टमंडलों को लचीला रुख अपनाने तथा सामूहिक भलाई के लिए एक वास्तविक विकासोन्मुख दौर को प्राथमिकता देने का अनुदेश दे रहे हैं।

8. हम सभी विकसित देशों से इस दौर में उन्हें प्राप्त होने वाले राजनैतिक साहस और इच्छा से अधिक साहस और इच्छा प्रदर्शित करने का आह्वान करते हैं, विशेष रूप से कृषि और बाजार पहुंच संबंधी वार्ताओं में क्योंकि उनकी अपनी दीर्घावधि समृद्धि और सुरक्षा ऐसी किसी नीति पर निर्भर करती है। हम यह मानते हैं कि विकासशील देशों को भी दौर के सफल परिणाम को सुनिश्चित करने के लिए लचीलापन और वचनबद्धता का प्रदर्शन करना चाहिए।

9. हम जीवन यापन के लिए विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए कृषि की अत्यधिक महत्ता के प्रति सचेत हैं जो भावी आर्थिक विकास का भंडार है और ऐसा क्षेत्र है जहां हमारे बहुत से सदस्यों को संभावित तुलनात्मक लाभ प्राप्त है। कृषि विश्व व्यापार का सबसे विकृत क्षेत्र है और हम कृषि उत्पादन तथा बहुपक्षीय क्षेत्रों के पूरे और अधिक सार्थक कार्य निष्पादन के प्रति महत्वपूर्ण प्रगति

की ओर बढ़ने के लिए कृत संकल्प हैं। हम संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा कृषि के संबंध में किए गए प्रस्ताव को नोट करते हैं और यह आशा व्यक्त करते हैं कि यूरोपीय संघ तथा अन्य जो अधिक उच्च स्तरों पर कृषि को संरक्षण देते हैं, को उसी भावना से उत्तर देना चाहिए।

10. हम यह मानते हैं कि कृषि को अलग करके नहीं देखा जा सकता परंतु यह विश्वास करते हैं कि इस स्तर पर कृषि संबंधी वार्ताओं में पर्याप्त प्रगति से दौर के अन्य वार्ताकारी क्षेत्रों की ओर अग्रसर होने के लिए बल मिलेगा। हम गैर–कृषि बाजार पहुंच, सेवाओं, नियमों, व्यापार सुविधाओं और कार्यान्वयन मुद्दों के संबंध में संतुलित करारों सहित एक मजबूत विकासोन्मुख दौर के लिए सक्रिय रूप से कार्य करने का संकल्प लेते हैं।

11. अतः हांगकांग में आयोजित डब्ल्यूटीओ मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में वर्ष 2010 तक सभी प्रकार की निर्यात सब्सिडी की समाप्ति और व्यापार विकृतिकारी घरेलू सहायता में पर्याप्त कमी एवं बाजार पहुंच में पर्याप्त सुधार हेतु समयबद्ध वचनबद्धताओं पर भी सहमति बन जानी चाहिए।

12. हम लघु देशों खासकर अधिमानी बाजार पहुंच संबंधी व्यवस्थाओं पर पारंपरिक रूप से निर्भर देशों सहित कमजोर देशों के सामने आ रही व्यापार एवं विकास की चुनौतियों के परिणामों के बारे में चिंतित हैं। हम उनके हितों की रक्षा हेतु चरणबद्ध समायोजन एवं अन्य संक्रमणकालीन उपायों का प्रावधान करने और उनकी अर्थव्यवस्थाओं को विकास के नए अवसरों का लाभ उठाने की स्थिति में लाने में उनकी मदद करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए तुरंत एवं संयुक्त कार्रवाई का आह्वान करते हैं।

13. हम रोजगार, आय और निर्यात अर्जन पर प्रभाव के संबंध में राष्ट्रकुल देशों के अनेक छोटे कमजोर देशों के लिए यूरोपीय संघ की चीनी प्रणाली में सुधार हेतु उसके द्वारा हाल ही में की गई घोषणा के प्रतिकूल प्रभावों को स्वीकार करते हैं। हम यूरोपीय संघ से अनुरोध करते हैं कि वह संक्रमणकालीन वित्तीय व्यवस्थाएं मुहैया कराए जिनमें एक ओर राष्ट्रकुल के इन चीनी उत्पादकों और दूसरी ओर ईयू उत्पादकों को प्रदत्त क्षतिपूर्ति के बीच समानता हो। हम यूरोपीय संघ से यह भी अनुरोध करते हैं कि वह इस बात का ध्यान रखे कि कमजोर लघु देश परिकल्पित सुधार की समय तालिका में समायोजन की कम क्षमता रखते हैं और यह कि क्षतिपूर्ति यथोचित एवं उचित समय पर प्रदान की जानी चाहिए।

14. हम विकसित देशों के बाजारों में और जहां संभव हो, विकासशील देशों के बाजारों में अल्पविकसित देशों के लिए शुल्क मुक्त और कोटा मुक्त पहुंच की दिशा में कार्य करने के प्रति अपने दृढ़ निश्चय की पुनः पुष्टि करते हैं।

15. दोहा दौर के केन्द्र बिन्दु में विकास के लाभ को प्रदान करना अनिवार्य बनाया गया है। अतः हम विकासशील देशों और खासकर लघु देशों के लिए उचित विशेष एवं अलग प्रकार के व्यवहार के महत्व को रेखांकित करते हैं। इन देशों को न तो पिछली बहुपक्षीय व्यापार वार्ताओं से पूर्ण लाभ मिला है और न ही उनके पास दोहा विकास कार्यसूची में परिकल्पित परिणामों में तुरंत समायोजन करने या उनसे लाभान्वित होने की क्षमता है।

16. हम जी–8 द्वारा "व्यापार हेतु सहायता" पहल को सार्थक बाजार पहुंच के एक साधन के रूप में समर्थन किए जाने की प्रशंसा भी करते हैं। हम इस क्षेत्र में विकासशील देशों को पर्याप्त वित्तीय एवं ढांचागत सहायता प्रदान करने का आह्वान करते हैं ताकि वे बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली में और अधिक कारगर ढंग से भागीदारी कर सकें।

17. हम लघु देशों की अर्थव्यवस्थाओं के विविधीकरण, उनकी निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार और वैश्विक व्यापार में भागीदारी करने के लिए हमारे सभी विकासशील सदस्य देशों की क्षमता को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से राष्ट्रकुल सचिवालय के तकनीकी सहायता एवं विश्लेषण कार्यक्रमों के कार्य के प्रति अपनी वचनबद्धता को दोहराते हैं। सचिवालय ने बहुपक्षीय व्यापार के मुद्दों के संबंध में निष्पक्षता एवं समानता के हमारे विशिष्ट राष्ट्रकुल दृष्टिकोण को परिभाषित एवं सुस्पष्ट करने का कार्य भी किया है। अंत में हम महासचिव का आह्वान करते हैं कि वे व्यापार एवं आर्थिक मुद्दों पर अंतरराष्ट्रकुल वार्ता, नेटवर्किंग एवं सहयोग को सुदृढ़ करने की नवीन पद्धतियों की तलाश करें।

[हिन्दी]

फिक्की द्वारा प्रायोजित कृषि

318. श्री विजय कुमार खण्डेलवाल : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय वाणिज्य और उद्योग परिसंघ (फिक्की) द्वारा प्रायोजित खेती से आय बढ़ाने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या फिक्की द्वारा प्रायोजित कृषि के माध्यम से आय वृद्धि के प्रस्ताव से कृषकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) से (घ) भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ (फिक्की) ने कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के साथ संयुक्त रूप से नई दिल्ली में 9–10 अप्रैल, 2005 को "कृषि शिखर सम्मेलन 2005–फार्म आय बढ़ाने के लिए सुधार" आयोजित किया था। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य फार्म क्षेत्र के विकास और उत्पादकता, किसानों के आय स्तरों, रोजगार को बढ़ाने तथा गरीबी कम करने के लिए एक नई नीति और विनियामक कार्यढांचा तैयार करने के लिए सरकारी–निजी सहभागिता करने के लिए था।

बांग्लादेश के माध्यम से आतंकवादियों की घुसपैठ

319. प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा :
श्री अजीत जोगी :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आई.एस.आई. समर्थित आतंकवादियों ने भारत–बांग्लादेश सीमा से होकर घुसपैठ की गतिविधियां बढ़ा दी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वर्ष 2005 और 2006 के दौरान आज तक कितने घुसपैठियों को गिरफ्तार किया गया है;

(ग) क्या दिल्ली पुलिस द्वारा गणतंत्र दिवस के आसपास राजधानी में हमला करने की योजना बनाने वालों को गिरफ्तार किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में आतंकवाद को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) कुछ मामलों में जांच–पड़ताल के दौरान, यह पता चला है कि भारत–बांग्लादेश सीमा से आईएसआई समर्थित उग्रवादियों की घुसपैठ हो रही है।

(ख) सीमा सुरक्षा बल द्वारा वर्ष 2005 में भारत–बांग्लादेश सीमा को पार करते हुए 32 उग्रवादियों और 2006 में (15.2.2006 तक) 1 उग्रवादी को पकड़ा गया।

(ग) और (घ) बांग्लादेश में सक्रिय एक उग्रवादी संगठन हरकत–उल–जेहाद इस्लाम (एचयूजेआई) से संबंधित दो आतंकवादी दिल्ली पुलिस द्वारा 24.1.06 को गिरफ्तार किए गए हैं।

(ङ) सरकार ने समन्वित बहु–आयामी दृष्टिकोण अपनाया है जिनमें घुसपैठ को रोकने हेतु सीमा प्रबंधन को सुदृढ़ करना, आसूचना तंत्र को सक्रिय करना, केन्द्र और राज्य, दोनों में, सुरक्षा बलों के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी, हथियार और उपकरण तथा सुसमन्वित आसूचना पर आधारित ऑपरेशनों द्वारा आतंकवादी ग्रुपों/राष्ट्र–विरोधी तत्वों/आईएसआई एजेंटों की योजनाओं को निष्क्रिय करना शामिल हैं। केन्द्रीय और राज्य आसूचना एवं सुरक्षा एजेंसियों द्वारा की गई समन्वित कार्रवाई के परिणामस्वरूप देश के विभिन्न भागों में कई पाक समर्थित आतंकवादियों/जासूसी मॉड्यूल का पता चला है/निष्क्रिय किए गए हैं।

महिला साक्षरता

320. श्री अशोक कुमार रावत :
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव :
श्री हरि सिंह चावड़ा :
श्री दरोगा प्रसाद सरोज :
श्री राम कृपाल यादव :
श्री रनेन बर्मन :
श्री कैलाश नाथ सिंह यादव :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अंतर्गत देश में लड़कियों की शिक्षा में भेदभाव बरता जा रहा है जैसा कि गैर–सरकारी संगठन की सर्वेक्षण रिपोर्ट और 18 जनवरी, 2006 के 'दैनिक जागरण' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) कौन–कौन से और कितने राज्यों में यह सर्वेक्षण किया गया;

(घ) इस मिशन के अंतर्गत राज्यवार क्रमशः अधिकतम और निम्नतम कितने बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं;

(ङ) कितने राज्यों में पर्याप्त शिक्षक उपलब्ध नहीं हैं;

(च) कौन–कौन से राज्यों में विद्यालय जाने वाली छात्राओं की प्रतिशतता कम है;

(छ) गत तीन वर्षों के दौरान आज की तिथि तक राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अंतर्गत कुल कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(ज) शत–प्रतिशत साक्षरता दर की प्राप्ति के लिए देश में शिक्षा में सुधार के लिए सरकार द्वारा की गई कार्यवाही और रणनीति क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरंदेश्वरी) : (क) जी, नहीं। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के तहत 15 से 35 आयु–वर्ग के पुरुष तथा महिला निरक्षरों दोनों को बिना किसी भेदभाव के शामिल किया जा रहा है। दिनांक 18.1.2006 के दैनिक जागरण में दी गई गैर–सरकारी संगठन की सर्वेक्षण रिपोर्ट में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के लक्षित आयु–वर्ग संबंधी आंकड़ों का कोई उल्लेख नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) गैर–सरकारी संगठन द्वारा जिन राज्यों में सर्वेक्षण किया गया था, उन राज्यों की संख्या तथा नामों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(घ) 14 वर्ष तक के आयु–वर्ग के बच्चों को राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के तहत शामिल नहीं किया जाता।

(ङ) राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के तहत शिक्षकों को नियुक्त करने का कोई प्रावधान नहीं है।

(च) प्रश्न नहीं उठता। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के तहत स्कूल जाने वाली बालिकाएं लक्षित वर्ग नहीं हैं।

(छ) पिछले तीन वर्षों के दौरान आज की तारीख तक राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के तहत खर्च की गई कुल राशि निम्न प्रकार है :

2002–03	216.29 करोड़ रु.
2003–04	232.50 करोड़ रु.
2004–05	236.47 करोड़ रु.
2005–06	203.08 करोड़ रु. (आज की तारीख तक)

(ज) प्रारंभिक शिक्षा का सर्वसुलभीकरण और प्रौढ़ निरक्षरता उन्मूलन देश की साक्षरता दर में सुधार लाने वाली दोहरी कार्यनीति है। सर्व शिक्षा अभियान वर्ष 2010 तक गुणवत्तामूलक प्रारंभिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने वाला एक व्यापक कार्यक्रम है।

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को वर्ष 2007 तक 75% साक्षरता का पोषणक्षम स्तर प्राप्त करने का लक्ष्य सौंपा गया है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं–निम्न महिला साक्षरता वाले क्षेत्रों में महिला साक्षरता में सुधार लाना, निरक्षरों की पर्याप्त संख्या वाले जिलों में अवशिष्ट निरक्षरता हेतु परियोजना शुरू करना। नव–साक्षरों को आजीवन अध्ययन हेतु अवसर प्रदान करने के लिए सतत शिक्षा केन्द्रों की स्थापना करना और जन शिक्षण संस्थानों के माध्यम से नव–साक्षरों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देना। उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा तथा झारखंड के निम्न महिला साक्षरता जिलों में विशेष अवशिष्ट निरक्षरता कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। इसके अलावा निम्नतम साक्षरता दरों वाले 150 जिलों में अवशिष्ट निरक्षरता के उन्मूलन हेतु विशेष साक्षरता अभियान शुरू करने को अनुमोदन प्रदान किया गया है।

विवरण

उन राज्यों की कुल संख्या जहां गैर–सरकारी संगठन द्वारा सर्वेक्षण किया गया है–28

क्र.सं.	राज्य का नाम
1	2
1.	आंध्र प्रदेश
2.	अरुणाचल प्रदेश

1	2
3.	असम
4.	बिहार
5.	छत्तीसगढ़
6.	गोवा
7.	गुजरात
8.	हरियाणा
9.	हिमाचल प्रदेश
10.	जम्मू और कश्मीर
11.	झारखंड
12.	कर्नाटक
13.	केरल
14.	मध्य प्रदेश
15.	महाराष्ट्र
16.	मणिपुर
17.	मेघालय
18.	नागालैंड
19.	उड़ीसा
20.	पंजाब
21.	राजस्थान
22.	तमिलनाडु
23.	त्रिपुरा
24.	उत्तरांचल
25.	उत्तर प्रदेश
26.	पश्चिम बंगाल
27.	दादरा और नगर हवेली
28.	दमन और दीव

[अनुवाद]

आईआईएम

321. श्री रायापति सांबासिवा राव :
श्रीमती ज्योतिर्मयी सिकदर :
श्री अर्जुन सेठी :
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़ :
श्रीमती निवेदिता माने :
श्री कीर्ति वर्धन सिंह :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंगापुर के एक शिष्टमंडल ने हाल ही में भारत का दौरा किया है तथा अन्य बातों के साथ दोनों देशों के छात्रों के लाभार्थ आईआईएम के साथ समझौते पर चर्चा की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आईआईएम, बंगलौर ने पहले ही सिंगापुर में एक केन्द्र खोलना आरम्भ कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने भारतीय प्रबन्धन संस्थान (आई आई एम), बंगलौर को सिंगापुर में परिसर की स्थापना के लिए अनुमति देने से मना कर दिया है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या अत्यधिक मांग को देखते हुए सरकार ने अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का निर्णय लिया है;

(छ) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जनवरी, 2006 में विशेषज्ञों की एक बैठक बुलाई है; और

(ज) यदि हां, तो इस मामले में अन्तिम निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) और (ख) सिंगापुर के भूतपूर्व प्रधानमंत्री, सिंगापुर पार्लियामेंट के दो सदस्य, भारत में सिंगापुर के उच्चायुक्त, मुम्बई में सिंगापुर गणराज्य के कौंसिल तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने 15 जनवरी, 2006 को भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद का दौरा किया तथा संस्थान

को यह सुझाव दिया कि वह नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर के बिजनेस स्कूल के साथ अपने सहयोगात्मक व्यवस्थाओं का विस्तार करें ताकि संकाय आदान–प्रदान, संयुक्त अनुसंधान परियोजनाएं तथा कार्यकारी शिक्षा आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों को शामिल किया जा सके। इसी तरह, सिंगापुर विश्वविद्यालयों के संकाय सदस्यों ने भारतीय प्रबंधन संस्थान, कोलकाता का दौरा किया है ताकि साथ मिलकर काम करने की संभावनाओं का पता लगा सकें। तथापि, अभी तक किसी कार्यक्रम को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ग) से (ज) केवल भारतीय प्रबंधन संस्थान, बंगलौर सिंगापुर में अपना परिसर स्थापित करने की व्यावहार्यता की जांच कर रहा है और इस संबंध में अभी सभी ब्यौरे तैयार किए जाने बाकी हैं। तथापि, भारतीय प्रबंध संस्थान, बंगलौर का संगम ज्ञापन विदेश में परिसर स्थापित करने की अनुमति नहीं देता। दिनांक 1.2.2006 को मंत्रालय में आयोजित भारतीय प्रबंध संस्थानों के निदेशकों की एक बैठक में भारतीय प्रबंध संस्थान, बंगलौर को सलाह दी गई कि यदि वे विदेश में अपना परिसर स्थापित करना चाहते हैं तो संगम ज्ञापन में उपयुक्त संशोधन करें।

बुनियादी सुविधाओं हेतु धनराशि

322. श्री एम. शिवन्ना : क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने वर्ष 2005–06 हेतु केन्द्रीय क्षेत्र योजना के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के विकास हेतु बुनियादी सुविधाओं, सिंचाई सुविधाओं, भूमि भवनों, भूमि की खरीद, भूमि विकास के सृजन और शैक्षिक कार्यक्रमों हेतु भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत धनराशि स्वीकृत और जारी करने हेतु प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ये अनुदान कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी. आर. किंडिया) : (क) और (ख) कर्नाटक सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अधीन निधियों की मंजूरी और निर्मुक्ति हेतु वर्ष 2005–06 में अवसंरचनात्मक सुविधाओं के लिए अर्थात् विभागीय संस्थानों, मौजूदा आश्रम स्कूलों के लिए अतिरिक्त अवसंरचना, अनुसूचित जनजातीय निवास आवासों में अवसंरचनात्मक सुविधाएं प्रदान करने, पेयजल की व्यवस्था, पहुंच सड़कों का उन्नयन, जल–निकासी और स्वच्छता, समुदाय भवन, सिंचाई सुविधाओं, अनुसूचित जनजाति भूमि की सौर–घेराबंदी, अनुसूचित जनजाति निवास स्थानों में सौर स्ट्रीट–लाइटें लगाने और अनुसूचित जनजातीय विद्यार्थियों के लिए एकलव्य आदर्श आवासीय स्कूलों की स्थापना हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं।

(ग) मंत्रालय ने वर्ष 2005–06 में संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदान के रूप में कर्नाटक सरकार को 1379.22 लाख रुपए की राशि की निर्मुक्ति पहले ही कर दी है।

यौन कर्मियों हेतु निवारण प्रकोष्ठ

323. श्रीमती ज्योतिर्मयी सिकदर : क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में यौन कर्मियों हेतु सरकारी निवारण प्रकोष्ठ के रूप में एक प्राधिकरण की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस मामले पर मंत्रिसमूह ने भी विचार किया था; और

(घ) यदि हां, तो उनकी सिफारिशों का ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी) : (क) जी, नहीं। तथापि, सरकार व्यावसायिक यौन शोषण हेतु महिलाओं एवं बच्चों के अवैध देह व्यापार की रोकथाम पर केन्द्रीय सलाहकार समिति की बैठकों में यौन कर्मियों के प्रतिनिधियों के माध्यम से उनकी शिकायतें सुनने को तैयार है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

सीमा सुरक्षा बल के जवानों द्वारा उत्पात

324. श्री किन्जरपु येरननायडु : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने 29 जनवरी, 2006 को गुवाहाटी स्थित कामाख्या मन्दिर के अन्दर उत्पात मचाया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) और (ख) 29.1.2006 को सीमा सुरक्षा बल के 35 सीमा सुरक्षा बल कर्मी संगठित रूप से कामाख्या मंदिर के दर्शनार्थ गए। बताया जाता है कि सीमा सुरक्षा बल कर्मियों और पंडों (मंदिर के कर्मचारियों)/सिविलियनों के बीच हाथापाई हुई जिसके परिणामस्वरूप सीमा सुरक्षा बल के दो कर्मी तथा चार सिविलियन जख्मी हो गए।

(ग) सिविल पुलिस द्वारा मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है और सीमा सुरक्षा बल प्राधिकारियों द्वारा स्टाफ जांच न्यायालय के आदेश दे दिए हैं। गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने भी स्वतः घटना का संज्ञान लिया है और उस उच्च न्यायलय के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक खण्ड न्यायापीठ के समक्ष न्यायाधीन है।

सुनामी पीड़ितों हेतु दान

325. श्री एम. अप्पादुरई : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सुनामी पीड़ितों के लिए विदेशों से प्राप्त दान/सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) सुनामी पीड़ितों को राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार आवंटित की गई ऐसी सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस धनराशि का उपयोग उक्त प्रयोजनार्थ हो रहा है;

(घ) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) गृह मंत्रालय ने दिनांक 30.12.2004 के आदेश सं. II/21022/11(19)/2004-एफसीआरए-I के तहत केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना सुनामी पीड़ितों को राहत उपलब्ध करवाने के लिए नगद और माल के रूप में विदेशी अभिदाय की प्राप्ति हेतु विशेष छूट प्रदान की है। ऐसे संगठनों से, वर्ष की समाप्ति के 4 महीनों के अन्दर सनदी लेखाकार द्वारा प्रमाणित निर्धारित एफ सी-3 और एफ सी-6 फार्मों में विदेशी अभिदाय की प्राप्ति के संबंध में केन्द्र सरकर को सूचित करना अपेक्षित है। उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसा, सुनामी पीड़ितों के लिए विदेशी स्रोतों से प्राप्त विदेशी अभिदाय की राशि 10,88,21,090/- है।

(ख) 121 संगठनों, जिन्होंने 31.3.2005 तक उक्त उद्देश्य हेतु विदेशी निधियां प्राप्त करने के बारे में अपनी इच्छा सूचित की है, में से केवल 36 संगठनों ने निर्धारित एफसी-3 फार्म में विदेशी अभिदाय की प्राप्ति और उपयोगिता की सूचना दी है। विदेशी अभिदाय/दान की राज्यवार प्राप्ति नीचे दी गई है :

(i)	तमिलनाडु	8,04,51,157.22 रु.
(ii)	नई दिल्ली	2,80,29,827.00 रु.
(iii)	पश्चिम बंगाल	2,81,745.95 रु.
(iv)	आन्ध्र प्रदेश	58,360.00 रु.
	कुल	10,88,21,090.17 रु.

(ग) और (घ) सुनामी पीड़ितों के लिए प्राप्त धनराशि के विचलन के बारे में कोई दृष्टान्त सरकार के ध्यान में नहीं आया है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता है।

कॉफी

326. श्री जी. एम. सिद्देश्वर : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में निर्यात योग्य गुणवत्ता वाली कॉफी का उत्पादन होता है;

(ख) यदि हां, तो इस राज्य में कॉफी के उत्पादन में वृद्धि के लिए राज्य सरकार के साथ सहयोग करने हेतु सरकार ने कोई कार्य योजना तैयार की है;

(ग) क्या पंचवर्षीय योजना के अंत तक कर्नाटक में निर्यात योग्य गुणवत्ता वाली कॉफी के उत्पादन के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बारे में सरकार ने क्या सहायता प्रदान की है; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान और तत्पश्चात् देश-वार कर्नाटक से कितनी कॉफी का निर्यात किया गया?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) कर्नाटक देश का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य है। देश में उत्पादित कॉफी का लगभग 75 प्रतिशत हिस्सा निर्यात किया जाता है।

(ख) कर्नाटक राज्य के लिए कोई विशिष्ट कार्य योजना तैयार नहीं की गयी है।

(ग) और (घ) निर्यात गुणवत्ता की कॉफी के उत्पादन का राज्य–वार लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। कॉफी बोर्ड 10वीं योजना के अंतर्गत कॉफी का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए अनेक स्कीमें कार्यान्वित कर रहा है।

(ङ) निर्यातित कॉफी के राज्यवार ब्यौरे संकलित नहीं किए जाते हैं। वर्ष 2002–03, 2003–04 और 2004–05 के दौरान क्रमशः 2,07,333 मी. टन, 2,32,684 मी.टन और 2,11,765 मी.टन कॉफी का भारत से (पुनर्निर्यात सहित) निर्यात किया गया था। यह अधिकांश कर्नाटक से किया गया है।

समेकित शिक्षा योजना हेतु धनराशि

327. श्री सुब्बत बोस : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान समेकित शिक्षा योजना के अन्तर्गत सरकार द्वारा राज्य–वार आवंटित धनराशि और इसके उपयोग का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान राज्यों ने सम्पूर्ण धनराशि का उपयोग नहीं किया;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जाने वाले सुधारात्मक कदम क्या हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) से (घ) केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम विकलांग बच्चों हेतु समेकित शिक्षा के अंतर्गत आवंटन राज्य–वार नहीं बल्कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त व्यवहार्य प्रस्तावों के आधार पर जारी किया जाता है। पिछले 3 वर्षों के दौरान जारी किए गए अनुदान का राज्य–वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। यदि किसी वर्ष विशेष में खर्च न की गई राशि शेष हो तो उसे अगले वर्ष जारी अनुदान के साथ समायोजित किया जाता है। अनुदान की दूसरी किस्म प्रथम किस्त के कम से कम 75 प्रतिशत राशि के उपयोग से संबंधित प्रमाणपत्र प्राप्त होने के बाद जारी की जाती है।

विवरण

वर्ष 2002–03, 2003–04 तथा 2004–05 के दौरान राज्य–वार खर्च का ब्यौरा

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2002–03			2003–04			2004–05		
		राज्य	गै.स.सं.	कुल	राज्य	गै.स.सं.	कुल	राज्य	गै.स.सं.	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	63.32	26.66	89.98	13.05	61.42	74.47	–	113.33	113.33
2.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3.	असम	–	23.08	23.08	–	20.78	20.78	–	39.13	39.13
4.	बिहार	–	12.54	12.54	–	–	–	–	2.22	2.22
5.	चंडीगढ़	–	10.58	10.58	–	21.24	21.24	–	19.81	19.81
6.	गुजरात	798.15	–	798.15	930.9	–	930.9	765.87	–	765.87
7.	गोवा	–	1.37	1.37	–	3.91	3.91	–	–	–
8.	हरियाणा	30.33	37.99	68.32	180.67	22.8	203.47	–	81.75	81.75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	हिमाचल प्रदेश	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10.	झारखंड	–	–	–	–	3.33	3.33	–	–	–
11.	कर्नाटक	517.02	–	517.02	541.48	–	541.48	772.91	–	772.91
12.	केरल	376.73	3.05	379.78	311.59	5.22	316.81	337.38	11.95	349.33
13.	मध्य प्रदेश	571.12	12.52	583.64	803.41	11.88	815.21	118.57	31.74	150.31
14.	महाराष्ट्र	140.5	20.16	160.66	83.44	14.6	98.04	123.02	61.73	184.75
15.	मणिपुर	129.15	3.72	132.87	67.45	4.52	71.97	116.34	14.35	130.69
16.	मेघालय	1.73	–	1.73	–	–	–	1.64	–	1.64
17.	मिजोरम	33.58	–	33.58	19.4	–	19.4	61.46	–	61.46
18.	नागालैंड	–	22.61	22.61	18.41	9.13	27.54	–	18.54	18.54
19.	उड़ीसा	51.56	98.77	150.33	87.5	97.32	184.82	–	215.2	215.2
20.	पंजाब	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21.	राजस्थान	33.66	–	33.66	39.4	–	39.4	67.55	1.21	68.76
22.	सिक्किम	12.35	–	12.35	–	–	–	–	–	–
23.	तमिलनाडु	–	139.6	139.6	1.85	169.24	171.09	–	320.42	320.42
24.	त्रिपुरा	8.2	–	8.2	29.9	–	29.9	–	–	–
25.	उत्तर प्रदेश	–	16.94	16.94	–	19.53	19.53	–	50.38	50.38
26.	पश्चिम बंगाल	47.61	55.63	103.24	33.47	4.19	37.66	164.64	4.29	168.93
27.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	16.49	–	16.49	14.01	–	14.01	7.85	–	7.85
28.	दादरा और नगर हवेली	3.34	–	3.34	–	–	–	–	–	–
29.	दमन और दीव	0.17	–	0.17	–	–	–	–	–	–
30.	चंडीगढ़	3.34	–	3.34	3.34	–	3.34	–	–	–
31.	दिल्ली	–	57.77	57.77	18	177.27	195.27	5.26	99.55	104.81
32.	पांडिचेरी	–	6.41	6.41	–	3.4	3.4	–	11.72	11.72
	कुल	2835	549.4	3384.41	3197.27	649.78	3846.97	2550.47	1107.04	3657.51

वैकल्पिक विषय के रूप में वैदिक अध्ययन लागू किया जाना

328. श्रीमती मेनका गांधी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय विद्यालयों और महाविद्यालयों में वैकल्पिक विषय के रूप में वैदिक अध्ययन लागू किए जाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

1984 के दंगा पीड़ितों को राहत पैकेज

329. श्री शिशुपाल पटले :

श्री रघुवीर सिंह कौशल :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1984 के दंगों में प्रभावित हुए परिवारों हेतु कोई पुनर्वास और मुआवजा पैकेज घोषित किया है जैसा कि दिनांक 30 दिसम्बर, 2005 के 'राष्ट्रीय सहारा' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि हां, तो क्या विभिन्न राज्यों में प्रभावित हुए परिवारों की सूची तैयार कर ली गई है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त पैकेज से प्रभावित परिवारों को मुआवजा कब तक दिए जाने की सम्भावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) और (ख) सरकार ने 1983 के दंगों के पीड़ितों को राहत प्रदान करने के लिए 16 जनवरी, 2006 को 'पुनर्वास पैकेज' मंजूर किया है। पैकेज के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) संबंधित राज्य सरकारों को, 1984 के दंगों के पीड़ितों के आश्रितों/परिवारों से दावे प्राप्त करने, उनका आवश्यक सत्यापन/छान-बीन करने तथा 31 मार्च, 2006 तक अनुग्रहपूर्वक अदायगी की राशि का वितरण करने की सलाह दी गई है।

विवरण

(i) दंगों के दौरान हुई मौत के प्रत्येक मामले में 3.5 लाख रु. की अनुग्रह राशि का भुगतान किया जाएगा। यह राशि, संबंधित राज्य सरकारों द्वारा पहले से भुगतान की गई राशि के अतिरिक्त होगी;

(ii) चोट के प्रत्येक मामले में अनुग्रह राशि का भुगतान 1.25 लाख रु. में से राज्य सरकारों द्वारा पहले से भुगतान की गई राशि को घटाकर किया जाएगा;

(iii) 1984 के दंगों के दौरान रेलगाड़ियों में हुई मौत के सभी मामलों पर भी उचित सत्यापन के बाद अनुग्रह राशि के भुगतान पर विचार किया जाएगा। पंजाब सरकार, रक्षा मंत्रालय तथा रेल मंत्रालय दावों के सत्यापन तथा इस प्रकार के मामलों की शिनाख्त करने में मदद करेंगे;

(iv) मृत्यु तथा चोट के लिए अनुग्रह राशि प्रदान किए जाने संबंधी किसी भी नए दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। पहले अनुग्रह राशि प्राप्त कर चुके व्यक्ति ही बढ़ी हुई अनुग्रह राशि के पात्र होने चाहिए। तथापि, यदि कोई लंबित अथवा ऐसे विवादित मामले हों, जिन पर आवश्यक सबूत/साक्ष्य के अभाव में निर्णय नहीं हुआ हो तो ऐसे मामलों पर तभी विचार किया जा सकता है यदि उन्हें वाजिब दावों के रूप में अंतिम रूप से स्वीकार कर लिया गया हो;

(v) क्षतिग्रस्त रिहायशी सम्पत्तियों के लिए वास्तव में दी गई राशि को 10 गुणा राशि की दर से अनुग्रह राशि दी जाएगी, इसमें से पहले दी जा चुकी राशि कम कर दी जाएगी;

(vi) क्षतिग्रस्त, बीमा रहित वाणिज्यिक/औद्योगिक संपत्ति के लिए राशि की दस गुणा राशि की दर से अनुग्रह राशि दी जाएगी, इसमें से पहले दी जा चुकी राशि कम कर दी जाएगी;

(vii) 1984 के दंगों में मारे गए व्यक्तियों के बच्चों/परिवार के सदस्यों को आयु सीमा में आवश्यक छूट देकर अर्ध-सैनिक बलों, आई आर बटालियनों, राज्य पुलिस

बलों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और राज्य तथा केन्द्रीय सरकार के अन्य विभागों में भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी;

(viii) केन्द्रीय सरकार/ राज्य सरकारों द्वारा दंगा प्रभावित परिवारों के पात्र सदस्यों को नौकरी दिए जाने के लिए विशेष भर्ती अभियान शुरू कर सकती है;

(ix) अन्य राज्यों में अपनी नौकरी गंवा चुके व्यक्तियों को पुनः कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति दी जाएगी और उनकी अनुपस्थिति की अवधि को 'अकार्य दिवस' के रूप में माना जाएगा;

(x) जिन व्यक्तियों के दंगों के कारण अपनी नौकरियां गंवा दी थीं और जो अधिवर्षिता की आयु पहले ही पार कर चुके हैं उन्हें जहां तक संभव हो सामान्य नियमों में छूट देकर पेंशन संबंधी आवश्यक लाभ दिए जाएंगे;

(xi) 1984 के दंगों में मारे गए व्यक्तियों की सभी विधवाओं और वृद्ध माता–पिता को राज्य सरकारों द्वारा एक भविष्यलक्षी तारीख से जीवन भर के लिए 2500/– रु. प्रतिमाह की समान दर से पेंशन दी जाएगी। जो व्यक्ति 70% से अधिक विकलांग हो चुके हैं या जो 1984 से अब तक लापता हैं, उनकी पत्नियों को भी इसी दर से पेंशन प्रदान की जाएगी;

(xii) दंगों से प्रभावित लगभग 22,000 परिवारों को, जो दंगा प्रभावित अन्य राज्यों से पंजाब में पलायन कर गए थे और अभी तक वहीं पर रह रहे हैं, 2 लाख रुपए प्रति परिवार की दर से पुनर्वास अनुदान दिया जाएगा। इसी तरह अन्य राज्यों में रह रहे, दंगा पीड़ित परिवारों को भी 2 लाख रुपए प्रति परिवार की दर से पुनर्वास अनुदान दिया जाएगा।

2. यह भी निर्णय लिया गया है कि मृत्यु और घायल होने के मामले में अनुग्रह राशि, क्षतिग्रस्त रिहायशी संपत्तियों और क्षतिग्रस्त बीमा रहित वाणिज्यिक/औद्योगिक संपत्तियों के लिए अनुग्रह राशि और उक्त पैरा 1 (xii) में यथाउल्लिखित पुनर्वास अनुदान पर होने वाले पूरे व्यय को केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। 1984 के दंगों में मारे गए व्यक्तियों की विधवाओं और वृद्ध माता–पिता तथा 70% विकलांग हो चुके व्यक्तियों और 1984 से अब तक लापता व्यक्तियों की पत्नियों को दी जाने वाली पेंशन के भुगतान पर होने वाला व्यय संबंधित राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

[अनुवाद]

उद्योग

330. श्री धनुषकोडी आर. अतिथन :
श्री रामदास आठवले :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन सहित अन्य देशों द्वारा निर्मित वस्तुओं को सस्ती दरों पर बेचने के फलस्वरूप भारतीय उद्योगों पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभाव से निपटने के लिए सरकार ने कोई कदम उठाए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) और (ख) पाटनरोधी जांच घरेलू उद्योग से पूरी तरह से प्रलेखित याचिका जिसमें प्राथमिदृष्टया पाटन, क्षति और पाटित वस्तुओं तथा घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बीच कारणात्मक संबंध का साक्ष्य दिया जाता है, प्राप्त होने पर पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय (डीजीएडी) द्वारा शुरू की जाती है। पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय (डीजीएडी) पाटन की मौजूदगी और मात्रा की जांच करता है और वित्त मंत्रालय को अनंतिम और/अथवा अंतिम जांच परिणाम प्रस्तुत करता है जिसमें जहां उचित हो, लगाए जाने वाले पाटनरोधी शुल्क की राशि की सिफारिश की जाती है। पाटनरोधी शुल्कों का उद्देश्य पाटन द्वारा हुई व्यापार विकृति और उसके फलस्वरूप घरेलू उद्योग को हुई क्षति का प्रतिकार करना है।

वर्ष 1992 से अब तक डीजीएडी ने 189 मामलों में पाटनरोधी जांच शुरू की है जिसमें चीन जनवादी गणराज्य सहित 35 देश/क्षेत्र (25 यूरोपीय आयोग के देशों को एक क्षेत्र मानते हुए) शामिल हैं। 189 मामलों में से 177 मामलों में अंतिम जांच परिणाम जारी किए गए हैं और 101 मामलों में इस समय पाटनरोधी शुल्क लागू है।

[हिन्दी]

कट्टरता और जातिवाद फैलाना

331. श्री रामदास आठवले : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कट्टरता और जातिवाद फैलाने वाली

एजेंसियों के विरुद्ध कोई कदम उठाए हैं, जिनके कारण विकास, सामाजिक न्याय, सशक्तिकरण तथा देश के विकास से संबंधित मुद्दों से लोगों का ध्यान हटता है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) और (ख) ऐसे संगठनों, जो साम्प्रदायिक भावना, कट्टरता और जातिवाद को भड़का रहे हैं, की गतिविधियों पर कानून प्रवर्तन एजेंसियां सतत नजर रखती है और जहां आवश्यक होता है प्रतिबंध लगाने सहित अपेक्षित कानूनी कार्रवाई की जाती है। सरकार, किसी भी कीमत पर संविधान में निहित धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों और शांति और साम्प्रदायिक सद्भावना बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

'लोक व्यवस्था' और 'पुलिस' राज्य के विषय हैं और इसलिए अपराध का पता लगाने, दर्ज करने, जांच-पड़ताल करने और उसकी रोकथाम करने की जिम्मेदारी मुख्यतः राज्य सरकारों की है। तदनुसार, राज्य सरकारें और संघ शासित क्षेत्र प्रशासन कट्टरता, जातिवाद आदि फैलाने से संबंधित अपराधों के दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों और एजेंसियों के विरुद्ध कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई करते हैं। भारत सरकार, अल्पसंख्यकों सहित समाज के सभी संवेदनशील वर्गों के विरुद्ध अत्याचारों की रोकथाम करने तथा शांति और सद्भावना सुनिश्चित करने की दृष्टि से दांडिक न्याय प्रणाली के प्रशासन में सुधार लाने पर अधिक ध्यान केन्द्रित करने का अनुरोध करते हुए राज्य सरकारों और संघ शासित प्रशासनों को समय-समय पर सलाह भेजती रही है।

[अनुवाद]

नारियल के छिलके का उपयोग

332. डा. पी. पी. कोया : क्या कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप में कुल कितनी मात्रा में नारियल का उत्पादन हुआ है;

(ख) क्या सरकारी तथा निजी क्षेत्र में वर्तमान फाइबर फैक्टरियां तथा डी-फाइबरिंग इकाइयां क्षेत्र में उत्पादित उपर्युक्त नारियल के संपूर्ण छिलकों का उपयोग कर पा रही हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार के पास इसके उत्पादन में विविधता लाने, मूल्यवर्धन तथा उस क्षेत्र से बाहर बाजार के लिए तैयार उत्पाद के निर्यात हेतु योजनाएं/प्रस्ताव हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप में कॉयर तथा कॉयर उत्पादनों से संबंधित कतिपय योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु कॉयर बोर्ड का कोई प्रस्ताव है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) कोकोनट डवलपमेंट बोर्ड के यहां उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष 2003-04 के दौरान संघ शासित क्षेत्र (यू.टी.) लक्षद्वीप में 53 मिलियन नारियल उत्पादित किया गया।

(ख) और (ग) लक्षद्वीप संघ शासित क्षेत्र में मौजूदा सात फाइबर एक्सट्रेक्शन यूनिटें उपलब्ध भूसी (हस्क) के 30 प्रतिशत का उपयोग करने में सक्षम है।

(घ) और (ङ) लक्षद्वीप प्रशासन उत्पादन के विविधीकरण हेतु स्कीमों/प्रस्तावों, मूल्य वर्धन, मोटराईज्ड रैट्ट/मोटराईज्ड परम्परागत रैट्टस संबंधी कॅयर यार्न की स्पिरिनंग तथा संघ शासित क्षेत्र से बाहर तैयार माल के निर्यात के लिए सहायता प्रदान करता है। कॅयर बोर्ड कॅयर उद्योग के विकास के लिए संघ शासित क्षेत्र को भी सहायता प्रदान करता है। वर्ष 2005-06 के दौरान कॅयर बोर्ड द्वारा इस प्रयोजन हेतु 10.90 लाख रुपये की राशि निर्धारित की गई है।

(च) और (छ) कॅयर बोर्ड ने महिला कॅयर योजना के तहत लक्षद्वीप संघ शासित क्षेत्र में प्रशिक्षण तथा उपकरण जैसे कि मोटराईज्ड रैट्टस/परम्परागत रैट्टस प्रदान करने के लिए योजनाओं के कार्यान्वयन की एक कार्रवाई योजना तैयार की है। संघ शासित क्षेत्र में परम्परागत उद्योगों के पुनः सृजन के लिए फण्ड (एसएफयूआरटीआई) की योजना के तहत विकास हेतु एक कॅयर क्लस्टर निर्धारित किया गया है। कारीगर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के तहत पात्र कारीगरों को प्रशिक्षित करने तथा क्रमशः छह महीने तथा एक वर्ष की अवधि के लिए एडवांस ट्रेनिंग कोर्स कराने के संबंध में भी कदम उठाए गए हैं।

उच्च शिक्षा से राजसहायता वापस लेना

333. श्री रवि प्रकाश वर्मा : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उच्च शिक्षा से राजसहायता वापस ले ली है; और

(ख) यदि हां, तो राजसहायता वापस लेने के क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) और (ख) जी, नहीं। पात्र विश्वविद्यालयों तथा कॉलेजों के बीच वितरण हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को आवंटित किए जाने वाले अनुदानों में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि होती रही है।

इतिहास की पाठ्य पुस्तकें

334. श्री भर्तृहरि महताब : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (एनसीईआरटी) द्वारा हाल ही में तैयार इतिहास की पाठ्य पुस्तकों के बारे में भारतीय इतिहास कांग्रेस तथा भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद् की प्रतिकूल रेटिंग की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) और (ख) सरकार को भारतीय इतिहास कांग्रेस द्वारा विश्वभारती, शांतिनिकेतन में आयोजित अपने 66वें वार्षिक सत्र में नए एन.सी.ई.आर.टी. पाठ्यचर्या ढांचे और इतिहास की पाठ्यपुस्तकों पर पारित प्रस्ताव की एक प्रति प्राप्त हुई है। इस प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

सरकारी क्षेत्र दोहन हेतु आरक्षित क्षेत्र की समीक्षा

335. श्री चंद्रकांत खैरे : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज सलाहकार परिषद् ने राज्य सरकारों को सरकारी क्षेत्र दोहन के लिए आरक्षित क्षेत्र की समीक्षा करने तथा निजी क्षेत्र द्वारा संभावित दोहन के लिए सरप्लस क्षेत्र को अनधिसूचित करने का निर्देश दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकारों के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के पास खनन पट्टे के अंतर्गत 50 हैक्टेयर से अधिक क्षेत्र की राज्य सरकारों द्वारा तत्काल आधार पर समीक्षा की जाएगी; और

(ग) यदि हां, तो खनिज सलाहकार परिषद् द्वारा लिए गए अन्य निर्णयों का ब्यौरा क्या है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) खनिज सलाहकार परिषद् ने सिफारिश की है कि बहुत बड़े क्षेत्रों को भविष्य के उपयोग के लिए खाली छोड़कर अनुत्पादक रखने अथवा खनन पट्टा के अन्तर्गत धारित क्षेत्रों का खनन से भिन्न प्रयोजन के लिए प्रयोग करने की प्रवृत्ति को रोकने के उद्देश्य से भारतीय खान ब्यूरो तथा राज्य सरकार ऐसे खनन क्षेत्रों की स्थिति की संयुक्त रूप से समीक्षा करेंगे और यदि क्षेत्रों को व्यर्थ में धारित किया हुआ/गैर-खनन प्रयोग पाया जाता है तो खनन पट्टे के ऐसे फालतू क्षेत्रों को शीघ्रता से अभ्यार्पित (सरैन्डर) कराया जाए।

घटता लिंग अनुपात

336. श्री जसुभाई धाभाभाई बारड़ : क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में विशेषकर गुजरात तथा अन्य पश्चिमी राज्यों में लिंग का पता लगाकर कन्या भ्रूण हत्या के कारण घटते लिंग अनुपात की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि हां, तो क्या आयोग ने इस संबंध में कोई सिफारिश की है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसी सिफारिशों पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय राज्य मंत्री की (श्रीमती रेनुका चौधरी) : (क) और (ख) सरकार को मुख्य रूप से लिंग निर्धारण तथा मादा भ्रूण हत्या के कारण घटते हुए लिंग अनुपात की जानकारी है। जनगणना 2001 के आंकड़ों से पता चलता है कि देश में विशेषकर गुजरात एवं पश्चिमी राज्यों 0-6 वर्ष आयु वर्ग में बालिकाओं की संख्या के संबंध में स्थिति चिन्ताजनक है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय महिला आयोग ने गर्भाधान पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान-तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग निवारण) अधिनियम के क्रियान्वयन पर राज्यों के स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास सचिवों, पुलिस महानिरीक्षकों तथा गैर-सरकारी संगठनों का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया था। सरकार को हाल ही में रिपोर्ट

प्राप्त हुई है। रिपोर्ट में गर्भाधान पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान–तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग निवारण) अधिनियम तथा नियमों के समर्थन, जागरूकता, प्रबोधन, क्रियान्वयन एवं आशोधन जैसे विभिन्न मुद्दों पर आयोग की सिफारिशें शामिल हैं।

(ङ) सरकार द्वारा कई उपाय किए गए हैं, जैसे कि : (i) राष्ट्रीय निरीक्षण एवं प्रबोधन समिति का गठन, (ii) राष्ट्रीय सहायता एवं प्रबोधन प्रकोष्ठ का गठन, (iii) समुचित प्राधिकारियों में संचेतना पैदा करना, (iv) चिकित्सा समुदाय में संचेतना पैदा करना, (v) अल्ट्रासाउंड मशीनों की बिक्री से संबंधित निर्देश, (vi) प्रिंट एवं इलेक्ट्रोनिक मीडिया के माध्यम से प्रसव–पूर्व लिंग निर्धारण तथा मादा भ्रूण हत्या की प्रथा के विरुद्ध जागरूकता विकास, (vii) न्याय कर्मियों को प्रशिक्षण, (viii) गर्भाधान पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान–तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग निवारण) अधिनियम के क्रियान्वयन की समीक्षा में जिलाधिकारियों की सहभागिता।

सी-फूड प्रसंस्करण इकाइयां

337. श्री ई. जी. सुगावनम : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उत्पादों के उत्पादन हेतु निर्धारित गुणवत्ता मानकों को सुनिश्चित करने के लिए सी–फूड प्रसंस्करण/उत्पादन इकाइयों की निगरानी करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने आईएसआई की तर्ज पर विशेषकर समुद्री उत्पादों के निर्यात हेतु गुणवत्ता लोगो आरंभ किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) और (ख) भारत के निर्यात निरीक्षण अभिकरण और निर्यात निरीक्षण परिषद आयातक देशों की अपेक्षाओं के अनुसार ताजे, प्रशीतित और प्रसंस्कृत मत्स्य और मत्स्य उत्पादों के लिए गुणवत्ता मानकों और निर्धारित विनिर्दिष्टता के कारगर अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए निगरानी रखते हैं।

(ग) और (घ) निर्यात निरीक्षण परिषद द्वारा लागू एक 'Q' चिह्न मत्स्य और मत्स्य उत्पादों के निर्यात पैकेजों के मुख्य दफ्ती के डिब्बों पर अनिवार्य रूप से मुद्रित किया जाना होता है।

(ङ) लागू नहीं होता।

दिल्ली में महिलाओं तथा लड़कियों के लिए हॉस्टल

338. श्री मणी कुमार सुब्बा : क्या **उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने असम तथा अन्य पूर्वोत्तर राज्यों की लड़कियों विशेषकर राजधानी में अकेली रहने वाली छात्राओं तथा काम–काजी महिलाओं पर हमलों के मद्देनजर दिल्ली तथा इसके आसपास के शहरों में महिलाओं तथा लड़कियों के लिए हॉस्टल बनाने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में केवल पूर्वोत्तर राज्यों की महिलाओं तथा लड़कियों के हॉस्टलों की कुल संख्या कितनी है; और

(ग) इस प्रकार के हॉस्टलों की आवास क्षमता, स्थान तथा अनुमानित लागत का ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी. आर. किंडिया) : (क) सरकार ने असम सहित उत्तर–पूर्वी राज्यों की लड़कियों और कामकाजी महिलाओं के लिए दिल्ली में हॉस्टल स्थापित करने का निर्णय किया है।

(ख) उत्तर–पूर्वी राज्यों से कामकाजी महिलाओं के लिए 500 सीटों की क्षमता वाले हॉस्टल के लिए अनुमान तैयार किए जा रहे हैं। उत्तर–पूर्वी राज्यों की स्नातकोत्तर लड़कियों के लिए एक हॉस्टल का पहले ही निर्माण किया जा चुका है और एक अन्य निर्माणाधीन है। उत्तर–पूर्वी राज्यों की अनुसूचित जनजाति तथा अन्य छात्राओं के लिए 500 सीटों की आवासीय क्षमता वाले राजीव गांधी गर्ल्स हॉस्टल की नींव 6 जनवरी, 2006 को रखी गई है।

(ग) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

क्र.सं.	एनईआर की छात्राओं/कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल का स्थान	क्षमता	अनुमानित लागत (लाख रु. में)
1	2	3	4
1.	पोस्ट ग्रेजुएट गर्ल्स हॉस्टल, ढाका परिसर, दिल्ली विश्वविद्यालय	100	313.00 लाख रुपये

1	2	3	4
2.	इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वूमन, दिल्ली विश्वविद्यालय	200	545.00 लाख रुपये
3.	दिल्ली विश्वविद्यालय परिसर में अनुसूचित जनजातियों एवं उत्तर–पूर्व के विद्यार्थियों के लिए राजीव गांधी गर्ल्स हॉस्टल	500	अनुमान को अंतिम रूप नहीं दिया गया है
4.	उत्तर–पूर्वी राज्यों से महिलाओं के लिए कामकाजी महिला हॉस्टल, दिल्ली	500	अनुमान को अंतिम रूप नहीं दिया गया है

आईटीपीओ की भूमि पर रेस्टोरैंट

339. श्री अनन्त नायक : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संवर्धन संगठन की भूमि पर स्थित अधिकतर रेस्टोरेंटों ने अवैध ढांचों का निर्माण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अवैध ढांचों को गिराने के लिए आईटीपीओ द्वारा अब तक क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) ऐसे अवैध ढांचों को कब तक हटा दिए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) और (ख) प्रगति मैदान में खाद्य एवं पेय यूनिटों के 10 लाइसेंस धारक हैं। इनमें से सात ने अनधिकृत ढांचों का निर्माण किया है।

(ग) और (घ) इंडिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन (आईटीपीओ) ने उपर्युक्त सातों यूनिटों को अनधिकृत ढांचे हटाने हेतु नोटिस जारी किए थे, परन्तु अब तक केवल एक ने ही अनधिकृत ढांचा हटाया है। एक मामला मध्यस्थ के समक्ष विचाराधीन है। अनधिकृत ढांचे हटाने के संबंध में आईटीपीओ कानूनी विकल्पों पर विचार कर रहा है। इस समय अनधिकृत ढांचे हटाने के बारे में कोई समय–सीमा निर्धारित कर पाना संभव नहीं है।

सर्व शिक्षा अभियान तथा मिड-डे मील स्कीम का क्रियान्वयन

340. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :

श्री बृज किशोर त्रिपाठी :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सर्व शिक्षा अभियान तथा मिड–डे मील स्कीम को आरंभ में ग्राम स्तर पर क्रियान्वित किया जाना था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पंचायती राज संस्थानों के माध्यम से इन योजनाओं को क्रियान्वित करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो इन योजनाओं को कब तक पंचायती राज संस्थाओं को सौंपे जाने की संभावना है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (ङ) सर्व शिक्षा अभियान : कार्यान्वयन की संरचना में यह निर्धारण किया गया है कि तृणमूल स्तर पर विकेंद्रीकरण और प्रत्यायोजन किया जाए जिससे समुदाय आधारित कार्यान्वयन और स्कूलों के स्वामित्व को सुनिश्चित किया जा सके। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने विधान द्वारा अथवा सरकारी आदेशों के माध्यम से ग्राम शिक्षा समितियों/पंचायतों/शहरी स्थानीय निकायों को शक्तियों का विकेन्द्रीकरण करने के लिए कदम उठाए हैं।

प्राथमिक शिक्षा को पोषाहार सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम के दिशानिर्देश, 2004 (मध्याह्न भोजन योजना के रूप में लोकप्रिय) में यह परिकल्पना की गई है कि इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन और पर्यवेक्षण का दायित्व राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा ग्राम पंचायत, नगर पालिका और ग्राम शिक्षा समिति आदि को सौंपा जाएगा। ब्लॉक और जिला स्तरों पर विषय संचालन–सह–मानीटरिंग समितियों में पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों को भी प्रतिनिधित्व दिया गया है।

[हिन्दी]

टेलीफोन टैपिंग मामले

341. प्रो. महादेवराव शिवनकर :

श्री असादुद्दीन ओवेसी :

डा. रतन सिंह अजनाला :

सरदार सुखदेव सिंह लिब्रा :

श्री बच्ची सिंह रावत 'बच्चा' :

श्री प्रबोध पाण्डा :

श्री हेमलाल मुर्मू :

श्री महेन्द्र प्रसाद गिरवर :

श्री उदय सिंह :

श्री रघुराज सिंह शाक्य :

श्री अधीर चौधरी :

श्री रशीद मसूद :

श्री सुखदेव सिंह ढींडसा :

श्री कैलाश नाथ सिंह यादव :

श्री रघुवीर सिंह कौशल :

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी :

श्री अजय चक्रवर्ती :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं तथा अन्य महत्वपूर्ण गणमान्य व्यक्तियों के टेलीफोन टैप किए जाने की खबरों की जानकारी है, जिसे मीडिया ने विस्तार से प्रचारित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या टेलीफोन टैपिंग में लिप्त लोगों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने सच्चाई का पता लगाने के लिए इन मामलों की सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं;

(च) यदि हां, तो विचाराधीन विषयों का ब्यौरा क्या है;

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ज) क्या सरकार भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए एक कानून बनाने पर विचार कर रही है; और

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) से (घ) श्री अमर सिंह, माननीय संसद सदस्य, राज्य सभा के टेलीफोन को अनधिकृत रूप से टैपिंग करने की केवल एक घटना सरकार की जानकारी में आई है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में संलिप्त लोगों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया है और अभियुक्तों के विरुद्ध तीस हजारी अदालत में 15.2.2006 को आरोप पत्र दायर कर दिया गया है।

(ङ) से (छ) चूंकि इस मामले में दिल्ली पुलिस ने पहले ही कार्रवाई कर दी है इसलिए इस संबंध में सीबीआई जांच की आवश्यकता नहीं है।

(ज) और (झ) केन्द्रीय सुरक्षा और कानून प्रवर्तन एजेंसियों तथा सेवा प्रदातों द्वारा कड़ाई से अनुपालन करने के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं ताकि सुरक्षा और कानून प्रवर्तन एजेंसियों तथा सेवा प्रदातों द्वारा अवरोधन का प्रति–सत्यापन किया जा सके और संदेशों के अनधिकृत अवरोधन को रोका जा सके। भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम के उपबंधों पर विचार करने के लिए पहले ही कार्रवाई शुरू की गई है ताकि उन्हें और सख्त बनाया जा सके।

बच्चों की तस्करी से संबंधित राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट

342. श्री संतोष गंगवार :

श्री ए. साई. प्रताप :

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा :

श्री के. सी. सिंह 'बाबा'

श्री रशीद मसूद :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान आज तक भारत में पर्यटकों द्वारा बच्चों के शोषण के संबंध में सरकार की जानकारी में लाए गए मामलों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा कोई अध्ययन किया गया है जैसा कि दिनांक 16 जनवरी, 2006 को 'हिंदुस्तान टाइम्स' में समाचार प्रकाशित हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) भारत में पर्यटकों द्वारा बच्चों के यौन शोषण से संबंधित सूचना केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती है।

(ख) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संयुक्त राष्ट्र महिला विकास निधि (यू.एन.आई.एफ.ई.एम.) और समाज–विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के सहयोग से भारत में महिलाओं और बच्चों के अवैध व्यापार के संबंध में कार्रवाई अनुसंधान किया था।

(ग) भारत के संविधान के सातवीं अनुसूची के अनुसार 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं और इस प्रकार अपराध का पता लगाने, पंजीकरण करने, जांच–पड़ताल करने और निवारण करने की मुख्य जिम्मेवारी राज्य सरकारों की है। तथापि, भारत सरकार दांडिक न्याय प्रणाली के प्रशासन में सुधार लाने के लिए ठोस प्रयास करने और बच्चों सहित समाज के सभी सुभेद्य वर्गों के प्रति अपराधों को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी उपाय करने के लिए राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों को समय–समय पर सलाह जारी करती रही है। इसके अतिरिक्त, महिलाओं और बच्चों के अवैध व्यापार पर कार्रवाई अनुसंधान के एन.एच.आर.सी. के निष्कर्षों के उपलब्ध होने पर संघ सरकार ने संबंधित राज्य सरकारों को अवैध व्यापार रोकने, पीड़ित लोगों का बचाव और पुनर्वास करने के लिए समग्र दृष्टिकोण तैयार करने तथा समस्या से कारगार ढंग से निपटने के लिए विस्तृत रणनीति तैयार करने की भी सलाह दी है। सभी स्तरों पर पुलिस पदाधिकारियों को सुग्राही बनाने तथा प्रशिक्षित करने की जरूरत पर जोर दिया गया था और राज्य सरकारों को सलाह दी गई थी कि वे अत्यंत सुभेद्य क्षेत्रों में तत्काल विशेष अभियान चलाएं।

गरीब ग्रामीणों के लिए योजनाएं

343. श्री संजय धोत्रे :
श्री बापू हरी चौरे :

क्या **कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गरीब ग्रामीणों के लाभ के लिए कोई योजना है, जिससे उन्हें बैंकों से ऋण न लेना पड़े;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार केवल अपने अनुदान द्वारा ग्रामीण उद्योगों की स्थापना के लिए उद्यमियों को प्रोत्साहित करने हेतु कोई योजना आरंभ करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) इस प्रकार की कोई योजना कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय में सरकार द्वारा प्रचालित नहीं की गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता है।

[अनुवाद]

शिक्षा का व्यवसायीकरण

344. श्री चुन्नीलाल सिंह :
श्री किसनभाई वी. पटेल :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा का व्यवसायीकरण किया जा रहा है क्योंकि शिक्षा क्षेत्र को पर्याप्त धनराशि का आवंटन नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तकनीकी शिक्षा के लिए आवंटित की जाने वाली प्रस्तावित अतिरिक्त धनराशि तथा 2005–06 के दौरान उपलब्ध कराई गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) और (ख) जी, नहीं। शिक्षा क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता दी जाती है। नौवीं योजनावधि की तुलना में 10वीं योजनावधि के परिव्यय में लगभग 75% वृद्धि हुई है और वर्ष 2005–06 के बजट अनुमान में तकनीकी शिक्षा के लिए 806 करोड़ रु. की राशि उद्दिष्ट की गई। वर्ष 2005–06 के दौरान तकनीकी शिक्षा के लिए अतिरिक्त निधियां प्रदान करने के बारे में इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने दिसम्बर, 2002 में

देश में वृहद स्तर पर "भारत सरकार का तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम" आरंभ किया। इसका उद्देश्य भारत सरकार द्वारा तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने और संस्थाओं की मौजूदा क्षमताओं में वृद्धि के लिए भारत सरकार द्वारा किए जा रहे उपायों में बढ़ोतरी करना तथा सहायता प्रदान करना है ताकि ये संस्थाएं गतिशील, मांग के अनुरूप, गुणवत्ता के प्रति सजग, दक्ष और अग्रवर्ती, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर हो रहे द्रुत आर्थिक और प्रौद्योगिकी विकास के अनुरूप बन सकें।

संस्थाओं में सुरक्षा प्रबंध

345. **श्री किसनभाई वी. पटेल :**
श्री एम. राजा मोहन रेड्डी :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान में विभिन्न संस्थाओं की सुरक्षा कर रही निजी सुरक्षा एजेंसियां संस्थाओं जैसे कि भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर जैसी संस्थाओं पर आतंकवादी हमलों को रोकने में असफल रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार आईआईएम, आईआईएस, आईआईटी जैसे विभिन्न संस्थाओं और अन्य विभिन्न अनुसंधान संस्थाओं को सीआईएसएफ सुरक्षा कवर प्रदान करने का है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो ऐसी संस्थाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) से (ङ) भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर में आतंकवादी हमले को ध्यान में रखते हुए संस्थानों को अपनी सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा करने और जहां कहीं भी जरूरी हो, वहां आवश्यक कार्रवाई करने की सलाह दी गई है। संस्थानों को पुलिस प्राधिकारियों सहित जिला प्रशासन से सम्पर्क रखने और उनकी सलाह लेने का भी परामर्श दिया गया है। संस्थान तदनुसार सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहे हैं। संस्थान ने गश्त बढ़ा दी है। परिसर में प्रवेश की सख्त और लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। सुरक्षा को और भी सुदृढ़ करने के लिए संस्थान कई अन्य उपाय भी अपना रहे हैं।

असम समझौता

346. **डा. अरुण कुमार शर्मा :**
श्री मणी कुमार सुब्बा :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम समझौते के कार्यान्वयन के संबंध में हुई त्रिपक्षीय बैठक में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या एनआरसी के अद्यतनीकरण की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है जिस पर पिछले वर्ष हुई बैठक में सहमति हुई थी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेशों और अवैध प्रवासी (अधिकरणों द्वारा अवधारण) अधिनियम, 1983 के निरसन के मामले में निर्णय का अनुपालन किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) असम समझौते के विभिन्न खंडों को कार्यान्वित करने हेतु कार्रवाई की गई है। समझौते के कतिपय खंड सतत स्वरूप के हैं अर्थात् असम का त्वरित बहुमुखी आर्थिक विकास, घुसपैठ सीमा पार करने/सीमा पार करने के प्रयास करने को रोकने हेतु उपाय इत्यादि और इसलिए इनका निरंतर प्रबोधन करने की आवश्यकता है। सरकार असम समझौते को पूरी तरह से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री और केन्द्रीय गृह मंत्री ने क्रमशः 5.5.2005 और 2.1.2006 को असम समझौते के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए त्रिपक्षीय बैठकों की अध्यक्षता की थी।

(ख) और (ग) असम सरकार, नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर (एनआरसी) का अद्यतन कर रही है। केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार को इस प्रयोजनार्थ 1.02 करोड़ रुपए की राशि जारी की।

(घ) और (ङ) अवैध प्रवासी (अधिकरणों द्वारा अवधारण) अधिनियम, 1983 (आईएमडीटी) पर 12.7.2005 को पारित माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसरण में आईएमडीटी अधिनियम, 1983 के तहत गठित अधिकरणों और अपील अधिकरण ने 12

जुलाई, 2005 से काम करना बन्द कर दिया है। केन्द्र सरकार ने राज्य में 21 अतिरिक्त विदेशियों संबंधी अधिकरणों की स्थापना हेतु मंजूरी भी जारी कर दी है।

(घ) उपर्युक्त (घ) और (ङ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

[हिन्दी]

हिन्दी के प्रचार-प्रसार हेतु सहायता अनुदान

347. श्री विजय कुमार खंडेलवाल : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण भारत में कितनी संस्थाओं को हिन्दी के प्रचार–प्रसार हेतु वार्षिक सहायता अनुदान प्रदान किया जा रहा है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इन राज्यों को इस प्रयोजन हेतु राजयवार कुल कितनी धनराशि प्रदान की गई; और

(ग) हिन्दी के प्रचार–प्रसार हेतु दक्षिणी राज्यों द्वारा किए गए सकारात्मक योगदान को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा सहायता अनुदान में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) वर्ष 2004–05 के दौरान हिन्दी भाषा के प्रसार के लिए दक्षिणी राज्यों के 93 संस्थानों को मानव संसाधन विकास मंत्रालय (माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग) के अन्तर्गत विभिन्न निकायों द्वारा अनुदान प्रदान किया गया।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान हिन्दी भाषा के प्रचार तथा प्रसार के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अन्तर्गत विभिन्न निकायों द्वारा दक्षिणी राज्यों के संस्थानों को निम्नलिखित राशि प्रदान की गई :

राज्यों में स्थित संस्थान	पिछले तीन वर्षों के दौरान दी गई राशि (रुपये)		
	2002–03	2003–04	2004–05
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	1,13,04,790	1,21,55,458	1,12,73,473
केरल	32,94,349	38,72,925	39,71,911
लक्षद्वीप	46,875	78,375	78,375
तमिलनाडु	1,01,45,998	88,89,023	94,35,513
पांडिचेरी	1,43,850	1,43,850	1,66,350
कर्नाटक	1,33,23,689	1,68,92,972	1,77,49,034

(ग) यह अनुदान हिन्दी के प्रचार तथा प्रसार के लिए किए गए योगदान को ध्यान में रखते हुए योग्यता के आधार पर दिए जाते हैं।

[अनुवाद]

छात्रावास भवनों के निर्माण हेतु अनुदान

348. श्री एम. शिवन्ना : क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने केन्द्र सरकार से वर्ष 2005–06 में मैट्रिक–पूर्व बालक/बालिकाओं हेतु छात्रावास भवनों के निर्माण के लिए अनुदान जारी करने का आग्रह किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अनुदान राशि कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी. आर. खिंडिया) : (क) से (ग) जी, हां। कर्नाटक राज्य सरकार ने दिनांक 09.11.2005 को राज्य के विभिन्न जिलों में 4 नए मैट्रिक–पूर्व लड़कों के छात्रावासों और एक नए मैट्रिक–पूर्व लड़कियों के छात्रावास के निर्माण के लिए प्रथम किस्त के रूप में 58.335 लाख रुपए की राशि और वर्ष 2001–02 के दौरान मंजूर किए गए 3 छात्रावासों में किए जानेवाले अतिरिक्त निर्माण कार्य के लिए भी 27.665 लाख रुपए की राशि की निर्मुक्ति हेतु एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। अतः, राज्य सरकार द्वारा कुल 86.00 लाख रुपए की राशि की मांग की गई। यह राशि पहले ही राज्य सरकार को निर्मुक्त कर दी गई है।

शरणार्थी

349. श्री एम. अप्पादुरई : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान विभिन्न देशों विशेषकर श्रीलंका से भारत में कितने शरणार्थी आए;

(ख) देश में विभिन्न देशों के राज्यवार कितने शरणार्थी रह रहे हैं;

(ग) क्या ऐसे सभी शरणार्थियों को अपनी आजीविका चलाने हेतु सभी मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जाती हैं;

(घ) क्या किसी राज्य सरकार ने अपने राज्य में शरणार्थी समस्याओं से निपटने के लिए केन्द्र सरकार से सहायता का अनुरोध किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(च) इस पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान भारत आए शरणार्थियों की संख्या निम्न प्रकार है :

श्रीलंकाई शरणार्थी

वर्ष	शरणार्थियों की संख्या
2003	13
2004	शून्य
2005	शून्य

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) से (च) कैंपों में रह रहे श्रीलंकाई शरणार्थियों को श्रीलंका वापिस भेजने तक मानवीय आधार पर राहत सहायता प्रदान की जाती है।

राज्य सरकारों द्वारा राहत और/या पुनर्वास सहायता प्रदान की जाती है और राज्य सरकारों द्वारा उस पर किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति उन्हें केन्द्र सरकार द्वारा की जाती है।

विवरण

राहत और/या पुनर्वास के प्रयोजनार्थ, 30.6.2005 की स्थिति के अनुसार भारत में शरणार्थियों की देश-वार संख्या निम्न प्रकार है :

राज्य	देश	शरणार्थियों की संख्या
1	2	3
आंध्र प्रदेश	राष्ट्रिकताहीन	01
अरुणाचल प्रदेश	राष्ट्रिकताहीन	7,415
बिहार	राष्ट्रिकताहीन	05
छत्तीसगढ़	राष्ट्रिकताहीन	1,533
दिल्ली	राष्ट्रिकताहीन	738
गोदा	राष्ट्रिकताहीन	02
हरियाणा	राष्ट्रिकताहीन	81
हिमाचल प्रदेश	राष्ट्रिकताहीन	23,484
जम्मू और कश्मीर	राष्ट्रिकताहीन	6,783
झारखंड	राष्ट्रिकताहीन	58
कर्नाटक	श्रीलंका	461
	राष्ट्रिकताहीन	35,886
केरल	श्रीलंका	01
मध्य प्रदेश	राष्ट्रिकताहीन	05
महाराष्ट्र	राष्ट्रिकताहीन	1,155
मेघालय	राष्ट्रिकताहीन	512
उड़ीसा	श्रीलंका	36
	राष्ट्रिकताहीन	2,428
पांडिचेरी	श्रीलंका	24
	राष्ट्रिकताहीन	04
सिक्किम	राष्ट्रिकताहीन	2,688
तमिलनाडु	श्रीलंका	67,906
	राष्ट्रिकताहीन	236
उत्तर प्रदेश	राष्ट्रिकताहीन	149
उत्तरांचल	राष्ट्रिकताहीन	9,535
पश्चिम बंगाल	राष्ट्रिकताहीन	3,288

वर्दीधारी व्यक्तियों को दंड

350. श्रीमती मेनका गांधी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार महिलाओं से यौन दुर्व्यवहार करने वाले वर्दीधारी व्यक्तियों को कड़ा दंड देने हेतु कोई कानूनी उपबंध बनाने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) और (ख) भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2) के तहत बलात्कारी पुलिस पदाधिकारियों को कड़ा दंड देने का प्रावधान है। यह दंड ऐसी अवधि के लिए कठोर कारावास के रूप में दिया जा सकता है जो दस वर्ष से कम नहीं होगी लेकिन यह कारावास आजीवन भी हो सकता है तथा अभियुक्त पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2005 ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 176 में संशोधन किया ताकि अन्य बातों के साथ-साथ, पुलिस अभिरक्षा या मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा प्राधिकृत किसी भी अभिरक्षा में बलात्कार के आरोप के मामले में, पुलिस द्वारा पूछताछ या जांच-पड़ताल के अतिरिक्त न्यायिक जांच की जाएगी।

भारत और बेलारूस के बीच व्यापार

351. श्री धनुषकोडी आर. अदित्यन : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और बेलारूस ने अपने व्यापार को दोगुणा करने के लिए कोई समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) दोनों देशों के बीच व्यापार की वर्तमान स्थिति क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान दोनों देशों के बीच किन मदों का व्यापार हुआ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारत-बेलारूस व्यापार की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है :

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	निर्यात	आयात	कुल
1	2	3	4
2003-2004*	29.82	30.98	60.80
2004-2005*	45.07	53.41	98.48
2004-2005 (अप्रैल-नवंबर)	25.51	40.88	66.39
2005-2006* (अप्रैल-नवंबर)	26.53	85.90	112.43

स्रोत : डीजीसीआई एंड एस *(अनंतिम)

भारत से बेलारूस को होने वाले निर्यात की प्रमुख मदें हैं-औषधियां, मेषज एवं परिष्कृत रसायन, मशीनें एवं उपकरण, तम्बाकू अनिर्मित, इलेक्ट्रॉनिक सामान, चाय आदि।

बेलारूस से भारत में होने वाले आयात की प्रमुख मदें हैं-सिंथेटिक एवं रिजेनरेटेड फाइबर, लोहा एवं इस्पात, अकार्बनिक रसायन आदि।

शैक्षिक संस्थाएं

352. डा. पी. पी. कोया : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लक्षद्वीप प्रशासन के अधीन डिग्री कालेजों, वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों, माध्यमिक विद्यालयों, सीनियर बेसिक स्कूलों, जूनियर बेसिक स्कूलों और नर्सरी स्कूलों जैसी कितनी शैक्षिक संस्थाएं कार्य कर रही हैं;

(ख) लक्षद्वीप प्रशासन के अधीन प्रधानाध्यापकों, स्नातकोत्तर अध्यापकों, प्रशिक्षित स्नातक अध्यापकों, प्राथमिक विद्यालय अध्यापकों, नर्सरी स्कूल अध्यापकों, शारीरिक शिक्षा अध्यापकों, शिल्प अध्यापकों और अन्य कितने संबद्ध पद उपलब्ध हैं;

(ग) क्या लक्षद्वीप प्रशासन का अध्यापकों के पदों के सृजन हेतु कोई प्रस्ताव सरकार के पास लंबित है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) लक्षद्वीप में निम्नलिखित शैक्षिक संस्थाएं कार्य कर रही हैं :

(i)	कालीकट विश्वविद्यालय केन्द्र	02 (दो)
(ii)	वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल	08 (आठ)
(iii)	हाई स्कूल	4 (चार)
(iv)	सीनियर बेसिक स्कूल	06 (छह)
(v)	जूनियर बेसिक स्कूल	21 (इक्कीस)
(vi)	नर्सरी स्कूल	10 (दस)

(ख) लक्षद्वीप प्रशासन के अंतर्गत उपलब्ध पद निम्नलिखित हैं :

(i)	प्रधानाचार्य	04 (चार)
(ii)	स्नातकोत्तर अध्यापक	16 (सोलह)
(iii)	प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक	206 (दो सौ छह)
(iv)	प्राथमिक स्कूल अध्यापक	388 (तीन सौ अठासी)
(v)	नर्सरी स्कूल अध्यापक	52 (बावन)
(vi)	शारीरिक शिक्षा अध्यापक	23 (तेईस)
(vii)	कॉयर काफ्ट अध्यापक	24 (चौबीस)
(viii)	नीडल क्राफ्ट अध्यापक	13 (तेरह)
(ix)	क्राफ्ट अनुदेशक (पेपर मेशी)	01 (एक)
(x)	मैकेनिकल अनुदेशक	12 (बारह)
(xi)	फिशरिज निर्देशक	9 (नौ)
(xii)	फिशरिज अध्यापक	7 (सात)
(xiii)	संगीत अध्यापक	1 (एक)
(xiv)	नृत्य अध्यापक (शास्त्रीय)	2 (दो)
(xv)	जूनियर पुस्तकालयाध्यक्ष	9 (नौ)
(xvi)	पुस्तकालयाध्यक्ष	2 (दो)
(xvii)	ड्राइंग अध्यापक	10 (दस)
(xviii)	नृत्य व संगीत अध्यापक (लोक नृत्य)	9 (नौ)
(xix)	लैब सहायक	16 (सोलह)
(xx)	लैब अटेन्डट	9 (नौ)
(xxi)	शिप मॉडलिंग अनुदेशक	1 (एक)
(xxii)	मैट्रन	2 (दो)
(xxiii)	पुस्तकालय अटेन्डट	2 (दो)

(ग) से (ङ) जी, हां। लक्षद्वीप प्रशासन से इस मंत्रालय को स्नातकोत्तर अध्यापकों के 56 पद सृजित करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।

मानवाधिकारों और कर्त्तव्यों को अनिवार्य विषय के साथ पढ़ाना आरम्भ करना

353. श्री रवि प्रकाश वर्मा : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जस्टिस वर्मा समिति ने मानवाधिकारों और कर्त्तव्यों को स्कूली पाठ्यचर्या और उच्च शैक्षिक स्तर पर अनिवार्य विषय बनाने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन सिफारिशों को लागू करने में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(घ) इस संबंध में कितनी सफलता प्राप्त हुई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) और (ख) देश के नागरिकों को मौलिक कर्त्तव्यों की शिक्षा देने के संबंध में सुझाव देने के लिए भारत सरकार द्वारा न्यायमूर्ति वर्मा की अध्यक्षता में गठित समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :

(i) विद्यालय और शिक्षक शिक्षा संस्थाओं में मौलिक कर्त्तव्यों की शिक्षा देने के लिए पाठ्यचर्याओं की दिशा और दृष्टिकोण में मौलिक परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता है। सभी संबंधितों को अधिकारों और कर्त्तव्यों के समुच्चय के रूप में नागरिकता मूल्यों की समझ होनी चाहिए। इस संबंध में कालान्तर में वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए शैक्षिक प्रक्रिया के माध्यम से उपयुक्त उपाय शुरू किए जाने की आवश्यकता है।

(ii) मौलिक कर्त्तव्यों के संबंध में भारतीय संविधान की

प्रस्तावना और संविधान के अनुच्छेद 51 क को सभी विद्यालय पुस्तकों, पूरक सामग्री और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के विद्यालय पाठ्यपुस्तक ब्यूरो द्वारा प्रकाशित सामान्य प्रकाशनों में मुद्रित किया जाए।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने पहले ही विभिन्न स्तरों की पर्यावरण अध्ययन और समाज विज्ञानों की पाठ्यपुस्तकों में मौलिक कर्त्तव्यों के घटक को शामिल कर लिया है। विभिन्न स्तरों की पाठ्य पुस्तकों के प्रारम्भिक पृष्ठों पर मौलिक कर्त्तव्यों का चार्ट दिया गया है ताकि विद्यार्थियों को इनके प्रति संवेदनशील बनाया जा सके।

उल्फा द्वारा जबरन वसूली का नोटिस

354. श्री मणी कुमार सुब्बा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या युनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम ने हाल ही में ओएनजीसी और असम सरकार को 500 करोड़ रु. की जबरन वसूली का नोटिस भेजा है;

(ख) यदि हां, तो डाक से प्राप्त फिरौती पत्र का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) और (ख) यह सूचित किया गया है कि तेल और प्राकृतिक गैस निगम लि. (ओ.एन.जी.सी.), नजीरा, असम को युनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा) के दिनांक 1.1.2006 के लैटर हैड पर एक पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें उनसे 15 दिन के अंदर 500 करोड़ रुपए की मांग की गई थी।

(ग) और (घ) सूचना प्राप्त होने पर, केन्द्र सरकार ने इस मामले में असम सरकार को सलाह दी कि वे असम में ओ.एन.जी.सी. प्रतिष्ठानों और कार्मियों की रक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी उचित कदम उठाएं। असम सरकार ने सूचित किया है कि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच-पड़ताल शुरू कर दी है। ओ.एन.जी.सी. प्रतिष्ठानों और कार्मिकों की सुरक्षा सुदृढ़ कर दी गई है।

गरीब और सीमांत वर्ग हेतु शिक्षा

355. श्री अनन्त नायक : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूजीसी की गरीब और सीमांत वर्गों में शिक्षा का प्रसार करने और अर्थव्यवस्था की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने तथा मानवाधिकारों को बढ़ावा देने की कोई योजना है जैसा कि दिनांक 8 फरवरी, 2006 के 'टाइम्स ऑफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसी योजनाओं को अंतिम रूप कब तक दिए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (ग) जी हां, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचनानुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, इस प्रयोजन हेतु संगत स्कीमों को कार्यान्वित करने के लिए विश्वविद्यालयों तथा कालेजों को निधियां प्रदान करता है। इन स्कीमों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं : (i) विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ की स्थापना, (ii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अल्पसंख्यकों को सेवा में प्रवेश के लिए कोचिंग कक्षाएं, (iii) दृष्टिहीन अध्यापकों को वित्तीय सहायता, (iv) महिला छात्रावास के निर्माण हेतु विशेष स्कीम, (v) पिछड़े क्षेत्रों में स्थित विश्वविद्यालयों तथा कालेजों को विशेष विकास अनुदान तथा (vi) मानव अधिकार तथा कर्तव्य शिक्षा।

दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौता

356. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :
श्री रूपचंद पाल :
श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया :
श्री पी. सी. थामस :
श्री बृज किशोर त्रिपाठी :
श्री सुग्रीव सिंह :
श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर :
श्री पी. एस. गढ़वी :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौता (साफ्टा) किया है जिसका 1 जनवरी, 2006 से लागू होना तय था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त समझौते में अल्प विकसित देशों को क्या रियायत देने का प्रस्ताव है;

(घ) घरेलू व्यापारियों/किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या कुछ देश साफ्टा लागू होने के बाद पारगमन मार्ग उपलब्ध कराने के लिए सहमत हुए हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी देश-वार ब्यौरा क्या है;

(छ) साफ्टा से क्षेत्रीय व्यापार को किस हद तक बढ़ावा मिलेगा; और

(ज) साफ्टा के उपबंधों से अलग रखी गई मदों का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) जी, हां।

(ख) दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) संबंधी करार में एक चरणबद्ध व्यापार उदारीकरण कार्यक्रम (टीएलपी) की परिकल्पना की गई है। करार के लागू होने की तारीख से दो वर्षों के भीतर अल्प विकसित संविदाकारी देशों से इतर देशों (भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका) द्वारा अपने टैरिफ कम करके 20 प्रतिशत कर दिए जाएंगे जबकि अल्प विकसित संविदाकारी देशों (बंगलादेश, भूटान, मालदीव और नेपाल) द्वारा इन्हें कम करके 30 प्रतिशत किया जाएगा। अल्प विकसित देशों से इतर देश तत्पश्चात् पांच वर्षों में (श्रीलंका 6 वर्ष) टैरिफ 20 प्रतिशत से कम करके 0-5 प्रतिशत कर देंगे जबकि अल्प विकसित देश ऐसा 8 वर्ष में करेंगे। यह टीएलपी प्रत्येक सदस्य देश की साफ्टा के अंतर्गत संवेदनशील सूची में शामिल मदों पर लागू नहीं होगा।

सदस्य देशों की बजट अवधि 1 जनवरी, 2006 के बजाय अलग-अलग होने की बात को ध्यान में रखते हुए सभी सदस्य देशों द्वारा टीएलपी के अन्तर्गत टैरिफ में सर्वप्रथम कमी 1 जनवरी, 2006 को लागू की जाएगी जबकि नेपाल ऐसा 1 अगस्त, 2006 को करेगा।

(ग) सार्क के अल्प विकसित देशों के लिए सहमत रियायतें निम्नानुसार हैं :

(1) जहां अल्प विकसित देशों से इतर देशों के लिए 7 वर्षों (श्रीलंका 8 वर्ष) में व्यापार उदारीकरण कार्यक्रम को पूरा करना अपेक्षित है वहीं अल्प विकसित देश ऐसा 10 वर्ष में कर सकते हैं।

(2) साफ्टा उद्गम संबंधी नियमों, जिनमें चार-अंकीय सुमेलीकृत कोडिंग प्रणाली (एचएस) में टैरिफ शीर्ष के परिवर्तन (सीटीएच) और 40 प्रतिशत के कीमत संघटक (अल्प विकसित देशों के लिए 30 प्रतिशत) का दोहरा मानदण्ड निर्धारित किया गया है, में सामान्य प्रावधान के अलावा अल्प विकसित देशों के प्राकृतिक संसाधनों के सीमित आधार पर गैर विविधीकृत औद्योगिक ढांचे के कारण उनके लिए साफ्टा उद्गम संबंधी नियमों में 191 टैरिफ लाइनों के संबंध में उत्पाद विशिष्ट नियम (पीएसआर) निर्धारित किए गए हैं।

(3) अल्प विकसित देशों के लिए चार वर्ष तक राजस्व घाटे की क्षतिपूर्ति (एमसीआरएल) हेतु तंत्र जबकि मालदीव के लिए यह अवधि छह वर्ष की होगी।

(4) सहमत क्षेत्रों में अल्प विकसित देशों को तकनीकी सहायता।

(घ) घरेलू व्यापारियों/किसानों के हित की सुरक्षा करने के लिए भारत ने अल्प विकसित देशों से इतर देशों के लिए संवेदनशील सूची में 884 मदें और अल्प विकसित देशों के लिए संवेदनशील सूची में 763 मदें रखी हैं; इन मदों पर व्यापार उदारीकरण कार्यक्रम लागू नहीं होगा।

(ङ) और (च) साफ्टा संबंधी करार के नियम 8 में पारस्परिक लाभ हेतु साफ्टा में सहायता और संपूरकता प्रदान करने के लिए व्यापार सुविधा एवं अन्य उपायों का प्रावधान किया गया है जिसमें खासकर भू-आबद्ध संविदाकारी देशों के लिए सुगम अंतरा-सार्क व्यापार हेतु पारगमन सुविधाएं शामिल हैं। तथापि इस संबंध में किसी विशिष्ट करार पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं।

(छ) 1 जुलाई, 2006 से साफ्टा का कार्यान्वयन होने से अंतरा-सार्क व्यापार में पर्याप्त वृद्धि होने की संभावना है किन्तु इस चरण पर वृद्धि की मात्रा का पता नहीं लगाया जा सकता।

(ज) हमारी जिन संवेदनशील सूचियों पर साफ्टा के अन्तर्गत व्यापार उदारीकरण कार्यक्रम लागू नहीं होगा उनमें मुख्यतः कृषि क्षेत्र, वस्त्र क्षेत्र की वस्तुएं/उत्पाद, रसायन, चर्म और लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित वस्तु क्षेत्र शामिल हैं।

[हिन्दी]

धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा के इंतजाम

357. प्रो. महादेवराव शिवनकर : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कुछ दिनों में आतंकवादियों ने वैष्णो देवी के मंदिर पर हमला करने की योजना बनाई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा विभिन्न धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा के इंतजाम की समीक्षा की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सभी धार्मिक स्थलों में सुरक्षा के लिए नियुक्त किए गए सुरक्षा बलों के संचार नेटवर्क संतोषजनक रूप से कार्य कर रहे हैं;

(च) यदि हां, तो गत छह महीनों के दौरान ऐसे धार्मिक स्थलों का ब्यौरा क्या है, जहां सुरक्षा बलों को पूर्व में यह जानकारी मिल गई थी कि उन्हें आतंकवादियों द्वारा निशाना बनाया जा सकता है; और

(छ) सभी धार्मिक स्थलों और सार्वजनिक स्थानों की सुरक्षा हेतु सरकार द्वारा क्या अतिरिक्त प्रबंध किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) जी, हां। श्रीमान।

(ख) से (घ) कतिपय उग्रवादी/आतंकवादी गुटों का देश के प्रमुख मंदिरों पर हमला करने का इरादा है।

(ङ) से (छ) विभिन्न धार्मिक स्थलों की सुरक्षा व्यवस्था, जिसका संबंध कानून और व्यवस्था बनाए रखने से है, राज्य का विषय है। तथापि, खतरे के संबंध में केन्द्रीय सुरक्षा एजेंसियों से प्राप्त सूचनाओं का संबंधित राज्य सरकारों के साथ नियमित रूप से आदान-प्रदान किया जा रहा है ताकि धार्मिक परिसरों की सुरक्षा को उपयुक्त रूप से सुदृढ़ किया जा सके।

विशेष आर्थिक जोन

358. श्री संतोष गंगवार :

श्री जी. करुणाकर रेड्डी :

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया :

श्री तुकाराम गंगाधर गदाख :

श्री हरिकेवल प्रसाद :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष सरकार द्वारा विशेष आर्थिक जोनों को जोन-वार कितनी वित्तीय सहायता दी गई है;

(ख) कार्य कर रहे विशेष आर्थिक जोनों में अब तक जोन-वार कितना प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है;

(ग) इन जोनों में रोजगार का स्तर कितना है;

(घ) आज की तिथि के अनुसार विशेष आर्थिक जोन की स्थापना के लिए विभिन्न निजी पार्टियों से जोन-वार कितने प्रस्ताव सरकार के पास लंबित हैं;

(ङ) इसे स्वीकृति दिए जाने में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(च) क्या सरकार विशेष आर्थिक जोन कानून लागू करने पर विचार कर रही है;

(छ) लम्बित प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दिए जाने की सम्भावना है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) केन्द्र सरकार विशेष आर्थिक जोनों (एसईजेड) को मुख्यतः वेतनों और कार्यालय खर्चों के लिए किए गए खर्च को पूरा करने के लिए बजटगत सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा, योजनागत आवंटन के अंतर्गत बजटगत सहायता मुख्यतः विशेष आर्थिक जोनों में अवसंरचना के विकास के लिए निर्यात अवसंरचना का विकास करने और संबद्ध कार्यकलापों के लिए राज्यों को सहायता (एएसआईडीई) स्कीम के अंतर्गत भी जोनों को सहायता प्रदान की जाती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान एएसआईडीई स्कीम के अंतर्गत एसईजेडएस को जारी की गई निधियां इस प्रकार हैं :

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	एसईजेड का नाम	जारी की गई निधियां			कुल
		2002–03	2003–04	2004–05	
1.	कोचीन एसईजेड	2006.96	1121.16	802.38	3930.50
2.	मणिकंचन एसईजेड	0.00	0.00	57.150	57.10
3.	मद्रास एसईजेड	1219.70	528.31	201.69	1949.70
4.	नोएडा एसईजेड	300.00	623.54	638.79	1562.33
5.	सीप्ज–विशेष आर्थिक जोन	361.41	500.00	1190.98	2052.39
6.	विशाखापत्तनम एसईजेड	842.25	514.85	330.17	1687.27
7.	कांडला एसईजेड	871.31	298.33	1313.94	2483.58
8.	फाल्टा एसईजेड	365.63	748.82	1360.64	2475.09
	कुल	5967.26	3435.01	5859.69	15261.96

विशेष आर्थिक जोनों को सरकार द्वारा कोई अन्य वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जाती है।

(ख) वर्ष 2005–06 (अप्रैल से नवंबर, 2005 तक अनंतिम) के दौरान प्रचालनात्मक विशेष आर्थिक जोनों में इकाइयों की स्थापना के लिए प्राप्त विदेशी प्रत्यक्ष निवेश लगभग 95 करोड़ रुपए था। ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :

	(करोड़ रुपए में)
विशाखापत्तनम एसईजेड	48.18
कांडला एसईजेड	12.96
सीप्ज–एसईजेड	4.05
मद्रास एसईजेड	0.87
कोचीन एसईजेड	29.25
कुल	95.31

(ग) इन जोनों में कुल 1.10 लाख व्यक्ति (लगभग) नियोजित हैं।

(घ) से (ज) दिनांक 15.11.2005 तक सरकार को एसईजेडएस की स्थापना के लिए प्राप्त प्रस्तावों पर अनुमोदन बोर्ड द्वारा विचार किया गया है और मानदंडों के अनुसार स्वीकृत किए गए हैं। बाद में एसईजेडएस की स्थापना के लिए 74 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन पर अभी विचार नहीं किया गया है क्योंकि एसईजेड अधिनियम, 2005 और एसईजेड नियम, 2006 लागू किए जा रहे थे। एसईजेड अधिनियम, 2005 और एसईजेड नियम, 2006 दिनांक 10.2.2006 को लागू हो गए हैं। अनुमोदन बोर्ड एसईजेड अधिनियम, 2005 के अधीन गठित किया गया है और लम्बित प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के समक्ष दिनांक 17.3.2006 को आयोजित होने वाली उनकी बैठक में उनके विचारार्थ प्रस्तुत किए जाएंगे।

[अनुवाद]

नागा नेताओं से वार्ता

359. **श्री सुग्रीव सिंह :**
श्री मोहन सिंह :
श्री टोनचोम मैन्या :
श्री मन्नी कुमार शुक्ला :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में मंत्रियों के एक समूह ने थाईलैंड में नागा नेताओं से भेंट की थी;

(ख) यदि हां, तो नागा नेताओं के साथ जिन मुद्दों पर चर्चा की गयी उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसी वार्ताओं के बाद लिए गए निर्णयों का ब्यौरा क्या है;

(घ) मणिपुर के लोगों के दिमाग से मणिपुर राज्य की प्रान्तीय अखंडता के संबंध में आशंकाओं को दूर करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार का विचार मणिपुर तथा थाइलैंड राज्य सरकारों को भारत सरकार तथा नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (आईएम) की चल रही शांति वार्ता में शामिल होने तथा इसमें भाग लेने के लिए इन्हें आमंत्रित करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) से (ग) जी हां, श्रीमान। श्री आस्कर फर्नांडिस, राज्य मंत्री और नागा शांति वार्ता के लिए भारत सरकार के प्रतिनिधि ने 28 से 31 जनवरी, 2006 तक थाइलैंड में नेशनल सोसलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (इसाक-मुइवाह) के नेताओं से मुलाकात की। चर्चा, संघर्ष विराम की समयावधि बढ़ाने, जो 31 जनवरी, 2006 को समाप्त हो रही थी, के प्रश्न के इर्द-गिर्द केन्द्रित रही। संघर्ष विराम की अवधि छः माह और बढ़ा दी गई है।

(घ) से (च) सरकार का निरन्तर यह मत रहा है कि पूर्वोत्तर में राज्यों की सीमाओं का पुनः निर्धारण तभी किया जा सकता है जब इस मुद्दे पर राजनीतिक आम सहमति हो।

'आपरेशन ब्लैक बोर्ड' स्कीम

360. डा. अरुण कुमार शर्मा : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री 22.3.2005 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2987 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौवीं योजना के दौरान असम में ओ.बी.बी. योजना के अन्तर्गत नियुक्त सभी 5900 शिक्षकों को वेतन जारी करने संबंधी मामला सुलझा लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इसे कब तक पूरा किए जाने की संभावना है; और

(घ) ऐसी योजना के अन्तर्गत उन शिक्षकों के वेतन हेतु केन्द्र सरकार द्वारा कुल कितनी राशि वितरित की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरंदेश्वरी) : (क) से (घ) नौवीं योजना अवधि के दौरान आपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना के तहत सहायता प्राप्त अध्यापकों के पदों के लिए केन्द्रीय सहायता को उक्त अवधि की समाप्ति पर अर्थात् 31.3.2002 से समाप्त कर दिया गया और यह राज्य सरकार का उत्तरदायित्व बन गया है। तथापि, केन्द्र सरकार ने एक विशेष मामले के रूप में यह निर्णय लिया है कि पूर्वोत्तर क्षेत्रों, जिसमें असम भी शामिल है, में ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना के अन्तर्गत नौवीं योजना के दौरान शिक्षकों के वेतन के लिए दी जाने वाली सहायता को 10वीं योजनावधि में भी जारी रखा जाएगा। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना के अन्तर्गत नियुक्त शिक्षकों के वेतन के लिए वर्ष 2005-06 के दौरान असम को 2052.72 लाख रु. की राशि संस्वीकृत की गई।

पुलिस बल का आधुनिकीकरण

361. श्री चन्द्रकांत खैरे :

श्री एम. राजा मोहन रेड्डी :

श्री सनत कुमार मंडल :

श्री ई. जी. सुगावनम :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए केन्द्रीय निधि बढ़ाने हेतु राज्य सरकारों से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है और सरकार द्वारा राज्य-वार कितनी अतिरिक्त राशि जारी की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) और (ख) राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना के तहत केन्द्रीय निधि बढ़ाने हेतु विभिन्न राज्य सरकारों से अनुरोध प्राप्त हुए थे। तदनुसार, 2005-06 में सरकार द्वारा राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना में संशोधन किया गया है। संशोधित योजना के तहत राज्यों को 100% और 75% केन्द्रीय निधि के साथ क्रमशः श्रेणी 'क' और श्रेणी 'ख' में पुनः वर्गीकृत किया गया है। पुनः वर्गीकरण का यह परिणाम निकला कि गत वर्ष के 1400 करोड़ रुपए के कुल केन्द्रीय वार्षिक आवंटन को बढ़ाकर 1645.00

करोड़ रुपए कर दिया गया है। तथापि, राज्यों के पास बड़ी मात्रा में गत वर्ष की अव्ययित केन्द्रीय निधि बकाया पड़ी होने के कारण 2005–06 में योजना के लिए 900 करोड़ रुपए का बजट आवंटन है।

खादी उत्पादों के इस्तेमाल को प्रोत्साहन

362. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ : क्या कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोगों के बीच खादी उत्पादों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कोई नई पहल की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश के शहरी इलाकों में खादी को प्रोत्साहन देने के लिए कोई नए कदम उठाए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) शहरी क्षेत्रों सहित पूरे देश में खादी उत्पादों के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए, सरकार ने खादी व ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के माध्यम से कई पहलें की हैं, जैसे, (i) राष्ट्रीय/जोनल/जिला स्तरों पर प्रदर्शनियां आयोजित करना, (ii) राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भागीदारी, (iii) परिष्कृत डिजाइनों और खादी उत्पादों की पैकेजिंग के लिए उत्पाद विकास, डिजाइन हस्तक्षेप और पैकेजिंग (पीआरओडीआईपी) योजना, (iv) खासकर शहरी क्षेत्रों में युवाओं के इस्तेमाल के लिए खादी फेब्रिक को नवीनतम डिजाइनों के तैयार वस्त्रों में बदलने के लिए मिशन खादी आरंभ करना, (v) खादी उत्पादों के लिए 'खादी इंडिया' ब्रांड नाम शुरू करना, (vi) 2005–06 से शुरू होते हुए पांच वर्षों में खादी क्षेत्र में 25 क्लस्टरों के विकास के लिए पारंपरिक उद्योगों के पुनरुज्जीवन हेतु फंड की योजना (एसएफयूआरटीआई) आरंभ करना, इत्यादि।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता है।

डिजास्टर रेस्पांस फोर्स

363. श्री धनुषकोडी आर. अदित्यन : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को अपना डिजास्टर रेस्पांस फोर्सेज गठित करने की सलाह दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस बल के गठन के लिए प्रत्येक राज्य को आवंटित की जाने वाली राशि का ब्यौरा क्या है और इस राशि में संबद्ध राज्यों द्वारा कितना योगदान किया जाएगा?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) और (ख) भारत सरकार ने सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को, आपदा आने की स्थिति में अधिक प्रभावपूर्ण ढंग से कार्रवाई करने में सक्षम बनाने के लिए स्वयं अपनी तलाश और बचाव टीमें गठित करने की सलाह दी है। इस उद्देश्य के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से अनुरोध किया गया है कि (i) कम से कम 12 प्रशिक्षकों का चयन करें, (ii) एक राज्य स्तरीय नोडल प्रशिक्षण संस्थान का पता लगाएं, (iii) प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण (टीओटी) के लिए आवश्यक उपकरण प्राप्त करें, (iv) चिकित्सा संबंधी प्रथम कार्रवाई (एमएफआर) और क्षतिग्रस्त अवसंरचना तलाश और बचाव (सीएसएसआर) में प्रशिक्षण हेतु पदाधिकारियों/अधिकारियों का पता लगाएं तथा (v) राज्य स्तरीय तलाश और बचाव टीमों के लिए उपकरण प्राप्त करें।

(ग) भारत सरकार द्वारा राज्यों/संघ शासित क्षेत्र सरकारों को स्वयं अपनी तलाश और बचाव टीमों की स्थापना हेतु दी गई सलाह राज्यों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। 24 राज्यों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों ने पहले ही प्रशिक्षकों का चयन करने के साथ–साथ राज्य स्तरीय नोडल प्रशिक्षण संस्थानों का पता लगा लिया है।

(घ) देश में किसी भी प्रकार की आपदा स्थिति हेतु विशिष्ट कार्रवाई के लिए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों की 8 बटालियनें राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल के रूप में गठित की गई हैं।

राज्य स्तरीय तलाश और बचाव टीमों के गठन के लिए केन्द्र और राज्यों की कोई हिस्सेदारी निर्धारित नहीं की गई है तथा इन टीमों का गठन राज्य/संघ शासित क्षेत्र सरकारों द्वारा अपने बजट से किया जाना अपेक्षित है। भारत सरकार ने राज्य सरकारों को संचार उपकरण सहित तलाश, बचाव और सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए अनिवार्य उपकरणों की प्राप्ति हेतु आपदा राहत निधि

(सीआरएफ) के वार्षिक आवंटन का 10% उपयोग करने की अनुमति दी है।

राज्यों में पूर्वोत्तर केन्द्र

364. श्रीमती मेनका गांधी : क्या **उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारत के विभिन्न बड़े शहरों में पूर्वोत्तर केन्द्र की स्थापना करने का विचार कर रही है ताकि शिक्षा प्राप्त करने के लिए पूर्वोत्तर राज्यों से आने वाले विद्यार्थियों विशेषतः छात्राओं को दिशा–निर्देश दिया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी. आर. किंडिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

राइफलों का फील्ड परीक्षण

365. श्री अनन्त नायक : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विध्वंसक और उग्र राइफलों का फील्ड परीक्षण पूरा कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इन राइफलों की आपूर्ति हेतु आदेश प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन राइफलों की विनिर्माता बन्दूक फैक्ट्रियों के नाम क्या हैं और उनका वार्षिक उत्पादन कितना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) से (ङ) आर्डिनेंस फैक्टरी बोर्ड के ये हथियार आदि–प्ररूप (प्रोटोटाइप) उत्पादन के तहत आते हैं और इनके परीक्षण हेतु कोई पेशकश नहीं की गई है।

मध्याह्न भोजन योजना में पारदर्शिता

366. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :

श्री बृज किशोर त्रिपाठी :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने बारी–बारी से माताओं को आगे आने और मध्याह्न भोजन की तैयारी और वितरण की जांच करने हेतु उन्हें प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में राज्य सरकारों को निर्देश जारी किए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा मध्याह्न भोजन योजना को अधिक पारदर्शी तथा प्रभावी बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरंदेश्वरी) : (क) से (ग) मध्याह्न भोजन योजना का कुशल प्रबंधन काफी हद तक समुदाय की प्रभावी लामबंदी पर और भागीदारों की सक्रिय सहभागिता पर निर्भर करता है। मध्याह्न भोजन योजना में माताएं मुख्य भागीदार हैं, अतः उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया गया है कि वे बारी–बारी से स्कूलों में बच्चों के लिए भोजन पकाने तथा परोसने के काम का पर्यवेक्षण करें। इससे इस कार्यक्रम के बारे में उनकी जागरूकता तथा उनकी हकदारी में वृद्धि होगी। इस साधारण सी भागीदारी से करोड़ों माताएं मध्याह्न भोजन योजना के कार्यान्वयन में पारदर्शिता लाने के साथ–साथ प्रभावपूर्ण निगरानी करने के लिए भी अधिकृत होंगी।

मुख्य सचिवों और जिला कलेक्टरों से अनुरोध किया गया है कि वे माताओं को लामबंद करने तथा सूचना संकलित करने में व्यक्तिगत रूप से रुचि लें। इसी तरह मानव संसाधन विकास मंत्री ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से अनुरोध किया है कि वे इस नई पहल के लिए अपना व्यक्तिगत नेतृत्व प्रदान करें।

(घ) इस कार्यक्रम को अधिक पारदर्शी तथा प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित प्रयास किए गए हैं :

(i) इस योजना के दिशा–निर्देश तथा वर्ष 2005–06 के दौरान प्रदत्त केन्द्रीय सहायता का विवरण मंत्रालय की वेबसाईट पर दिया गया है।

(ii) राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वे भी अपनी वेबसाईट पर विस्तृत सूचना दें।

(iii) इस कार्यक्रम के बारे में लोगों की जागरूकता बढ़ाने के लिए मीडिया–अभियान शुरू किया गया है।

(iv) राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वे पंचायती राज

संस्थाओं, ग्राम शिक्षा समितियों, स्कूल प्रबंध समितियों, महिला स्व–सहायता समूहों, युवा क्लबों आदि के माध्यम से योजना के कार्यान्वयन को विकेन्द्रीकृत करने के लिए प्रोत्साहित करें।

(v) दिशा–निर्देशों में राष्ट्रीय, राज्य, जिला और ब्लाक स्तर पर संचालन–सह–मानीटरन समितियों के गठन का प्रावधान भी है जिसमें पोषाहार, बाल कल्याण, सामुदायिक गतिशीलता, स्कूल शिक्षा आदि के क्षेत्रों में यथेष्ट योगदान देने वाले विशेषज्ञों/व्यक्तियों को प्रतिनिधि के रूप में शामिल किए जाने की व्यवस्था है।

[हिन्दी]

मध्याह्न भोजन योजना का कार्यान्वयन

367. **प्रो. महादेवराव शिवनकर :**
श्री डी. विट्टल राव :
श्री मुनव्वर हसन :
श्री हेमलाल मुर्मू :
श्रीमती सी. एस. सुजाता :
श्री प्रभुनाथ सिंह :
श्री किन्जरपु येरननायडु :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने विद्यालय 'मध्याह्न भोजन योजना' में शामिल किए गए हैं/शामिल नहीं किए गए हैं और आज की स्थिति के अनुसार इस योजना से लाभ उठाने वाले बच्चों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान तथा तत्पश्चात देश में आज तक दिल्ली तथा देश में अन्य भागों में राज्यवार कितने बच्चे अपने विद्यालय में 'मध्याह्न भोजन' करने के बाद बीमार पड़े;

(ग) बच्चों को घटिया भोजन देने पर विद्यालय प्राधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों से बेहतर भोजन उपलब्ध कराने तथा 10वीं कक्षा तक इस योजना को लागू करने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) बेहतर भोजन उपलब्ध कराने तथा बढ़ाई गई योजना पर आने वाले अतिरिक्त खर्चे को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरंदेश्वरी) : (क) राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार लगभग 9.53 लाख स्कूलों और शिक्षा गारंटी योजना/वैकल्पिक एवं नवाचारी शिक्षा केन्द्रों में प्राथमिक स्तर पर पढ़ रहे लगभग 11.94 करोड़ बच्चों को 2005–06 के दौरान शामिल करने का लक्ष्य बनाया गया है। बच्चों और स्कूलों/शिक्षा गारंटी योजना तथा वैकलिपक एवं नवाचारी शिक्षा केन्द्रों की राज्यवार स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है। इस कार्यक्रम का पंजाब और कोलकाता शहर में पूरी तरह विस्तार नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) बीमार पड़ने वाले बच्चों की राज्यवार स्थिति और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा की गई कार्रवाई नीचे दी गई है :

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बीमार पड़ने वाले बच्चों की संख्या	राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई
1.	दिल्ली (दिल्ली नगर निगम)	711	भोजन पकाने का कार्य गैर–सरकारी संगठनों/सेवा प्रदाताओं को दिया गया है। 21 गैर सरकारी संगठनों/सेवा प्रदाताओं की सेवाएं संतोषजनक नहीं पाई गईं और इसलिए उन्हें इस काम से अलग कर दिया गया है।
2.	बिहार	01	स्कूल प्राधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए बांका जिले के जिला मजिस्ट्रेट को निदेश दिया गया है।
3.	राजस्थान	71	इस गलती के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को चार्ज–शीट दी गई है।

महाराष्ट्र सरकार और लक्षद्वीप प्रशासन ने रिपोर्ट दी है कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई। अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से सूचना एकत्र की जा रही है।

(घ) से (च) इस कार्यक्रम को राज्य सरकारों के माध्यम से

कार्यान्वित किया जा रहा है। भोजन पकाने में वृद्धि और उच्चतर कक्षाओं में इसके विस्तार के प्रस्ताव कुछ राज्य सरकारों से प्राप्त हुए हैं। सितम्बर 2004 में इस योजना में संशोधन के समय सरकार ने पहले इस कार्यक्रम को प्राथमिक कक्षाओं में सुदृढ़ बनाने और तत्पश्चात उच्च प्राथमिक कक्षाओं में इसके विस्तार का निर्णय लिया है।

विवरण

मध्याह्न भोजन योजना के तहत वर्ष 2005–06 के लिए स्कूलों और शिक्षा गारंटी योजना केन्द्रों/वैकल्पिक एवं नवाचारी शिक्षा केन्द्रों तथा बच्चों की राज्यवार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्राथमिक स्कूलों और शिक्षा गारंटी योजना केन्द्र/वैकल्पिक एवं नवाचारी शिक्षा केन्द्रों की संख्या	बच्चों की संख्या (लाख में)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	74463	63.62
2.	अरुणाचल प्रदेश	2470	2.19
3.	असम	38322	47.96
4.	बिहार	65250	126.38
5.	छत्तीसगढ़	31740	28.89
6.	गोवा	1132	0.67
7.	गुजरात	29887	51.33
8.	हरियाणा	9343	16.46
9.	हिमाचल प्रदेश	10839	5.78
10.	जम्मू और कश्मीर	20198	10.28
11.	झारखंड	43498	41.02
12.	कर्नाटक	45725	49.63
13.	केरल	10829	19.07
14.	मध्य प्रदेश	87455	86.65
15.	महाराष्ट्र	83377	97.79
16.	मणिपुर	2965	2.95
17.	मेघालय	7640	5.98
18.	मिजोरम	1373	1.04
19.	नागालैंड	1654	1.74
20.	उड़ीसा	69700	51.56
21.	पंजाब	16151	15.52
22.	राजस्थान	74118	102.16
23.	सिक्किम	871	0.98
24.	तमिलनाडु	35599	41.52
25.	त्रिपुरा	5226	5.26
26.	उत्तरांचल	93187	7.80
27.	उत्तर प्रदेश	12681	186.44
28.	पश्चिम बंगाल	70858	108.86
	संघ राज्य क्षेत्र		
29.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	361	0.35
30.	चंडीगढ़	344	0.57
31.	दादरा और नगर हवेली	209	0.33
32.	दमन और दीव	82	0.15
33.	दिल्ली	4864	12.38
34.	लक्षद्वीप	32	0.00
35.	पांडिचेरी	255	0.51
	कुल	952698	1193.81
	अर्थात	9.53 लाख	11.94 करोड़

नोट :

1. पंजाब से भोजन पकाने की लागत के लिए केन्द्रीय सहायता हेतु प्रस्ताव अभी प्राप्त होना है।
2. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह संघ राज्य क्षेत्र ने कहा है कि उन्हें भोजन पकाने की लागत के लिए सहायता की आवश्यकता नहीं है।
3. केन्द्रीय सहायता में कुछ राज्यों को जारी की गई दूसरी किस्त भी शामिल है।

बांग्लादेशी नागरिकों द्वारा आव्रजन

368. श्री संतोष गंगवार :

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में विशेषत: असम और पश्चिम बंगाल में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठिए रह रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या घुसपैठियों के पास राशन कार्ड इत्यादि पाए गए हैं;

(ग) क्या उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय ने उनको निकाले जाने के लिए कई बार आदेश दिए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए क्या कार्रवाई की गई है/करने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) और (ख) सरकार को भारत में बांग्लादेश से अवैध आप्रवासन/घुसपैठ की जानकारी है। तथापि, क्योंकि यह घुसपैठ चोरी-छिपे होती है इसलिए भारत में इस अवैध घुसपैठ की संख्या के बारे में कोई विशिष्ट ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं। घुसपैठिये/अवैध प्रवासी, देश में राशन कार्ड प्राप्त करने के पात्र नहीं हैं।

(ग) दिल्ली उच्च न्यायालय ने चेतन दत्त बनाम भारत संघ (यूओआई) और अन्यों के मामले में सीमा सुरक्षा बल के माध्यम से यूओआई को अवैध बांग्लादेशी राष्ट्रिकों का पता लगाने और वापस भेजने का निदेश दिया था। सुंदरबन सोनोवाल बनाम यूओआई के मामले में उच्चतम न्यायालय ने 2000 की रिट याचिका सं. 131 में, अन्य बातों के साथ-साथ निदेश दिया कि बांग्लादेश से अवैध रूप से असम आए विदेशियों के मामलों को कारगर ढंग से निपटाया जाए।

(घ) बांग्लादेश से अवैध आव्रजन को रोकने के लिए सरकार ने इस मुद्दे को नियमित रूप से विभिन्न मंचों पर बांग्लादेश सरकार के साथ उठाया है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने देश में अवैध घुसपैठ को नियंत्रित करने के लिए भी कई उपाय किए हैं जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, सीमा सुरक्षा बल को सुदृढ़ बनाना और उन्हें आधुनिक और अधुनातन उपकरणों/गैजेट से सज्जित करना; सीमा सुरक्षा बल की अतिरिक्त बटालियनों का गठन करना; सीमा चौकियों के बीच की दूरी को कम करना; गश्त तेज करना; सीमा सड़कों के निर्माण और सीमा पर बाड़ लगाने के कार्यक्रम में तेजी लाना; चौकसी उपकरणों का प्रावधान करना आदि शामिल हैं। राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों को निदेश दिया गया है कि वे विदेशियों विषयक अधिनियम के उपबंधों को कड़ाई से लागू करें। जो विदेशी राष्ट्रिक, भारत में गैर-कानूनी ढंग से रह रहे हैं, उनका पता लगाने और वापस भेजने के लिए विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 की धारा 3(2) (ग) की शक्तियां, राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को दी गई हैं। इसके अतिरिक्त समय-समय पर उन्हें प्रशासनिक अनुदेश भी जारी किए जाते हैं ताकि वे बांग्लादेशी राष्ट्रिकों सहित जो विदेशी राष्ट्रिक देश में अवैध रूप से रह रहे हैं, उनका पता लगाने के लिए विशेष अभियान चलाएं और उन्हें तत्काल वापस भेज दें।

[अनुवाद]

निर्यात लक्ष्य

369. श्री चंद्रकांत खैरे : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2004-05 के लिए निर्यात लक्ष्य क्या था तथा इस वित्तीय वर्ष की अंतिम तीन तिमाही के दौरान कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(ख) क्या वस्तु-वार/सेवा-वार आय लक्ष्यों के अनुरूप रही है;

(ग) यदि नहीं, तो कौन से क्षेत्र लक्ष्य से पीछे रहे;

(घ) क्या वर्ष 2005-06 के दौरान निर्यात वृद्धि संतोषजनक नहीं रही है;

(ङ) यदि हां, तो वर्ष 2005-06 के लिए निर्यात लक्ष्य क्या है तथा अब तक माह-वार प्रदर्शन क्या रहा है;

(च) वर्ष के दौरान निर्यात वृद्धि में कमी के क्या कारण हैं;

(छ) क्या निर्यात पूर्वानुमान परिषद ने 2005-06 के दौरान निर्यात के लिए नई रणनीतियों की सिफारिश की है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) वर्ष 2004-05 के लिए निर्यात लक्ष्य 75 बिलियन अमरीकी डालर था। चालू वित्तीय वर्ष 2005-06

की पिछली तीन तिमाहियों (अप्रैल–दिसंबर) के दौरान पण्य निर्यातों का अमरीकी डालर में मूल्य 66.4 बिलियन अमरीकी डालर था।

(ख) से (ङ) सरकार द्वारा सेवा–वार कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं। तथापि, लगभग 14 प्रतिशत की अप्रत्यक्ष वृद्धि के लक्ष्य के साथ चालू वित्त वर्ष के दौरान पण्य निर्यातों के लिए 92 बिलियन अमरीकी डालर का समग्र लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस लक्ष्य की तुलना में जनवरी, 2006 तक समग्र संचित निर्यात वृद्धि 19 प्रतिशत की थी। निर्यात की प्रमुख वस्तुओं के आंकड़े वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान अप्रैल–नवंबर की अवधि के लिए उपलब्ध हैं। इस सूचना के अनुसार कुछ मुख्य बड़ी वस्तुएं जिनमें समग्र निर्यात लक्ष्य की तुलना में काफी कम वृद्धि दर्ज की गई थी, चमड़ा और चमड़े के विनिर्माण (2 प्रतिशत), समुद्री उत्पाद (4 प्रतिशत), वस्त्र (6 प्रतिशत), और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं (7 प्रतिशत) थीं। वर्ष 2005–06 के दौरान (नवंबर, 2005 तक) मुख्य वस्तुओं का निर्यात कार्य–निष्पादन संलग्न विवरण में दिया गया है।

(च) विश्व अर्थव्यवस्था और विश्व व्यापार में धीमी गति रही है। इसके फलस्वरूप वर्ष 2005–06 के दौरान (जनवरी, 2006 तक) निर्यात वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में कुछ कम रही, फिर भी 19 प्रतिशत पर यह पर्याप्त थी।

(छ) और (ज) अक्तूबर, 2005 में निर्यात संवर्धन परिषदों (ईपीसी) के साथ हुई समीक्षा बैठक के दौरान ईपीसी द्वारा दिया गया मुख्य सुझाव उन करों को निष्क्रिय करना था जिनकी प्रतिपूर्ति नहीं की जा रही है/किसी मौजूदा स्कीम में निष्क्रिय नहीं किया गया है।

विवरण

मूल्य मिलियन अमरीकी डालर में

वस्तुएं	अप्रैल–नवंबर		% परिवर्तन
	2004–05	2005–06	अप्रै.–नव. 2005–06
1	2	3	4
(i) बागान	412	440	6.80
(ii) कृषि एवं संबद्ध उत्पाद	3684	4150	12.65
(iii) समुद्री उत्पाद	856	892	4.21
(iv) अयस्क एवं खनिज	2391	3146	31.58
(v) चमड़ा एवं विनिर्माण	1511	1546	2.32
(vi) रत्न एवं आभूषण	8422	10121	20.17
(vii) खेल का सामान	64	74	15.63
(viii) रसायन एवं संबद्ध उत्पाद	7729	8622	11.55
(ix) इंजीनियरी सामान	8840	10714	21.20
(x) इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं	1158	1236	6.74
(xi) परियोजना वस्तुएं	28	79	182.14
(xii) वस्त्र	7905	8398	6.24
(xiii) हथकरघा	257	272	5.84
(xiv) गलीचे	391	451	15.35
(xv) अपशिष्ट सहित कच्ची रुई	50	187	274.00
(xvi) पेट्रोलियम उत्पाद	4387	6643	51.42

स्रोत : डीजीसीआई एंड एस, कोलकाता

डीजीसीआई एंड एस के आंकड़ों के आधार पर आर्थिक प्रभाग, वाणिज्य विभाग द्वारा परिकलित

वीजा को जारी करने के कार्य को बाहरी स्रोत से करवाना

370. श्री धनुषकोडी आर. अतिथन : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वीजा जारी करने की प्रक्रिया को निजी एजेंसियों से करवाकर विदेशों से आने वाले पर्यटकों के लिए वीजा विनियमों को सरल बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या अमरीका, यूके तथा आस्ट्रेलिया ने भारतीय पर्यटकों के लिए भारतीय शहरों में अपने वीजा केन्द्रों को निजी कंपनियों को सौंप दिया है;

(ग) यदि हां, तो सरकार का विचार वीजा कार्य निपटाने के लिए इन शहरों में निजी एजेंसियों को नियुक्त करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) जी हां, श्रीमान। शुरुआत करने के लिए केवल लंदन में पायलट परियोजना के रूप में।

(ख) दिल्ली स्थित अमरीका, यूके और आस्ट्रेलिया के स्थानीय दूतावासों/उच्च आयोगों से एकत्रित सूचना के अनुसार वीजा से संबंधित कतिपय सेवाओं अर्थात् सूचना के प्रचार-प्रसार/नियुक्तियों/आवेदन फार्म एकत्र करने का कार्य उनके द्वारा बाहर से करवाया गया है।

(ग) और (घ) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

उद्योग को पाटन संबंधी घाटा

371. श्रीमती मेनका गांधी : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय उद्योग ने गत पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान वस्तुओं के पाटन पर कितना घाटा उठाया है; और

(ख) भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) और (ख) पाटनरोधी जांच घरेलू उद्योग द्वारा पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध और पाटन तथा क्षति का आरोप लगाते हुए दायर किए गए आवेदन के आधार पर शुरू की जाती है। पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय (डीजीएडी) पाटन की मौजूदगी और मात्रा की जांच करता है, पाटित वस्तु को अभिज्ञात करता है और वित्त मंत्रालय को अनंतिम और/अथवा अंतिम जांच परिणाम प्रस्तुत करता है जिसमें जहां उचित हो, लगाए जाने वाले पाटनरोधी शुल्क की राशि की सिफारिश की जाती है। घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत पाटन और क्षति का आरोप लगाते हुए दिए गए आवेदन पर प्रक्रिया के अनुसार और वर्ष 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट समय-सीमाओं के भीतर कार्रवाई की जाती है। डीजीएडी जहां उचित होता है, लगाए जाने वाले पाटनरोधी शुल्क की राशि की केवल सिफारिश करता है और उनके पास पाटन के कारण घरेलू उद्योग को हुए घाटे के बारे में कोई सूचना नहीं है। पिछले पांच वर्ष के दौरान 87 मामलों में निश्चित पाटनरोधी उपाय लागू किए गए थे।

[हिन्दी]

साइबर अपराध

372. श्री जी. करुणाकर रेड्डी :

श्री पी. सी. थॉमस :

श्रीमती सी. एस. सुजाता :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक के दौरान राज्य-वार साइबर अपराध के कितने मामले सामने आए;

(ख) क्या साइबर अपराधों की बढ़ती संख्या को देखते हुए हैकरों के विरुद्ध सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को केरल सरकार से राज्य में एक साइबर फोरेन्सिक इंस्टीट्यूट स्थापित करने का कोई प्रस्ताव मिला है;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(च) देश के अन्य भागों में ऐसे संस्थान स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित) : (क) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत 2002 से 2004 के दौरान दर्ज किए गए साइबर अपराधों के संबंध में राज्य/संघ शासित क्षेत्र-वार मामले संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) सरकार ने देश में साइबर अपराधों को रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं। कुछ प्रमुख कदम हैं :

साइबर अपराधों से निपटने के बारे में कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए कई जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इनमें साइबर विधि-विज्ञान साफ्टवेयर पैकेजों का प्रयोग और अपराध स्थल से डिजिटल सबूत एकत्र करने से संबंधित प्रक्रिया शामिल हैं। न्यायिक तंत्र को साइबर अपराधों के तकनीकी-कानूनी पहलुओं पर प्रशिक्षित करने और उन्हें प्रस्तुत किए गए डिजिटल सबूत का विश्लेषण करने के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम भी

आयोजित किए गए हैं। भारतीय कंप्यूटर आपात कार्रवाई टीम (सी ई आर टी–इन), सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में कार्यरत है। सी ई आर टी–इन, उचित सुरक्षा दिशा–निर्देशों और अन्य बेहतरीन प्रक्रियाओं का विकास करने में लगी हुई है ताकि प्रणाली प्रशासकों को आईटी आधारभूत ढांचे को सुरक्षित करने हेतु इनका पालन करने की सलाह दी जा सके। सी ई आर टी–इन, आई टी प्रयोक्ताओं की घटनाओं का विश्लेषण करके और उचित हल की सलाह देकर उनकी सहायता भी करता है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000, साइबर अपराधों से निपटने के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो और अन्य पुलिस संगठनों ने साइबर अपराध प्रकोष्ठ स्थापित किए हैं।

(घ) जी नहीं, श्रीमान।

(ङ) उपर्युक्त (घ) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता है।

(च) सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा स्थापित सी–डी ए सी, त्रिवेन्द्रम, साइबर विधि विज्ञान के लिए राष्ट्रीय संसाधन केन्द्र है।

विवरण

2002–2004 के दौरान राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में दर्ज साइबर अपराधों के मामलों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्रों	दर्ज मामले					
		आईटी अधिनियम			आईपीसी		
		2002	2003	2004	2002	2003	2004
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	8	3	8	253	218	93
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0
3.	असम	2	0	0	0	0	0
4.	बिहार	0	0	0	0	0	0
5.	छत्तीसगढ़	0	0	0	0	0	0
6.	गोवा	4	2	0	4	0	0
7.	गुजरात	1	14	2	249	15	124
8.	हरियाणा	2	0	0	0	1	0
9.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	99	87	0
10.	जम्मू और कश्मीर	1	0	1	0	0	0
11.	झारखंड	0	0	0	0	0	0
12.	कर्नाटक	15	7	14	0	1	0
13.	केरल	3	1	2	1	0	0
14.	मध्य प्रदेश	0	0	0	0	0	0
15.	महाराष्ट्र	12	12	17	1	5	4

1	2	3	4	5	6	7	8
16.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0
17.	मेघालय	0	0	0	0	0	0
18.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0
19.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0
20.	उड़ीसा	4	1	1	0	4	0
21.	पंजाब	3	2	2	26	61	4
22.	राजस्थान	0	0	0	0	0	0
23.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0
24.	तमिलनाडु	3	10	14	0	0	36
25.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	5	2	2	81	3	3
27.	उत्तरांचल	0	1	0	0	0	0
28.	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0	0
	कुल (राज्य)	63	55	63	714	395	264
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	15	16	5
30.	चंडीगढ़	2	1	1	0	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0
32.	दमन और दीव	0	एन.ए.	0	7	एन.ए.	0
33.	दिल्ली	5	4	4	2	0	10
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
35.	पांडिचेरी	0	0	0	0	0	0
	कुल (संघ शासित राज्य)	7	5	5	24	16	15
	कुल (अखिल भारत)	70	60	68	738	411	279

स्रोत : भारत में अपराध—एनसीआरबी

[अनुवाद]

लघु उद्योगों को ऋण

373. श्री रायापति सांबाशिवा राव : क्या लघु उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकों द्वारा लघु उद्योगों को बिना झंझट के ऋण दिलाना सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा कोई कार्रवाई की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्द्धात्मकता परिषद् ने

लघु उद्योगों के ऋण संबंधी उपबंधों के संबंध में सिफारिश की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) और (ख) लघु उद्योगों (एस.एस.आई.) को क्रेडिट के प्रसार की सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) ने अनेक उपाय किए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ–साथ सम्मिलित हैं, संयुक्त ऋण सीमा को 50 लाख रु. से 1 करोड़ रु. करना, नेशनल इक्विटी फंड (एन.ई.एफ.) स्कीम के तहत परियोजना लागत सीमा को 25 लाख रु. से बढ़ाकर 50 लाख रु. करना, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत पात्रता ऋण सीमा को 10 लाख रु. से बढ़ाकर 25 लाख रु. करना, अच्छा ट्रैक रिकार्ड रखने वाली ल.उ. यूनिटों को 25 लाख रु. तक का सम्पार्श्विकता मुक्त ऋण प्रदान करना, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) के तहत 10,000 करोड़ रु. का लघु तथा मध्यम उद्यम (एस.एम.ई.) फण्ड स्थापित करना, संतोषजनक ट्रैक रिकार्ड के आधार पर लघु उद्यमी क्रेडिट कार्ड (एल.यू.सी.सी.) के तहत क्रेडिट सीमा को 2 लाख रु. से बढ़ाकर 10 लाख रु. करना इत्यादि, इसके अलावा, सरकार ने 10 अगस्त, 2005 को लघु तथा मध्यम उद्यम (एस.एम.ई. के लिए ऋण बढ़ाने हेतु एक नीतिगत पैकेज की घोषणा की है। नीतिगत पैकेज में एस.एम.ई. (ल.उ. सहित) के लिए क्रेडिट की मात्रा में वृद्धि करने के उपायों में शामिल हैं : (i) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा एस.एम.ई. सेक्टर की वर्ष–दर वर्ष 20 प्रतिशत की न्यूनतम वृद्धि की प्राप्ति के संबंध में फंडिंग हेतु अपने लक्ष्य तय करना, (ii) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का उद्यम की क्रेडिट रेटिंग से जुड़ी क्रेडिट की लागत सहित पारदर्शी रेटिंग सिस्टम का अनुसरण करना, (iii) वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्रति वर्ष अपनी प्रत्येक अर्ध शहरी/शहरी शाखाओं में औसतन कम से कम 5 नई अति लघु, लघु तथा मध्यम उद्यमों को औसतन आधार पर क्रेडिट कवर प्रदान करने के लिए संयुक्त प्रयास करना, (iv) सभी (क) 2 लाख रु. तक के ऋण (ख) पात्र महिला उद्यमी तथा (ग) पूर्वोत्तर क्षेत्र (सिक्किम सहित) तथा जम्मू और कश्मीर में स्थित पात्र ऋण प्राप्तकर्त्ता के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत विशेष व्यवस्था करना (v) एस. एम.ई. वित्त पोषण के लिए बैंकों द्वारा क्लस्टर आधारित पहुंच को अपनाना, इत्यादि।

(ग) और (घ) विनिर्माण संबंधी राष्ट्रीय रणनीति संबंधी अपनी प्रारूप रिपोर्ट में राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता परिषद ने ल.उ. सेक्टर को क्रेडिट की व्यवस्था के संबंध में अनेक सिफारिशें की हैं जिनमें सम्मिलित है, आर.बी.आई. द्वारा ल.उ. सेक्टर के लिए बेहतर क्रेडिट डिलीवरी हेतु क्रियाविधि की जांच–पड़ताल करना, राज्य वित्तीय निगमों के पुनर्गठन/पुनर्जीवित करना तथा ल.उ. सेक्टर को प्रत्यक्ष ऋण प्रदान करने के लिए सिडबी को बड़ी भूमिका देना।

मध्याह्न 12.00 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : महोदय, मैं विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 की धारा 3 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखूंगा :

(1) विदेशियों विषयक (अधिकरण) संशोधन आदेश, 2006 जो 10 फरवरी, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 57 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

(2) विदेशियों विषयक (असम के लिए अधिकरण) आदेश, 2006 जो 10 फरवरी, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 58(अ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखा गया, **देखिए** संख्या एल.टी. 3688/2005]

अपराह्न 12.01½

कृषि संबंधी स्थायी समिति

तेरहवें से सत्रहवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

प्रो. रामगोपाल यादव (संभल) : महोदय, मैं कृषि संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :

(1) कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) की अनुदानों की मांगों (2005–06) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति के नौवें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में

अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की–गई–कार्यवाही संबंधी 139वां प्रतिवेदन;

(2) कृषि मंत्रालय (कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग) की अनुदानों की मांगों (2005–06) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति के दसवें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की–गई–कार्यवाही संबंधी 14वां प्रतिवेदन;

(3) कृषि मंत्रालय (पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग) की अनुदानों की मांगों (2005–06) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की–गई–कार्यवाही संबंधी 15वां प्रतिवेदन;

(4) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2005–06) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति के बारहवें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की–गई–कार्यवाही संबंधी 16वां प्रतिवेदन;

(5) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति (14वीं लोक सभा) (2005–06) के "खाद्य सुरक्षा और मानक विधेयक, 2005" के संबंध में 17वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.0% बजे

सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति

बारहवें से चौदहवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इन्दौर) : महोदय, मैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करती हूं :

(1) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2005–06) के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के सातवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की–गई–कार्यवाही संबंधी 12वां प्रतिवेदन।

(2) जनजातीय कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2005–06) के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के आठवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की–गई–कार्यवाही संबंधी 13वां प्रतिवेदन।

(3) 'संविधान एक सौ तीनवां (संशोधन) विधेयक, 2004' और 'राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (निरसन) विधेयक, 2004' के बारे में 14वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.01 बजे

अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

पिछले सप्ताह के दौरान सभा में हुए कार्य के बारे में

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यो, आपकी सूचना के लिए मैं पिछले सप्ताह के दौरान सभा द्वारा निपटाए गए मुख्य कार्यों का संक्षेप में वर्णन करना चाहता हूं।

आदरणीय राष्ट्रपति जी द्वारा बुलाए गए संयुक्त सत्र के पश्चात् हमने 16 फरवरी को एक छोटी बैठक और 17 फरवरी, 2006 को एक दिन की बैठक की।

स्वीकृत 20 तारांकित प्रश्नों में से 2 प्रश्नों के मौखिक उत्तर दिए गए। शेष तारांकित प्रश्नों के उत्तर 95 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर के साथ सभा पटल पर रखे गए।

इस अवधि के दौरान प्रश्न काल के पश्चात् तीन अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए गए।

जहां तक विधायी कार्य का संबंध है सभा ने न्यायालय की अवमानना (संशोधन) विधेयक 2004 पर लगभग 45 मिनट चर्चा की थी तथापि चर्चा पूरी नहीं हुई।

जहां तक गैर सरकारी सदस्यों के कार्य का संबंध है 12 विधेयक पुरःस्थापित किए गए और एक संविधान (संशोधन) विधेयक 2004 (नए अनुच्छेद 47क का अन्तस्थापन) श्री सुरवरम सुधाकर

रेड्डी द्वारा प्रस्तुत किया गया जिसमें संविधान में संशोधन करते हुए देश के सभी चिकित्सीय सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रत्येक गांव में एक प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र खोले जाने की मांग की गई। इस पर लगभग एक घंटा और 8 मिनट चर्चा हुई। बाद में सभा की अनुमति से वह विधेयक वापस ले लिया गया।

एक अन्य विधेयक संविधान (संशोधन) विधेयक, 2004 (नए अनुच्छेद 45क का अन्तस्थापन) श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी द्वारा प्रस्तुत किया गया जिसमें संविधान में संशोधन करते हुए राज्यों द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा ग्रहण करने वाले सभी बच्चों को पौष्टिक भोजन प्रदान किया जाएगा इस पर विचार किया गया और लगभग 1 घंटा 13 मिनट चर्चा की गई तथापि चर्चा पूरी नहीं हुई।

अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे उठाने के लिए मैं श्री रेड्डी को बधाई देता हूं।

इस अवधि के दौरन वित्त संबंधी स्थायी समिति का एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।

पिछले सप्ताह के दौरान हमने मात्र 31 मिनट का समय व्यवधान में नष्ट किया था।

मैं सभा की कार्यवाही में सहयोग देने पर माननीय सदस्यों को हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं।

अपराह्न 12.02 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

19.2.2006 को अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म संख्या 2 पर हुआ बम धमाका

[हिन्दी]

***रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद)** : अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत दुःखी हृदय से सदन को सूचित कर रहा हूं कि दिनांक 19.2.2006 को गुजरात राज्य में पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल के अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म सं. 2 पर सुबह लगभग 01 बजकर 43 मिनट पर भीषण बम विस्फोट की घटना हुई।

यह बम विस्फोट अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म सं. 2 पर एसटीडी/पीसीओ बूथ के पास हुआ जिसके परिणामस्वरूप 25 व्यक्ति घायल हो गए। इनमें से 15 घायलों को तत्काल निकटवर्ती अस्पतालों में ले जाया गया और 10 घायलों को स्टेशन पर प्राथमिक उपचार के बाद भेज दिया गया। अस्पतालों में भर्ती किए गए 15 व्यक्तियों में से 12 को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई और 3 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा और उनका उपचार चल रहा है। मामूली रूप से घायल सभी व्यक्तियों को 500 रुपये की अनुग्रह राशि का भुगतान कर दिया गया है।

यह बम विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि प्लेटफार्म की एस्बैस्टस छत के टुकड़े इधर-उधर फैल गए और निकटवर्ती एसटीडी बूथ और चाय के स्टॉल को भारी नुकसान हुआ। इस विस्फोट से मुख्य प्रवेश द्वार और प्लेटफार्म नं. 1 के कई कमरों पर लगे शीशे टूटकर इधर-उधर बिखर गए। रेलवे सम्पत्ति को अनुमानतः दो लाख रुपये का नुकसान हुआ है। उल्लेखनीय है कि गाड़ी संख्या 4708 बांद्रा टर्मिनल-बीकानेर रनकपुर एक्सप्रेस बम विस्फोट की घटना के थोड़े समय पहले ही अहमदाबाद स्टेशन से गई थी तथा गाड़ी संख्या 9031 मुम्बई सेंट्रल-भुज कच्छ एक्सप्रेस लगभग 15 मिनट के पश्चात् स्टेशन पहुंचने वाली थी। सौभाग्यवश कोई गाड़ी बम विस्फोट के समय स्टेशन परिसर में नहीं खड़ी थी अन्यथा जान-माल की भारी हानि हो सकती थी। घटना के समय प्लेटफार्म नम्बर 2 पर जीआरपी के तीन तथा रेल सुरक्षा बल के दो सुरक्षा कर्मी मौजूद थे।

विस्फोट की सूचना मिलते ही सुरक्षा एजेंसियां, स्थानीय पुलिस तथा रेलवे पदाधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया तथा मिलजुलकर राहत तथा बचाव कार्यों का संचालन किया। पुलिस पदाधिकारियों और सुरक्षा एजेंसियों ने भली-भांति जांच के लिए स्टेशन को अपनी निगरानी में ले लिया और गाड़ी परिचालन को तुरंत रद्द कर दिया गया।

प्लेटफार्म नं. 2 पर 01 बजकर 25 मिनट से 04 बजकर 25 मिनट तक गाड़ी परिचालन पूरी तरह बंद रहा। इस घटना के कारण निम्नलिखित गाड़ियों को नियंत्रित करके विलंब से चलाना पड़ा :

1. गाड़ी संख्या 9031 मुम्बई सेंट्रल-भुज कच्छ एक्सप्रेस (अप)
2. गाड़ी संख्या 9032 मुम्बई-सेंट्रल-भुज कच्छ एक्सप्रेस (डाउन)
3. गाड़ी संख्या 9017 बांद्रा टर्मिनल-जामनगर सौराष्ट्र जनता एक्सप्रेस

*ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 3689/2005

4. गाड़ी संख्या 4847 जोधपुर–बांद्रा टर्मिनल एक्सप्रेस

5. गाड़ी संख्या 9116 बांद्रा टर्मिनल–भुज शायाजी नगरी एक्सप्रेस

6. गाड़ी संख्या 2934 मुम्बई सेंट्रल–अहमदाबाद कर्णावती एक्सप्रेस

7. गाड़ी संख्या 239 डाउन बोरीवली–अहमदाबाद पैसेंजर

8. गाड़ी संख्या 716 अहमदाबाद–बड़ौदा मेमू

अनुसंधान के लिए यथोचित कार्यवाही के पश्चात् गाड़ी परिचालन बहाल कर दिया गया।

पुलिस निरीक्षक/राजकीय रेलवे पुलिस अहमदाबाद ने आईपीसी की धारा 324, 427, 120(बी), 307 और लोक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम की धारा 3 और 4 तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3 एवं 7 के तहत मामला दर्ज किया है जिसका सीआर नं. 52/06 दिनांक 19.2.2006 है और आगे जांच के लिए अहमदाबाद की नगर अपराध शाखा को सौंप दिया गया है। अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। विस्फोट की भीषणता को देखते हुए विस्फोट में आरडीएक्स के प्रयोग की पूर्ण सम्भावना है।

राजकीय रेल पुलिस अधिकारियों के साथ अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा प्रबंधों की समीक्षा की गयी है। राजकीय रेल पुलिस और रेल सुरक्षा बल कर्मियों द्वारा स्टेशन की चौबीसों घंटे संयुक्त गश्त लगाई जा रही है। अतिरिक्त खोजी कुत्ते सेवा में लगाए गए हैं। राज्य रिजर्व पुलिस व रेलवे सुरक्षा विशेष बल की अतिरिक्त टुकड़ियों को अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर रेल सम्पत्ति व रेल यात्रियों की सुरक्षा हेतु तत्काल प्रभाव से तैनात किया गया है। राज्य सरकार को भी ऐसी घटना की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सुरक्षा उपायों को और मजबूत करने हेतु अनुरोध किया गया है।

[अनुवाद]

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : चूंकि यह मामला ठीक तरह से उठाया गया था इसलिए इसका ठीक जवाब दिया गया है।

अपराह्न 12.07 बजे

समितियों के लिए निर्वाचन

(एक) राजभाषा समिति

[हिन्दी]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित) : महोदय, मैं श्री शिवराज वि. पाटील जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं :

"कि राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4 जी उपधारा (2) के अनुसरण में, लोक सभा के सदस्य एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार, श्री मनोज कुमार जो इस सभा के सदस्य नहीं रहे के स्थान पर राजभाषा समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य का निर्वाचन करे।"

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4 जी उपधारा (2) के अनुसरण में, लोक सभा के सदस्य एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार, श्री मनोज कुमार जो इस सभा के सदस्य नहीं रहे के स्थान पर राजभाषा समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य का निर्वाचन करे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.08 बजे

(दो) प्राक्कलन समिति

[अनुवाद]

श्री के. एस. राव (एलूरु) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम, 311 के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 1 मई, 2006 से आरंभ होने वाली और 30 अप्रैल, 2007 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए प्राक्कलन समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से 30 सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम, 311 के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 1 मई, 2006 से आरंभ होने वाली और 30 अप्रैल, 2007 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए प्राक्कलन समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से 30 सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.09 बजे

(तीन) लोक लेखा समिति

[अनुवाद]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम, 309 के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 1 मई, 2006 से आरंभ होने वाली और 30 अप्रैल, 2007 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए लोक लेखा समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से 15 सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम, 309 के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 1 मई, 2006 से आरंभ होने वाली और 30 अप्रैल, 2007 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए लोक लेखा समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से 15 सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि वह 1 मई, 2006 से आरंभ होने वाली और 30 अप्रैल, 2007 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए इस सभा की लोक लेखा समिति के साथ सहयोजित करने के लिए राज्य सभा के सात सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हों तथा राज्य सभा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि वह 1 मई, 2006 से आरंभ होने वाली और 30 अप्रैल, 2007 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए इस सभा की लोक लेखा समिति के साथ सहयोजित करने के लिए राज्य सभा के सात सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हों तथा राज्य सभा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.11 बजे

(चार) सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आइटम नं. 11. श्री रूपचंद पाल—अनुपस्थित।

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि वह 1 मई, 2006 से आरंभ होने वाली और 30 अप्रैल, 2007 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए इस सभा की सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के साथ सहयोजित करने के लिए राज्य सभा के सात सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हों तथा राज्य सभा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करें।'

अध्यक्ष महोदय : आइटम नं. ग्यारह पहले हो गया?

[अनुवाद]

प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि वह 1 मई, 2006 से आरंभ होने वाली और 30 अप्रैल, 2007 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए इस सभा की सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के साथ सहयोजित करने के लिए

राज्य सभा के सात सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हों तथा राज्य सभा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करें।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब मद सं. 10 पर आइए। श्री राम कृपाल यादव।

[हिन्दी]

राज्य सभा को बुला लिया, हमारा तय नहीं हुआ।

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : सर, जो मुझे कागज सप्लाई किया गया,...*(व्यवधान)*

महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम, 312ख के उपनियम (1) द्वारा उपेक्षित रीति से 1 मई, 2006 से आरंभ होने वाली और 30 अप्रैल, 2007 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से 15 सदस्य निर्वाचित करें।"

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम, 312ख के उपनियम (1) द्वारा उपेक्षित रीति से 1 मई, 2006 से आरंभ होने वाली और 30 अप्रैल, 2007 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से 15 सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.13 बजे

(पांच) अनुसूचित जनजातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मद सं. 12

डा. सत्यनारायण जटिया—उपस्थित नहीं।

श्री ललित मोहन शुक्लवैद्य।

श्री ललित मोहन शुक्लवैद्य (करीमगंज) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस सभा के सदस्य, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम, 331ख के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 1 मई, 2006 से आरंभ होने वाली और 30 अप्रैल, 2007 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से 20 सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि इस सभा के सदस्य, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम, 331ख के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 1 मई, 2006 से आरंभ होने वाली और 30 अप्रैल, 2007 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से 20 सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री ललित मोहन शुक्लवैद्य : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि वह 1 मई, 2006 से आरंभ होने वाली और 30 अप्रैल, 2007 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए इस सभा की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के साथ सहयोजित करने के लिए राज्य सभा के 10 सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हों तथा राज्य सभा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि वह 1 मई, 2006 से आरंभ होने वाली और 30 अप्रैल, 2007 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए इस सभा की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी

समिति के साथ सहयोजित करने के लिए राज्य सभा के 10 सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हों तथा राज्य सभा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.14½ बजे

अनुसूचित जनजाति (वन अधिकारों की मान्यता) विधेयक, 2005 संबंधी संयुक्त समिति के बारे में प्रस्ताव

[अनुवाद]

श्री वी. किशोर चन्द्र एस. देव (पार्वतीपुरम) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा एडवोकेट श्रीमती पी. सतीदेवी के त्यागपत्र से उत्पन्न रिक्त पद पर डा. बाबू राव मीडियम को अनुसूचित जनजाति (वन अधिकारों की मान्यता), विधेयक, 2005 संबंधी संयुक्त समिति में नियुक्त करती है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा एडवोकेट श्रीमती पी. सतीदेवी के त्यागपत्र से उत्पन्न रिक्त पद पर डा. बाबू राव मीडियम को अनुसूचित जनजाति (वन अधिकारों की मान्यता), विधेयक, 2005 संबंधी संयुक्त समिति में नियुक्त करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.15 बजे

अनुसूचित जनजाति (वन अधिकारों की मान्यता) विधेयक, 2005 संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन—समय सीमा बढ़ाए जाने के बारे में प्रस्ताव

[अनुवाद]

श्री वी. किशोर चन्द्र एस. देव (पार्वतीपुरम) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा अनुसूचित जनजाति (वन अधिकारों की मान्यता) विधेयक, 2005 संबंधी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के लिए समयसीमा को बजट सत्र, 2006 के अंतिम दिन तक बढ़ाती है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि यह सभा अनुसूचित जनजाति (वन अधिकारों की मान्यता) विधेयक, 2005 संबंधी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के लिए समयसीमा को बजट सत्र, 2006 के अंतिम दिन तक बढ़ाती है।"

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : मैं इस पर कुछ कहना चाहता हूं। इन्होंने कहा है,

[अनुवाद]

"वर्तमान बजट सत्र का अंतिम दिन।"

अध्यक्ष महोदय : यह अगले सत्र का पहला दिन होना चाहिए था। यह मेरी गलती है और मैं सुधार करता हूं।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : मैं यह कह रहा था कि यह काफी महत्वपूर्ण बिल है। करोड़ों आदिवासियों का प्रश्न है। उन्हें निकाला जा रहा है इसलिए यह बात लगातार कई दिनों से कही जा रही है कि इस बिल को जल्दी पारित करना चाहिए। इस बजट सत्र का जब पहला भाग समाप्त होगा, उसके 15 दिनों के बाद दूसरा भाग शुरू होगा...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए।

[अनुवाद]

आप अधीर क्यों होते हैं?

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : आदिवासियों पर जिस तरह से खतरा बना हुआ है, वह काफी गम्भीर मसला है। जिस तरह से इस बिल पर देरी हो रही है, इसका मतलब यह अगले सत्र में ही पास हो सकेगा...*(व्यवधान)* वह क्या कर रहे हैं? मैं इससे सहमत नहीं हूं। क्या मुझे इतना भी कहने अधिकार नहीं है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री मिस्त्री, कृपया अपने स्थान पर बैठिए। अध्यक्ष जी वहां हैं। यदि आवश्यक हुआ तो वह प्रतिक्रिया देंगे और आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : पिछले सत्र में कहा गया था कि यह आगामी सत्र के शुरू में आएगा। उसके पहले वाले सत्र में कहा गया था कि अगले सत्र में पास किया जाएगा। अब यह कहा जा रहा है कि यह बिल अगले सत्र में लेंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, प्रो. मल्होत्रा, आपने अपनी बात कह दी है।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : मेरा कहना है कि इस बजट सत्र का पहला भाग जब समाप्त होगा, तब दूसरे भाग के पहले 15 दिनों का समय होगा। बीच के उन 15 दिनों में समिति में इस पर विचार करके, बजट सत्र के दूसरे भाग में इस बिल को लाकर पास कराया जाए, नहीं तो करोड़ों आदिवासियों के साथ अन्याय होगा और लगातार अन्याय होता चला जाएगा।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, रिपोर्ट इस बजट सत्र के दूसरे भाग के पहले दिन प्रस्तुत की जानी चाहिए।

श्री कृष्ण किशोर त्रिपाठी (पुरी) : सरकार को जनजातीय लोगों की कोई चिंता नहीं है।

श्री गुरुदास दासगुप्त (पंसकुरा) : विधेयक के महत्व को ध्यान में रखते हुए और यह ध्यान में रखते हुए कि जनजातीय लोग बहुत बुरी स्थिति में हैं...

अध्यक्ष महोदय : हरेक आपकी तरह स्वाभाविक रूप से जनजातीय लोगों के लिए चिंतित है। कृपया मुझे सभा की कार्यवाही नियंत्रित करने दीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री गुरुदास दासगुप्त : सभा को इस तरह नहीं बढ़ाया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी सीट पर बैठिए। यह दूसरी मुश्किल है। जब अध्यक्ष कुछ कहना भी चाहते हैं तो आप उन्हें कहने नहीं देंगे। हरेक इस विधेयक का महत्व समझता है। मैं समझता हूं कि समिति के माननीय सदस्यों ने, जो कि सभा के बहुत जिम्मेदार सदस्य हैं, इस मामले पर ध्यान दिया है। विधेयक के महत्व को जानते हुए उन्होंने और अधिक समय विस्तार के लिए कहा है क्योंकि बहुत से अभ्यावेदन आ रहे हैं अथवा आने की संभावना है। इसलिए, उन्हें न्याय करना है। वे और अधिक समय विस्तार चाहते थे। मैंने एक अनुरोध किया है कि यह समय के भीतर ही किया जाना चाहिए। आप सब चिंतित हैं और मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है। सभा की ओर से क्या मैं उनसे इस पर प्रतिक्रिया करने का अनुरोध कर सकता हूं?

श्री बसुदेव आचार्य : और विस्तार नहीं होना चाहिए।

रक्षा मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : महोदय, मेरा सादर निवेदन है कि मैं प्रो. मल्होत्रा से तुरंत सहमत हो जाता कि यह दूसरे भाग में होना चाहिए था। दुर्भाग्य से प्रो. मल्होत्रा को ध्यान होगा कि इस अवधि के दौरान, दूसरे भाग से पूर्व केवल दो सप्ताह का सत्रावकाश है, सभी स्थाई समितियों को अनुदानों की मांगों पर विचार करना पड़ेगा। बहुत सारे सदस्य उन समितियों में से एक से अधिक समिति में शामिल होंगे। इसलिए, यदि हम इतनी सीमित समय-सीमा देंगे तो उनके लिए न्याय करना संभव नहीं होगा। इसलिए, इस चिंता को ध्यान में रखते हुए कि यह एक महत्वपूर्ण विधान है, यदि आप सब सहमत हों तो प्रस्ताव में कही गई मूल बात को स्वीकार किया जाना चाहिए। इस अवधि के दौरान कुछ राज्यों में चुनाव होंगे और बहुत से सदस्य अपने-अपने राज्यों में होंगे। मैं चाहता हूं कि विधेयक पर विचार करने में समय-सीमा बाधा नहीं बननी चाहिए। इसे ध्यान में रखते हुए कृपया इस पर विचार कीजिए।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि) : यह हर राज्य की समस्या है।...*(व्यवधान)* इसे इसी सत्र में पास किया जाए।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : यह कोशिश कर लें, अगर रिसेस के बीच में रात को देर तक बैठकर इसे कर लें।

[अनुवाद]

कृपया समय न बढ़ाएं। जितना जल्दी संभव हो सके, इसे कर लें।

अध्यक्ष महोदय : मुझे विश्वास है कि सभी दलों का इसमें प्रतिनिधित्व है। हमारे पास एक जिम्मेदार अध्यक्ष हैं। सभी जिम्मेदार हैं।

...(व्यवधान)

श्री वी. किशोर चन्द्र एस. देव : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं कहना चाहता हूं कि राज्य सभा की सहमति वास्तव में शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन दी गई थी। उसके पश्चात् थोड़ी सी अवधि के दौरान हमने समिति की तीन बैठकें कीं। हमने तीन मंत्रालयों की जांच की। माननीय सदस्य इस तथ्य की प्रशंसा करेंगे कि ये सम्पूर्ण देश में आदिवासियों से संबंधित हैं। अनेक वनवासी हैं जो इस विधेयक के दायरे में नहीं आते। विभिन्न वर्गों के लोगों द्वारा अनेक आशंकाएं व्यक्त की गई हैं। मैं समझता हूं कि इस सभा का एकमत होगा कि विधेयक के इस सभा में प्रस्तुत किए जाने से पूर्व प्रत्येक खंड का विस्तृत अन्वेषण और जांच होना चाहिए। आदिवासियों से 1927 से यह वायदा किया गया है। 1980 में वन संरक्षण अधिनियम लाया गया था। उसमें भी आदिवासियों, वनवासियों के अधिकारों को तय करने का वायदा किया गया था जो कि आज तक नहीं किया गया है। इस सरकार ने इस विषय को उठाया है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : सभी दल उपस्थित हैं। यह एक संवेदनशील मामला है।

...(व्यवधान)

श्री वी. किशोरचन्द्र एस. देव : मैं इस तथ्य को मानता हूं कि सभी दल सहयोग कर रहे हैं।...*(व्यवधान)* यह एक ऐसा मुद्दा है जिसका उल्लेख राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के अभिभाषण में किया गया था। हम इस मुद्दे को महत्व देते आए हैं। हमारे नेता इस मुद्दे को उठाते रहे हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह सभापति की समस्या है। हमें भी आपकी ही तरह इस समस्या का सामना करना पड़ता है।

...(व्यवधान)

श्री वी. किशोर चन्द्र एस. देव : यद्यपि हमने इस सत्र के अंत तक समय–विस्तार की मांग की है फिर भी मैं इस सभा को आश्वासन देता हूं कि यदि संभव हुआ तो हम इस रिपोर्ट को उससे पहले ही रखने की पूरी कोशिश करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा अनुसूचित जनजाति (वन अधिकारों की मान्यता) विधेयक, 2005 संबंधी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के लिए समय सीमा को बजट सत्र, 2006 के अंतिम दिन तक बढ़ाती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं दिखता कि इस सभा का हर वर्ग जनजातियों के हितों के बारे में अत्यंत दिलचस्पी ले रहा है। इसलिए, मुझे पूरा विश्वास है कि इस मामले में जान–बूझकर कोई विलम्ब नहीं होगा। समिति में सभी दलों का प्रतिनिधित्व है। मुझे इस बात पर कोई संदेह नहीं है।

अपराह्न 12.23 बजे

कार्यमंत्रणा समिति के इक्कीसवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मद सं. 16। मुझे सरकार की ओर से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। यह सही नहीं है।

श्री संतोष गंगवार (बरेली) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा 20 फरवरी, 2006 को सभा में प्रस्तुत कार्यमंत्रणा समिति के इक्कीसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 20 फरवरी, 2006 को सभा में प्रस्तुत कार्यमंत्रणा समिति के इक्कीसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.24 बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन

(एक) अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के बारे में

[हिन्दी]

***अध्यक्ष महोदय** : 21 फरवरी भाषाओं के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। यह दिन पूरे विश्व में 'अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस' के रूप में मनाया जा रहा है। 21 फरवरी, 1970 को बंगलादेश में हजारों लोग अपनी मातृ–भाषा के अधिकार की रक्षा में एकत्र हुए थे। यह देश की राजधानी ढाका में हुआ। उन लोगों पर बर्बरता पूर्वक हमला किया गया और बहुत से निर्दोष लोगों ने अपनी मातृ–भाषा के गौरव को बचाने के प्रयास में अपनी जानें गंवा दीं। लेकिन वे अत्याचार के आगे झुके नहीं। इसी कारण यूनेस्को ने 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृ–भाषा दिवस के रूप में घोषित कर दिया। इसलिए, हम सभी भाषाओं को उचित सम्मान देते हैं और हम इन सभी भाषाओं में मैत्री भाव तथा एकता स्थापित करने की कोशिश करते हैं। मुझे उम्मीद है कि प्रत्येक पक्ष से पूर्ण समर्थन देने के मामले में पूरी सभा एकमत है।

अध्यक्ष महोदय : अब श्री बसुदेव आचार्य बोलेंगे।

रक्षा मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : महोदय, उन माननीय सदस्यों की सुविधा के लिए, जो बंगाली भाषा नहीं जानते हैं, यह बेहतर होता यदि आप अपनी टिप्पणियों का अनुवाद कर देते।

अध्यक्ष महोदय : साथ–साथ हिन्दी और अंग्रेजी में भाषांतर की सुविधा पहले से ही चल रही है।

डा. एम. जगन्नाथ (नगर कुरनूल) : महोदय, तेलगू भाषा के भाषांतरकार उपलब्ध नहीं हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें, इस समय माहौल को खराब न करें। आप बाद में मुझे मिल सकते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रो. मल्होत्रा, मैं आपको आपके विषय पर अवसर दूंगा।

***श्री बसुदेव आचार्य** (बांकुरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज पूरे विश्व में लोग अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मना रहे हैं। यह मात्र मातृ–भाषा दिवस नहीं है। आज के दिन बहुत से लोगों ने अपनी भाषा के लिए अपने जीवन का बलिदान कर दिया था। बरकत नाम के एक व्यक्ति ने भी अपनी जान दे दी थी। आपको इस बात की जानकारी अवश्य होगी क्योंकि कुछ ही दिन पूर्व आपने उनके नाम पर मुर्शिदाबाद जिले में एक स्मारक का उद्घाटन किया था; अन्य शहीदों के नाम सलाम रफीक, जब्बर, सलाउद्दीन सफीयूर सहीदुल्ला थे। वे सभी छात्र थे और उनकी आयु आठ या नौ वर्ष थी। जब बंगला भाषा; मातृभाषा पर हमला हुआ; जब पाकिस्तान के शासक बंगला भाषा को दबाना चाह रहे थे और उन पर अपनी भाषा थोपना चाह रहे थे तो उस समय इन लोगों ने विरोध किया और उन्होंने अपनी मातृ–भाषा के लिए संघर्ष किया तथा अपनी भाषा के लिए मर मिटे। बाद में यही आंदोलन आजादी की लड़ाई के रूप में बदल गया। महोदय, इतना ही नहीं, 19 मई, 1961 को बर्बर पुलिस बल का विरोध करते हुए जो लोग मारे गए थे, उनमें कमला भट्टाचार्य पाल, चंदी चरण, सुनिल सरकार, सुकोमल पुरोकायस्थ, कनाई लाल नियोगी के नाम हैं। ऐसे ग्यारह लोगों ने अपनी भाषा के लिए अपनी जान दे दी।

बंगला भाषा एक अंतराष्ट्रीय भाषा बन गई है। लगभग 21 करोड़ लोग इस भाषा को बोलते हैं। विश्व के आबादी के 3.5 प्रतिशत लोग बंगाली को बोल–चाल की भाषा के रूप में इस्तेमाल करते हैं। आज हम उन शहीदों को याद कर रहे हैं और हम उस गीत को याद कर रहे हैं जो बंगाल के हर गांव के कोने–कोने में गाया गया था। 21 फरवरी का दिन हमारे भाइयों का शहीदी दिवस है, उस दिन को हम कैसे भूल सकते हैं। हम अपने भाइयों को भी नहीं भूल सकते। इसलिए आज हमें यह संकल्प लेना है कि जिन भाषाओं को संविधान में मान्यता मिली हुई है उन्हें आगे लाना चाहिए। हाल ही में 22 दिसम्बर, 2002 को संथाली भाषा जो लगभग एक करोड़ लोगों द्वारा बोली जाती है, को संवैधानिक मान्यता दी गई है। मैं यह बताना चाहूंगा कि केन्द्र सरकार को पर्याप्त उपाय करने चाहिए ताकि संथाली तथा अन्य भाषाओं को उचित मान्यता तथा महत्व प्राप्त हो। न्यूनतम साझा कार्यक्रम में इसे सम्मिलित किया गया है।

संथाली लोगों को, जिनका 150 वर्षों से भी ज्यादा पुराना इतिहास रहा है, जिन्होंने देश के लिए युद्ध किया है, उचित मान्यता मिलनी चाहिए। हमने सिधो–कान्हो की यादों को सदा याद किया है, जिसने हमारे देश की आजादी के लिए युद्ध किया था। वे संथाली बोला करते थे। आंदोलन के इतिहास में संथालियों के विद्रोह की घटना अग्रदूत के रूप में थी। उनकी भाषा को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को इस संबंध में आगे आना चाहिए।

*भूलतः 'बंगला' में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

आज हम सभी भाषाओं को श्रद्धांजलि देते हैं और हम अपनी सरकार से मांग करते हैं कि वह सभी भाषाओं के विकास के लिए कदम उठाए। इस शुभ अवसर पर हम अपनी भाषाओं को गौरवान्वित करने का संकल्प ले रहे हैं।

***श्री गुरुदास दास गुप्त** (पंसकुरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने सभा में कभी भी बंगला भाषा में भाषण नहीं किया। यह पहला अवसर है जब मैं आपकी अनुमति से बंगला में बोलने जा रहा हूं। 21 फरवरी सभी बंगला भाषी लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन तथा गौरव का भी दिन है। विश्व में बहुत सी क्रांति और आंदोलन हुए हैं लेकिन इस आंदोलन, जो केवल बंगला भाषा के लिए किया गया, की इतिहास में कोई बराबरी नहीं है। अपनी मातृ–भाषा के सम्मान तथा गरिमा की रक्षा के लिए लोगों ने बहादुरी से युद्ध किया। बंगला भाषा के दमन के फासीवादी कदम के विरुद्ध एक पूरा राष्ट्र उठ खड़ा हुआ। मुझे बंगाली होने पर गर्व है। बंगाल की संस्कृति से मैं बड़ी घनिष्ठता से जुड़ा हुआ हूं। आज हम उस राष्ट्र को सम्मान देने के लिए इस दिन को मना रहे हैं जिसने अपनी भाषा के लिए लड़ाई लड़ी और इतिहास बनाया।

मैं मात्र कुछ शब्द कहना चाहूंगा। महोदय, 1950 से ही फासीवादी ताकतों द्वारा आंदोलन को दबाया जा रहा था। बंगलादेश के लोग 20 वर्षों से भाषा की आजादी, बोलने की स्वतंत्रता, लेखन की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए बर्बर ताकत के विरुद्ध युद्ध करते रहे हैं तथा इस कार्य में उन्हें भारी सफलता मिली, और इसके लिए हमें गर्व है, हमें खुशी है। आज का दिन केवल बंगलादेश के लिए महत्वपूर्ण नहीं है यह हम लोगों के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है क्योंकि विश्व के इतिहास में इस प्रकार के संघर्ष का कोई दूसरा उदाहरण नहीं है। इस तरह अत्यंत प्रशंसा के साथ हम उस अतीत को याद करते हैं और हम माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी को भी याद करते हैं क्योंकि बंगलादेश की आजादी की लड़ाई में उन्होंने अविस्मरणीय भूमिका निभाई थी। आज मैं सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि मातृ–भाषा में बोलना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। चाहे कोई भी भाषा हो यह हमारे लिए अत्यंत प्रिय है। वर्तमान सरकार को चाहिए कि वह सभी भाषाओं को प्रकाश में लाने के लिए उनके शहीदों को उचित सम्मान देते हुए कदम उठाए। एक बार मैं पुनः उन महान आत्माओं को याद करता हूं तथा बंगाली में बोलने की अनुमति देने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

***रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी)** : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह दिन न केवल बंगलादेश अपितु पूरे विश्व के लिए एक बहुत स्मरणीय दिवस है। आज ही के दिन अपनी मातृभाषा के लिए एक राष्ट्र विद्रोह करने हेतु उठ खड़ा हुआ था। स्वतंत्रता प्राप्ति के सात वर्ष के अंदर बंगलादेश ने एक बहुत बड़ा जनांदोलन आयोजित किया और पाकिस्तानी शासकों को बंगाली भाषा को स्वीकार करने के लिए बाध्य किया था। धीरे–धीरे यह भाषायी विद्रोह एक राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में बदल गया।

भारत में, हमने ऐसे आंदोलन के महत्व को समझा और विभिन्न संवैधानिक व प्रशासनिक उपायों के माध्यम से स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा देने का प्रयास किया। अभी भोजपुरी, मैथिली आदि बहुत सी अन्य भाषाएं हैं जिन्हें अभी बढ़ावा दिया जाना है। हाल ही में राजस्थानी, डोगरी आदि जैसी कुछ अन्य भाषाएं भी विकसित हो रही हैं। हम उन शहीदों को अपनी आदरपूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं जो अपनी मातृभाषा में बोलने के अपने अधिकार की रक्षा करना चाहते थे और अपनी मातृभाषा के प्रति सम्मान, प्रतिष्ठा और मान्यता को पुनः स्थापित करना चाहते थे। इस विशेष दिन यह हुआ था। हम उनके प्रति अपनी सादर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : भोजपुरी का आश्वासन कोरा रह गया...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रणब मुखर्जी : यह राजभाषा बनी रहेगी। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं?...*(व्यवधान)* हम उन शहीदों के प्रति सादर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जो अपनी मातृभाषा में बोलने के अपने अधिकार की रक्षा करना चाहते थे तथा अपनी मातृभाषा को सम्मान, प्रतिष्ठा और मान्यता देते थे। आज के दिन ऐसा हुआ। हम उन्हें सादर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : सभी मातृभाषाओं का आदर किया जाएगा। अंग्रेजी हमारी मातृभाषा नहीं है परन्तु यह भाषा यहां उपयोग में लाई जाती है।

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा (बेतिया) : अध्यक्ष महोदय, आपने जो उद्गार प्रकट किए और यहां बंगला भाषा को सराहा गया है, जिस भाषा की लड़ाई में शहीदों ने अपनी शहादत दी, उनके लिए हम भी अपना सिर नवाकर सम्मान करते हैं।...*(व्यवधान)*

*मूलतः बंगला में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवधान मत डालिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा : खुशी की बात यह है कि ऐसे लोगों ने अपनी राष्ट्रभाषा के लिए संघर्ष करते हुए अपना बलिदान दिया। यह सम्मान बंगला भाषा को मिला, यह खुशी की बात है। हमारे बिहार के तथा देश के अन्य इलाकों में करोड़ों लोग भोजपुरी भाषा बोलते हैं और मैथिली भाषा भी देश के बहुत बड़े भाग में बोली जाती है। माननीय नेता सदन ने इस भाषा के बारे में घोषणा की थी कि इस बारे में हम ख्याल करेंगे। लेकिन हम देख रहे हैं कि भोजपुरी भाषा के लिए पिछले दो वर्षों से ख्याल हो रहा है। इस भाषा को यहां बोलने के लिए भी आप लोगों की तरफ से मंजूरी नहीं दी जा रही है। हम करोड़ों लोगों का प्रतिनिधित्व इस सदन में करते हैं, लेकिन भोजपुरी भाषा में बोलने की हमें आजादी नहीं है। हम लोग आपसे निवेदन करते हैं कि मैथिली और भोजपुरी भाषा को आप यहां बोलने और ट्रांसलेट करने का अधिकार दीजिए। माननीय गृह मंत्री जी यहां बैठे हैं, हम लोगों का इस बारे में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव था, जिसका उन्होंने जवाब दिया था और कहा था कि संविधान की अष्टम सूची में हम इसे डालेंगे और बोलने की आजादी भी देंगे। हमारा निवेदन है कि आप इस बारे में घोषणा कीजिए।

अध्यक्ष महोदय, हम आपकी कृपा से यू.एन.ओ. में गए थे, वहां हमें एक विषय में अंग्रेजी में बोलने के लिए कहा गया। हमने कहा कि हम इंग्लिश नहीं जानते हैं, इसलिए हम हिंदी में बोलेंगे। तब हमें बताया गया कि ट्रांसलेशन की व्यवस्था नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : वाजपेयी जी तो हिन्दी में बोले थे।

श्री रघुनाथ झा : वहां जो हमारे लोग थे, उन्होंने भी यही बताया। इतनी बड़ी संस्था में देश का सम्मान, देश की इज्जत बढ़े। यू.एन.ओ. में हर साल हमारे देश के प्रतिनिधि जाते हैं, उन्हें वहां हिन्दी में बोलने की आजादी मिलनी चाहिए, इसके लिए सरकार को पहल करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आप भोजपुरी में एक लाइन बोलिए और उसका ट्रांसलेशन हिन्दी में करिए।

श्री रघुनाथ झा : अध्यक्ष महोदय, हम भोजपुरी भाषी हैं और यह खुशी की बात है कि अपनी मातृभाषा के लिए बंगाल के बहुत से लोग ढाका में शहीद हुए, उन सबके प्रति हम आभार प्रकट करते हैं और अपनी संवेदना देते हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह तो हिन्दी ही है।

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : भोजपुरी ऐसी भाषा है, जिसे सब लोग समझ सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : भोजपुरी अच्छी भाषा है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे तब बहुत प्रसन्नता होती है जब हम किसी ऐसे विषय पर चर्चा करते हैं जिस पर सभा में लगभग पूर्ण सहमति होती है। यह इस सभा की महानता है।

[हिन्दी]

आजमी जी, आप जल्दी–जल्दी बोलिए, अभी और बहुत से दूसरे काम हैं।

श्री इलियास आजमी (शाहाबाद) : मोहतरम सदर साहब, दारुल ऐवान, मैं आपका बहुत–बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने जबान के मसले पर मुझे इजहारे ख्याल का मौका दिया।

अध्यक्ष महोदय : आप कौन सी भाषा में बोलेंगे।

श्री इलियास आजमी : सर, मैं उर्दू में बोलूंगा। मुझे इजहारे ख्याल का मौका देकर इनायत फरमाई, उसके लिए मैं आपको मश्कूर हूं। यह सही है कि ढाका में बंगाली जबान के लिए तहरीक चलाई और उसमें बड़ी तादाद में मासूम लोगों की जानें गई थीं। लेकिन यह भी सच्चाई है कि आजादी के बाद कांग्रेस की सरकारों ने सोची–समझी स्कीम के तहत उर्दू को खत्म करना शुरू किया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक नहीं है, कृपया सुनिए और अब माहौल को खराब मत कीजिए। यदि आप ऐसा कोई मुद्दा उठाना चाहते हैं तो मैं बाद में आपको अनुमति दूंगा। हम सभी को उर्दू भाषा इसकी विरासत और इतिहास पर गर्व होना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री इलियास आजमी : अध्यक्ष जी, मैं उर्दू बोल रहा हूं।... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यदि ऐसा होता है तो मुझे यह चर्चा बंद करनी पड़ेगी।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपने हाथ उठा दिया है, इसे नोट कर लिया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री इलियास आजमी : आजादी के पहले सारा सरकारी काम–काज उर्दू में होता था। 1964 में उर्दू की बहाली के लिए लखनऊ में कामरेड जय बहादुर सिंह और पं. देव नारायण ने भूख–हड़ताल से दारुल–शफा और उत्तर प्रदेश की असेम्बली के सामने अपनी जान कुर्बान कर दी। मैं उन शहीदों को खिराजे–अकीदत पेश करते हुए उन सारे लोगों को भी खिराजे–अकीदत पेश करता हूं जिन्होंने अपनी मादरी जबान के लिए अपनी जान को कुर्बान किया है। मैं मतालबा करता हूं कि उर्दू समेत सारी कौमी जबानों को फलने–फूलने का मौका अब से इनायत किया जाए क्योंकि आज तक उर्दू को नजर–अंदाज किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हम प्रत्येक भाषा का आदर करते हैं।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष जी, आज का विषय बहुत गंभीर है जिस पर सदन की पूरी सर्वसम्मति है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी मातृभाषा का जो अधिकार है, उस पर बातचीत की जा रही है। बंगलादेश में जिन लोगों ने अपनी मातृ–भाषा के लिए उस समय शहादत दी थी, मैं उन्हें नमन करता हूं। हम चाहते हैं कि इस देश में जितनी प्रादेशिक भाषाएं हैं, उन सबको पूरा अधिकार मिलना चाहिए। उन पर कोई भाषा नहीं थोपी जानी चाहिए, चाहे वह अंग्रेजी हो या कोई और भाषा हो। यहां सबको अपनी मातृभाषा का अधिकार होना चाहिए। मैं आपकी सेंटिमेंट्स से सहमत हूं।

[अनुवाद]

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. के. वासन) : महोदय, आज का दिन बहुत शुभ है।

अध्यक्ष महोदय : आप तमिल में बोल सकते हैं।

श्री जी. के. वासन : महोदय, मुख्य बात का उल्लेख करना पड़ेगा...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए अन्यथा मुझे यह चर्चा बंद करनी पड़ेगी। मुझे लगता है कि 'सब' नामक शब्द शब्दकोश से निकाल दिया गया है।

श्री जी. के. वासन : इस विशेष दिवस पर मैं, विश्व के करोड़ों तमिल भाषी लोगों की ओर से सं.प्र.ग. सरकार, प्रधानमंत्री जी तथा सं.प्र.ग. की अध्यक्षा को धन्यवाद देना चाहता हूं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपने भाषा का उल्लेख किया है।

...(व्यवधान)

श्री जी. के. वासन : महोदय, तमिल एक बहुत प्राचीन भाषा है। इस सरकार ने तमिल को एक सांस्कृतिक भाषा का दर्जा दिया है...*(व्यवधान)* महोदय राज्य के लोगों को तमिल भाषा पर गर्व होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : श्री येरननायडु यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। यह ठीक नहीं है। मुख्य बात है तमिल भाषा का महत्व जिसका हम सभी आदर करते हैं। यह एक बहुत समृद्ध भाषा है।

***श्री जी. के. वासन** : तमिलनाडु की छह करोड़ जनसंख्या और विश्व के विभिन्न भागों में रह रहे तमिलभाषी लोगों की ओर से मैं सं.प्र.ग. की अध्यक्षा, श्रीमती सोनिया गांधी, के ओजपूर्ण नेतृत्व के अंतर्गत सं.प्र.ग. द्वारा शासित भारत सरकार को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने तमिल को एक सांस्कृतिक भाषा का दर्जा दिया। मैं इस अवसर पर उन सभी नेताओं के प्रति भी आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने तमिल को यह दर्जा दिलाने के लिए अपना योगदान दिया जो कि हमारी तमिल भाषा का अधिकार था क्योंकि यह विश्व की प्राचीनतम भाषाओं में से एक है। इस अवसर पर मैं सं.प्र.ग. की अध्यक्षा, श्रीमती सोनिया गांधी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री, डा. मनमोहन सिंह को हमारी समृद्ध और प्राचीन भाषा को सांस्कृतिक भाषा का दर्जा दिए जाने के वादे को पूरा करने पर हार्दिक रूप से धन्यवाद देता हूं।

अध्यक्ष महोदय : श्री बृज किशोर त्रिपाठी।

यहां उड़िया भाषान्तरकार हैं अतः आप उड़िया में बोल सकते हैं।

---

*भूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

*श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हम 'अन्तर्राष्ट्रीय मातृ–भाषा दिवस' मना रहे हैं। बंगलादेश का स्वतंत्रता आंदोलन भारत के लोगों को अभी भी यह स्मरण कराता है कि मातृ–भाषा हम सभी लोगों के लिए कितनी मूल्यवान और प्रिय है, इस परिप्रेक्ष्य में, महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने हमें इस प्रतिष्ठित सभा में अपनी मातृ–भाषा में बोलने और सच्चे अर्थों में 'अंतर्राष्ट्रीय मातृ–भाषा दिवस' मनाने की अनुमति दी।

महोदय, जब हम अपनी मातृभाषा में बोलते हैं तो हमें स्वतः ही एक प्रसन्नता का अहसास होता है। बहुत पहले 1936 में जब स्वतंत्रता संघर्ष चल ही रहा था उस समय यह निर्णय लिया गया था कि राज्यों को भाषाई आधार पर पुनर्गठित किया जाएगा। वस्तुतः यह उस आंदोलन का ही एक संदेश था। यहां तक की महात्मा गांधी ने भी क्षेत्रीय भाषाओं के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने की अनुशंसा की थी। इसीलिए वर्ष 1956 में राज्य पुनर्गठन समिति गठित की गई थी और उसने भाषा के आधार पर राज्यों की सीमाएं निर्धारित की थीं। लेकिन, महोदय, मुझे यह कहते हुए खेद होता है कि अभी भी बहुत से ऐसे क्षेत्र जहां बड़े पैमाने पर उड़िया बोली जाती है, हमारे राज्य से अलग हैं। वे पश्चिम बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आन्ध्र प्रदेश और कुछ अन्य दक्षिणी राज्यों के सीमावर्ती क्षेत्रों में आते हैं, जिस समिति का गठन भाषाई अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करने के लिए किया गया है वह उतनी तत्पर नहीं है। महोदय, उसे छोटे पैमाने पर बोली जाने वाली भाषाओं, उनकी संस्कृति, साहित्य और परंपरा को संरक्षित करने, बढ़ावा देने और बनाए रखने हेतु समुचित कदम उठाने चाहिए। केन्द्र सरकार इस समस्या के प्रति बहुत उदासीन है। महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से अपील करता हूं कि उसे उड़िया भाषी क्षेत्रों को एकजुट करने और अन्य ऐसे क्षेत्रों को भी एकजुट करने हेतु समुचित कदम उठाने चाहिए जहां की आम भाषा तो एक ही है परन्तु कृत्रिम सीमाओं के माध्यम से इसे पृथक कर दिया गया है। उन्हें अपनी मातृभाषा में बोलने, शिक्षा ग्रहण करने और अपनी परंपरा तथा संस्कृति को बचाने का अवसर नहीं मिलता। महोदय, अंत में, मैं उड़ीसा के प्रसिद्ध प्रकृति–कवि श्री गंगाधर मेहर को उद्धृत करना चाहता हूं। "वन हू डसन्ट हैव लव फॉर द मदरलैंड और द मदर टन्ग डिसर्व टू बी काल्ड एन इग्नोरेन्ट पर्सन" (जिसमें अपनी मातृभूमि या मातृभाषा के प्रति प्रेम नहीं है उसे अज्ञानी ही कहा जा सकता है)।

इसलिए, इस देश के प्रत्येक नागरिक को अपनी मातृभाषा को सम्मान देना चाहिए व उससे प्रेम करना चाहिए। उन्हें अपनी भाषा को बढ़ावा देने के लिए अपनी ओर से श्रेष्ठतम प्रयास करने चाहिए। केन्द्र सरकार को भी इस उद्देश्य को बढ़ावा देने का प्रयास करना चाहिए और क्षेत्रीय भाषा के साहित्य को बढ़ावा देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आप भी एक साहित्यकार ही हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हम इसे एक तुच्छ वस्तु न बनाएं। मैं एक–एक करके चल रहा हूं। कृपया सब्र कीजिए। हम मलयालम का भी सम्मान करते हैं परन्तु आपकी कोई प्राथमिकता नहीं है।

आज, मुझे विश्वास है कि कोई मुझे नहीं कोसेगा।

*श्री अनंत कुमार (बंगलौर दक्षिण) : अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में और विदेशों में रहने वाले करोड़ों कन्नड़ भाषी लोग 'मातृभाषा दिवस' मना रहे हैं। मैं आपको और इस प्रतिष्ठित सभा के सभी माननीय सदस्यों को सभी कन्नड़भाषी लोगों की ओर से बधाई देना चाहता हूं। कर्नाटक अपनी स्वर्णजयंती मना रहा है और विश्व में सभी कन्नड़भाषी भी इस गौरवपूर्ण उत्सव को मना रहे हैं।

जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कन्नड़ एक मधुर भाषा है। मुझे इस बात का उल्लेख करते हुए गर्व हो रहा है कि कन्नड़ भाषा को सात ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुके हैं जो कि इस देश में सर्वाधिक हैं।

हम केन्द्र सरकार से बारंबार कन्नड़ को एक सांस्कृतिक भाषा का दर्जा देने का अनुरोध करते रहे हैं। कन्नड़ साहित्य का हजारों वर्षों का इतिहास रहा है। सांस्कृतिक विरासत में कन्नड़ भाषा की अपनी विशेषज्ञता रही है।

कन्नड़ भाषा पंढारपुरा, भगवान विट्ठल की पावन भूमि, की भाषा रही है। विजयनगर साम्राज्य का सर्वाधिक विख्यात सम्राट श्री कृष्णदेव राय ने आन्ध्र प्रदेश में भी अपने साम्राज्य का विस्तार किया था और उन्हें उस समय का एक महान सम्राट माना जाता है।

कर्नाटक रेशम का केन्द्र है और उसकी भाषा है कन्नड़ कस्तूरी। कर्नाटक श्रीगंध (चंदन की लकड़ी) के लिए विश्व प्रसिद्ध भूमि है। दिल्ली हमारे देश की राजनैतिक राजधानी है और मुम्बई वाणिज्यिक राजधानी है। हमारे देश के भविष्य का शहर बंगलौर, ज्ञान की राजधानी है। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी का केन्द्र है।

*मूलतः उड़िया में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

*मूलतः कन्नड़ में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

अध्यक्ष महोदय : हम बंगलौर का आदर करते हैं और हम बंगलौर से प्रेम करते हैं। यहां उपस्थित हम सभी लोग अपनी–अपनी मातृभाषा से प्रेम करते हैं। यहां किसी का एकाधिकार नहीं है।

***श्री अनंत कुमार** : भारत में और विदेशों में रहने वाले कन्नड़ लोग, विशेषकर लेखक, कवि और 'चालुबलिगर्स' ने अपनी भाषा, कन्नड़, के लिए अपने बहुमूल्य जीवन का बलिदान दिया है। वे सभी केन्द्र सरकार से कन्नड़ भाषा को एक सांस्कृतिक भाषा का दर्जा दिए जाने की मांग कर रहे हैं। मैं केन्द्र में संस्कृत और तमिल की भांति ही कन्नड़ को भी एक सांस्कृतिक भाषा का दर्जा देकर उसके साथ न्याय किए जाने का अनुरोध करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया सब अपनी बात समाप्त कीजिए आपको बंगलौर पर बोलने के कई अवसर मिलेंगे।

***श्री अनंत कुमार** : महोदय, मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री एम. शिवन्ना (चामराजनगर) : महोदय, श्री अनंत कुमार ने जो कुछ कहा है मैं स्वयं को उससे सम्बद्ध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : अध्यक्ष महोदय, बंगलादेश में बंगाली भाषा के सम्मान के लिए, बंगाली भाषा की रक्षा के लिए जिन शहीदों ने संघर्ष किया, हम उनको नमन करते हैं। मैं बहुत अभागा हूं। मैं इसलिए अपने आपको अभागा कह रहा हूं क्योंकि आज कई माननीय सदस्यों ने अपनी मातृभाषा में अपने विचार व्यक्त किए हैं, लेकिन मैं भोजपुरी भाषा जानते हुए भी अपनी मातृभाषा में अपने विचार प्रकट नहीं करता हूं–अगर मैं अपनी मातृभाषा भोजपुरी में अपने विचार व्यक्त करता हूं तो वह प्रोसीडिंग्स में दर्ज नहीं होंगे। भोजपुरी भाषा अष्टम सूची में शामिल नहीं है। हमने पहले भी आग्रह किया था और लोक सभा में भी चर्चा की थी, इसके बाद माननीय गृह मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि हम इस भाषा को अष्टम सूची में शामिल करेंगे। आज भी हमने गृह मंत्री जी से आग्रह किया कि हमारी मातृभाषा मां के समान होती है और जिस व्यक्ति का मातृभाषा के प्रति सम्मान नहीं है, मैं समझता हूं कि वह मां का सम्मान नहीं कर सकता है। हमने व्यक्तिगत तौर पर भी श्रीमती सोनिया जी से आग्रह किया था कि वे गृह मंत्री जी को कहें कि भोजपुरी भाषा को संविधान की अष्टम सूची में शामिल किया जाए। उन्होंने मुस्कराकर हां तो कहा, लेकिन पता नहीं कि गृह मंत्री जी ने उस 'हां' को 'हां' में लिया या 'न' में लिया।

गृह मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं। बीस करोड़ लोगों की यह भाषा है और दुनिया के 9 देशों में भोजपुरी भाषा बोली जाती है। आज तक भोजपुरी भाषा को लोगों ने अपमानित किया है और हमें आप पर विश्वास है कि आप इस भाषा को सम्मानित करेंगे। हम चाहते हैं कि इस सेशन में इस भाषा को अष्टम सूची में शामिल करने का गृह मंत्री जी आश्वासन दें। पूरे विश्व में सभी भाषा–भाषी इनके प्रति आदर और सम्मान की निगाह से देखते हैं। हमें लगता है कि ये आज हमें जरूर आश्वासन देंगे कि इस भाषा को जरूर अष्टम सूची में शामिल करेंगे। जिन दिनों भोजपुरी भाषा का सवाल उठा था, श्री बसुदेव आचार्य जी ने भी इसका समर्थन किया था, श्री रामविलास जी ने भी समर्थन किया था, बीजेपी के लोगों ने भी समर्थन किया था, उड़िया बोलने वाले लोगों ने भी समर्थन किया था, शिव सेना ने भी समर्थन किया था और पूरे हाउस का समर्थन प्राप्त था। सारे लोगों ने समर्थन किया था और आज भी सभी लोग समर्थन कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, बंगाल में भोजपुरी भाषा बोलने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है और चुनाव में भी उनकी बड़ी भूमिका होती है। उनकी बहुत भूमिका होने के कारण इनकी निगाह बंगाल में लगी हुई है। वहां चुनाव होने जा रहा है। इसलिए मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि भोजपुरी भाषा को संविधान की आठवीं सूची में एक अलग भाषा के रूप में मान्यता दी जाए।

अध्यक्ष महोदय, आप तो केवल मुस्कराते रहते हैं। इससे कुछ होने वाला नहीं है। यह भोजपुरी भाषा के मान–सम्मान के प्रति आदर का सवाल है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मंत्री जी इस बारे में कुछ बोलें।

अध्यक्ष महोदय : श्री चरणजीत सिंह अटवाल।

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, जरा इधर से भी बुलवा दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : आप लोग भी मेरी नहीं सुनते हैं। उनसे मैं कैसे कहूं।

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, जो मंत्री जी की इच्छा हो, वही कह दें।

*मूलतः कन्नड में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने आपकी बात को बहुत ध्यान से सुना है। वे सदन के वरिष्ठ सदस्य भी हैं और होम मिनिस्टर भी हैं।

गृह मंत्री (श्री शिवराज वि. पाटील) : मैंने जो 'हां' कहा है, मैं उसे बदलने की कोशिश नहीं कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने 'हां' बोल दिया है। क्या आप केवल अपनी बात कहना चाहते हैं, दूसरों की नहीं सुनना चाहते हैं? उन्होंने हां कह दिया है।

श्री प्रभुनाथ सिंह : सर, इसी सत्र में?

अध्यक्ष महोदय : इस सत्र में तो बजट है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

***श्री चरणजीत सिंह अटवाल (फिल्लौर)** : अध्यक्ष महोदय, मुझे पंजाबी में बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं ऐतिहासिक दृष्टि से कुछ चीजों को आपके सामने रखना चाहता हूं। वर्ष 1929 में रावी नदी के तट पर कांग्रेस का एक ऐतिहासिक अधिवेशन हुआ था। उस अधिवेशन में दो संकल्प पारित किए गए थे। एक संकल्प में अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी। अंग्रेजों ने ऐसे कुछ क्षेत्रों को आपस में जोड़ दिया था जिनमें भाषायी और सांस्कृतिक आधार पर कोई समानता नहीं थी। लोगों को दंडित करने का उनका यह अपना एक तरीका था। उदाहरण के लिए, कुछ क्षेत्रों को पंजाब की राजधानी लाहौर के साथ जोड़ दिया गया था। वर्ष 1929 में कांग्रेस दल के अधिवेशन में यह निर्णय लिया था कि स्वतंत्रता के पश्चात् राज्यों का भाषायी आधार पर पुनर्गठन किया जाएगा। एक व्यक्ति अपनी मातृभाषा में अपने विचारों को बेहतर तरीके से अभिव्यक्त कर सकता है। वह ऐसा उतनी ही क्षमता और दक्षता के साथ किसी अन्य भाषा में नहीं कर सकता। श्री रवीन्द्र नाथ टैगोर ने ठीक ही का है : "यदि कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका को एक संदेशवाहक के माध्यम से अपना संदेश भेजता है तो उसका इच्छित प्रभाव नहीं पड़ेगा परन्तु यदि वह व्यक्तिगत रूप से मिलकर उसके लिए अपना प्रेम अभिव्यक्त करता है तो वह अवश्य ही प्रभावित होगी। इसी प्रकार, किसी अन्य भाषा में उसका वह प्रभाव नहीं पड़ेगा।" अतः मातृभाषा के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। अतः मैं उन भाइयों और बहनों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्होंने बंगाली भाषा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, मैं उन्हें सलाम करता हूं। मैं गर्व से यह कह सकता हूं कि बंगाली और पंजाबी भाषी लोगों ने हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए सर्वाधिक बलिदान दिए हैं। मैं सभी शहीदों को सलाम करता हूं। जो व्यक्ति अपनी मातृभाषा से प्रेम नहीं करता, उसका आदर नहीं करता वह आदर योग्य व्यक्ति नहीं है। हम सभी को मिलकर अपनी-अपनी मातृभाषा के विकास हेतु कार्य करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं उन सभी शहीदों को नमन करता हूं जिन्होंने बंगाली भाषा को मान्यता प्रदान किए जाने हेतु अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे।

अध्यक्ष महोदय : हमारी मातृभाषा के लिए आज हम मध्याह्न भोजन नहीं करेंगे।

अब, हम मणिपुरी को लेते हैं।

डा. टोकचोम मैन्या (आंतरिक मणिपुर) : अध्यक्ष महोदय... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : वे भी इस सभा के माननीय सदस्य हैं। वे अल्पसंख्यक समुदाय की भाषा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।

***डा. टोकचोम मैन्या** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मणिपुरी में बोलूंगा। जब मैं एक सदस्य के रूप में पहली बार इस प्रतिष्ठित सभा में आया था तो मैंने मणिपुरी में ही शपथ ली थी। महोदय, मैं मणिपुरी में बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए वास्तव में आपका आभारी हूं। यह दूसरी बार है जब मुझे मणिपुरी में भाषण देने का अवसर प्राप्त हुआ है। अधिकांशतः मैं अंग्रेजी में बोलता हूं क्योंकि माननीय सदस्यगण मणिपुरी नहीं समझ पाते। संभवतः इस सभा में मणिपुरी समझने वाला मैं एकमात्र सदस्य हूं। जब भी मैंने मणिपुरी में बोलना चाहा तो समय की कमी के कारण मुझे अवसर नहीं मिला। अन्तर्राष्ट्रीय भाषा दिवस के इस स्मरणीय अवसर पर हम बंगलादेश में हुई घटना के प्रति गहरा दुख प्रकट करते हैं।

मैं, पुनः मुझे मातृभाषा में बोलने की अनुमति दिए जाने पर, अपना आभार प्रकट करता हूं।

***श्री किरीप चालिहा** (गुवाहाटी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने माननीय संसद सदस्यों को मातृभाषा दिवस के अवसर पर अपनी-अपनी मातृभाषा के प्रति सम्मान प्रकट करने का अवसर प्रदान किया और मैं इसके लिए भी आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने लोक सभा के माननीय सदस्यों को अपनी-अपनी भाषा के माध्यम से अपनी एकता और सहानुभूति

*मूलतः पंजाबी में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

*मूलतः मणिपुरी में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

**मूलतः असमिया में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

प्रकट करने का अवसर दिया। आज मैं उन लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्होंने ढाका में अपनी भाषा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। मैं यह बंगाली में कह रहा हूं क्योंकि बंगाली, असमी, उड़िया और भोजपुरी भाषाएं बोलने और समझने में बहुत सरल हैं। यदि हम इन सब भाषाओं को देखें तो पाएंगे कि ये सभी भाषाएं आपस में जुड़ी हुई हैं। चाहे हम अलग–अलग भाषाएं बोलते हैं परन्तु इन सभी भाषाओं के बीच की कड़ी एक ही है। इन सभी भाषाओं में भारतीयता रची–बसी है। भाषाएं लोगों को जोड़ने के लिए हैं तोड़ने के लिए नहीं। भारत तभी विकास कर सकता है जब हम इस एकता को बनाए रखेंगे। मेरी भाषा असमी है और मुझे एक असमी होने पर गर्व है। आधुनिक असमी साहित्य के पिता लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ, जिन्होंने कवि गुरु रवीन्द्रनाथ टैगोर की पोती से विवाह किया था, ने लिखा है–

"ओ माई स्वीट वाएस,

माई स्वीट वाएस ऑफ असम,

इवन इफ आई लुक फार अदर वाएस

एनीवेयर इन द वर्ल्ड,

आई विल नेवन फाइन्ड ए स्वीटर वाएस

दैन माई वाएस"

अपनी मातृभाषा के लिए यह किसी का स्नेह है। लेकिन मातृभाषा को लोगों को जोड़ना चाहिए।

[हिन्दी]

मातृभाषा हमेशा लोगों को एक कराने के लिए होती है, विभेद कराने के लिए नहीं। भाषा लोगों को जोड़ती है, तोड़ती नहीं। आज के दिन मैं फिर उन शहीदों को श्रद्धा देते हुए, उनकी याद दिलाते हुए, आपने बोलने का जो मौका दिया, उसके लिए पुनः आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : अध्यक्ष महोदय, मैं उन सभी अमर शहीदों को, जिन्होंने अपनी मातृभाषा की तरक्की और बहबूदी के लिए अपना त्याग और बलिदान किया, आज श्रद्धापूर्वक याद करता हूं। आज के दिन यदि डा. राम मनोहर लोहिया जिन्दा होते और इस सदन के वातावरण को देखते, तो उनकी आत्मा को बहुत ही संतोष मिलता, वे बहुत ही खुश होते। सबसे पहले इस सदन में 1967 में श्री एच. जे. पटेल ने उन्हीं की प्रेरणा से कन्नड़ भाषा में अपना पहला भाषण किया था और आपके आसन पर श्रीमान संजीव रेड्डी साहब विराजमान थे। उसी के बाद, भारतीय भाषाओं में इस सदन में अनुवाद का इंतजाम 1967 से शुरू हुआ।

बंगलादेश का जब निर्माण हुआ, उस समय शेख मुजीबुर्रहमान ने जो छः सूत्रीय कार्यक्रम पाकिस्तान की सरकार के सामने रखा था, उसमें बंगला भाषा को महत्व देना उन छः सूत्रों में नम्बर एक का सूत्र था। 1947 में पाकिस्तान बनने के साथ ही वहां के सबसे बड़े नेता मोहम्मद अली जिन्ना साहब ढाका विश्वविद्यालय में दो महीने बाद दीक्षांत भाषण करने गए और जब उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की राष्ट्र भाषा उर्दू होगी और पाकिस्तान एक सैकुलर स्टेट होगा, तो पूरी ऑडियंस ने उनकी उन बातों का विरोध किया और कहा कि हमारी भाषा बंगला है और हम बंगला को ही राष्ट्रभाषा मानेंगे।

1900 की शुरुआत के साथ ही जब बंगाल का विभाजन हुआ, तो वहां के अमर देशप्रेमियों ने भाषा के आधार पर बंगाल का बंटवारा नहीं हो सकता, इसे मुख्य आधार माना, जिसके चलते बंगाल के विभाजन को रद्द करना पड़ा।

अध्यक्ष महोदय, जो माता के दूध के साथ भाषा सीखी जाती है या हमारी जुबान पर आती है, उसका हमारे मन में वही सम्मान होता है जो माता का सम्मान होता है। इसलिए आज के शुभ दिन जब हमने मातृभाषा में यहां अपनी बातें कही हैं, तो यह केवल औपचारिकता नहीं होनी चाहिए, यह हमारे जीवन का संस्कार बनना चाहिए, हमको अपनी मातृभाषा का सम्मान करना चाहिए और मातृभाषा से जुड़ी हमारी जो राष्ट्र भाषा है, उसका सम्मान होना चाहिए। पूरे देश के राज–काज की भाषा हमारी मातृभाषाएं बनें, हमारी राष्ट्रभाषा बने, हम यही अपेक्षा करते हुए उन सभी साथियों को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने आज की तारीख में अपनी मातृभाषा के सम्मान के लिए सदन में इच्छा व्यक्त की है। उनकी यह इच्छा व्यवहार में प्रकट हो, इस अपेक्षा के साथ हम आपको बहुत–बहुत धन्यवाद देते हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब श्री अनंत गंगाराम गीते बोलेंगे। इससे पहले, मैं यह कहना चाहूंगा कि जैसे ही और जब भी हमें भाषान्तरकार मिलेंगे, मैं इसकी अनुमति दूंगा। लेकिन मुझे प्रो. मल्होत्रा को एक बहुत महत्वपूर्ण मामला उठाने की अनुमति देनी है।

***श्री अनंत गंगाराम गीते** (रत्नागिरि) : अध्यक्ष महोदय,

*मूलतः मराठी में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

अन्तर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर आपने ढाका में बंगाली भाषा को लेकर हुए संघर्ष को प्रमुखता से सभा के समक्ष रखा। वह संघर्ष केवल भाषा को लेकर नहीं था और यह कहना गलत नहीं होगा कि उससे प्रेरणा ली गई और बंगलादेश नाम का एक देश अस्तित्व में आया। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी मातृभाषा और मातृभूमि पर गर्व होता है। यह स्वाभाविक ही है कि कोई यह सोचे कि उसकी मातृभाषा समृद्ध होनी चाहिए तथा सारा ज्ञान उसकी मातृभाषा में उपलब्ध होना चाहिए।

मैं इस अवसर पर कोई लम्बा भाषण नहीं देना चाहता। लेकिन मैं यह इंगित करना चाहता हूं कि अंग्रेजों के 150 वर्ष के शासनकाल ने हमारी भाषाओं पर प्रभाव डाला है और हमने स्वयं ही उन्हें दोयम दर्जा देना और अंग्रेजी को महत्व देना शुरू कर दिया। लेकिन विश्व के कुछ देश अपनी भाषाओं को महत्व देते हैं और वस्तुतः उनके माध्यम से उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं जीती हैं। रूस, चीन, जापान और फ्रांस अपनी भाषाओं को महत्व देते हैं। लेकिन हमने इस मामले में आरंभ से ही नकारात्मक रवैया अपनाया है। इसीलिए यद्यपि हम स्वतंत्र हो चुके हैं। तथापि हमारे देश में भाषा की गुलामी चल रही है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जब हम भाषा की पराधीनता से मुक्त हो जाएंगे केवल तभी हम सच्चे अर्थों में स्वतंत्र होंगे। महोदय, मुझे यह अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : श्री बीर सिंह महतो। कृपया बहुत संक्षेप में कहें केवल सम्बद्धता प्रकट कर दें।

***श्री बीर सिंह महतो** (पुरुलिया) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हमें बहुत गर्व हो रहा है। यूनेस्को ने 21 फरवरी को अन्तर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस घोषित किया है। हमें इस तथ्य पर गर्व है कि हम बंगाली बोलते हैं, इस भाषा ने राष्ट्रीय आंदोलन में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राष्ट्रीय गान जन–गण–मन और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम ने हमें हमारी भाषा के लिए लड़ने हेतु प्रेरित किया है। यह गीत–"भाई गोल्डन बंगाल, वी लव यू" ने बंगलादेश में बंगाली भाषा को बढ़ावा दिया है। 21 फरवरी को हम उन लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं जिन्होंने मातृभाषा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। हमें इस प्रतिष्ठित सभा में उन शहीदों को याद करते हुए गर्व हो रहा है।

श्री अधीर चौधरी (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल) : महोदय, मैं स्वयं को इससे सम्बद्ध करता हूं।

*मूलतः बंगला में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यो दुर्भाग्य से, और इस बात से मैं भी प्रसन्न नहीं हूं कि इस समय गुजराती, तेलुगू तथा मलयालम भाषा का कोई भी भाष्यान्तरकार नहीं है। रिक्तियों को भरने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया मुझे अपनी बात पूरी करने दें।

[हिन्दी]

क्या बात है

[अनुवाद]

अब जब हम चिड़चिड़े हो रहे हैं हम हिन्दी में बोल रहे हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं और इसीलिए मैं आपको सूचित कर रहा हूं। मैं सभी से आग्रह कर रहा हूं कि वे अपनी मातृभाषा में बोलें। मैं इस बात से प्रसन्न नहीं हूं, हम भाष्यान्तरकार की व्यवस्था नहीं कर सकते। मुझे इसके लिए खेद है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि अपनी बात संक्षेप में अंग्रेजी अथवा हिन्दी में कहें जिससे कि आपके विचारों को कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जा सके। मैं विभिन्न भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी सदस्यों को आमंत्रित करने का प्रयास करूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अध्यक्ष पीठ से सहयोग करें। आप अध्यक्षपीठ से सहयोग करते रहे हैं। आपने जिस व्यवहार का प्रदर्शन किया है उससे आपकी प्रतिष्ठा बढ़ी है।

श्रीकृष्णास्वामी, तमिल के भाष्यांतरकार आ गए हैं।

***श्री ए. कृष्णास्वामी** (श्रीपेरुम्बुदूर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, विश्व मातृभाषा दिवस पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। इस अवसर पर अपनी यूपीए सरकार को विश्व की प्राचीनतम भाषाओं में से एक तमिल भाषा को उत्कृष्ट भाषा का दर्जा प्रदान करने के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। आज जब हम यूनेस्को के तत्वावधान में यह दिन मना रहे हैं। मैं सरकार से यह अपील करना चाहूंगा वह और आगे बढ़कर तमिल

*मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

भाषा को जिसे तमिलनाडु तथा विश्व के अनेक भागों में बोला जाता है अंतराष्ट्रीय उत्कृष्ट भाषा का दर्जा दिलवाने के प्रयास करें। मैं इस अवसर पर अपने नेता डा. कलईगनार करुणानिधि को धन्यवाद देता हूं जो तमिल भाषा को उत्कृष्ट भाषा का दर्जा दिलाने वाले आन्दोलन में अग्रणी रहे। मैं प्रधानमंत्री माननीय डा. मनमोहन सिंह तथा यूपीए अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने तमिल भाषा को उत्कृष्ट भाषा का दर्जा दिलवाने के अपने वायदे को पूरा किया। मैं सभा के अन्य सदस्यों के साथ उन सभी शहीदों को श्रद्धांजलि देता हूं जिन्होंने अपनी भाषा की रक्षा तथा सुरक्षा के लिए अपने जीवन का त्याग कर दिया। मैं उन सभी लोगों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करना चाहूंगा जिन्होंने दूसरी भाषा को हम पर लादे जाने के कारण तमिल को दूसरे दर्जे की भाषा बनने से बचाने के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया। हमारी परम्परा रही है कि हम उन अमर शहीदों जिन्होंने अपनी मातृभाषा की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए उनकी स्मृति को उत्सव के रूप में मनाते हैं। इस दिन यह उचित होगा कि उन अमर शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाए। इस अवसर पर मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि वह उप–महाद्वीप तथा दुनिया के अनेक महाद्वीपों में बोली जाने वाली प्राचीनतम भाषाओं में से एक तमिल भाषा को अंतरराष्ट्रीय उत्कृष्ट भाषा का दर्जा दिलाना सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : महोदय, इस सभा में पहली बार आज मैं मलयालम भाषा में बोलूंगा।

अध्यक्ष महोदय : मलयालम का भाष्यांतरकार नहीं है कृपया आप अंग्रेजी में बोलें।

श्री वरकला राधाकृष्णन : पहले मैं मलयालम में बोलूंगा फिर मैं इसका अंग्रेजी में अनुवाद करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

श्री वरकला राधाकृष्णन : *

अध्यक्ष महोदय : अब अनुवाद करें। परन्तु संक्षेप में।

श्री वरकला राधाकृष्णन : जब आप प्रत्येक स्तर पर हस्तक्षेप कर रहे हैं तो मेरे लिए बोलना बहुत कठिन होगा।

*माननीय सदस्य ने मलयालम में अपना भाषण दिया परन्तु अपने भाषण का हिन्दी अथवा अंग्रेजी अनुवाद उपलब्ध नहीं कराया।

अध्यक्ष महोदय : जब आप अध्यक्षपीठ पर होते हैं तब आप अधिक हस्तक्षेप करते हैं।

श्री वरकला राधाकृष्णन : महोदय, केरल अत्यंत ही सुंदर स्थान है। यह देव भूमि है। हम मलयाली बहु–भाषी लोग हैं मलयाली जहां भी जाते हैं वे उस स्थान की भाषा को सीखते हैं। मलयाली विश्व की कोई भी भाषा बोल सकते हैं। हम विश्व की कोई भी भाषा सीख सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : बंगला भाषा को छोड़कर।

श्री वरकला राधाकृष्णन : आपको विश्व के किसी भी हिस्से में मलयाली मिल जाएंगे।

अध्यक्ष महोदय : वह हम जानते हैं।

श्री वरकला राधाकृष्णन : यदि आप चांद पर जाएं वहां पर भी आपको एक मलयाली मिल जाएगा। वह आपका वहां स्वागत करेगा...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप सभी देशों को आतंकित कर रहे हैं।

श्री वरकला राधाकृष्णन : मलयाली दक्षिण भारत में रहते हैं। वे स्वतंत्रता सेनानी हैं। हम उन सभी शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने भाषा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी।

****डा. राजेश कुमार मिश्रा** (वाराणसी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, संस्कृत न केवल भारत की अपितु विश्व की प्राचीनतम भाषा है। मैं इस अवसर पर न केवल बंगलादेश अपितु विश्व भर में अपनी मातृभाषा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं भारत सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि वह संस्कृत भाषा के संवर्द्धन के लिए हर सम्भव प्रयास करे क्योंकि संस्कृत भाषा भारतीय संस्कृति की वाहक है।

अध्यक्ष महोदय : डा. एम. जगन्नाथ कृपया एक वाक्य तेलुगू में और एक वाक्य अंग्रेजी में बोलें।

****डा. एम. जगन्नाथ** (नगर कुरनूल) : तेलुगू भाषा 3000 वर्ष पुरानी एक प्राचीनतम तथा एक प्रतिष्ठित भाषा है। तेलुगू को पूर्व की इटालियन भी कहा जाता है क्योंकि यह मधुरतम भाषाओं में से एक है। हम्पी जैसा विशाल साम्राज्य–श्री कृष्णदेव राय ने तेलुगू

*मूलतः संस्कृत में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।
**मूलतः तेलुगू में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

भाषा को "देशः वस्हलांदु तेलुगू लेसा" कहा है। यहां तक कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन भी श्री पिंगाली वैंकईया ने तैयार किया था।

अध्यक्ष महोदय, तेलुगू को भारत में बोली जाने वाली लगभग सभी भाषाओं में मधुरतम भाषा कहा जाता है। यह एक प्राचीन तथा प्रतिष्ठित भाषा है जिसका उद्गम संस्कृत भाषा से हुआ है। यह छः राज्यों में बोली जाती है तथा दुनिया के अनेक देशों में तेलुगू बोली जाती है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : सहयोग के लिए धन्यवाद। सभा में आज अन्य महत्वपूर्ण कार्य भी हैं। अध्यक्षपीठ से सहयोग के लिए आपका धन्यवाद।

डा. एम. जगन्नाथ : तेलुगू भाषा एक प्राचीन तथा प्रतिष्ठित भाषा है। अनेक तेलुगू भाषी लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दिया। राष्ट्रीय ध्वज को भी एक तेलुगू भाषी श्री पिंगाली वैंकईया ने डिज़ाइन किया था...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हम भाषाओं के इतिहास पर चर्चा नहीं कर रहे हैं हम सभी की मातृभाषा का समर्थन करते हैं यही आज का मुख्य मुद्दा है। हम अपनी मातृभाषा का सम्मान करते हैं हम दूसरी मातृभाषाओं का सम्मान करते हैं। यही आज का मुद्दा है।

...(व्यवधान)

डा. एम. जगन्नाथ : अध्यक्ष महोदय, काफी लम्बे समय से तेलुगू भाषा का कोई भाष्यांतरकार नहीं है...*(व्यवधान)* यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया आक्षेप न लगाएं बहुत जल्द तेलुगू के भाष्यांतरकार की व्यवस्था कर दी जाएगी।

डा. एम. जगन्नाथ : श्री एन. टी. रामाराव ने कार्यालयों में तेलुगू भाषा का अनुवाद आरम्भ करवाया। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि वह तेलुगू भाषा को प्राचीन तथा प्रतिष्ठित भाषा माने; तेलुगू भाषा को प्राचीन तथा प्रतिष्ठित भाषा का दर्जा दिया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकंठा) : *

मैं ट्राई कर रहा हूं कि यहां गुजराती इंटरप्रिटर हो।

अध्यक्ष महोदय : आ जाएगा।

श्री मधुसूदन मिस्त्री : * गुजराती इंटरप्रिटर है, लेकिन उसे रिक्रूट नहीं किया जा रहा है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जब गुजरात और महाराष्ट्र एक वृहद राज्य था, तब गुजराती भाषा के लिए, अलग से गुजरात राज्य के लिए एक मूवमेंट चला था और फिर गुजरात राज्य बनाया गया।

जहां–जहां गुजराती हैं, पूरी दुनिया में, वहां हमेशा गुजरात रहा है। मैं फिर कहना चाहता हूं,

अध्यक्ष महोदय : इंटरप्रिटर रहेगा।

श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर (वडोदरा) : अध्यक्ष महोदय, मुझे चार लाइनें गुजराती में बोलने दें, बाद में तुरंत मैं उनका ट्रांसलेशन भी कर दूंगी।

अध्यक्ष महोदय : फिर तो डुप्लीकेट हो जाएगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब मैं और किसी को चांस नहीं दूंगा।

श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर : *

[हिन्दी]

आज मातृभाषा दिवस पर प्राण अर्पण करने वाले सभी मातृभाषा प्रेमियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, गुजरात प्रदेश की ओर से आज मुझे देश के सर्वोच्च सदन में मेरी मातृभाषा गुजराती में मेरी भावनाओं को व्यक्त करने का समय मिला, इसके लिए मैं आपको बहुत–बहुत धन्यवाद देती हूं। जन्म देने वाली जन्म–माता, मातृभूमि और मातृभाषा हर एक व्यक्ति को प्राणों से प्यारी होती है। जय–जय गर्वी गुजरात, जय–जय गर्वी भाषा गुजराती।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब मैं उस सदस्य को आमंत्रित करूंगा जिसकी मातृभाषा में अभी तक नहीं बोला गया है।

श्री सुरेश प्रभु कृपया कोंकणी में बोलें। कृपया संक्षेप में अपनी बात कहें दो वाक्य कोंकणी में और फिर दो वाक्य अंग्रेजी में।

****श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु** (राजापुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मराठी में बोल रहा हूं...*(व्यवधान)*

*माननीय सदस्य गुजराती में बोले परन्तु अपने भाषणों का अंग्रेजी अथवा हिन्दी अनुवाद उपलब्ध नहीं कराया।

**मूलतः मराठी में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप मराठी में बोल रहे हैं?

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु : महोदय, मराठी तथा कोंकणी भाषा एक दूसरे से संबद्ध हैं।

महोदय, हमारे देश में अनेक समस्याएं हैं और इसका कारण है कि कोई भी व्यक्ति अपने विचार अपनी मातृभाषा में व्यक्त नहीं करता। इस कारणवश जो हमारे मन में होता है उसे व्यक्त नहीं कर पाते हैं। हम जो कहना चाहते हैं वह लोगों तक नहीं पहुंचता है। इसी कारण से हमारे देश में समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया है। इसलिए यदि हम अपने विचारों को अपनी मातृभाषा में व्यक्त करते हैं तो चीन जैसे देशों जैसी उन्नति कर सकते हैं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपने पूरा मराठी में बोल दिया है।

[अनुवाद]

अब श्री गिरधारी लाल भार्गव बोलेंगे।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, आपने आज्ञा दी है कि हिन्दी में बोला जाए या अंग्रेजी में बोला जाए, मैं हिन्दी में बोल रहा हूं और आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाया, इसके लिए मैं आपको बहुत–बहुत धन्यवाद दे रहा हूं। मैं धन्यवाद इसलिए दे रहा हूं कि यहां पर और भी कई विषय उठाए जाते हैं, जिससे कुछ लोगों में गरमी आ जाती है, लेकिन आज आप बहुत मधुर भाषा में बोल रहे थे, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आपने जो विषय उठाया है, वह बहुत महत्वपूर्ण है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। राजस्थान हिन्दुस्तान का बहुत बड़ा प्रदेश है। इतना बड़ा कोई दूसरा प्रदेश नहीं है। उस प्रदेश की भी भाषा राजस्थानी भाषा है। राजस्थान में सपूत महाराणा प्रताप पैदा हुए, जो पूरे देश में वीरता के लिए जाने जाते हैं। शिरोमणि मीरा का भक्ति संगीत पूरे हिन्दुस्तान में गाया जाता है। मीरा, भामाशाह राजस्थान में ही पैदा हुए। इस प्रकार से राजस्थान की धरती भक्त शिरोमणि मीरा की भूमि है। राजस्थान में कुर्बानी देने वालों की मांग है कि राजस्थानी भाषा को भी अष्टम सूची में माननीय गृह मंत्री जी मान्यता प्रदान करें। ऐसी मेरी प्रार्थना है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थानी भाषा को मान्यता मिलना जरूरी है। राजस्थान एक बहुत बड़ा प्रदेश है। जनसंख्या की बात छोड़िए, वहां पहाड़ हैं, नदी है, रेगिस्तानी प्रदेश है, उनकी भाषा को भी मान्यता मिलनी चाहिए। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत–बहुत धन्यवाद देता हूं।

श्री दुष्यंत सिंह (झालावाड़) : महोदय, मैं भी अपने को माननीय सदस्य श्री गिरधारी लाल भार्गव के साथ एसोसिएट करता हूं।

श्री राज बब्बर (आगरा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बृजभाषा में बोलने का मौका दिया। यह भाषा साहित्यिक भाषा है। यह एक ऐसी भाषा है जिसकी भूमि से बड़े–बड़े साहित्य लिखे गए। यही भूमि है जहां से उर्दू ने अपना जन्म लिया। जब तुर्क यहां आए, तो उन्होंने ऐसे भाषा तैयार करायी, जिसे आज हिन्दुस्तानी कहते हैं। बृजभाषा में बड़े–बड़े साहित्य लिखे गए। मुझे खुशी इस बात की है कि मेरी अम्मा जो भाषा बोलती थी, जिसमें मैं पैदा हुआ, उस भाषा में मैं अपना ज्ञान न लयो, वा में पैदा भयो, लेकिन जिस भाषा से मैंने ज्ञान लिया, उस भाषा की पंक्तियां मेरी अम्मा की जबान पर रहीं। गुरु ग्रंथ साहब में हमारी वाणी में, मेरी अम्मा की बात गूंजत रही। उन्होंने कहा, "ज्यों–त्यों प्रेम खिलन को चाहा, सिर धर तली गली मरियाव, एक मार्ग पै धरीजै, सर दीजै कान न कीजै।" मैं इस भाषा के सामने नत–मस्तक हूं और उन तमाम शहीदों को जिन्होंने अपनी–अपनी भाषा के लिए संघर्ष किया, मैं उनके सामने नत–मस्तक हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं सभी माननीय सदस्यों का बहुत आभारी हूं।

सभा में व्यक्त की गयी भावनाएं अद्वितीय हैं। इससे यह प्रदर्शित होता है कि भारत एक है। भारत एक है और संगठित है यद्यपि हम विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, विभिन्न भाषाएं बोलते हैं परन्तु अपनी परम्पराओं, अपनी महान विरासत को बरकरार रखते हुए और भाषाओं का सम्मान करते हैं, हम सभी एक हैं। यह एक अच्छी सीख हमने अपने देश तथा दुनिया के लोगों को दी है। सभी इस बात को मानते हैं।

श्री अधीर चौधरी : कृपया मुझे एक अवसर दिया जाए।

[हिन्दी]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित) : मैं आदिवासियों की भाषा में बोलना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आदिवासी भाषा का कोई इंटरप्रेटर नहीं है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री अधीर चौधरी बंगाली में, श्री रविन्दर नाइक धारावत तेलुगू में, श्री अरुण कुमार वुन्डावल्ली तेलुगू में, श्री राम कृपाल यादव मगही में, श्री सुनील खां बंगाली में और श्री करुणाकरण भी मलयालम में अपने आपको इस विषय से सम्बद्ध करें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रत्येक सदस्य जो अपने को इस विषय से सम्बद्ध करना चाहता है उसका नाम कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित किया जाएगा। श्री विक्रम केशरी देव जो उड़िया में बोले को भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (अंशारपुर) : इसमें मैथिली भाषा को भी इन्क्लूड किया जाए।

अध्यक्ष महोदय : मैथिली भी रिकार्ड हो गई।

[अनुवाद]

मैथिली भाषा को भी सम्मिलित किया जाएगा। गुजराती को सम्मिलित किया गया है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब हम माहौल खराब कर रहे हैं। मुझे खेद है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आदिवासी को भी सम्मिलित किया गया है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आदिवासी भाषा बहुत ही लोकप्रिय भाषा है। हम आदिवासी भाषा का सम्मान करेंगे। इसे भी सम्मिलित कर लिया गया है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राजनरायन बुधौलिया (हमीरपुर उ.प्र.) : बुंदेलखंडी को भी इनक्लूड किया जाए।

अध्यक्ष महोदय : वह भी आ जाएगी।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे सहयोग के लिए आग्रह करता हूं। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से सहयोग किया है। इससे देश के लोगों में एक सकारात्मक संदेश जाएगा और वे भारतीय संसद के प्रति गौरवान्वित महसूस करेंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृतान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री हरिभाऊ राठौड़ (यवतमाल) : बंजारा भाषा को भी रिकॉर्ड में लिया जाए।

अध्यक्ष महोदय : बंजारा भी रिकार्ड में आ गई।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : बंजारा भाषा को भी सम्मिलित कर लिया गया है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : श्री सुरेश प्रभु ने कोंकणी भाषा बोली है।

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अपराह्न 1.32 बजे

(दो) दिल्ली में बड़े पैमाने पर चल रही तोड़फोड़ की कार्यवाही से उत्पन्न स्थिति के बारे में

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों 15–20 आदेश दिए और ट्रायल करके प्रति दूसरे–तीसरे दिन आदेश आ रहा है कि दिल्ली में 10 लाख मकानों और 4 लाख दुकानों को तोड़ा जाए। इसके कारण प्रभावित लोगों के सामने बुलडोजर और हथौड़ा मंडरा रहा है। पहले ऑर्डर आया कि 18 हजार मकान जो बाद में बने, उन सबको तोड़ दिया जाए। दूसरा ऑर्डर यह आया कि सभी जितने गांव हैं और वहां जो कन्स्ट्रक्शन हुआ है, जो आम बाई–लॉज में नहीं आते, उन सबको तोड़ दिया जाए। तीसरा आदेश आया कि यमुना के आसपास जितनी कॉलोनियां बसी हैं, उन सबको तोड़ा जाएगा क्योंकि उसके कारण यमुना मैली होती है। चौथा ऑर्डर यह आया कि 80 फुट से ऊपर की सड़कें और दूसरी जगह घरों में बनी दुकानें चाहे छोटी सी कैमिस्ट या दूसरी कोई दुकान हो, उसे भी तोड़ दिया जाए। लगातार ऐसे ऑर्डर हर दूसरे दिन आ रहे हैं। कोई कोर्ट में जाता है और ऐसे ऑर्डर आ जाते हैं। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इतनी जिम्मेदार नहीं है। बात यह है कि जब तक इसके बारे में नियम नहीं बनेंगे और फैसला नहीं होगा, तब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा। 10 लाख मकानों और चार लाख दुकानों को कोई नादिरशाह या कोई बड़ा शासक आकर भी नहीं तोड़ सकता। सारी दिल्ली को तोड़कर दूसरी जगह राजधानी नहीं बन सकती है। दिल्ली में बाहर के प्रदेशों से लोग आए और उन्होंने आकर बस्तियां बसाईं, उन बस्तियों को तोड़ने का खतरा भी पैदा हो गया है। यहां 1400 अनऑथोराइज्ड कॉलोनियां हैं जिनमें 20 लाख लोग रहते हैं, उन सबको तोड़ने का भी ऑर्डर है। पिछले दो–तीन महीने से यह चल रहा है। हमें समझ में नहीं आता है कि सरकार इसमें क्या कार्रवाई करने जा रही है? यह मामला दिल्ली सरकार का नहीं है और न ही यह मामला कारपोरेशन का है। हाई कोर्ट ने कहा है सिर्फ केन्द्रीय सरकार मास्टर प्लान अमेंड कर सकती है, केवल केन्द्रीय सरकार कोई कानून बना सकती है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट बार–बार कहता है कि कानून बनाइए, नियम बनाइए और अगर कानून के खिलाफ कोई काम हुआ है तो उसे तोड़ दिया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय, दुकानें तोड़ी जा रही हैं। लोग सारी रात जागते हैं, वे सहमे हुए हैं, उन्हें रात को भी बुल्डोजर आते हुए दिखाई देते हैं। मैं उन इलाकों में गया था, वहां महिलाएं रात को सो नहीं पाती हैं, वे कहती हैं कि कल हमारी बारी आने वाली है, ये मकान गिरा दिए जाएंगे, ये दुकानें सील कर दी जाएंगी। अब संसद सत्र चल रहा है और संसद के बाहर बयान दिए जा रहे हैं जिनमें कभी कहा जाता है कि कमेटी बना दी गई है, जो तीन महीने में रिपोर्ट देगी। कभी यह कहा जाता है कि एक और कमेटी बनाई गई है जो लाल डोरा के बारे में रिपोर्ट देगी।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हम राज्य सरकार के विषयों का उल्लेख नहीं कर सकते।

...(व्यवधान)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : यह राज्य का विषय नहीं है, यह केन्द्र का विषय है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

वहां ऑर्डर दिए जा रहे हैं। इस तरह से तीन महीने के अंदर दिल्ली बर्बाद हो जाएगी। आपकी रिपोर्ट जब तक आएगी तब तक सब चीजें टूट जाएंगी। उन्होंने चालीस दिन का समय दिया है।... *(व्यवधान)* मैं वही कह रहा हूं कि अगर गवर्नमेंट नियम बदल दे और कानून बना दे तो मास्टर प्लॉन...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह सच है प्रो. मल्होत्रा, ऐसे विषय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन हैं?

...(व्यवधान)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : न्यायालय ने केवल इतना कहा है कि नियमों को बदलो और कानूनों को बदलो...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

आप रूल्स बदलें और लॉ चेंज कीजिए, वे यह कर सकते थे परन्तु यहां जब संसद सत्र चल रहा है अब तक क्यों एक भी कार्रवाई नहीं की गई है? मिनिस्टर ने आकर एक भी बयान नहीं दिया कि इसका क्या रास्ता है और इसे कैसे ठीक किया जाएगा। लॉ मिनिस्टर यहां बैठे हैं, होम मिनिस्टर यहां हैं। क्या दिल्ली को इस तरह से बर्बाद होने दिया जाएगा? मैं कहना चाहता हूं कि पहले

श्री चिदंबरम जी एक एमनेस्टी स्कीम लेकर आए थे। उस स्कीम में एक लॉ बनाया गया था जिसमें कहा गया था कि सारी ब्लैक मनी को इन-इन शर्तों पर रैगुरलाइज कर देंगे। आप ऐसी एमनेस्टी स्कीम क्यों नहीं लाते हैं जिससे दिल्ली में मेजर अनऑथोराइज्ड कन्स्ट्रक्शन को छोड़कर सारी मेजर एन्क्रोचमेंट को हटा करके बाकी सब जो पहले से बने हुए हैं उन्हें रैगुरलाइज कर दिया जाए। गवर्नमेंट इसके लिए एमनेस्टी स्कीम ला सकती है। अगर इसे नहीं लाएंगे तो दिल्ली में इतनी तोड़फोड़ होगी, ऐसा हाहाकार मचेगा और इतना बुरा हाल हो जाएगा जिसके लिए आप जिम्मेदार होंगे। मुझे आश्चर्य है कि अभी तक, इतने दिनों में किसी भी मिनिस्टर ने यहां आकर स्टेटमेंट नहीं दिया और किसी ने आकर नहीं बताया कि क्या करेंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे नहीं मालूम कि यह राज्य का विषय है अथवा नहीं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, यह मामला ऐसा नहीं है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। श्री राम गोपाल यादव।

...(व्यवधान)

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : लाखों झुग्गी-झोंपड़ियों को उजाड़ दिया गया है। जो गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं वे सड़कों पर आ गए हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह क्या हो रहा है?

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : उन्हें बड़ी परेशानी हो रही है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए।

...(व्यवधान)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : यह काम नहीं किया गया है। इसके लिए डॉयरेक्शन दीजिए। कल शहरी विकास मंत्री सदन में आकर बताएं, अगर वे नहीं हैं तो लॉ मिनिस्टर आकर बताएं कि क्या किया जा सकता है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वरिष्ठ मंत्री यहां उपस्थित हैं। मुझे दिशा-निर्देश देने की आवश्यकता नहीं है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप क्या चाहते हैं? क्या इस पर वाद-विवाद किया जाए?

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : यहां होम मिनिस्टर बैठे हैं। इसके लिए सदन को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए और बताना चाहिए कि क्या करना चाहते हैं और क्या नहीं करना चाहते हैं।...*(व्यवधान)*

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, यहां पूर्वांचल से लोग आए हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से और बिहार से पूर्वांचल के तीस लाख लोग दिल्ली में हैं। बड़े पैमाने पर झुग्गी-झोंपड़ियों को उजाड़ा गया है। विगत चार सालों में कितने लोगों को बेरोजगार बनाया गया है। जो लोग हैंड टू माउथ थे, जिनके पास खाने के लिए दो समय का अनाज नहीं है, जो गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग हैं, जो समाज के अंतिम आदमी हैं, जो रोजी-रोटी के लिए मरते फिरते हैं, ऐसे लोगों को उजाड़ा गया है, लेकिन यह सवाल सदन में नहीं उठा। मैं आज कहना चाहता हूं कि जितनी अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज हैं, उन्हें ऑथोराइज्ड किया जाए। इसके साथ झुग्गी-झोंपड़ियों के उजड़े हुए जो लोग हैं, उन्हें बसाया जाए। सरकार ने झुग्गी-झोंपड़ी वाले लोगों को उजाड़ दिया है। हमारी मांग है कि उन्हें फिर से बसाया जाए। झुग्गी-झोंपड़ी वाले लोगों से बड़े लोग काम लेते हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर सामान्य चर्चा की अनुमति नहीं दे सकता।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : ये लोग बिजली का, तारों का तथा सफाई से लेकर छोटे–मोटे सारे काम करते हैं। मल्टी स्टोरीज वाले इन छोटे लोगों से काम लेते हैं। इन लोगों को यहीं बसाया जाए।... *(व्यवधान)* दिल्ली की चमक इन झुग्गी–झोंपड़ी वाले लोगों के बल पर ही है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं अब और अनुमति नहीं दूंगा मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता।

[हिन्दी]

हम किसी को इजाजत नहीं देंगे।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब मैं इसकी और अनुमति नहीं दूंगा। नहीं, कृपया आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : एक महत्वपूर्ण विषय उठाया जा रहा है। बिना किसी नियम, प्रक्रिया तथा बिना किसी नोटिस के आप एक आम चर्चा करना चाहते हैं। मैं इस सभा को कैसे संचालित कर सकता हूं?

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : सर, मंत्री जी यहां बैठे हैं, आप उन्हें निर्देश दें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें बाध्य नहीं कर सकता। आप यह जानते हैं। मुझे नहीं पता वे वक्तव्य देना चाहते हैं अथवा नहीं। मैं नहीं चाहता कि मंत्री महोदय को उत्तर के लिए बाध्य करूं। इससे अन्य माननीय सदस्यों को प्रोत्साहन मिलेगा और वे वक्तव्य के लिए मंत्री जी को बाध्य करेंगे।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : हम पिछले एक महीने से नोटिस दे रहे हैं।...*(व्यवधान)*

गृह मंत्री (श्री शिवराज वि. पाटील) : महोदय, हमें इस बात पर विचार करना होगा कि इस प्रकार के मामलों पर सभा में कैसे विचार किया जा सकता है। यह देखा जाना चाहिए कि क्या यह न्यायाधीन विषय है अथवा सभा में इस पर चर्चा हो सकती है या नहीं।

अध्यक्ष महोदय : पिछली बार उन्होंने यह कहा था कि यह केन्द्र सरकार का विषय है।

श्री शिवराज वि. पाटील : यह एक बात है, दूसरा क्या यथोचित नोटिस दिया गया है उसके पश्चात् ही कोई उत्तर दे सकता है। इस समय इस प्रकार के विषय पर यदि वक्तव्य देने के लिए कहा जाए तो यह उचित नहीं होगा...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह बिल्कुल ठीक है। मैंने भी ऐसा ही कहा था।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपने अपनी टिप्पणी की है।

अपराह्न 1.40 बजे

(तीन) जर्मनी में हिन्दू देवी-देवताओं के अपमानजनक चित्रण और डेनमार्क में 'पैगम्बर हजरत मोहम्मद' के कार्टूनों के प्रकाशन में बारे में

[हिन्दी]

प्रो. राम गोपाल यादव (सम्भल) : अध्यक्ष महोदय, आपने शून्यकाल में मुझे एक ऐसे मसले को उठाने की इजाजत दी है जो इस देश के करोड़ों लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। कुछ ऐसा हो गया है कि पिछले दिनों में पश्चिमी देशों में चाहे हमारे हिन्दुस्तान के देवी–देवताओं का मामला हो, चाहे डेनमार्क में हजरत मोहम्मद साहब के कार्टून बनाने का मामला हो। जर्मनी की एक कंपनी इस्निफ टिश्यु पेपर प्रोडक्ट ने भगवान राम और कृष्ण की प्रतिमाओं को टिश्यु पेपर पर छापकर उसे मार्केट में लाने का काम किया है। इससे बड़े पैमाने पर लोग दुखी और क्षुब्ध हैं। मैं सरकार से मांग करता हूं कि वह डेनमार्क और जर्मनी के राजदूत को बुलाए

और देश के लोगों की भावनाओं की कद्र करते हुए उनके साथ अपना प्रतिरोध जाहिर कीजिए। वहां की सरकारों से कहे कि वह इस तरह की सारी प्रोडक्ट्स को विदड्रा करें और वे लोग अनकंडीशनल अपोलोजी टेन्डर करें, जिन लोगों की भावनाएं इन कर्मों से आहत हुई हैं।

[अनुवाद]

श्री अजय चक्रवर्ती (बसीरहाट) : हम आपसे सहमत हैं... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री शफीकुर्रहमान बर्क (मुरादाबाद) : सर, मैं भी बोलना चाहता हूं। यह बहुत इम्पॉर्टेन्ट मामला है।

अध्यक्ष महोदय : आपका नाम एसोसिएट कर दिया है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जो भी नाम देना चाहें, वे स्लिप भेज दें। आपका नाम एसोसिएट कर दिया है।

श्री रघुनाथ झा (बेतिया) : मैं इस विषय के साथ एसोसिएट करता हूं।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : मैं यादव साहब द्वारा उठाए गए मुद्दे से अपने आपको सम्बद्ध करता हूं।

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : मैं भी इससे अपने आपको सम्बद्ध करता हूं।

श्री सन्दीप दीक्षित (पूर्वी दिल्ली) : सर, मैं भी इससे अपने आपको सम्बद्ध करता हूं।

श्री शैलेन्द्र कुमार (घाटल) : मैं इससे अपने आपको एसोसिएट करता हूं।

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकंठा) : सर, मैं भी इससे अपने आपको एसोसिएट करता हूं।

मोहम्मद शाहिद (मेरठ) : सर, ये करोड़ों लोगों की भावनाओं का मामला है।

अध्यक्ष महोदय : आपका नोटिस नहीं है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपने नोटिस टाइम पर नहीं दिया। लेकिन फिर भी आपका नाम एसोसिएट हो जाएगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपने नोटिस नहीं दिया, आप बैठिए।

मोहम्मद शाहिद : मेरा नोटिस है।

अध्यक्ष महोदय : आपने नोटिस टाइम पर नहीं दिया।

मोहम्मद शाहिद : मुझे इस पर बोलना है।

अध्यक्ष महोदय : आपने समय पर नोटिस देने का कष्ट नहीं किया।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हमने बोला है कि आपका नाम रिकार्ड कर दिया है।

मोहम्मद शाहिद : पूरी दुनिया में हाहाकार मच रहा है और आप मुझे टाइम देने के लिए तैयार नहीं हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री जी, क्या आप अभी उत्तर देना चाहते हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

मोहम्मद शाहिद : मैं आपसे सिर्फ दो मिनट मांग रहा हूं।... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हम आपको इस तरह से टाइम नहीं देंगे। इस तरीके से टाइम नहीं मांगा जाता है।

मोहम्मद शाहिद : यह हमारे लोगों के जज्बात से जुड़ा हुआ प्रश्न है, चाहें आप मुझे बाहर निकाल दें, मेरी सदस्यता समाप्त कर दें। यहां पर एक माननीय सदस्य की भावना को दबाना नहीं चाहिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप क्या बोल रहे हैं?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप क्या बोल रहे हैं?

[हिन्दी]

हम आपसे कह रहे हैं कि इस बारे में हमारा जो सिस्टम है, उसी प्रोसीजर को हम फॉलो कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस बारे में हमारे प्रोसीजर का एक सिस्टम है जिसे हम फौलो करेंगे।

मोहम्मद शाहिद : मैंने भी इस बाबत नोटिस दिया हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : ऐसे लाल आंख दिखाने से काम नहीं चलेगा।

मोहम्मद शाहिद : अध्यक्ष महोदय, मैं रिक्वैस्ट कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप रिक्वैस्ट नहीं कर रहे हैं। आप धमकी देते हैं।

मोहम्मद शाहिद : अध्यक्ष जी, आप हमारे जज्बात समझें।

अध्यक्ष महोदय : आप चेयर को धमकाते हैं।

मोहम्मद शाहिद : सदस्यों के जज्बात को नहीं दबाना चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपको यहां एक सदस्य जैसा व्यवहार करना चाहिए।

[हिन्दी]

मोहम्मद शाहिद : हम करोड़ों लोगों के साथ हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप ही एक ऐसे आदमी नहीं जो करोड़ों के बारे में सोचते हैं, बाकी सब भी सोचते हैं। आप बैठ जाएं। इस तरह का व्यवहार ठीक नहीं है।

डा. शफीकुर्रहमान बर्क : हमें बोलने के लिए मौका दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, आप बोलिए।

डा. शफीकुर्रहमान बर्क : सदरे मोहतरम, हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सलअल्लाह व अलयेह वस्सल्लम, जो मुसलमानों के प्रोफेट हैं, डेनमार्क में उनके कार्टून छापकर...*(व्यवधान)*

ڈاکٹر شفیق الرحمن برق (مراد آباد): صدر محترم، حضرت محمد رسول اللہ ﷺ، جو مسلمانوں کے پیغمبر ہیں، ڈنمارک میں ان کے کارٹون چھاپ کر...(مداخلت)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : भविष्य में इसकी अपेक्षा मत कीजिए।

[हिन्दी]

डा. शफीकुर्रहमान बर्क : उनकी शान में बेइज्जती की गई है। इससे दुनिया के सारे मुसलमान बेहद दुखी और बेचैन हैं। हिन्दुस्तान के अंदर करोड़ों मुसलमानों ने जगह-जगह मुजाहिरे किए हैं। मुसलमान हर बात बर्दाश्त कर सकता है, जान-माल और औलाद कुर्बान कर सकता है लेकिन हजरत मोहम्मद की शान में कोई बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी गवर्नमेंट से मांग है कि इस मामले को सीरियसली ले और इस सदन में डेनमार्क के खिलाफ कंडेमनेशन का, मज्जमत का प्रस्ताव लाए। मेरी यह मांग भी है कि इस पर कार्यवाही की जाए।

ڈاکٹر شفیق الرحمن برق (مراد آباد): ان کی شان میں گستاخی کی گئی ہے۔ اس سے دنیا کے سارے مسلمان بے حد دکھی اور بے چین ہیں۔ ہندوستان کے اندر کروڑوں مسلمانوں نے جگہ جگہ مظاہرے کئے ہیں۔ مسلمان ہر بات برداشت کر سکتا ہے، جان مال اور اولاد قربان کر سکتا ہے لیکن حضرت محمد ﷺ کی شان میں کوئی گستاخی برداشت نہیں کر سکتا۔ میری حکومت سے مانگ ہے کہ اس معاملے کو سنجیدگی سے لے اور اس ایوان میں ڈنمارک کے خلاف کنڈیمنیشن کی، مذمت کی قرارداد لائے۔ میری یہ مانگ ہے کہ اس پر کارروائی کی جائے۔

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप समय से सूचना नहीं देते हैं और अध्यक्षपीठ को आंखें दिखाते हैं। आप इतने अधिक चिन्तित थे कि आपको समय नहीं मिल रहा था लेकिन आप समय से सूचना नहीं देते हैं और भाषण दे रहे हैं।

[हिन्दी]

मोहम्मद शाहिद : अध्यक्ष जी, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया है। मेरे जज्बात हैं। आज देश में करोड़ों लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। 15 करोड़ माइनोरटीज के लोग सदन की प्रजा हैं। उनके जज्बात को इस कदर ठेस पहुंची हुई है कि आपने मुझे बोलने के लिए दो मिनट

दिए, उसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। यह देश की सबसे बड़ी पंचायत है। इस देश के हिन्दू–मुसलमानों ने अपना खून बहाकर कुर्बानी दी है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप रूल बुक फाड़कर फेंक दीजिए। क्या आप जैसा चाहेंगे, वैसा ही बोलने के लिए टाइम मिलेगा?

मोहम्मद शाहिद : यह मैटर पिछले काफी अरसे से चल रहा है लेकिन यू.पी.ए. की चेयर पर्सन श्रीमती सोनिया गांधी की तरफ से शाही इमाम को एक लैटर लिखा गया जिसमें कहा गया कि उन्हें इस बात का खेद है और वे इस दुख में शामिल है। बयान बराबर आ रहे हैं लेकिन अफसोस की बात है कि सरकार की तरफ से अभी तक डेनमार्क के साथ रिश्ता नहीं तोड़ा गया और न यहां किसी प्रकार का कोई एतराज दर्ज किया गया। जैसा श्री राम गोपाल यादव ने कहा है कि जर्मनी के अंदर एक समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई। यह एक साजिश के तहत दुनिया में रहने वाले मुखतलिफ मजहब के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई जा रही है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि सरकार इस मामले में डनेमार्क के अम्बेसेडर को बुलाकर, अपने देश की प्रजा की भावनाओं को जो ठेस पहुंचाई है, उसका विरोध दर्ज किया जाए और डेनमार्क गवर्नमेंट के साथ सारे रिश्ते खत्म कर दिए जाएं नहीं तो डेनमार्क के उस आदमी के खिलाफ, जिसने दुनिया के करोड़ों मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, डेनमार्क की सरकार कार्यवाही करे। आपने समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री शिवराज वि. पाटील : अध्यक्ष जी, यहां जो बातें... *(व्यवधान)*

मोहम्मद शाहिद : अध्यक्ष जी, यदि मेरी तरफ से आपको ठेस पहुंची हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। मेरे भी जज्बात हैं और भी इस सदन का सदस्य हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने यही कहा है कि इस तरह से बात करना ठीक नहीं है। यह हाउस ठीक ढंग से चले, यह हमारा दायित्व है।

श्री शिवराज वि. पाटील : अध्यक्ष जी, डेनमार्क में मोहम्मद पैगम्बर साहब के संबंध में जो कार्टून बनाए जाने की बात कही गई है, उस संबंध में न केवल सदन के बाहर बल्कि सदन के अंदर भी काफी चर्चा की गई है। उस बात के सबने कंडैम किया है। मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारी पार्टी की नेता की तरफ से कंडैम किया गया है, बाहर भी किया गया है और सदन के अंदर भी कंडैम किया गया है। हमारी सरकार की ओर से भी डेनमार्क की सरकार से इस बारे में मालूमात कराकर प्रोटैस्ट करके कंडैम किया गया है। कल राज्य सभा में भी इसकी चर्चा हुई, जिसमें सभी राजनीतिक दलों के सदस्यों ने इसको कंडैम किया। आज भी यहां पर मुझे यही नजर आ रहा है कि सारी पार्टी के नेता और सदन के सदस्य इस बात को पूरी तरह से कंडैम करते हैं। किसी की भावनाओं को चोट लगे ...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : माननीय सदस्य ने जर्मनी में राम और कृष्ण के चित्रों की बात की थी, उस पर आपने कुछ नहीं कहा।...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील : मैं यही कह रहा हूं कि समाज के किसी भी धर्म के किसी भी प्रतिष्ठित व्यक्ति के खिलाफ कोई ऐसी भाषा का उपयोग करे या इस पद्धति से कुछ कहा जाए या दिखाया जाए जिसकी वजह से उस धर्म पर आस्था रखने वाले लोगों के मन को चोट पहुंचे, वह ठीक नहीं है। ऐसे कार्यों को हम सब कंडैम करते हैं। सिर्फ डेनमार्क के लिए नहीं, जहां पर भी कुछ ऐसा हुआ, चाहे इस्लाम धर्म के खिलाफ हो, क्रिश्चियन धर्म के खिलाफ हो, हिन्दू, बौद्ध या जैन धर्म के खिलाफ जो कोई भी ऐसा कुछ करते हैं, उसको हम पूरी तरह से कंडैम करते हैं। सरकार की तरफ से इसको कंडैम किया गया है। सरकार को ज्यों ही मालूम हुआ, उसी समय उसको कंडैम किया गया। उसको शायद उतनी प्रसिद्धि नहीं मिली है, जितनी मिलनी चाहिए थी, मगर सरकार की ओर से ऐसा किया गया है। सभी पक्षों के नेताओं की तरफ से ऐसा किया गया है। इस बात पर सारा सदन एक है, सारी अच्छाइयों से सोचने वाले लोगों के मन एक हैं और इस पर कोई दो राय नहीं हो सकतीं।

हमारी इतनी ही दुआ है और सब लोगों से इतनी ही विनती है कि ऐसे दिल को तोड़ने वाले मामले कुछ गड़बड़ी फैलाने का माहौल पैदा कर सकते हैं। उसको ध्यान में रखते हुए हम सब मिलकर इसको कंडैम करते हैं मगर हमें यह भी देखना चाहिए कि उसका फायदा लेकर यहां पर कोई ऐसी बात न हो जिसकी वजह से और ज्यादा नुकसान हो...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : जो भारतमाता का नग्न चित्र बनाया, दुर्गा का नग्न चित्र बनाया, वह तो एक भारतीय ने ही बनाया। उसके खिलाफ तो कार्रवाई करिए।...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील : मैंने किसी एक धर्म के बारे में नहीं, सबके बारे में कहा है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री एस. एस. ढींडसा द्वारा उठाए गए मामले के सिवाय कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाए।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री सुखदेव सिंह ढींडसा (संगरूर) : स्पीकर साहब, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। जनवरी के पहले हफ्ते में बहुत ज्यादा ठंड पड़ी तो पंजाब में 35,000 से 40,000 हेक्टेयर आलू की फसल बरबाद हो गई।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपका तो दूसरा नोटिस है। पगड़ी पर नोटिस है।

श्री सुखदेव सिंह ढींडसा : पगड़ी वाला नोटिस भी है। पहले पगड़ी वाले मामले पर ही बोल देता हूं। जैसे हमारे माननीय सदस्यों ने एक इश्यू उठाया, उसी प्रकार हमारे लिए भी टर्बन इश्यू बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले सत्र में भी हमने बात उठाई थी और सरकार ने कहा था कि हमने फ्रांस गवर्नमेंट से बात कर ली है और वे कहते हैं कि स्कूलों में पटका अलाउ कर दिया है। लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। यह आश्वासन भी संसदीय कार्य मंत्री की तरफ से दिया गया था। अभी फ्रांस के प्रेजीडेन्ट यहां आए हुए हैं। हमने विदेश मंत्रालय के सचिव को लिखा कि हम शिरोमणि अकाली दल के दस एम.पीज को उनसे मिलने के लिए समय दिलाइए। प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह से मिलकर मैंने, प्रकाश सिंह बादल और शिरोमणि अकाली दल के प्रेजीडेंट ने कहा था कि आप भी यह मामला उठाएं और हमें भी मिलने के लिए समय दें, लेकिन मुझे दुख है कि न हमें मिलने के लिए समय दिलाया गया और न ही प्रधानमंत्री ने इसका कोई जिक्र किया। मैं आडवाणी जी का आभारी हूं कि जिन्होंने कल उनसे मिलने के बाद उनसे कहा कि इस इश्यू को आप सीरियसली लीजिए। मैं सरकार से कहूंगा कि पिछले साल से आज तक इस मामले पर कुछ नहीं हुआ। जैसे हमारे मुस्लिम भाइयों ने अपनी भावनाएं बताईं, हम भी उनके साथ हैं। ऐसी हमारी भावना है। सरकार को दोबारा इसे गंभीरता से लेना चाहिए। इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आज हमें विदेशी प्रतिनिधिमंडल से मिलने की इजाजत नही मिली, हम दस सांसद थे। हम जनता के प्रतिनिधि हैं, हमें मिलने की इजाजत मिलनी चाहिए थी।

अध्यक्ष महोदय : आप इस बारे में मत बोलिए। विदेश से सम्मानित सदस्य आए हैं।

[अनुवाद]

वे किस विदेशी सदस्य से मिलेंगे अथवा किससे नहीं मिलेंगे इस पर चर्चा मत कीजिए।

[हिन्दी]

आपका पहला इश्यू ठीक है।

[अनुवाद]

श्री लक्ष्मण सेठ (तामलुक) : महोदय, आवश्यक वस्तुओं के मूल्य तेजी से बढ़ रहे हैं। चीनी, प्याज, आलू, विभिन्न सब्जियों और दालों के मूल्यों में वृद्धि होने से हमारे देश के लोगों को विशेषकर मजदूरी करने वालों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मजदूरी से जीवन यापन करने वालों के वेतन तो बढ़ नहीं रहे हैं लेकिन आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में निरन्तर बढ़ोतरी हो रही है सरकार इस मामले में बिल्कुल मौन है।

मैं यहां उपस्थित माननीय गृह मंत्री से और कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री जी से भी अनुरोध करूंगा कि वे उपयुक्त कदम उठाएं ताकि गरीबों को सस्ते मूल्य पर आवश्यक वस्तुएं मिल सकें। अन्यथा उन्हें काफी कठिनाई होगी। इसीलिए मैं आपका हस्तक्षेप चाहता हूं ताकि आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों पर रोक लगाई जा सके उन्हें बढ़ने से रोका जा सके। उपयुक्त कदम उठाए जाएं ताकि गरीबों को सस्ते मूल्यों पर आवश्यक वस्तुएं मिल सकें। अन्यथा मजदूरी करने वालों को काफी कठिनाई होगी। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण मामला है मैं इस संबंध में आपका हस्तक्षेप और निदेश चाहता हूं।

श्रीमती सी. एस. सुजाता (मवेलीकारा) : महोदय, विभागीयकरण के प्रथम चरण में, केरल राज्य में भारतीय खाद्य निगम ने विभिन्न एफसीआई डिपुओं के सभी कर्मकारों के लिए 1.5.1996 से ठेका भुगतान प्रणाली आरम्भ की थी। तथापि तीन डिपुओं नामतः मवेलीकारा, पश्चिमी कालीकट और चालकुडी को डीपीएस के कार्यान्वयन से अलग रखा है। इनको अलग रखने का कारण यह बताया गया है कि इन तीन डिपुओं के नाम मूल अधिसूचना में नहीं बताए गए थे जबकि श्रम मंत्रालय के वर्ष 2001 में अधिसूचना में आवश्यक संशोधन करने और 16.7.2002 को न्यायालय का निर्णय देने के पश्चात् भी एफसीआई ने इन तीनों डिपुओं में डीपीएस को

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

कार्यान्वित करने को नजरअंदाज किया। यहां यह बताना भी उपयुक्त होगा कि माननीय सदस्य लोनाप्पन नम्बाउन द्वारा नियम 377 के अधीन उठाए गए मामले का जवाब देते हुए सार्वजनिक वितरण विभाग के माननीय मंत्री ने कहा था कि नए अधिसूचित तीन डिपुओं में डीपीएस को कार्यान्वित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। कर्मकार एफसीआई प्राधिकारियों के उदासीन और कर्मकार विरोधी रवैये से परेशान है। एफसीआई प्राधिकारी डीपीएस को कार्यान्वित करने के इच्छुक नजर नहीं आते हैं और वे कर्मकारों के डीपीएस को लागू करने से पूर्व विद्यमान ठेका दरों के अनुसार काम करने को बाध्य कर रहे हैं।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह सक्षम प्राधिकारियों को नये अधिसूचित डिपुओं में डीपीएस को लागू करने के लिए और एफसीआई डिपुओं में कर्मकारों को नियमित करने के लिए तुरन्त कदम उठाने के लिए निदेश दें।

अपराह्न 1.58 बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रख दिया जाए।

(एक) जम्मू और कश्मीर के उधमपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में हाल ही में आए भूकंप से प्रभावित लोगों को राहत उपलब्ध कराने के लिए और धनराशि जारी किए जाने की आवश्यकता

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर) : महोदय, हाल ही में जम्मू और कश्मीर में भयंकर भूकम्प आया जिससे लाखों लोग बेघर हो गए। इस प्राकृतिक आपदा के कारण इस क्षेत्र में हजारों लोग मारे गए। महोदय, मैं इस क्षेत्र के लोगों को राहत प्रदान करने और उनका पुनर्वास करने के लिए धन प्रदान करने के लिए समय से कदम उठाने के लिए केन्द्र सरकार को धन्यवाद देता हूं। तथापि मैं इस सदन का ध्यान अपने निर्वाचन क्षेत्र उधमपुर के लोगों की कठिनाइयों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। उन्हें अभी तक कोई राहत नहीं दी गई है और वे पूरी सर्दियों के दौरान और भारी हिमपात के दौरान भी आश्रयविहीन (आश्रयस्थल रहित) रहे। उनकी कठिनाइयों का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता है। सरकार उनके परिवार में हुई मौतों की भरपाई नहीं कर सकती है। हालांकि राहत और पुनर्वास कार्य में विलम्ब करना उनके साथ अन्याय करने जैसा है। मुझे पता है कि सरकार द्वारा 600 करोड़ रुपये की घोषणा करने के बावजूद मात्र 300 करोड़ रुपये की राशि ही रिलीज की गई है।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जाए और मेरे निर्वाचन क्षेत्र उधमपुर में राहत और पुनर्वास कार्य को त्वरित करने के लिए संबद्ध प्राधिकरणों को निदेश दिए जाएं।

(दो) उत्तर प्रदेश के मथुरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में ग्रामीण विद्युतीकरण को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

कुंवर मानवेन्द्र सिंह (मथुरा) : माननीय प्रधानमंत्री द्वारा घोषित राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना उत्तर प्रदेश में बहुत धीमी गति से चल रही है। इस योजना को प्रभावी होने के बाद के करीब 6 महीनों में महज 1911 गांवों का ही विद्युतीकरण किया जा सका है, जबकि मथुरा संसदीय क्षेत्र में इस योजना के अंतर्गत अभी तक कोई काम शुरू नहीं किया गया है। यह स्थिति तब है जबकि इस कार्य में से उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन व पावरग्रिड कारपोरेशन के अलावा निजी क्षेत्र की करीब एक दर्जन कम्पनियां लगी हुई हैं, फिर भी इस ग्रामीण विद्युतीकरण का काम कछुआ चाल से चल रहा है।

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश में मथुरा के अधिक से अधिक ग्रामीण क्षेत्रों को इस योजना के अंतर्गत सम्मिलित कर अतिशीघ्र विद्युतीकरण करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार को यथाशीघ्र निर्देश जारी करने की कृपा करें।

(तीन) कर्नाटक की लंबित पर्यटन संबंधी परियोजनाओं को निपटाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री इकबाल अहमद सरडगी (गुलबर्गा) : कर्नाटक राज्य सरकार ने भारत सरकार (पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय) को निम्नलिखित चार प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं :

1. कर्नाटक में चिकमंलूर स्थित चिकमंलूर गोल्फ क्लब का उन्नयन करना
2. कर्नाटक में होटल मयूर भुवनेश्वरी, हम्पी कमलापुर का विकास और उन्नयन करना

*सभा पटल पर रखे गए।

3. बंगलौर के निकट पर्यावरण अनुकूल नेशनल पार्क की ऊंचाई को बढ़ाने के लिए केन्द्रीय सहायता देना

4. लिंगनभक्की के निकट अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के उद्यान का विकास करना जिसकी अनुमानित लगात 820 लाख रु. है।

मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि उपरोक्त प्रस्तावों को शीघ्र मंजूरी प्रदान करे।

(चार) हरियाणा में पाला पड़ने के कारण किसानों को हुई हानि का आकलन किए जाने और प्रभावित लोगों को पर्याप्त राहत निधियां जारी किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री कुलदीप बिश्नोई (भिवानी) : अध्यक्ष महोदय, पिछले पचास सालों में इस साल सबसे अधिक पाला पड़ा है, जिसके कारण हरियाणा में सरसों, गेहूं तथा सब्जियों की फसल पूरी तरह बरबाद हो गयी है। किसानों ने रबी की फसल की बुवाई हेतु बीज तथा खाद के लिए बाजार से कर्ज लिया था। अब फसल बरबाद हो जाने के कारण वह कर्जे में दब गए हैं तथा उसका भुगतान नहीं कर पाएंगे। किसान तबाह हो गया है। कुछ किसान तो फसल बरबाद हो जाने तथा कर्जे से दब जाने के कारण खुदकुशी करने पर आमादा हो गए हैं। अभी तक हरियाणा सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया है।

अतः इस सम्मानीय सदन के माध्यम से मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह विशेषकर हरियाणा में रबी की फसल को हुए नुकसान का विशेष गिरदावरी के राहत तुरंत सर्वेक्षण करवाए तथा सभी किसानों को सब्जी की फसल के नुकसान के लिए 20,000 रुपए प्रति एकड़ तथा सरसों तथा गेहूं की फसल के लिए कम से कम 10,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा शीघ्रातिशीघ्र देने के लिए तुरंत कदम उठाए ताकि किसानों को बरबादी तथा खुदकुशी से बचाया जा सके।

(पांच) कुरुक्षेत्र, जालंधर और सिल्चर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए पेंशन स्कीम घोषित किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री नवीन जिंदल (कुरुक्षेत्र) : महोदय, देश में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रत्यक्ष नियंत्रण के अधीन 19 राष्ट्रीय प्रौद्योगिकीय संस्थान (एनआईटी) हैं। इनमें से 15 एनआईटी को कर्मचारियों और अधिकारियों को पेंशन स्कीम के अधीन कवर किया गया है। शेष तीन एनआईटी जो कुरुक्षेत्र, जालंधर और सिल्चर में स्थित हैं के कर्मचारियों को पेंशन स्कीम के अधीन कवर न करने के कारणों को मैं समझ नहीं पाया हूं। इन संस्थानों के प्रभाग और कर्मचारियों ने मुझसे भेंट की थी और मुझे बताया गया कि उन्होंने इस मामले को विभिन्न स्तरों पर उठाया है लेकिन अभी तक इस संबंध में कुछ नहीं किया गया है।

मैं मानव संसाधन विकास मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह स्वयं इस मामले की छानबीन करें और कुरुक्षेत्र, जालंधर और सिल्चर स्थित एनआईटी के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए पेंशन स्कीम की घोषणा करें ताकि इस मंत्रालय के अधीन सभी 18 एनआईटी की सेवा शर्तों में एकरूपता लाई जा सके।

(छह) गुजरात के मेहसाना जिले में घटते भू-जल स्तर और क्षेत्र में पेयजल को फ्लोराइड रहित बनाने की दृष्टि से पेयजल कार्यक्रमों की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री जीवाभाई ए. पटेल (मेहसाना) : अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र के मेहसाना जिले में पानी में फ्लोराइड तत्व बहुत मात्रा में है, जिसके कारण यहां के लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। कई लोग इसके कारण विकलांगता के शिकार भी हो चुके हैं। यह फ्लोराइड वाला पानी का जलस्तर भी 1200 से 1500 फुट तक नीचे चला गया है, जिसके कारण लोगों को पेयजल की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पेयजल की जो योजनाएं इस जिले में चल रही हैं उनसे लोगों को विशेष फायदा नहीं हो पा रहा है जिसकी समीक्षा किया जाना अति आवश्यक है।

सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र मेहसाना जिले को फ्लोराइड तत्व के पानी से मुक्त करने हेतु कोई योजना मेहसाना जिले में चलायी जाये और मेहसाना जिले में जल स्तर को ऊपर करने हेतु कदम उठाए जाएं। मेहसाना जिले में पेयजल की समस्या का निराकरण शीघ्र किया जाए, जिससे मेहसाना जिले में लोगों को शुद्ध पेयजल मिल सके।

(सात) उत्तरांचल के अल्मोड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में उपग्रह फोन सेवाएं शुरू किए जाने की आवश्यकता

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' (अल्मोड़ा) : अध्यक्ष महोदय, सन् 2001–2002 में देश के समस्त राजस्व ग्रामों तक दूरभाष सुविधा

[श्री बची सिंह रावत 'बचदा']

पहुंचाने के लिए योजना बनायी गयी थी। इसके अंतर्गत उन स्थानों की पहचान की गई थी, जहां भूमिगत केबल लाइन या वायरलेस इन लोकल लूप (डब्ल्यू.एल.एल.) सेवा द्वारा भी कोई दूरभाष सुविधा नहीं पहुंच सकती।

इस संबंध में सर्वे के आधार पर यह जानकारी आई थी कि सम्पूर्ण उत्तरांचल प्रदेश में लगभग 4000 राजस्व ग्राम ऐसे हैं जहां टेलीफोन की लैंडलाइन सुविधा या डब्ल्यू.एल.एल. सेवा नहीं पहुंच सकती है और इसमें भी अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र के चार जिलों अल्मोड़ा, बागेश्वर व चम्पावत जिले के 1340 राजस्व गांवों तक उपरोक्त सुविधा नहीं पहुंच सकती है।

अतः शासन स्तर पर सन् 2002 में यह निर्णय लिया गया था कि उपरोक्त 1340 राजस्व गांवों में एक–एक सेटेलाइट फोन की फोन सेवा प्रदान की जाए और यह फोन सेवा स्थानीय पी.सी.ओ. के रूप में कार्य करेंगे। इस फोन सेवा के लिए टेंडर भी आमंत्रित किए गए। परन्तु यह सेवा आज तक भी प्रारंभ नहीं हुई है, जिस कारण उपरोक्त 1340 राजस्व ग्रामों की जनता टेलीफोन की सुविधा से वंचित है।

अतः इस सुदूर पर्वतीय क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति व इस क्षेत्र की संवेदनशीलता को देखते हुए उपरोक्त सेटेलाइट फोन सेवा को शीघ्र प्रारंभ करने की कार्यवाही की जाए।

(आठ) 'गोरबोली' भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता

श्री हरिभाऊ राठौड़ (यवतमाल) : अध्यक्ष महोदय, बंजारा समाज पूरे देश में फैला हुआ है जो कि करीबन सात करोड़ के आसपास में है एवं अपनी अलग भाषा बोलता है, जिसे गोरबोली कहते हैं। यह भाषा और भी तीन करोड़ के आसपास दूसरे समाज के लोग भी बोलते हैं, जानते हैं। यह भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। भारतीय संविधान में हर एक भाषा का संवर्धन करने का प्रावधान है। जब यह गोरबोली इतनी बड़ी तादाद में देश में बोली जाती है तो इसे भारतीय संविधान के दायरे में लाया जाए।

इसे भारत की अखंडता, एकता और भाइचारे का रूप मानना चाहिए। इतनी विशालता बंजारा समाज के गोरबोली में दिखायी पड़ती है। मेरी यह मांग है कि भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची के दायरे में गोरबोली को लाना चाहिए। हमने देखा है बहुत छोटी तादाद में बोली जाने वाली और लिखी जाने वाली भाषा को भारतीय संविधान की आठवीं सूची में स्थान मिला है। मेरी सरकार से यह मांग रहेगी कि भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में बंजारा समाज की गोरबोली को स्थान एवं मान्यता देनी चाहिए। क्योंकि भारत के करीबन दस करोड़ लोग बंजारा गोरबोली को समझते हैं।

(नौ) बुन्देलखंड क्षेत्र के विकास के लिए झांसी-कानपुर रेल खंड का दोहरीकरण और विद्युतीकरण किए जाने की आवश्यकता

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन) : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के झांसी कानपुर खंड में सिंगल रेल लाइन है। झांसी से कानपुर की दूरी लगभग 200 कि.मी. है जिसे तय करने में लगभग 5 घंटे लगते हैं। इस खंड का दोहरीकरण एवं विद्युतीकरण होना अति आवश्यक है। मैंने इस संबंध में माननीय रेल मंत्री जी को पत्र के माध्यम से भी अवगत कराया, इस विषय को रेल बजट चर्चा में भी उठाया है, लेकिन अब तक इस मामले पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

मैं केन्द्र सरकार से झांसी–कानपुर रेल मार्ग का दोहरीकरण एवं विद्युतीकरण के लिए विचार करने का अनुरोध करता हूं ताकि बुंदेलखंड जैसा पिछड़ा क्षेत्र विकास की दिशा में अग्रसर हो सके।

(दस) गुजरात में पोरबंदर और राजकोट के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8बी, ईस्ट-वेस्ट कॉरीडोर को छह लेनों वाला बनाए जाने के कार्य को तेज किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

डा. वल्लभभाई कथीरिया (राजकोट) : महोदय, पोरबन्दर और राजकोट के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8बी पूर्व–पश्चिम गलियारा के कार्य को तेजी से लिए जाने की आवश्यकता है।

पोरबन्दर से राजकोट के बीच के पूर्व–पश्चिम गलियारा बनाने का कार्य कुछ एजेंसियों को सौंपा गया है। लेकिन कार्य अत्यन्त धीमी गति से चल रहा है और इसमें कोई विशेष प्रगति नहीं हुई है। अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह राष्ट्रीय राजमार्ग पूर्व–पश्चिम गलियारा को छः लेन का बनाए जाने संबंधी राष्ट्रीय राजमार्ग 8बी कार्य को तेजी से किए जाने के लिए उचित अनुदेश

दे ताकि यात्रियों को सुविधाएं देने के साथ-साथ पर्याप्त राजस्व भी प्राप्त किया जा सके।

(ग्यारह) राजस्थान में लंबित पड़ी परियोजनाओं को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में विद्युत का संकट गहन होता जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा शहर में और गांव में विद्युत कटौती की जा रही है। खेती के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं है। ग्रीष्मकाल प्रारंभ होने को है। लोगों को बिजली की समस्या और भी परेशान करने वाली है। केन्द्र सरकार के सामने राजस्थान की विद्युत की कई योजनाएं लंबित पड़ी हुई हैं। इनका शीघ्र निपटारा किया जाना अत्यंत आवश्यक है। राज्य सरकार प्रयत्नशील है परन्तु केन्द्र सरकार को भी इसकी ओर ध्यान देना आवश्यक है।

मेरी केन्द्रीय सरकार से मांग है कि विद्युत की परियोजनाएं जो राजस्थान से संबंधित हैं उनको शीघ्र पूरा करें जिससे कि विद्युत का संकट पूरा हो सके।

(बारह) पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बाल-वध की कुप्रथा को नियंत्रित किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री सांताश्री चटर्जी (सेरमपुर) : यह गंभीर चिंता का विषय है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में मानव बलि एक प्रथा बन गई है। ऐसी भी खबर आई है कि कुछ आपराधिक तांत्रिक अंधविश्वास और अज्ञानता पर फल-फूल रहे हैं और ऐसे अपराध कर रहे हैं जिनमें मासूम बच्चे उनके शिकार होते हैं। यह खेद का विषय है कि ऐसे सभी मामलों को दर्ज नहीं किया जाता है और उनकी जांच नहीं होती है।

मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले पर उत्तर प्रदेश सरकार के साथ विचार-विमर्श करें जिससे ऐसी असभ्य प्रथाएं रोकी जा सकें।

इसके अतिरिक्त यह हमारा कर्तव्य है कि हम इस अंधविश्वास के विरुद्ध अपनी आवाज उठाएं और इस कुप्रथा के बारे में लोगों को जागरूक करें।

(तेरह) केरल में गहरे समुद्र के फिशिंग ट्रालर्स खरीदने के लिए 'नाबार्ड' रिफाइनेंसिंग स्कीम के अंतर्गत राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए गए बकाया सावधिक लेखा ऋणों को निपटाए जाने की आवश्यकता

डा. के. एस. मनोज (अलेप्पी) : 'नाबार्ड' की पुनर्वित्त योजना के तहत 1990 में राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंकों से गहरे समुद्र में मत्स्यन हेतु नौकाएं खरीदने के लिए आवधिक ऋण दिए गए थे। मेरे राज्य केरल में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए ऐसी नौकाओं के मालिकों को यह सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। उन्हें राष्ट्रीयकृत बैंकों, एसडीएफसी (भारतीय जहाज विकास कोष समिति) आईसीआईसीआई द्वारा वित्त दिया गया था। बाद में समुद्री मत्स्य उद्योग में आई गिरावट के कारण वे नियमित रूप से ऋण की देय राशि नहीं दे पाए जिससे वे बकायादार हो गए। 1997 में मुरारी समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकार द्वारा गहरे समुद्र में मत्स्यन उद्योग की पुनर्स्थापना के लिए एक योजना स्वीकार की गई और लागू की गई। उस योजना के अंतर्गत आवधि ऋण खातों के बकायादारों के लिए एक बार में निपटान का प्रावधान था। इसका प्रावधान का अन्य तटवर्ती राज्यों के गहरे समुद्र में मत्स्यन हेतु नौकाओं के मालिकों द्वारा लाभ उठाया गया। केरल राज्य के ऐसे बकायादारों को इस सुविधा से वंचित किया गया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और त्रावणकोर स्टेट बैंक इस व्यवस्था को लागू नहीं करना चाहते थे। 13 मार्च, 2003 और 3 अप्रैल, 2005 को वित्त (बैंकिंग) मंत्रालय ने सभी शेयर धारकों की एक बैठक बुलाई और बैंकों को इस मामले को निपटाने का निर्देश दिया लेकिन इसका कोई लाभ नहीं हुआ। उच्च न्यायालय ने भी इस मामले को निपटाने का आदेश दिया है। अतः वित्त मंत्री महोदय इस मामले में शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही करें ताकि ऋण को एक बार में निपटान की व्यवस्था में और विलंब न हो।

(चौदह) गरीब लोगों के लिए और अधिक घरों का निर्माण करने की दृष्टि से देवरिया जिले में इंदिरा आवास योजना के कार्यकरण की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री हरिकेवल प्रसाद (सलेमपुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र सलेमपुर, देवरिया जिला एक अत्यंत पिछड़ा इलाका है जहां पर अत्यंत गरीब एवं खेतिहर मजदूर निवास करते हैं। यहां पर कभी बाढ़ एवं कभी सूखे जैसी प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ता है जिसके कारण लोग धन के अभाव में अपना घर बनाने में असमर्थ रहते हैं। गत वर्ष के दौरान यहां की आवश्यकता एवं विशेष

[श्री हरिकेवल प्रसाद]

परिस्थितियों के कारण इस जिले में 20 हजार इन्दा आवास बनाने का लक्ष्य रखा गया था। परन्तु, 20 हजार इन्दिरा आवास का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका। जिसका परिणाम यह हुआ कि इस वित्तीय वर्ष में इन्दिरा आवास बनाने का लक्ष्य 20 हजार के बजाय केवल 5 हजार इन्दिरा आवास रखा गया है। जिसकी जानकारी मिलने पर यहां के लोगों में आक्रोश है एवं ये 5 हजार इन्दिरा आवास यहां की गरीबी और गृह विहीन लोगों की मांग के अनुरूप नहीं हैं। अभी भी 60 प्रतिशत के करीब लोग अपने परिवार के साथ झुग्गी–झोंपड़ी में रहते हैं, जिसके कारण बरसात एवं सर्दी के समय इनके परिवार को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।

सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि इस वित्तीय वर्ष में भी इन्दिरा आवास की संख्या 20 हजार गत वर्ष की तरह रखी जाए और जिले के अधिकारियों के काम–काज पर कड़ी निगरानी रखी जाए जिससे लक्ष्य को पूरा किया जा सके।

(पन्द्रह) उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में भरवारी रेलवे स्टेशन पर महत्वपूर्ण गाड़ियों का ठहराव दिए जाने की आवश्यकता

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : अध्यक्ष महोदय, नवसृजित जनपद कौशाम्बी, उ.प्र. जो मेरे संसदीय क्षेत्र का एक धार्मिक एवं ऐतिहासिक महत्व रखने वाला जिला है। यहां हर साल लाखों की संख्या में विदेशी एवं देशी सैलानी आते हैं। उक्त जनपद में बौद्ध, गौतम बुद्ध ने 12 साल वास किए थे। यहां जैन धर्म के मानने वालों का तीर्थस्थल है। जापान, कोरिया, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया से हजारों सैलानी प्रतिवर्ष यहां आते हैं। यहां जी.टी. रोड एवं मुख्य रेल मार्ग का मुख्य साधन है लेकिन परिवहन व संचार व्यवस्था से अछूता है। उक्त जनपद के नजदीक भरवारी रेलवे स्टेशन है। उक्त रेलवे स्टेशन का सौन्दर्यीकरण आवश्यक है। जैसे महानंदा (कटिहार एक्सप्रेस) 4084 डाउन 5.20, 4083 अप 7.30, कालका मेल 2312 डाउन 5.30. 2311 अप 10.30, दिल्ली रीवां एक्सप्रेस 2428 डाउन 8.45, 2427 अप 4 बजे।

मैं रेल मंत्री जी से मांग करता हूं कि उक्त ट्रेनों का स्टापेज 2 मिनट करने से व्यापारिक, सरकारी व पर्यटकों को विशेष सुविधा मिलेगी तथा रेल का राजस्व भी बढ़ेगा।

(सोलह) किसानों को कम ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : अध्यक्ष महोदय, देश के किसानों के लिए समान ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध नहीं होने के कारण हमारे देश के किसानों की समस्या दिन–प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही है चाहे सरकार कितना ही भरोसा उन्हें दे, कोई भी भरोसा किसानों के हितकर नहीं साबित हो रहा है। किसानों को तो एक तरफ 11–12 प्रतिशत बयाज दर पर ऋण मिलता है जबकि बड़े–बड़े औद्योगिक घराने या बिल्डरों को बहुत ही कम दर पर यानि 5–6 प्रतिशत ब्याज पर ऋण उपलब्ध है। एक ही देश में किसानों के साथ इस तरह का भेदभाव अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। किसान देश की रीढ़ है। अगर उनके उत्थान के लिए सरकार द्वारा कदम नहीं उठाया गया तो हम लोग देश के उत्थान की बात सोच भी नहीं सकते हैं।

अतः मैं इस सदन के माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि देश के किसानों के लिए भी समान ब्याज दर पर यानि 5–6 प्रतिशत दर से ही ऋण अधिक से अधिक उपलब्ध कराने की कृपा करें, जिससे किसानों को भी समान दर का लाभ बराबरी की तरह मिले।

(सत्रह) देश में गरीबी उन्मूलन की दृष्टि से 'काम के बदले अनाज' कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए सभी केन्द्रीय मंत्रालयों को राज्य सरकारों के साथ सहयोजित प्रयास किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री डी. वेणुगोपाल (तिरुपत्तूर) : बीपीएल आंकड़ों के अनुसार चयनित देश के पिछड़े जिलों में 'काम के बदले अनाज' कार्यक्रम शुरू किया गया था। यह कार्यक्रम विशिष्ट संख्या में जिलों का चयन करके एक विशेष कार्यक्रम के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है। अतः यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इस कार्यक्रम के अन्तर्गत खाद्यान्नों का वितरण सही ढंग से हो क्योंकि इस कार्यक्रम का उद्देश्य रोजगार और भोजन प्रदान करके गरीबी उन्मूलन करना है। लेकिन दुर्भाग्य से मेरे संसदीय क्षेत्र तिरुपत्तूर के तिरुवनमलाई जिले में वितरण के लिए चावल की अनुपलब्धता ने इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन में बाधा पहुंचाई है। चार–पांच महीनों से अधिक समय से वहां ऐसी स्थिति बनी हुई है। चूंकि भूख से होने वाली मौतों को रोकने के लिए राष्ट्रीय स्तर की योजना है अतः जब राज्य सरकारें स्वयं खाद्यान्न उपलब्ध कराने में असमर्थ हों तो केन्द्र सरकार को भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित करना चाहिए। इसलिए, मैं मांग करता हूं कि गरीबी उन्मूलन के लिए और ग्रामीण गरीबों के लाभार्थ सभी केन्द्रीय मंत्रालय अर्थात् ग्रामीण

विकास, पंचायती राज, खाद्य और कृषि, इस संबंध में समन्वित कार्यवाही करें।

(अठारह) पंजाब में एक केन्द्रीय दल भेजकर राज्य में आलू उत्पादकों को अत्यधिक ठंड के कारण हुई हानि का आकलन करने और प्रभावित किसानों को पर्याप्त मुआवजा उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री सुखदेव सिंह ढींडसा (संगरूर) : जनवरी, 2006 में कड़ी ठंड और तापमान में भारी गिरावट से पंजाब में 35000–40000 हैक्टेयर भूमि में आलू की फसल को नुकसान हुआ है। कपूरथला और जालंधर जिलों में, जहां पंजाब में आलू उत्पादन का 90% होता है, अनुमानतः 35–45% नुकसान हुआ है। दिल्ली में प्रतिदिन लगभग 1000 टन आलू की आपूर्ति पंजाब से होती है। पंजाब में चिप्स निर्माता बहुराष्ट्रीय कंपनियों से अनुबंधित कृषि के अंतर्गत आलू उगाने वाले किसान भी इससे बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। उनकी फसलें फसल बीमा योजना में शामिल नहीं हैं।

मैं केन्द्र सरकार से पंजाब में नुकसान के आकलन के लिए केन्द्रीय टीम भेजने और प्रभावित किसानों को पर्याप्त मुआवजा देने का आग्रह करता हूं।

(उन्नीस) झारखंड के बोकारो जिले के पेटरवार ब्लॉक में सेंट्रल कोल फील्डस लिमिटेड द्वारा खनन कार्य शुरू किए जाने को सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री टेक लाल महतो (गिरिडीह) : अध्यक्ष महोदय, झारखंड राज्य, बोकारो जिला स्थित, पेटरवार प्रखंड के अंगवाली पंचायत चलकरी, चांपी, खेत को, रोहर, पिछरी पंचायत की जमीनें दामोदर नदी डायवरसन में ले ली गयी है, जहां किसानों को 80 प्रतिशत मुआवजा तथा 80 प्रतिशत नियोजन दे दिया गया है, किंतु मात्र 20 प्रतिशत लोगों को नौकरी एवं मुआवजा भुगतान न होने के कारण सेंट्रल कोल फिल्ड्स लिमिटेड, कोयला का उत्खनन नहीं कर पा रही है, जहां से लाखों टन कुकिंग कोयला उपलब्ध होगा जिसकी आवश्यकता बोकारो स्टील प्लांट को है तथा यह क्षेत्र स्टील प्लांट से सटा हुआ है। कोकिंग कोल की धुलायी में भी काफी खर्च बचेगा। किसानों की जमीन डी.आर.डी. के तहत अधिग्रहीत करने के कारण वहां विकास के सारे कार्य ठप्प हैं।

अतः मेरा सदन से आग्रह है कि अविलम्ब कोयला उत्खनन की कार्यवाही प्रक्रिया शुरू की जाए ताकि क्षेत्र के लाखों लोग लाभान्वित हो सकें।

(बीस) समुचित विद्युत वितरण को सुनिश्चित किए जाने की दृष्टि से बिजनौर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में विद्युत वितरण नेटवर्क की सीबीआई जांच शुरू किए जाने की आवश्यकता

श्री मुन्शी राम (बिजनौर) : अध्यक्ष महोदय, मेरे लोक सभा क्षेत्र बिजनौर की विद्युत आपूर्ति व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है जिससे किसानों को प्रतिदिन 2–3 घंटे विद्युत की आपूर्ति एवं नगरपालिका पंचायत क्षेत्रों में प्रतिदिन 5 से 6 घंटे की विद्युत की आपूर्ति प्राप्त होती है। उत्तर प्रदेश के विद्युत विभाग के उच्चाधिकारियों को पत्र लिखने एवं फोन वार्ता करने के पश्चात् भी कोई सुधार नहीं हो पा रहा है जबकि उत्तर प्रदेश में कुछ चंद क्षेत्रों में एवं बड़े उद्योगों को 20 घंटे प्रतिदिन से अधिक विद्युत आपूर्ति की जाती है। विद्युत विभाग के अधिकारियों द्वारा उत्तर प्रदेश में की जा रही असमान विद्युत वितरण के विरुद्ध सी.बी.आई. से जांच कराई जाए, जिससे उत्तर प्रदेश के किसान एवं कमजोर वर्गों को विद्युत उपलब्धता में समान विद्युत वितरण के अनुसार विद्युत की आपूर्ति प्राप्त हो सके और विद्युत आपूर्ति का लाभ चंद क्षेत्रों को ही न मिल सके।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस विषय को गंभीरता से लेते हुए सी.बी.आई. से जांच कराएं।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : अध्यक्ष महोदय, हमारा तीसरा नम्बर था।

अध्यक्ष महोदय : आप छह बजे के बाद बोलिएगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : रघुनाथ जी, आप सब कुछ जानते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जीरो ऑवर स्पीचेज ले करने की कोई प्रथा नहीं है।

[अनुवाद]

मैं एक नई कुप्रथा शुरू नहीं करूंगा।

...(व्यवधान)

अपराह्न 2.00 बजे

न्यायालय अवमान (संशोधन) विधेयक, 2004—*जारी*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : विधेयक पर आगे चर्चा करने के लिए अब हम मद सं. 18 लेंगे। श्री बृज किशोर त्रिपाठी अपना भाषण जारी रखें।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस न्यायालय की अवमानना (संशोधन) विधेयक, 2004 पर बोल रहा था। इसका उद्देश्य कार्यवाही में निष्पक्षता लाना और संविधान के अनुच्छेद 21 की आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। मैं केवल संविधान के अनुच्छेद 21 का ही उल्लेख कर रहा हूं। यह जीवन–रक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए है। इसमें कहा गया है :

> "किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं।"

अपराह्न 2.01 बजे

(श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव पीठासीन हुए)

माननीय विधि मंत्री भी यहां उपस्थित हैं। वे हमारे देश के प्रमुख वकीलों में से एक हैं। मैं नहीं जानता कि संविधान का यह प्रावधान न्यायालय की अवमानना अधिनियम द्वारा कैसे उपेक्षित किया गया था। यदि किसी व्यक्ति पर न्यायालय की अवमानना के संबंध में कार्यवाही की जाती है तो किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता और जीवन की रक्षा कैसी होती है? अधिनियम के पहले के उपबंधों में यह संवैधानिक उपबंध क्यों नहीं रखा गया? यह संशोधन कैसे सहायता करेगा? इस सबका उल्लेख विधेयक के उद्देश्य और कारणों में किया गया है। यह उल्लेख किया गया है कि यह उपबंध संविधान के अनुच्छेद 21 की जरूरतों की पूर्ति हेतु कार्यवाही में निष्पक्षता लाएगा। जब कार्यपालिका न्यायालय के आदेशों को लागू नहीं कर रही है तो स्वाभाविक रूप से, न्यायालय के पास अवमानना की कार्यवाही करने का तरीका है। न्यायालय या न्यायपालिका के पास अन्य कोई तरीका उपलब्ध नहीं था। यदि कोई इसमें हस्तक्षेप करता है तो कोई परिणाम नहीं होगा। कार्यपालिका शक्तिशाली बनेगी। वे न्यायालय के आदेशों को लागू नहीं करेंगे। वे तर्क दे सकते हैं कि वे ऐसा निष्पक्षता के लिए और जनहित में कर रहे हैं। वे उसी भाषा में बता सकते हैं कि वे इसे केवल जनहित में ही लागू नहीं कर रहे हैं। कार्यपालिका सशक्त है। वे कुछ भी कहेंगे और न्यायालय के आदेशों को लागू नहीं करेंगे। इससे मुसीबतों का पिटारा खुल जाएगा। विधि मंत्री से मेरा निवेदन है कि उन्हें यह संशोधन नहीं लाना चाहिए। इसके दीर्घकालिक परिणाम क्या हैं? इसके दूरगामी परिणाम क्या हैं? यदि न्यायालय का निर्णय लागू नहीं किया जाता है तो न्याय हासिल करने के लिए न्यायालय जाने वाले आम आदमी के पास क्या तरीका शेष रह जाता है? यदि वह आदेश लागू नहीं किया जाता है तो यह अर्थहीन हो जाएगा। यह संशोधन बहुत खतरनाक संशोधन है। यद्यपि यह बहुत छोटा संशोधन है, तथापि इसके दूरगामी परिणाम हैं। हमें उस पहलू पर विचार करना चाहिए।

इसके साथ ही हम मुसीबतों का द्वार खोलने जा रहे हैं। न्यायालय की अवमानना के संबंध में कुछ गलत आदेश भी दिए जा सकते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि न्यायालय के आदेश लागू नहीं किए जाएंगे। यह प्रावधान कार्यपालिका को न्यायालय के आदेश लागू न करने में मदद करेगा। ऐसी स्थिति में, भविष्य में न्यायालय की अवमानना निष्फल होगी। मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि वे इस पर पुनर्विचार करें। इस संशोधन के दूरगामी परिणाम होंगे। इसका प्रभाव बहुत ही खतरनाक और विनाशकारी होगा। मुझे प्रक्रिया के पालन में कोई आपत्ति नहीं है। न्यायालय हमेशा प्रक्रिया का पालन करता है। यदि प्रक्रिया के पालन में कोई कमी रहती है तो मैं उसका समर्थन करूंगा। आप इसे संशोधित कर सकते हैं, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। यदि मूल अधिनियम में कोई कमी है तो यह संशोधन स्वागत योग्य कदम होगा। लेकिन केवल कार्यपालिका की सहायता करना और न्यायालय को अवमानना के संबंध में कार्यवाही करने से रोकना गलत है। ऐसी स्थिति में, कार्यपालिका कुछ भी नहीं करेगी। वे कहेंगे कि वे जनहित में ऐसा कर रहे हैं। इसे न्यायसंगत ठहराने वाला कौन है? आप कार्यपालिका की सहायता के लिए कैसे कानून में यह प्रावधान करेंगे? कार्यपालिका सशक्त होगी। इस कानून में जो भी प्रावधान हैं, उनसे न्यायपालिका में निहित सभी शक्तियां बेकार हो जाएंगी। माननीय विधि मंत्री से मेरा निवेदन है कि इस पर पुनर्विचार करें। इस संशोधन के दूरगामी परिणाम होंगे और इसे वापस ले लेना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : मान्यवर, यह वाजपेयी सरकार की मंशा थी कि नेशनल ज्यूडिशियरी कमीशन बने। वर्ष

2003 में यह प्रस्ताव इस सदन में पेश किया गया था, लेकिन दुर्भाग्य से, जैसे कि राज्य सभा का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए, एमएलए का पांच वर्ष के लिए और पार्षद का पांच वर्ष के लिए होता है, वहीं लोक सभा का कार्यकाल एक दिन का भी होता है। आज लोक सभा है, लेकिन कल नहीं है, आज जो कर गए, वह कर गए, उस समय जो परिस्थिति बनी थी, उसकी वजह से यह बिल ड्राप हो गया था। मेरा निवेदन है कि अवमानना के बारे में व्याप्त भ्रम की स्थिति को दूर करने की कोशिश की जाए। किसी जज या कोर्ट के बारे में सच्चाई उजागर करने के मकसद से की गई बात को कोर्ट की अवमानना की श्रेणी में नहीं रखा जाए। हमारे राष्ट्रीय चिह्न में लिखा हुआ है 'सत्यमेव जयते' यानी सत्य की हमेशा जीत होती है। मैं इस बात को मानने वाला हूं। गांधी जी के वक्त में नारा चला था 'ईश्वर सत्य है' लेकिन बाद में गांधी जी ने कहा कि 'सत्य ही ईश्वर है'। वर्ष 1971 के कानून की कमियों को दूर करने के लिए सरकार यह विधेयक 2004 में लाई थी। वर्तमान कानून के अनुसार कोर्ट के अधिकारों को नीचे दिखाने वाले वक्तव्य बोलना या छापना कोर्ट की अवमानना होती है। इस संशोधन के बाद न्यायपालिका में मौजूद भ्रष्टाचार को उजागर करने में मदद मिलेगी, क्योंकि इससे पहले यह कानून इस कार्य में रोड़ा अटकाता था। इस अधिनियम के अनुसार कोर्ट के किसी आदेश या प्रक्रिया को जान-बूझकर नहीं मानना एक दंडनीय अपराध है और कोर्ट के बारे में टिप्पणी छापना, कोर्ट के अधिकार को नीचा दिखाना और न्यायालय प्रशासन को नीचा दिखाना फौजदारी अपराध की श्रेणी में आता है और दंडनीय भी है। हम इस बिल को लाने के पीछे आपकी भावना का स्वागत करते हैं। हमारे कानून मंत्री कानून के पुराने जानकार रहे हैं। आप बहुत अच्छा बिल लेकर आए हैं। लेकिन मैं आपके ध्यान में एक बात लाना चाहता हूं कि आज न्यायालयों में जजों की बहुत कमी है और इस वजह से बहुत से केस पेंडिंग पड़े हुए हैं। आज यदि कोई व्यक्ति मुकदमा दायर करता है तो उसका नतीजा आने में वर्षों लग जाते हैं। जजों की कमी को दूर करने की भी कोशिश होनी चाहिए और स्पैसिफिक टाइम में केस का निबटारा होना चाहिए।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : रामकृपाल जी, आप खड़े क्यों हैं, बैठ जाइए। एक वक्त में केवल एक ही सदस्य खड़ा हो सकता है।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : आज इलेक्शन पिटिशन के निबटारे में ही पांच साल से ज्यादा समय लग जाता है। जो व्यक्ति दो-चार वोट से जीतता है, वह भी कोर्ट केस की वजह से परेशान रहता है और जो व्यक्ति हारता है, वह भी कोर्ट का फैसला जल्दी न आने की वजह से परेशान रहता है। इस तरह के मुकदमों का निबटारा एक साल के अंदर हो जाना चाहिए, चाहे उसका निर्णय पक्ष में आए या विपक्ष में। कई न्यायालयों में न्यायाधीशों ने निर्णय के खिलाफ फैसला दिया है। जस्टिस बी. के. राय ने ऐसा ही निर्णय दिया और लॉ इंस्टीट्यूट की जमीन के आवंटन को उन्होंने रद्द कर दिया। पूर्व जज के साथियों को जब जमीन दे दी गई, तो उन्होंने उस फैसले को बदल दिया। इससे न्यायालय में हलचल मच गई कि वाह, वाह, हमारे ही जज ने इस प्रकार फैसले को बदल दिया। कोलकाता हाई कोर्ट में भी इसी प्रकार का निर्णय हुआ। न्यायमूर्ति लाहोटी, जो दिल्ली के सम्मानित जज हैं, उन्होंने भी न्यायाधीशों के बारे में कहा है, विद ड्यू रिस्पैक्ट, मैं सभी माननीय न्यायाधीशों का, न्यायपालिका का पूर्णरूप से, अक्षरशः सम्मान करने वाला व्यक्ति हूं, मेरे दल ने भी न्यायपालिका के खिलाफ कहीं कोई विचार व्यक्त नहीं किए हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। पहले न्यायाधीशों की नियुक्ति में गड़बड़ थी। अब आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हमसे भी राय ली जाएगी जो बहुत अच्छी बात है। जो बनाने वाले हैं, यदि उनमें ही भ्रष्टाचार होगा तो निश्चित रूप से यह अच्छी बात नहीं है। इसलिए सारे सम्मानित न्यायाधीश, जिनकी आप नियुक्ति करें, उन सबका सम्मान करते हुए, आपका सम्मान करते हुए, आप लॉ के व्यक्ति हैं, आप अच्छे न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे और निश्चित समय में कोर्ट का फैसला हो, इसलिए कोर्ट के बारे में सच्चाई उजागर करने के मकसद से कही गई कोर्ट की अवमानना श्रेणी में अब नहीं आएगी, यह संशोधन बहुत ही अच्छा है।

मैं अपनी पार्टी की ओर से, श्री वाजपेयी जी के समय में जब यह बिल आया था, तब भी हम इसका समर्थन करने के लिए खड़े हुए थे। आज आप जो बिल लेकर आए हैं, मैं आपकी बात का पूरी ईमानदारी से, माननीय न्यायाधीशों के प्रति पूरा सम्मान करते हुए, आपके प्रति पूरा सम्मान करते हुए आपको धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

श्री अजय चक्रवर्ती (बसीरहाट) : सभापति महोदय, आपको धन्यवाद। चर्चा का विषय बहुत सीमित है क्योंकि माननीय विधि मंत्री ने न्यायालय की अवमानना अधिनियम में एक संशोधन का प्रस्ताव रखा है। मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं।

हमारे देश की न्याय-व्यवस्था बहुत ही प्राचीन व्यवस्था है। इस व्यवस्था की शुरुआत सभी प्रकार के विवादों तथा आम लोगों सहित विभिन्न एजेंसियों के सभी प्रकार की शिकायतों के संबंध में न्याय करने के लिए की गई थी। इसने सभी प्रकार की समस्याओं का

[श्री अजय चक्रवर्ती]

अधिनिर्णय बहुत ही निष्पक्षता तथा तटस्थ होकर किया है। हमें उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के साथ-साथ विभिन्न न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों के प्रति उचित आदर और सम्मान दिखाना चाहिए। लेकिन इस समय विशेषकर कुछ सरकारी एजेंसियों तथा पुलिस एजेंसियों के कुछ अनुभागों में, न्यायालयों के आदेशों की अनदेखी करने की प्रवृत्ति बन गई है। निम्न न्यायालयों तथा उच्चतर न्यायालयों द्वारा बहुत से निर्णय किए जा रहे हैं लेकिन पुलिस इन विद्वान न्यायाधीशों के आदेश का पालन नहीं कर रही है।

मैं बंगलादेश की सीमा के नजदीक स्थित एक स्थान पर रहता हूं। एक सीमा सुरक्षा बल के अधिकारी ने, एक गांव की लड़की के साथ बलात्कार किया। उस सीमा सुरक्षा बल कर्मी के विरुद्ध एक मुकदमा दर्ज हुआ है, और न्यायालय ने आदेश दिए हैं और वारंट जारी किए हैं। इसके बावजूद सीमा सुरक्षा बल के अधिकारी उस सीमा सुरक्षा बल कर्मी को गिरफ्तार करने या उसे उपयुक्त न्यायालय के समक्ष आत्म-समर्पण करने के लिए निर्देश देने के संबंध में बहुत ही अनिच्छुक हैं। जबकि वे अच्छी तरह से जानते हैं कि बीएसएफ अधिकारी ने जानबूझकर न्यायालय के आदेश का उल्लंघन किया है।

इस प्रकार की प्रवृत्ति पुलिस बल में भी बढ़ी है। आए दिन पुलिस प्रत्येक राज्य में और मेरे राज्य में भी, शक्तिशाली हो गई है और वे न्यायालय के आदेश या प्राधिकार को मानना नहीं चाहती। न्यायालय के आदेश की अवमानना करना, न्यायालय के आदेश को न मानना, न्यायालय के निर्देश या निर्णय को लागू न करना, जैसी प्रवृत्ति बढ़ी है। अन्य समस्याएं भी हैं। हमारे विशिष्ट सहयोगी श्री गिरधारी लाल भार्गव ने विभिन्न न्यायालयों में लम्बे समय से मामलों के लम्बित होने, न्यायाधीशों के पद रिक्त होने तथा ऐसी ही अन्य समस्याओं को उठाया था। इस समय चर्चा का दायरा बहुत सीमित है। इसलिए, मैं उन सारी बातों की चर्चा नहीं करना चाहता। मैं सरकार का ध्यान केवल इस बात की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि सरकारी एजेंसियां, मतलब भारत सरकार और राज्य सरकारें, विशेषकर पुलिस में न्यायालय के आदेशों को चुनौती देने की प्रवृत्ति पैदा हो गई है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि न्यायालयों को तटस्थ तथा निष्पक्ष होकर कार्य करना चाहिए। आजकल उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय में भी एक प्रवृत्ति पनप रही है कि सभी प्रकार के आदेश एक विशेष न्यायाधीश की इच्छाओं के अनुरूप दिए जा रहे हैं। वे कानून को बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश ऐसे आदेश पारित कर रहे हैं जो अपमानजनक हैं और वे न तो आम जनता के हित में हैं और न ही देश के हित में हैं। किसी दिन सवेरे ही किसी उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के मर्जी पर एक आदेश पारित किया जाता है कि सभी मकानों को गिरा दो। किसी दिन एकदम सुबह-सवेरे दिल्ली उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या कोई अन्य न्यायाधीश एक आदेश पारित करता है कि सभी मलीन बस्तियों और झुग्गी-झोंपड़ियों को गिरा दो। दिल्ली हमारे देश की राजधानी शहर है। हजारों लोग देश के विभिन्न भागों से विशेषकर, पूर्वी क्षेत्रों जैसे-बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से दिल्ली अपनी आजीविका के लिए आते हैं। किसी दिन किसी न्यायाधीश की मनमानी से इन सभी लोगों से, जो अपनी रोटी, अपनी आजीविका कमाने यहां आते हैं, उनके घरों को खाली करा दिया जाता है। न्यायालय को व्यावहारिक होना चाहिए और उसे अपने अधिकार-क्षेत्र को सीमित नहीं करना चाहिए। संसद सदस्यों तथा विधायकों को न्यायाधीशों के प्रति वफादार होना चाहिए तथा उन्हें सम्मान देना चाहिए उसी प्रकार न्यायाधीशों को भी विधायकों के प्रति सम्मान देना चाहिए।

आजकल हमारे देश की दोनों प्रणालियों में संघर्ष बढ़ रहा है। इस सभा में हमारे दस सहयोगियों को संसद से निष्कासित कर दिया गया है। कुछ सदस्य उच्चतम न्यायालय में गए जबकि कुछ सदस्य उच्च न्यायालय में चले गए। उच्चतम न्यायालय ने इस सभा के अध्यक्ष को एक नोटिस जारी किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय ने संसद में विभिन्न दलों तथा समूहों के नेताओं की एक बैठक बुलायी है। इस बैठक में दो विशिष्ट विधिमर्मज्ञ व्यक्तियों ने भी भाग लिया। उच्चतम न्यायालय को इस देश की सबसे बड़ी पंचायत, लोक सभा के माननीय अध्यक्ष महोदय को नोटिस जारी करने का क्या अधिकार है? यह प्रथा खत्म होनी चाहिए। न्यायिक प्रणाली का अपना अधिकार है और उसे अपने अधिकार का उपयोग निष्पक्ष होकर करना चाहिए तथा तटस्थता बनाए रखनी चाहिए। आम आदमी न्यायालय पर दोषारोपण कर रहे हैं तथा वे उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के निर्णय, तथा आदेशों को शक की नजरों से देखते हैं। वे न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों की तटस्थता को चुनौती देते हैं। यह बहुत ही दुःख की बात है।

मैं इन सारी बातों की चर्चा नहीं करना चाहता क्योंकि हमें केवल प्रस्तावित संशोधन तक ही अपने को सीमित रखना चाहिए। यदि हमें कभी मौका मिलता है तो हम इन सभी समस्याओं पर चर्चा करेंगे। मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं और उम्मीद करता हूं

कि सभी लोगों को दलगत भावना से ऊपर उठकर इसका समर्थन करना चाहिए।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : श्री राजेश प्रसाद सिंह–अनुपस्थित।

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : सभापति महोदय, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने न्यायालय अवमान (संशोधन) विधेयक पर विचार रखने का मुझे अवसर प्रदान किया।

मैं इस न्यायालय अवमान (संशोधन) विधेयक, 2004 का समर्थन करता हूं। माननीय मंत्री जी परिस्थिति अनुकूल इस विधेयक को खामियों या कमियों को दूर करने के लिए लाए हैं, इसलिए निश्चित रूप से यह स्वागत योग्य है। कई माननीय सदस्यों ने यहां अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। खासतौर पर न्यायालय की जो अवमानना अधिकारियों या आम लोगों द्वारा की जाती रही है और सीधे तौर पर गिरफ्तार करने या और भी जो कार्रवाई करने का आदेश आता था, उस पर थोड़ा अंकुश लगाने का काम माननीय मंत्री जी ने किया है। निश्चित तौर पर यह एक सराहनीय कदम है और हम इसका समर्थन और स्वागत करते हैं।

न्यायालय और न्यायाधीश की अपनी एक पहचान भी है और प्रतिष्ठा भी है। सब लोग इनकी प्रतिष्ठा करते हैं लेकिन लगता है कि न्यायालय के प्रति आदर और सम्मान पर प्रश्नचिह्न लग रहा है। जिस तरह से न्यायालय के माध्यम से छोटी–छोटी चीजों में भी हस्तक्षेप हो रहा है और लगता है कि कोई एग्जीक्यूटिव बॉडी के रूप में काम हो रहा हो, निश्चित तौर पर इससे आम लोगों के मन में न्यायालय के प्रति जो प्रतिष्ठा रही है, उसमें गिरावट आई है। जब न्यायालय और न्यायाधीश के प्रति लोगों के मन में प्रतिष्ठा गिरेगी तो लोकतंत्र के लिए यह शुभ संकेत नहीं है।

यहां विधि मंत्री मौजूद हैं। वह स्वयं भी अधिवक्ता हैं और काफी दिनों तक उन्हें विधि मंत्रालय चलाने का अनुभव रहा है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि इस विषय पर निश्चित रूप से डिसकशन होना चाहिए। धीरे–धीरे लोगों के मन में न्यायालय के प्रति जो आक्रोश व्याप्त हो रहा है, जैसा अभी एक माननीय सदस्य ने चर्चा की कि आदेश आ गया कि पूरी झोंपड़ियों को तोड़ दिया जाए, मकानों को गिरा दिया जाए, इससे जन–भावना को ठेस पहुंचती है। न्यायालय के प्रति सब लोगों के मन में काफी आदर–सम्मान रहा है लेकिन व्यावहारिकता में जो आदर होना चाहिए, उसमें थोड़ी कमी आई है।

अपराह्न 2.24 बजे

(उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*)

इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि न्यायालय और न्यायाधीश के प्रति लोगों के मन में गरिमा बनी रहनी चाहिए। आम लोगों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अपने स्तर से अधिक कार्यवाही करने का वे काम कर रहे हैं और एक अगर से भी अधिक लोगों के मन में न्यायालय और न्यायाधीश के प्रति गरिमा और आदर बना रहना चाहिए अन्यथा लोकतंत्र के लिए यह शुभ संकेत नहीं है। हर काम में हस्तक्षेप करना न्यायालय के लिए उचित नहीं है। मैं समझता हूं कि अगर आने वाले दिनों में हमें लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम रखनी है, तो इस पर ध्यान देना होगा। दुनिया में हमारा देश सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। हमारा संविधान सर्वोपरि है। सबकी अपनी–अपनी सीमाएं हैं। विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका, इन तीनों के अलग–अलग कार्य हैं। लेकिन हमें यह जरूर लगता है कि न्यायपालिका अपने कार्यों से विधायिका और कार्यपालिका पर अतिक्रमण करने की कोशिश कर रही है। यह शुभ संकेत नहीं है। इसलिए किसी को सीमा नहीं लांघनी चाहिए। इसका कानून में भी प्रावधान है। सीमा लांघने के बाद लोगों में आक्रोश व्याप्त होता है। आज निश्चित तौर पर आम लोगों के मन में न्यायालयों और न्यायाधीशों के प्रति ऐसी धारणा बन रही है और उन्हें ऐसा अनुभव हो रहा है कि वे हमारे कार्यों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। इसलिए इस प्रवृत्ति को रोकने की कोशिश करनी चाहिए। सबका एक दूसरे के प्रति सम्मान होना चाहिए। इसलिए भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को बरकरार रखने की आवश्यकता है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं विधि मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत इस विधेयक का स्वागत करता हूं और समर्थन करता हूं। इस आशा के साथ, कि न्यायपालिका और न्यायालय अपने स्वरूप को, अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप आम लोगों के मन में बरकरार रखने में निश्चित तौर पर अपनी भूमिका के अनुसार सफल हो जाएंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने देखा राम कृपाल जी कि आप जब बोल रहे थे, तो विपक्ष के किसी सदस्य ने आपको नहीं टोका। आप भी ऐसा ही करें।

[अनुवाद]

श्री प्रभु, कृपया अपना भाषण दो मिनट में समाप्त कीजिए।

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु (राजापुर) : महोदय, मैं पीठ की अवमानना संबंधी बातों से संलिप्त नहीं होना चाहता लेकिन यदि आप मुझे दो मिनट से कुछ ज्यादा समय दें तो यह अच्छा होगा।

[श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु]

महोदय, भारत के संविधान में राज्य के तीनों अंगों—कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका—की भूमिका स्पष्ट तौर पर तय है। कुछ समय से हम राज्य के इन तीनों अंगों के बीच बढ़ रहे टकराव को देख रहे हैं। निश्चित रूप से कार्यपालिका संसद, जो विधायिका है, के प्रति उत्तरदायी है, और विधायिका को अपने विवेक से संविधान की व्याख्या करने, संविधान का संशोधन करने, तथा ऐसे परिवर्तन करने का अधिकार जो समय–विशेष की जरूरत के अनुरूप वास्तव में अपेक्षित, सहज रूप से प्राप्त है, होता है।

हम देखते आ रहे हैं कि विभिन्न क्षेत्रों से न्यायपालिका पर हमले बढ़ रहे हैं, और उसे स्वतंत्र रूप से काम नहीं करने दिया जा रहा है जो आधुनिक काल में प्रजातंत्र के सुचारु रूप से कार्य करने के लिए वास्तव में अपेक्षित और आवश्यक है। आम आदमी न्यायालय के दरवाजे पर इस उम्मीद में जाता है कि उसे कार्यपालिका से न्याय नहीं मिलता क्योंकि कार्यपालिका उसकी मांगों को पूरा नहीं कर पाती और इसलिए बहुत से लोगों के लिए न्याय पाने के लिए न्यायपालिका अंतिम रास्ता बच जाती है। जनहित याचिका की यह नई घटना और कुछ नहीं बल्कि कार्यपालिका की असफलता है क्योंकि जनता जिस प्रणाली से सूचना की मांग कर रही है वहां से उसे मिल नहीं रही है। इसलिए, मैं महसूस करता हूं कि जब हम यह संशोधन कर रहे हैं जो वास्तव में संविधान समीक्षा संबंधी राष्ट्रीय आयोग की सिफारिश के अनुसार अपेक्षित है, हमें यह सुनिश्चित करते वक्त सदैव सावधान रहना चाहिए कि न्यायपालिका जिसकी व्याख्या करना चाहती है उसे हमें किसी कानून को इस प्रकार से संहिताबद्ध नहीं करने देना चाहिए कि इससे उसके हाथ बंध जाएं और वह स्वतंत्र रूप से कार्य न कर सके। इसकी बहुत आवश्यकता है।

हमने देखा है कि हाल ही में जब कार्यपालिका के कुछ निर्णयों को न्यायालय में चुनौती दी गई तो न्यायपालिका ने यह कहते हुए याचिका कर्ता के पक्ष में निर्णय सुनाया कि संभवतः कार्यपालिका ने अपनी सीमाओं का अतिक्रमण किया है। वास्तव में यह अपेक्षित है कि जब हम न्यायालय के किसी निर्णय की व्याख्या कर रहे हैं, यदि हम इस प्रकार इसकी व्याख्या करना चाहते हैं जैसा हम सही समझते हैं और इससे यदि किसी न्यायालय की अवमानना होती है तो फिर हमें यह बात न्यायालय के लिए नहीं कहनी चाहिए क्योंकि हम संविधान में संशोधन कर रहे हैं और फिर हम अपने तरीके से न्यायालय पर हमला करने के लिए भी स्वतंत्र हैं। इसलिए, कार्यपालिका को अत्यंत सावधानी के साथ यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह अपनी सीमा को पार न करे और वे संविधान में दिए गए अधिकारों के भीतर रहकर काम करे। केवल इतना ही नहीं बल्कि यह नोट करना भी बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का अधिक समय संसद में भी व्यतीत होता था और इसका कारण यह नहीं था कि संसद में उनको बहुत काम रहता था बल्कि वे ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि वे महसूस करते थे कि संसद में होना एक नई परिपाटी और प्रक्रिया का मामला है और इसलिए वे संसद की कार्यवाही को बहुत महत्व देते थे।

इसलिए कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें संहिताबद्ध करने की जरूरत नहीं है। उन पर अमल करते हुए हमें परिपाटी स्थापित करनी चाहिए जो बाद में व्यवस्था का हिस्सा बन जाएगा। इस कार्यपालिका को यह सुनिश्चित करते समय अति सावधान होना चाहिए कि वह अपनी सीमाओं को पार न करे और वह न्यायपालिका को व्याख्या करने कर अनुमति दे। इसलिए, न्यायालय की अवमानना एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा है और इससे निपटने का यही एक रास्ता है। जब न्यायालय के निर्णय का सम्मान नहीं होगा तो यह न्यायालय की अवमानना है। यही एक मात्र उपाय है जिसमें हम पूरी न्याय प्रक्रिया को कुछ सीमाओं के ऊपर रख सकते हैं। मेरा माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वाद–विवाद पर उत्तर देते समय वे बताएं कि वास्तव में जो प्रथा वर्षों से चली आ रही है भविष्य में भी उसका अनुपालन किया जाएगा। न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखा जाना चाहिए और हमें न्यायालय को सदैव अपेक्षित सम्मान देना चाहिए तथा संसद, जो एक संप्रभु प्राधिकार है, की सर्वोच्चता आने वाले समय में लम्बे काल तक कायम रहेगी।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : उपाध्यक्ष जी, बाबा साहब अंबेडकर जी ने देश का संविधान बनाया, उसमें न्यायालय को उनके अपने अधिकार दिए गए। अपनी जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र के सभी अंग एक दूसरे पर निर्भर हैं। श्री हंसराज भारद्वाज जी, 1971 के न्यायालय अवमानना अधिनियम में संशोधन करने के लिए जो नया बिल लाए हैं, मैं उसका सपोर्ट करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मेरा सुझाव है कि न्यायालय को भी अपने अधिकारों के संबंध में निर्णय देने की आवश्यकता है, न्याय देने की आवश्यकता है। कई बार झुग्गी–झोपड़ी में रहने वाले लोगों के लिए, पर्यावरण के विषय को लेकर, उनकी जिंदगी का विचार न करते हुए, जब सुप्रीम कोर्ट में यह प्रश्न आया था, तब सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट एजुकेशन संस्थानों में एससी और एसटी को रिजर्वेशन नहीं देना चाहिए, इस

प्रकार का निर्णय दिया था। उसके बाद यहां धारा 184 को अमेंड कर दिया गया है। मेरे कहने का मतलब यह है कि न्यायालय का भी अपमान न हो और न्यायालय को भी दूसरे का अपमान करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए और सभी अंग एक–दूसरे पर निर्भर रहने चाहिए। भारद्वाज जी जो बिल लाए हैं, मैं उसका समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं उन सभी सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इस विधेयक पर चर्चा में भाग लिया।

मुझे लगभग सभी ओर से समर्थन मिला है क्योंकि यह विधेयक अपने क्षेत्र में बहुत सीमित है और सभी वर्गों के लोगों द्वारा व्यापक रूप से स्वीकार्य है। अब मैं गिनाऊंगा कि किन आधारों पर यह स्वीकार्य है।

महोदय, अनेक माननीय सदस्यों ने विभिन्न पहलुओं को उठाया है जो न्यायिक सक्रियता, न्यायिक हिरासत, न्यायिक जवाबदेही, धीमी प्रक्रिया और अनेक मामलों से संबंधित हैं लेकिन यह विधेयक उन पर विचार नहीं करता है। यह केवल एक मापदंड पर विचार करता है। न्यायिक और विधायी क्षेत्र में लम्बे समय से एक चर्चा जारी है कि क्या न्यायालय की अवमानना के विरुद्ध अभिरक्षा की समाप्ति को जारी रखने की अनुमति दी जाए या नहीं। अवमानना के विरुद्ध कोई सुनवाई का अधिकार उपलब्ध नहीं है।

यहां मार्गदर्शक व्यक्तित्व जिनका नाम श्री वी. आर. कृष्ण अय्यर है ने वास्तव में अमरीकी न्यायाधीशों से कुछ विचार लेते हुए भारत में यह अभियान शुरू किया कि अवमानना के विरुद्ध अभिरक्षा पर यह अनुचित प्रतिबंध हटा लिया जाना चाहिए। यह मुद्दा विधि आयोग को भेजा गया था और विधि आयोग ने इसे देखा और निर्णय किया कि अब समय आ चुका है कि इस मामले में, जो यह है कि सत्य की रक्षा की जानी चाहिए, हमें सीमित अभिरक्षा की अनुमति देनी चाहिए। अनेक सदस्यों ने सत्य के महत्व को उजागर किया है। मैं स्वयं भी विश्वास करता हूं कि हमारी संस्कृति और सभ्यता में, हम सत्य को बहुत उच्च स्थान पर रखते हैं। 'सत्यमेव जयते' हमारे राष्ट्रीय चिह्न का भाग है। यही वेद और उपनिषद् कहते हैं। अतः हम सत्य का पाखंड नहीं कर सकते। लेकिन न्यायपालिका नामक संस्था के महत्व के प्रति सम्मान रखते हुए, हमने अवमानना मामलों के विरुद्ध अभिरक्षा पर अनुचित प्रतिबंधों की अनुमति दी थी। लेकिन इस प्रावधान ने अवमानना के संबंध में सकारात्मक पक्ष विकसित करने में सहायता नहीं की है। अनेक बार न्यायाधीश भी गलतियां करते हैं। बार सदस्यों का दायित्व है कि उचित निष्कर्षों पर पहुंचने में न्यायालय की सहायता करें।

सभी वर्गों की ओर से एक सशक्त मांग थी कि अब हमें खंड 13 पर पुनर्विचार करना चाहिए जो न्यायालय को एक व्यक्ति को जेल भेजने से रोकता है जब तक कि यह संतुष्टि न हो जाए कि अपराध की प्रकृति ऐसी हो कि इसकी प्रवृत्ति न्याय के निष्पक्ष रास्ते में हस्तक्षेप की है। तथ्य के रूप में, अवमानना कानून का संपूर्ण दर्शन इस पर आधारित है कि सहजता से न्याय किया जा सके और कहीं से भी न्यायिक–प्रशासन में कोई हस्तक्षेप न हो। यह सार्वभौमिक रूप से माना जाता है कि न्याय सरल रूप से होना चाहिए और किसी को भी चाहे वह कितना ही शक्तिशाली हो, न्याय के निष्पक्ष रास्ते में हस्तक्षेप की अनुमति नहीं होनी चाहिए इसीलिए, यह कानून है।

इस विधेयक के द्वारा, हम एक अन्य उपखंड 13(ख) जोड़ रहे हैं जिसके अनुसार न्यायालय अवमानना के लिए किसी कार्यवाही में उपयुक्त बचावों के रूप में सच्चाई से औचित्य निर्धारण की अनुमति दे सकता है, हम यह अधिकार स्वयं न्यायालयों को दे रहे हैं। केवल यही नहीं, हम दूसरी शर्त भी जोड़ रहे हैं यदि यह संतुष्टि हो जाए कि यह जनहित में है और यह कि बचाव में दिया गया तथ्यपूर्ण निवदेन है।" इससे अवमानना करने वाले को लाभ तभी मिलेगा यदि वह न्यायालयों को संतुष्ट करता है कि वह जो कुछ बचाव में कह रहा है सत्य है, यह जनहित में है और उसका निवेदन सही है।

इस मामले की जांच संसदीय स्थायी समिति द्वारा की गई थी। कुछ वरिष्ठतम बार सदस्यों ने उसमें भाग लिया था। उन्होंने उनसे पूछा कि क्यों हमें इस 'जनहित और प्रामाणिकता' की आवश्यकता है। उन्होंने सुझाव दिया कि वहां अकेले 'सत्य' ही होना चाहिए। हमने अभी तक सतर्कता बरती है। हम कतई नहीं चाहते कि न्यायपालिका को कमजोर किया जाए क्योंकि न्यायपालिका को लोगों का विश्वास प्राप्त है। न्यायपालिका ने बहुत कठिन कार्य किया है। चाहे जो हो हम कह सकते हैं कि संविधान के लागू होने के बाद न्यायपालिका ने इस देश में बहुत अच्छा कार्य किया है। इसका श्रेय हमारे संविधान निर्माताओं को जाता है जिन्होंने संविधान में एक स्वतंत्र न्यायपालिका स्थापित की है। इसी तरह उन्होंने इस देश में स्वतंत्र बार बनाए हैं। भारत उन सभ्य देशों में से एक है जहां शक्तिशाली स्वतंत्र न्यायपालिका और बार हैं। इस तरह हमारे अधिकारों और स्वतंत्रताओं की रक्षा की जा रही है। अतः विचार ये है

[श्री हंसराज भारद्वाज]

कि न्यायपालिका पर दबाव न डाला जाए और उस पर मिथ्यारोप नहीं लगाए जाने चाहिए। अतः अधिनियम बनाने का यही उद्देश्य है। यह न्यायपालिका का समर्थन करता है। यदि कोई व्यक्ति न्यायपालिका पर मिथ्यारोपण करता है, या धमकाने का प्रयास करता है या दबाव डालता है, उसे दंडित किया जाना चाहिए।

अनुच्छेद 21 भी उतना ही महत्वपूर्ण है। माननीय सदस्यों में से एक मुझसे जानना चाहते थे कि उद्देश्य और कारणों में अनुच्छेद 21 का उल्लेख क्यों किया गया है। जब हमने कार्य शुरू किया था तो अनुचछेद 21 का मुश्किल से ही कोई अर्थ था। अनुचछेद 21 में कहा गया था कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन और स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा और उसे बिना मुकदमा चलाए फांसी नहीं दी जा सकती। लेकिन मेनका गांधी केस के बाद न्यायमूर्ति भगवती ने इसकी व्याख्या इस तरह की थी कि अब यह कहा जाता है कि अनुच्छेद 21 के तहत की गई कार्यवाही नियमेतर नहीं होनी चाहिए, यह न केवल औचित्यपूर्ण, निष्पक्ष होनी चाहिए बल्कि यह निष्पक्ष दिखनी भी चाहिए।

अब कितनी बार न्यायलय अनुच्छेद 21 की व्याख्या कर रहे हैं? अनुच्छेद 21 के आधार पर पर्यावरणीय कानून विस्तृत किया जा रहा है। यहां तक कि प्रतिदिन इसमें विस्तार हो रहा है। यही कारण है जब अनुच्छेद 21 विस्तृत बनाया जा रहा है तब नागरिक या कोई व्यक्ति जो अवमानना करने वाले के रूप में दोषारोपण करता है या अपराधी है पर, उचित और निष्पक्ष मुकदमा चलाया जाना चाहिए। यही कारण है, यदि आप कहते हैं आप अवमानना के दोषी हैं, आप जो भी कह रहे हैं, अवमानना है तो आपके पास कोई बचाव नहीं है। वह सामान्य रूप से सामान्य बुद्धि को नहीं जंचता कि एक व्यक्ति कहता है कि वह जो कहता है, सच है। मान लो एक भ्रष्ट न्यायाधीश है और वह आपके सामने भ्रष्टाचार कर रहा है, तब भी क्या आपको यह कहने का हक नहीं है कि आप जो कह रहे हैं, सच है? सत्य की विजय होनी चाहिए। यह जनहित में भी है। इसीलिए, दोनों तरफ का सम्मान रखते हुए और पुनः संतुलन बनाए रखते हुए हम नागरिकों को सीमित अधिकार दे रहे हैं कि वे जो कह रहे हैं, सच है और इससे जनहित में मदद मिलेगी। यदि न्यायालय को ऐसा विश्वास होता है तो वे बचाव की अनुमति दे सकते हैं। अन्यथा, कोई बचाव नहीं है। जब दूसरे पक्ष को प्रतिवाद का अवसर न मिले तो क्या आप कह सकते हैं कि मुकदमा निष्पक्ष है? इसीलिए हमने अनुच्छेद 21 को रखा है। उसी आधार पर, विधि आयोग कहता है, इसमें जनहित होना ही चाहिए। यहां तक कि मानहानि कानून में, मैंने देखा है कि भारतीय मानहानि कानून विश्व में सबसे कमजोर है। लेकिन उसमें भी जनहित के लिए प्रतिवाद हो सकता है। अतः हमारे समाज में जनकल्याण ही सर्वोपरि है। न्यायालय की अवमानना के संबंध में भी जनकल्याण होना चाहिए। अन्यथा, न्यायाधीश कठिन कार्य करते हैं और इसीलिए उन्हें कानूनों द्वारा सभी प्रकार के संरक्षण प्रदान किए जाते हैं...*(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : क्या मैं एक प्रश्न रख सकता हूं?

श्री हंसराज भारद्वाज : क्यों नहीं? आप एक...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री वरकला।

श्री वरकला राधाकृष्णन : उन्होंने सहमति दे दी है।

उपाध्यक्ष महोदय : जब तक कि आपको मुझसे अनुमति न मिले, आपको अनुमति नहीं दी जा सकती।

श्री वरकला राधाकृष्णन : मैं आपसे अनुमति मांगता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : पहले आपको अध्यक्षपीठ से अनुमति लेनी चाहिए।

श्री वरकला राधाकृष्णन : मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय से अनुमति चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप बोल सकते हैं।

श्री वरकला राधाकृष्णन : अब, मैं एक बहुत साधारण प्रश्न उठाता हूं कि दो चीजें सिद्ध की जानी हैं। पहली, 'जनहित', और दूसरी, 'सहज विश्वास'। ये दो तत्व प्रमाणित किए जाएंगे। सामान्यतः सत्य द्वारा औचित्य निर्धारण व्यवहार में आएगा। यहां प्रश्न यह है कि निर्णय किसे करना है। क्या वही न्यायाधीश जिसके विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं या भ्रष्टाचार अभिकथित है? वह कौन व्यक्ति है जिसे निर्णय करना है? अन्यथा, उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। क्या आप सोचते हैं कि वह न्यायाधीश जिसके विरुद्ध आरोप हैं...*(व्यवधान)*

श्री हंसराज भारद्वाज : मैं समझ गया हूं। वे बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। उन्हें बहुत अनुभव है। मैं जब भी बाहर जाता हूं, मैं हमेशा उनसे सीखता हूं, जब कभी वे बोलते हैं। हम भाग्यशाली हैं कि वे सभा में हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको उन्हें संबोधित नहीं करना चाहिए। आपको अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करना चाहिए।

श्री हंसराज भारद्वाज : अवमानना के विषय में मैं यह कहना चाहता हूं कि दो प्रकार की अवमाननाएं हैं—एक अधीनस्थ न्यायालयों की अवमानना तथा दूसरी अभिलेख न्यायालयों की अवमानना। अभिलेख न्यायालयों को अपनी ही अवमानना को दंडित करने का अधिकार है। अधीनस्थ न्यायालय अवमानना के मामले में दंडित करने के लिए उच्च न्यायालय को सिफारिश कर सकते हैं। अतः संविधान अभिलेख न्यायालयों को उनकी अवमानना करने वालों को दंडित करने की शक्ति प्रदान करता है। इस कानून के आधार पर हम सशक्तिकरण नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार उच्च न्यायालयों के प्रति सम्मान रखते हुए, उनके पास अपनी ही अवमानना को दंडित करने का अधिकार है। जब कोई न्यायाधीश कहता है आपको बचाव का अधिकार नहीं है केवल इसी विषय को लेकर हम इसमें कुछ संशोधन कर रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति कहता है कि उसका बचाव वैध है और यह सत्य है तो न्यायाधीश यह निर्णय लेंगे कि क्या यह सत्य है अथवा जनहित में है। उसके पश्चात वह कह सकते हैं कि "ठीक है मैं आपको बचाव प्रस्तुत करने की अनुमति देता हूं"। फिर यह एक अपीलीय आदेश होगा। अतः ये रक्षोपयोगी उपाय नागरिकों तथा साथ ही न्यायालयों को भी दिए जा रहे हैं। अनेक वक्ताओं ने न्यायपालिका, विधायिका तथा कार्यपालिका के बारे में बहुत कुछ कहा है। मैं यहां यह याद दिलाना चाहूंगा कि किसी के भी मन में किसी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए हमने इस संविधान को सफलतापूर्वक चलाया है।

भारत एक गौरवशाली देश है जहां सभी प्रकार के तनावों, सभी प्रकार के संस्थानिक तनावों के बावजूद न्यायपालिका, कार्यपालिका तथा विधायिका ने उत्कृष्ट कार्य किया है। जब भी संविधान की व्याख्या की गई है वह हमेशा ही न्यायपालिका के द्वारा की गई है। विधायिका संविधान की व्याख्या नहीं कर सकती। वह संविधान में संशोधन कर सकती है। जब भी संविधान में संशोधन किया जाता है। संशोधन की व्याख्या हमेशा ही उच्चतम न्यायालय के द्वारा की जाती है। आपने यह शक्ति दी है। संसद ने न्यायपालिका को यह शक्ति प्रदान की है। न्यायपालिका ने हमेशा ही सम्मान प्रदर्शित किया है। संसद में अध्यक्षपीठ ने हमेशा कहा है कि "वर्तमान न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा न करें।" हम ऐसा करने में हमेशा संयम बरतते रहे हैं। हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि जब हम वाद–विवाद करते हैं हम नियमों के अनुसार, संविधान के अनुसार वाद–विवाद करें तथा न्यायाधीशों पर आक्षेप न करें।

उसी प्रकार न्यायाधीशों को भी इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए। मैंने सार्वजनिक रूप से हमेशा कभी–कभार कड़े शब्दों में भी कहा है कि न्यायाधीशों को यह देखना चाहिए कि संसद एक निर्वाचित संस्था है जो परियोजनाओं, नीतियों तथा कार्यक्रमों के बारे में निर्णय लेती है। यह उनका अधिकार है। वे निर्वाचित लोग हैं। न्यायाधीश निर्वाचित नहीं हैं। इसलिए उन्हें यह निर्वाचित लोगों पर छोड़ देना चाहिए। जब भी कार्यपालिका स्वेच्छा से कार्यवायी करती है न्यायपालिका उसे निरस्त कर देती है। ऐसा करना कुछ गलत नहीं है क्योंकि उन्हें विधि के शासन की सर्वोच्चता को बनाए रखना है। हमने इस देश को पचास से भी अधिक वर्षों तक चलाया है। आज हमें इस पर गर्व है कि हम काफी हद तक अपनी संस्थाओं के सुरक्षण करने में सक्षम रहे हैं तथा असमंजस की कोई गुंजाइश नहीं है। अतः आज हम न्यायालय की अवमानना में छोटा सा संशोधन करने का आग्रह कर रहे हैं इसे सवीकार किया जाए।

साथ ही मैं यह कहना चाहूंगा कि मैं न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बचाना चाहता हूं। यह सरकार इसके लिए वचनबद्ध है। हम न्यायपालिका के प्रति कोई निरादार व्यक्त नहीं करना चाहते। परन्तु दूसरी ओर पूरे विश्व में तथा अधिकांश पश्चिमी देशों में विधि वक्ताओं की बहुत अधिक मांग है। मैं इंग्लैंड के विख्यात मुख्य न्यायमूर्ति लॉर्ड टेलर के बारे में याद है वे स्कॉट तथा इंग्लैंड की बार एसोसिएसन को सलाह देते थे मैं स्वयं वहां उपस्थित था परन्तु अब समय बदल गया है; न्यायाधीशों को अपनी आलोचनाओं की इतनी अधिक चिंता नहीं करनी चाहिए। इसी कारण से वे अब लार्ड चांसलर के कार्यालय में अलग स्कंध बना रहे हैं। इस प्रकार प्रजातंत्र में परिवर्तन स्वाभाविक है। कोई भी लोकतंत्र जो स्थिर है, जो समयानुसार बदलाव नहीं करता उसे इसका मूल्य चुकाना पड़ता है। इसलिए हमारी न्यायपालिका ने भी इसका स्वागत किया है। अब समय दूर नहीं है जब हम न्यायिक जवाबदेही जैसे विधेयक को प्रस्तुत करेंगे जैसा कि हम संसदीय मंच, कार्यपालिका की कार्रवाइयों की जवाबदेही प्रस्तुत कर रहे हैं। अतः न्यायपालिका को भी इस पर विचार करना चाहिए। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि हम न्यायपालिका के प्रति सम्मान व्यक्त नहीं कर रहे हैं।

हमारी न्यायपालिका के प्रति लोगों का सर्वाधिक विश्वास है। न्यायपालिका ने अपना कार्य भली–भांति किया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम अवमानना के कानून को केवल युक्तिसंगत बना रहे हैं। मैं इस सभा से आग्रह करूंगा कि वह इस विधेयक, जिसको संसद की स्थायी समिति का भरपूर समर्थन प्राप्त है, को पारित करे। वास्तव में यह उपाय पिछली सरकार द्वारा आरम्भ किए गए थे। हम इसे केवल अपने शासनकाल में पारित कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब विधेयक पर खंड–वार विचार करेगी। प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 1 **संक्षिप्त नाम**

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री महोदय से आग्रह है कि वे खंड संख्या 1 का संशोधन संख्या 2 प्रस्तुत करें।

किया गया संशोधन

पृष्ठ 1, पंक्ति 4,–

"2004" के स्थान पर

"2006" प्रतिस्थापित किया जाए। (2)

(श्री हंसराज भारद्वाज)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1 संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियमन सूत्र

किया गया संशोधन :

पृष्ठ 1, पंक्ति 1,–

"पचपनवें" के स्थान पर

"सत्तावनवें" प्रतिस्थापित किया जाए। (1)

(श्री हंसराज भारद्वाज)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, अब संशोधित रूप में विधेयक पारित करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं।

श्री हंसराज भारद्वाज : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 2.51 बजे

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव—*जारी*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब, हम मद संख्या 19, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को लेंगे। कल, जब सभा की कार्यवाही स्थगित हुई थी तो श्री अधीर चौधरी बोल रहे थे। अब, मैं श्री अधीर चौधरी से अनुरोध करूंगा कि वे अपनी बात जारी रखें।

श्री अधीर चौधरी (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल) : महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के बारे में बोलते हुए मैं इस बात की अवश्य ही प्रशंसा करूंगा कि यही वह सरकार है जो एक नए उर्जावान भारत का निर्माण करने हेतु कठिन प्रयास कर रही है। इस वक्तव्य की रूपरेखा सरकार द्वारा राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम जिसमें शांति और समृद्धि द्वारा विकास सुनिश्चित किया गया है, में किए गए वादों और वचन के बारे में बहुत कुछ दर्शाती है। महोदय, हमारे देश के विकास के लिए जो पांच स्तंभ जिनकी पहचान की गई है उन्हें रक्त की एक बूंद भी बहाए बिना हमारे आम लोगों की आंखों से आंसू की एक–एक बूंद पोंछ देने की

प्रतिबद्धता दर्शानी है। मैं इस सरकार द्वारा स्वतंत्रता के पहले संग्राम की 150वीं वर्षगांठ मनाए जाने के निर्णय की प्रशंसा करता हूं। इससे हमारी वर्तमान पीढ़ी व आने वाली पीढ़ियों को उन सिफारिशों की गाथा और बलिदानों के बारे में जानने को मिलेगा जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यवाद की दासता से भारत को मुक्त कराने के लिए संघर्ष किया था। यद्यपि वे असफल रहे तथापि उनके बलिदान ने हमारे लोगों के मानस पटल पर एक अमिट छाप छोड़ी है। बाद के स्वतंत्रता आंदोलन उन विद्रोहियों से प्रेरणा लेते रहे जो उत्साह, शक्ति और शूरवीरता के प्रतीक बन गए थे। इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता कि हमारी अर्थव्यवस्था सही मार्ग पर है जिसमें वृहत अर्थशास्त्र सकारात्मक है।

हमारे पास 143 बिलियन अमरीकी डॉलर का भारी-भरकम विदेशी मुद्रा भंडार है। निर्यात में वृद्धि भी बहुत प्रभावशाली है और जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात महसूस की गई है वह है कि निवेश दर और बचत दर बहुत अनुकूल है, जो कि हमारे देश के विकास और विशेषकर सामाजिक दायित्वों को पूरा करने की हमारी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है। 122 बिलियन अमरीकी डॉलर का विदेशी ऋण चुका दिया गया है और हमारी अर्थव्यवस्था ने लगभग 8 प्रतिशत विकास दर दर्ज की है जो कि समकालीन परिस्थिति में एक अभूतपूर्व बात है।

महोदय, सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) डॉलर में, के अनुसार भारत विश्व की दस प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। क्रय शक्ति के अनुसार भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। प्रतियोगी विकास के मामले में हमारा स्थान 55वां है। स्वाभाविक रूप से आर्थिक परिदृश्य हमारे विकास के लिए महत्वपूर्ण है। भारत विश्व के 10 सर्वाधिक सम्पन्न देशों में से एक है। तथापि, आत्मसंतुष्टि के लिए यहां कोई स्थान नहीं है और अभी भी हमारी अर्थव्यवस्था के कुछ अंधेरे पहलू हैं जिन्हें हमारे सतत प्रयासों से दूर किए जाने की आवश्यकता है।

स्वाभाविक रूप से वह वक्तव्य हमारे देश की वृद्धि, समृद्धि और विकास के प्रति हमारे सतत प्रयासों के प्रमाण को परिलक्षित और वहन करती है। कुछ लोग इसके विरोध में तर्क दे सकते हैं। वे ऐसा करने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन केवल विरोध करने के लिए हमें इस अवधि के दौरान हमारे द्वारा हासिल किए गए लक्ष्यों और सफलताओं का विरोध नहीं करना चाहिए।

हां, अवसंरचना किसी विकासशील अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निबाहती है? यहां, इस वक्तव्य में यह कहा गया है कि सड़कों के नेटवर्क के विकास हेतु 1,72,000 करोड़ रुपये तथा समर्पित माल ढुलाई गलियारों के लिए 20,000 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। मैं सभा का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि आंतरिक जल परिवहन प्रणाली को अभी भी एक उपेक्षित बच्चे की भांति देखा जाता है जबकि उसमें इतनी क्षमता है कि उन पर भरोसा किया जा सकता है, तथापि, यह पाया गया है कि विकसित देशों में भी आंतरिक जल परिवहन प्रणाली को पर्याप्त मान्यता प्रदान की गई है। 'आब्जर्वर' का यह मानना है कि यदि आपको सड़क मार्ग से एक टन माल ले जाना है तो आपको 24 किलोमीटर के लिए एक लीटर ईंधन की आवश्यकता होती है।

अपराह्न 3.00 बजे

यदि आप रेल से ले जाते हैं तो 1 लीटर ईंधन में आप 85 किलोमीटर तक जाएंगे लेकिन यदि आप जल परिवहन का उपयोग करते हैं तो आप प्रति लीटर में 105 किलोमीटर तक जाएंगे। केवल इतना ही नहीं इसकी अन्य मुख्य विशेषताएं यह हैं कि जलमार्गों की पूंजीगत लागत सड़क परिवहन के पांच प्रतिशत और रेल परिवहन के दस प्रतिशत के बराबर है। यहां तक कि इसके रखरखाव की लागत भी सड़क और रेल क्षेत्र में केवल 20 प्रतिशत के बराबर ही है। संयुक्त राज्य अमरीका में जलमार्गों की लम्बाई 50,000 किलोमीटर है। रूस में जलमार्गों की लम्बाई, 1,42,000 किलोमीटर है। चीन में यह, 1,08,000 किलोमीटर है। फ्रांस में यह 64,000 किलोमीटर है। लेकिन भारत में यह बहुत कम, केवल 2500 किलोमीटर तक की नौवहन क्षमता ही उपलब्ध है। महोदय, इसलिए, मैं सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि ईंधन की बचत को ध्यान में रखते हुए, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए, आंतरिक जलमार्गों को समुचित वरीयता दी जानी चाहिए और इसे हमारे अवसंरचनागत क्षेत्र का एक समन्वित हिस्सा समझा जाना चाहिए।

जहां तक विदेशी मामलों का संबंध है, हमारे साथियों ने इतना शोर मचाया है कि जैसे हम अपनी पुरानी विदेश नीति से भटक गए हों। किसी देश की विदेश नीति उसकी परंपरा, उसके इतिहास, संस्कृति, अर्थव्यवस्था, सेना और उसके पड़ोसियों सहित अन्तर्राष्ट्रीय और घरेलू कारकों पर निर्भर करती है। यह जानकर दुख होता है कि हम प्रतिकूल पड़ोसियों से घिरे हुए हैं। वे हमारी संस्कृति के करीब हैं परन्तु हमारी राजनैतिक परंपराओं से बहुत दूर हैं। स्वाभाविक रूप से हमें अपनी विदेश नीति के मुद्दों को सावधानीपूर्वक सुलझाना होता है। वर्षों से भारत अहिंसा, पंचशील और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के मार्ग पर चलता रहा है। हम साम्राज्यवाद, रंगभेद और जातीय भेदभाव का विरोध कर रहे हैं। अब,

[श्री अधीर चौधरी]

हमारे कुछ साथी इस सरकार को कलंकित करने का प्रयास कर रहे हैं। जिसका नेतृत्व भारत के एक विख्यात और सबसे सक्षम प्रधानमंत्री कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि हम अपने पुराने मार्ग से पथभ्रष्ट हो रहे हैं। ऐसा नहीं है। वर्ष 1953 में जवाहरलाल नेहरू ने, हमारी विदेश नीति का प्रारूप तैयार किया था। उन्होंने कहा था: "बोल्शेविक और फासीवाद, पश्चिम की ये दो धाराएं हैं, वे वास्तव में एक जैसी ही हैं, वे विभिन्न चरणों में हिंसा और असहिष्णुता को परिलक्षित करती हैं। अतः हमारी पसंद एक ओर लेनिन व मुसोलीनी तथा दूसरी ओर महात्मा गांधी के बीच है।" उन्हें रूस द्वारा बलपूर्वक फिनलैंड पर कब्जा किए जाने की घटना से दुख हुआ था। उन्हें 1939 में रूस और जर्मनी के बीच आपस में युद्ध न करने के समझौते से धक्का पहुंचा था। जिन साम्यवादियों ने कभी भी देश के प्रति वफादारी नहीं दिखाई वे आज हमसे विदेश नीति पर बहस कर रहे हैं। ये साम्यवादी गिरगिट की भांति रंग बदलने में माहिर हैं। यहां ये प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का विरोध कर रहे हैं और पश्चिम बंगाल में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की गुहार लगा रहे हैं। इस प्रकार की दोगली बातें कई बार मुझे उलझन में डाल देती हैं।

महोदय, पश्चिम बंगाल में, श्री बुद्धदेव भट्टाचार्य, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री प्रचारक बन गए हैं जो प्रतिदिन विदेशी निवेशकों को यह कह–कहकर आकर्षित कर रहे हैं कि मजदूर संघों की कोई समस्या नहीं होगी और सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी। महोदय, अब वे पूंजीवाद का पक्ष ले रहे हैं और दिल्ली में वे सुधार–विरोधी दिख रहे हैं, महोदय, केवल इतना ही नहीं, ईरान के मामले पर वे भारतीय से अधिक ईरानी दिखाई दे रहे हैं।

महोदय, ईरान में क्या हुआ? हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में बहुत स्पष्ट रूप से कहा है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री खारवेल स्वाईं (बालासोर) : महोदय, वे साम्यवादियों पर हमला कर रहे हैं। कृपया उन्हें और अधिक समय दीजिए... *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपसे अधिक जानता हूं।

श्री अधीर चौधरी : मैं प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य में से उद्धृत करता हूं। उन्होंने कहा है :

> "ईरान के अधिकारों व दायित्वों की रक्षा करने तथा हमारे विस्तारित पड़ोस में प्रसार की गतिविधियों से उत्पन्न सुरक्षा चिंताओं ने हमारी स्थिति निर्धारित की है, इसलिए, हमारा रवैया एक ऐसे द्विपक्षीय समझौते के आधार पर दोनों पक्षों को स्वीकार्य हल निकालने के सभी प्रयासों को लगातार बढ़ावा देते रहने का है जिससे ईरान के हितों की रक्षा हो सके और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चिंताओं का भी निराकरण हो जाए। हमने आई.ए.ई.ए. में इस दिशा की ओर बढ़ने हेतु आम सहमति बनाने का लगातार प्रयास किया है। सितम्बर, 2005 और इस माह के आरंभ में हुई आई.ए.ई.ए. के निदेशक मंडल की दोनों बैठकों में हमारा तर्क यही रहा है।"

महोदय, हमारे जोर देने के कारण ही ईरान मुद्दे के बारे में संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद को सूचना मात्र दी गई है। महोदय, वे आई.ए.ई.ए. की बैठक में हमारे द्वारा इस मामले पर जोर दिए जाने को भूल रहे हैं।

महोदय, हम विश्व के नक्शे से इजराइल को मिटा देने के आह्वान के विरुद्ध हैं। इसी प्रकार हम ईरान समस्या के सौहार्दपूर्ण हल पर जोर दे रहे हैं। ईरान ने एन.पी.टी. पर हस्ताक्षर किए हैं जिसका भारत दशकों से विरोध करता आया है। विकसित देशों के सभी प्रयासों और दबावों व विरोध का सामना करते हुए भी हमारा यही विचार है कि एन.पी.टी. भेदभाव के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। यह एक परमाणवीय भेदभाव है जिसका भारत विश्व के विभिन्न मंचों से विरोध करता रहा है।

महोदय, यही वह देश है जिसने फिलिस्तीनी लोगों के उद्देश्य का समर्थन किया था। इसी प्रकार, हम यह देखना चाहते हैं कि वर्तमान फिलीस्तीनी शासन व्यवस्था लोकतांत्रिक और जन हितैषी हो। महोदय, यही वही देश है जिसने वियतनाम और दक्षिण अफ्रीका के लोगों को जातीय भेदभाव के विरुद्ध नैतिक, राजनैतिक और वैचारिक समर्थन दिया। अब, ये साम्यवादी हमें उपदेश दे रहे हैं। महोदय, इन्हीं साम्यवादियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था। इन्हें यह याद होना चाहिए कि इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था। जब प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्रता का आनंद उठा रहा था वे उसका पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे थे। इन्होंने महान् रविन्द्र नाथ टैगोर को साम्राज्यवाद की कठपुतली बताया था। अब, वे दिल्ली में एक संत की भूमिका अदा कर रहे हैं लेकिन वास्तव में पश्चिम बंगाल में वे शैतान हैं।

महोदय, चुनाव आयोग ने लाखों फर्जी मतदाताओं के नाम उजागर किए हैं। हमें अपनी निर्वाचन संस्था पर गर्व है। लाखों फर्जी मतदाता और लाखों जाली राशनकार्ड धारक खुले घूम रहे हैं। जिनका हाल ही में पता लगाया गया है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अब अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री अधीर चौधरी : महोदय, सं.प्र.ग. सरकार कठिन प्रयास कर रही है...*(व्यवधान)* यह दूसरी बात है परन्तु आपको इसे स्वीकार करना होगा क्योंकि यह इतिहास है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया उनके भाषण में व्यवधान न डालें।

श्री अधीर चौधरी : महोदय, इतिहास को कोई नकार नहीं सकता। यह ऐतिहासिक सत्य है कि आपने भारत छोड़ो संकल्प का विरोध किया था।

महोदय, संप्रग सरकार हमारे देश की प्रगति के लिए कठिन प्रयास कर रही है। इसका कारण है कि विश्व का नैतिक नियम प्रगति करना है। इस पृथ्वी पर आने वाली हर पीढ़ी प्रगति में किसी प्रकार का योगदान किए बिना गुजर जाती है। मानवता के इतिहास में कहीं भी उनका उल्लेख नहीं होगा और आने वाली पीढ़ी उनके नामोनिशान मिटाकर गुजर जाती है। इसीलिए हम प्रगति के लिए परिश्रम कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री अधीर चौधरी : जहां तक कृषि का संबंध है, हमने कृषि संबंधी भावी योजना तैयार कर ली है। 'भारत निर्माण' के अंतर्गत एक करोड़ हेक्टेयर नये क्षेत्र में सिंचाई का प्रस्ताव है। महोदय, 2012 तक 1.28 करोड़ हेक्टेयर भूमि में ड्रीप और छिड़काव सिंचाई में लाभप्रद वृद्धि का लक्ष्य है ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष को पुनर्जीवित किया गया तथा उसमें विस्तार की गई। वर्ष 2004–05 में ग्रामीण ऋण प्रवाह में 43 प्रतिशत की वृद्धि हुई और वर्ष 2005–06 के लिए 22 प्रतिशत और अधिक का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। महोदय, 5.57 लाख स्व–सहायता समूहों को डेढ़ वर्ष के अंदर ऋण सुविधा से जोड़ा गया है। अल्प–कालिक ग्रामीण सहकारिता ढांचे को पुनर्जीवित करने के लिए 13,596 करोड़ रुपये का एक पैकेज है। एकीकृत बाजार का सृजन किया गया। वैट के अंतर्गत राज्यों को कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम को समाप्त करने के लिए सहमत किया गया। कृषि–उत्पाद निर्यात अधिभार को समाप्त किया जाना है। कृषि अनुसंधान और विस्तार परिव्यय में 48 प्रतिशत की वृद्धि की गई, इसका मतलब है कि 2 वर्षों में 375 करोड़ रुपये की वृद्धि की गई। विस्तार, कृषि, गोदामों और विपणन ढांचे के लिए नई योजना शुरू की गई। शीत–शृंखला क्षेत्रों को बड़े पैमाने पर अनुमति दी गई।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री अधीर चौधरी : अब हमारे प्रतिपक्ष के मित्र लघु क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के विरुद्ध तर्क दे रहे हैं। वे हवाई अड्डों के आधुनिकीकरण के विरुद्ध बहस कर रहे हैं। भारतीय विमान प्राधिकरण के पास हवाई अड्डों के आधुनिकीकरण के लिए पर्याप्त धन नहीं है। यदि उनके पास धन होता तो वे हवाई अड्डे के आधुनिकीकरण का काम स्वयं क्यों नहीं करते?

अब अवसंरचना विकास के युग में हम चुपचाप बैठे नहीं रह सकते क्योंकि इस समय भारत राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन की तैयारी में लगा है। महोदय, हमारे अवसंरचना विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आधुनिकीकरण एक महत्वपूर्ण घटक है जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती।

साम्यवादी लोग विश्व व्यापार संगठन का विरोध कर रहे हैं और संसद में भी वे मात्रात्मक प्रतिबंध को कई चरणों में समाप्त किए जाने का विरोध कर रहे हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि उनके सहयोगी चतुरानन मिश्र; जो कभी कृषि मंत्रालय के प्रभारी थे, ने अपने कार्यकाल में विश्व व्यापार संगठन में कोई अनुवृद्धि नहीं की। अब वे संसद में इसका विरोध कर रहे हैं। यही कारण है कि संसद में साम्यवादी दल का दोहरा बर्ताव और कुछ नहीं बल्कि विभिन्न राज्यों विशेषकर पश्चिम बंगाल में होने वाले आगामी चुनावों में राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए एक राजनीतिक चाल, एक राजनीतिक कपट है।

यही कारण है कि मैं अपनी सरकार के सभी वक्तव्यों का तथा उसके द्वारा प्राप्त सभी उपलब्धियों और सफलताओं, जिनका उल्लेख राष्ट्रपति के अभिभाषण में हुआ है, का समर्थन करता हूं। मैं आशा करता हूं कि मनमोहन जी के सक्षम नेतृत्व में हमारा राष्ट्र तेजी से आगे बढ़ेगा।

श्री खारवेल स्वाईं (बालासोर) : आपकी टिप्पणियों के लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

***श्री सुखदेव सिंह ढींडसा** (संगरूर) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे अपनी मातृभाषा में बोलने का अवसर प्रदान किया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आज इस गरिमापूर्ण सभा में विभिन्न भाषाओं में भाषण किए गए। हमारे देश में विभिन्न संस्कृतियों और कई भाषाओं के बोलने वाले लोग रहते हैं। विगत में मुझे पंजाबी में बोलने का अवसर नहीं मिला था। लेकिन आपने मुझे यह अवसर प्रदान किया और मैं आपका आभारी हूं। महोदय, संसद के दोनों सदनों का राष्ट्रपति द्वारा संबोधन संबंधी धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हो

*मूलतः पंजाबी में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

[श्री सुखदेव सिंह ढींडसा]

रही है। हम सभी जानते हैं कि हमारे माननीय राष्ट्रपति एक विख्यात वैज्ञानिक और महान व्यक्ति हैं। लेकिन राष्ट्रपति का अभिभाषण तत्कालीन सरकार द्वारा तैयार किया जाता है जिसमें उसके कार्यक्रमों और नीतियों की रूप-रेखा होती है। माननीय राष्ट्रपति केवल इसे पढ़ते हैं। तत्कालीन सरकार अपनी तथाकथित उपलब्धियों का बढ़-चढ़कर बखान करती है जबकि जनता की समस्याओं के समाधन से जुड़ी नीतियों का ईमानदारीपूर्ण मूल्यांकन पीछे छूट जाता है।

महोदय, भारत के स्वतंत्र होने के बाद संविधान सभा ने डा. अम्बेडकर के नेतृत्व में देश के लिए संघीय ढांचे को अपनाया था। राज्यों तथा केन्द्र सरकार के अधिकारों की सीमा स्पष्ट तौर पर निर्धारित कर दी गई है। लेकिन यह कहते हुए मुझे दुःख हो रहा है कि समय बीतने के साथ-साथ केन्द्र सरकार ने राज्यों के अधिकारों का अतिक्रमण शुरू कर दिया। स्वतंत्रता के लिए बलिदान करने वालों में पंजाब किसी से पीछे नहीं था। लेकिन स्वतंत्रता के बाद पहली बार पेप्सू तथा उसके बाद यूनाइटेड फ्रंट के नेतृत्व में बनी केरल सरकार को बिना किसी कारण के अनुच्छेद 356 को लागू करते हुए बर्खास्त कर दिया गया। ऐसा मुश्किल से स्वतंत्रता के डेढ़ साल के बाद ही हुआ। पंजाब के साथ अन्याय हुआ। हमारे बलिदानों के बावजूद हमें पंजाबी भाषी लोगों के लिए अपना 'पंजाबी सुबा' या राज्य प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। कई बलिदान करने पड़े। साठ हजार से अधिक लोगों को कैद किया गया। लेकिन जो राज्य हमें मिला वह कटा हुआ राज्य था जिसकी अपनी राजधानी ही नहीं थी। स्वतंत्रता के बाद भाषायी आधार पर जितने राज्य बने उन सबकी अपने-अपने राजधानी शहर थे।

मूल राज्य को अपनी राजधानी अपने पास रखने का अधिकार प्राप्त हुआ। जब गुजरात बना तब यह मांग आई थी कि बम्बई को महाराष्ट्र और गुजरात की संयुक्त रूप से राजधानी बनाया जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ बम्बई महाराष्ट्र में अवस्थित थी। इसलिए इसे महाराष्ट्र को दे दिया गया। इसी प्रकार, जब आंध्र प्रदेश बना तब भी मद्रास तमिलनाडु की राजधनी बना रहा। तथापि, पंजाब के मामले में इससे इसकी राजधानी छीन ली गई। यह एक अपूर्व कदम था।

पंजाबी भाषी क्षेत्र के मुद्दे पर भी पंजाब के साथ अन्याय हुआ। कई पंजाबी भाषी क्षेत्र इस बहाने हिमाचल प्रदेश को दे दिए गए क्योंकि वे पहाड़ी क्षेत्र थे। कुछ पंजाबी भाषी क्षेत्र हरियाणा को दे दिए गए। परिणामतः इन सभी राज्यों के बीच मतभेद पैदा हो गए। अनेक आयोगों की नियुक्ति हुई। लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं निकला।

तथापि, पंजाब के साथ सबसे बड़ा अन्याय तब हुआ जब उससे उसका नदी-जल का हिस्सा छीन लिया गया। अंतर-राज्यीय अधिकरणों का गठन हुआ। तथापि, पंजाब से होकर बहने वाली नदियां अंतर-राज्यीय नदियां नहीं थीं। वे केवल पंजाब से होकर बहती थीं। इस मुद्दे पर अंतरराज्यीय अधिकरण की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। श्रीमती इंदिरा गांधी ने अनुचित रूप से हरियाणा को पानी दे दिया। लेकिन, अब पंजाब को सिंचाई के लिए पानी की आवश्यकता है। हमारे पास एक बूंद भी अतिरिक्त पानी नहीं है। नदी जल में पंजाब का जो हिस्सा था उसे दूसरे राज्यों को दे दिया गया। यह अन्याय था।

श्री प्रभुनाथ सिंह बिहार के बारे में बात कर रहे थे। हम सभी जानते हैं कि बिहार में राष्ट्रपति शासन कैसे लागू किया गया। उसी प्रकार पंजाब के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप पंजाब से हैं। माननीय प्रधानमंत्री, डा. मनमोहन सिंह भी पंजाब से हैं। वर्ष 1967 से 1970 के बीच पंजाब में तीन चुनी हुई सरकारें बर्खास्त कर दी गईं और केन्द्र द्वारा तीन नई सरकारें स्थापित की गईं। परिणामतः, शिरोमणि अकाली दल को आनंदपुर साहेब संकल्प पारित करने के लिए बाध्य किया गया। लेकिन इस संकल्प के संबंध में एक दुष्प्रचार अभियान शुरू किया गया। इसे इस प्रकार प्रचारित किया गया जैसे हम भारत से अलग होना चाहते थे। लेकिन वास्तविकता क्या थी? आनंदपुर साहेब संकल्प में मांग की गई थी कि केन्द्र के पास चार विषय होने चाहिए। ये चार विषय थे-रक्षा, विदेशी मामले, संचार और मुद्रा। संकल्प में यह मांग की गई थी कि अन्य सभी विषय राज्य सरकारों को सौंप दिए जाएं। लेकिन इस संकल्प पर अलगाववाद का रंग चढ़ा दिया गया और अकाली दल को दैत्य के रूप में प्रचारित किया गया। इस दुष्प्रचार का सहारा लेकर कांग्रेस चुनाव जीत गई और हमें अनुचित रूप से दंडित किया गया। इससे दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियां पैदा हुईं और एक दशक से ज्यादा समय तक पंजाब में खून बहता रहा। यह हिंसा की आग में जलता रहा। अन्याय ही इस हिंसा का मूल कारण था।

सरकारिया आयोग का गठन हुआ। इसने कई सिफारिशें कीं। उनमें से किसी का आज तक कार्यान्वयन नहीं हुआ है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी के शासन काल में एक संविधान समीक्षा समिति का गठन हुआ था। इसका एक कार्य राज्यों और केन्द्र के अधिकारों और शक्तियों के संबंध में संविधान की समीक्षा करना था। लेकिन सरकार बदल जाने के बाद सारी योजना ठंडे बस्ते में डाल दी गई।

अब संविधान समीक्षा समिति की नियति क्या है हम सभी जानते हैं। मेरा मुद्दा है कि सरकारिया आयोग की एक भी सिफारिश आज तक स्वीकार नहीं की गई है। इस प्रकार के कार्यों से किसी आयोग के गठन का उद्देश्य ही विफल हो जाता है। मैं जोरदार शब्दों में यह मांग करता हूं कि हमारे देश में संघीय ढांचा होना चाहिए। केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों के अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। केन्द्र द्वारा अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। पंजाब के विरुद्ध भेदभाव और अन्याय अवश्य रोका जाना चाहिए।

मैं चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री इस बात को जानें कि पंजाब ने बहुत क्षति उठाई है। कुछ दिन पूर्व हिन्दुस्तान टाइम्स ने एक ऐसे व्यक्ति के बारे में समाचार प्रकाशित किया था जो पुलिस के अभिलेख में मर चुका है। उसे संभवतः एक मुठभेड़ में मारा गया मान लिया गया। लेकिन वह व्यक्ति वास्तव में अभी भी जीवित है और एक सामान्य जिन्दगी जी रहा है। पुलिस के गुप्त समर्थन से वह लोगों से लाखों रुपये की जबरन वसूली कर चुका है। जब यह रिपोर्ट प्रकाशित हुई तब वर्तमान पुलिस महानिदेशक ने एक पत्रकार–सम्मेलन बुलाया जिसमें पूर्व पुलिस महानिदेशक श्री गिल भी उपस्थित थे। उन्होंने एक चौंकाने वाला रहस्योद्घाटन किया कि वे लगभग तीन सौ ऐसे मामलों के बारे में जानते हैं जिनमें पुलिस अभिलेख कुछ लोगों के बारे में कहा गया कि उन्हें समाप्त कर दिया गया है, लेकिन वे वास्तव में जीवित थे। वास्तव में हमने भी मांग की है कि यदि कोई रास्ते से भटक गया है और राष्ट्र की मुख्य धारा में आना चाहता है तो उसे पुनर्वासित किया जाना चाहिए। ऐसे लोगों को आम माफी दी जानी चाहिए। किंतु यदि ऐसे लगभग तीन सौ लोगों की सूची हो तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या हमारा संविधान किसी पुलिस महानिदेशक और पुलिस बल को किसी को समाप्त की अनुमति देता है? हमारे युवक बीस वर्ष से भी अधिक समय से जेलों में क्यों पड़े हुए हैं? मैं अभी तक यह नहीं समझ पाया हूं कि क्या यह सब संवैधानिक है या नहीं?

हमें इन सभी विषयों पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए। पंजाब में एक भय पैदा किया जा रहा है कि आतंकवाद फिर से जीवित हो सकता है। किंतु जैसा कि पूर्व पुलिस महानिदेशक ने स्वीकार किया है ऐसे लगभग तीन सौ लोग जीवित हैं और पुलिस की आड़ ले रहे हैं। इसलिए, मैं प्रधानमंत्री से अपील करता हूं कि इसमें हस्तक्षेप करें और सुनिश्चित करें कि पंजाब में आतंकवाद पुनः पनपने के लिए अनुकूल वातावरण न बनने दिया जाए।

अब, मैं कृषि की बात करता हूं। हम सब जानते हैं कि किसानों की हालत दयनीय है। जब हमारे देश में विश्व व्यापार संगठन का विरोध किया गया था तो हम प्रसन्न थे। हमारे वाणिज्य मंत्री ने दावा किया था कि किसानों के हितों के साथ समझौता नहीं किया जाएगा। किंतु, बाद में उन्होंने हथियार डाल दिए और सहमत हो गए। माननीय अध्यक्ष महोदय आपको पश्चिमी शक्तियों और औद्योगिक देशों के दोहरे मानदंड पर हैरत होगी। यूरोपीय देश, अमरीका और जापान अपने किसानों को सैकड़ों मिलियन डालर राजसहायता देते हैं। मैं माननीय अध्यक्ष का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे यूरोपीय संसद की यात्रा करने वाले शिष्टमंडल में शामिल किया। अंतरसंसदीय बैठकों के दौरान मैंने जोरदार ढंग से यह मुद्दा उठाया। विश्व व्यापार संगठन की व्यवस्था के अनुसार विकासशील देशों को अपने किसानों की राजसहायता कम करने हेतु कहा गया। किंतु विकसित देशों के लिए अलग कानून हैं। यूरोपीय संघ के फ्रांसीसी अध्यक्ष ने विकसित देशों द्वारा अपने किसानों को दी जा रही राजसहायता वापस लेने से साफ इंकार कर दिया। मेरे पास आंकड़े हैं। इंग्लैंड की महारानी को कृषि पर सात लाख डालर की वार्षिक राजसहायता मिलती है। मोनाको नामक एक छोटा देश है। इसके राजकुमार को कृषि पर तीन लाख डालर की वार्षिक राजसहायता मिलती है। किंतु वे हमारे किसानों को मिलने वाली राजसहायता बंद कराना चाहते हैं। यह साफ दोगलापन है। वे चाहते हैं कि हमारे किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं दिया जाना चाहिए। उन्हें बाजार में प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए। तथापि, जब समान शर्तें नहीं होंगी तो हमारे किसान कैसे बच पाएंगे?

मुझे इस खबर से दुख हुआ कि सरकार ने पांच लाख टन गेहूं आयात किया है। सरकार हमारे किसानों को केवल छह सौ चालीस रुपए देती है। किंतु यह हमारे हजार रुपए विदेशी किसानों को भुगतान करके गेहूं का आयात करती है। सरकार हमारे अपने किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर केवल दस रुपए ही बढ़ाती है। यह कैसा न्याय है?

मेरे पास सरकार और पंजाब के विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा कराए गए विभिन्न अध्ययनों के तथ्य और आंकड़े हैं। माननीय प्रधानमंत्री एक महान अर्थशास्त्री हैं। उन्हें इन तथ्यों और आंकड़ों की जानकारी होगी। वर्ष 2000–2001 में थोक मूल्य 580 रुपए था। वर्ष 2004–2005 में यह बढ़कर 640 रुपए हो गया। थोक मूल्य सूचकांक 18609 तक पहुंच गया। इसका क्या अर्थ है? इस अवधि के दौरान मुद्रास्फीति में 4.5% की वृद्धि हुई। किंतु उसी अवधि में न्यूनतम समर्थन मूल्य में 1.23% वृद्धि हुई। इसका अर्थ है कि हम किसानों को बहुत कम भुगतान कर रहे हैं। किसानों को कम से कम 718 रुपए मिलने चाहिए थे। किंतु हमने न्यूनतम समर्थन मूल्य में केवल 10 रुपए की बढ़ोतरी की। हमने किसानों को

[श्री सुखदेव सिंह ढींडसा]

650 रुपए का ही भुगतान किया। इन परिस्थितियों में हमारे किसान अंतरराष्ट्रीय बाजार में कैसे प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं? हम राजसहायता को समाप्त करने जा रहे हैं। हम न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं बढ़ा रहे हैं। यह किसानों के लिए मुश्किल परिस्थिति है। हम इन हालातों में खाद्यान्न की उत्पादकता कैसे बढ़ा सकते हैं?

पंजाब के किसानों की क्या हालत है? वर्ष 2000–2001 में पंजाब में एक किसान की प्रति व्यक्ति आय 12,375 रुपए थी जबकि राज्य की 15,210 रुपए थी। वर्ष 2003–2004 में किसानों की प्रति व्यक्ति आय घटकर 11,587 रुपए रह गई जबकि राज्य की आय बढ़कर 15,219 रुपए पहुंच गई। इसका अर्थ है कि पंजाब में किसान की प्रति व्यक्ति आय 6.37% कम हो गई है। इस हालात में खाद्यान्न की उत्पादकता कैसे बढ़ सकती है? मैं पंजाब के संबंध में यह तथ्य और आंकड़े प्रस्तुत कर रहा हूं क्योंकि जहां तक खाद्यान्न का संबंध है तो केन्द्रीय पूल में पंजाब का योगदान सबसे अधिक होता है। हम पहले से जानते हैं कि पंजाब को सिंचाई हेतु पानी की आवश्यकता है। पंजाब के लगभग 98% क्षेत्र में खेती होती है। हम केन्द्रीय पूल में 89.4 लाख टन गेहूं का योगदान करते हैं। हम केन्द्रीय पूल में कुल 37.9% चावल का योगदान करते हैं। पंजाब में लगभग 30,19,000 हेक्टेयर भूमि की ट्यूबवेल से सिंचाई की जा रही है। इसका अर्थ है कि हम 75% भूमि पर ट्यूबवेलों से सिंचाई कर रहे हैं। नहरों की मदद से सींचा जाने वाला क्षेत्र लगभग 10,09,000 हेक्टेयर है। यह कुल सिंचित क्षेत्र का 25% ही है। इस तरह हमें नहरों से सिंचाई हेतु पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा है। वस्तुतः जो पानी हमारा है उसे अन्य पड़ोसी देशों में भी भेजा जा रहा है। चूंकि पंजाब को भू–जल पर ही अधिक निर्भर रहना पड़ता है इसलिए जल–स्तर तेजी से नीचे जा रहा है। डा. एस. एस. जोहाल अर्थशास्त्री तथा विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति और वर्तमान में पंजाब योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष ने पंजाब में भू–जल की गहराई के संबंध में एक चिंताजनक रिपोर्ट दी है। पंजाब के 17 ब्लॉक में भू–जल 157 फीट से नीचे उपलब्ध है। केवल 24 ब्लॉकों में 97 फीट की गहराई पर पानी उपलब्ध है। पंजाब के अन्य ब्लॉक में 157 फीट और 129 फीट के बीच गहराई में पानी उपलब्ध है। और जल–स्तर तेजी से नीचे गिर रहा है।

माननीय राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कहा है कि सहकारी बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान किसानों को ऋण देंगे। किन्तु ब्याज दर कम नहीं की गई है। यदि कोई कार खरीदता है तो ब्याज दर 6.5% से 7.0% के बीच है। तथापि, किसानों को दिए जाने वाले ऋण पर ब्याज दर 10% है। परिणामस्वरूप किसान ऋण जाल में फंस जाते हैं। अन्य राज्यों के किसान भी इस कठिनाई को अनुभव कर रहे हैं। 1996–97 में पंजाब के किसानों पर कुल ऋण 5750 करोड़ रुपए था। 2002–2003 में यह बढ़कर 9886 करोड़ रुपए पहुंच गया। यह आंकड़े मैंने नहीं बनाए हैं। यह पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों द्वारा किए गए अध्ययन से संबंधित हैं। यदि आप वर्ष 2005–06 में किसानों पर कुल ऋण की गणना करें तो अनुमान लगभग 13,000 करोड़ रुपए का होगा। यदि पंजाब के किसान ऐसी दयनीय हालत में हैं तो पंजाब कैसे प्रगति कर सकता है? अथवा भारत कैसे प्रगति कर सकता है?

सम्पूर्ण दक्षिण–पूर्व एशिया, मध्य–पूर्व और अफ्रीका खाद्यान्नों का आयात कर रहे हैं। केवल थाइलैंड चावल का निर्यात करता है। भारत में ही केवल पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पास खाद्यान्नों का बफर स्टाक है। हमारी ऐसी हालत है परन्तु हम अपने किसानों को संकट से उबारने के लिए तैयार नहीं हैं।

माननीय प्रधानमंत्री यहां उपस्थित नहीं हैं। माननीय मंत्री श्री बंसल यहां हैं। मैं उनसे अपील करता हूं कि मेरी बात सुनें। माननीय प्रधानमंत्री ने बहुत जोश के साथ अमृतसर में एक आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के संबंध में घोषणा की थी। परन्तु उस घोषणा के बाद अमृतसर का कहीं कोई जिक्र नहीं है। क्या मंत्रिमंडल ने कुछ और निर्णय लिया है? पंजाब एक सीमावर्ती राज्य है। परन्तु यहां कोई उद्योग स्थापित नहीं किए जा रहे हैं। हमने उत्तरांचल, जम्मू और कश्मीर अथवा हिमाचल प्रदेश में उद्योग स्थापित करने का कभी विरोध नहीं किया। किन्तु पंजाब के साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? पंजाब दर्दनाक अनुभवों से गुजरा है। इसने दुखभरा समय देखा है। यह एक सीमावर्ती राज्य है। इसकी उपेक्षा क्यों की जा रही है? पंजाब में कोई औद्योगिक ढांचा स्थापित नहीं किया जा रहा है। पंजाब में कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। कृषि बर्बाद हो रही है। उद्योग संकट में हैं। उद्योगपति हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल और जम्मू और कश्मीर की ओर पलायन कर रहे हैं। एक समय था जब पंजाब की भारत में सर्वाधिक प्रतिव्यक्ति आय थी। आज, यह पांचवें स्थान पर पिछड़ रहा है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि पंजाब के साथ अन्याय क्यों किया जा रहा है।

हमने सम्माननीय सभा में नानावती आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा की थी। माननीय प्रधानमंत्री ने दंगा पीड़ितों के लिए एक पैकेज की घोषणा की थी। मंत्रिमंडल ने भी इस घोषणा को अपनी मंजूरी दी थी। कुछ प्रभावित लोगों को कुछ सहायता मिली परन्तु बहुत से दंगा पीड़ितों को अभी तक कोई मुआवजा नहीं मिला है।

यह आश्वासन दिया गया था कि प्रभावित परिवारों के बच्चों को नौकरियां दी जाएंगी। ये आश्वासन भी खोखले वायदे निकले। इसलिए, मेरा सरकार से अनुरोध है कि सरकार प्रभावित परिवारों की सहायता करे।

हम पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों में सुधार कर रहे हैं। हम इस बारे में प्रसन्न हैं। हमारे दल ने हमेशा अपने पड़ोसी देशों के साथ मित्रता बढ़ाने का प्रयास किया है। मैंने अनेक पत्र लिखे हैं और मालेरकोटला में रहने वाले मुस्लिम बंधुओं के सामने आ रही परेशानी के संबंध में माननीय प्रधानमंत्री से मुलाकात की है। यह मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पड़ता है। मालेरकोटला के मुस्लिमों के संबंधी सीमा पार रहते हैं। किन्तु उन्हें वीजा प्राप्त करने में बहुत परेशानी होती है। उन्हें बार-बार दिल्ली आना पड़ता है। किन्तु उनमें से अधिकांश को भरसक प्रयास करने के बावजूद वीजा नहीं मिलता। ऐसे बहुत से मुस्लिम बंधु अपनी प्रार्थना के साथ मेरे पास आते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार को इन लोगों को वीजा देना चाहिए। पंजाब अब समस्याग्रस्त राज्य नहीं है। हमें खुशी है कि अमृतसर-ननकाना साहिब बस सेवा शुरू हो गई है। यह हमारी बहुत पुरानी मांग थी। हम इसके पूरा होने का स्वागत करते हैं। तथापि वाघा सीमा पर वीजा देने की कोई व्यवस्था नहीं है। यही समस्या है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति को इस मामले में भी निमंत्रण एजेंसी बनाया जाना चाहिए। जैसा हम सब जानते हैं कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के तत्वावधान में धार्मिक जत्थे अथवा समूह पाकिस्तान की यात्रा करते हैं।

महोदय, भूतपूर्व सैनिक "एक रैंक, एक पेंशन" योजना लागू करने की मांग कर रहे हैं। इस मामले में अनेक समितियां गठित की गईं। खुराना समिति गठित की गई और इसने "एक रैंक, एक पेंशन" योजना लागू करने के पक्ष में अपनी रिपोर्ट दी। अन्य समितियां भी थीं। अब, हमने एक और समिति गठित कर दी है। महोदय, इन भूतपूर्व सैनिकों ने समर्पण और निष्ठा के साथ हमारे देश की सेवा की है। अब उनकी देखभाल करने की बारी हमारी है।

माननीय प्रधानमंत्री यहां उपस्थित नहीं हैं। एसजीपीसी के प्रमुख सरदार बादल और मैं इस बहुत महत्वपूर्ण विषय के संबंध में माननीय प्रधानमंत्री से मिले थे। फ्रांस में सिखों के स्कूली बच्चों को स्कूलों में पगड़ी पहनने की अनुमति नहीं दी जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री स्वयं एक सिख हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति हमारे देश में आ रहे हैं। हमें उनसे बात करनी चाहिए और उन्हें सौहार्दपूर्ण तरीके से मामले का समाधान करने के लिए कहना चाहिए। तथापि, प्रधानमंत्री ने इस विषय को फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ नहीं उठाया। परन्तु श्री आडवाणी ने अपनी बातचीत के दौरान इस विषय को फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ उठाया। समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है कि माननीय प्रधानमंत्री ने स्टील मैग्नेट मित्तल की यूरोप में औद्योगिक बोली के मुद्दे पर चर्चा की। हम इसका विरोध नहीं करते। किन्तु उन्हें सिख स्कूली बच्चों के पगड़ी संबंधी मामले को भी फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ उठाया जाना चाहिए था। यह स्वागत योग्य कदम नहीं है। वह स्वयं एक सिख हैं। उन्हें हमारे उद्देश्य के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए। हमारी धार्मिक परिपाटियों और परम्पराओं का भी फ्रांस में सम्मान किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री को इस विषय में स्पष्टीकरण देना चाहिए।

महोदय, काशीपुर में लोग दो एकड़ या चार एकड़ भूमि पर बस गए हैं। वे वहां पिछले तीस वर्षों से रह रहे हैं। बसने वालों में पंजाबी, बंगाली और अन्य थे। हाल ही में सरकार ने उनके घरों पर बुलडोजर चला दिए। बहुत से लोग दलित समुदाय के हैं। ये लोग बेघर हो गए हैं। केन्द्र को हस्तक्षेप करना चाहिए और इन गरीब लोगों को बचाना चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अफगानिस्तान की स्थिति और खराब हो गई है। लगभग 15000 अफगान हिन्दू और सिख परिवारों को भारत में पलायन करना पड़ा था। वे दिल्ली में रहे रहे हैं। वे भारतीय नागरिकता की मांग कर रहे हैं। किन्तु सरकार ने अभी तक उनका अनुरोध स्वीकार नहीं किया है। भारत में उनके रुकने की अवधि को बार-बार दो माह या छः माह के लिए बढ़ाया जाता है। जब बांग्लादेश के एक करोड़ प्रवासियों को भारतीय नागरिकता दी जा सकती है तो अफगानिस्तान के इन हिन्दू और सिख प्रवासियों को भारतीय नागरिकता क्यों नहीं दी जा सकती? गत पंद्रह वर्षों से उन्हें यहां शरणार्थियों की भांति रहना पड़ रहा है। इसलिए, मेरा सरकार से आग्रह है कि उन्हें भारतीय नागरिकता दी जाए। उनके पूर्वज भारतीय थे। वे अपनी आजीविका कमाने के लिए अफगानिस्तान पलायन कर गए थे। वे हमारे अपने भाई-बहन हैं। इसलिए, उनकी समस्या शीघ्र हल की जानी चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे ये मामले उठाने की अनुमति दी। मुझे आशा है कि सरकार मेरी मांगों पर उचित ध्यान देगी और उन्हें पूरा करने के लिए कार्यवाही करेगी।

[हिन्दी]

श्री किशन सिंह सांगवान (सोनीपत) : उपाध्यक्ष महोदय, कल से राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा चल रही है। 16 फरवरी को

[श्री किसन सिंह सांगवान]

माननीय राष्ट्रपति जी ने दोनो सदनों को बुलाया और उसमें अपना अभिभाषण पढ़ा। पहले भी मित्रों ने यहां कहा कि राष्ट्रपति जी ने जो अभिभाषण पढ़ा, वह सरकार का या कैबिनेट का जो फैसला होता है, उसको राष्ट्रपति जी पढ़ते हैं। यानी सरकार की जो नीतियां हैं, जो कार्यक्रम हैं, आगे सरकार की क्या सोच है, पीछे सरकार ने क्या किया है, उसको इस प्रस्ताव के जरिए राष्ट्रपति जी ने पढ़ा। इसमें सरकार ने सबसे ज्यादा एक बड़ा आकर्षित नारा 'भारत निर्माण' के नाम से पेश किया है और यह नारा पिछले वर्ष बजट सैशन में दिया गया था। उस वक्त भी वित्त मंत्री जी ने अपनी बजट स्पीच में भारत निर्माण का नारा दिया था। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि भारत निर्माण वह किस चीज को समझते हैं?

अखबारों में या बड़े-बड़े ऑफिसेस में एयर कंडीशंड कमरे में बैठकर देश के किसानों के, ग्रामीण लोगों के तथा दलितों के फैसले हो रहे हैं, फिगर्स बना देते हैं, आंकड़े पेश कर देते हैं लेकिन ग्राउंड-रियल्टी उसके बिल्कुल विपरीत है। स्वयं राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में यह भी पढ़ा कि आंकड़ों से समाज का, देश का भला नहीं हो सकता जब तक वास्तविकता में हम ग्राउंड लैवल पर लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं करेंगे, तब तक भारत निर्माण नहीं हो सकता। भारत का निर्माण तब होगा जब गांवों का निर्माण होगा, गांवों में रहने वाले किसान, दलित भाई, खेतिहर मजदूर तथा पिछड़े वर्ग के खाती, लुहार, कुम्हार तथा धोबी इत्यादि जो गरीब जातियां हैं, जब उनकी समस्याओं का समाधान होगा तब वास्तव में भारत निर्माण माना जाएगा। शहरी विकास को देखकर भारत निर्माण नहीं माना जाएगा।

पिछले वर्ष सरकार ने भारत निर्माण का नारा दिया था। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि एक साल हो गया। भारत निर्माण में क्या-क्या प्रगति हुई है? आज स्थिति बिगड़ती जा रही है। किसान की समस्या घट नहीं रही है बल्कि बढ़ रही है। किसान की पैदावार घट रही है, उसकी आमदनी बढ़ नहीं रही है, बल्कि घट रही है। छोटे किसान रह गए हैं, स्मॉल होल्डिंग हो गई हैं, किसान को बिजली, पानी तथा खेती के लिए बुनियादी सहूलियतें नहीं मिल रही हैं। उसकी फसलें पिट रही हैं। माननीय मंत्री जी यहां नहीं बैठे हैं, पहले वित्त मंत्री जी बैठे थे। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आप अपने आंकड़े निकलवा लें। अभी दो-तीन महीने पहले धान की फसल मंडी में आई थी। पियार किस्म की धान का एक्सपोर्ट प्राइस तय किया गया था। सारी धान की फसल पूरे देश में पिट गई। पिछले वर्ष की तुलना में 600-700 रुपए प्रति क्विंटल दाम कम मिले। हरियाणा, राजस्थान तथा पंजाब में जहां कपास की फसल बोई जाती है, वहां पिछले साल की तुलना में कपास और नरमा के 1000 रुपये, 1100 रुपये प्रति क्विंटल दाम किसान को कम मिले। फिर आप कैसे कहते हैं कि भारत का निर्माण हुआ है? सरसों की फसल बिल्कुल पिट गई। पिछले साल की तुलना में किसान को कम दाम मिले। अभी ओला-वृष्टि हुई, पाला पड़ गया, उत्तरी भारत में आलू, सरसों, मटर तथा टमाटर इत्यादि की फसलें बर्बाद हो गईं। इस सरकार ने किसानों की किसी भी समस्या की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। कोई मुआवजा देने की बात तो दूर रही, उनके आंसू पोंछने की बात भी नहीं की। जबकि इस प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं आती हैं तो सरकार का फर्ज है कि बिना मांगे, सुओ-मोटो, किसानों की सुध ले। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। अभी दींडसा साहब कह रहे थे, मैं उनकी बात का समर्थन करता हूं कि वाजपेयी ज़ी की सरकार के समय देश में अनाज का भंडार पड़ा था। उस समय इतना अनाज हुआ था कि रखने की जगह नहीं थी इसलिए खेतों में ही तिरपाल डालकर रखा गया था। वह अनाज इतने कम समय में ही कहां चला गया और क्या ऐसी बात हो गई कि सरकार को पांच-छः लाख टन गेहूं 1100 रुपए से लेकर 1300 रुपए प्रति क्विंटल की दर से आयात करना पड़ रहा है, जबकि हमारे देश के किसानों को सिर्फ 640 रुपए प्रति क्विंटल आप दे रहे हैं। आज महंगाई काफी बढ़ गई। हर सामान की कीमत में एक साल में 30 से 35 फीसदी की बढ़ोत्तरी हो गई है।

जब देश में पिछले लोक सभा चुनाव हुए थे, तब कांग्रेस पार्टी ने नारा दिया था—कांग्रेस का हाथ, आम आदमी के साथ। लेकिन वोट लेने के बाद, सरकार बनाने के बाद कांग्रेस पार्टी आम आदमी को भूल गई। कांग्रेस पार्टी देश की आम जनता के साथ हमेशा ऐसा ही करती है और ऐसे ही नारे चुनाव के समय लगाती है, फिर सरकार बनाने के बाद उन्हें भूल जाती है।

आज गैस की क्या हालत है, मैं यह बताना चाहता हूं। जब मैं पहली बार 12वीं लोक सभा में चुनकर आया था, उस समय गैस की काफी कमी थी और हमें कूपन दिए जाते थे। उस समय देश में गैस की कालाबाजारी थी और वेटिंग लिस्ट काफी लम्बी थी। लेकिन वाजपेयी जी की सरकार पांच-छः साल जब सत्ता में रही, तो उसने ऐसी नीति बनाई कि गैस की कालाबाजारी और वेटिंग लिस्ट खत्म कर दी। हालत यह हो गई थी कि गैस वाले घर-घर जाकर घंटी बजाकर पूछते थे कि माता जी आपका सिलेंडर खाली हो गया हो तो हमें दे दें, हम भरा हुआ दे देंगे। लेकिन आज देखिए कि क्या

हालत गैस की हो गई है। कल मैंने एक माननीय सदस्य का भाषण सुना। उन्होंने कहा था कि गैस की कोई कमी नहीं है। आप आज गांव में चले जाएं, एक–एक किलोमीटर लम्बी लाइन गैस के लिए मिलेगी। इस एक साल में ही ऐसा क्या हो गया कि गैस की इतनी शार्टेज हो गई? आपने एक सिलेंडर पर 60 रुपए तो बढ़ा ही दिए थे, अब 75 रुपए और बढ़ाने जा रहे हैं। उसके बावजूद भी गैस लोगों को नहीं मिल रही है। फिर भी आप 'भारत निर्माण' की बात कर रहे हैं, जबकि दलित के पास कोई रोजगार नहीं है, कोई जमीन नहीं। उसने रोजगार नहीं होने के कारण गांव छोड़ दिया, शहर में आ गया। लेकिन यहां भी आकर क्या करे। मकान बनाने के लिए उसके पास पैसा नहीं है, बच्चों की शिक्षा के लिए पैसा नहीं है। अब वह जाए तो कहां जाए।

आज दलित बेकार हो रहे हैं। गांवों में जो छोटे–छोटे कारीगर हैं, जिन्हें रूरल आर्टिजंस कहते हैं, उनकी हालत बहुत बुरी है। लोहार, खाती, चमार आदि छोटे कारीगरों का काम खत्म हो गया है, जबकि असली भारत तो यही लोग हैं। लेकिन यूपीए की सरकार ने राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में अगले वर्ष के लिए इनके लिए क्या योजना है, इसका कोई जिक्र नहीं किया।

गांव के लोगों के पास खेती के अलावा पशुधन दूसरा आमदनी का स्रोत होता है। जिनके पास कुछ नहीं है, वे पशु पालकर गुजारा करते हैं। लेकिन आंकड़े बताते हैं, 1950 में जो सर्वे हुआ था उसके अनुसार एक हजार इन्सानों के पीछे 452 पशु थे, लेकिन 2001 की जनगणना के अनुसार एक हजार इन्सानों के पीछे 188 पशु रह गए हैं। इस दृष्टि से भी किसान और गांव के लोग बेकार हो गए हैं। इस तरफ भी कोई ध्यान देने की बात नहीं की गई है। इस तरह से सारी बातें गांव के लोगों के खिलाफ चल रही हैं।

अपराह्न 3.54 बजे

(श्री वरकला राधाकृष्णन *पीठासीन हुए*)

अभी ढींडसा साहब ब्याज की बात कर रहे थे। अटल जी की सरकार ने किसानों को जो 16–17 प्रतिशत ब्याज दर पर लोन मिलता था, उसे घटाकर 8–9 प्रतिशत कर दिया था। उसके बाद भी अटल जी ने स्वीकार किया था कि हम इसे भी घटाकर 5–6 प्रतिशत तक ले आएंगे। लेकिन तब चुनाव आ गए और इत्तेफाक से वह सरकार नहीं रही। लेकिन इस सरकार के बनने के बाद भी ब्याज दर में कोई कमी नहीं हुई। आम उद्योग वालों को तो सरकार 5–6 प्रतिशत की ब्याज दर से लोन देती है, लेकिन किसान को 9–10 प्रतिशत की ब्याज दर पर लोन मिलता है और उसमें भी बैंक वाले उसे लूटते हैं। इस कारण किसान की हालत दयनीय हो गई है, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

यूपीए सरकार ने सारी लोकतांत्रिक मर्यादाओं को नष्ट कर दिया है। जैसे 1975 में इमरजेंसी लगी थी, वैसी ही परिस्थिति आज बनती जा रही है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के बिहार के बारे में फैसले ने वहां के तत्कालीन गवर्नर बूटा सिंह जी और इस सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। बूटा सिंह जी का बयान आया कि केन्द्र की जिम्मेदारी बनती थी कि अगर मेरा फैसला गलत था तो इसके लिए केन्द्र जिम्मेदार था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की किसी को परवाह नहीं है। झारखंड में क्या हुआ? गोवा में क्या हुआ? लोकतंत्र में कोई आस्था नहीं है। इनको केवल सरकार–सरकार चाहिए, चाहे लोकतंत्र गर्त में जाए, ऐसी स्थिति इस सरकार की बनी हुई है। लोकतंत्र की दृष्टि से भी आज धीरे–धीरे ऐसी स्थिति बनती जा रही है, जैसे सन् 1975 के हालात थे। इस बात में सुधार होना चाहिए। सबसे प्रमुख बात मैं आपकी नोटिस में लाना चाहता हूं कि 58–59 साल हमारे देश को आजाद हुए हो गए। गाय को हम मां मानते हैं, सारा देश उसकी पूजा करता है। पिछली वाजपेयी जी की सरकार में गोवध को रोकने के लिए प्रस्ताव भी पास हुआ था, ताकि कोई कानून बनाया जा सके। इस सरकार ने उस ओर भी कोई कदम नहीं उठाया। आज तक इस प्रकार का कोई बिल नहीं लाए। 58 साल से लगातार गोवध हो रहा है। सारे देश की भावनाएं इससे जुड़ी हुई हैं, सारे समाज की भावनाएं जुड़ी हुई हैं कि गोहत्या को रोका जाए, लेकिन इस संबंध में कुछ नहीं किया गया। धर्म–परिवर्तन हो रहा है। हम रोजाना धर्म–परिवर्तन की बातें अखबारों के माध्यम से सुन रहे हैं। इस सरकार ने धर्म–परिवर्तन को रोकने के लिए भी कोई कदम नहीं उठाया। ये किस प्रकार का भारत निर्माण चाहते हैं? अभी ढींडसा साहब कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी का एक इतिहास रहा है। कांग्रेस पार्टी समस्याएं पैदा करती है, फिर समस्याओं को टरकाती है और बाद में उसको लटका देती है। ऐसे कितने ही उदाहरण हैं, जैसे इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स हैं। कहीं बाउंड्री के लिए डिस्प्यूट है, कहीं पानी के लिए डिस्प्यूट है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स को साल्व करने का कोई नजरिया नहीं है। मैं ढींडसा साहब से इत्तेफाक रखता हूं। वे पंजाब की तरफ से बोल रहे थे, मैं हरियाणा की तरफ से बोल रहा हूं। प्रधानमंत्री जी चले गए, उन्होंने उनकी बातें तो सुन लीं, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला कि मैं अपनी बात को उनके सामने रख सकूं। पंजाब का सन् 1966 में री–आर्गनाइजेशन हुआ। पंजाब हमारा बड़ा भाई है, हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन जब

[श्री किशन सिंह सांगवान]

बंटवारा हुआ था, तब 60–40 के अनुपात में हुआ था। उस वक्त राजधानी का मामला, हाईकोर्ट का मामला पेंडिंग रखा गया। हमारे यहां एसवाईएल नहर बननी थी, उससे हरियाणा को पानी मिलना था। आज आधा हरियाणा सूखे में है। उसमें राजस्थान प्रदेश का भी हिस्सा था। इस संबंध में समझौता हुआ था, तय हुआ था, आर्बीट्रेट हुआ था, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने उस नहर का शिलान्यास किया था। उसके बाद राजीव–लोंगोवाल समझौता हुआ, कई आर्बीट्रेटर बैठे। हर एक फैसले होते रहे, लेकिन पंजाब के भाई किसी फैसले को मानने के लिए तैयार नहीं थे। आखिर में मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और वर्षों तक चलता रहा। सुप्रीम कोर्ट ने भी हरियाणा के पक्ष में फैसला दिया, लेकिन अजीब बात है कि वह फैसला लागू नहीं हो रहा है। पंजाब में भी कांग्रेस सरकार है, हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार है, केन्द्र में भी कांग्रेस की सरकार है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हरियाणा के पक्ष में है, तो उसे लागू क्यों नहीं किया जा रहा है? बड़ी अजीब सी बात है। वे अपना दर्द कह रहे थे कि पंजाब में पानी कम हो गया। पंजाब में तो आज ऐसा हुआ है, हम तो 40 सालों से रो रहे हैं। हजारों करोड़ रुपए एसवाईएल नहर को बनाने में खर्च हो चुका है। यह 121 किलोमीटर लंबी नहर है। यह 115 किलोमीटर बनी हुई है। 6 किलोमीटर का टुकड़ा नहीं बनने दे रहे हैं। इसको राजनीतिक विषय बना दिया है, भले ही किसान मरता रहे। ऐसी स्थिति बनी हुई है। हमारी सरकार से मांग है कि एसवाईएल नहर को तुरंत बनाया जाए, ताकि हरियाणा और राजस्थान के लोगों, उनकी प्यासी धरती को पानी मिल सके। किसानों को हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है, इसलिए सरकार इस ओर ध्यान दे। अभी महंगाई की बात कह रहे थे। आज हर चीज महंगी है। गरीब आदमी का नाम लेकर वोट ले लेते हैं। आज आटा 13–14–15 रुपए किलो बिक रहा है। जब किसानों की फसल बाजार में आती है, तब भाव गिर जाता है। किसानों के हाथ से फसल निकल जाती है, तो भाव बढ़ जाते हैं। मैं आपकी नोटिस में लाना चाहता हूं, अभी दो महीने के बाद 600 रुपए में कोई सूंघने वाला नहीं होगा और आज 13–14 सौ में बिक रहा है। दो महीने के बाद वही गेहूं 600 रुपए में बिकेगा। यह जो पालिसी चल रही है, यह ब्लैक मार्केटिंग चल रही है, किसानों की एक्सप्लायटेशन चल रहा है, इसको रोकना होगा। किसानों की हालत बदतर होती जा रही है। दींडसा साहब से मैं इत्तेफाक रखता हूं। आज सारा देश बर्बाद हो रहा है। किसान सुसाइड कर रहे हैं। आपके पास रोजाना इसके आंकड़े आ रहे हैं। कितने किसान सुसाइड कर रहे हैं, इस बात पर चिंता करनी होगी। हम सभी बातें करते हैं। हम जितने भी संसद सदस्य बैठे हैं, उनमें से एक भी सदस्य ऐसा नहीं है जो किसानों के बगैर जीतकर इस सदन में आ जाए।

अपराह्न 4.00 बजे

बात सब करते हैं लेकिन अमल नहीं होता है। हर आदमी के दिल में पीड़ा है लेकिन पता नहीं क्यों अधिकारियों और नौकरशाहों के चलते पॉलिसी का निर्माण किया जाता है। वे ही फीगर्स कॉलेक्ट करते हैं। उसी हिसाब से फैसले हो रहे हैं। इसलिए किसान बरबाद हो रहे हैं। इस पर ध्यान देने की जरूरत है। गैस की बात लें, लोहे को देखें लें, दवाइयां देख लें, सीमेंट देख लें जो 200 रुपए कट्टा हो गया है। कांग्रेस के राज में महंगाई इतनी बढ़ गई है जिसका कोई हिसाब नहीं है। कांग्रेस के लिए कहावत है–"जब से कांग्रेस आई है, महंगाई साथ लायी है।" आज तक का इतिहास है कि जब भी देश में कांग्रेस की सरकार बनी, महंगाई बढ़ी है। उसने गरीब आदमी की कमर तोड़ दी है।

मैं एक्स सर्विस मैन की बात करना चाहता हूं। मैं हर सैशन में "वन रैंक वन पेंशन" की बात उठा रहा हूं। मैंने पिछले संसद के अधिवेशन में भी इस बात को उठाया था। संसदीय कार्य राज्य मंत्री यहां बैठे हैं। उन्होंने बीच में उठकर हमें आश्वासन दिया था कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की कमेटी बना दी गई है जो जल्दी फैसला करेगी लेकिन आज तक फैसला नहीं हुआ। मेरे पास इसका रिकॉर्ड है। उसका क्या हुआ? अभी तक कुछ नहीं हुआ। किसी को मालूम नहीं है।

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्र (श्री विजय हान्डिक) : यह मामला हो गया है।

श्री किशन सिंह सांगवान : यदि हो गया है तो अच्छी बात है। एक्स सर्विस मैन के लिए वर्षों से मांग हो रही है। सारे देश में विभिन्न पदों पर बैठे लोगों की पेंशन बढ़ गई है लेकिन एक्स सर्विस मैन की नहीं बढ़ रही है।

सच्चर कमेटी के मामले में कई दिनों से संसद में चर्चा चल रही है। फौज में गणना कराने का प्रयास हो रहा है। किसलिए हो रहा है, हमारी समझ में नहीं आता है। अगर सर्वेक्षण कराना है तो आंकड़े उनके इकट्ठे किए जाएं कि आज देश में कितने बेरोजगार युवक हैं, कितनी भुखमरी है, कितने किसान आत्महत्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कितने आतंकवादी अड्डे देश में और बॉर्डर में हैं। आप बहाने से मिलिट्री में साम्प्रदायिकता पैदा करना चाहते हैं।

कांग्रेस ने हमेशा धर्म की राजनीति की है। शिक्षा विभाग में आरक्षण होने लगा है, नौकरियों में आरक्षण हो गया, अब मिलिट्री में भी किया जा रहा है जो बहुत दुर्भाग्य की बात है। कांग्रेस पार्टी ओछी राजनीति कर रही है। देश सर्वोपरि है।

मैं हरियाणा की बात करना चाहता हूं और वहां के एक–दो इश्यू आपके नोटिस में लाना चाहता हूं। आज वहां कांग्रेस की सरकार है। इससे पहले चौटाला जी की सरकार थी। उन्होंने 35–40 हजार कर्मचारियों को नौकरी से हटा दिया था। इस सरकार ने वायदा भी किया था कि जितने कर्मचारियों को हटाया गया था, उन्हें पुनः नौकरी पर लगा देंगे लेकिन अभी तक कोई बहाल नहीं हुआ है बल्कि इन्होंने खुद हटाना शुरू कर दिया है। आज हरियाणा में केन्द्रीय सुरक्षा बल के 1800 कर्मचारी एक साल से धरने पर बैठे हैं। दो बच्चों ने सुसाइड भी कर लिया लेकिन इस सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। इस मामले का कोई हल नहीं निकाला जा रहा है। तीन हजार ग्राम विकास सहायक लगाए गए थे। यह एक छोटी सी नौकरी होती है जिसमें 500 रुपए मिलते हैं। वह भी इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। उनको भी रिट्रैंच कर दिया गया। सबसे ज्यादा घातक बात यह है कि सरकार व्यापारी बन गई है। व्यापार का काम व्यापारी करता है। सरकार ने जन–हित का काम करना छोड़ दिया है। वहां जमीनों का धंधा चल पड़ा है। हरियाणा में जमीनों के दाम पीक पर हैं। छोटे–छोटे किसानों की 18–20 लाख रुपए में जमीन खरीद ली जाती है जिसे एक करोड़ रुपए में बड़े बिल्डर्स को बेच दिया जाता है। सरकार उन जमीनों को एक्वायर करके बिल्डरों को दे रही है। किसानों को लूटा जा रहा है। राजीव गांधी जी के नाम से जमीन एक्वयार कर रही है। हाई टैक सिटी बनाने के लिए ये सब हो रहा है। अखबारों में आया है कि हरियाणा सरकार किसानों की 25 हजार एकड़ जमीन सस्ते दामों पर एक्वयार करके बड़ी कम्पनियों के मालिक, जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, उनको दे रही है। इतने बड़े–बड़े सौदे हो रहे हैं। जिनकी जमीन एक्वयार हो रही है, वे दलित, बैकवर्ड क्लास के लोग हैं। उनके मकान भी जा रहे हैं। उनको कोई मुआवजा नहीं मिल रहा है। 8–9 लाख में किसानों की जमीन खरीदी जा रही है जिसे 10–12 लाख में बेचा जा रहा है। दिल्ली के नजदीक जितने इलाके की जमीन है वह एक–डेढ़ करोड़ रुपए में बेची जा रही है। किसान धरने पर बैठे हैं। उनकी कोई आवाज सुनने वाला नहीं है। किसानों के हितैषी कहने वाले उनके ऊपर कुल्हाड़ी चला रहे हैं। वहां आतंक फैला है। देश का निर्माण उस समय होगा जब किसानों, गरीबों, दलितों और पिछड़ी जाति के लोगों का निर्माण होगा। उनका विकास होगा, उनका आर्थिक विकास होगा, सामाजिक विकास होगा तब जाकर निर्माण होगा। देश का निर्माण एयरकंडीशन कोठियों में बैठकर और आंकड़े पेश करने से नहीं होने वाला है।

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि) : सभापति महोदय, महामहिम राष्ट्रपति जी का अभिभाषण सरकार की नीतियों का और सरकार की मानसिकता का आइना माना जाता है। इससे प्रतीत होता है कि सरकार की नीतियां क्या होंगी और सरकार की मानसिकता क्या होगी। जब मैं आज माननीय प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में यू.पी.ए. सरकार की छवि को आइने में देखता हूं तो मुझे यह छवि बदसूरत दिखाई देती है। यह छवि किस प्रकार से बदसूरत है, मैं इसके कुछ उदाहरण सदन के सामने निश्चित रूप से रखूंगा। महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में कहा है कि हमारी अर्थव्यवस्था प्रगति पर है और हमारी जनता लगातार उन्नति कर रही है। इसके साथ ही साथ आज की सरकार का "भारत निर्माण" का जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम का जिक्र महामहिम राष्ट्रपति जी ने किया है। "भारत निर्माण" कार्यक्रम का जो नारा है, वह केवल एक नारा है, इसमें नवीनता नहीं है। "भारत निर्माण" निर्माण कार्यक्रम की जो घोषणा की गई है और जिसका जिक्र महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में किया है, कोई नया कार्यक्रम नहीं है। पिछली सरकारों ने जो अलग–अलग योजनाएं चलाई थीं और अलग–अलग नाम से चलाई थीं, उन्हीं योजनाओं को एक कार्यक्रम में लाकर उसे भारत निर्माण का नाम दिया गया है। लेकिन माहौल इस प्रकार से बनाया गया है कि अब यह सरकार पूरे देश में इस प्रकार चमत्कार करेगी और आने वाले तीन या साढ़े तीन साल में इस देश से गरीबी खत्म हो जाएगी। यदि ऐसा होगा तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी होगी। मेरे दुखी होने का कोई कारण नहीं है। यदि यह सत्य है तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी होगी। "भारत उदय" कार्यक्रम जो अलग–अलग योजनाओं के तहत पिछली सरकार ने लागू किया था और अब उसे ही यह सरकार "भारत निर्माण" के नाम पर आगे चला रही है।

सभापति महोदय, आजादी के लगभग 58 साल पूरे हो गए हैं। आज भी आजादी के 58 साल के बाद महामहिम राष्ट्रपति जी ने अभिभाषण में भारत निर्माण का जिक्र आता है लेकिन उस कार्यक्रम में क्या है? उस कार्यक्रम में है, देश के प्रत्येक गांव में बिजली उपलब्ध कराना। इसका अर्थ है कि हमारे देश के हर गांव में बिजली नहीं है, इसे हम स्वीकार करते हैं। इसमें एक हजार से अधिक आबादी वाली बस्तियों को सड़क से जोड़ना शामिल है। इसके अतिरिक्त जहां भी जनजाति या पिछड़े वर्ग के क्षेत्र हैं, वहां

[श्री अनंत गंगाराम गीते]

पांच सौ से ज्यादा आबादी वाले इलाकों को सड़क से जोड़ने की योजना है। पूर्व सरकार की जो प्रधानमंत्री सड़क योजना थी, यह वही योजना है। हर गांव को बिजली और सड़कों से जोड़ना पिछली सरकार का कार्यक्रम था, यह वही है। हर बस्ती में स्वच्छ पेयजल के स्रोत उपलब्ध कराना, स्वजलधारा का कार्यक्रम था, जिससे पेयजल की आपूर्ति कराई जाती थी, यह वही कार्यक्रम है। हर गांव में एक टेलीफोन उपलब्ध कराना। एक करोड़ हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की क्षमता का सृजन करना और ग्रामीण इलाकों में जो लोग बेघर हैं, ऐसे लोगों के लिए 60 लाख मकान बनाना। ये कोई नये कार्यक्रम नहीं हैं। यह हमारे देश की वास्तविकता है। यह हमारे देश की गरीबी की असली छवि है और इसे हम भारत निर्माण कह रहे हैं। ठीक है, भारत निर्माण के लिए मुझे कोई ऐतराज नहीं है।

सभापति महोदय, कल ही महाराष्ट्र के अमरावती जिले में पानी के लिए आंदोलन किया गया। वहां की जनता ने यह आंदोलन किया। वहां इर्रिगेशन डिपार्टमेंट का चारगढ़ नाम का एक पानी का डैम है। उस डैम के क्षेत्र में रहने वाली जनता की कई वर्षों से यह मांग रही है कि इस डैम में से उन्हें पीने के लिए पानी दिया जाए। वहां पानी की बहुत किल्लत है। वहां लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिलता। वहां कई वर्षों से इसके लिए आंदोलन होते आए हैं और कई बार आंदोलनकारियों पर गोलियां भी चलाई गई हैं। कल भी वैसी ही घटना हुई। वहां की जनता की क्या मांग थी। जब वह मांग आगे बढ़ने लगी तो राज्य सरकार ने कहा कि आपको कुछ कंट्रीब्यूशन देना होगा। राज्य सरकार ने लोगों से कहा कि आप इसमें कुछ अपना कंट्रीब्यूशन दीजिए, तब हम आपको इर्रिगेशन के डैम में से पानी दे सकते है। वहां के लोगों से इसके लिए आठ लाख रुपये जमा करने के लिए कहा गया। लोगों ने वहां पीपल्स कंट्रीब्यूशन के नाम पर आठ लाख रुपये जमा कर दिए। आठ लाख रुपये जमा करने के बाद जनता ने मांग की कि अब आप हमें पीने का पानी दीजिए। वहां पानी की बहुत ज्यादा किल्लत है, लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। उसके बाद लोगों से कहा गया कि सिर्फ आठ लाख रुपये जमा करने से काम नहीं चलेगा, आपको आठ लाख रुपये और जमा करने होंगे। वहां की जनता यह बात बर्दाश्त नहीं कर पाई और लोगों ने डैम पर आंदोलन किया। आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। वहां लोगों की पीने के पानी की मांग थी। डैम भरा हुआ है, उसमें पानी दिखाई दे रहा है और डैम के परिसर में रहने वाले लोगों के लिए पीने का पानी नहीं है। आंदोलन के दौरान वहां के एस.पी. आए, जिनका नाम निकेत कौशिक है। उन्होंने वहां आकर अपने रिवाल्वर से सीधे आंदोलनकारियों पर गोलियां चलाईं। हम लोग यहां भारत निर्माण की बात करते हैं। यह घटना मैं आज आपके सामने इसलिए रख रहा हूं...*(व्यवधान)* जहां पर भी हो, मैं उसकी प्रशंसा नहीं करूंगा, यह गलती है। चाहे यह महाराष्ट्र राज्य में हो, राजस्थान में हो या और किसी राज्य में हो। यदि ऐसा होता है तो यह गलत है। वहां एस.पी. ने सीधे आंदोलनकारियों पर गोलियां चलाईं, जिसमें एक युवक जिसका नाम प्रफुल्ल किशनराव राउत है, वह वहां पानी मांगने के लिए गया था, उसकी ऑन दि स्पॉट मृत्यु हो गई। उसके सीने में गोली लगी। प्रधानमंत्री जी यहां नहीं हैं, लेकिन सरकार के कई मंत्री यहां मौजूद हैं। एक अन्य दूसरे युवक की गरदन में गोली घुस गई। उसके बाद वहां भगदड़ मची, जिसमें कई लोग घायल हो गए। राज्य सरकार इस पर जो कार्रवाई करेगी, वह करेगी। उसके बारे में मुझे पता नहीं है कि इस पर राज्य सरकार की क्या राय है। लेकिन उसके बाद से वहां की जनता ज्यादा आंदोलित और उत्तेजित है।

महोदय, मैं भारत सरकार से प्रार्थना करूंगा कि यह इश्यु केवल किसी एक राज्य का नहीं है। यह समस्या पीने के पानी की है और यह समस्या केवल महाराष्ट्र में नहीं है, यह देश के हर राज्य में है और इसी कारण हर राज्य में इसी प्रकार के आंदोलन हो रहे हैं। यह जिम्मेदारी केवल राज्य सरकारों की नहीं है, यह जिम्मेदारी भारत सरकार की भी है। इसलिए मैं चाहूंगा कि कल जो घटना हुई है, उसके बारे में सारी बातें अखबारों में आई हैं। इस घटना की निष्पक्ष और न्यायिक जांच होनी चाहिए। भारत सरकार द्वारा इस बारे में महाराष्ट्र सरकार को निर्देश देना चाहिए। यहां गृह राज्य मंत्री जी उपस्थित हैं, जो महाराष्ट्र से जुड़े हैं। आज इस समय आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस तरफ आकर्षित करूंगा और चाहूंगा कि भारत सरकार इस संदर्भ में राज्य सरकार को कुछ निर्देश दे। ये जो सारी घटना हुई है उसकी निष्पक्ष एवं न्यायायिक जांच हो और यदि इसमें कोई अपराधी है तो उसे दंडित किया जाए। केवल अपराधी को दंडित करें, इसलिए यहां इस विषय को नहीं उठाया है, जो वहां बसने वाली जनता है, जो जनता पानी के लिए तरस रही है, उन्हें वहां तुरन्त पानी उपलब्ध कराया जाए। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि आज जो हमारे देश की वास्तविकता है, आज भी 38 प्रतिशत से ज्यादा आबादी गरीबी रेखा के नीचे है।

सभापति महोदय, 28 तारीख को वित्त मंत्री जी यहां अपना बजट भाषण प्रस्तुत करेंगे। पिछले बजट में जब ग्रामीण विकास पर चर्चा हुई तब यहां कुछ आंकड़े दिए गए थे। यहां जब वित्त मंत्री जी के आंकड़े को पेश कर रहे थे और यह तुलना कर रहे थे कि जो

पिछली एनडीए की सरकार थी, उस सरकार ने ग्रामीण विकास के अलग–अलग कार्यक्रमों पर जितना धन आवंटित किया था, उससे ज्यादा धन इस बजट में हमने ग्रामीण विकास के लिए आवंटित किया है। उस समय सदन में सबने बैंच थपथपाकर उनकी यहां वाहवाही की थी।

सभापति महोदय, जब हम भारत निर्माण की बात करते हैं तो यह जानने की आवश्यकता है कि सचमुच जो ग्रामीण विकास की अलग–अलग योजनाएं चल रही थीं, आज वे सारी योजनाएं किस स्थिति में हैं। देश के हर राज्य की मेरे पास जानकारी नहीं है, लेकिन मैं महाराष्ट्र से आता हूं, मुझे वहां की भारत सरकार की जो अलग–अलग योजनाएं, विशेषकर ग्रामीण विकास की जो योजनाएं राज्यों में चलाई जाती हैं, उसकी जानकारी मेरे पास है। आज लगभग जितनी भी केन्द्र सरकार की योजनाएं हैं, वे आज राज्यों में ठप हैं। ये योजनाएं अभी चल नहीं रही हैं। मैं यहां एक उदाहरण दूंगा, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में मैं जानना चाहूंगा, अब एक साल पूरा हो गया है। ग्रामीण विकास की अलग–अलग योजनाओं में–चाहे वह सड़क निर्माण की योजना हो, भवन निर्माण की योजना हो या पेयजल आपूर्ति की योजना हो, जितना प्रावधान इस वर्ष के बजट में किया गया था, क्या सचमुच उतना खर्च हुआ है? मैं यह जानना चाहूंगा कि कितने प्रतिशत खर्च हुआ है? मेरे ख्याल से 50 प्रतिशत भी खर्च नहीं हुआ है, इसका क्या कारण है? क्या आपने कभी इसकी जांच की है? हम यहां जितना प्रोविजन करते हैं, उतना खर्च क्यों नहीं हो रहा है? उसका सीधा लाभ आम आदमी को क्यों नहीं मिल रहा है? केवल नारे लगाने से हमारे देश की गरीबी नहीं हटेगी, ऐसे नारे इसके पूर्व में भी कई लगे हैं। केवल नारे लगाने से या कोई कार्यक्रम घोषित करने से देश की गरीबी नहीं हटेगी, देश में वास्तविकता की आवश्यकता है। अभी जैसे सांगवान जी यहां बोल रहे थे कि धरातल पर जो वास्तविकता है, उसे स्वीकार करने की आवश्यकता है और यदि हम उस वास्तविकता को सचमुच स्वीकार करें तो निश्चित रूप में जो आज हमारी स्थिति है, भारत निर्माण के नाम पर आज जो राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के माध्यम से भी इन सारी योजनाओं का यहां जिक्र किया है, इस वास्तविकता को स्वीकार कर, उसमें सुधार करने की आवश्यकता है। यदि वह सुधार हम कर पाते हैं तो ही उसमें हमारी सफलता है और तभी हम वाहवाही के काबिल हैं। केवल नारे लगाने से इसमें हमें सफलता नहीं मिलेगी।

सभापति महोदय, कृषि क्षेत्र की क्या स्थिति है, इसके लिए मैं एक उदाहरण दे रहा था। अभी सदन में हमारे गृह राज्य मंत्री बैठे हुए हैं जो महाराष्ट्र से हैं। मैं जो कहने जा रहा हूं, शायद वह मेरी बात से सहमत होंगे। थोड़े समय पहले केन्द्र में एन.डी.ए. की सरकार थी। मुझे लगता है कि आज की सरकार की यह मानसिकता होगी कि जहां पेयजल की कमी है, वहां जनता को पेयजल की आपूर्ति की जाए। इसलिए पेयजल आपूर्ति की योजनाएं बनाई जाती हैं और इसके लिए केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को करोड़ों रुपए दिए जाते हैं। पिछली सरकार की 'स्वजल धारा' पेयजल योजना थी।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया व्यवधान न डालें। आप कृपया अपनी बात जारी रखें।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री अनंत गीते, आपका समय समाप्त हो चुका है। आप दस मिनट अधिक ले चुके हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते : सभापति महोदय, मुझे समय दीजिए क्योंकि वास्तविकता पर सदन में चर्चा आवश्यक है। हम आपस में एक–दूसरे के साथ लड़ेंगे तो मसले का हल नहीं होगा क्योंकि शत–प्रतिशत केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, हम सबकी भी जिम्मेदारी है। यही सोच–समझकर हम जिस भारत निर्माण के सपने को देख रहे हैं, अगर उसे साकार करना है तो हम सबको मिलकर उसे करना होगा। यह मेरा दावा नहीं है कि चाहे यू.पी.ए. की सरकार हो या आने वाले समय की कोई सरकार हो, वह सरकार शत–प्रतिशत सफलता प्राप्त नहीं कर सकती। जिस प्रकार हमारे देश की रचना है, आबादी है, जो भौगोलिक स्थिति है, देश अलग–अलग राज्यों में बंटा हुआ है, उन सबको देखते हुए कोई भी सरकार इस बात का दावा नहीं कर सकती कि वह अपने बल पर हर चुनौती का सामना कर सकती है। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। इस वास्तविकता को स्वीकार करते हुए अगर देश की तरक्की और प्रगति करनी है, जनता की उन्नति करनी है तो हमें गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। अगर केन्द्र से कोई योजना राज्यों को जाती है तो उस योजना को शत–प्रतिशत लागू करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है। वह केन्द्र के दिशा–निर्देशों में कोई बदलाव नहीं कर सकती है और न उसे इस प्रकार का कोई अधिकार दिया गया है। दुर्भाग्य से पिछली सरकार ने पेय जल आपूर्ति की जो

[श्री अनंत गंगाराम गीते]

योजना 'स्वजल धारा' के नाम से बनाई थी, उसे महाराष्ट्र सरकार ने अपनी एक योजना के नाम से बदल दिया और दिशा–निर्देशों में परिवर्तन कर दिया गया। यही कारण है कि हमारे कई गांव उन दिशा–निर्देशों के अंतर्गत नहीं आ रहे हैं। जहां पेय जल की कमी है, वहां जनता को पानी देना है। दिशा–निर्देश अनुसार उस योजना पर 25 लाख रुपए से जयादा न खर्च किए जाएं। इस योजना में 10 प्रतिशत भागीदारी वहां की जनता की हो। यही तीन दिशा–निर्देश थे जो पिछली सरकार ने दिए थे लेकिन राज्य सरकार ने इस योजना को कहीं इसे महिला सशक्तिकरण के साथ जोड़ दिया, कहीं इसे ग्रामीण सैनिटेशन के साथ जोड़ दिया, कहीं उसे एस.सी.एस.टी. के अपलिफ्टमेंट के साथ जोड़ दिया गया, कहीं ग्रामीण पंचायत फाइनेंशियल पोजीशन के साथ इसे जोड़ दिया गया। इतने सारे दिशा–निर्देशों के साथ जोड़ने के बाद आप किसी राज्य, किसी जिले या किसी गांव में चले जाएं, क्या शत–प्रतिशत इन जैसे दिशा–निर्देशों का एक साथ पालन हो सकता है? किसी गांव में शत–प्रतिशत महिला सशक्तिकरण हो सकता है, ग्रामीण स्वच्छता में शौचालय के संबंध में शत–प्रतिशत हो सकता है। लेकिन सवाल है कि यह हमारी जिम्मेदारी है कि जनता को पेय जल दिलाना, न कि उसके सामने नई–नई मुसीबतें खड़ी करना।

सभापति जी, मेरे ख्याल से मंत्री जी इंटरवीन करना चाहती हैं क्योंकि वह महाराष्ट्र राज्य से हैं। यदि वह स्पष्टीकरण देना चाहती हैं तो अवश्य दें। अगर कोई बात महाराष्ट्र की जनता के हित में होगी तो अच्छा होगा।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय मंत्री जी बाद में हस्तक्षेप कर सकते हैं। श्री गीते आप कृपया अपना भाषण पूरा कीजिए।

...(व्यवधान)

अपराह्न 4.25 बजे

(उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए)

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते : उपाध्यक्ष जी, मैं यील्ड कर रहा हूं। मंत्री जी महाराष्ट्र से हैं। वे जनता के हित में कहेंगी तो मैं उसका स्वागत करूंगा।

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहती हूं कि महाराष्ट्र की सरकार ने जो बात उसमें डाली है, अगर आप उसका मखौल उड़ा रहे हैं तो यह आपत्तिजनक है। महिलाओं का सबलीकरण सौ फीसदी हो या न हो, इसका मतलब यह नहीं है कि इसको इसी तरह से छोड़ दिया जाए। उसी तरह से स्वच्छता–गृहों के खिलाफ भी आप बात कर रहे हैं।

श्री अनंत गंगाराम गीते : आप समझ नहीं रही हैं।...*(व्यवधान)*

श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील : मैं समझ रही हूं। मुझे आपकी बात से कोई दिक्कत नहीं है। मैं यही कहना चाहती हूं कि महिलाओं के सबलीकरण के विषय को इस तरीके से नहीं लेना चाहिए जिससे लोगों को लगे कि महिला कभी सबल ही नहीं होगी। स्वच्छता योजना के खिलाफ भी आप बोल रहे हैं।...*(व्यवधान)*

श्री अनंत गंगाराम गीते : आप मुझे नहीं समझ रही हैं कि मैं क्या बोल रहा हूं। आप सिर्फ राज्य सरकार का बचाव करने के लिए खड़ी हुई हैं।...*(व्यवधान)*

श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील : महाराष्ट्र सरकार का बचाव करने का मेरे पास कोई कारण नहीं है। मैं सिर्फ इतना ही कह रही हूं कि महिलाओं के सबलीकरण को और स्वच्छता–गृहों को अगर जोड़ा गया है तो उसको मखौल के रूप में नहीं लेना चाहिए।

श्री अनंत गंगाराम गीते : उपाध्यक्ष जी, मंत्री जी जो कह रही हैं, मैं उससे सहमत हूं। उसके लिए अलग–अलग योजनाएं हैं जो राज्यों में चल रही हैं। मैं उनका विरोध नहीं कर रहा हूं। आप नहीं समझ पा रही हैं। मैं कह रहा हूं कि उन योजनाओं को पीने के पानी की योजना से जोड़ना ठीक नहीं है। महिला सबलीकरण की योजना सभी राज्यों में चल रही है। हमारा उसमें विरोध नहीं है। जो रूरल सैनिटेशन की योजना है, मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूं, या अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए जो योजना है, मैं उनका विरोध नहीं कर रहा हूं। उन योजनाओं को पीने के पानी की योजना से जोड़ना गलत है कि आप यह सब करिए, तब आपको पानी देंगे। यह राज्य सरकार कह रही है कि यह सब आप करेंगे तो आपको पानी देंगे, नहीं तो पानी नहीं देंगे। यह तो भारत सरकार और राज्य सरकारों की नैतिक जिम्मेदारी है कि जनता को पीने का पानी देना है। हम नारे लगाते हैं। मैं उन योजनाओं के खिलाफ नहीं हूं। वे योजनाएं चल रही हैं और चलनी भी चाहिए, लेकिन उनको ड्रिंकिंग वाटर स्कीम से जोड़ने का काम क्या किसी और राज्य में

भी हो रहा है? मुझे नहीं पता कि महाराष्ट्र के अलावा किसी राज्य में स्वजलधारा योजना में ऐसा व्यवहार होता हो। किसी राज्य में ऐसा नहीं हो रहा है, केवल महाराष्ट्र में हो रहा है। ऐसा किसलिए हुआ, मैं नहीं जानता। हमारी जिम्मेदारी है कि जिनको पानी चाहिए उनको पानी देना है। भारत सरकार धन दे रही है, योजनाएं दे रही है, तो उसको बिगाड़ने की क्या आवश्यकता है? मेरा आरोप यही है। मैं आपकी बातों के खिलाफ नहीं हूं। आप मुझे गलत समझ गईं।... *(व्यवधान)*

श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल (हापुड़) : आरोप नहीं, सुझाव दीजिए।

श्री अनंत गंगाराम गीते : सुझाव यही दे रहा हूं कि भारत सरकार की जो योजनाएं हैं, उनके दिशा–निर्देशों में परिवर्तन करने का अधिकार किसी राज्य सरकार को नहीं होना चाहिए। उस योजना में किसी प्रकार का बदलाव करने का अधिकार राज्य सरकारों को नहीं होना चाहिए। उनको वैसे ही लागू करना चाहिए। आप तो ग्रामीण विकास की राज्य मंत्री हैं। कम से कम इस बात से तो अवगत होना चाहिए कि मैं क्या कह रहा हूं और महाराष्ट्र में यह हो रहा है या नहीं। मैं जो कह रहा हूं, यदि वह गलत होगा तो मैं अपनी सदस्यता से इस्तीफा दे दूंगा। आप क्या कह रहे हैं? मैं इसलिए नाराज हूं कि आप बात को बिगाड़ रहे हैं। मैं पुनः कहता हूं कि जो मैं कह रहा हूं, यदि वह गलत होगा तो मैं अपनी सदस्यता से इस्तीफा दे दूंगा। गृह राज्य मंत्री जी सदन में उपस्थित हैं। वे उठकर कहें कि गीते जी गलत कह रहे हैं। आप क्यों उसको गलत तरीके से ले रही हैं? मैं कह रहा हूं कि भारत सरकार की किसी भी योजना को बदलने का अधिकार राज्यों को नहीं है और न ही बदलना चाहिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री गीते के भाषण के अलावा अन्य कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

[हिन्दी]

जब आपकी बारी आएगी, तब कहें।

*...(व्यवधान)**

श्री अनंत गंगाराम गीते : आपको कौन रोक रहा है? उपाध्यक्ष जी, मैंने यह बात इसलिए कही है कि जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, कल पानी के लिए एक युवक की मौत हो गई। एक एस.पी. ने गोली चला दी, सीने पर गोली खाकर वह युवक मरा है। अमरावती, महाराष्ट्र में आज आंदोलन चल रहा है। उस व्यक्ति की लाश अभी भी वहां पर है। उसकी अंतिम यात्रा अभी तक नहीं निकाली है और ऐसे में राज्य सरकार यदि भारत सरकार की योजनाओं को तोड़–मरोड़ दे या गलत ढंग से इस्तेमाल करे तो मसला कैसे हल होगा। अगर सचमुच में भारत निर्माण करना है तो भारत सरकार की ओर से जो योजनाएं बनाई जाती हैं, उनमें बदलाव करने का कोई भी अधिकार राज्य सरकार को नहीं होना चाहिए। जैसी योजनाएं केन्द्र सरकार बनाती है, वैसी की वैसी योजना अमल में लानी चाहिए। राज्य सरकार को योजना में फेर–बदल करने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। महिला सशक्तिकरण किया है, उसका विरोध करने का कोई कारण नहीं है। मैं भी पिछड़े वर्ग से हूं। पिछड़े वर्ग का उत्थान हो, वह आगे बढ़े।

मैं कहना चाहता हूं कि आज किसानों की महाराष्ट्र में क्या स्थिति है? महाराष्ट्र में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। आज सुबह चर्चा हुई और गेहूं आयात करने की बात अखबारों में छपी है। पांच लाख टन गेहूं आयात करने की बात हम कह रहे हैं। हमारे पास सरप्लस अनाज है। सरकार दावा करती है कि हमारे पास सरप्लस अनाज है। एक समय हमारे पास बफर स्टाक था। हमारा अनाज सड़ने लग गया और सड़ जाने के कारण समुद्र में फेंकना पड़ा। आज भी साल में एक बार जो हमारे एफसीआई के गोदाम हैं, जिनमें अनाज पड़ा रहता है और बाद में सड़ जाता है, उसे समुद्र में फेंकते हैं। यह सरकार इससे इंकार कैसे कर सकती है? हमारे देश में किसान मेहनत करके अनाज पैदा करता है और सड़ने के बाद उस अनाज को समुद्र में फेंककर बाहर से अनाज इम्पोर्ट कर रहे हैं। यह किसानों के हित में नहीं है। यह क्या हो रहा है? यदि हमारे पास अनाज की कमी है और हम इम्पोर्ट करें, तो बात सही है, लेकिन हमारे पास अनाज सरप्लस है और हमें समुद्र में फेंकना पड़ रहा है, इसके बावजूद हम किसानों को उचित मूल्य नहीं दे पा रहे हैं और बाहर से ज्यादा दाम पर गेहूं इम्पोर्ट कर रहे हैं। आज संबंधित मंत्री जी ने जवाब दिया, कृषि मंत्री जी यहां सदन में उपस्थित नहीं हैं, लेकिन गेहूं के आयात को बंद करना चाहिए। आज इसकी आवश्यकता नहीं है। हमारे देश में कहीं गेहूं की कमी नहीं है। इससे कैसे भारत निर्माण होगा? यदि हम पांच लाख टन गेहूं खरीदेंगे और अपने किसानों को उचित मूल्य नहीं देंगे और 900 रुपए क्विंटल के भाव से गेहूं खरीदेंगे, तो मैं कहना चाहूंगा कि किस आधार पर यह फैसला किया गया है? सरकार को यह फैसला

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री अनंत गंगाराम गीते]

बदलना चाहिए। यदि सरकार नहीं बदलती है तो यह फैसला किसान विरोधी है, यह किसान के हित में नहीं है, देश के हित में नहीं है।

एक बात मेरे समझ में नहीं आई, महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में आतंकवाद का जिक्र भी है। हमारी सीमाओं की सुरक्षा का जिक्र है। देश के भीतर राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता है और जब हम बार-बार राष्ट्रीय एकता की बात करते हैं और विशेषकर जो हमारे लिए अति संवेदनशील इश्यु है, वह हिन्दू या मुसलमान का होता है। यह बात हमेशा सामने आती है। मैं पुराना राजनीतिज्ञ नहीं हूं। मुझे ज्यादा समय नहीं हुआ है, केवल 10 साल से ही सदन का सदस्य हूं। लेकिन पिछली कई सरकारों को देख चुका हूं। श्री नेहरू जी के समय में, श्री राजीव गांधी के समय में उन सरकारों को कभी यह महसूस नहीं हुआ, जो मंत्रालय अभी बनाया गया है। माननीय मंत्री श्री अंतुले जी यहां उपस्थित नहीं हैं। उनके सामने मुझे यह कहना था। न श्री नेहरू जी के समय, न श्रीमती इंदिरा जी के समय इस मंत्रालय की जरूरत महसूस की गई, लेकिन श्री मनमोहन सिंह ने क्यों इस मंत्रालय की जरूरत महसूस की, यह बात मेरी समझ में नहीं आई। यह मंत्रालय क्यों बनाया गया, यह मेरी समझ से बाहर की बात है। इससे देश की जनता को क्या संदेश सरकार देना चाहती है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री गीते के सिवाय कुछ रिकार्ड में नहीं जाएगा।

श्री अनंत गंगाराम गीते : ऐसा करके कौन सी एकता देश में सरकार बनाना चाहती है, यह मेरी समझ से बाहर है। आवश्यकता इस बात की है कि इस देश में रहने वाला चाहे वह किसी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो वह इस देश की राष्ट्रीय एकता के साथ जुड़ा रहे। राष्ट्रीय एकता में भेद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रीय एकता को बांटने की आवश्यकता नहीं है। यह निर्णय सरकार ने किया है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि किस तरह से सरकार इस देश में एकता को साधने जा रही है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

यह पहले कहा जा चुका है।

श्री अनंत गंगाराम गीते : आपने जो मंत्रालय बनाया, मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि देश के बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक के मन में एकता का भाव कैसे आएगा।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते : किसी के मन में भी यह भाव नहीं आना चाहिए कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, चाहे वह अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक हो। सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है कि देश के हर नागरिक के साथ न्याय हो, चाहे वह किसी जाति या धर्म का हो। सरकार की यह नैतिक जिम्मेदारी है। सरकार भेद करने के लिए नहीं बनाई जाती है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप क्या कह रहे हैं?

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते : सरकार इसलिए होती है कि यह भाव किसी के मन में न आए कि वह किसी जाति या किसी धर्म का है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। मैं अभी विधान सभा के उप चुनाव के सिलसिले में रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट गया था। मंत्री जी यहां उपस्थित नहीं हैं। मुझे यह बात उनके सामने कहनी थी।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपनी बात समाप्त करें।

...(व्यवधान)

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री गीते के भाषण के अलावा अन्य कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते : मैं यह मुद्दा बाद में उठा लूंगा। यदि श्री अंतुले जी यहां होते, तब मुझे ज्यादा खुशी होती। मैं कहना चाहता हूं कि यदि आपको देश को बनाना है, देश की तरक्की करनी है, देश की प्रगति करनी है और देश की अखंडता और एकता की बात करनी है, देश की एकता को कायम रखना है, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह चाहे अल्पंख्यक या बहुसंख्यक हो, वह इस देश का नागरिक है और उसके साथ न्याय होना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे पास बोलने वाले 41 सदस्यों की लिस्ट है, इसलिए मैं चाहता हूं कि यदि हम अपनी मर्जी से बोलते रहे और इतना ज्यादा समय लेते रहे तो फिर सुबह हो जाएगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि सभी सदस्य 5–6 मिनट से ज्यादा का समय न लें।

[अनुवाद]

हमारे लिए वह बेहतर होगा।

श्री सी. के. चन्द्रप्पन (त्रिचूर) : महोदय, क्या मैं आपका संरक्षण मांग सकता हूं? मैं केवल औचित्यपूर्ण समय लूंगा, परंतु केवल चार–पांच मिनट नहीं।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सी. के. चन्द्रप्पन जी, क्या आपका काम 10 मिनट में चल सकता है, यदि हां, तो मैं आपको अपनी बात कहने के लिए 10 मिनट का समय देता हूं। मेरा आग्रह है कि आप अपनी बात 10 मिनट में कहकर अपना भाषण समाप्त कर दें।

[अनुवाद]

श्री सी. के. चन्द्रप्पन : आपका धन्यवाद, महोदय, मेरे विचार से आप मुझे सहयोग देंगे।

महोदय, राष्ट्रपति जी द्वारा इस संसद में दिया गया यह उनका तीसरा अभिभाषण था और संभवतः हमें स्मरण होगा कि सं.प्र.ग. सरकार कुछ ही माह में अपने कार्यकाल के दो वर्ष पूरे करने जा रही है। हम यह आशा करते हैं कि राष्ट्रपति जी द्वारा दिया गया भाषण–यह सरकार का नीति वक्तव्य होता है–इस प्रकार का होगा कि वह लोगों को प्रेरित करेगा। लेकिन मुझे यह कहते हुए खेद होता है कि यह बहुत प्रेरणादायक नहीं था।

वामपंथी दल, वामपंथी दलों के 61 सदस्य इस सरकार को समर्थन दे रहे हैं। हम कोई मंत्रालय नहीं चला रहे हैं। हमने कोई मंत्रिपद नहीं मांगा। हमारा विचार है कि सरकार विगत चुनावों में लोगों द्वारा लिए गए निर्णय का आदर करेगी। वह निर्णय क्या था? क्या वह केवल इतना ही था कि रा.ज.ग. को सत्ता से बाहर हो जाना चाहिए? वह केवल इतना ही नहीं था। रा.ज.ग. को उसकी गलतियों के कारण बाहर किया गया, क्योंकि वे लोगों के विरुद्ध थे, क्योंकि वे साम्प्रदायिक थे और क्योंकि उन्होंने देश की एकता पर प्रश्नचिह्न लगा दिया था। लोगों ने इसे पसंद नहीं किया और इसलिए लोग एक नई सरकार चाहते थे जो आम आदमी को सहारा दे।

हमने सं.प्र.ग. सरकर को इसलिए समर्थन दिया था क्योंकि ऐसी आशा थी कि यह अधिक जन–हितैषी होगी। लेकिन मुझे यह कहते हुए खेद होता है कि उसे अभी यह सिद्ध करना है। इसका एक साधारण सा उदाहरण यह है कि राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में आर्थिक वृद्धि पर बहुत अधिक कहा है, लेकिन आधुनिक अर्थशास्त्र का कोई भी विद्यार्थी यह जानता है कि केवल आर्थिक वृद्धि का अर्थ आर्थिक विकास नहीं है।

आज क्या परिस्थितियां हैं? इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करते समय किसी ने कहा था कि वे आर्थिक वृद्धि की हमने 8 प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य हासिल कर लिया है और सैनसैक्स 10,000 अंक को पार कर रहा है, को लेकर बहुत उत्तेजित थे। यह सब तस्वीर का केवल एक पहलु है। इसका अर्थ यह नहीं है कि लोगों का जीवन स्तर बेहतर हो गया है। यह आर्थिक विकास में परिलक्षित होता है।

आर्थिक विकास के सूचकांक का आकलन किया गया है। विश्व के 175 देशों में हम मानव विकास सूचकांक में 124वें स्थान पर थे लेकिन हम उससे फिसलकर 127वें स्थान पर आ गए हैं। इसका अर्थ यह है कि भारत में आज लोगों के जीवन की गुणवत्ता का स्तर गिर रहा है।

संक्षेप में भारत क्या है? विश्व में जो लोग भूखे हैं उनमें से एक–तिहाई भारतीय हैं। तीन सौ मिलियन लोग गरीबी की रेखा से

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री सी. के. चन्द्रप्पन]

नीचे रह रहे हैं। महोदय, भारत में प्रतिदिन 233 मिलियन लोग भूखे रह जाते हैं। इकतालिस मिलियन लोग बेरोजगार हैं, जो कि हमारी कार्यशील जनसंख्या के दस प्रतिशत से अधिक है। जनसंख्या के 16 प्रतिशत, अर्थात 16 करोड़ भारतीयों, की पारिवारिक आय केवल 3 रुपये प्रतिदिन है। क्या तीन रुपये प्रतिदिन की पारिवारिक आय से कोई व्यक्ति मानवीय सम्मान से जीवन व्यतीत कर सकता है? आप नहीं कर सकते। इसके विरोधाभास में मैं एक बात का उल्लेख करना चाहूंगा। संयुक्त राज्य अमरीका में एक गाय पर प्रतिदिन दो डालर व्यय होते हैं। यहां, एक परिवार केवल तीन रुपये प्रतिदिन पर जीवित है। राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में हमारे सम्मुख इन सभी वास्तविकताओं के प्रति उपेक्षा का प्रदर्शन किया है। इसमें भूमि सुधारों के बारे में एक शब्द भी नहीं है। हमारे जैसे देश में जहां 1936 में कांग्रेस ने कराची संकल्प को अंगीकार करते हुए यह घोषणा की थी कि स्वतंत्र भारत में भूमि सुधारों को अपनाया जाएगा—आप इस घोषणा की वर्षगांठ या शताब्दी समारोह मना सकते हैं परन्तु अधिकांश राज्यों में भूमि सुधार नहीं हुए हैं। हम एक दावा करते हैं कि—आप में से बहुत से इसका विरोध नहीं करेंगे—केवल वाम दलों द्वारा शासित राज्यों में ही अर्थपूर्ण भूमि सुधारों को कार्यान्वित किया गया है। क्या राष्ट्रपति जी इससे अनभिज्ञ हैं?... *(व्यवधान)*

चिल्लाइए मत। चिल्लाने का कोई कारण नहीं है। ये वास्तविकताएं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शांत रहिए।

श्री सी. के. चन्द्रप्पन : राष्ट्रपति जी को इन वास्तविकताओं को देखना ही चाहिए...*(व्यवधान)* मध्य प्रदेश और आन्ध्र प्रदेश में भूमि सुधारों के बारे में जितना कम बोला जाए उतना ही अच्छा है। आपके भूमि सुधार नजरों का धोखा हैं। ये भूमि सुधार नहीं हैं। भारत में भूमि सुधारों के बारे में किए गए सभी अध्ययन यह दर्शाते हैं कि केवल वामपंथी दलों द्वारा शासित राज्यों में ही आम आदमी के लिए एक नया जीवन सर्जित करने के लिए अर्थपूर्ण ढंग से भूमि सुधारों को लागू किया गया है...*(व्यवधान)* मुझे आपका प्रमाणपत्र नहीं चाहिए परन्तु यही वास्तविकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : केवल श्री चन्द्रप्पन का वक्तव्य ही कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री चन्द्रप्पन, अध्यक्षपीठ को संबोधित कीजिए, किसी व्यक्ति विशेष को नहीं, यह सही तरीका नहीं है।

श्री सी. के चन्द्रप्पन : उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल आपकी ओर देखूंगा।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : अगर आप चेयर को एड्रैस करेंगे तो फिर शोर भी नहीं होगा।

[अनुवाद]

श्री सी. के. चन्द्रप्पन : यही समस्या है। मानव विकास सूचकांक में हमारी स्थिति 124 से गिरकर 127 पर कैसे पहुंच गई? ऐसा इन्हीं वास्तविकताओं के कारण हुआ जिनके बारे में राष्ट्रपति जी ने एक शब्द भी नहीं बोला है। भूमि सुधार ऐसा एकमात्र उपाय हो सकता है जिससे देश में बड़े परिवर्तन किए जा सकते हैं और जिनके बारे में वे चुप हैं। श्रीमती सोनिया गांधी यहां हैं। मुझे प्रसन्नता है। महोदय, 50 प्रतिशत भारतीय जनसंख्या प्रसन्न होती यदि हमारे राष्ट्रपति जी ने स्पष्ट रूप से यह वक्तव्य दिया होता कि हम इस सत्र में संसद और राज्य विधान मंडलों में महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण का विधेयक लाएंगे। क्या उन्होंने ऐसा किया? नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने एक बहुत पेचीदा वक्तव्य दिया। उन्होंने कहा कि वे ऐसा करने का प्रयास करेंगे। हम उसे सुन रहे थे। इस ओर रा.ज.ग. के लोग ऐसा करने का प्रयास कर रहे थे। अब आप भी यह कह रहे हैं कि आप ऐसा करने का प्रयास करेंगे। एक स्थिति पर करते हैं। जोखिम उठाते हैं। आप एक विधेयक पुरःस्थापित कीजिए और देखते हैं कि कौन-कौन महिलाओं के विरुद्ध है। यदि आप जोखिम नहीं उठाएंगे, यदि आप केवल यही राग अलापते रहेंगे : "हम प्रयास करेंगे, हम प्रयास करेंगे, हम इसे पूरा करेंगे," आप कभी भी इसे पूरा नहीं कर पाएंगे। यह गाना मत गाइए "हम पूरा करेंगे।" यदि आप देश की आधी जनसंख्या का समर्थन प्राप्त करना चाहते हैं तो आपका यह एक ही कार्य परिवर्तन ला देगा। राष्ट्रपति जी ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा : "हम प्रयास करेंगे।" हम यह सुन-सुनकर थक गए हैं कि हम प्रयास करेंगे। तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। जब आप आर्थिक विकास की बात करते हैं तो आप आम आदमी की दुर्दशा को देखें। एक और बात है। भारत में 50,000 परिवारों की वार्षिक आय 5 करोड़ रुपये प्रत्येक परिवार है।

इसमें पांच हजार परिवार और जोड़िए। यहां 50,000 प्रभावशाली

परिवार हैं और उनमें 5,000 और जोड़िए। इस अवधि के दौरान भारत में 13 नए अरबपति बने हैं। क्या इसका तात्पर्य यह है कि गरीबी का उपशमन हो रहा है या इसका तात्पर्य यह है कि हमारी आर्थिक नीतियां करोड़पति पैदा कर रही हैं? दूसरी बात यह है कि उन पर बहुत नरमी के साथ कर लगाया जाता है। कराधार व्यापक किया गया है। इसका अर्थ है, अधिकाधिक लोगों पर कर लगाया जाए लेकिन अधिक अमीर लोगों को छोड़ दिया जाए। आज की वास्तविक स्थिति यह है कि भारत में सबसे कम कर हैं। यह स्थिति बदलनी चाहिए। अन्यथा आप गरीब व्यक्ति को यह अहसास करा देंगे कि सभी करों का भार उस पर है। आप कहेंगे कि विकास कार्यों के लिए कोई धन नहीं है। आपने बहुत जोर-शोर से भारत निर्माण कार्यक्रम आरंभ किया है। गत वर्ष, राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में यह कहा था कि हमने भारत निर्माण कार्यक्रम बनाया है। उसके बाद, श्री चिदम्बरम आए और यहां कहने लगे कि हम भारत निर्माण कार्यक्रम को कार्यान्वित कर रहे हैं। मैं राष्ट्रपति जी से यह सुनना चाहता था कि किस सीमा तक कार्यान्वयन हुआ है। एक वर्ष व्यतीत हो चुका है। आपके पास पचास नहीं केवल पांच वर्ष हैं। राष्ट्रपति जी ने इसका उल्लेख नहीं किया। उन्होंने केवल इतना ही कहा कि भारत निर्माण अभी भी है। हम कब तक यह सुनते रहेंगे? प्रत्येक वर्ष आप आएंगे और कहेंगे : "भारत निर्माण यहां है।" सरकार गंभीरतापूर्वक इसे कार्यान्वित करने का प्रयास नहीं कर रही है। हमारा यही आरोप है।

महोदय, एक अन्य बात जो मैं कहना चाहता हूं कि श्रमिक, विशेषकर सर्वाधिक दबे-कुचले लोग, कृषि श्रमिक असंगठित क्षेत्र में हैं। यहां सं.प्र.ग. का न्यूनतम साझा कार्यक्रम है। इसमें कहा गया है कि हमारा ध्यान इस प्रकार की गारंटी देने पर होगा और कि जनसंख्या का 90 प्रतिशत या कार्यशील जनसंख्या के 93 प्रतिशत भाग को बेहतर सुविधाएं दी जाएंगी। क्या आपने उसके लिए एक सेकेंड भी रखा है। महोदय, इन लोगों ने उसका वादा किया था। क्या वे कृषि कार्यों से संबंधित मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने के लिए कोई विधान लाए? न्यूनतम साझा कार्यक्रम में यह वादा किया गया है। उन्होंने अभी तक इसे नहीं निभाया है। वे कहते हैं, "हम इसे पूरा करेंगे," लेकिन अभी तक उन्होंने ऐसा नहीं किया है। इसके विपरीत, आप इन्हें करने की कोशिश कर रहे हैं... *(व्यवधान)*

श्री विजय हान्डिक : असंगठित मजदूरों पर विधेयक इसी सत्र में लाया जा सकता है। यह प्रक्रिया में है।...*(व्यवधान)*

श्री सी. के. चन्द्रप्पन : राष्ट्रपति को अपने अभिभाषण में इसके बारे में उल्लेख करना चाहिए था। आप राष्ट्रपति नहीं हैं। मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहस कर रहा हूं।...*(व्यवधान)*

श्री विजय हान्डिक : यदि आप मेरे पास आएंगे, तो मैं आपको दस्तावेज दिखाऊंगा...*(व्यवधान)*

श्री सी. के. चन्द्रप्पन : यदि आप इसे ला रहे हैं तो यह बहुत अच्छा है...*(व्यवधान)*

श्री विजय हान्डिक : असंगठित मजदूरों पर यह विधेयक इस सत्र में आ सकता है।...*(व्यवधान)*

श्री अजय चक्रवर्ती (बसीरहाट) : राष्ट्रपति के अभिभाषण में एक शब्द भी नहीं कहा गया है।...*(व्यवधान)*

श्री सी. के. चन्द्रप्पन : मुझे अत्यधिक खुशी है कि मंत्री जी ने इसके बारे में कहा है। क्या मैं इसे आश्वासन मान सकता हूं?... *(व्यवधान)*

श्री विजय हान्डिक : इस पर कार्य जारी है। यदि संभव हुआ तो हम इसी सत्र में विधेयक लाने की कोशिश कर रहे हैं।... *(व्यवधान)*

श्री सी. के. चन्द्रप्पन : आप पीछे क्यों हट रहे हैं? आपने कहा था कि विधेयक इसी सत्र में आ रहा है। हम इसका स्वागत करते हैं।...*(व्यवधान)*

श्री विजय हान्डिक : मैंने कहा है कि हम इस विधेयक को पुरःस्थापित करने का प्रयत्न कर रहे हैं।...*(व्यवधान)* श्री चन्द्रप्पन, मैं आपका संदेह दूर करूंगा। यह विधेयक प्रक्रिया में है। अब यह कभी भी आ सकता है, हो सकता है इस सत्र के उत्तरार्द्ध में भी।... *(व्यवधान)*

श्री सी. के. चन्द्रप्पन : तब भी मैं प्रसन्न हूं। एक सेकेंड में आप तीन बार बदले। पहले आपने कहा "विधेयक आ रहा है।" फिर आपने कहा : "यह प्रक्रिया में है।" अब आप कहते हैं : "यह आ सकता है।"...*(व्यवधान)*

श्री विजय हान्डिक : मैंने कहा था "विधेयक सत्र के उत्तरार्द्ध में आ सकता है।" इसे आना चाहिए था।...*(व्यवधान)*

श्री सी. के. चन्द्रप्पन : बहुत अच्छा। मैं आपको बधाई देता हूं। यदि विधेयक इस सत्र के उत्तरार्द्ध में आता है तो मैं आपको इसके लिए बधाई देता हूं। मैं नहीं जानता इसे गुप्त क्यों रखा गया। आप इसे लाने का श्रेय राष्ट्रपति को क्यों नहीं देते? खैर, मैं प्रसन्न हूं कि आपने इसे समझाया है।

[श्री सी. के. चन्द्रप्पन]

लेकिन मैंने दूसरा वादा नहीं सुना कि महिला आरक्षण विधेयक आ रहा है।

श्री विजय हान्डिक : आपने ही यहां प्रस्ताव रखा था। आपने गैर–सरकारी सदस्यों के कार्य में प्रस्ताव रखा था। आपको भी यह पता है।

श्री सी. के. चन्द्रप्पन : मैंने इस तरफ से प्रस्ताव रखा था और अधिकांश सदस्यों ने इसका समर्थन किया था। मंत्री जी ने मुझसे इसे वापस लेने का अनुरोध किया था। लेकिन क्या अब आप इसे ला रहे हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूं। आप सरकार के प्रतिनिधि हैं। क्या आप महिलाओं को एक–तिहाई आरक्षण देने के लिए विधान ला रहे हैं?

श्री विजय हान्डिक : आप असंगठित क्षेत्र पर विधेयक के बारे में बात कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, आप यह जवाब दे सकते हैं। यह ठीक नहीं है।

श्री खारवेल स्वाईं : पश्चिम बंगाल में आपने महिलाओं को 294 में से 33 सीटें दी हैं। यह केवल 11 प्रतिशत है। क्या आप चाहते हैं कि वहां 11 प्रतिशत आरक्षण होना चाहिए?... *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित न किया जाए।

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बोलना जारी रखें।

श्री सी. के. चन्द्रप्पन : इसे कहते हैं स्वयं को बुद्धिमान समझना।

उपाध्यक्ष महोदय : आप पीठ को संबोधित करें।

श्री सी. के. चन्द्रप्पन : जब वे सत्ता में थे तो उनके पास यह विधान लाने और विधेयक को अधिनियमित करने का अवसर था। हम सबने इसका समर्थन किया था।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें संबोधित न करें। आप पीठ को संबोधित करें।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री सी. के. चन्द्रप्पन : आपने कानून नहीं बनाया। तब हमसे मत कहो।

कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो राष्ट्रपति के अभिभाषण से छूट गईं।

न्यूनतम साझा कार्यक्रम में अब एक अन्य वादा किया गया है। जीडीपी का 6 प्रतिशत शिक्षा के लिए अलग से रखा जाएगा। यह एक आश्चर्यजनक स्थिति होगी। अभी हम मुश्किल से 2 प्रतिशत दे पा रहे हैं। लेकिन हमने शिक्षा के लिए बजट आवंटन में कोई सराहनीय वृद्धि नहीं की है। अतः यही वह क्षेत्र है जहां सरकार को छाप छोड़नी चाहिए लेकिन सरकार ने इसके बारे में कुछ अधिक नहीं किया है।

अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु विदेश नीति से संबंधित है। विदेश नीति के संबंध में राष्ट्रपति महोदय ने कहा कि हम संयुक्त राज्य अमरीका और सभी देशों से अच्छे संबंध बना रहे हैं। यह बहुत अच्छी बात है। यह अच्छी बात है कि हम संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ हमारे संबंधों में सुधार कर रहे हैं। न्यूनतम साझा कार्यक्रम में विदेश नीति के बारे में क्या कहा गया? इसमें कहा गया : "हम एक विदेश नीति, जो एक स्वतंत्र विदेश नीति होगी, अपनाते हुए भारत की गौरवशाली परम्परा को बनाए रखेंगे।" मुझे कहना चाहिए कि इस हिसाब से सरकार का रिकार्ड बहुत अच्छा नहीं है, बल्कि निराशाजनक है।

कल हमने भारत में अमरीकी राजदूत के आचरण पर चर्चा की थी। मुझे विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है लेकिन भारत जैसे बड़े आकार, विशाल जनसंख्या वाले देश और इसकी वैश्विक प्रतिष्ठा को देखते हुए कोई भी अमरीकी राजदूत ऐसा व्यवहार कैसे कर सकता है जिस तरह ये कर रहे हैं? उन्हें विदेश मंत्रालय द्वारा अपने कार्यालय में बुलाकर बताना चाहिए कि हम उनके कार्यों की निन्दा करते हैं। हम ऐसा करने में असफल रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : इस पर पहले ही संपूर्ण रूप से चर्चा की जा चुकी है।

श्री सी. के चन्द्रप्पन : कल अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि इस पर और अधिक कहा जा सकता था।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अब समाप्त करें।

श्री सी. के. चन्द्रप्पन : ठीक है, मैं समाप्त कर रहा हूं। केवल एक बात यह है कि उन्हें उसे विदेश मंत्रालय के कार्यालय में बुलाना चाहिए और उसे बताना चाहिए कि उसका व्यवहार संयुक्त

राज्य अमरीका जैसे देश के राजदूत के लिए अशोभनीय है। हमने ऐसा नहीं किया। जबकि वह बारंबार ऐसा कर रहा है, हमें अधिकार है कि हम उसे अवांछित व्यक्ति घोषित करें और अमरीका से उसे इस देश से वापस बुलाने के लिए कहें। क्या हमने ऐसा किया?

अपराह्न 5.00 बजे

(श्री वरकला राधाकृष्णन पीठासीन हुए)

क्या हम एक गुलाम देश हैं? क्या हम दक्षिण अमरीकी देशों की तरह नाममात्र के गणराज्य हैं? नहीं, हम गरिमामय राष्ट्र हैं। विश्व में हमारी पहचान है। लेकिन इस संबंध में हमारा व्यवहार कुछ हद तक दुर्भाग्यपूर्ण रहा है।...*(व्यवधान)* आप हमसे समर्थन वापस लेना चाहते हैं। क्या आप वापस आने के लिए उत्सुक हैं?...*(व्यवधान)*

महोदय, इस तरफ से मेरे मित्र हमें समर्थन वापस लेने के लिए कह रहे हैं ताकि वे वापस आ सकें।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री चन्द्रप्पन, कृपया सभापति को संबोधित करें। आपको उन्हें संबोधित करने की आवश्यकता नहीं है। अन्यथा, आपको पर्याप्त समय नहीं मिलेगा। मैं माननीय सदस्यों से सहयोग के लिए निवेदन करता हूं। अभी लगभग 40 वक्ता हैं और यदि वे सहयोग करें तो उनमें से अधिकांश को अवसर मिल सकता है, नहीं तो संख्या में कटौती करनी पड़ेगी। इसलिए, कृपया सभापति के साथ सहयोग करें। हम अन्तहीन भाषण नहीं दे सकते। आपने लगभग सभी पहलुओं को शामिल किया और प्रत्येक व्यक्ति को सरकार के पक्ष में और सरकार के विरुद्ध बोलने का अवसर मिलेगा। लेकिन, कृपया संक्षेप में बोलें।

...(व्यवधान)

श्री सी. के. चन्द्रप्पन : महोदय, मैं अध्यक्षपीठ को ही संबोधित करूंगा।

अब, मैं संसाधनों के संबंध में कुछ कहना चाहूंगा। अब वे खाद्यान्नों पर सब्सिडी में कमी करने के बारे में सोच रहे हैं। क्या यह 4,000 करोड़ रु. की राशि इतनी बड़ी राशि है कि वे इसका खर्च वहन नहीं कर सकते? कल भी जब माननीय कृषि मंत्री प्रश्न का जवाब दे रहे थे, उन्होंने कहा था : "पश्चिम बंगाल, केरल और उड़ीसा से विशेष चर्चा की प्रतीक्षा करें। इस चर्चा के बाद, हो सकता है कि परिणाम हमें ही भुगतना पड़े।" लेकिन क्या वास्तव में हम इतने निर्धन हैं कि इसे वहन नहीं कर सकते। इस देश में, विशेषों की राय में जीडीपी का न्यूनतम 30 प्रतिशत और कुछ लोगों के अनुसार जीडीपी का 51 प्रतिशत एक समान्तर अर्थव्यवस्था स्थापित करता है जिसे काले धन के नाम से जाना जाता है। क्या माननीय राष्ट्रपति इसके बारे में जानते हैं। मुझे लगता है कि माननीय राष्ट्रपति महोदय इसके बारे में जानते हैं। इसके बारे में एक शब्द भी नहीं कहा गया है। इसका उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए था और तब वे कहते कि मेरी सरकार कठोर कदम उठाएगी ताकि यह धन बाहर लाया जा सके। तब ही हम इन सभी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को बिना किसी कठिनाई के संचालित कर सकते थे।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री चन्द्रप्पन, कृपया दूसरों की न सुनें। नहीं तो आप अपना भाषण समाप्त नहीं कर पाएंगे।

...(व्यवधान)

श्री सी. के. चन्द्रप्पन : प्रथमतः मैं समझता हूं कि सरकार को काले धन का पता लगाने के लिए सख्त रुख अपनाना चाहिए। यदि आवश्यक हो, तो इसके लिए विधेयक लाया जाना चाहिए। सरकार ऐसे धन का विमुद्रीकरण भी घोषित कर सकती है। विभिन्न देशों में अनेक उपाय अपनाए जा रहे हैं। परन्तु हमारे यहां इस संबंध में कुछ भी नहीं किया जा रहा है। यहां एक समानान्तर अर्थव्यवस्था चल रही है।

दूसरे, मैं गैर–निष्पादनकारी आस्तियों तथा उसकी मात्रा के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। हमारा कहना है कि यह एक लाख करोड़ रु. से भी ज्यादा है। एक बार जब यह घोषित कर दिया जाता है कि जिन लोगों को गैर निष्पादनकारी आस्तियां बैंक को अदा करनी हैं उन्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। उन्हें केवल बातचीत करने की जरूरत है, उनका 70 प्रतिशत ब्याज माफ कर दिया जाता है। आम आदमी भीख मांगाकर भी पैसा जमा करते हैं लेकिन धनी लोग ऐसा नहीं करते। जहां तक गैर–निष्पादनकारी आस्तियों का संबंध है, यदि सरकार चाहे तो इसके लिए एक कानून ला सकती है और यह सुनिश्चित कर सकती है कि एक लाख करोड़ रु. से अधिक की इस राशि का संग्रहण हो अथवा इसके अधिकांश भाग का संग्रहण कर लिया जाए और इसे जन स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी समस्याओं के समाधान के लिए और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सबल बनाने के लिए खर्च किया जाएगा।

माननीय राष्ट्रपति के अभिभाषण में इस बात का कोई उल्लेख नहीं किया गया है तथा इस ओर कोई संकेत भी नहीं दिया गया है। अतः राष्ट्रपति के अभिभाषण में निर्धनों के लिए लाभकारी कार्य, नए

[श्री सी. के. चन्द्रप्पन]

भारत तथा बेहतर जीवन के आश्वासनों की कमी है। श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जिन्होंने इस आशय के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए विलियम फ्रॉस्ट के शब्दों को कि "हमें एक लम्बा रास्ता तय करना है," उद्धृत किया था। मुझे नहीं पता आज महात्मा गांधी उनके लिए लोकप्रिय हैं अथवा नहीं। तीनमूर्ति भवन में आयोजित एक प्रदर्शनी में गांधी जी का चित्र लगा हुआ है। जिसमें वे कहते हैं "यदि कोई सरकार अथवा कोई व्यक्ति किसी नीति अथवा किसी विषय पर कोई निर्णय लेता है, तो कुछ समय के लिए उसे अपनी आंखें बंद करके उस गरीब से गरीब व्यक्ति के बारे में सोचना चाहिए जो उसके सामने आता है अर्थात् दरिद्र नारायण। फिर उसे विचार करना चाहिए कि जो कदम वह उठाने जा रहा है क्या वह दरिद्र नारायण के पक्ष में है तो उस कदम को उठाना चाहिए और यदि वह उसके विरुद्ध है तो वह कार्य नहीं करना चाहिए।" गांधी जी ने इसे एक जन्तर बताया था जो उन्होंने आप लोगों को विशेष रूप से कांग्रेसियों को दिया था। क्या आप महात्मा गांधी के उस जन्तर के बारे में सोचते हैं क्या उनकी सलाह को मानते हैं? यदि हां, तो सरकार खाद्यान्नों पर से राजसहायता में कटौती के बारे में, नहीं सोचती बल्कि काले धन को एकत्र न करने के बारे में तथा गैर निष्पादनकारी आस्तियों को समाप्त करने के बारे में कठोर उपाय के बारे में सोचती। सरकार उस दरिद्र नारायण के बारे में सोचती जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, जो भूखे हैं, जिनका अपना कोई मकान नहीं है। दुर्भाग्यवश उस दरिद्र नारायण को राष्ट्रपति के अभिभाषण में कहीं स्थान नहीं मिला है।

महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण में कहा गया है कि हम उल्लेखनीय आर्थिक विकास करने जा रहे हैं। परन्तु यह विकास किसके लिए है? क्या यह अंबानी बंधुओं के लिए है, या फिर यह टाटा अथवा बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए है? उस दरिद्र नारायण का आपकी विचारधारा में प्रमुख स्थान होना चाहिए। मैं इसकी आलोचना करता हूं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में गरीब आदमी की पूरी तरह से उपेक्षा की गई है, उन्होंने केवल धनी लोगों का ध्यान रखा है। अतः मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण का समर्थन नहीं कर सकता।

इन शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपको हार्दिक धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदय : अब श्री किरिप चालिहा जी बोलेंगे। श्री चालिहा जी आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको बोलने के लिए केवल दस मिनट का समय दिया गया है।

श्री किरिप चिलिहा (गुवाहाटी) : सभापति महोदय, मैं कुछ ओर से कुछ आवाजें सुनकर आश्चर्यचकित हूं। उदाहरण के तौर पर भारतीय जनता पार्टी हमें साम्प्रदायिक सौहार्द की शिक्षा दे रही है और साम्यवादी दल गांधी जी के कदमों पर चलने का उपदेश दे रहे हैं। खैर, इस दुनिया में कुछ अजीब घटनाएं घटित होती हैं और हमें उनका सामना करना होता है। मैं इन विषयों के मूल प्रश्नों पर चर्चा बाद में करूंगा।

मैं श्री मधुसूदन मिस्त्री द्वारा संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण में यूपीए सरकार के 30 महीने के शासन का सही मूल्यांकन किया गया है तथा इसमें आने वाले दिनों में सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदमों की मोटे तौर पर रूपरेखा निर्धारित की गई है।

महामहिम राष्ट्रपति ने बिल्कुल ठीक कहा है कि आज देश में आशावाद की भावना विद्यमान है, इससे एक ऐसे राष्ट्र का आभास होता है जिसके लाखों लोग अपनी क्षमता के अनुसार उन्नति कर रहे हैं जो उनके अनुसार एक उत्साहजनक बात है। यह सत्य है कि अर्थव्यवस्था में 7.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जबकि महंगाई दर सामान्य है, ग्रामीण क्षेत्र में विकास हुआ है। एनडीए शासन की तुलना में हमने कृषि और ग्रामीण विकास की ओर ध्यान केंद्रित किया है तथा भारत निर्माण कार्यक्रम में ग्रामीण क्षेत्र में बिजली उपलब्ध कराने की बात की जा रही है।

भारत निर्माण के अंतर्गत हम गरीबों को पेयजल उपलब्ध करा रहे हैं, किसानों को सिंचाई की सुविधा दे रहे हैं, ग्रामीण गरीबों के लिए मकानों का निर्माण कर रहे हैं और गांवों को दूरसंचार सेवाओं से जोड़ने की बात भी कर रहे हैं। हमारी नेता की दूरदृष्टि के कारण ही यह संभव हुआ और उनकी पहल के कारण ही ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम लागू किया गया है। जब हमने इस विधेयक को प्रस्तुत करने के बारे में सोचा अथवा इसे पुरःस्थापित करने की बात की तो उसकी विभिन्न दलों ने निंदा की और इसके प्रति संशय व्यक्त किया। परन्तु अब यह अस्तित्व में आ गया है और लागू भी हो गया है। इसलिए डा. मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार जिसने इतना बड़ा साहसिक कदम, जो इस देश में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है, उठाया है, बधाई की पात्र है।

मैं अपनी नेता श्रीमती सोनिया गांधी को अवश्य बधाई देना चाहूंगा जिन्होंने इसे साकार रूप देने के लिए व्यक्तिगत रूप से पहल की तथा विपक्ष के मेरे मित्रों की सभी प्रकार की आलोचनाओं

के बावजूद यह अधिनियम लागू हुआ। कुछ एनडीए समर्थित मुख्यमंत्रियों ने अपने राज्य के संसाधनों से इस कार्यक्रम को विभिन्न गांवों में लागू करने के लिए कहा है। इससे यह स्पष्ट होता है कि हमारे द्वारा उठाया गया कदम ठीक था।

ठीक उसी तरह भारत निर्माण के संबंध में आलोचक यही कहेंगे कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है अथवा क्या कर रही है, सरकार ऐसा कुछ नया नहीं कर रही है, यह लागू नहीं किया जा रहा है, इसे मूर्त रूप नहीं दिया जा रहा है, इत्यादि। परन्तु वास्तविकता यह है कि यह एक अच्छा कार्यक्रम है। आप ऐसा कहने से क्यों हिचक रहे हैं कि यह एक अच्छा कार्यक्रम है? वे मात्र विरोध स्वरूप ही इसका विरोध कर रहे हैं। आलोचना का अर्थ रचनात्मक आलोचना से होता है। शिव सेना की राजनीति का दबाव होने के बावजूद अनन्त गीते जी काफी रचनात्मक नेता हैं परन्तु उन्हें यह कहने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि इस सरकार की नीतियां और प्राथमिकताएं ठीक हैं। दो वर्ष से कम समय में इस सरकार ने पैसा खर्च करना आरम्भ कर दिया है तथा सही क्षेत्रों में प्राथमिकताएं देना आरम्भ कर दिया है।

अपने वामपंथी मित्रों से भी मुझे कुछ शिकायत हैं, जिनके बारे में बाद में चर्चा करूंगा। परन्तु उससे पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि जहां तक आर्थिक कार्यक्रमों का संबंध है, आर्थिक नीतियों का प्रश्न है, और जहां तक विकास के कार्यक्रमों का संबंध है मुझे विश्वास है कि भाजपा सहित हमारे कटु आलोचक भी यूपीए सरकार की किसी प्रकार की भूल के लिए आलोचना नहीं कर सकते। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम सही दिशा में जा रहे हैं और हम पक्के इरादे तथा दृढ़ विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए इसके बारे में किसी प्रकार की शंका नहीं होनी चाहिए।

वास्तव में, भारतीय जनता पार्टी और भाजपा का समर्थन करने वाले दलों के पास हमारी आलोचना करने के लिए कुछ नहीं है। श्री विजय कुमार मल्होत्रा हमारी नीतियों तथा कार्यक्रमों के बारे में जो कुछ कहना चाहते थे उसे सुनने के लिए मैं दौड़कर सभा में आया और उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण को नजरअंदाज करके हमारी सरकार की जिस प्रकार से आलोचना की उसमें ऐसा कुछ नहीं था, मुझे यह जानकर अचंभा हुआ। वे जो कुछ कह रहे थे मैंने उसे बड़े गौर से सुना। उन्होंने हमारे विरुद्ध कुछ नहीं कहा है। मैं श्री स्वाई से अच्छी अर्थव्यवस्था और खराब अर्थव्यवस्था के बारे में उल्लेख करने की प्रतीक्षा कर रहा हूं, परन्तु श्री वी. के. मल्होत्रा का भाषण बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण था। वे केवल साम्प्रदायिकता, विभाजनात्मकता के अपने एजेंडे पर बोलते रहे, मुसलमानों के तुष्टिकरण की बात की, इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं कहा। वे इतने हताश थे कि उन्होंने डा. मनमोहन सिंह जैसे व्यक्ति के सम्मान को धूमिल करने का प्रयास किया। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी पर सरकार को अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित करने का आरोप लगाने का प्रयास किया ठीक उसी तरह जिस तरह उनकी सरकार को नागपुर से नियंत्रित किया जा रहा था...*(व्यवधान)* मैं उन पर आरोप नहीं लगा रहा हूं। आप घबरा गए हैं क्योंकि डा. मनमोहन सिंह आज एक महान व्यक्तित्व के रूप में सामने आए हैं। उन्हें भारतीय राजनीत के हर दल में पसंद किया जाता है, उनकी लोकप्रियता इतनी है कि जिन्हें न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी एक बेहतर प्रधानमंत्री के रूप में जाना जाता है। मैं यह सब उनकी चापलूसी करने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं कोई चापलूस नहीं हूं और मैं हमेशा ही पीछे बैठने वाला सदस्य रहूंगा। इसलिए इसकी चिंता मत कीजिए। वास्तविकता यह है कि सोनिया गांधी द्वारा प्रधानमंत्री पद त्याग करने के पश्चात उनके व्यक्तित्व तथा प्रतिष्ठा का कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। जिससे...*(व्यवधान)* ये लोग चिंतित हैं। अतः ये लोग आक्षेप लगा रहे हैं। ये लोग उनके बारे में गलत अफवाहें फैला रहे हैं कि वे ऐसा कर रही हैं, वे वैसा कर रही हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि डा. मनमोहन सिंह एक कमजोर प्रधानमंत्री हैं तथा उन्हें नहीं मालूम वे क्या कह रहे हैं।

मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि इस प्रकार के मिथ्या दुष्प्रचार इस प्रकार की गलत बातें तथा अफवाहों के कारण आपके सदस्यों की संख्या 130 के आसपास रह गई है, और यह संख्या केवल दो रह जाएगी, जैसा कि पहले एक बार थी...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री किरिप चालिहा के भाषण के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्री किरिप चालिहा : बदलाव की हवा इतनी तेज है कि यह हर किसी को अपने रास्ते से हटा देगी तथा वे जब भी इस सरकार की छवि को धूमिल करने का प्रयास करेंगे वे उसमें सफल नहीं होंगे।

उन्हें अपनी पराजय स्वीकार करने में बहुत परेशानी हो रही है। जब उन्होंने सत्ता गंवाई तो वे सदमे की हालत में थे। वे इतने हताश और निराश थे कि उनका अंतिम सहारा ज्योतिष शास्त्र था। तब कुछ ज्योतिषीय भविष्यवाणियां हुई थीं कि तीन माह के भीतर वे पुनः सत्ता में आएंगे और इसलिए पिछले प्रधानमंत्री छः माह के लिए

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री किरिप चालिहा]

सभा के नेता बने रहेंगे क्योंकि ज्योतिष के अनुसार कुछ घटित हो सकता है। ज्योतिष ने भी आपको नीचा दिखाया। इसीलिए आप अब विभाजन की कपटपूर्ण राजनीति में हैं। मैं आपको बताता हूं कि उनकी अंतिम उम्मीद यह है कि वामपंथी दलों और कांग्रेस के बीच कोई बड़ा विभाजन होगा। वामपंथी दल कुछ मुद्दे उठा रहे हैं। उनका सोचना यह है कि कुछ मतभेद हो सकते हैं जिसके कारण संप्रग सरकार गिर सकती है और वे गलती से ही सत्ता में आ सकते हैं। दिवास्वप्न पर कोई प्रतिबंध नहीं है श्री स्वाईं। कृपया दिवास्वप्न लेते रहिए। हालांकि कांग्रेसी होने के नाते मैं आपको बताता हूं कि कांग्रेस दल के भीतर भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो आगे लाए गए आर्थिक मामलों में कुछ सुधार चाहते हैं। ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि किसी ने उन पर यह थोप दिया है।

डा. मनमोहन सिंह निश्चय ही भारत में आर्थिक सुधारों और उदारीकरण के प्रणेता हैं, जब 1991 में उन्होंने आर्थिक उदारीकरण शुरू किया था तो अहस्तक्षेप की नीति के हक में नहीं थे। कांग्रेसी के तौर पर हमें पता है कि यदि हम अधकचरे रूप में आर्थिक उदारीकरण और वैश्वीकरण को स्वीकार करते हैं, यदि हम सोचते हैं कि उदारीकरण लक्ष्य को प्राप्त करने का साधन नहीं बल्कि लक्ष्य ही है तो हम विफल हो सकते हैं। यह केवल भारत या कांग्रेस का प्रश्न नहीं है। यह जर्मनी में हुआ है और एसडीपी शासक गठबंधन ने इसकी कीमत चुकाई है। यह फ्रांस में हो चुका है। हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी से अधिक और किसी को इसका ज्ञान नहीं है जो हर समय कठिनाइयों के प्रति सचेत रहती हैं और इसके साथ ही वामपंथी दलों की आलोचना को जल्दी समझ लेती हैं। मैडम हमेशा जल्दी समझ जाती हैं। इसलिए, यदि आपको उम्मीद है कि कुछ न कुछ होगा, स्थिति इतने नाजुक बिंदु तक पहुंच जाएगी कि कोई न कोई झगड़े की स्थिति लाएगा और चुनाव होंगे और आप फिर सत्ता में आ सकते हैं तो इसे भूल जाइए। आज हमारे पास दो संत हैं और आपके पास दो वृद्ध व्यक्ति हैं और ये दो वृद्ध व्यक्ति, जिन पर आप हर समय निर्भर रहते हैं और सत्ता में वापस आना चाहते हैं, भी अब बूढ़े हो रहे हैं। वे दो वृद्धजन आपको सत्ता में वापस नहीं ला सकते। दुर्भाग्य से आप उन्हें बाहर भी नहीं निकाल सकते और उन्हें यह नहीं कह सकते कि अब आपको मौका देने का समय आ गया है। भाजपा वास्तव में दुविधा में है। मुझे आप पर दया आती है। जैसा मैंने कहा कि वे हवाई किले बनाते रहें। तथापि, उन्हें कम से कम हमारी कार्यसूची के लिए अपनी वैकल्पिक कार्यसूची दिखानी चाहिए। उनमें ऐसा करने की हिम्मत होनी चाहिए परन्तु उनमें यह नहीं है। इसीलिए वे साम्प्रदायिकता का सहारा लेते हैं। वे मुस्लिमों के बारे में ऐसे बात करते हैं जैसे कि वे इस देश के नागरिक न हों और वे भारत के अंग न हों। मुस्लिमों के अथवा मुस्लिमों से संबंधित किसी भी चीज के लिए आपके दिमाग में जिस तरह की घृणा है वह अकल्पनीय है।

मैं अब शिव सेना से पूर्वोत्तर पर आता हूं। मुम्बई में पिछले माह एक शरीर सौष्ठव प्रतियोगिता हुई थी जिसमें असमिया लड़के बिजित गोगोई को मिस्टर इंडिया का पुरस्कार दिया गया था। यह सब रिकार्ड में है। ऑल असम स्टूडेंट यूनियन ने इस मुद्दे पर हड़ताल का आह्वान किया। पिछले एक सप्ताह से असम में सभी समाचारपत्र इसके बारे में लिख रहे हैं। हुआ यह था कि क्योंकि लड़का असमिया था इसलिए शिव सैनिकों ने उसे बाहरी व्यक्ति कहा और नारे लगाने शुरू कर दिए। उन्होंने मांग करनी शुरू कर दी कि उससे खिताब वापस लेकर एक महाराष्ट्रियन को देना चाहिए जो कि उपविजेता था। ये ऐसा करते हैं और एकता की बात करते हैं। इसकी निंदा की जानी चाहिए। ऐसी गंभीर घटना घटी है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसी चीजें हो रही हैं जिसके कारण अलगाव हो रहा है।

मैंने यह शिव सेना की निंदा करने के लिए नहीं कहा बल्कि इस सभा से थोड़ा चौकन्ना होने, थोड़ा नियंत्रित रहने और लोगों को अनावश्यक रूप से विमुख न करने की अपील करने के लिए कहा है। चाहे मुस्लिम हों, चाहे विभिन्न क्षेत्रों में लोग हों आपको पता होना चाहिए कि वे सब भारतीय होने पर गर्व महसूस करते हैं। उन्हें भारतीय होने का गर्व महसूस कराना पड़ेगा। यदि भेदभाव होगा तो हम भारतीय होने पर गर्व कैसे महसूस करेंगे? इस सच्चाई के बावजूद कि युवक कांग्रेस से लेकर कांग्रेस तक मैं हमेशा एक कांग्रेसी रहा हूं। मेरा कहना है कि पूर्वोत्तर के साथ भेदभाव किया गया है। पूर्वोत्तर को राष्ट्रीय मुख्यधारा से अपना वास्तविक हिस्सा अभी तक नहीं मिला है।

पूर्वोत्तर में हमारे पास कोई बुनियादी ढांचा नहीं है। हमने बड़े भूकम्प, ऐतिहासिक और भौगोलिक अंतर; उपेक्षा के लम्बे समय; दिल्ली और पूर्वोत्तर के बीच विद्यमान बड़े अंतर से कष्ट उठाया है। हमें इन समस्याओं का समाधान निकालने के लिए तत्काल कदम उठाने पड़ेंगे। मैं जानता हूं कि यह श्रीमती सोनिया गांधी और डा. मनमोहन सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के अलावा और किसी पार्टी के समय में होना संभव नहीं है।

मैं दो या तीन बातों पर तुरंत विचार करने की अपील करता

हूं। एक है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। असम सरकार ने अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नहीं कराया है। हमारे पास हाल ही में पांच या छः प्रमुख अवसंरचना विकास कार्यक्रमों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया है। इन्हें 90 प्रतिशत अनुदान और 10 प्रतिशत ऋण के आधार पर विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा दिया गया था। यदि नीति में संशोधन किया जाता है और यह बैक–टु–बैक प्रणाली बन जाती है तो हमें नुकसान होगा। यह नहीं हो सकता।

एनएलसीपीआर के साथ भी यही मामला है। संसाधनों को ऑन–लेप्सीबल केन्द्रीय पूल पूर्वोत्तर में खर्च करने के लिए बना है। यह धन केन्द्र सरकार में पूर्वोत्तर के विकास हेतु निर्धारित किया गया है। केन्द्र सरकार के कुछ विभाग इस धन का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए एक कोष बनाया गया था और इस धन को पूर्वोत्तर के विकास के लिए अलग रख दिया गया था। उसमें भी यदि 90 प्रतिशत अनुदान के रूप में और दस प्रतिशत ऋण के रूप में दिया जाता है तो इसका क्या अर्थ रह जाता है? इसे बराबर कैसे कहा जा सकता है? एनएलसीपीआर प्रमुख रूप से पूर्वोत्तर के लिए बना है। इसे केन्द्र सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा खर्च किया जाना है। वे इसका उपयोग नहीं कर पाए और इसीलिए यह एनएलसीपीआर के पास चला गया। आपको इसका 100 प्रतिशत अनुदान के रूप में देना पड़ेगा। मैं इस बारे में सरकार को समझाने के लिए आपका हस्तक्षेप चाहता हूं।

पूर्वोत्तर परिषद की भी यही स्थिति है। पूर्वोत्तर परिषद का पूर्वोत्तर के विशेष विकास के लिए विशेष रूप से गठन किया गया था। पूर्वोत्तर की अन्य राज्यों से बराबरी नहीं की जा सकती क्योंकि पूर्वोत्तर का बहुत बैकलॉग है। बैकलॉग आर्थिक ही नहीं अपितु मनोवैज्ञानिक भी है। जैसा मैंने कहा कि इसका ऐतिहासिक और भौगोलिक महत्व है। इसलिए, आपको पूर्वोत्तर को अधिक प्रोत्साहन देने की जरूरत है। आप पूर्वोत्तर की अन्य राज्यों से बराबरी नहीं कर सकते। दुर्भाग्य से हर राज्य आजकल उस क्षेत्र की समस्याओं और जटिलताओं को समझे बिना पूर्वोत्तर के साथ स्वयं को जोड़ना चाहता है। हमें अनुकम्पा चाहिए; हमें सहानुभूति चाहिए और हम पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

मेरा आपसे अनुरोध है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि पूर्वोत्तर वास्तव में उन्नत भारत का अंग बने क्योंकि भारत के विकास में पूर्वोत्तर का भारी योगदान रहा है, कुछ करने की कृपा करें।

बहुत से लोगों को पता नहीं है कि असम भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में अग्रणी रहा है। वस्तुतः विभिन्न रूपों में स्वतंत्रता संघर्ष की पहली प्रमुख घटना असम में घटी थी। बहुत से लोगों को इसका पता नहीं है। हमारे लोग आर्थिक रूप से बहुत महत्वाकांक्षी नहीं हैं। वस्तुतः मैं श्री राजीव जी द्वारा पूर्वोत्तर के बारे में की गई ईमानदारीपूर्ण घोषणा से बहुत प्रभावित हुआ था।

सभापति महोदय : आपने सभी महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल कर लिए हैं। कृपया अब समाप्त कीजिए।

श्री किरिप चालिहा : राजीव जी ने कहा था कि जब वह पूर्वोत्तर में जाते हैं तो वह लोगों से, लोगों के संतोष से और लोगों की अध्यात्मिक खुशी से बहुत प्रभावित होते हैं और यह भी कि वे अपनी सीमित संसार के भीतर ही रहते हैं। कभी–कभी वे नहीं जानते कि क्या भौतिक सम्पन्नता आध्यात्मिक सम्पन्नता से अधिक महत्वपूर्ण होती है या नहीं। यदि मैं आध्यात्मिक सम्पन्नता की बात करूंगा तो लोग भ्रमित होंगे कि मैं पूर्वोत्तर के विकास के खिलाफ हूं। हम उस तरह का एहसास नहीं कराना चाहते। हम गुवाहाटी को एक ही दिन में दिल्ली या मुम्बई नहीं बनाना चाहते परन्तु हमारे पास लोगों की बुनियादी आवश्यकताएं अवश्य होनी चाहिए ताकि हम संतोष, प्रतिष्ठा और सम्मान के साथ अपने सीमित क्षेत्र के भीतर अपना जीवन यापन कर सकें। मुझे विश्वास है कि इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने के लिए सभा मेरा साथ देगी।

[हिन्दी]

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' (अल्मोड़ा) : सभापति महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे अपना वक्तव्य रखने का अवसर दिया। हमने ब्रिटिश पार्लियामेंट के ही अनुसरण द्वारा प्रावधान किया है कि प्रति वर्ष महामहिम राष्ट्रपति जी संसद के दोनों सदनों को संबोधित करेंगे। इसमें आने वाले वर्षों में सरकार की कौन सी नीतियां हैं और कौन से महत्वपूर्ण कार्य हैं, वे एक वर्ष के लिए होंगे या दीर्घगामी होंगे, इस संबंध में जानकारी मिलती है। इसमें दोनों सदनों के सदस्य एकत्रित होकर अभिभाषण को ध्यानपूर्वक सुनने और प्रक्रिया में भाग लेने का कार्य करते हैं। अब बात आती है कि अभिभाषण कैसा है? क्या इससे कोई खास संदेश मिला है? क्या इससे देश में कोई स्फूर्ति आई है? देश को जिन वास्तविक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, क्या इसमें देश की जनता को राहत पहुंचाने का उपाय सुझाया गया है? जब मैं इसका अद्योपांत अध्ययन करता हूं तो मैं पाता हूं कि यह अभिभाषण एक प्रकार से चेतनाशून्य है। इससे देश को या विश्व के किसी अन्य देश को कोई संदेश प्रसारित नहीं होता है। इस अभिभाषण के

[श्री बच्ची सिंह रावत 'बचदा']

धन्यवाद प्रस्ताव पर मेरे द्वारा सूची–2 के क्रमांक 36 से लेकर 70 तक संशोधन के प्रस्ताव भी प्रस्तुत किए गए हैं। इसमें राष्ट्रीय विषय भी सम्मिलित हैं और स्थानीय विषय भी सम्मिलित हैं। इसमें यह उल्लेख भी है कि कौन से कार्य किए जाने थे और किसे छोड़ दिया गया है।

अपराह्न 5.28 बजे

(श्री गिरिधर गमांग पीठासीन हुए)

मैं उल्लेख करना चाहता हूं कि बहुत चर्चा हुई कि यू.पी.ए. सरकार का गठन कैसे हुआ...* यह हमें नहीं मालूम है क्योंकि हम विपक्ष में हैं। उन्हें निमंत्रण मिला था या नहीं मिला था या श्री मनमोहन सिंह जी को निमंत्रण मिला था। यह एक संवैधानिक प्रक्रिया है। हम लोगों की जानकारी में केवल एक बात है कि एक निमंत्रण जारी हुआ था, वह श्री मनमोहन सिंह जी के लिए जारी हुआ था और उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। हम लोगों का यह आरोप रहा है कि अप्रत्यक्ष रूप से पूरी सत्ता का संचालन...* है। ऐसी स्थिति में जब सरकार का गठन हुआ, कहीं से डी.एम.के. आया, कहीं से आर.जे.डी. आया और भी कहीं से कोई दल आया। इस तरह से यह...* यू.पी.ए. बना। मैं इस बात को एक प्रसिद्ध कहावत से शुरू करना चाहूंगा कि "कहीं की ईंट, कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा" कुनबा जुड़ा, यह अच्छी बात है।... *(व्यवधान)*

कुंवर मानवेन्द्र सिंह (मथुरा) : क्या एन.डी.ए. की बात कह रहे हैं?

श्री बच्ची सिंह रावत 'बचदा' : अभी यू.पी.ए. की बात चल रही है, एन.डी.ए. की बात बाद में आएगी।...*(व्यवधान)* यह अच्छा काम करे, चारों ओर इसकी प्रशंसा हो, हमें यही अपेक्षा रहती है। लेकिन जब हम राष्ट्रपति जी का अभिभाषण देखते हैं तो इसके पैरा एक में भूमिका और अभिवादन है। इसके पैरा दो में आया है कि अर्थव्यवस्था प्रगति पर है। उसके बाद आंकड़े दिए गए हैं कि कैसे प्रति वर्ष विकास दर आगे बढ़ी, यह साढ़े सात प्रतिशत से आठ प्रतिशत हुई है। इसकी सातवीं पंक्ति में आता है कि मुद्रास्फीति की दर तो साधारण स्तर पर है। आम आदमी के लिए, यहां आम आदमी का जिक्र आता है, जो प्रथम पृष्ठ पर है। इसमें आम आदमी के लिए, हमारे परिवार के लिए, जिसमें मेरा परिवार भी सम्मिलित है, हर परिवार के लिए सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक पहलू वस्तुओं की कीमतें हैं। इसमें एक वाक्य यह भी आया है कि सबसे महत्वपूर्ण पहलू वस्तुओं की कीमतें हैं। इसके आगे इसमें आता है कि यह अत्यंत संतोष का विषय है कि तेल के मूल्यों में वृद्धि होने के बाद भी भारतीय अर्थव्यवस्था ने अच्छी प्रगति की है। उसके बाद मूल्य, कीमतें और जरूरी चीजों का उल्लेख कहीं नहीं आता और यह उल्लेख भी नहीं आता कि बाजार में अगर कहीं भाव बढ़ रहे हैं तो उन पर कैसे नियंत्रण किया जाएगा। इस मामले में यह अभिभाषण शून्य है।

सभापति महोदय, अब मैं कल 20 फरवरी, 2006 के पंजाब केसरी अखबार के प्रथम पृष्ठ का उल्लेख करूंगा, इसमें कहा गया है कि मनमोहन के सत्ता संभालने के बाद महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ी यानी महंगाई के कारण आम आदमी की कमर टूट गई। मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता कि कौन–कौन सी चीजें कितने की हो गईं। लेकिन मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि 1700 रुपये क्विंटल के भाव की उड़द उछलकर 4100 रुपये प्रति क्विंटल हो गई। 17 दूनी 34 होता है, यानी उड़द सौ परसेंट से भी ऊपर पहुंच गई है। हम कहते हैं—यह मुंह और मसूर की दाल। पता लगेगा आटे, दाल का भाव। मेरा कहने का मतलब यह है कि आम आदमी की कमर इस महंगाई के कारण टूट चुकी है। मैं समझता हूं कि निचोड़ यह है कि इसके बाद हम कितनी भी पालिसीज बनाएं, उनका इम्पैक्ट यही आना चाहिए कि जो गरीब व्यक्ति हैं, लाचार हैं, निर्धन हैं, अल्प वेतनभोगी हैं, जो मुश्किल से अपना जीवनयापन कर रहे हैं, उनकी स्थिति क्या है। मैं समझता हूं कि यह समाचार पढ़ने के बाद प्रत्येक व्यक्ति जो संवेदनशील होगा, मैं यह नहीं कहता कि वे केवल बी.जे.पी. में हैं, कांग्रेस के भीतर भी जरूर चिंतन होगा कि ये मूल्य किस तरह से इतने ज्यादा बढ़े हैं और कैसे इन पर नियंत्रण होना चाहिए। इसमें एक वाक्य में उस अखबार ने अपनी टिप्पणी दी है, जिसे मैं जरूर बताना चाहूंगा। आखिर में कहा गया है कि 'सच तो यह है कि यू.पी.ए. की सरकार और कांग्रेस पार्टी को आम आदमी के महंगाई की चक्की में पिसने की कोई चिंता नहीं है। यह कितनी सही बात है कि जब–जब कांग्रेस सत्ता में आती है तो मार्केट तेज होती है और व्यापारी चांदी कूटते हैं।' यानी जो जमाखोर और कालाबाजारी करने वाले लोग हैं, उन्हें कैसा संरक्षण प्राप्त है, यह भी एक विषय है। मेरा कहने का मतलब है कि महंगाई पर नियंत्रण करने का कोई उपाय इस अभिभाषण में नहीं है। इसलिए यह अपूर्ण है।

सभापति महोदय, विषय बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें एक ज्वलंत विषय चर्चा के रूप में हम सबके सामने आया है, वह

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अल्पसंख्यकवाद है। यानी अल्पसंख्यकों के नाम पर मुस्लिमों को आरक्षण देने की बात है, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मामला आया, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश का आया और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दिया कि यह गलत है। इसके बाद अभिभाषण में आता है कि पहली बार देश में अल्पसंर ६ मंत्रालय बनाया गया है। 15 सूत्री कार्यक्रम दे दिया गया, अल्पसंख्यक शैक्षणिक आयोग विधेयक वर्ष 2004 मे पारित हो गया। अब उसमें संशोधन का विधेयक लाया जा रहा है। बहुत से अन्य विषय तो इसमें थे, लेकिन जब देश की सेना में सैनिकों की गिनती की जाने लगी, उसका उल्लेख भी इसमें दिया गया है। न्यायमूर्ति श्री राजेन्द्र सच्चर की अध्यक्षता में एक कमेटी अल्पसंख्यकों की स्थिति का गहन अध्ययन कर रही है और उनका आर्थिक और सामाजिक विकास करने के लिए यह सिफारिश करेगी। यह सेना के भीतर जाकर आर्थिक और सामाजिक विकास का अध्ययन करेगी। आज तक के इतिहास में पहली बार ऐसा कार्य हो रहा है। एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते हमारे नेताओं ने और हमने महामहिम राष्ट्रपति से गुहार लगाई है और उन्हें एक ज्ञापन भी दिया है। इसके अलावा हमारा सरकार से भी आग्रह है कि अभी भी समय है, कम से कम सेना के मामले को अपवादस्वरूप छोड़ दिया जाए।..* अपनी ओर से इस पर आपत्ति दर्ज कराई है कि ये आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए जाएंगे, तब क्या कारण है कि सरकार की ओर से इसमें पहल नहीं होती है।

अल्पसंख्यकों को आरक्षण और संरक्षण देने के संबंध में आज से लगभग 57 वर्ष पूर्व क्या परिस्थिति थी, इसके संबंध में थोड़ा–सा उल्लेख करना चाहूंगा। अल्पसंख्यकों के संबंध में भारत की संविधान सभा के समक्ष अल्पसंख्यकों पर जो एक रिपोर्ट कमेटी के द्वारा लाई गई और उस पर जो चर्चा हुई है उसमें अनेक उल्लेख आए हैं। उस उल्लेख में तत्कालीन प्रधानमंत्री, माननीय जवाहरलाल नेहरू जी ने जो उल्लेख किया है, उसे मैं कोट करना चाहता हूं कि उनका दृष्टिकोण क्या था। संविधान सभा की कार्यवाही, उसके पृष्ठ संख्या 510 में दूसरे पैरे में अंकित है। उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा–"मैं यह चाहता हूं कि इस मसले पर चाहे अल्पसंख्यकों के लिए जगह के आरक्षण का सवाल हो या किसी प्रकार का संरक्षण का प्रश्न हो वस्तुस्थिति को दृष्टि में रखते हुए विचार करें। ऐसे संरक्षण का या अन्य प्रकार के किसी संरक्षण के उस हालत में तो कुछ माने हैं, जबकि आपके यहां कोई निरंकुश या विदेशी शासन हो, परन्तु जब आपके देश में प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था चालू है तो उस हालत में इस तरह के आरक्षण की व्यवस्था रखने से उस वर्ग को, जिसके लिए व्यवस्था की जाती है, वस्तुतः लाभ के बदले नुकसान की ही ज्यादा संभावना बनी रहती है, जबकि देश में कोई बाहरी हुकूमत हो या निरंकुश राजा हो तो उस हालत में संभव है कि संरक्षण आपके लिए लाभप्रद हो, क्योंकि राजा आप में फूट पैदा करा सकता है, परन्तु जब आप पूर्ण लोकतंत्रात्मक व्यवस्था के विरुद्ध हैं तो उसका परिणाम यह होगा कि वह अल्पसंख्यक वर्ग हमेशा के लिए आपसे कट जाएगा।" इसमें काफी विस्तार से लिखा है, लेकिन मैं इसे पूरा नहीं पढ़ूंगा। मैं इसमें इसलिए आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, क्योंकि उस समय विभाजन के तत्काल बाद देश की जो परिस्थिति थी, उस समय भी इस पर गंभीर विचार–विमर्श हुआ था और अल्पसंख्यकों को आरक्षण या संरक्षण देने के प्रति स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जो विचार थे, उनके अनुसार इतना कहा जा सकता है कि आज जब हम 21वीं सदी के लोकतंत्र का, सबसे बड़े लोकतंत्र होने की बात करते हैं तो पुनः इस पर विचार किया जाना चाहिए कि क्या इस देश में विदेशी हुकूमत है या राजा निरंकुश है। अगर वह निरंकुश नहीं है और विदेश की कोई हुकूमत भी नहीं है तो फिर ऐसे आरक्षण या संरक्षण का क्या प्रश्न है, यह विषय बहुत विचारणीय है।

महोदय, सेना के संबंध में जो कार्यवाही की जा रही है, वह देश के हित में नहीं है, उसे वापस किया जाना चाहिए। मैं इसमें थोड़ा सा संक्षेप में बोलकर अपना भाषण समाप्त करूंगा। मैं हिमालय क्षेत्र से उत्तरांचल से हूं, लेकिन हिमालय के संबंध में आज तक गंभीर विचार–विमर्श नहीं हुआ। हमारे अरुणाचल और हिमाचल से भी काफी माननीय सदस्य यहां हैं। केवल जम्मू–कश्मीर को आर्टीकल 370 का विशेष दर्जा मिला है, उसे मिलना चाहिए। नार्थ–ईस्ट के लिए विशेष पैकेज है, वह होना चाहिए, उसके लिए कोई दो राय नहीं हैं, लेकिन जो सेंट्रल हिमालय, हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल का प्रदेश है, उसके लिए न तो कोई स्पेशल पैकेज है और न ही उसके लिए कोई टाइम–बाउंड प्रोग्राम है तथा न वहां के नौजवानों के लिए रोजगार के लिए अवसर हैं। केवल इसलिए नहीं हैं, क्योंकि यह डिस्टर्बड एरिया नहीं है, नार्थ–ईस्ट डिस्टर्बड है, इसलिए वहां स्पेशल पैकेज होना चाहिए। वहां आर्टीकल 370 लगा है, जम्मू–कश्मीर में आतंकवादी घटना है, इसलिए वहां स्पेशल पैकेज होना चाहिए। नार्थ–ईस्ट में 24,000 करोड़ का बजट होना चाहिए और यह है, लेकिन जो मध्य हिमालय का क्षेत्र है, क्या उसका अपराध यह है कि वह शांत क्षेत्र है? क्या हम इस बात का इंतजार करेंगे कि वहां अशांति हो और तब हम कोई पैकेज दें। क्यों नहीं समग्र हिमालय के लिए एक पॉलिसी तय की जाए और मेरा

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री बच्ची सिंह रावत 'बचदा']

यह अनुरोध होगा, क्योंकि इसमें यह लेप्स है, मैंने अपने संशोधन में भी उल्लेख किया है कि इस पर विचार होना चाहिए। भारत निर्माण का बहुत बड़ा विषय आया था, लेकिन उसमें है कुछ नहीं। उसमें वही प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है, हमारे वही कार्यक्रम हैं कि दसवें प्लान की सन् 2007 तक ग्रामीण सड़क योजना पूरी करेंगे। हम गांवों तक बिजली पहुंचाएंगे, वही प्रोग्राम है, कोई नया प्रोग्राम नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि भारत आज पैदा हुआ है, भारत हजारों साल पहले से है और उसकी संस्कृति हो या विकास के क्षेत्र में हो, धीरे-धीरे विकास का कार्यक्रम चलता है, इसलिए उसमें नया कुछ नहीं है। लेकिन उसमें एक दिक्कत आ रही है। जब केन्द्र में एन.डी.ए. की सरकार थी, उस समय यह तय किया गया था कि पर्वतीय क्षेत्रों और ग्रामीण पर्वतीय क्षेत्रों के लिए आबादी का मानक 250 होगा, लेकिन राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के पैरा-6 के अनुसार 1000 या उससे अधिक जनसंख्या वाली अथवा जनजातीय क्षेत्रों में जहां आबादी 500 होगी, वहां सड़क उपलब्ध कराई जाएंगी-यह घोर आपत्तिजनक है-क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में छोटे-छोटे राजस्व गांव हैं, जिनकी आबादी 250-300-400 है, इस तरह वे कभी भी सड़कों से नहीं जुड़ पाएंगे। उनकी पहले से ही उपेक्षा हो रही है। इसलिए पर्वतीय क्षेत्रों के लिए यह मापदंड 250 आबादी पर होना चाहिए। यह मांग आप कृपया माननीय मंत्री जी तक अवश्य पहुंचा दें ताकि जनजातीय पर्वतीय क्षेत्र का मानक 250 ही रखा जाए। एस्कार्टस फार्म का मामला श्री सुखेदव ढींडसा जी ने उठाया था, यहां सबको आवंटन हो साथ में जिन पर्वतीय क्षेत्रों से लोगों को जमीन से बेदखल किया गया है, उन्हें भूमि उपलब्ध होनी चाहिए क्योंकि वे लोग बहुत ही परेशान हैं। भूमि की उन लोगों के लिए व्यवस्था होनी चाहिए।

सभापति जी, बॉयो-फ्यूल के बारे में उल्लेख किया गया है। जब एन.डी.ए. की सरकार थी, उस समय इस कार्य के लिए 1430 करोड़ रुपए की राशि रखी गई थी, लेकिन पिछले डेढ़ साल से पेट्रोलियम पदार्थों के दाम तेजी से बढ़े हैं। यहां कृषि मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय के बीच में साल भर विवाद रहा कि खर्चा कौन करेगा। इसमें ढिले हो रहा है, मेरा अनुरोध है कि इसमें तेजी लाई जाए ताकि भारत की विदेशी मुद्रा बचे, लोगों को रोजगार मिले और देश इस दिशा में आत्मनिर्भर हो सकता है।

सभापति जी, एविअन-एनफ्लूएंजा के कारण मुर्गी उपलब्ध नहीं हो पा रही है लेकिन मछली वालों की चांदी हो गई है। मछली के दाम 300 प्रतिशत तक दाम बढ़ गए हैं-ऐसा टी.वी. चैनल पर दिखाया गया है। सरकार का दायित्व है कि जो मछली खाने वाले लोग हैं, उन्हें सस्ते दामों पर मछलियां उपलब्ध हों। मैंने एविअन एनफ्लूएंजा के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या 86 गत वर्ष उठाया था लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया गया। जब हमने इस संबंध में अनुरोध किया कि आने वाले समय में ऐसी स्थिति आ सकती है और वह आज आ गई है, लेकिन सरकार की तरफ से पूरी तैयारी नहीं होने के कारण आज लाखों मुर्गियों का वध किया जा रहा है। हालैंड से इसकी दवा मंगाई जा रही है, जिसके 10 कैप्सूल का दाम 1000 रुपये है। एक आम आदमी 100 रुपये खर्च करके एक कैप्सूल कहां खा सकता है। सरकार को इस बारे में भी चिन्ता करनी चाहिए।

सभापति जी, हमारा संसदीय क्षेत्र 1500 वर्ग किलोमीटर का इलाका है। उसके विकास के लिए सांसद निधि से कम से कम 100 करोड़ रुपया दिया जाना चाहिए। केवल दो करोड़ रुपए से काम नहीं चल सकता। मैं इस योजना के पक्ष में नहीं हूं क्योंकि यह कार्य विधायिका का नहीं, कार्यपालिका का है। सरकार को इस बारे में भी कार्यवाही करनी होगी। आज महंगाई के कारण प्राइस इंडैक्स बढ़ता जा रहा है, लेकिन सांसदों के वेतन में कोई बढ़ोत्तरी नहीं की जा रही है। आज बाजार में आटा 14 रुपये किलो बिक रहा है। सरकार इस दिशा में कदम उठाए और राहत दे।

सभापति जी, फौज में भर्ती होने के लिए एक जवान की लम्बाई 163 सेमी. रखी गई थी, लेकिन वर्तमान सरकार ने इसे बढ़ाकर 166 सेमी. कर दिया है। मेरा कहना है कि पर्वतीय क्षेत्रों में आज कोई व्यवसाय नहीं, उद्योग नहीं, खेती नहीं, इसीलिए नौजवान फौज में भर्ती होते थे, लेकिन 3 सेमी. लम्बाई बढ़ाने से हजारों नौजवान बेरोजगार हो जाएंगे। सरकार इस निर्णय पर फिर से विचार करे।

सभापति जी, समय बहुत कम है। मेरे पास बहुत से विषय थे लेकिन मैं केवल एक-दो मुद्दों पर ही विचार रखकर अपना वक्तव्य समाप्त करूंगा। श्री किशन सिंह सांगवान गौवध रोकने की बात कह रहे थे, मेरे द्वारा इसके लिए एक गैर-सरकारी विधेयक लाया गया है। मेरा कानून मंत्री जी से अनुरोध है कि वह इस हेतु संविधान के अनुच्छेद 48 के तहत संसद में एक बिल लेकर आएं, हम उसे सपोर्ट करेंगे। अंत में यही निवेदन करूंगा कि यहां कोई भी विषय दुर्भावना से नहीं आता है लेकिन विपक्ष की ओर से जो उपाय सुझाए जाएं, सरकार उन पर विचार करे। अभी श्री चन्द्रप्पन जी ने जो विषय रखे, वे नीतिगत मामले थे। उनके ऊपर गंभीरता से

विचार होना चाहिए। आखिर वे लोग क्या चाहते हैं, विपक्ष क्या चाहता है? हर पक्ष चाहता है कि शासन सही दिशा में कार्य करे। इसलिए जितने संशोधन के प्रस्ताव हैं, मैं उन पर पूरा–पूरा बल देता हूं और महामहिम राष्ट्रपति महोदय का जो अभिभाषण आया है, उससे अपनी असहमति व्यक्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री एन. एन. कृष्णदास (पालघाट) : महोदय, 20 माह पुरानी यह सं.प्र.ग. सरकार पूर्ववर्ती सरकार की साम्प्रदायिक और जन–विरोधी नीति के विरुद्ध स्पष्ट जनादेश के साथ सत्ता में आई थी। हमने, लोक सभा में वाम दलों के 61 सदस्यों ने, मिलकर इस सं.प्र.ग. सरकार को बाहर से समर्थन देने का निर्माण लिया था। देश के वामपंथी दल द्वारा लिया गया यह एक राजनैतिक निर्णय था। बाहर से समर्थन देने के हमारे अपने कारण हैं। हमने साम्प्रदायिक भा.ज.पा. को सत्ता से बाहर रखने का निर्णय लिया था क्योंकि पिछले चुनावों में लोगों का यही निर्णय था।

श्री हरिभाऊ राठौड़ (यवतमाल) : भा.ज.पा. साम्प्रदायिक नहीं हो सकती।

श्री एन. एन. कृष्णदास : हां, वे हैं। सं.प्र.ग. सरकार को समर्थन देने का हमारा यही कारण था। आरंभ से ही कुछ नीतिगत मामलों में हमारी आपत्तियां रही हैं क्योंकि कुछ मूलभूत नीतिगत मुद्दों के बारे में हमारा अपना पक्ष और अपना रवैया है। इन आपत्तियों के साथ हमने सं.प्र.ग. सरकार का बाहर से समर्थन करने का निर्णय लिया।

सं.प्र.ग. सरकार ने शासन चलाने के लिए एक राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाया। हम हमेशा सरकार को यह स्मरण कराते रहे हैं कि यह एन.सी.एम.पी. सरकार का दस्तावेज है न कि वामपंथी दलों का और हम इस एन.सी.एम.पी. में उल्लिखित बातों को कार्यान्वित करने के लिए अपना समर्थन दे रहे हैं। गत 20 माह से हम कुछ आपत्तियों के साथ इस सरकार का बाहर से समर्थन करते रहे हैं। जब कभी भी सं.प्र.ग. सरकार ने एन. सी.एम.पी. में उल्लिखित आश्वासनों और उसकी प्रतिबद्धता का उल्लंघन करने का प्रयास किया है हमने हमेशा उसका विरोध किया है।

कल, वाद–विवाद में भाग लेते हुए हमारे दल के नेता कामरेड बसुदेव आचार्य और कुछ अन्य वामपंथी नेताओं ने भी हमारी आपत्तियों का उल्लेख किया था। हमारा इस सरकार पर यह आरोप है कि इसे देश में साम्प्रदायिकता के प्रति बहुत कड़ा रुख अपनाना चाहिए जो कि भा.ज.पा. के शासनकाल के दौरान इस देश में था। इस छोटी सी अवधि के दौरान सरकार द्वारा कुछ निर्णय लिए गए हैं। हम इस सरकार से भा.ज.पा. के शासनकाल में हमारे धर्मनिरपेक्ष ताने–बाने के साम्प्रदायिकरण के विरुद्ध संघर्ष को तेज करने के लिए कह रहे हैं। हमें हमारे समाज के विभिन्न क्षेत्रों के साम्प्रदायिकरण के विरुद्ध अपने संघर्ष को तेज करना चाहिए। यही हमारी आलोचना है। मैं केरल से आता हूं।

श्री रविन्द्रन का चुनाव 22 नवम्बर, 2005 को श्री पी. के. वासुदेवन नायर, सी.पी.आई. के नेता, जिनका दुर्भाग्यवश निधन हो गया, के स्थान पर एक उप–चुनाव में हुआ है। यह उपचुनाव राजधानी त्रिवेन्द्रम में हुआ था। हम, वामपंथी दल, भा.ज.पा. को सत्ता से बाहर रखने के लिए इस सरकार का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन केरल में त्रिवेंद्रम में हाल ही में हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने हमारे वामपंथी दल को पराजित करने के लिए भा.ज.पा. का समर्थन लिया। हमारे राज्य में कांग्रेस पार्टी ने यह रवैया अपनाया है। यह हमारी आलोचना है। वर्ष 2004 के चुनावों में विशेषकर त्रिवेंद्रम लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के चुनावों में भा.ज.पा. को लोक सभा चुनावों में लगभग 2,28,000 वोट मिले थे परन्तु उन्होंने अपने मत वामपंथी दलों को पराजित करने के लिए कांग्रेस के उम्मीदवार को दे दिए। इसके परिणामस्वरूप त्रिवेंद्रम निर्वाचन क्षेत्र में उनके मत 2,28,000 से घटकर 37,000 रह गए। केरल में वामपंथी दलों को हराने के लिए भा.ज.पा. और कांग्रेस मिल गए। इन दोनों व्यक्तियों के प्रति हमारी यही आलोचना है। हम, वामपंथी दल, हमारे देश के धर्मनिरपेक्ष ताने–बाने की रक्षा करने हेतु यहां पर हैं...*(व्यवधान)* हम आपको सत्ता से बाहर रखने के लिए इनका समर्थन कर रहे हैं... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

श्री एन. एन. कृष्णदास : हम बहुत सतर्क हैं। हम जन–विरोधी नीतियों का विरोध कर रहे हैं। जब भी वे राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में उल्लिखित बातों का पालन नहीं करेंगे, हम उनका विरोध करेंगे। इसीलिए, हम कुछ मामलों में इस सं.प्र.ग. सरकार के विरुद्ध हैं। हम आपको (भा.ज.पा.) सत्ता से बाहर रखने के प्रति बहुत सतर्क हैं। इसलिए आपको बहत प्रसन्न नहीं होना चाहिए।...*(व्यवधान)*

श्री खारवेल स्वाईं : इसका अर्थ है कि आप केवल भौंकेंगे, काटेंगे नहीं। बहुत अच्छा, भौंकते रहिए।

श्री एन. एन. कृष्णदास : हम इस साम्प्रदायिक दल को सत्ता से बाहर रखने के प्रति बहुत सतर्क हैं।

हमें इस सरकार की प्रशंसा भी करनी चाहिए। हमें यह करना पड़ेगा। इस सरकार ने बहुत से प्रेरणादायक निर्णय लिए हैं। उदाहरण के लिए, गत मानसून सत्र में, हमने सर्वसम्मति से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी विधेयक पारित किया। इस सरकार ने बहुत से जन–हितैषी निर्णय लिए हैं।

इसी के साथ–साथ, हम उनका विरोध कर रहे हैं क्योंकि यह सरकार राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में दिए गए आश्वासनों का उल्लंघन कर रही है। मैं विदेश नीति के क्षेत्र का उल्लेख करना चाहूंगा। राष्ट्रीय न्यूनतम् साझा कार्यक्रम ने देश को आश्वस्त किया था कि विदेश नीति की हमारी समृद्ध परंपरा को बनाए रखा जाएगा। इसमें यह कहा गया है कि भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति की प्रत्येक बात को बनाए रखेगा लेकिन हाल ही में ईरान के प्रश्न पर सरकार ने स्वतंत्र विदेश नीति के मामले में राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में दिए गए आश्वासन का उल्लंघन किया है। हम उसका विरोध कर रहे हैं। सरकार ने खुदरा व्यापार के लिए भी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है। हम इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं क्योंकि यह भी राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में दिए गए आश्वासन के विरुद्ध है।

अगली बात कृषक समुदाय के बारे में है। राष्ट्रपति जी द्वारा दिए गए अभिभाषण में यह उल्लेख किया गया है कि 'मेरी सरकार हमारे किसानों और हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। कृषि क्षेत्र के लिए ग्रामीण ऋण में 60 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।' लेकिन यहां मैं यह कहना चाहता हूं कि ग्रामीण ऋण को हमेशा कृषि ऋण ही नहीं समझा जाना चाहिए। उदाहरण के लिए ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला एक व्यक्ति एक सिनेमाघर शुरू करने के लिए ऋण ले सकता है परन्तु उस ऋण को कृषि के विकास के लिए लिया गया ऋण नहीं समझा जा सकता। अतः ग्रामीण ऋण प्रदान करते समय मुख्य रूप से इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि यह हमारे देश के कृषक समुदाय की बेहतरी के लिए दिया जाए। राष्ट्रीय समाचार पत्रों में देश के विभिन्न भागों में किसानों द्वारा प्रतिदिन आत्महत्या किए जाने के मामले प्रकाशित होते रहते हैं। मैं केरल राज्य से आता हूं। मेरे राज्य में गत साढ़े चार वर्षों के दौरान 327 से अधिक किसानों ने आत्महत्या की है, यह स्थिति है। देश के विभिन्न भागों से किसानों के आत्महत्या करने के समाचार आते हैं क्योंकि किसान ऋण के जाल में फंसे हुए हैं। हमें देश के कृषक समुदाय के कल्याण का ध्यान रखना चाहिए। हमारा यही कहना है।

महोदय, इसके अतिरिक्त, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि काली मिर्च, इलायची और सुपारी इन जैसे कुछ कृषि उत्पादों का मूल्य तेजी से गिर रहा है और इसके परिणामस्वरूप राज्य में कृषक समुदाय गहरे संकट में है। ऐसा डब्ल्यू.टी.ओ. समझौते में आयात पर से मात्रात्मक प्रतिबंधों को समाप्त करने से हुआ है। सरकार को कृषि उत्पादों के आयात को प्रतिबंधित करके इस देश के किसानों के कल्याण की रक्षा करनी चाहिए।

महोदय, केरल राज्य में 12 लाख से अधिक श्रमिक मछली पकड़ने, बीड़ी उद्योग, हथकरघा, कॉयर और काजू जैसे पारंपरिक उद्योगों में कार्यरत हैं। ये उद्योग धीरे–धीरे कम होते जा रहे हैं। इन पारंपरिक उद्योगों में लगे लाखों श्रमिक या तो अपना रोजगार खो चुके हैं या रोजगार खोने के कगार पर हैं। वे बेरोजगार श्रमिक बन चुके हैं। यह राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में किए गए वादे का स्पष्ट उल्लंघन है। अतः सरकार को हमारे पारंपरिक उद्योगों को बचाने और देश में इन उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों के हितों और जीवन की रक्षा करने हेतु इस क्षेत्र का ध्यान रखना चाहिए।

महोदय, इन टिप्पणियों के साथ हम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करते हैं। लेकिन, सरकार जब भी राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में दिए गए आश्वासनों का उल्लंघन करेगी हम उसका विरोध करते रहेंगे। हम राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में दिए गए आश्वासनों के उल्लंघन के मामले में आंदोलन करेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (घाटाल) : माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव के ऊपर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। राष्ट्रपति जी का अभिभाषण सही मायने में देखा जाए, तो एक तरीके से सरकार का ही दस्तावेज है। मैं अभिभाषण को पढ़ रहा था, तो मुझे लगा कि भाजपा की सरकार यानी जब एन.डी.ए. की सरकार थी, तब उसने 'इंडिया शाइनिंग' यानी 'भारत उदय' नाम का एक नारा दिया था। मैं समझता हूं कि मुख्यतः उसी नारे को यू.पी.ए. सरकार ने 'भारत निर्माण' के रूप में प्रचारित किया है। सदन में चाहे सत्ता पक्ष के सदस्य हों अथवा विपक्ष के, हमारे सभी साथियों

ने इसी बात पर चिन्ता व्यक्त की है कि आज हम 1 अरब जनसंख्या वाले राष्ट्र के रूप में हैं। इससे हम सभी चिन्तित हैं।

सायं 6.00 बजे

जहां तक इस बुकलेट में यह दर्शाया गया है, महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में कहा भी है कि हमारी अर्थव्यवस्था प्रगति पर है और जनता लगातार उन्नति कर रही है। हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि जनता या हमारी अर्थव्यवस्था कितनी अच्छी है और जनता कितनी तरक्की कर रही है। अगर हम आत्मावलोकन करें तो सभी को पता लग जाएगा कि हम कितनी प्रगति कर रहे हैं।

सभापति महोदय : शैलेन्द्र जी, एक एनाउंसमेंट है। 35 मैम्बर्स बोलने वाले हैं तो हाउस को एक घंटा एक्सटेंड करें?

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : सभा का समय एक घंटे के लिए बढ़ाया जाए।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार : कर दीजिए। आम जनता भारत मे संवैधानिक और मौलिक जो अधिकार होता है, आम जनता को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री खारवेल स्वाईं : प्रधानमंत्री जी कल अपराह्न 5.00 बजे उत्तर देंगे। अतः, महोदय, आप सभा का समय बढ़ा सकते हैं... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : आप एक घंटे का तो देखें, उसके बाद देखेंगे।

[अनुवाद]

श्री विजय हान्डिक : हमने वाद-विवाद में अधिक प्रगति नहीं की है...*(व्यवधान)* अभी बहुत से सदस्यों ने बोलना है और कल इस वाद-विवाद को समाप्त करने का अंतिम दिन है।

श्री खारवेल स्वाईं : मैं भी यही कह रहा हूं...*(व्यवधान)*

श्री भंवर सिंह डांगावास (नागौर) : हम अपने मुद्दों का उल्लेख करने में अधिकाधिक आधे घंटे का समय लेंगे...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार : नहीं, एक घंटा बढ़ा दीजिए।...*(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : सभापति जी, तमाम महत्वपूर्ण सवालों पर शून्यकाल के लिए सम्मानित सदस्यों ने नोटिस दिए हैं। आपसे विनम्र आग्रह है, मेहरबानी करके शून्य काल कर दीजिए।

श्री शैलेन्द्र कुमार : आधा घंटा बढ़ा दीजिए।...*(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन : तमाम महत्वपूर्ण विषयों पर लोगों के नोटिसेज हैं।

सभापति महोदय : एक घंटे के बाद में हो सकता है। एक घंटे के बाद आप कर सकते हैं।

श्री भंवर सिंह डांगावास : सभापति जी, 12 बजे से एक बजे तक शून्यकाल था, वह चला गया। अब आप इसको आगे सरका रहे हैं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : हम हाउस में बाद में डिसाइड करेंगे।

श्री भंवर सिंह डांगावास : डिसाइड है, आप आधे घंटे का शून्यकाल दिला दीजिए। आप शून्यकाल ले लीजिए। 5-7 आदमी हैं, ज्यादा नहीं हैं, बाकी सब चले गए हैं, इसलिए आप शून्यकाल ले लीजिए।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : ज्यादा लोग बोलने वाले हैं, इसलिए एक घंटा बढ़ाएंगे। उसके बाद जब टाइम होगा, तब देखेंगे।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उदयपुर) : शून्यकाल में हमारे महत्वपूर्ण इश्यूज हैं।

सभापति महोदय : वह डिबेट के बाद तय होगा। वन ओवर के बाद जब डिबेट खत्म होगी तो डिबेट कम्पलीट करने के बाद देखेंगे।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : जो बोलने वाले हैं, उनको रात भर बुलवा दीजिए। फिर आप होल नाइट चलने दीजिए। सारी रात फिर ये राष्ट्रपति जी के भाषण पर बोलते रहें और हम घर बैठकर सुनते रहेंगे।...*(व्यवधान)*

श्रीमती किरण माहेश्वरी : सुबह आठ बजे से हम लोग शून्यकाल के लिए भागते हैं, फिर भी नम्बर नहीं आता।... *(व्यवधान)*

श्री गिरधारी लाल भार्गव : हम इनका भाषण टी.वी. पर घर बैठकर सुनते रहेंगे, ये बहुत बढ़िया भाषण दे रहे हैं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : शून्यकाल तो होगा ही।

श्री भंवर सिंह डांगावास : श्रीमन्, शून्यकाल बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है, आप इसे बाद में ले लें, आधा घंटा मिल जाएगा, ज्यादा लोग नहीं हैं, हमें बोलते हुए 2–2 मिनट लगेंगे।... *(व्यवधान)*

श्री गिरधारी लाल भार्गव : इनका भी शून्यकाल है, ये भी इंटरेस्ट ले रहे हैं।...*(व्यवधान)*

श्री शैलेन्द्र कुमार : एक घंटा बढ़ाने दीजिए। आधा घंटा कर लीजिए।...*(व्यवधान)*

श्री गिरधारी लाल भार्गव : हम तो गांव के गंवार हैं।... *(व्यवधान)*

श्रीमती किरण माहेश्वरी : एक मिनट, वे कुछ कह रहे हैं।... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : एक घंटा समय बढ़ाया गया। उसके बाद आप बोल सकते हैं।

श्रीमती किरण माहेश्वरी : आपने शैलेन्द्र जी के भाषण के बाद कहा था।...*(व्यवधान)*

श्री शैलेन्द्र कुमार : किरण जी, आपके बहुत बोलने वाले वक्ता हैं। जीरो ऑवर में हमारा भी लगा है। हम भी आपके साथ हैं।...*(व्यवधान)*

श्रीमती किरण माहेश्वरी : आपके इतने इम्पोर्टेंट इश्यू नहीं हैं, जितने इम्पोर्टेंट हमारे राजस्थान के हैं। हमारे इतने महत्वपूर्ण विषय हैं, जो ध्यान आकृष्ट करने वाले विषय हैं। हम आपका ध्यान उनकी ओर दिलाना चाहते हैं।...*(व्यवधान)*

श्री शैलेन्द्र कुमार : मैडम, हमारा नोटिस भी शून्यकाल में लगा हुआ है। माननीय सदस्यों के भी जीरो ऑवर इश्यू लगे हैं। हम भी आपके साथ बैठेंगे, आप बोलने तो दीजिए। इतनी देर में तो मैं खत्म भी कर देता।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : शैलेन्द्र कुमार जी, बोलिए। ज्यादा समय नहीं लेना, आप 5–5 मिनट में खत्म कर सकते हैं।

श्री शैलेन्द्र कुमार : जहां तक भारत के संविधान में आम लोगों को...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री विजय हान्डिक : हम वाद–विवाद में भी हिस्सा लेंगे... *(व्यवधान)*

श्री भंवर सिंह डांगावास : हम भी सुबह से वाद–विवाद में भाग ले रहे हैं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

जीरा ऑवर वाले सब 5–5 मिनट में बोलते हैं। अगर आपके 35 मैम्बर्स हैं तो रात भर बोलते रहेंगे। यह क्या बात है? हमारी रिक्वैस्ट सही है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री विजय हान्डिक : हम समय सीमा सायं 6.30 बजे तक बढ़ा सकते हैं...*(व्यवधान)* सायं 7.00 बजे तक। हम देखेंगे कि हम वाद–विवाद को पूरा कर सकते हैं अथवा नहीं।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार : सभापति महोदय, मैं कह रहा था कि भारत के संविधान में आम लोगों को जो संवैधानिक और मौलिक अधिकार प्राप्त है, उसे हम आज तक नहीं दे पाए हैं, चाहे वह शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार या कृषि के बारे में हो। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में अच्छे भविष्य के संकेत दिए गए हैं। श्री बच्ची सिंह रावत जी ने चिन्ता व्यक्त की थी कि आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में निरन्तर वृद्धि हो रही है। उन्होंने कहा कि एनडीए के समय में चीजें सस्ती थीं, लेकिन यूपीए सरकार ने महंगाई बढ़ाई है। तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो हर चीज के दामों में वृद्धि हुई है। मैं कहना चाहूंगा कि आम आदमी से जुड़ी हुई तमाम चीजों को हमें ध्यान में रखना होगा।

अभिभाषण में निर्धन लोगों की सुरक्षा और ग्रामीण निर्धनता को समाप्त करने की बात कही गई है। इसमें चार–पांच मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है। जहां तक राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की बात है, कई सदस्यों ने पहले भी इस पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। हम सौ दिन के रोजगार की गारंटी दे रहे हैं, लेकिन बाकी

265 दिन वह परिवार क्या करेगा? अभिभाषण में निर्धन लोगों के लिए रोजगार सुरक्षा की बात कही गई है। लेकिन आज भी ऐसे परिवार हैं जो रोज कमाते और रोज खाते हैं, यदि वे एक दिन भी कमाने न जाएं तो उनके बच्चे भूखे रह जाते हैं। अभिभाषण में ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी संरचनाओं को पहुंचाने की बात कही गई है। आज ग्रामीण क्षेत्रों में पहले जैसे ही हालात हैं। आज भी ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ है। आज बिजली दे दी गई है, लेकिन पूरी तरह से बिजली की सप्लाई नहीं हो रही है, ग्रामीण लोग छोटे–मोटे उद्योग नहीं कर पा रहे हैं। लोग गांवों से शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं क्योंकि हम उनके लिए गांवों में शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, स्वास्थ्य सुरक्षा, रोजगार नहीं दे पा रहे हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी बजट प्रस्तुत किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह जी को मैं बधाई देना चाहूंगा जिन्होंने ग्रामीण और शहरी बेरोजगारों को पांच सौ रुपए का बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही है और उनका रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गया है।

इसी प्रकार से राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन के बारे में बहुत सी बातें कही गई हैं। करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जो पीएससी और सीएचसी है, उनकी हालत बहुत बदतर है। वहां डाक्टर नहीं आते हैं क्योंकि उन्हें पूरी सुविधाएं नहीं मिलती हैं, उनके बच्चों के लिए अच्छे स्कूलों की व्यवस्था नहीं है। इस वजह से वहां के उपकरण पड़े–पड़े सड़ रहे हैं।

अभिभाषण में शहरी नवीनीकरण की भी बात कही गई है। आज सुबह श्री विजय कुमार मल्होत्रा जी और श्री देवेन्द्र प्रसाद जी चर्चा कर रहे थे कि बड़े लोगों के मकान टूट रहे हैं, इस पर बड़ा हो–हल्ला हो रहा है। बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे गरीब राज्यों से आए हुए लोगों की जब झुग्गी–झोंपड़ियों को तोड़ा गया और उनको विस्थापित किया गया, तो हम उनके लिए कुछ नहीं कर पाए। इस अभिभाषण में सभी को शिक्षा देने की बात कही गई है। इस पर करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं। आज संविधान संशोधन 45 (क) पर सदन में चर्चा हुई है। जिस पर सभी सदस्यों ने अपने–अपने विचार व्यक्त किए हैं।

मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि चाहे प्रौढ़ शिक्षा अभियान हो या सर्व शिक्षा अभियान हो, पूरे का पूरा बजट प्राइमरी और जूनियर विद्यालयों को सुधारने और सुविधाएं देने में खर्च होना चाहिए ताकि बच्चे विद्यालयों में आकर शिक्षा ग्रहण कर सकें। प्राइमरी शिक्षा को सुदृढ़ करने की जरूरत है।

इसी प्रकार जल संरक्षण की बात कही गई है। आज ग्रामीण क्षेत्रों में हर जगह देखें, वाटर स्ट्रैटा बिल्कुल डाउन होता चला जा रहा है। जल संरक्षण के बारे में हम अभी तक कोई कार्य योजना अपने इलाकों में नहीं बना पाए हैं और न ही कोई योजना बनी है।

जहां तक भारत निर्माण की बात के बारे में कहा गया है, सन् 2009 तक के लिए तमाम बातें कही गईं कि एक हजार आबादी वाले प्रत्येक गांव में बिजली होगी, 1500 की आबादी वाले प्रत्येक गांव में 12 मासी सड़क की व्यवस्था की बात कही गई है, यह मेरी समझ में नहीं आया। हो सकता है कि बजट में वह विस्तार से आए। हर व्यक्ति को पेयजल सुनिश्चित करने की बात कही गई है। आज पेयजल की काफी समस्या है। भार्गव जी हमारी तरफ से बड़े ध्यान से देख रहे हैं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अब आप कनक्लूड कीजिए।

श्री शैलेन्द्र कुमार : मैं कनक्लूड कर रहा हूं।

हमने हर गांव को टेलीफोन दिए हैं। इससे कोई विकास नहीं होने वाला है। आज अगर टेलीफोन की उपयोगिता है तो वह बड़े–बड़े कस्बों, टाउन या शहरों के लिए है।

जहां तक एक हेक्टेयर एडीशनल सिंचाई की क्षमता की सृजन को बढ़ाने की बात कही गई है, वह सही है। आज नदियों में पानी नहीं है, नहरों में पानी नहीं है। हम बिजली नहीं दे पा रहे हैं जिससे असिंचित जमीन को सिंचित करके ग्रामीण स्तर पर किसानों के जीवन स्तर को उठाने की बात कहें।

ग्रामीण निर्धनों के लिए 60 लाख मकान निर्माण की बात कही गई है। पिछले बजट में भी इसे दर्शाया गया था।...*(व्यवधान)* मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्पेशल तौर पर किन गरीब लोगों को मकान मिले हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता, लेकिन अगर है तो वह कहां बनेंगे, इसे भी बजट में विस्तार से प्रस्तुत करने की जरूरत है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप कनक्लूड कीजिए।

श्री शैलेन्द्र कुमार : जहां तक ग्रामीण क्षेत्रों में सब सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात है...*(व्यवधान)* मैं समाप्त कर रहा हूं।

सभापति महोदय : अब आप लास्ट प्वाइंट बताइए।

श्री शैलेन्द्र कुमार : ठीक है, हम बाद में कंटीन्यू करेंगे।

सभापति महोदय : आपको इतना समय नहीं मिलेगा क्योंकि अभी काफी सदस्य बोलने वाले हैं।

श्री शैलेन्द्र कुमार : मैं 2–4 प्वाइंट्स और बताकर समाप्त कर रहा हूं।

सभापति महोदय : इतना समय नहीं है। आपको पांच मिनट का समय दिया गया था।

...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार : हवाई अड्डों के विस्तार की बात कही गई है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि कुछ हवाई अड्डे जैसे इलाहाबाद में एयर पोर्ट है, वहां तमाम यात्रियों को एक–दो फ्लाइट में बड़ी असुविधा होती है। निजी हवाई अड्डे बनाने की जरूरत इसलिए है कि यह आजादी की लड़ाई का केन्द्र बिन्दु पर्यटन स्थल है, चाहे आनंद भवन हो, चाहे स्वराज भवन हो, वहां संगम भी है और हाई कोर्ट भी है। इससे तमाम विदेशी और देश के पर्यटकों को सुविधा मिल सकेगी।

रेल व्यवस्था के बारे में बात कही गई है। इलाहाबाद से लखनऊ चूंकि वह उत्तर प्रदेश की राजधानी है, वहां की व्यवस्था काफी खराब है, खासतौर से वह रेल आदरणीय सोनिया गांधी के निर्वाचन क्षेत्र से आती है। उस रेल से छः घंटे लगते हैं और उमसें बैठना कोई पसंद नहीं करता। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि राजधानी प्रदेश में कम से कम सौ, डेढ़ सौ, दो सौ किलोमीटर तक रेलयात्रा अच्छी होनी चाहिए ताकि लोग वहां जाएं और आसानी से अपना काम करके चले आएं।

सूचना के अधिकार की बात कही गई है। यह अच्छा है क्योंकि इससे सरकार की पारदर्शिता और कार्यों का मूल्यांकन हो सकेगा।

इसी प्रकार एससी, एसटी, सामाजिक और शैक्षिक तौर पर निजी गैर–शिक्षण संस्था में...*(व्यवधान)* अगर इसे पूरा कर लेंगे तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा होगा, खास तौर से सरकार ने न भरे गए आरक्षित पदों वाले बैकलॉग को पूरा करने की बात कही है। अगर इसे कर दें तो बहुत दिनों से जो रोना हो रहा है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या तमाम ऐसे लोगों की रिक्तियां भरी जाएंगी और यह सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि होगी।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने मुझे बोलने का बहुत कम मौका दिया है, हमारा पूरा समय घटाने, बढ़ाने में ही निकल गया।

प्रो. महादेवराव शिवनकर (चिमूर) : माननीय सभापति जी, राष्ट्रपति के अभिभाषण में जिन कुछ और मुद्दों का समावेश करना चाहिए था, वह नहीं किया गया है। मैं उनकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वास्तव में यूपीए सरकार के आने के बाद इस देश में फोन टैपिंग का प्रकरण हुआ। लोगों ने यहां तक कहा कि उसमें...*

सभापति महोदय : किसी का नाम मत लीजिए।

...(व्यवधान)

प्रो. महादेवराव शिवनकर : इस हाउस से बाहर जो कहा गया, वह बात मैं कह रहा हूं। वर्तमान पत्रों में जो बात कही गई, वह मैं कह रहा हूं। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं। अगर इसका उल्लेख राष्ट्रपति जी अपने अभिभाषण में करते, तो यह सरकार कैसी है, इसका दिग्दर्शन हो सकता था।

दूसरा, राष्ट्रपति जी अपने अभिभाषण में यह बताना भूल गए कि क्वात्रोची के खातों से धन निकासी कैसे हुई? उनके अभिभाषण में इसका कहीं कोई जिक्र नहीं कि वह धन निकासी कैसे हुई, किसके आदेश से हुई, क्यों हुई, सीबीआई कैसे भूल गई, किसका दबाव है आदि के संबंध में कोई चर्चा नहीं हुई। ईरान के खिलाफ वोट न देने के संबंध में हम परमाणु संधि खत्म कर देंगे, इस प्रकार से अमरीका ने हमें धमकाया, ऐसा भी वर्तमान पत्रों में आया है। विदेश नीति के संबंध में, ईरान के पहलू के संबंध में अमरीका ने उस समय क्या कहा, विश्व में...* हम किस प्रकार से उसके दबाव में आ रहे हैं, इसका कोई जिक्र राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में नहीं है।

सभापति महोदय, सबसे महत्वपूर्ण बात को कई मैम्बरों ने उठाया कि सेना में अल्पसंख्यकों की गणना करने के संबंध में जो आदेश दिया गया, उसका उल्लेख राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में करना चाहिए था। इसमें छुपाने वाली कौन सी बात थी? वास्तविक रूप से स्वतंत्रता के इतने वर्षों के बाद राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के पृष्ठ दो में राष्ट्र को विभाजित करने वाली चर्चाओं के स्थान पर ऐसा उल्लेख किया गया। 55–57 वर्षों के बाद अगर राष्ट्र को विभाजित करने वाली सत्ताओं के संबंध में राष्ट्रपति जी उल्लेख करते हैं और वह सरकार के दिशा–निर्देश हैं, तो 57 वर्षों की इतनी लंबी स्वतंत्रता के बाद, भारत के लोकतंत्र को विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है, हम इस देश को किस ओर ले जाना चाहते

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

हैं? अगर समान नागरिक कानून के संबंध में चर्चा होती, विश्व में ऐसा कोई देश नहीं है जहां दो प्रकार के समुदाय के लिए अलग-अलग कानून हों। केवल भारत देश ऐसा है जहां लोगों के लिए अलग-अलग कानून हैं। परिवार नियोजन के संबंध में ऐसा है। हम केवल वोटों की राजनीति के कारण एक विशिष्ट समाज को कुछ नहीं कह सकते, यह कैसा देश है? मुस्लिम तुष्टिकरण की नीति के संबंध में अगर हम ऐसे ही बढ़ते गए और हम कहते गए कि राष्ट्र विभाजन करने वाली चर्चाओं के दिन खत्म हो गए वगैरह-वगैरह नई चर्चा शुरू हो गई, वास्तविक रूप से यदि हम अभी की घटनाएं देखें, तो राष्ट्र की दिशा किस ओर जा रही है, हम किस ओर लोगों को ले जाना चाहते हैं, इससे अधिक स्पष्ट साबित होगा। मैं मानता हूं कि किसी भी समुदाय के, किसी भी धर्म के लोगों की भावनाओं के साथ हमें खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, भावनाओं को दुखित नहीं करना चाहिए। पैगम्बर साहब के कार्टून का अगर कहीं दुरुपयोग होता है, तो उसका निषेध होना जरूरी है। मगर उसके साथ-साथ भारत माता का...* चित्र, हुसैन नाम का कोई चित्रकार बनाता है, लेकिन पैगम्बर साहब के कार्टून के संबंध में एक राज्य का मंत्री यह कहे कि हम 51 करोड़ रुपए देंगे और उसके शरीर के भार के बराबर सोना देंगे और हम कुछ बात न करें, तो यह लोकतंत्र को खतरा पैदा करने वाली बात है।

भारत माता का नग्न चित्र बनाने की हिम्मत जिस व्यक्ति ने की, क्या उसे सजा देने के संबंध में यह सरकार कुछ सोच सकती है? मुझे नहीं लगता कि इस संबंध में सरकार कुछ विचार करेगी। न वामपंथी सपोर्टर्स कुछ करेंगे और न कांग्रेस पार्टी, जो सरकार चला रही है, वह कुछ करेगी। बाहर से सपोर्ट है, ऐसा हमारे वामपंथी दल कहते हैं। इधर सपोर्ट चलता है और उधर रात में एक जगह मिलते हैं। सरकार पूरी ये चलाएंगे।

[अनुवाद]

क्योंकि सत्ता उनको जोड़ने वाली शक्ति है।

[हिन्दी]

सपोर्ट ये तोड़ेंगे नहीं। सत्ता का उपभोग पूरा करेंगे। दूसरे शब्दों में बराबर का मजा लिए जाओ। आक्रमण भी करेंगे। अगर ऐसा ही लगता है तो सरकार तोड़ दो। जबर्दस्ती बीजेपी को बाहर रखने की बात करके कि यह साम्प्रदायिक है। मैं जानना चाहता हूं कि इस देश में कौन साम्प्रदायिक है? मुस्लिम तुष्टिकरण करने वाले लोग साम्प्रदायिक हैं या तो समान नागरिक कानून इस देश में होना चाहिए, यह कहने वाले लोग साम्प्रदायिक हैं। इस संबंध में एक बहस होनी चाहिए। देश को हम किस ओर ले जाना चाहते हैं? इस संबंध में स्पष्ट रूप से दिशानिर्देश माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में नहीं बताए गए, यह अत्यन्त वेदना देने की बात है।

मैं खेती के संबंध में कहना चाहूंगा कि यह क्या हो रहा है? पिछले एक दशक में अनेक रिपोर्ट्स हैं। 26,000 से ज्यादा किसानों ने इस देश में आत्महत्याएं कीं। खेती के मजदूरों की संख्या दस वर्षों में तीन करोड़ से ज्यादा बढ़ गई। खेती का सकल राष्ट्रीय उत्पादन लगातार गिरता जा रहा है। 1951 में यह 51 प्रतिशत था, 1991 में 35 प्रतिशत हुआ, 2001 में 26 प्रतिशत हुआ और 2004 में चार प्रतिशत पर आ गया। यही बात खेती पर निर्भर रहने वाले परिवारों के संबंध में है। उनकी संख्या बढ़ गई। 1991 में उनकी संख्या 18.1 करोड़ थी। किसान परिवारों की वृद्धि हुई। दस वर्षों के काल में 23.4 करोड़ पर उनकी संख्या पहुंच गई। ये सारे आंकड़े हम देखें तो पाएंगे कि खेती का यूनिट पिछले दस वर्षों में कम हो गया। 2.78 एक यूनिट था, वह 1.57 हेक्टेयर हो गया। किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, इस संबंध में राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में चर्चा ही नहीं हुई है। इस देश के किसान जिन्हें हम मालिक मानते हैं, हिन्दुस्तान भर के लोगों का उदर निर्वाह करने वाला किसान जब आत्महत्या करता है और उसके संबंध में अच्छी नीति अपना रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। मेरे पास आंकड़े हैं। आंध्र प्रदेश में 2002 से 2005 तक 1310 से ज्यादा लोगों ने आत्महत्याएं कीं। कर्नाटक में.. *(व्यवधान)* मैंने 2005 तक कहा। 2005 दिसम्बर में खत्म होता है। आप इस बात को ध्यान में रखें। कर्नाटक में 2002 से 2005 तक 979 लोगों ने आत्महत्याएं कीं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कबूल किया कि हजारों किसानों ने आत्महत्याएं कीं। अभी सम्मानित सदस्य ने बताया कि केरल में 327 किसानों ने आत्महत्याएं कीं। उड़ीसा, गुजरात ये अल्प प्रमाण हैं। मैं कहना चाहूंगा कि ये जो किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, उनके कारणों के संबंध में राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में यह बताया गया कि निवेश बढ़ गया। केवल आंकड़े या खर्चा देने से ही बात नहीं बनेगी, इस संबंध में नीति निर्धारण करनी चाहिए। कुछ राज्यों में जिन किसानों ने आत्महत्या की है, उनके परिवार वालों को एक-एक लाख रुपए का मुआवजा दिया गया है, जबकि कुछ राज्यों में 50,000 रुपए ही मुआवजे के रूप में दिए गए हैं। हम सब जानते हैं कि इतनी राशि से कुछ नहीं होता।

सभापति महोदय : कृपया समाप्त करें।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

प्रो. महादेवराव शिवनकर : अभी तो मैंने शुरू ही किया है।

सभापति महोदय : आपको शुरू किए हुए दस मिनट हो गए हैं।

प्रो. महादेवराव शिवनकर : कुछ समय उन्होंने भी ले लिया था। इसलिए मुझे थोड़ा समय और दें, क्योंकि मुझे काफी मुद्दे एक्सप्लेन करने हैं।

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : सभापति महोदय, जीरो ऑवर लिया जाए।

प्रो. महादेवराव शिवनकर : जीरो ऑवर साढ़े छः बजे से होगा। मैं तब तक समाप्त कर दूंगा।

सभापति महोदय, जिन क्षेत्रों में किसान आत्महत्या कर रहे हैं, वहां सरकार को कोई नीति निर्धारित करनी चाहिए थी। आप देखें कि ब्याज की दर क्या है। हमने बाहर भी और इस सदन में भी अर्थ मंत्री जी से कई बार कहा है कि किसानों को दिए जाने वाले लोन की ब्याज दर कम की जाए। अटल जी की सरकार के काल में यह दर 13 प्रतिशत थी, जिसे नौ प्रतिशत तक कर दिया गया था। लेकिन यह भी ज्यादा है। किसानों की मान्यता है और मेरी भी मान्यता है कि वह दर छः प्रतिशत तक आनी चाहिए। यह आ सकती है और मैं इसे बता सकता हूं। कोआपरेटिव में आज भी ब्याज दर 13 प्रतिशत चल रही है। ब्याज दर अधिक होने से किसानों को कर्ज का बोझ ज्यादा होता है। कोआपरेटिव में जो ब्याज होता है, वह स्टेट कोआपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक और नाबार्ड तक करीब सात–आठ प्रतिशत तक घूम–फिरकर जाता है। वहां जो लोग बैठे हुए हैं, उन्हें कारें मिली हुई हैं और कई तरह की सुविधाएं मिली हुई हैं इसलिए वे अप्रत्यक्ष रूप से नहीं चाहेंगे कि दरें कम हों। वे इस राशि को डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक को नहीं देंगे। इसलिए सरकार को चाहिए कि वह इसमें बदलाव लाकर ब्याज दर छः प्रतिशत तक करे। अगर मकान बनाने के लिए छः से सात प्रतिशत तक की ब्याज दर पर लोन मिल सकता है, तो किसानों के लिए ब्याज दर क्यों नहीं कम हो सकती। क्रॉप लोन भी दो लाख रुपए तक होना चाहिए।

महाराष्ट्र में विदर्भ क्षेत्र में आत्महत्या करने वाले किसानों की संख्या ज्यादा है। मैं जिस जिले से आता हूं वहां पर भी कई किसानों ने आत्महत्या की है। इसलिए कपास और धान उगाने वाले ज्यादा किसान आत्महत्या करते हैं। मेरा मानना है कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में इस बारे में साफ–साफ कहना चाहिए था। वास्तव में विदर्भ के हिस्से में किसानों का कर्ज माफ करना चाहिए था। वहां पर कपास का मूल्य 2300 रुपए प्रति क्विंटल से 1700 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया है। इसी तरह से धान का मूल्य भी काफी कम हो गया है। वहां पर इन फसलों का लागत मूल्य एक हजार रुपए प्रति क्विंटल से ज्यादा है और किसानों को उसके एवज में सिर्फ 500–600 रुपए प्रति क्विंटल ही मिलते हैं। बाकी पैसा किसान कहां से देगा, इस बात को समझा जा सकता है इसीलिए वह आत्महत्या करने को मजबूर होता है। उसकी बेटी की शादी हो तो वह कर्ज लेता है। मुझे याद है मेरे क्षेत्र में ब्रह्मपुरी गांव में एक किसान ने रात को आत्महत्या कर ली, जबकि अगले दिन उसकी बेटी की शादी थी, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। यह करुणादायक स्थिति आज देश में है। इसलिए कपास, धान आदि फसलों का मूल्य लागत मूल्य के आधार पर निर्धारित होना चाहिए। 1998 में उसे कपास का मूल्य 2300 रुपए मिलता था, जो अब 1700 रुपए रह गया है। हम बजाय आगे जाने के पीछे जा रहे हैं। इसके बारे में महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में कोई जिक्र नहीं है।

सरकार द्वारा गेहूं आयात करने का फैसला किया गया है। देश में गेहूं के दाम बढ़ गए, लेकिन किसानों को वह नहीं मिले, होर्डिंग करने वालों की जेब में वह पैसा चला गया, क्योंकि सरकार उनके साथ है। आस्ट्रेलिया से 900 रुपए प्रति क्विंटल की दर से 37 लाख मीट्रिक टन गेहूं आयात किया गया। उस पर आयात शुल्क नहीं लिया गया। अगर वह अदा किया जाए तो कम से कम उस गेहूं का मूल्य 1200 रुपए से 1300 रुपए प्रति क्विंटल आएगा। इतना दाम हमारे देश में कहीं भी नहीं है। इसलिए वह पैसा किसे मिला, वह पैसा उन्हें मिला जो विदेशी निर्यातक थे। हिन्दुस्तान में गेहूं पैदा करने वाले किसानों को इतना पैसा नहीं मिलता है। हमारे देश में जब किसान इतना अनाज पैदा करते हैं, फिर क्यों सरकार को गेहूं आयात करने की आवश्यकता महसूस हुई?

सभापति महोदय, चूंकि साढ़े छः बज रहे हैं, आप अनुमति दें तो मैं अपना भाषण आगे भी जारी रख सकता हूं।

[अनुवाद]

मैं बोल रहा हूं।

सभापति महोदय : आप बोल रहे हैं परन्तु शून्य काल अभी होना है।

[हिन्दी]

आप 15 मिनट से ज्यादा ले चुके हैं। आप कनक्लूड करिए।

[अनुवाद]

प्रो. महादेव शिवनकर : मैं अपना भाषण कल जारी रखूंगा... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया जल्दी समाप्त कीजिए। आप 15 मिनट से भी अधिक समय ले चुके हैं।

[हिन्दी]

प्रो. महादेवराव शिवनकर : मैं गेहूं के संबंध में बात रहा था, जहां तक गेहूं आयात करने का संबंध है, 47 लाख मीट्रिक टन वास्तविक रूप से है, अगर हम आंकड़े देखें, तो केन्द्रीय पूल से हर माह 12 लाख 30 हजार मीट्रिक टन गेहूं जरूर होती है। पिछले साल 92 करोड़ मीट्रिक टन गेहूं का उत्पादन इस देश में हुआ और इस सारे गणित को हम निकालें, तो गेहूं आयात करने की आवश्यकता नहीं थी। लोगों ने जो होल्डिंग किया, उसको रोकने की आवश्यकता थी। सरकार होल्डिंग करने वालों के साथ शामिल है। इसका ही सारा दुष्परिणाम हम सबको दिखाई पड़ता है। मैं किसानों के संबंध में मूल मुद्दे के संबंध में बताना चाहता हूं। बेसिक मुद्दा यह है कि विदर्भ के हिस्से में उनका कर्जा माफ होना चाहिए। उसके धान और कपास का भाव उसे मिलना चाहिए। तीसरी बात, उसका जो खर्च होता है, रासायनिक खाद के दाम बढ़ गए हैं, बीज के दाम बढ़ गए हैं, कैमिकल्स के दाम बढ़ गए हैं, दवा के दाम बढ़ गए हैं, इन सारी बातों को हम देखें तो उसका खर्च उत्पादन से बहुत ज्यादा हो गया। परिणाम यह हुआ कि उसके हाथ में कुछ नहीं आता, बेचारा कंगाल हो जाता है और ऐसी परिस्थिति में वे किसान कैसे जिएंगे?

सभापति महोदय : आप कनक्ल्यूड करिए।

प्रो. महादेवराव शिवनकर : जो जनादेश मिला, उसके संबंध में...*

सभापति महोदय : साढ़े छः बज गए हैं। हमें जीरो आवर भी लेना है। आप 15 मिनट से ज्यादा ले चुके हैं।

प्रो. महादेवराव शिवनकर : मैं कह रहा था कि सरकार पूरी तरह से फेल हो गई। एनडीए सरकार की जो योजनाएं थीं, रास्ते के संबंध में, पेयजल के संबंध में ये सारी स्कीम उन्होंने जोड़ दीं।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सायं 6.32 बजे

(उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*)

बीज, खाद के संबंध में, दवा के संबंध में किसानों को कुछ सहूलियत मिलनी चाहिए। मैं यह बता रहा था कि इसमें वागवानी राष्ट्रीय मिशन के संबंध में भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर, गढ़चिरौली इन सब जिलों का समावेश नहीं किया। चतुर्भुज स्वर्णिम योजना और राष्ट्रीय राजमार्ग योजना, इन पुरानी योजनाओं को आखिर आप कब तक ढोते रहेंगे? उन्हीं योजनाओं का नाम लेकर आप कब तक जीते रहेंगे। राष्ट्रपति के अभिभाषण में नयी बात कुछ नहीं है, इसलिए मैं इससे असहमत हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अगर आप हाउस का डिस्कशन कंटीन्यू रखना चाहते हैं, तो जीरो आवर नहीं होगा।

(व्यवधान)

श्री भंवर सिंह डांगावास : यह निर्णय किया गया था कि साढ़े 6 बजे के बाद जीरो आवर होगा।

[अनुवाद]

श्री विजय हान्डिक : महोदय छः बजे यह निर्णय लिया गया था कि 6.30 बजे शून्य काल होगा...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों पर चर्चा करेंगे।

श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन जी।

[हिन्दी]

श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन (बालाघाट) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अगस्त 2004 से तैनात किया गया। बालाघाट जिला मध्य प्रदेश का सर्वाधिक संवेदनशील और नक्सलाइट जिला है। इसके सीमावर्ती महाराष्ट्र गढ़चिरौली, चंद्रपुर और त्रिमूर है, जो हमारा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र गोंदिया भंडारा है और छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव जिले आदि तमाम जिले हैं। भारत सरकार ने दो दिन पूर्व यह आदेश जारी किया है कि 170वीं बटालियन को छत्तीसगढ़ ट्रांसफर कर दिया जाए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम सरकार से चाहते हैं यदि वह बटालियन को छत्तीसगढ़ ट्रांसफर कर दिया गया, तो जो

नक्सलाइट्स ऊपर से खदेड़े जाएंगे, जिनको बालाघाट जिले में रोका हुआ है, सीधे शिवनी, जिंदौरी, मंडला, शहडौल, उमरिया, बालाघाट जो मध्य प्रदेश के बार्डर जिले हैं, जिन्होंने विस्तृत सर्वे कर लिया है, वहां से प्रवेश कर लेंगे। इसके लिए तत्काल कोई व्यवस्था होनी चाहिए। माननीय गृह मंत्री उस आदेश को समाप्त करें। यदि उन्हें छत्तीसगढ़ में कुचलना है, हम उसका समर्थन करते हैं। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश में संयुक्त अभियान चलाना चाहिए। रिजर्व पुलिस बल को हटाना विकल्प नहीं है। यह एक खुला रास्ता हो जाएगा। उन्हें रोककर जो अटैक किया है, इससे सर्वे किए हुए नक्सलाइट के जिले अन्दर आ जाएंगे जिससे गम्भीर स्थिति बनेगी और मध्य प्रदेश इसे कंट्रोल नहीं कर पाएगी। आज तक नक्सलाइट्स ने 52 लोगों की बालाघाट जिले में हत्या की है। 15 बड़ी वारदातें हो चुकी हैं। एक कैबिनेट मंत्री का गला घोंटकर हत्या की गई। वहां सांसदों, विधायकों और जन-प्रतिनिधियों का जीवन कठिन स्थिति में है। ऐसी स्थिति में फोर्स को हटाया गया तो स्थिति भयावह हो जाएगी। अभी स्थिति जिला पुलिस बल के कंट्रोल में नहीं है। हमने माननीय गृह मंत्री जी से मिलकर व्यक्तिगत रूप से बात की थी। हम इसकी ठीक से व्यवस्था चाहते हैं। केन्द्र सरकार तत्काल हस्तक्षेप करे। वह 117 बटालियन्स का हस्तांतरण तैनाती क्षेत्रों की तरफ कर रही है, उसे तत्काल रोके।

उपाध्यक्ष महोदय : सभी दो-दो मिनट लें क्योंकि समय कम है।

[अनुवाद]

इतना समय पर्याप्त होगा।

श्री टेकलाल महतो-उपस्थित नहीं।

डा. शफीकुर्रहमान बर्क-उपस्थित नहीं।

सायं 6.36 बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन-*जारी*

(चार) जनवरी, 2006 में मक्का (सऊदी अरब) में मची भगदड़ में मारे गए भारतीय हज तीर्थ यात्रियों के परिवारों को मुआवजा न दिए जाने से उत्पन्न स्थिति के बारे में

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, इस बार जनवरी माह में भारत से काफी संख्या में मक्का, सऊदी अरब में लोग हज करने गए थे। हज पर जो यात्री गए थे, वे भगदड़ में फंस गए जिससे काफी संख्या में लोग शहीद हो गए थे। जो हज में जाने वाले लोग थे, आवश्यक नहीं है कि वे सब अमीर थे। यह एक धार्मिक आस्था का सवाल है। वहां जो लोग शहीद हुए थे, निश्चित रूप से उनके परिवार आज आर्थिक संकट में हैं। 1997 में भी मक्का में अग्निकांड हुआ था जिससे सैकड़ों हज यात्री शहीद हो गए थे। उस समय केन्द्र में श्री इन्द्र कुमार गुजराल की सरकार थी। उस समय प्रति-परिवार एक लाख रुपए हर हज यात्री को दिए गए थे। इस बार जो शहीद हुए हैं, उनकी संख्या सिर्फ 67 है। उत्तर प्रदेश से जो हज यात्री गए थे, उनकी संख्या 25 थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने पांच लाख रुपए प्रति-हज यात्री परिवार देने का निर्णय किया है। हज सेवा समिति ने फरवरी में सरकार को लिखा भी था कि जो हज यात्री शहीद हुए हैं, उनके परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए लेकिन इसके बावजूद भारत सरकार ने इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया है। मैं निवदेन करना चाहूंगा कि जो शहीद हज यात्री हैं, प्रति-परिवार पांच-पांच लाख रुपए उन्हें अवश्य दिए जाएं। यहां संसदीय कार्य राज्य मंत्री बैठे हैं। वह इसके बारे में कुछ बताएं।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने आपकी बात सुन ली है।

[अनुवाद]

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : वास्तव में, जैसे ही मैंने नोटिस देखा मैंने विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री ई. अहमद से सम्पर्क करने का प्रयास किया। इस समय वे देश से बाहर हैं। वे ईरान गए हुए हैं। जैसे ही वे ईरान से वापस आएंगे मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वे सभा को सूचित करें।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रघुराज सिंह शाक्य-उपस्थित नहीं।

श्री रघुनाथ झा-उपस्थित नहीं।

[हिन्दी]

श्री भंवर सिंह डांगावास (नागौर) : हमारा देश कृषि प्रधान देश है। समस्त अर्थशास्त्री स्वीकार करते हैं कि जी.डी.पी. में देश को सर्वाधिक रोजगार देने वाली कृषि है। परंतु खेद के साथ कहना

पड़ रहा है कि आज देश में केवल किसानों और खेती के नाम पर मगरमच्छ के आंसू बहाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक आदि राज्यों में किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। एक ओर किसानों को उपज का पूरा समर्थन मूल्य नहीं दिया जा रहा है, एफ.सी.आई. में खाद्यानों के भंडार भरे हुए हैं और दूसरी ओर सरकार विदेशों से पांच लाख टन गेहूं आयात कर रही है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री भंवर सिंह डांगावास के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री भंवर सिंह डांगावास : यह अत्यंत दुख और कष्टप्रद है कि 900 रुपए प्रति क्विंटल का आयात 1100 या 1200 रुपए प्रति क्विंटल में पड़ेगा, जबकि किसानों को सिर्फ 600 रुपए प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य दिया जा रहा है। यह सरकार किसान विरोधी सरकार है। अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करता हूं कि गेहूं के आयात को तुरंत रोका जाए। इसके साथ ही भारत के किसानों को अधिक से अधिक उपज के लिए भरपूर सहायता देकर और उपज का अधिक समर्थन मूल्य देकर प्रोत्साहित करें।

श्री मुंशी राम (बिजनौर) : उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप इनके साथ एसोसिएट करेंगे क्योंकि आपका और इनका मैटर एक जैसा है।

श्री मुंशी राम : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा मैटर बिजली से संबंधित है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मुंशी राम आपने एक ही विषय पर सूचना दी है।

[हिन्दी]

श्री मुंशी राम : सभापति महोदय, मैं सिर्फ दो मिनट लूंगा। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में इस वर्ष शरद ऋतु की वर्षा समय पर न होने के कारण किसानों के पास अपनी फसल को बचाने के लिए पानी के साधन नहीं थे। इस कारण उनकी गेहूं एवं अन्य फसलें नष्ट हो गई हैं। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि विद्युत की आपूर्ति प्राप्त न होने के कारण उन्हें अपनी फसल को बचाने के लिए डीजल इंजन का इस्तेमाल करना पड़ा, जिसकी लागत 34 रुपए प्रति लीटर है। इस कारण जिन किसानों ने गेहूं आदि फसल को बचाने की कोशिश की है, उसकी लागत इतनी ज्यादा आती है कि किसान बुरी तरह से नुकसान में पहुंच जाता है। मैं समझता हूं कि भारत के पास अपनी आवश्यकता के अनुसार खाद्य सामग्री में गेहूं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इस समय सरकार के पास 47 लाख टन गेहूं का भंडारण है और 13 लाख टन प्रतिमास गेहूं की निकासी होती है। ऐसे में लगभग चार महीने का भंडारण देश में होने के पश्चात् देश के किसानों को 640 रुपए प्रति क्विंटल का भुगतान करते हैं। एफ.सी.आई. इसी गेहूं को 1140 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बेचती है और हम इसे 1200 रुपए से अधिक में आयात करने के लिए तैयार हैं। अगर हम किसानों को उपज का सही मूल्य नहीं देंगे तो वे कैसे मजबूत होंगे? मैं इस बात के लिए सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल और कर्नाटक जैसी स्थिति आ रही है और वहां किसान खुदकुशी करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। वही स्थिति पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्यों पैदा करना चाहते हैं? अगर सरकार को मूल्य निर्धारित करना है तो उसे सरकार वहन करे, गेहूं पैदा करने वाला कहां से गेहूं पैदा करेगा? अगर किसानों को उपज का सही मूल्य नहीं मिलेगा, तो वह कैसे सर्वाइव करेगा?

[अनुवाद]

श्री डी. वी. सदानन्द गौडा (मंगलोर) : कन्नड एक प्राचीन भाषा है। द्रविड़ भाषा समूह में यह भाषा दो हजार वर्ष से अधिक पुरानी है। कन्नड भाषा की उत्पत्ति 6.5 ई.पू. प्रोटो द्रविड़ परिवार से हुई है। विद्वानों ने यह सिद्ध कर दिया है कि कन्नड़ पहली प्रमुख भाषा है। इसका प्राचीनतम अभिलिखित शब्द 'इसिला' अशोक के ब्रह्मगिरी शिलालेख में पाया जाता है जो कि कर्नाटक में है। यह शिलालेख तीसरी शताब्दी ई.पू. का है। 'इसिला' एक स्थान का नाम है। यह शहर आज की तारीख में मध्य कर्नाटक में है। इस सबूत से पता चलता है कि उस समय उस क्षेत्र में कन्नड बोली जाने वाली भाषा थी।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : रीजनल लैंग्वेज का मैटर सुबह डिस्कस हो चुका है।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

श्री डी. वी. सदानन्द गौडा : महोदय, व्यावहारिक रूप से मैंने इसी विषय के संबंध में सुबह सूचना दी थी। परन्तु दुर्भाग्यवश मैं माननीय अध्यक्ष से अनुरोध के बावजूद इस मामले को नहीं उठा सका।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया एक मिनट में अपनी बात समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री डी. वी. सदानन्द गौडा : महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं केवल एक मिनट लूंगा।

महोदय, कन्नड साहित्य की अपनी एक स्वतंत्र परम्परा है। समालोचकों का यह मानना है कि कन्नड साहित्य परम्परा की अद्वितीयता यह है कि इसने हमेशा संस्कृत साहित्य परम्परा से अलग रहने का प्रयास किया है। काव्य और व्याकरण पर सबसे पहली कन्नड कृति 'कविराजमार्ग' में यह स्पष्ट रूप से सुस्थापित है कि कन्नड भाषा और साहित्य परम्परा की एक अलग पहचान है।

कन्नड साहित्य व्यापक है। इसमें मौखिक और लिखित दोनों संघटक हैं। इसकी शिलालेख सामग्री प्रचुर और सांस्कृतिक तत्वों से भरपूर है। कर्नाटक में रिकार्ड संख्या में शिलालेख हैं। इनमें से 25000 से अधिक शिलालेख कन्नड भाषा में लिखे गए हैं और हस्तलिपि कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश के विभिन्न भागों में पायी जाती है। ऐसे बहुत से उदाहरण है जिनमें मुख्यधारा के कवियों यथा 'रन्ना' और 'जन्ना' ने दसवीं शताब्दी में ही शिलालेखों का मूल पाठ लिख दिया था।

कन्नड साहित्य इस दृष्टि से भी सम्पन्न है कि यह केवल सृजनात्मक साहित्य ही नहीं है बल्कि इसमें प्रामाणिक स्थानीय ज्ञान प्रणाली भी शामिल है। इस भाषा में व्याकरणीय परम्परा, शब्दकोश, विश्वकोश तथा पशु चिकित्सा विज्ञान, कृषि, औषधि आदि की अनेक पुस्तकें लिखी गई हैं। इन सभी तथ्यों से यह स्पष्ट है कि कन्नड प्राचीन उत्कृष्ट भाषा के रूप में स्थापित करने के लिए उपर्युक्त भाषा है। किसी और भारतीय भाषा में लेखों का ऐसा अटूट इतिहास नहीं है।

इस समय यह मामला प्राचीन उत्कृष्ट भाषा के रूप में भाषाओं को श्रेणीबद्ध करने हेतु भाषा विशेषज्ञ समिति के समक्ष विचाराधीन है। मैं कर्नाटक की जनता की ओर से माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह करता हूं और विनम्र निवेदन करता हूं कि कन्नड को यथाशीघ्र प्राचीन उत्कृष्ट भाषा का दर्जा प्रदान करके कर्नाटक की जनता की इच्छाओं पर विचार करने के लिए समिति के सदस्यों को निर्देश देने की कृपा करें।

श्री एस. मल्लिकार्जुनैया (तुमकुर) : महोदय, मैं इस विषय पर स्वयं को श्री सदानन्द गौडा के साथ सम्बद्ध करता हूं।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : जी, हां। श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर– उपस्थित नहीं।

श्री राकेश सिंह (जबलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत ही गम्भीर विषय की तरफ आपका और सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अभी हाल ही में महात्मा गांधी पर 30 जनवरी, 2006 को देश के राष्ट्रीय चैनल डीडी–1 ने एक डाक्युमेंटरी प्रसारित की, जिसका नाम था, "गांधी जी हम शर्मिन्दा हैं"। यह अत्यन्त गम्भीर बात है कि इसमें राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को सीधे तौर पर गांधी जी का हत्यारा बताया गया है। जब गांधी जी की हत्या हुई थी तो पूरा देश इस घटना से दुखी था और आज भी दुखी है, इसमें कोई संदेह नहीं है लेकिन इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि उनकी हत्या के 58 वर्षों के बाद भी भ्रामक और तथ्यहीन बातें स्थापित करने का प्रयास किया जाए और देश को गुमराह किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक महत्वपूर्ण बात की तरफ सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि गांधी की हत्या के बाद माननीय पंजाब उच्च न्यायालय की तीन सदस्यीय पीठ का एक निर्णय आया था, जिसका निष्कर्ष यह है कि गांधी की हत्या हजारों लोगों द्वारा रचा गया कोई देशव्यापी षड़यंत्र नहीं था, बल्कि यह कुछ लोगों तक सीमित था और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का इससे कोई नाता नहीं था। यह उच्च न्यायालय का निर्णय है और उस निर्णय के उपरान्त इस तरह की टिप्पणी एक राष्ट्रीय चैनल पर आना न सिर्फ अनुचित है, बल्कि यह उच्च न्यायालय की अवमानना भी है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जस्टिस खोसला, जो पंजाब उच्च न्यायालय की तीन सदस्यीय पीठ के सदस्य थे, उन्होंने अपनी पुस्तक "मर्डर ऑफ महात्मा एंड केसिज फ्रॉम जजेज नोट बुक" में इस बात का उल्लेख किया है कि गांधी जी की हत्या में संघ की कोई भूमिका नहीं थी। इतना ही नहीं इसके 19 वर्षों के बाद लगातार कई बार राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को कटघरे में... *(व्यवधान)*

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकांठा) : यह असत्य बोल रहे हैं, सदन को गुमराह कर रहे हैं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित न किया जाए। श्री राकेश सिंह के भाषण के अलावा और कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आप क्या कर रहे हैं? कृपया बैठ जाइए।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री राकेश सिंह : इन जैसे लोगों के कारण ही बार-बार देश में भ्रम का वातावरण बनता है। मैं कहना चाहता हूं ये देश को गुमराह कर रहे हैं।...*(व्यवधान)* इसलिए इस बात को सदन में नहीं आने देना चाहते हैं। 19 वर्षों तक...*(व्यवधान)* आप लोगों ने ही पूरे देश को गुमराह किया है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप क्या कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

श्री राकेश सिंह : अभी आप आगे सुनिए, जो मैं कहना चाहता हूं। आप लोगों ने पूरे देश को गुमराह किया है। 19 वर्षों के पश्चात् कई बार कटघरे में खड़ा करने का प्रयास हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप समाप्त कीजिए।

श्री राकेश सिंह : मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी डिमांड क्या है?

श्री राकेश सिंह : उसके माननीय न्यायमूर्ति श्री कपूर की अध्यक्षता में कपूर आयोग का गठन किया गया था।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आपका रिकार्ड में कुछ नहीं आ रहा है।

...(व्यवधान)

श्री राकेश सिंह : कपूर आयोग ने 101 साक्ष्यों के बयान दर्ज किए तथा 407 दस्तावेजी सबूतों की छानबीन कर 1969 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। उन्होंने जो कहा था, वह मैं आपको बताना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : राकेश सिंह जी, आप क्या चाहते हैं, डिमांड क्या कर रहे हैं, वह आप बताएं?

...(व्यवधान)

श्री राकेश सिंह : महोदय, मैं अपनी पूरी बात कहना चाहता हूं। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि यह साबित नहीं हुआ है कि वे, अर्थात अपराधीगण संघ के सदस्य थे। वे संघ की गतिविधियों से संतुष्ट नहीं थे। संघ के खेलकूद, शारीरिक व्यायाम आदि को वे व्यर्थ मानते थे। वे अधिक उग्र और हिंसक गतिविधियों में विश्वास रखते थे। यह कपूर आयोग की रिपोर्ट खंड 1, पृष्ठ 165 में कहा गया है। उसके बाद कपूर आयोग के खंड 1, पृष्ठ 186 में जो उल्लेख है,...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, यह सही नहीं है। कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री मधुसूदन मिस्त्री : महोदय, यह कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री राकेश सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अंतिम बात कह कर अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। इससे साबित होता है कि इस आयोग ने भी यह मान लिया कि गांधी जी की हत्या में कहीं भी संघ का कोई हाथ नहीं था।

महोदय, इस तरह की बातें बार-बार करना यह साबित करता है कि यह साजिश है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : मिस्त्री जी, आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री राकेश सिंह : महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि इसके पीछे जो भी लोग हैं, उन्हें केन्द्र सरकार सामने लाए। इसमें जो मंत्री या अधिकारी शामिल हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए।...*(व्यवधान)* यह न सिर्फ देश को गुमराह करना है, बल्कि न्यायालय की अवमानना भी है। धन्यवाद।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अगले वक्ता श्री गणेश सिंह हैं। श्री सिंह, कृपया एक मिनट में अपनी बात समाप्त करने की कोशिश करें।

[हिन्दी]

श्री गणेश सिंह (सतना) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जिस विषय को रखना चाहता हूं, उस विषय पर सुबह काफी बातचीत हुई है, फिर भी मैं इस विषय को इस समय यहां उठाना चाहता हूं। डेनमार्क के एक समाचार पत्र में एक धर्म की आस्था के प्रतीक, के विरुद्ध आपत्तिजनक कार्टून छपने के विरोध में लखनऊ में हुए उग्र प्रदर्शन ने सारी मर्यादाओं को ही तोड़ डाला। इतना ही नहीं, भाजपा के कार्यालय में तोड़-फोड़ की गई तथा वहां बम फोड़ा गया, ऐसा क्यों किया गया?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री विजय हान्डिक : महोदय, मंत्री महोदय ने इस विषय पर पहले ही सभा में उत्तर दे दिया है।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : इस पर सुबह रिप्लाई हो चुका है।

श्री गणेश सिंह : गुस्सा डेनमार्क पर ईरान के मसले में अमेरिका तथा वर्तमान यूपीए सरकार पर था और दफ्तर भाजपा का जलाया जाए, यह बहुत आपत्तिजनक बात है। इससे साफ जाहिर है कि एक धर्म विशेष के लोग भाजपा के विरुद्ध षड़यंत्र कर रहे हैं।... *(व्यवधान)* यह घटना अकेले एक जगह नहीं हुई, बल्कि देश के अन्य कई राज्यों में, उनकी धार्मिक राजधानियों में हुई है।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि देश को ऐसे उग्र प्रदर्शन से खतरनाक संदेश मिल रहे हैं। मेरा मानना है कि इसी तरह एक अन्य प्रकरण भी हुआ है जिसमें भारत माता के चित्र को बड़ी अश्लीलता के साथ कार्टून बनाकर प्रदर्शित किया गया,...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : यह आ चुका है।

श्री गणेश सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा इसमें निवेदन है, मैं इसमें कुछ दूसरी बात कह रहा हूं, बल्कि ऐसे जो धार्मिक आस्था के प्रतीक हैं—चाहे वे किसी भी धर्म के हों, अगर उनके बारे में कोई भी इस तरह के चित्र बना कर भावनाओं का भड़काने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे मामलों में देश को तथा केन्द्र की सरकार को चिन्ता करनी चाहिए।...*(व्यवधान)* कोई बड़ी अनहोनी न होने पाए, इसलिए यह चिन्ता का विषय है।...*(व्यवधान)* मेरी मांग है कि उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाए और इस पूरे मामले की सीबीआई से जांच होनी चाहिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य—उपस्थित नहीं।

श्री वरकला राधाकृष्णन—उपस्थित नहीं।

श्री प्रसन्न आचार्य।

श्री प्रसन्न आचार्य (सम्बलपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भारत सरकार द्वारा 21 बड़े मुद्रणालय चलाए जा रहे है उनमें से एक भुवनेश्वर, उड़ीसा में स्थित है। पिछले वर्ष में यानी 1 फरवरी को केन्द्रीय मंत्रिमण्डल ने 21 मुद्रणालयों में से तीन मुद्रणालय नामतः भुवनेश्वर, बंगलौर और चंडीगढ़ का निजीकरण करने का निर्णय लिया था।

ये सभी तीनों मुद्रणालय 1973 में स्थापित किए गए थे। पश्चिमी जर्मनी ने इन मुद्रणालय को यूनीसेफ कार्यक्रम के अन्तर्गत उपहारस्वरूप दिया था। भुवनेश्वर मुद्रणालय तब से कम कर्मचारियों, कम निवेश के साथ और आधुनिक मशीनरी के बिना लाभार्जित कर रहा है। किन्तु आश्चर्य की बात है कि कोलकाता और आसनसोल जैसे मुद्रणालय घाटे में चल रहे हैं। कुछ वर्ष पूर्व उन मुद्रणालयों में कुछ और निवेश किया गया था परन्तु आज भी वे मुद्रणालय घाटे में चल रहे हैं।

नियंत्रक और महालेखापरीक्षक ने भी इस बात का उल्लेख

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

किया है और इसकी आलोचना की परन्तु आश्चर्य की बात है कि घाटे में चलने वाले मुद्रणालयों का निजीकरण करने के बजाय भारत सरकार ने 1 फरवरी को भुवनेश्वर सहित लाभार्जित करने वाले मुद्रणालयों को बेचने का निर्णय लिया है। मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूं। उड़ीसा सरकार ने उन मुद्रणालयों के लिए उस समय 100 एकड़ से अधिक भूमि दी थी। यह कम कर्मचारियों के साथ लाभार्जित कर रही है। उन मुद्रणालयों में और निवेश की आवश्यकता नहीं है परन्तु भारत सरकार ने घाटे में चल रहे मुद्रणालयों के बजाय लाभार्जित करने वाले मुद्रणालयों को बेचने का निर्णय लिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी मांग क्या है?

श्री प्रसन्न आचार्य : मैं इसका औचित्य नहीं समझ पा रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी मांग क्या है?

श्री प्रसन्न आचार्य : मेरी मांग है कि सरकार को इस संबंध में अपना निर्णय बदलना चाहिए और लाभार्जित करने वाले मुद्रणालयों को बेचने के बजाय उन्हें आधुनिक बनाने के लिए उनमें कुछ और निवेश किया जाना चाहिए। लाभार्जित करने वाले मुद्रणालयों को बेचने के बजाय सरकार को घाटे में चलने वाले मुद्रणालयों को बेचना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : उपाध्यक्ष जी, मैं जनहित के कार्य के लिए यह प्रश्न उठा रहा हूं। राजस्थान में जिन-जिन शहरों में यातायात की समस्या का समाधान करने के लिए बाईपास बनाने की योजना भारत सरकार केन्द्रीय कार्यालय में विचाराधीन है, उन योजनाओं को क्लीयर किया जाए। इसी प्रकार की योजना जयपुर शहर में यातायात की समस्या का समाधान करने के लिए पूर्व की दिशा में एक बाईपास बनाने के लिए विचाराधीन है। पश्चिम की तरफ एक बाईपास सीकर रोड के लिए बना दिया गया है, जिस तरह जयपुर-बीकानेर सड़क के लिए उपमार्ग का निर्माण कर दिया गया है एवं उसका विस्तार कर इसे जयपुर-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग से भी जोड़ा जा रहा है। परन्तु अजमेर-आगरा सड़क (एनएच-8) से जयुपर-टोंक रोड (एनएच-12), टोंक-जयपुर (एनएच-12) से जयपुर-आगरा (एनएच-11) एवं आगरा-जयपुर (एनएच-11) से जयपुर-दिल्ली (एनएच-8) को जोड़ते हुए उपमार्गों के निर्माण हेतु अभी तक केन्द्र सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की है। जिस स्थान पर बाईपास बनाया जाना है, उसके लिए किसानों की भूमि अवाप्त की जाएगी। मेरा अनुरोध है कि जिस स्थान पर खाली भूमि पड़ी हुई है, जहां किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया हुआ है और किसानों के काम नहीं आ रही है, उस ओर ही बाईपास का निर्माण कर यातायात की समस्या का समाधान कराया जाना चाहिए और जो किसान अपनी भूमि स्वेच्छा से देना चाहे, उसकी भूमि का उसे पूरा मुआवजा अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराकर दिया जाए।

उपाध्यक्ष जी, इसलिए मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि जयपुर शहर के पूर्वी साइड में बाईपास निर्माण की स्वीकृति दे और राजस्थान के अन्य शहरों में जो बाईपास बनाने का प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास विचाराधीन है, उसकी भी स्वीकृति धनराशि के साथ दे। इससे जयपुर में यातायात की जो भयंकर समस्या है, उसमें भी सुधार हो सकेगा।

उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने के लिए अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत बधाई।

[अनुवाद]

श्री मंजुनाथ कुन्नुर (धारवाड़ दक्षिण) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं संचार मंत्री को यह बताना चाहता हूं विशेष रूप से बंगलौर और आम तौर पर कर्नाटक में बीएसएनएल की सेवाएं बहुत खराब हैं। जब मैं एक सप्ताह के लिए बंगलौर में था तो मेरे पास लोगों की बहुत शिकायतें आ गईं कि बीएसएनएल सेवाएं ठीक से नहीं मिल रही हैं और यदि मिल भी जाती हैं तो ये सेवाएं इतनी खराब हैं कि लोग इन सेवाओं से परेशान हो गए हैं। निजी नेटवर्क सेवाएं भरोसेमंद नहीं हैं। बंगलौर महानगर में डेढ़ लाख से अधिक लोगों के पास बीएसएनएल के कनेक्शन हैं और वे बीएसएनएल की सेवाओं से संतुष्ट नहीं हैं। इसलिए आपके माध्यम से मेरा माननीय मंत्री से अनुरोध है कि गरीब लोगों की परेशानियों को दूर करें जो कि अधिकतर बीएसएनएल नेटवर्क पर निर्भर हैं। बीएसएनएल नेटवर्क देश के अन्य महानगरों में अच्छा माना जाता है। इसलिए इसमें सुधार करने की कृपा करें।

[हिन्दी]

सायं 7.00 बजे

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उदयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बहुत महत्वपूर्ण विषय की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। हमारे यहां मोटर व्हीकल्स एक्ट के तहत उच्चतम न्यायालय ने 1 जनवरी, 2006 को आदेश निकाला

जिसके तहत ट्रकों में 9 टन और टर्बो में 16 टन से अधिक लोड नहीं ले जा सकते। इससे हर ट्रक में 40 प्रतिशत लोडिंग कम हो गई है। इससे आम व्यक्ति के ऊपर ही महंगाई का भार पड़ा है, क्योंकि चाहे बिल्डिंग मैटीरियल हो या खाद्य पदार्थ हों, सबके दाम बढ़ रहे हैं। मेरा निवेदन है कि मोटर व्हीकल्स एक्ट को आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो इसमें संशोधन करना बहुत जरूरी है। आज अगर हम कहें कि ट्रक में 9 टन माल ही जाएगा और टर्बो में 16 टन ही जाएगा तो यह उचित नहीं होगा क्योंकि आज सड़कों का इन्फ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है और जिस तरह से गोल्डन क्वाड्रिलेट्रल योजना बनी है तथा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बनी है, उसके तहत सड़कों की स्थिति में काफी सुधार आया है। इसके साथ-साथ ट्रकों की टैक्निकल कैपेसिटी में भी बहुत सुधार हुआ है। अतः हम 40 साल पहले के एक्ट को लेकर कहें कि उतनी ही लोडिंग होनी चाहिए तो वह ठीक नहीं है। हमारी जो इकोनॉमी है, उस पर इससे भारी असर पड़ रहा है। मैं जिस क्षेत्र से आती हूं, उदयपुर राजस्थान का वह क्षेत्र है जहां मार्बल की मंडी है। उदयपुर, राजसमंद और किशनगढ़ ऐसे क्षेत्र हैं जहां से मार्बल एक्सपोर्ट होता है। यह हमारे देश के लिए गौरव की बात है कि इटली के मार्बल के कंपीटीशन में हमारा मार्बल जा रहा है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि एक तरफ 9 टन की भार सीमा ट्रक के लिए और 16 टन की भार सीमा टर्बो के लिए लगाई गई है जबकि एक्सपोर्ट क्वालिटी के मार्बल ब्लाक्स कम से कम 20-25 टन के होते हैं। ऐसी स्थिति में हम उनको तोड़कर ट्रक में नहीं रख सकते हैं और पूरे ब्लाक्स जब रखते हैं तो कहा जाता है कि यह ओवरलोडिंग का मामला है। इस मोटर व्हीकल्स एक्ट में मार्बल के लिए कहीं न कहीं छूट होनी चाहिए ताकि जो मार्बल एक्सपोर्ट हो रहा है, उसमें रुकावट न आए और हमारे राजस्व में भी कमी न हो। सरकार को चाहिए कि मार्बल ब्लाक्स के लिए इस एक्ट में कोई छूट दें।

उपाध्यक्ष महोदय : इससे टैक्स भी बार-बार देना पड़ता है।

श्रीमती किरण माहेश्वरी : मेरा कहना है कि चाहे आप इस पर रोड टैक्स लगा दें कि जो जितना ज्यादा माल ज्यादा लोड करेगा, उसको उतना ही ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा--ऐसा कर दें तो ठीक है, लेकिन लोडिंग 9 टन ही की जाए, वह ठीक नहीं है। इसमें एक बात विशेष रूप से यह हो रही है कि जहां माल ज्यादा लोड किया पाया जाता है, उसको अनलोड कर देते हैं। यह बहुत इंप्रैक्टिकल हो जाता है क्योंकि सड़कों पर ही मार्बल ब्लाक्स को अनलोड कर दिया जाता है। उनके पास कोई सुविधा भी नहीं है कि जहां अनलोड किए गए माल को सुरक्षित रखा जाए। यह बहुत इंप्रैक्टिकल बात है। इससे देश में महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। ऐसी स्थिति में सरकार को चाहिए कि इस एक्ट में शीघ्र संशोधन करके मार्बल उद्योग के साथ न्याय किया जाए। मैं ऐसी अपेक्षा रखती हूं कि निश्चित रूप से इस पर कोई न कोई कार्रवाई सरकार के द्वारा होगी।

[अनुवाद]

श्री जी. करुणाकर रेड्डी (बेल्लारी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कर्नाटक में केन्द्रीय विद्यालय, बेल्लारी के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूं।

केन्द्रीय विद्यालय, बेल्लारी का वर्ष 2003 में उन्नयन करके तीन सेक्शन विद्यालय में परिवर्तित किया गया था। तदनुसार, केन्द्रीय विद्यालय, बेल्लारी में प्रवेश पाने के इच्छुक छात्रों की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। तथापि, शिक्षकों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई है। इसके परिणामस्वरूप केन्द्रीय विद्यालय, बेल्लारी में शिक्षकों के बहुत से पद रिक्त हैं। इसके अतिरिक्त नवीनतम कर्मचारी स्वीकृति आदेश के अनुसार आने वाले शैक्षिक वर्ष 2006-07 के लिए एक अन्य प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (टीजीटी) गणित की आवश्यकता है। स्थानीय रूप से ठेके के आधार पर कोई शिक्षक उपलब्ध नहीं है। इन रिक्त पदों को तत्काल भरे जाने की आवश्यकता है जिससे कि शिक्षकों की कमी के कारण शिक्षण के कार्य पर विपरीत प्रभाव न पड़े।

चूंकि इस विद्यालय के छात्रों के सम्मुख यह एक बड़ी समस्या है अतः मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह केन्द्रीय विद्यालय, बेल्लारी, कर्नाटक में नियमित शिक्षकों की रिक्तियों को भरने हेतु तत्काल कदम उठाए।

[हिन्दी]

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' (अल्मोड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं कल ही अपने क्षेत्र का दौरा करके आया हूं। उत्तरांचल के पर्वतीय क्षेत्रों में सिंचाई के साधन नहीं हैं और वर्षा के जल स्रोतों पर ही वहां की खेती निर्भर करती है। सितम्बर 2005 से 21 फरवरी तक वहां कोई वर्षा नहीं हुई। इससे पेयजल के स्रोत सूख गए हैं और सिंचाई के साधन नहीं बचे। दिसम्बर और जनवरी की बरसात भी नहीं होने से सारी फसल समाप्त हो गई है। पशुओं के लिए चारा उपलब्ध नहीं है और पेयजल भी वर्षा पर निर्भर होने के

कारण उपलब्ध नहीं है। पहले ही लोग महंगाई से त्रस्त हैं। सूखा राहत का कार्यक्रम सर्वे कराने के बाद तत्काल शुरू नहीं किया गया है। लोगों के लिए सूखा राहत, पेयजल और पशुओं के लिए चारे की तीनों व्यवस्थाओं का सरकार से आग्रह करने के बावजूद न सर्वेक्षण हुआ और न उस दिशा में सरकार की कोई नीति बनी। मेरा इतना कहना है कि "औसत पूरा ज्यों का त्यों, फिर भी कुनबा डूबा क्यों"—वही परिस्थिति बन रही है। चारों तरफ सैंसेक्स बढ़ रहा है, लेकिन हमारे यहां सूखे से, महंगाई से, पेयजल की कमी से, पशुओं के चारे की कमी से लोग त्रस्त हैं। मेरी सरकार से मांग है कि तत्काल इसका संज्ञान ले और पूरे पर्वतीय क्षेत्रों का, उत्तरांचल तथा इससे लगा हुआ हिमालय का जो दूसरा क्षेत्र है, उनकी ओर ध्यान दे।

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं। मैं आपका ध्यान बिहार में बीएसएनएल की स्थिति की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। जैसा अभी माननीय सदस्य ने चर्चा की, मैं उस संदर्भ में आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। बिहार में बीएसएनएल बिलकुल ठप्प पड़ी हुई है। खास तौर से उसका जो सेलवन सिस्टम है, वह काम ही नहीं करता है। आप एक बार नहीं बीस बार प्रयास करें, परन्तु आपका नम्बर नहीं लगता है। मैं समझता हूं कि हमारा संसदीय क्षेत्र पटना ही नहीं, पूरे बिहार में और जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा पूरे देश में इसकी व्यवस्था कुछ गड़बड़ा गई है। हमें समझ नहीं आता कि क्या वजह है कि बीएसएनएल का मोबाइल काम नहीं करता है, मगर वहीं प्राइवेट मोबाइल काम कर रहे हैं, जबकि बीएसएनएल वाले प्राइवेट कम्पनी को लाइसेंस देते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप क्या चाहते हैं, वह बताइए।

श्री राम कृपाल यादव : सरकार यहां बैठी है और सुन भी रही होगी। मैंने व्यक्तिगत रूप से माननीय मंत्री जी से निवेदन किया था, माननीय राज्य मंत्री हमारे राज्य से हैं, उनका ध्यान आकर्षित किया था कि लोगों की समस्याओं का समाधान हो। अभी भी सबसे पहले लोग बीएसएनएल के मोबाइल को प्राथमिकता देते हैं, सेलवन को प्राथमिकता देते हैं, अगर बीएसएनएल का यही रवैया रहा तो लोग बीएसएनएल का फोन वापिस कर देंगे। बिहार में, पटना में वह फोन वापिस करके प्राइवेट मोबाइल ले रहे हैं, चाहे एयरटेल का मोबाइल हो, रिलायंस का मोबाइल हो, या दूसरी कंपनियों का हो। आज मोबाइल फोन में प्रतियोगिता बढ़ गई है। वास्तव में इससे क्षति तो सरकार की हो रही है। मोबाइल के बिल नियमित रूप से नहीं आते हैं और आते भी हैं तो अनाप–शनाप बिल आते हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि जनता की समस्या को देखते हुए पटना सहित बिहार सहित देश के अन्य भागों में बीएसएनएल की और मोबाइल सेलवन की दुर्दशा हो गई है, उसे ठीक करके लोगों को राहत पहुंचाई जाए। माननीय संसदीय कार्य मंत्री महोदय यहां बैठे हैं। मुझे लगता है कि वे हमारी बात का संज्ञान नहीं ले पाए हैं। हम जनता की कितनी बड़ी समस्या को उठा रहे हैं और मंत्री जी का हमारी बातों की तरफ ध्यान ही नहीं जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री जी आपकी बात सुन रहे हैं।

श्री राम कृपाल यादव : महोदय, आप भी सेलवन इस्तेमाल करते होंगे। आम तौर पर कई माननीय सदस्य सेलवन मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि मंत्री जी हमें संरक्षण दें और सरकार को निर्देश दें कि यथाशीघ्र कार्यवाही करे और पटना, बिहार सहित देश में बीएसएनएल सेलवन की दुर्दशा है, उसे ठीक कराएं, ताकि लोगों को राहत मिल सके।

[अनुवाद]

डा. के. एस. मनोज (अलेप्पी) : महोदय, सुनामी ने जीवन, संपत्ति, पर्यावरणीय हानि, मत्स्यकी में परिवर्तन और इससे संबंधित अन्य परिवर्तनों के रूप में भारी हानि पहुंचाई है। महोदय, इस परिप्रेक्ष्य में मैं आपका ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि सुनामी से प्रभावित बहुत से देशों ने 'प्रभाव आकलन अध्ययन' कराए हैं जिससे कि वे सामाजिक–आर्थिक, भूवैज्ञानिक, पर्यावरण और मत्स्यकी संबंधी परिवर्तनों का पता लगाया जा सके। केरल में 'बैकवाटर्स' में मुछआरे बहुत कड़ा विरोध कर रहे हैं और यह मांग कर रहे हैं कि सुनामी के कारण मत्स्यकी में आए परिवर्तनों को समझने के लिए इस प्रकार के पर्यावरणीय अध्ययन कराए जाएं।

मीडिया में ऐसे समाचार भी आए हैं जिनमें मछलियों की विभिन्न प्रजातियों जैसे 'पफर फिश' की आदतों में बदलाव आया है जिससे मछली पकड़ने के 'गियर' को क्षति पहुंचती है। मैं सुनामी के बाद किए गए अध्ययन या अनुसंधान, जो कि केरल में आंतरिक क्षेत्र में, विशेषकर सेन्ट्रल इनलैंड फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसका अलाप्पुजा में एक केन्द्र भी है, द्वारा कराए गए अध्ययनों के बारे में जानना चाहता हूं। इस परिप्रेक्ष्य में, मुझे यह जानकर बहुत निराशा हुई कि केरल के 'बैकवाटर्स' और आंतरिक क्षेत्र में सुनामी के बाद आए पर्यावरणीय और मत्स्य संसाधनों का आकलन करने हेतु कोई गंभीर अनुसंधान कार्यक्रम नहीं चलाया गया है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप इस संबंध में क्या चाहते हैं?

डा. के. एस. मनोज : केरल में आईसीएआर की एकमात्र इनलैंड फिदारी रिसर्च यूनिट को बंद करके इसे बंगलौर स्थानान्तरित किया जा रहा है। मैं सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि वह अन्तर्देशीय मछली पकड़ने के केन्द्रों पर सुनामी के प्रभाव के बारे में नए अध्ययन कराए जाने हेतु अलाप्पुजा स्थित आईसीएआर की सीआईएफआरआई यूनिट को जारी रखने और सुदृढ़ बनाने हेतु वहां उपकरण और कर्मचारी उपलब्ध कराए।

उपाध्यक्ष महोदय : श्रीमती पी. सतीदेवी—उपस्थित नहीं।

श्रीमती सी. एस. सुजाता—उपस्थित नहीं।

[हिन्दी]

डा. करण सिंह यादव (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को उच्च शिक्षा हेतु दी जाने वाली पोस्ट–मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए राजस्थान सरकार को बहुत कम धनराशि आवंटित की गई है।

महोदय, राजस्थान 18 प्रतिशत अनुसूचित जाति, 16 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति एवं लगभग 52 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या वाला क्षेत्र है। वहां के इन वर्गों के कालेज, विश्वविद्यालय, मेडिकल एवं इंजीनियरिंग संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों को बार–बार राजस्थान सरकार के दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं। आक्रोशित छात्रों ने गत दिनों भी समाज कल्याण विभाग का घेराव किया और अपना उग्र विरोध दर्ज किया।

महोदय, राजस्थान ने केन्द्र सरकार से इस हेतु 90 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित करने का अनुरोध किया था, लेकिन केन्द्र सरकार की ओर से केवल 30 करोड़ रुपर्य ही आवंटित किए गए हैं। शेड्यूल्ड कास्ट्स के लिए राज्य सरकार ने 23 करोड़ रुपये की मांग की थी, उसे केवल 6 करोड़ रुपये दिए गए हैं। इसी प्रकार शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए 26 करोड़ रुपये की मांग की थी और केवल 9 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों हेतु 52 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित करने की प्रार्थना की थी, किन्तु इन वर्गों हेतु केवल 2.35 करोड़ रुपये की धनराशि ही प्रदान की गई है।

महोदय, पूर्व में यह छात्रवृत्ति जहां होस्टल में रहने वाले छात्रों को दी जाती थी, वहां अब यह केवल राजकीय संस्थानों के छात्रों को दी जाती है। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को स्कालरशिप नहीं मिलने के कारण वे अपनी फीस भरने की स्थिति में नहीं हैं और संस्थान बिना फीस भरे उन्हें परीक्षाएं देने से रोक रहे हैं। इसलिए मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री से अनुरोध है कि वे पोस्ट–मैट्रिक छात्रवृत्ति दिए जाने की जांच कराएं। इसके आवंटन के कोई नियम नहीं हैं। मेरा आग्रह है कि स्पष्ट नियम बनाए जाएं जिससे एससी, एसटी और ओबीसी वर्गों को समय पर छात्रवृत्ति मिल सके।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री दुष्यन्त सिंह—उपस्थित नहीं।

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि महाराष्ट्र के नन्दुरबार जिले में ननावा तहसील है जहां से श्री माणिकराव होडल्या गावित जी, भारत सरकार में गृह राज्य मंत्री हैं। उनका भी वही लोक सभा का क्षेत्र है। वहां 9 लाख से भी अधिक पाल्ट्री बर्ड का नुकसान हुआ है। कल जब हमारे कृषि मंत्री श्री शरद पवार जी सदन में आश्वासन दे रहे थे, तब उन्होंने कहा कि भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार की ओर से 50–50 प्रतिशत के आधार पर प्रति बर्ड 40 रुपये की क्षतिपूर्ति की जाएगी। मेरी मांग है कि यह बीमारी कहां से और कैसे फैली, क्या खाने की चीजों में गड़बड़ी की वजह से फैली, इसकी जांच होनी चाहिए। मैं मांग करता हूं कि 40 रुपये प्रति बर्ड क्षतिपूर्ति कम है। इसलिए 60 रुपये प्रति बर्ड क्षतिपूर्ति दी जाए। हमारी सिर्फ यही मांग है।

[अनुवाद]

***श्री एस. मल्लिकार्जुनैया** : उपाध्यक्ष महोदय, कस्तूर, दुलिपुर दुर्गा, हेब्बुर, नागावल्ली, होनुडुक क्रॉस, गुलुर होते हुए मादुर और तुमकुर के बीच तत्काल एक नई रेल लाइन बिछाई जानी चाहिए क्योंकि इस मार्ग पर यातायात नियंत्रण से बाहर होता जा रहा है। भारी सड़क यातायात के कारण यदा–कदा अधिक दुर्घटनाएं हो रही हैं। इस पूरे क्षेत्र के लोग लम्बे समय से इस नई रेल लाइन की मांग कर रहे हैं। शीरा, हिसयूर, दावनगेरे और चित्रदुर्ग की ओर यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए यह रेल लाइन अधिक सुविधाजनक होगी। इस सीधे मार्ग से यात्रियों के समय और धन की बचत होगी। इस नई रेल लाइन से इस पूरे क्षेत्र के व्यवसाय में वृद्धि होने में सहायता मिलेगी।

मैं बार–बार यह मांग करता रहा हूं और केन्द्र सरकार से इस नई रेल लाइन का निर्माण कार्य आरम्भ करने का अनुरोध

*मूलतः कन्नड़ में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

करता हूं। वस्तुतः इस सभा के माननीय सदस्य श्री सुदेश्वारा और श्री हनुमनथप्पा, जो दावणगेरे और चित्रदुर्ग निर्वाचन क्षेत्रों से संसद सदस्य रहे हैं, पहले भी यह मांग कर चुके हैं। इस क्षेत्र के लोग माननीय रेल मंत्री श्री लालू प्रसाद यादव से लम्बे समय से लंबित इस रेल लाइन के निर्माण कार्य को हरी झंडी दिखाए जाने की आशा करते हैं।

मुझे आशा है कि केन्द्र हमारी इस मांग पर सकारात्मक रवैया अपनाएगा और उक्त रेल लाइन का निर्माण कार्य आरंभ करेगा। महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं और इन्हीं शब्दों के साथ अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी—उपस्थित नहीं।

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : माननीय उपाध्यक्ष जी, जैसा कि सर्वविदित है कि इस वक्त चाहे प्राइमरी हो, चाहे जूनियर हो, उच्च शिक्षा तक एडमीशन के लिए तमाम सिफारिशें आ रही हैं। मेरे ख्याल से पक्ष–विपक्ष के सभी सम्मानित सदस्यों के पास सिफारिशें आ रही हैं। केन्द्र सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सम्मानित सदस्यों का साल में केवल दो एडमीशन के लिए कोटा फिक्स किया है। हम लोगों का निर्वाचन क्षेत्र बहुत बड़ा है, उसमें कम से कम 15–16 लाख की आबादी है और एडमीशन का बहुत ज्यादा प्रैशर है, इसलिए या तो उसको समाप्त कर दिया जाए या उसको बढ़ाया जाए। मेरे ख्याल से सभी सम्मानित सदस्य इसके लिए समर्थन करेंगे।...*(व्यवधान)* माननीय मंत्री जी, यह बड़ा गम्भीर मामला है, इसको नोट किया जाए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इससे सहमत हूं।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार : आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि हम लोगों को कहें कि या तो इसे समाप्त कर दें या इस बढ़ाएं। खासकर मैं एक मांग करता हूं कि जो सरकारी इंस्टीट्यूशंस हैं या उच्च शिक्षा के इन्टर कालेज हैं, डिग्री कालेज हैं, कम से कम उनमें तो सम्मानित सदस्यों को मौका मिले कि उनकी सिफारिशों पर एडमीशन हो। हम लोग गलत सिफारिश नहीं करेंगे कि जिसकी मैरिट न हो, उसका समर्थन करें। बहुत से ऐसे छात्र हैं, जिनके मैरिट से बहुत ज्यादा अंक हैं, लेकिन वे नहीं आ पाते तो कम से कम उनका प्रवेश किया जाए। धन्यवाद।... *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : इसमें अगर कान्वेंट स्कूल भी शामिल कर लें तो बहुत अच्छा है।

श्री राम कृपाल यादव : मंत्री जी को इसकी सूचना ग्रहण करनी चाहिए। इसके कारण हम लोगों को बहुत परेशानी होती है।... *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मिनिस्टर साहब सब सुन रहे हैं।

श्री शैलेन्द्र कुमार : या तो दो का कोटा समाप्त कर दिया जाए, नहीं तो बढ़ाया जाए।

[अनुवाद]

श्री विजय हान्डिक : महोदय, मैं इसे मानव संसाधन विकास मंत्री जी के ध्यान में लाऊंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के बारे में कल भी यह चर्चा जारी रहेगी।

अब, यह सभा 22 फरवरी, 2006 को पूर्वाह्न 11.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

सायं 7.19 बजे

तत्पश्चात लोक सभा बुधवार, 22 फरवरी, 2006/ 3 फाल्गुन, 1927 (शक) तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य–वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्नों की संख्या
1	2	3
1.	श्री सज्जन कुमार श्री सुग्रीव सिंह	42
2.	श्री आनंदराव विठोबा अडसूल श्री अनंत गुढे	43
3.	प्रो. महादेव शिवनकर श्री शिशुपाल पटले	44
4.	श्री संतोष गंगवार श्री विजय कृष्ण	45
5.	श्री वी. के. दुग्गर श्री रायापति सांबासिवा राव	46
6.	प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा श्री श्रीपाद येसो नाईक	47
7.	श्री संजय धोत्रे श्री जोवाकिम बखला	48
8.	डा. रतन सिंह अजनाला सरदार सुखदेव सिंह लिब्रा	49
9.	श्री डी. विट्टल राव	50
10.	श्री सी. के. चन्द्रप्पन श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी	51
11.	श्री किसनभाई वी. पटेल श्री अनन्त नायक	52
12.	श्री ए. वी. बेल्लारमिन श्री एम. अप्पादुरई	53
13.	श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी	54
14.	श्री बची सिंह रावत 'बचदा' श्रीमती ज्योतिर्मयी सिकदर	55
15.	श्री ब्रजेश पाठक	56
16.	डा. अरुण कुमार शर्मा	57
17.	श्री प्रबोध पाण्डा श्री रूपचन्द मुर्मू	58
18.	डा. एम. जगन्नाथ	59
19.	श्री मोहन सिंह	60
20.	श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील श्री प्रमुनाथ सिंह	61

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य–वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्नों की संख्या
1	2	3
1.	अतिथन, श्री धनुषकोडी आर.	252, 330, 351, 363, 370
2.	आचार्य, श्री वसुदेव	256, 305
3.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	300, 340, 356, 366
4.	अजनाला, डा. रत्न सिंह	341
5.	अप्पादुरई, श्री एम.	303, 325, 349
6.	अर्गल, श्री अशोक	243
7.	आठवले, श्री रामदास	283, 330, 331
8.	'बाबा', श्री के. सी. सिंह	342
9.	'बचदा', श्री बची सिंह रावत	341
10.	बारड़, श्री जसुभाई धानाभाई	241, 260, 294, 336, 362
11.	बर्मन, श्री रनेन	320
12.	भक्त, श्री मनोरंजन	290
13.	बोस, श्री सुब्रत	242, 255, 310, 327
14.	चक्रवर्ती, श्री अजय	170, 341
15.	चन्द्रप्पन, श्री सी. के.	306

1	2	3
16.	चौरे, श्री बापू हरी	305, 343
17.	चावड़ा, श्री हरिसिंह	302, 320
18.	चिन्ता मोहन, डा.	258, 301
19.	चौधरी, श्री अधीर	239, 249, 301, 341
20.	दासगुप्त, श्री गुरूदास	274
21.	देवरा, श्री मिलिन्द	310
22.	देशमुख, श्री सुभाष सुरेशचंद्र	270
23.	धनराजू, डा. के.	254
24.	ढींडसा, श्री सुखदेव सिंह	341
25.	धोत्रे, श्री संजय	305, 343
26.	गदाख, श्री तुकाराम गंगाधर	358
27.	गढ़वी, श्री पी. एस.	356
28.	गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव	252, 260, 304, 321
29.	गांधी, श्रीमती मेनका	280, 328, 350, 364, 371
30.	गंगवार, श्री संतोष	299, 342, 358, 368
31.	गुढ़े, श्री अनंत	303
32.	हसन, श्री मुनव्वर	367
33.	जगन्नाथ, डा. एम.	315
34.	जटिया, डा. सत्यनारायण	275
35.	जोगी, श्री अजीत	255, 319
36.	जोशी, श्री प्रहलाद	248
37.	खैरे, श्री चंद्रकांत	237, 292, 335, 361, 369
38.	खंडेलवाल, श्री विजय कुमार	261, 318, 347
39.	खारवेनथन, श्री एस. के.	238, 293

1	2	3
40.	कौशल, श्री रघुवीर सिंह	329, 341
41.	कोया, डा. पी. पी.	285, 332, 352
42.	कृपलानी, श्री श्रीचन्द	267
43.	कुन्नुर, श्री मंजुनाथ	369
44.	'ललन', श्री राजीव रंजन सिंह	258, 341
45.	लिब्रा, सरदार सुखदेव सिंह	258, 341
46.	माडम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई	288
47.	महताब, श्री भर्तृहरि	284, 334
48.	महतो, श्री टेक लाल	276
49.	मल्होत्रा, प्रो. विजय कुमार	319, 342, 368
50.	मंडल, श्री सनत कुमार	250, 298, 361
51.	माने, श्रीमती निवेदिता	252, 260, 304, 321
52.	मनोज, डा. के. एस.	279
53.	मसूद, श्री रशीद	277, 341, 342
54.	मेघवाल, श्री कैलाश	234
55.	मेहता, श्री आलोक कुमार	254
56.	मैन्या, डा. टोकचोम	359
57.	मोहले, श्री पुन्नूलाल	272
58.	मोल्लाह, श्री हन्नान	264
59.	मुर्मू, श्री हेमलाल	258, 341, 367
60.	नरहिरे, श्रीमती कल्पना रमेश	263
61.	नायक, श्री अनन्त	297, 339, 355, 365
62.	निषाद, श्री महेन्द्र प्रसाद	341
63.	निखिल कुमार, श्री	239, 301
64.	ओवेसी, श्री असादूद्दीन	239, 252, 304, 341

1	2	3
65.	पाल, श्री रूपचंद	356
66.	पाण्डा, श्री प्रबोध	341
67.	पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण	301
68.	परस्ते, श्री दलपत सिंह	259, 301
69.	पटेल, श्री जीवाभाई ए.	273
70.	पटेल, श्री किशनभाई वी.	307, 309, 344, 345
71.	पाठक, श्री ब्रजेश	313
72.	पाटिल, श्री डी. बी.	281
73.	पाटील, श्री दानवे रावसाहेब	301
74.	पाटील, श्री श्रीनिवास दादासाहेब	144, 301
75.	पटले, श्री शिशुपाल	262, 299, 308, 329
76.	पिंगले, श्री देविदास	291
77.	प्रसाद, श्री हरिकेवल	358
78.	राणा, श्री काशीराम	273
79.	राव, श्री के. एस.	268
80.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	266, 296, 321, 373
81.	राव, श्री वी. विट्टल	289, 367
82.	रावत, श्री अशोक कुमार	262, 299, 301, 308, 320
83.	रेड्डी, श्री जी. करूणाकर	236, 310, 358, 372
84.	रेड्डी, श्री एम. राजा मोहन	345, 361
85.	रेड्डी श्री एन. जनार्दन	265
86.	रेड्डी, श्री सुरवरम सुधाकर	306, 341
87.	साई प्रताप, श्री ए.	278, 342
88.	शर्मा, डा. अरूण कुमार	314, 346, 360
89.	सरोज, श्री दरोगा प्रसाद	320

1	2	3
90.	सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव	257, 301, 317, 356, 358
91.	सेठी, श्री अर्जुन	282, 321
92.	शाहीन, श्री अब्दुल रशीद	235, 312
93.	शाक्य, श्री रघुराज सिंह	341
94.	शिवाजी, श्री अधलराव पाटील	240, 275
95.	शिबन्ना, श्री एम.	269, 322, 348
96.	शिवनकर, प्रो. महादेवराव	301, 341, 357, 367
97.	सिद्दीश्वर, श्री जी. एम.	179, 326
98.	सिकदर, श्रीमती ज्योतिर्मयी	321, 323
99.	सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी	320
100.	सिंह, श्री चन्द्रभूषण	251
101.	सिंह, श्री गणेश	260, 270
102.	सिंह, श्री कीर्ति वर्धन	252, 260, 304, 321
103.	सिंह, श्री मोहन	316, 359
104.	सिंह, श्री प्रभुनाथ	367
105.	सिंह, श्री रेवती रमन	287
106.	सिंह, श्री सुग्रीव	307, 344, 356, 359
107.	सिंह, श्री उदय	301, 341
108.	सुब्बा, श्री एम. के.	247, 338, 346, 354, 359
109.	सुगावनम, श्री ई. जी.	246, 295, 337, 361
110.	सुजाता, श्रीमती सी. एस.	367, 372
111.	सुमन, श्री रामजीलाल	258, 301
112.	ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.	356
113.	थामस, श्री पी. सी.	356, 372

1	2	3
114.	ठुम्मर, श्री वी. के.	302
115.	त्रिपाठी, श्री चन्द्र मणि	299
116.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	239, 300, 340, 356, 366
117.	वल्लभनेनी, श्री बालासोवरी	253, 311
118.	वर्मा, श्री रवि प्रकाश	286, 333, 353
119.	यादव, श्री कैलाश नाथ सिंह	245, 262, 308, 320, 341
120.	यादव, श्री राम कृपाल	320
121.	येरननायडु, श्री किन्जरपु	271, 324, 367

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय–वार अनुक्रमणिका

कृषि एवं ग्रमीण उद्योग	48
वाणिज्य और उद्योग	42, 43, 54
उत्तर–पूर्व क्षेत्र विकास	60
गृह	44, 45, 47, 49, 52, 53
मानव संसाधन विकास	46, 50, 51, 59, 61
खान	56
लघु उद्योग	
जनजातीय कार्य	57
महिला और बाल विकास	55, 58

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय–वार अनुक्रमणिका

कृषि एवं ग्रमीण उद्योग	236, 272, 275, 279, 286, 298, 332, 343, 362
वाणिज्य और उद्योग	241, 245, 250, 252, 254, 256, 265, 267, 273, 284, 288, 292, 297, 309, 310, 312, 315, 317, 318, 326, 330, 337, 339, 351, 356, 358, 369, 371
उत्तर–पूर्व क्षेत्र विकास	338, 364
गृह	235, 238, 247, 248, 251, 255, 257, 259, 261, 262, 266, 269, 274, 277, 278, 281, 282, 283, 285, 294, 300, 301, 302, 306, 307, 308, 311, 319, 324, 325, 329, 331, 341, 342, 346, 349, 350, 354, 357, 359, 361, 363, 365, 368, 370, 372
मानव संसाधन विकास	237, 239, 240, 243, 244, 246, 249, 253, 258, 263, 268, 270, 271, 280, 287, 289, 291, 293, 296, 303, 304, 305, 313, 316, 320, 321, 327, 328, 333, 334, 340, 344, 345, 347, 352, 353, 355, 360, 366, 367
खान	260, 264, 299, 335
लघु उद्योग	242, 373
जनजातीय कार्य	234, 322, 348
महिला और बाल विकास	276, 290, 295, 314, 323, 336

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद–विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का दूरदर्शन के विशेष चैनल "डीडी–लोकसभा" पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद–विवाद के हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली–110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

© 2006 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित
और सनलाईट प्रिन्टर्स, दिल्ली – 110006 द्वारा मुद्रित।